नालको NALCO
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
एक नवरत्न सीपीएसई

41वीं वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

स्थायी भविष्य के लिए रणनीतिक विकास

अब तक का उच्चतम वार्षिक उत्पादन एवं बिक्री

परिचालन से अब तक का उच्चतम राजस्व

अब तक का उच्चतम शुद्ध लाभ

दूरदृष्टि

एल्यूमिनियम मूल्य श्रृंखला के देशीय एवं वैश्विक उत्खनन में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करते हुए धातु एवं ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधान और एकीकृत कंपनी बनना

विषय सूची

यह वर्ष एक नज़र में	02
निदेशकों की रिपोर्ट	13
नि.सा.उ. गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	41
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	50
व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट	65
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय की रिपोर्ट	83
निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	87
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	112
स्वतंत्र लेखापरीक्षा की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (एकल)	123
स्वतंत्र लेखापरीक्षा की रिपोर्ट एवं वित्तीय विवरण (समेकित)	185
5 वर्षों के कार्य-निष्पादन पर एक नज़र	245

पंजीकृत कार्यालय एवं निगम कार्यालय
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
सीआईएनःL27203OR1981GOI000920
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर-751 013, ओड़िशा
टेलीफोनः 0674-2303197
ईमेलःcompany_secretary@nalcoindia.co.in
वेबसाईटःwww.nalcoindia.com

41वीं वार्षिक साधारण बैठक
तिथि एवं समयः बृहस्पतिवार, 22 सितंबर, 2022 को सुबह 11.00 बजे
मानित स्थानः नालको भवन, पी/1, नयापल्ली,
भुवनेश्वर- 751 013
माध्यमः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/ओएवीएम

यह वर्ष एक नज़र में

भौतिक

बॉक्साइट (मे.ट.)	75,11,075
एल्यूमिना हाईड्रेट (मे.ट.)	21,22,000
एल्यूमिनियम (मे.ट.)	4,60,000
विद्युत (शुद्ध) (मि.यू.)	5,711
पवन ऊर्जा (मि.यू.)	320

वित्तीय

निर्यात कारोबार (₹ करोड़ में)	6,364
सकल बिक्री (₹ करोड़ में)	14,059
कर पूर्व लाभ (₹ करोड़ में)	3,955
कर पश्चात लाभ (₹ करोड़ में)	2,952
प्रति शेयर अर्जन (₹)	16.07
प्रति शेयर बही मूल्य (₹)	68.36
लाभांश (₹ प्रति शेयर)	6.50

निदेशक मंडल

01.	**श्री श्रीधर पात्र**	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
02.	**श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.**	अंशकालिक सरकारी निदेशक
03.	**डॉ. वीणा कुमारी डरमल, भा.डा.से.**	अंशकालिक सरकारी निदेशक
04.	**श्री राधाश्याम महापात्र**	निदेशक (मानव संसाधन)
05.	**श्री मनसा प्रसाद मिश्र**	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
06.	**श्री बिजय कुमार दास**	निदेशक (उत्पादन)
07.	**श्री रमेश चंद्र जोशी**	निदेशक (वित्त)
08.	**श्री सदाशिव सामन्तराय**	निदेशक (वाणिज्यिक)
09.	**श्री रवि नाथ झा**	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
10.	**डॉ. बी.आर. रामकृष्ण**	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
11.	**अधि. जॉर्ज कुरियन**	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
12.	**डॉ. अजय नारंग**	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
13.	**श्री वाई.पी. चिल्लियो**	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
14.	**सुश्री (डॉ.) शतोरूपा**	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
15.	**अधि. दुष्यंत उपाध्याय**	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
16.	**श्री संजय रमनलाल पटेल**	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
17.	**श्री सतेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.**	अंशकालिक सरकारी निदेशक (20.01.2022 तक)

समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

श्री नयन कुमार महान्ति

श्री श्रीधर पात्र
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री श्रीधर पात्र ने 17 दिसंबर, 2019 को नवरत्न सीपीएसई नालको के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। इसके पूर्व, उन्होंने नालको एवं टीएचडीसी को निदेशक (वित्त) के रूप में सेवा दी है। वे वर्ष 2013 से सीपीएसई में बोर्ड स्तर के पद पर रहे हैं। श्री पात्र नालको की संयुक्त उद्यम कंपनी अर्थात यूएडीएनएल (नालको और मिधानी का संयुक्त उद्यम) एवं केएबीआईएल (नालको, एचसीएल एवं एमईसीएल का संयुक्त उद्यम) के बोर्ड में भी अध्यक्ष हैं।

तीन दशकों से भी अधिक के अपने अनुकरणीय कैरियर में, उन्होंने भावी सोच एवं खुली प्रकृति के दृष्टिकोण के साथ एक दूरदर्शी व्यावसायिक अग्रेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने अत्यंत अस्थिर व्यावसायिक परिवेश एवं वैश्विक महामारी के बीच, विशेष रूप से अपनी रणनीतिक कुशलता, परिणाम-उन्मुख एवं दल-अभिमुखी नेतृत्व और संगठनीय विकास के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता की बदौलत नालको के उत्पादन, उत्पादकता, कारोबार एवं लाभप्रदता में नए मानदंड स्थापित किए हैं। उन्होंने प्रभावी संयुक्त उद्यम प्रबंधनों के माध्यम से पश्चगामी एवं अग्रगामी एकीकरण सहित कंपनी की विस्तार योजनाओं को भी दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान दिया है, जिससे कंपनी की दीर्घमियादी संधारणीय निगम योजनाओं को सहयोग मिलेगा।

श्री पात्र ने उत्कल विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक किया है एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं। श्री पात्र का शिक्षा के प्रति अधिक लगाव रहा है एवं भारत में पेशेवर लेखांकन संस्थानों को एक शिक्षाविद् के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक पेशेवर के रूप में, श्री पात्र के पास प्रायः सभी अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे कि ओएनजीसी-एमआरपीएल, आईआरईएल, ओएमसी एवं टीएचडीसी में विविध एवं व्यापक अनुभव है।

निदेशक मंडल

श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.
अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री संजय लोहिया, 1994 बैच (असम मेघालय संवर्ग) के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, ने अक्टूबर, 2020 में खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण किया। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (भा.प्र.से.) में योगदान दिया।

खान मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में जुड़ने से पूर्व, वे असम सरकार के मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव के पद पर थे। उन्होंने असम सरकार में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया।

वे वर्ष 2011-2016 के दौरान, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार में निदेशक के रूप में एवं तत्पश्चात कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में पहले ही कार्य कर चुके हैं। असम सरकार में अपने कार्यभार के दौरान, उन्होंने वित्त, कृषि और शहरी विकास जैसे कई विभागों में विभिन्न क्षमताओं में कार्य किया और वे व्यापक अनुभव के धनी हैं।

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, भा.डा.से.
अंशकालिक सरकारी निदेशक

डॉ. वीणा कुमारी डरमल भारत सरकार की भारतीय डाक सेवा (भा.डा.से.) के 1998 बैच की हैं। वे वर्तमान में, खान मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में नीति एवं विधिकारी प्रभाग से संबंधित संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रही हैं।

डॉ. वीणा कुमारी डरमल ने अखिल भारतीय स्तर पर डाक विभाग में विभिन्न क्षमताओं में सेवा की है। उन्होंने वर्ष 2017 में खान मंत्रालय में निदेशक के रूप में योगदान दिया एवं वर्ष 2020 में पदोन्नत होकर संयुक्त सचिव बनी। वे वर्ष 2020 एवं 2021 में एमएमडीआर अधिनियम में किए गए संशोधनों एवं इस अधिनियम के अधीनस्थ विधि निर्माण में सहयोगी रही हैं। उनके पास भारत में खनिज नीति की गहन जानकारी है।

डॉ. वीणा कुमारी डरमल ने केरल कृषि विश्वविद्यालय से बी.एससी. (कृषि), एम.एससी. (बागवानी) और नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से बागवानी में पीएच.डी की है। उन्होंने आईआईएम, बैंगलोर से जन नीति में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने विभिन्न अल्पमियादी पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

डॉ. वीणा कुमारी डरमल सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्य करने का व्यापक अनुभव रखती हैं।

निदेशक मंडल

श्री राधाश्याम महापात्र
निदेशक (मानव संसाधन)

श्री राधाश्याम महापात्र ने 01.01.2020 से निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में कंपनी में कार्यभार ग्रहण किया।

श्री महापात्र के पास विद्युत, तेल और कोयला क्षेत्र में विभिन्न क्षमताओं में प्रचुर अनुभव है और उन्होंने सफलतापूर्वक विविध एवं उच्च दायित्वों को निभाया है। वे खलीकोट कॉलेज, ब्रह्मपुर, ओड़िशा से भौतिकी में स्नातक हैं और ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय से ऑद्योगिक संबंध एवं श्रम कल्याण में स्नातकोत्तर किया है। श्री महापात्र ने मानव संसाधन के कई क्षेत्रों का कार्यभार संभाला है। एनएचपीसी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने समूह कार्य के माध्यम से उत्पादक कार्य संस्कृति को पेश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री महापात्र की रुचि के क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार, मानव विकास, कौशल विकास के माध्यम से रोज़गार के सृजन, खेलकूद, संस्कृति एवं मानव गरिमा की प्रगति शामिल है। उन्होंने प्रशासन में सुधार के लिए पूरे जोश के साथ काम किया है ताकि इसे समुदायों की जरूरतों एवं आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। उनके गुणों में पारदर्शिता, नेतृत्व और दलीय कार्य शामिल हैं ।

श्री मनसा प्रसाद मिश्र
निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)

श्री मनसा प्रसाद मिश्र ने कंपनी में 01.11.2020 से प्रभावी, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

19.07.1963 को जन्मे, श्री एम.पी. मिश्र ने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बुर्ला, ओड़िशा से यांत्रिक अभियांत्रिकी में स्नातक की शिक्षा पूरी की। उन्होंने 1984 में नालको में एक स्नातक अभियंता प्रशिक्षु (जीईटी) के रूप में योगदान किया। नालको के साथ अपने साढ़े तीन दशकों की लंबी सेवा के दौरान, श्री मिश्र ने एल्यूमिनियम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी अपनाने से लेकर समावेशन तक उल्लेखनीय रूप से योगदान किया। नालको के प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में परियोजना निष्पादन से लेकर संयंत्र प्रचालन तक तथा ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एल्यूमिनियम परियोजनाओं, नवीकरणीय परियोजनाओं आदि में व्यवसाय विकास गतिविधियों में श्री मिश्र के पास व्यापक पेशेवर अनुभव है। श्री मिश्र निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) का पदभार संभालने के पूर्व प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल में कार्यपालक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।

श्री मिश्र इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, भारत के अधिसदस्य (फेलो), एल्यूमिनियम एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया के सदस्य हैं।

श्री बिजय कुमार दास
निदेशक (उत्पादन)

श्री बिजय कुमार दास ने 01.12.2020 से नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के निदेशक (उत्पादन) के रूप में पद ग्रहण किया है। उन्होंने 01.03.2021 से 21.03.2022 तक निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त पदभार भी ग्रहण किया था। इस नए पदभार के पूर्व, श्री दास इस कंपनी के निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के पद पर कार्यरत थे।

एन.आई.टी., राउरकेला (पूर्व में आर.ई.सी.) से मैकनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक, श्री दास ने नालको में 1984 में प्रथम बैच के स्नातक अभियंता प्रशिक्षु के रूप में कैरियर शुरू किया था। वे परियोजना की शुरुआत से ही अनुगुल में कंपनी के ग्रहीत विद्युत संयंत्र में तैनात थे, कंपनी के व्यापार विकास के चुनौतीपूर्ण कार्यभार को संभालने से पहले जहाँ उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवा की। बाद में उन्होंने कार्यपालक निदेशक (परियोजना) के रूप में पदोन्नत होने से पहले कंपनी के विकास पथ की योजना और रणनीति बनाने के लिए महाप्रबंधक (निगम योजना और रणनीतिक प्रबंधन) के रूप में कार्यभार संभाला। नालको के साथ तीन दशकों से भी अधिक के अपनी लंबी सेवा के दौरान, श्री दास ने विविधीकरण पहलों, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में नए परिदृश्य खोलने सहित विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वित्त वर्ष 2021-22 में, उनके प्रबंधन में, नालको पहली बार प्रद्रावक संयंत्र में सभी 960 पॉट के प्रचालन में सफल रहा एवं अब तक का सबसे अधिक 4.6 लाख मे.ट. का ढलाई धातु उत्पादन हासिल हुआ। ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) से एमसीएल की भरतपुर (दक्षिण) खान में परित्यक्त कोयला खान की खुली जगह तक लीन स्लरी मोड (एलएसपी परियोजना) में दीर्घ प्रतीक्षारत राख निपटान परियोजना भी सफलता के साथ शुरू की गई जिससे पर्यावरण उपयोगी उपाय के साथ 100% राख की उपयोगिता सुनिश्चित हुई। उनके नेतृत्व में एल्यूमिना परिशोधन ने नियामक क्षमता उपयोगिता से बेहतर प्रदर्शन किया और बॉक्साइट खानों ने अब तक का सबसे अधिक 75.11 लाख मे.ट. का उत्पादन हासिल किया।

निदेशक मंडल

श्री रमेश चंद्र जोशी
निदेशक (वित्त)

श्री आर. सी. जोशी एक वाणिज्य एवं विधि स्नातक हैं और भारतीय लागत एवं प्रबंधन लेखापाल संस्थान के सदस्य हैं। श्री जोशी एक अनुभवी वित्त पेशेवर व्यक्ति हैं जो निर्णय लेने की अपनी बेहतरीन क्षमता, विश्लेषणात्मक एवं समस्या समाधान के कौशल, व्यावसायिक कुशलता, परिणाम चालित एवं समूह अभिमुखी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं।

उन्होंने हमेशा ही संगठन के विकास के पथ को प्रदर्शित किया है। शिक्षा के प्रति भी उनमें गहन रुचि रही है। 33 वर्षों से भी अधिक समय से वित्त के विभिन्न क्षेत्रों में उनके पास विविध एवं व्यापक अनुभव रहा है, जिनमें से वित्तीय, संविदात्मक एवं नियामक विषयों की गहन समझ के साथ वित्त के प्रमुख क्षेत्रों में नालको में 28 वर्षों का अनुभव शामिल है। वे नालको के एक संयुक्त उद्यम, मेसर्स अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि. के निदेशक मंडल में नामित निदेशक भी हैं।

श्री सदाशिव सामन्तराय
निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री सदाशिव सामन्तराय ने कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक-सामग्री) से पदोन्नत होते हुए 22.03.2022 से कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक) का पदभार ग्रहण किया है।

वर्ष 1965 में जन्मे, श्री सामन्तराय ने स्कूल एवं कॉलेज में अपने पूरे शिक्षाकाल के दौरान उच्च शिक्षा उपलब्धियाँ हासिल की हैं। जी.बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एजी. एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर, अब उत्तराखंड में, से स्नातक के सभी चार वर्षों में विश्वविद्यालय के मेरिट प्रमाणपत्रों के साथ बी.टेक (मैकेनिकल) पूरा करने के बाद, वे नालको से वर्ष 1985 में स्नातक अभियंता प्रशिक्षु के रूप में जुड़े। उन्होंने विपणन वित्त में विशेषज्ञता के साथ उत्कल विश्वद्यालय से एमबीए पूरा किया है। उन्होंने व्यवसाय प्रशासन में पीजी डिप्लोमा और विपणन प्रबंधन में पीडी डिप्लोमा भी पूरा किया है।

श्री सामन्तराय के पास संयंत्रों एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों में 36 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। संयंत्रों में कार्य करते समय उनकी रणनीतियों और योजनाओं से नालको को कई महत्वपूर्ण फैसलों और उल्लेखनीय उपलब्धियों में उनकी भागीदारी से उच्च दर्जे का उत्पादन एवं उत्पादकता हासिल करने में मदद मिली। उनके पास विपणन, सामग्री, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन एवं संभार तंत्र के क्षेत्रों में सुदृढ़ बहु-अनुशासनिक वाणिज्यिक अनुभव है। अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी में कई उल्लेखनीय पहलों को शुरू किया है जैसे कि पहली बार ग्राहक के साथ एमओयू स्कीम, एलएमई संयोजित मूल्य निर्धारण प्रणाली, धातु का एलएमई पंजीकरण, निर्यात के लिए ई-निविदा प्रणाली, वाणिज्यिक नियमावलियों के निरुपण और पारदर्शिता लाने के लिए दिशानिर्देश, सुदक्ष आपूर्ति श्रृंखला और लागत बचत के लिए संभार तंत्र प्रणाली में बढ़ोतरी, रणनीतिक स्थानों पर मास्टर स्टॉक यार्ड की शुरुआत, मोबाइल ऐप जैसे कि उपभोक्ताओं के लिए (नगीना) और विक्रेताओं के लिए (नमस्य) को आरंभ करना एवं उपभोक्ता और आपूर्तिकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण आदि।

12 से अधिक नए सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को पेश करने सहित वे कई मूल्य वर्धित उत्पादों के विकास एवं पेश करने में गहनता से शामिल हुए थे। उनके नेतृत्व में नालको की वाणिज्यिक कार्यप्रणाली सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धी बनी एवं बाजार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में सफल रही जिससे कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन में कीर्तिमान उपलब्धि हासिल हुई। लीक से हटकर उनकी रणनीतियों ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सभी प्रमुख कच्चे सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित की जिसके फलस्वरूप संयंत्र का प्रचालन शून्य उत्पादन हानि के साथ सुनिश्चित हुआ एवं क्रय लागत में भारी बचत का फायदा मिला जिससे कंपनी की लाभप्रदता को बढ़ाने में मदद मिली।

श्री सामन्तराय भारतीय सामग्री प्रबंधन संस्थान के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, चार्टर्ड इंजीनियर्स प्रमाणपत्र के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के अधिसदस्य (फेलो), भारतीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान के सदस्य हैं।

निदेशक मंडल

श्री रवि नाथ झा
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

श्री रवि नाथ झा ने राँची विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक किया है। पत्रकारिता में वे पेशेवर विशेषज्ञता रखते हैं। राँची के कई स्थानीय समाचारपत्रों के लिए वे स्वतंत्र पत्रकार रहे थे। अक्टूबर, 2003 से वे अंत्योदया संदेश और अंत्योदया संकल्प के सम्पादक के रूप में लगातार काम कर रहे हैं।

डॉ. बी.आर. रामकृष्ण
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

डॉ. बी.आर. रामकृष्ण बीएसएएम, बीएएमएस, एमडी (आयु.), एमएससी. एवं पीएचडी (योग) धारक और बीएसएएम में स्वर्ण पदक और कर्नाटक राज्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं। उनके पास यूजी और पीजी अध्ययनों में 30 वर्षों, इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस में 40 वर्षों और अनुसंधान के क्षेत्र में 23 वर्षों का अनुभव है। वे भारत सरकार एवं कर्नाटक सरकार में आयुर्वेद, योग और खेलकूद के क्षेत्र में उच्चतम स्थान रखते हैं। उन्होंने वर्ष 2006 से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्पेन, स्विटज़रलैंड, हांगकांग, चीन, फ्रान्स, इटली, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड में आयुर्वेद और योग कार्यशालाओं एवं वर्ष 2015 से जर्मनी और ऑस्ट्रिया में आईडीवाई कार्यक्रम का संचालन किया। उन्हें सर्वोत्तम शिक्षक पुरस्कार, आयुर्वेद के मसाल वाहक और अदम्य चेतना पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

अधि. जॉर्ज कुरियन
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

श्री जॉर्ज कुरियन केरल के कोट्टायम जिले से पेशे से एक अधिवक्ता हैं एवं विभिन्न अदालतों में एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का व्यापक अनुभव है।

निदेशक मंडल

डॉ. अजय नारंग
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

डॉ. अजय नारंग ने हाल ही में अपनी कंपनी के मार्गदर्शी हेल्थकेयर उद्यम अर्थात समग्र केयर को पेश किया है जो चिकित्सा सेवाओं का एक उन्नत आदर्श स्वरूप है एवं अर्बन टीयर-2 इंडिया में उच्च गुणवत्ता संपन्न, न्यायोचित, यथा समय स्वास्थ्य देखभाल को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

उन्होंने भारतीय निर्माण एवं आपूर्ति उद्योग में सफलतापूर्वक कदम रखते हुए अपने कैरियर की शुरुआत की। वे भारत और अमेरीका में, उद्योग और व्यवसाय क्षेत्र में अपने तीस वर्षों के अनुभव के दौरान कई निगमों के निदेशक मंडल का हिस्सा रहे हैं।

वे जेनेवा में आईएलओ के युनाइटेड नेशन्स आईएलसी के 106वे सत्र में उपस्थित हुए थे। वे डीपीई, आईआईसीए एवं सीबीसी द्वारा आयोजित सीपीएसई के स्वतंत्र निदेशकों के सम्मेलन के प्रतिनिधि थे। वे खान मंत्रालय द्वारा आयोजित खान एवं खनिज के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी प्रतिनिधि रहे थे।

वे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की सेवा में अखिल भारतीय संगठन, लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय उप सभापति रहे हैं; वर्तमान में वे इसकी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के कार्यपालक सदस्य हैं। वे विश्व संवाद केन्द्र ट्रस्ट के ट्रस्टी एवं सभापति भी हैं। वे कई भारतीय निकायों जैसे कि श्रम सलाहकारी बोर्ड; कार्यपालक परिषद, एमपीसीएसटी; सप्लाई कोड पैनल, एमपीईआरसी; जनरल काउंसिल, एबी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी; क्षेत्रीय सलाहकारी कमिटी, सीबीडब्ल्यूई के भूतपूर्व में मानार्थ सदस्य रहे हैं एवं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (एमएसएमई), भारत सरकार के राष्ट्रीय बोर्ड के विशेष आमंत्रित व्यक्ति हैं।

श्री वाई. पी. चिल्लियो
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

श्री वाई.पी. चिल्लियो नागालैंड विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं एवं विशेष रूप से जनसाधारण के कल्याण के लिए विविध क्षमताओं में विभिन्न समुदाय आधारित संगठनों में कार्य किया है। उन्होंने केन्द्रीय कार्यपालक समिति के सदस्य के रूप में ईस्टर्न नागालैंड पिपल्स ऑर्गेनाइजेशन की सेवा की है। वे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नागालैंड के आजीवन सदस्य हैं।

निदेशक मंडल

सुश्री (डॉ.) शतोरूपा
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

सुश्री (डॉ.) शतोरूपा कलकत्ता विश्वविद्यालय से बी.ए. (इतिहास) में रैंक धारक हैं एवं एम.ए. में स्वर्ण पदक के साथ नं. 1 का रैंक हासिल किया है। उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से साल 2020 में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में पीएचडी प्राप्त हुआ है। वे एक निगम प्रशिक्षक हैं एवं 15 वर्षों के अनुभव के साथ एक स्वतंत्र लेखिका हैं। वे वर्ष 2012-14 के दौरान दो लगातार अवधियों के लिए बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की महिला शाखा की सभापति रही हैं।

अधि. दुष्यंत उपाध्याय
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

श्री दुष्यंत उपाध्याय उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर जिले से पेशे से एक अधिवक्ता हैं और इनके पास विभिन्न अदालतों में एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करने का अच्छा अनुभव है।

श्री संजय रमनलाल पटेल
अंशकालिक गैर-सरकारी
(स्वतंत्र) निदेशक

18.05.1970 को जन्मे, श्री संजय रमनलाल पटेल ने गुजरात विश्वविद्यालय से विज्ञान (रसायन) में स्नातक किया है। वर्तमान में वे वर्ष 2018 से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी (एपीएमसी), खम्भात के अध्यक्ष के पद पर हैं। वे वर्ष 2018 से रालेज केदावनी मंडल, रालेज के भी अध्यक्ष एवं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, वी.वी. नगर के सिंडिकेट सदस्य हैं।

वरिष्ठ प्रबंधन दल

श्री एस.के पाढ़ी
कार्यपालक निदेशक (खान एवं परिशोधक)

श्री ए.पी. पण्डा
कार्यपालक निदेशक (प्रद्रावक एवं विद्युत)

श्री सोमनाथ हंसदा
मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री आर. एन. महापात्र
कार्यपालक निदेशक (वाणिज्यिक-विपणन)

श्री एन. के. महान्ति
समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

श्री के. के. पण्डा
कार्यपालक निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)

श्री ए.के. स्वाईं
कार्यपालक निदेशक (उत्पादन)

WELCOME
TO
MINES
ENTRY RESTRICTED
THINK
SAFETY
FIRST!

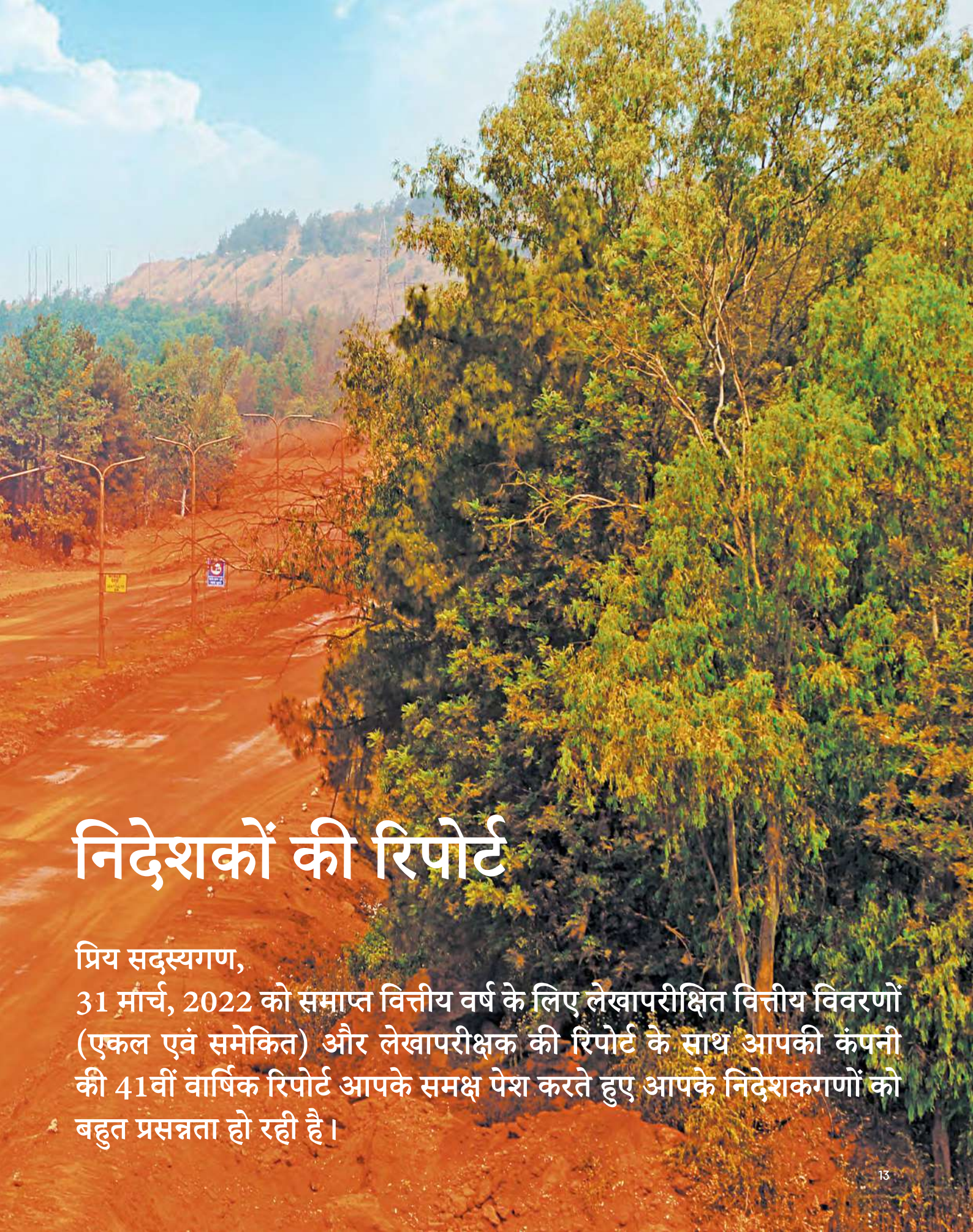

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित) और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ आपकी कंपनी की 41वीं वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष पेश करते हुए आपके निदेशकगणों को बहुत प्रसन्नता हो रही है।

एशिया में सबसे बड़े **एकीकृत एल्यूमिना एवं एल्यूमिनियम संकुल** में से एक। नालको ने बॉक्साइट खनन, एल्यूमिना परिशोधन, एल्यूमिनियम प्रद्रावण, विद्युत उत्पादन से लेकर अनुप्रवाह उत्पादों तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में अपनी उपस्थिति को दर्शाया है।

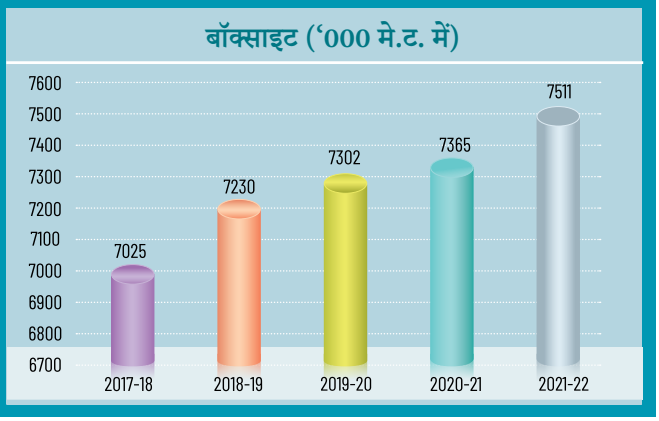

1.0 कार्य-निष्पादन के प्रमुख अंशः

1.1 भौतिक कार्य-निष्पादनः

उत्पादन	एकक	2021-22	2020-21
बॉक्साइट	मे.ट.	75,11,075	73,65,001
एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.ट.	21,22,000	20,85,500
एल्यूमिनियम	मे.ट.	4,60,000	4,18,522
विद्युत (शुद्ध) - ग्र.वि. सं.	मि.यू.	5,711	6,440
पवन ऊर्जा (शुद्ध)	मि.यू.	320	285

(क) आपकी कंपनी की पंचपटमाली बॉक्साइट खानों ने 75,11,075 टन का बॉक्साइट उत्पादन हासिल किया है जो वित्त वर्ष 2020-21 में 73,65,001 टन के पिछले "अब तक के अधिकतम वार्षिक उत्पादन" को पार करते हुए अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्शाता है।

(ख) आपकी कंपनी ने 12.01.2022 को अपने प्रद्रावक संयंत्र में सभी 960 पॉट का प्रचालन किया जिससे आपकी कंपनी के इतिहास में पहली बार 100% क्षमता उपयोग को हासिल करने में सफलता मिली।

(ग) आपकी कंपनी के प्रद्रावक ने 4,60,000 टन एल्यूमिनियम ढलाई धातु के उत्पादन में पूर्ण क्षमता हासिल की जो कि वित्त वर्ष 2010-11 में उपलब्ध 4,43,597 टन के पिछले "अब तक के अधिकतम वार्षिक उत्पादन" को पार करते हुए अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्शाता है।

एल्यूमिना रसायनों और एल्यूमिनियम धातु की हमारी देशीय बिक्री ने अपनी स्थापना के दिन से कीर्तिमान ऊँचाइयों को हासिल किया है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-2022 में **देशीय धातु बिक्री में 40 प्रतिशत की वृद्धि एवं कुल धातु की बिक्री में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी** हासिल की।

एल्यूमिना हाईड्रेट ('000 मे.ट. में)

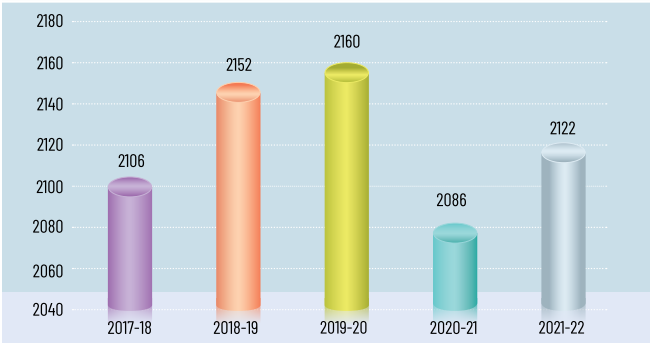

2.0 बिक्री कार्य-निष्पादन

2021-22 के दौरान उपलब्ध बिक्री का सारांश निम्नानुसार तालिका में दिया गया है:

विवरण	एकक	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
निर्यात			
एल्यूमिना	मे.ट.	11,54,691	11,84,680
एल्यूमिनियम	मे.ट.	1,33,085	1,92,174
देशीय			
एल्यूमिना एवं हाईड्रेट*	मे.ट.	77,995	42,992
एल्यूमिनियम	मे.ट.	3,23,809	2,30,643
कुल धातु बिक्री	मे.ट.	4,56,893	4,22,817
कुल रसायन बिक्री	मे.ट.	12,32,686	12,27,672

**विशेष ग्रेड के हाईड्रेट सहित*

आपकी कंपनी ने 2021-22 के दौरान अपनी स्थापना से अब तक की सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु की बिक्री और एल्यूमिना रसायनों की अब तक की सबसे अधिक देशीय बिक्री की उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान एल्यूमिनियम धातु की कोविड प्रभावित सुस्त घरेलू मांग को देखते हुए, बड़े पैमाने पर इस धातु का निर्यात किया गया जिससे आपकी कंपनी ने वर्ष 2020-21 में देशीय धातु की बिक्री में 40% की वृद्धि एवं कुल धातु की बिक्री में 8% की बढ़ोतरी हासिल की जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उपलब्ध अब तक के सबसे अधिक धातु उत्पादन के समकक्ष था।

3.0 वित्तीय कार्य-निष्पादन

वित्तीय कार्य-निष्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	2021-22	2020-21
प्रचालनों से राजस्व	14,181	8,956
अन्य आय	297	147
कुल आय	14,478	9,103
खपत हुए कच्चे माल की लागत	1,971	1,315
विद्युत एवं ईंधन	3,388	2,638
कर्मचारी लाभ व्यय	2,356	1,930
अन्य व्यय*	1,971	1,296
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	837	606
कुल व्यय	10,523	7,786
असाधारण मदों से पूर्व लाभ	3,955	1,317
कर पूर्व लाभ	3,955	1,317
कर व्यय	1,003	17
कर पश्चात लाभ	2,952	1,300

**तैयार माल की सूची में परिवर्तन और कार्य प्रगति और वित्तीय लागत शामिल है।*

4.0 भविष्य का दृष्टिकोणः

एल्यूमिना और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए बाजार का दृष्टिकोण निम्नानुसार सारणीबद्ध है:

विवरण	कैलेंडर वर्ष 2020	कैलेंडर वर्ष 2021	कैलेंडर वर्ष 2022 (परियोजित)
एल्यूमिना			
वैश्विक मांग (मिलियन मे.ट.)	126.36	130.99	129.79*
वैश्विक आपूर्ति (मिलियन मे.ट.)	126.84	131.30	129.70*
शेष [अधिशेष/(घाटा)]	0.48	0.31	(0.09)*
एल्यूमिनियम धातु			
वैश्विक मांग (मिलियन मे.ट.)	62.92	68.95	69.04*
वैश्विक आपूर्ति (मिलियन मे.ट.)	64.74	67.46	66.91*
शेष [अधिशेष/(घाटा)]	1.83	(1.49)	(2.13)*
मूल्य प्रवाह	**वि.व. 2020-21**	**वि.व. 2021-22**	**वि.व. 2022-23 (जून 2022 तक)**
एलएमई मूल्य (यूएस डॉलर प्रति मे.ट.)	1,802	2,769	2,882
एल्यूमिना मूल्य सूचकांक (एलएमई मूल्य के 0% के रूप में)	15.68%	13.25%	12.88%

** जनवरी-जून, 2022 की अविध के लिए सीआरयू द्वारा प्रकाशित अनुमानित आंकड़े 2022 के आंकड़ों पर पहुँचने के लिए बहिर्वेशित किए गए हैं। (स्रोत: सीआरयू) ।*

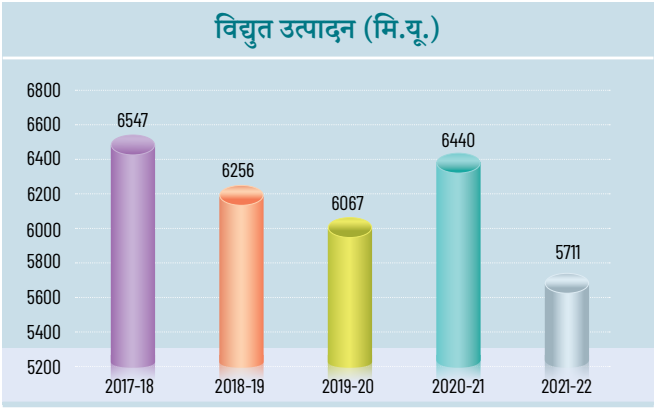

5.0 लाभांश एवं विनियोगः

आपकी कंपनी, भारत सरकार का एक के.सा.क्षे.उ. होने के कारण डीआईपीएएम के दिशानिर्देशों के अनुपालन में लाभांश का भुगतान करती है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने दो चरणों में कुल ₹918.32 करोड़ की राशि के रूप में ₹5.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिरम लाभांश का भुगतान किया है एवं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ₹183.66 करोड़ की राशि के रूप में ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश भुगतान पिछले वर्ष के ₹460.61 करोड़ के मुकाबले ₹1,101.98 करोड़ है। पिछले वित्तीय वर्ष के 35.44% की तुलना में कर पश्चात लाभ के 37.33% का लाभांश भुगतान किया गया।

निदेशक मंडल ने आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 30% की दर से अंतिम लाभांश अर्थात ₹1.50 प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है।

नालको के पंचपटमाली केन्द्रीय एवं उत्तरी बॉक्साइट खानों को "पाँच सितारा दर्जा" प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित खान एवं खनिज के 6वीं राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री प्रह्लाद जोशी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री द्वारा प्रदान किया गया।

श्री आलोक टंडन, भा.प्र.से., सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नालको के अनुगुल, ओड़िशा में प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल का दौरा

6.0 समझौता ज्ञापन प्रदर्शनः

भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है।

वित्तीय प्रदर्शन एवं अन्य मानदंडों की उपलब्धि के आधार पर, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए "उत्कृष्ट" दर्जा दिए जाने की संभावना है।

7.0 कच्चे माल का प्रतिभूतिकरणः

पंचपटमाली बॉक्साइट खान (केन्द्रीय और उत्तरी ब्लॉक) और दक्षिणी ब्लॉक के लिए क्रमशः 16.11.2032 और 19.07.2029 तक लीज वैधता के साथ सभी वैधानिक मंजूरी है। दोनों खानों का प्रचालन जारी है।

एल्यूमिना परिशोधन संयंत्र में ग्रहीत वाष्प एवं विद्युत संयंत्र (एसपीपी) है। एसपीपी को कोयले की स्थायी आपूर्ति के लिए, आपकी कंपनी का सीआईएल की सहायक कंपनियों के साथ 1.341 मिलियन मे.ट. का ईंधन आपूर्ति अनुबंध है। मात्रा में कोई कमी आने पर, कोयला नीलामी (स्पॉट/एक्सक्लूसिव) मार्ग के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

एल्यूमिनियम प्रद्रावक संयंत्र में स्थायी विद्युत आपूर्ति के लिए ग्रहीत विद्युत संयंत्र है। ग्रहीत विद्युत संयंत्र एक तापज विद्युत संयंत्र है और प्रद्रावक संयंत्र की मांग के अनुसार विद्युत उत्पादन को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लगभग 6.8 मिलियन मेट्रिक टन कोयले की आवश्यकता होती है। ग्रहीत विद्युत संयंत्र के लिए, कोयला मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की नजदीकी कोयला खानों से प्राप्त किया जाता है। आपकी कंपनी का एमसीएल के साथ 4.716 मिलियन मे.ट.

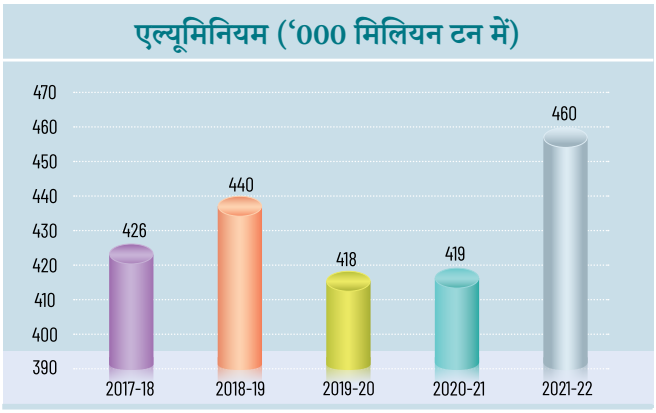

कोयला और 0.90 मिलियन मे.ट. ब्रिज लिंकेज कोयला एमओयू के तहत ईंधन आपूर्ति समझौता हुआ है। शेष कमी की मात्रा कोयला नीलामी (स्पॉट/ एक्सक्लूसिव) मार्ग के माध्यम से प्राप्त की जाती है।

आपकी कंपनी को उत्कल-डी कोयला ब्लॉक का आवंटन किया गया है एवं उत्कल-डी कोयला ब्लॉक के प्रचालन को शुरू करने का कार्य प्रगति पर है जिसके बाद उत्कल-ई कोयला ब्लॉक को चालू किया जाएगा।

8.0 कार्यान्वयन के अंतर्गत परियोजनाएँ:

8.1 एल्यूमिना परिशोधक की 5वीं धाराः

आपकी कंपनी अपनी मौजूदा एल्यूमिना परिशोधक में 5वीं धारा को स्थापित करने की प्रक्रिया में है, जो दिसंबर, 2018 के मूल्य स्तर पर ₹6,435.90 करोड़ के अनुमानित व्यय पर 2.1 मिलियन टन प्रति वर्ष (कुल क्षमता 3.1 मिलियन टन प्रति वर्ष) की मौजूदा स्थापित क्षमता में 1.0 मिलियन टन

श्री आलोक टंडन, भा.प्र.से., सचिव, खान मंत्रालय, लीन स्लरी परियोजना का उद्घाटन करते हुए, जो नालको के ग्रहीत विद्युत संयंत्र में उत्पादित राख का 100% उपयोग सुनिश्चित करेगी।

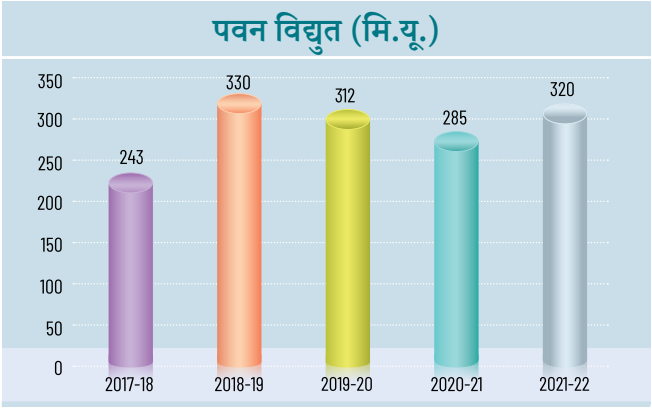

प्रति वर्ष की क्षमता जोड़ेगी, जो मेसर्स रियो टिंटो अल्कान इंटरनेशनल लिमिटेड (आरटीएआईएल) की उन्नत मध्यम दबाव पाचन प्रौद्योगिकी पर आधारित है।

आपकी कंपनी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरण मंजूरी और ओड़िशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापना की सहमति (सीटीई) जैसी प्रमुख वैधानिक अनुमति प्राप्त की है। मेसर्स थिस्सेनक्रुप इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना के लिए ईपीसीएम सलाहकार नियुक्त किया गया है। मेसर्स एम.एन. दस्तूरको को एल्यूमिना परिशोधक के वाष्प एवं विद्युत संयंत्र के लिए ईपीसीएम सलाहकार नियुक्त किया गया है। परियोजना के लिए बुनियादी इंजीनियरिंग मेसर्स आरटीएआईएल द्वारा पूरा किया गया है और विस्तृत इंजीनियरिंग ने 88% की प्रगति की है। सर्वेक्षण और मृदा जांच एवं साइट ग्रेडिंग कार्य से सम्मिलित साइट गतिविधि को पूरा कर लिया गया है। निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अधिकांश पैकेजों के ठेकेदार साइट पर एकत्रित हुए हैं। परियोजना को जनवरी, 2024 तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.2 5वीं धारा के लिए बॉक्साइट की वैकल्पिक प्राप्ति का स्रोत

एल्यूमिना परिशोधक की 5वीं धारा के विस्तार के लिए बॉक्साइट की आपूर्ति की परिकल्पना पोट्टांगी खानों से की गई है। हालांकि, पोट्टांगी खानों से बॉक्साइट की उपलब्धता 5वीं धारा के विस्तार के चालू होने के निर्धारित समय के बाद होने की अपेक्षा की जाती है। अतएव, मौजूदा पंचपटमाली खान के दक्षिणी ब्लॉक से बॉक्साइट की आपूर्ति की योजना क्रशिंग और कन्वेइंग प्रणाली की स्थापना के माध्यम से की गई है जिसके लिए ₹483 करोड़ के पूंजी व्यय को अनुमोदित किया गया है

मेसर्स डीसीपीएल को परियोजना के लिए ईपीसीएम सलाहकार नियुक्त किया गया है। ओवर लैंड कन्वेयर, क्रशर संयंत्र, जल प्रणाली, विद्युत प्रणाली और साइट एवं आधारभूत संरचना जैसे प्रमुख पैकेजों के लिए ऑर्डर को अंतिम रूप दिया गया है। साइट निर्माण की गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। इस परियोजना को दिसंबर, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

8.3 25.5 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाः

हरित और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में, आपकी कंपनी ने भारत के विभिन्न राज्यों में 198.40 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित किया है।

इस उत्तम प्रयास के तहत, आपकी कंपनी ने मेसर्स रीजन पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ₹163 करोड़ के पूंजी व्यय पर तमिलनाडु के कायाथार में 25.5 मेगावाट क्षमता की एक अन्य पवन ऊर्जा परियोजना को शामिल करते हुए अपनी पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को 223.90 मेगावाट तक बढ़ाने की प्रक्रिया में है। उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति (65%) हुई है। हालांकि, निष्पादनकारी एजेंसी की कमज़ोर वित्तीय दशा के कारण यह कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। निष्पादनकारी एजेंसी, मेसर्स रीजन को तत्पश्चात एनसीएलटी को संदर्भित किया गया है। इसके लिए अंतिम समाधान आदेश फरवरी 2022 में एनसीएलटी द्वारा जारी किया गया है। स्वीकृत समाधान योजना की शर्तें परियोजना निष्पादन के हित में नहीं हैं, इसलिए आपकी कंपनी ने एनसीएलएटी में एक याचिका दायर की है ताकि स्वीकृत समाधान योजना की समीक्षा की जा सके। एनसीएलएटी के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

8.4 पोट्टांगी बॉक्साइट खानः

पोट्टांगी बॉक्साइट की खानों (75 मिलियन टन) को विस्ताराधीन 1 मिलियन टन एल्यूमिना परिशोधक की

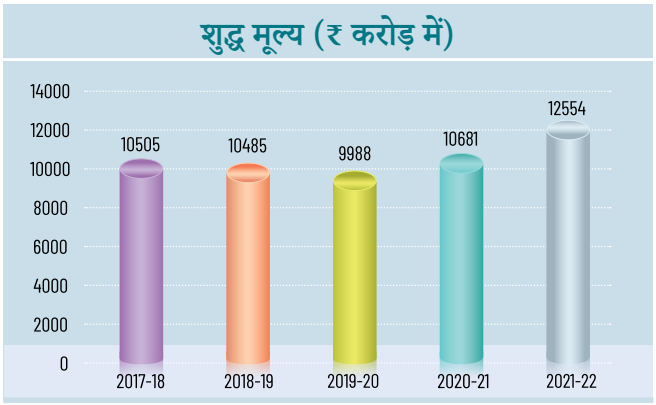

बॉक्साइट आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत सरकार की ओर से आपकी कंपनी के पक्ष में आरक्षित किया गया है। खनन योजना को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। खनन पट्टे के निष्पादन के लिए पर्यावरण अनुमति और वन अनुमति प्राप्त करने और 18 कि.मी. लम्बे ओवर लैंड कन्वेयर का निर्माण करने जैसी परियोजना-पूर्व गतिविधियाँ चल रही हैं। ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट तैयार करना, जन सुनवाई का संचालन, जिला प्रशासन से वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र प्राप्त करना, ओआरएसएसी द्वारा मानचित्रों के प्रमाणीकरण सहित वन भूमि के रूपांतरण के लिए प्रतिपूरक वनरोपण योजना प्रस्तुत करना और ओवर लैंड कन्वेयर की प्रौद्योगिकी के चयन के लिए सलाहकार की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में खान के चालू होने की संभावना है।

देशप्रेम की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए नालको हर घर तिरंगा अभियान के समारोह में राष्ट्र के साथ शामिल हुआ।

8.5 उत्कल-डी एवं ई कोयला ब्लॉकः

उत्कल-डी और उत्कल-ई कोयला ब्लॉक (175 मिलियन टन) का आवंटन भारत सरकार द्वारा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) में मौजूदा परिचालन एककों और आपकी कंपनी के भावी विस्तार के लिए कच्चे माल की सुरक्षा के एक अंश के रूप में किया गया है। आपकी कंपनी ने उत्कल-डी के खनन पट्टे का निष्पादन अपेक्षित नियामक मंजूरी प्राप्त करने और खनन पट्टा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को पूरा करने के बाद किया। कोयला नियंत्रक ने मई, 2021 में खान को खोलने की अनुमति दी है। कोयला खनन अनुबंध पर हस्ताक्षर सहित खान विकासकर्ता और संचालक (एमडीओ) को नियुक्त करने का कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना स्तर पर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समिति (पीएलआरआरसी) की बैठक का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। पुनर्वास और परिधीय विकास सलाहकार समिति (आरपीडीएसी) उप-समिति की बैठक का भी आयोजन उत्कल-डी के ग्रामीणों और जिला प्रशासन के साथ किया गया ताकि आर एंड आर (अनुसंधान एवं विकास) के फायदों को अंतिम रूप दिया जा सके। रेलवे साइडिंग निर्माण के विकास की गतिविधियाँ प्रगति पर हैं। उत्कल-ई के खनन पट्टे का निष्पादन करने के लिए परियोजना-पूर्व की गतिविधियाँ जोर-शोर से चल रही हैं। चरण-I वन मंजूरी (एफसी) पहले ही प्राप्त कर ली गई है और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से चरण- II वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए चरण-I वन मंजूरी का अनुपालन जमा किया जा चुका है। राज्य नोडल एजेंसी मेसर्स इडको के माध्यम से शेष निजी भूमि एवं सरकारी भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। वित्त वर्ष 2023 24 में उत्कल-डी कोयला ब्लॉक के परिचालन के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं और तत्पश्चात सभी सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने के बाद उत्कल-ई का परिचालन किया जाएगा।

9.0 पूंजी व्यय (कैपेक्स)

आपकी कंपनी ने एकल आधार पर ₹1,488.16 करोड़ का कैपेक्स हासिल किया है। संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा किए गए पूंजीकरण को ध्यान में रखते हुए, कंपनी का कैपेक्स समेकित आधार पर ₹1,944.65 करोड़ है।

10.0 जोखिम प्रबंधन नीतिः

निदेशक मंडल द्वारा एक जोखिम प्रबंधन नीति प्रस्तुत और अनुमोदित की गई है और यह कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

11.0 मानव संसाधन प्रबंधनः

11.1 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देश

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दिव्यांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों जैसी अन्य श्रेणियों के आरक्षण के मामलों में राष्ट्रपति के सभी लागू निर्देशों और अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। आपकी कंपनी ने आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के अनुपालन में दिव्यांग (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणी के लिए समान अवसर नीति का प्रकाशन किया है। 31.03.2022 को, 5,520 की कुल जनशक्ति में से, 878 अनुसूचित जाति (15.91%), 1,066 अनुसूचित जनजाति (19.31%), 813 अन्य पिछड़ा वर्ग (14.73%), 101

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के कार्यकलापों के तहत, 'अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता' के संदेश का प्रचार करने के लिए नालको द्वारा आयोजित फिट इंडिया वॉकथॉन में कर्मचारियों की भागीदारी।

श्री आलोक टंडन, भा.प्र.से., सचिव, खान मंत्रालय नालको निगम कार्यालय, भुवनेश्वर के अपने दौरे के दौरान नालको भवन के परिसर में एक पौधा लगाते हुए।

दिव्यांगों (1.83%) और 9 भूतपूर्व सैनिक (0.16%) थे। साथ ही, 333 (6.03%) महिला कर्मचारी थीं।

11.2 औद्योगिक संबंधः

आपकी कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान एक अनुकूल और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध के परिवेश को बनाए रखा। वर्ष 2021-22 के दौरान, न केवल श्रम विवादों के मुद्दे पर शून्य मानव-दिवस की हानि हुई, बल्कि श्रमशक्ति ने कंपनी को अब तक का अधिकतम लाभ हासिल करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। कर्मचारी लाभों और कल्याणकारी मसलों से निपटने में लागू श्रम कानूनों का अनुपालन, सरकारी दिशानिर्देशों का अनुसरण और परामर्शी निर्णय लेना कंपनी की मुख्य ताकत बने रहे। अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहनशीलता हमेशा की तरह, कंपनी के औद्योगिक संबंध से जुड़े सिद्धांतों की विशेषता बनी रही।

11.3 सामाजिक उत्तरदायित्व 8000:

एक अच्छे कार्यस्थल को विकसित करने और बनाए रखने के लिए, आपकी कंपनी ने वर्ष 2009-10 से अंतर्राष्ट्रीय मानक, सामाजिक उत्तरदायित्व 8000 (एसए-8000) को अंगीकार किया है। इस प्रमाणन से कंपनी को बाल मजदूर, जबरन मजदूर, सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश, कामकाजी घंटे, पारिश्रमिक, संघ की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी प्रक्रिया, पक्षपातपूर्ण और अनुशासनात्मक अभ्यासों के क्षेत्र में कर्मचारियों, मालिक, उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों सहित हमारे सभी

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के अंश के रूप में, नालको ने महिला कर्मचारियों के लिए एक प्रेरणादायी सम्मेलन का आयोजन किया।

श्री श्रीधर पात्र नालको के फाउंडेशन लेक्चर सीरीज़ के 20वें संस्करण में मुख्य अतिथि प्रो. गणेशी लाल, माननीय राज्यपाल, ओड़िशा को एक पौधा भेंट करते हुए।

हितधारकों के प्रति और अधिक पारदर्शी बनने में मदद मिली।

आपकी कंपनी के सभी एकक एसए 8000 के नवीनतम संस्करण यानी एसए 8000:2014 से प्रमाणित हैं। निगम कार्यालय सहित सभी उत्पादन एकक वर्ष 2017 से एसए 8000:2014 मानक (नए संस्करण) से प्रमाणित हो चुके हैं। सभी उत्पादन एककों और निगम कार्यालय का प्रमाणन हर 3 साल में नवीनीकरण किया जा रहा है।

12.0 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.):

12.1 नि.सा.उ. पर वार्षिक मुख्य विशेषताएँ:

चार दशकों से अधिक की पंरपरा के साथ, आपकी कंपनी ने साबित किया है कि "निगम सामाजिक उत्तरदायित्व" इसके डीएनए अर्थात इसके मूल्यों में पूर्ण रूप से रचा-बसा है। आपकी कंपनी ने एक ओर देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हुए और दूसरी ओर अपने कर्मचारियों, स्थानीय समुदाय और मुख्य रूप से समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हुए "समाज को उसका ऋण लौटाने" के मूल सिद्धांतों पर चलना जारी रखा है।

आपकी कंपनी नि.सा.उ. परियोजना पर विचार करते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिदेशों का पालन कर रही है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के तहत सभी विचारों और अभीष्ट विकासपरक कार्यों का मूल्यांकन किया गया है।

स्थानीय लोगों और स्थानीय प्रशासन सहित विविध प्रकार के हितधारकों से परामर्श लेने की भी पहल की गई है। समुदाय की जरूरतों के अनुसार परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है और इनके प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए निरंतर निगरानी की जाती है।

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप अपनी नि.सा.उ. नीति की आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए ₹ 28.60 करोड़ के अनिवार्य नि.सा.उ. देयता की तुलना में विभिन्न नि.सा.उ. परियोजनाओं पर वित्त वर्ष 2021-22 में ₹ 36.91 करोड़ खर्च किए हैं। कंपनी ने लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के दिनांक 12.05.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कोविड संबंधी उपायों पर विशेष जोर देते हुए स्वास्थ्य एवं पोषण पर विषयवस्तु आधारित नि.सा.उ. गतिविधियाँ शुरू की है।

कार्यान्वयन के प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और प्रतिष्ठित शहर, पुरी का विकास शामिल हैं। कंपनी ने ओड़िशा राज्य और देश के अन्य हिस्सों में कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए अनुकरणीय पहल की है जिसके लिए इस महत्वपूर्ण समय में बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य

देखभाल प्रणाली / सुविधाओं को मजबूत बनाया गया है और साथ ही कमजोर समुदायों में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई गई है।

आपकी कंपनी मुख्य रूप से समाज को सेवा प्रदान करने की मौजूदा प्रणाली में कमियों की पहचान करती है और इस संबंध में सार्थक कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करती है, ताकि एक समानांतर प्रणाली बनाने के बजाय दीर्घकालिक, स्थायी प्रभाव का सृजन हो सके।

12.2 वर्ष 2021-22 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण नि.सा.उ. पहल हैं:

क) कोविड प्रबंधन के लिए, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित उपायों को अपनाया:

(i) आपकी कंपनी ने ओड़िशा सरकार के सहयोग से कोरापुट, नबरंगपुर, मलकानागिरी, रायगडा और कालाहांडी के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रोगियों के इलाज के लिए नबरंगपुर जिला मुख्यालय में 200 शय्या वाले एक विशेष कोविड अस्पताल स्थापित किया है।

(ii) आपकी कंपनी ने ओड़िशा सरकार के सहयोग से अनुगुल जिले के बानरपाल में 150 शय्या वाले डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल (डीसीएच) स्थापित किया है।

(iii) कोरापुट में शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 70 शय्या वाले कोविड अस्पताल को वित्तीय सहायता।

(iv) कंपनी में काम करने वाले अनुबंधित कर्मियों को कोविड सहयोग।

(v) मेडिकल ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशनों को आपातकालीन उपाय के तौर पर डीजी सेट की आपूर्ति के लिए ओड़िशा सरकार को वित्तीय सहायता।

ख) ओड़िशा राज्य की महिलाओं में हिंसा मुक्त जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ।

ग) प्रचालन क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल परियोजनाएँ।

घ) विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, पुलियों, नालियों और सामुदायिक हॉलों के निर्माण जैसी आधारभूत संरचनात्मक गतिविधियाँ।

ङ) "नालको की लाडली" परियोजना के तहत निर्धन और मेधावी छात्राओं को सहायता।

च) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों के गरीब पिछड़े और आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा।

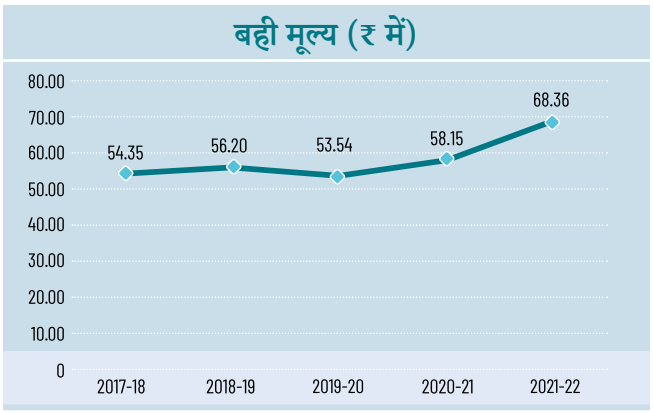

छ) अनुगुल और दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों में चिकित्सा स्वास्थ्य एककों और ओपीडी केंद्रों का परिचालन।

ज) प्रतिष्ठित शहर, पुरी में विभिन्न विकासपरक और नवीनीकरण गतिविधियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के विभिन्न लागू प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नि.सा.उ. गतिविधियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट अनुलग्नक-I में संलग्न है।

13.0 कोविड-19 महामारी का व्यवसाय पर प्रभावः

(क) आपकी कंपनी ने अपनी सभी परिचालन एककों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी सभी सरकारी दिशानिर्देशों और अनुदेशों का पालन किया।

(ख) कच्चे सामानों और तैयार वस्तुओं के परिवहन में प्रतिबंधित कार्यप्रणाली और संभार तंत्र की चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने अपने उत्पादन और बिक्री को सर्वाधिक स्तर पर पहुँचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए। आपकी कंपनी के सभी उत्पादन एककों का परिचालन कार्य के मोर्चे पर कोविड-19 के उपयुक्त नियम-कायदों/प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया गया और सभी एककों ने वित्त वर्ष 2021-22 में लक्षित उत्पादन को हासिल किया।

13.1 वैश्विक महामारी के प्रति नालको की सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया:

एक दायित्वशील निगम नागरिक के रूप में, आपकी कंपनी कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में पूरा सहयोग दे रही है। इस संबंध में वित्त वर्ष 2021-22 में कंपनी द्वारा किए गए कुछ प्रमुख प्रयास नीचे दिए गए हैं:

13.1.1 ढांचागत सहयोगः

क) आपकी कंपनी ने कोविड-19 के गंभीर रोगियों को आपातकालीन सेवा देने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दो वेंटिलेटर एम्बुलेंस उपलब्ध कराया।

नालको ने खनन और धातुशोधन क्षेत्र में संधारणीयता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नालको ने यह पुरस्कार नालकोवासियों के सामूहिक प्रयास को समर्पित किया।

ख) कोल्ड चेन इक्विपमेंट (सीसीई) और लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (संभार तंत्र की ढांचागत सुविधा) को मजबूत करने के लिए, एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक का क्रय किया गया है और कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए राज्य प्रतिरक्षण प्रकोष्ठ को दिया गया है। इस प्रशीतित या रेफ्रिजरेटेड ट्रक में 25,70,000 कोविड टीकों (खुराक में) के परिवहन की क्षमता है।

13.1.2 सीधे जनसाधारण को सहयोग:

क) अनुगुल और कोरापुट जिले में आपकी कंपनी के परिधीय गाँवों में सूखा राशन, सूती कपड़े के फेस मास्क, सैनिटाइज़र बाँटने के लिए आपकी कंपनी ने ये सारे सामान जिला प्रशासनों को प्रदान किया।

ख) आपकी कंपनी की ओर से परिधीय गाँवों में बड़े स्तर पर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया।

14.0 संसदीय समिति का परिदर्शनः

वर्ष 2021-22 के दौरान, नोडल संगठन के रूप में भुवनेश्वर में लोक उपक्रम पर संसदीय समिति (सीओपीयू) और श्रम पर संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया था।

15.0 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्टः

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुरूप प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-II में दी गई है।

रिपोर्ट में ये भी शामिल हैं:

(क) व्यापार विकास को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की गई।

(ख) वित्तीय विवरणों और जोखिम प्रबंधन कार्यप्रणालियों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में विवरण।

(ग) आपकी कंपनी के विभिन्न एककों में पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न पहल की गई।

16.0 डिजिटल रूपांतरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकीः

परिचालन उत्कृष्टता के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं और मॉडलों को पुनः परिभाषित करने और दक्षता, गति एवं आंकड़े-संचालित निर्णय लेने पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए आपकी कंपनी ने सही मायने में एक रणनीतिक अनिवार्यता के रूप में डिजिटल सफर को अपनाया है।

एक अंतर्निहित मजबूत और सुदृढ़ लेनदेन स्तर के रूप में, आपकी कंपनी ने एसएपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) अनुप्रयोग को अपनाया है जो बिक्री और वितरण, वित्त और नियंत्रण, सामग्री, मानव संसाधन और उत्पादन योजना जैसे व्यावसायिक कार्यों को एकीकृत करता है ताकि एक समान प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके और सत्य के एकल संस्करण के रूप में सूचना उपलब्धता में बेहतरी आ सके। सभी संयंत्रों में परिचालन और रखरखाव की सेवा को बेहतर बनाने के लिए एसएपी संयंत्र रखरखाव मॉड्यूल चालू किया गया है। जीएसटी इन्वाइस रजिस्टर पोर्टल से तैयार इन्वॉइस रेफरेंस नंबर (आईआरएन) को मौजूदा ईआरपी अनुप्रयोग में ई-वेबिल, बी 2 सी के लिए जीएसटी क्यूआर कोड और टीडीएस / टीसीएस के नए

प्रावधानों के साथ एकीकृत किया गया था। वस्तुओं और सेवाओं के ई-क्रय का निष्पादन जीईएम पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल और एसएपी एसआरएम के माध्यम से किया जाता है। जीईएम पोर्टल में संपन्न विक्रेता क्रय आदेश, इन्वाइस (चालान) और भुगतान को भी ईआरपी के साथ एकीकृत किया गया है। केंद्रीकृत कर्मचारी अनुप्रयोग और कर्मचारी स्वयं-सेवा अनुप्रयोग डिजिटल अनुप्रयोग कार्यप्रणाली के हिस्सा हैं। अनुगुल और दामनजोड़ी में कंपनी के अस्पतालों में कम्प्यूटरचालित अस्पताल प्रबंधन प्रणाली चालू है।

आपकी कंपनी ने भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक नया और बेहतर ऑनलाइन भर्ती पोर्टल चालू किया है। स्मार्ट फैक्टरी की अगुआई के रूप में और एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ, एक केंद्रीकृत एमआईएस प्रणाली शुरू की गई है जो "सत्य के एकल स्रोत" का पालन और "शॉप फ्लोर से बोर्ड रूम" को जोड़ने का कार्य सुनिश्चित करती है।

आपकी कंपनी हितधारकों के लिए मौजूदा मोबाइल ऐप्स की श्रेणी में विशेषताओं और सुविधाओं को सम्मिलित कर रही है।

आपके संगठन में ई-ऑफिस का कार्यान्यवन किया गया है जिसने फाइलों के प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गति के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की है। यह प्रणाली अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कार्यालय परिसर के अंदर और बाहर फाइलों पर कार्य करने में सक्षम बनाती है। डिजिटल दस्तावेजों तक सुरक्षित और सुगम पहुँच के लिए, ई-ऑफिस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया गया है और यह कागजरहित लेनदेन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नियमित ट्रैकिंग और निगरानी के उद्देश्य से ऑनलाइन वेब-आधारित अनुप्रयोग जैसे कि पूंजी व्यय की निगरानी, निधि की निगरानी, अनुपालन प्रबंधन प्रणाली, विक्रेता बिल ट्रैकिंग प्रणाली और अनुबंध श्रम प्रबंधन प्रणाली इस्तेमाल में लाई जा रही हैं। वर्धित पारदर्शिता के उपाय के रूप में ऑनलाइन सतर्कता पोर्टल और शिकायत प्रणाली का संचालन किया गया है।

कार्यालय की उत्पादकता और व्यक्तिगत कुशल-मंगल सुनिश्चित करते हुए कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए, आपकी कंपनी ने ई-ऑफिस, क्लाउड आधारित डेस्कटॉप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्क फ्रॉम होम के लिए बेहतर सुरक्षित कनेक्टिविटी, इंटरनेट से ईमेल उपलब्धता और इंटरनेट बैंडविड्थ में वृद्धि जैसे कई डिजिटल उपायों को अपनाया है।

आपकी कंपनी ने "स्मार्ट बॉक्साइट खान" की एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। यह परियोजना बेहतर उत्पादकता, लागत, परिसंपत्ति उपयोग, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव के लिए बॉक्साइट खनन की मूल्य श्रृंखला में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स, एआर / वीआर जैसी अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाएगी।

आपकी कंपनी के पास निम्नलिखित सूचना प्रौद्योगिकी की बुनियादी सुविधाएँ हैः

(क) निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में ऑन-प्रिमाइस डेटा सेंटर। डेटा सेंटर सर्वर वर्चुअलाइजेशन तकनीकों का उपयोग करता है

श्री आलोक टंडन, भा.प्र.से., सचिव, खान मंत्रालय, अनुगुल में नालको प्रद्रावक संयंत्र के विभिन्न परिचालन गतिविधियों की समीक्षा करते हुए।

उत्पादकता सप्ताह पालन के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कारों की भेंट।

और ईआरपी सहित सभी केंद्रीकृत अनुप्रयोगों को संचालित करता है। व्यापार में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, एक डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर पृथक भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। आईएसओ 27001:2013 मानक की आवश्यकताओं के अनुसार डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर को सूचना प्रणाली प्रबंधन प्रणाली के लिए सफलतापूर्वक प्रमाणित किया गया है। नेटवर्क गेटवे और एंडपॉइंट सुरक्षा समाधानों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की आधारभूत संरचना और अनुप्रयोग की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

(ख) संयंत्रों और कार्यालयों को विभिन्न सेवा प्रदाताओं के दोहरे एमपीएलएस सर्किट से जोड़ा गया है ताकि कॉर्पोरेट डेटा सेंटर में व्यवस्थित अनुप्रयोगों और सेवाओं तक निर्बाध पहुँच सके। मुख्य रूप से कोविड -19 परिस्थितियों के फलस्वरूप उत्पन्न बढ़े हुए कार्य भार को पूरा करने के लिए डब्ल्यूएएन बैंडविड्थ को बढ़ाया गया है।

(ग) प्रत्येक स्थान में फायरवॉल के साथ गीगाबिट ईथरनेट लैन है और कॉर्पोरेट डेटा सेंटर में अलग से गेटवे सुरक्षा समाधान की व्यवस्था है। सभी व्यवसाय एककों के बीच निर्बाध संचार के लिए मल्टीचैनल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान का प्रबंध किया गया है।

17.0 संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधनः

17.1 एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस):

सभी एककों अर्थात खान, एल्यूमिना परिशोधक, ग्रहीत विद्युत संयंत्र, प्रद्रावक और पत्तन सुविधाओं में, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 पर आधारित एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को रिमोट मोड में नियमित बाहरी लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा एवं प्रबंधन समीक्षा बैठकों के साथ प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना जारी रखा गया। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 के संबंध में सभी एककों की प्रमाणन स्थिति वैध बनी रही।

17.2 ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली (ईएनएमएस):

तीन एककों यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र, प्रद्रावक और एल्यूमिना परिशोधक में रिमोट मोड में नियमित बाहरी लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन समीक्षा बैठकों के साथ ईएनएमएस का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन जारी रहा, जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना में शामिल है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर, आईएसओ 50001:2018 के संबंध में सभी तीन एककों की प्रमाणन स्थिति वैध बनी रही।

17.3 गुणवत्ता मंडल:

महामारी और प्रतिबंधों के बावजूद, वर्ष के दौरान गुणवत्ता मंडल गतिविधि उत्साहवर्धक रही। संगठन में सक्रिय गुणवत्ता मंडल (क्यूसी) की संख्या 98 थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में, कुल 25 गुणवत्ता मंडल परियोजनाएँ पूरी की गईं, जबकि कई और गुणवत्ता मंडल परियोजनाएँ चल रही थीं। क्यूसीएफआई के राष्ट्रीय सम्मेलन एनसीक्यूसी 2021 में 8 गुणवत्ता मंडल की टीमों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 4 टीम को उच्चतम सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा, 3 गुणवत्ता मंडल की टीमों ने अगस्त, 2021 में सीआईआई राज्य उद्योग उत्सव में भाग लिया और प्रद्रावक की ओर से गुणवत्ता मंडल की रनर-अप ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया।

17.4 एसजीए समूहों द्वारा कैज़ेन:

वर्ष के दौरान कैज़ेन संस्कृति का प्रचार-प्रसार बहुत ही उत्साहजनक रहा। एसजीए योजना के कैज़ेन के अनुसार, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रद्रावक में कुल 1,401 कैज़ेन, एल्यूमिना परिशोधक में 838 कैज़ेन, ग्रहीत विद्युत संयंत्र में 451 कैज़ेन पूर्ण किए गए और खान एकक में 187 कैज़ेन पूरे किए गए।

17.5 लीन सिक्स सिग्मा:

वित्तीय वर्ष के दौरान एल्यूमिना परिशोधक में 2 में से 1 और खान में 7 में से 4 लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन-बेल्ट परियोजनाएँ सफलतापूर्वक पूरी की गईं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्रद्रावक और ग्रहीत विद्युत एककों में, 12 और 6 नई सिक्स-सिग्मा परियोजनाएँ शुरू की गईं।

17.6 व्यापार उत्कृष्टता:

(क) एल्यूमिना परिशोधक में, अक्टूबर, 2021 के दौरान सीआईआई-एक्जिम बैंक अवार्ड, 2021 का आकलन स्वतंत्र आकलकों द्वारा किया गया था और इस एकक ने नवंबर, 2021 में आयोजित सीआईआई-आईक्यू राष्ट्रीय गुणवत्ता शिखर सम्मेलन के दौरान 'प्लैटिनम' श्रेणी में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित सीआईआई-एक्जिम बैंक बिजनेस एक्सीलेंस पुरस्कार जीता।

(ख) पंचपटमाली बॉक्साइट खानों में, नवंबर, 2021 के दौरान आकलन पूरा किया गया था और इस एकक ने सीआईआई-एक्जिम बैंक अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस, 2021 में प्रतिष्ठित "गोल्ड प्लस" श्रेणी की मान्यता अर्जित की।

(ग) प्रद्रावक में, वर्ष के दौरान संपूर्ण व्यावसायिक उत्कृष्टता पर 'जन धारणा सर्वेक्षण' के साथ अगले आकलन की तैयारी जारी रही।

17.7 5एस प्रणाली का कार्यान्वयन:

खान और एल्यूमिना परिशोधक दोनों में, एकक प्रबंधन द्वारा नियमित आंतरिक आकलनों और समीक्षा बैठकों के अलावा मेसर्स गुणवत्ता मंडल फेडरेशन ऑफ इंडिया (क्यूसीएफआई) द्वारा 5एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली के पुन: प्रमाणन ऑडिट का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था।

प्रद्रावक और ग्र.वि.सं. दोनों में, संयंत्र-वार 5एस कार्यस्थल प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन नियमित आंतरिक मूल्यांकनों के साथ प्रभावी ढंग से जारी रहा।

18.0 राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

(क) आपकी कंपनी ने समय-समय पर सरकारी एजेंसियों और सांविधिक निकायों द्वारा जारी राजभाषा के प्रावधानों और अन्य दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखा है।

(ख) आपकी कंपनी के पास नगर राजभाषा कार्यान्यवन समिति, भुवनेश्वर और अनुगुल की अध्यक्षता का पदभार भी है। दोनों स्थानों पर सभी स्थानीय लोक क्षेत्र उद्यम कार्यालयों को शामिल करते हुए अनुसूचित बैठकें आयोजित की गई हैं। इस विषय में, आपकी कंपनी के प्रयासों की सराहना रियो, भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा बैठकों में की गई है।

(ग) आपकी कंपनी ने दिन-प्रतिदिन के आधिकारिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और भारत संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निगम स्तर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी के उपयोग को बढ़ाने और आगे सुधार लाने के तरीकों और उपायों पर बड़े पैमाने पर चर्चा की गई।

(घ) भाषा संबंधी सुमेल का प्रचार करने और कर्मचारियों को उनके दैनिक कार्यों में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सभी उत्पादन एककों, निगम कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा, 2021 मनाया

वित्तीय कार्य-निष्पादन (₹ करोड़ में)

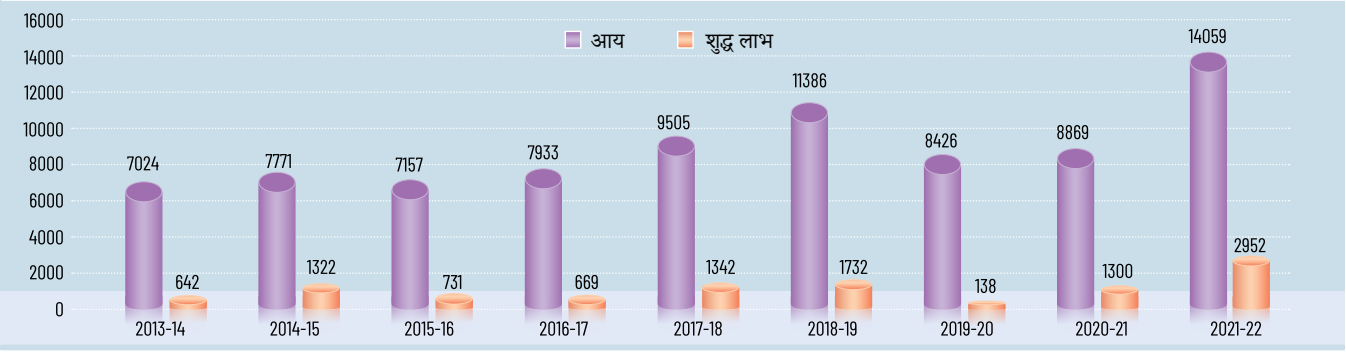

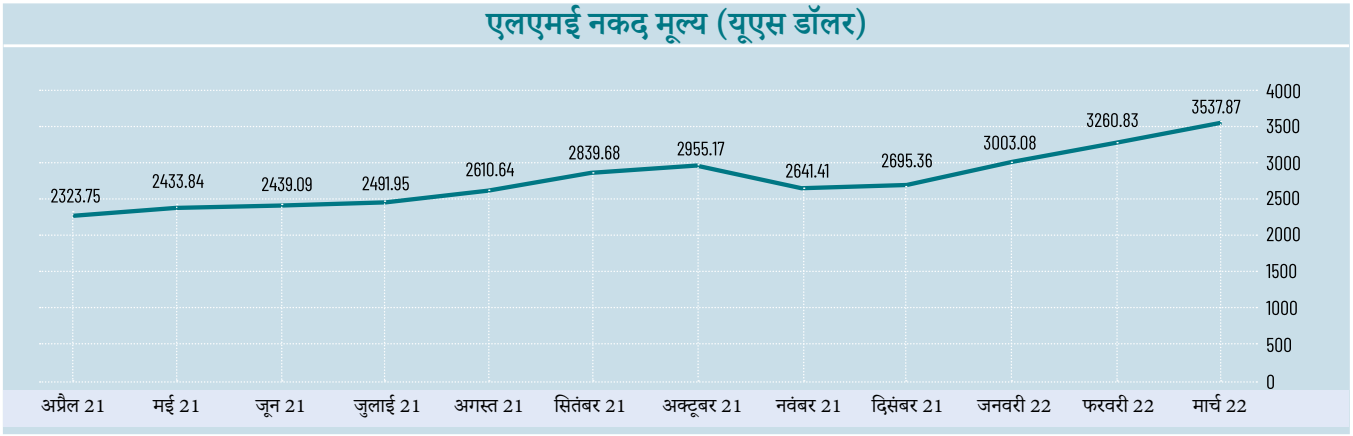

गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों, कर्मचारियों के आश्रितों और छात्रों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

(ङ) निगम कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों सहित सभी उत्पादन एककों में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं/प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसके अलावा, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), भुवनेश्वर के सदस्य कार्यालयों के लिए कई प्रशिक्षण-सह-प्रेरणा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

(च) हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी अपनी तिमाही पत्रिका 'संगीनी' और छमाही हिंदी पत्रिका "अक्षर" का भी प्रकाशन करती है।

(छ) 10 जनवरी, 2022 को आपकी कंपनी में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। इस अवसर की स्मृति में, निगम कार्यालय और सभी उत्पादन एककों में सप्ताह व्यापी गतिविधियों का आयोजन किया गया।

19.0 खेलकूद:

(क) आपकी कंपनी ने स्थापना के बाद से, देश के एक प्रमुख लोक क्षेत्र उपक्रम के रूप में राज्य/राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद को बढ़ावा देने के क्षेत्र में योगदान दिया है।

(ख) आपकी कंपनी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल हस्तियों की नियुक्ति में आगे रही है जिन्होंने आपके देश और आपकी कंपनी का गौरव बढ़ाया है।

(ग) आपकी कंपनी राज्य और देश की उभरती युवा खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने हेतु सहयोग, सुविधाएँ प्रदान करने के साथ उनका पोषण भी कर रही है।

भारतीय खान ब्यूरो के तत्वावधान में भुवनेश्वर में आयोजित 23वें खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में विशिष्ट अतिथिगण। नालको ने इस आयोजन की मेजबानी की।

भारत रत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर स्मृति स्वरूप स्मारिका का विमोचन।

(घ) आपकी कंपनी ने विभिन्न युवा खिलाड़ियों के साथ-साथ कंपनी के खिलाड़ियों को विभिन्न राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है।

(ङ) आपकी कंपनी की निम्नलिखित प्रतिष्ठित खेल हस्तियों को देश और राज्य के शीर्ष स्तर के खेल निकायों द्वारा विभिन्न दायित्व सौंपे गए हैं:

(i) भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज श्री देबाशीष महांति को बीसीसीआई द्वारा अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

(ii) भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज श्री शिव सुंदर दास को बीसीसीआई द्वारा न्यूजीलैंड दौरे और आईसीसी महिला विश्व कप, 2022 के लिए महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है।

(iii) 100 मीटर बाधा दौड़ में विशेषज्ञ एवं 2000 एशियन चैंपियनशिप में कांस्य और 2006 साउथ एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीत चुकी भूतपूर्व भारतीय ट्रैक एवं फील्ड एथलीट सुश्री अनुराधा बिस्वाल, अब अखिल भारतीय लोक क्षेत्र क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड (एआईपीएसएससीबी) के एथलेटिक्स में राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में प्रतिनिधित्व कर रही हैं और कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर में देश की महत्वाकांक्षी युवा खेल प्रतिभाओं को फिटनेस प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही हैं।

(iv) भारतीय राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम की भूतपूर्व कप्तान सुश्री श्रद्धांजलि सामन्तराय को केरल में आयोजित हीरो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2021-22 के दौरान ओड़िशा राज्य महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया था।

(v) सुश्री अपराजिता गोछीकर जो एक चेस कैंडिडेट मास्टर और राष्ट्रमंडल चैम्पियनशिप में तीन बार की पदक विजेता हैं (एक बार स्वर्ण और दो बार रजत), को हाल ही में 24 फरवरी, 2022 से 2 मार्च, 2022 तक भुवनेश्वर में आयोजित 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय विवाचक (आईए) मानदंड से सम्मानित किया गया।

20.0 सतर्कता प्रशासनः

आपकी कंपनी में स्थापित सतर्कता प्रशासन और प्रणालियों का वर्णन नीचे किया गया है:

(i) आपकी कंपनी में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में एक सुस्थापित सतर्कता विभाग है, जिसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों या भारत सरकार की अन्य सेवाओं के अधिकारियों से की जाती है। सीवीओ को सहयोग देने वाले अन्य सहायक सतर्कता अधिकारियों का चयन सीवीओ की सलाह और सहमति के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर किया जाता है। आपकी कंपनी के अपने तीन सतर्कता विभाग तीन स्थानों अर्थात निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोडी में है।

वर्ष 2021 में 40वीं वार्षिक साधारण बैठक।

(ii) मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) सतर्कता से जुड़े सभी मामलों में मुख्य कार्यपालक के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। एक ओर संगठन और केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा दूसरी ओर संगठन और केंद्रीय जाँच ब्यूरो के बीच एक कड़ी के रूप में भी वह कार्य करता है। सीवीओ द्वारा बड़े स्तर पर सतर्कता कार्यों का निष्पादन किया जाता है और इसमें संगठन के कर्मचारियों द्वारा किए गए या किए जाने वाले संभावित भ्रष्टाचार से जुड़े व्यवहारों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र करना; उन्हें रिपोर्ट किए गए जाँच योग्य आरोपों की जाँच करना या जाँच कराना; संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष विचार हेतु जाँच रिपोर्ट बढ़ाना; जहाँ भी जरूरी हो, सलाह के लिए मामलों को आयोग के पास भेजना; अनुचित व्यवहार या कदाचार को रोकने के लिए कदम उठाना; सतर्कता के नजरिए से लेखापरीक्षा, निरीक्षण और अन्य रिपोर्टों की जाँच करना, आदि शामिल है। सतर्कता कार्य निवारक, दंडात्मक, निगरानी और अनुसंधान प्रकृति के हैं।

20.1 मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यः

मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्य निम्नानुसार हैः

(i) कंपनी का संपूर्ण सतर्कता प्रशासन।

(ii) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के साथ संरचित समीक्षा बैठक के आयोजन के अलावा, सीवीसी और सीबीआई, पुलिस आदि के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखना।

(iii) मंत्रालय/सीवीसी/सीबीआई को विभिन्न विवरणियाँ/रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(iv) संगठन में आईपी (सत्यनिष्ठा समझौता) के कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र बाहरी अनुवीक्षकों (आईईएम) के समन्वय में सीवीसी को सहयोग देना।

(v) भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों/उपायों के निर्माण/अद्यतन में प्रबंधन को सहयोग देना।

(vi) विभिन्न डोमेन कार्यों और समग्र प्रबंधन में निष्पक्षता, पारदर्शिता और समानता के आकलन के लिए सत्यनिष्ठा/पारदर्शिता सूचकांक के विकास में प्रबंधन की सहायता करना।

(vii) सतर्कता जागरूकता, सतर्कता प्रशासन, केस स्टडी आदि पर प्रशिक्षण का आयोजन।

(viii) कंपनी के मामलों को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी तरीके से संचालित करने में मदद देने के लिए संगठन में आवधिक प्रणालीगत अध्ययन आयोजित करना और कार्यान्वयन के लिए प्रणालीगत सुझाव देना।

(ix) कंपनी स्तर पर संपूर्ण सत्यनिष्ठा की परंपरा विकसित करना।

20.2 सचेतक नीतिः

आपकी कंपनी उच्चतम मानक की पेशेवर दक्षता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक आचरण को अपनाते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने घटकों के मामलों के संचालन में विश्वास करती है।

इस नीति का उद्देश्य है कि शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखकर मुखबिर को सुरक्षा प्रदान करते हुए गलत कामों और शिकायतों की सूचना देने के लिए जिम्मेदार और सुरक्षित सचेतक संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु एक ढांचा प्रदान करना। यह नीति उन इच्छुक कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करती है जो कंपनी के अंदर गंभीर अनियमितताओं के बारे में चिंता प्रकट करना चाहते हैं। इस नीति का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

आपकी कंपनी में सचेतक नीति को प्रचलित करने के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान जोर-शोर से प्रचार-प्रसार और अभियान चलाया गया, ताकि अनियमितताओं, गलत कामों और शिकायतों की सूचना बिना किसी हिचकिचाहट के दी जा सके। इससे विशेष रूप से सतर्कता विभाग और सामान्य रूप से प्रबंधन द्वारा तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

20.3 भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीतिः

भ्रष्टाचार एक गंभीर श्रेणी का जोखिम है। आपकी कंपनी की भ्रष्टाचार जोखिम प्रबंधन नीति भ्रष्टाचार को रोकने और भारतीय भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अनुपालन के उद्देश्य से प्रमुख सिद्धांतों और आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए कार्यान्वित की गई है।

यह नीति आपकी कंपनी और इसके प्रबंधन की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं ईमानदार उपायों से व्यवसाय के संचालन में उच्च नैतिक मानकों की प्रतिबद्धता प्रतिबिम्बित करती है, जिसका उद्देश्य है आपकी कंपनी की निगम संस्कृति को बेहतर बनाना, निगम अभिशासन में सर्वोत्तम कार्य-अभ्यासों का पालन एवं व्यवसाय की ख्याति को बनाए रखना। जाँच और संतुलन की सुविस्तृत व्यवस्था मौजूद है।

20.4 धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।

आपकी कंपनी के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी निवारण नीति है और यह कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर उपलब्ध है।

20.5 डीओपीटी पोर्टल पर आंकड़ों का ऑनलाइन नवीनीकरण:

सीवीसी और डीओपीटी के निर्देशों के अनुरूप, आपकी कंपनी ने वेब पोर्टल https://doptapp.nic.in/solve/ पर डीजीएम (ई-6) और उससे ऊपर के अधिकारियों के आंकड़ों को नियमित रूप से नवीनीकृत करने में सक्रियता के साथ प्रतिक्रिया दी।

20.6 आउटरीच गतिविधि:

आपकी कंपनी ने कंपनी के प्रधान कार्यालय (भुवनेश्वर में) एवं संयंत्र संकुलों (अनुगुल और दामनजोड़ी में) के आसपास विभिन्न विद्यालयों एवं कॉलेजों में आउटरीच गतिविधि या सत्यनिष्ठा शपथ अभियान का संचालन किया है, जिसमें लगभग 1,350 नागरिकों (जनसाधारण, कंपनी के कर्मचारी, छात्र और अन्य) को ऑनलाइन/ऑफलाइन सत्यनिष्ठा शपथ दिलाई गई है।

20.7 ऑनलाइन सतर्कता पोर्टल:

इस पोर्टल का विकास आपकी कंपनी में सतर्कता संरचना, सतर्कता विभाग द्वारा की गई इसकी विभिन्न गतिविधियों, अभ्यासों या पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करने और जनसाधारण एवं कंपनी के सभी हितधारकों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा कागजरहित माध्यम में तुरंत शिकायत दर्ज करने और ऑनलाइन माध्यम में शिकायत की वस्तु-स्थिति की जाँच करने का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। शिकायतकर्ता अपना ई-मेल और मोबाइल नंबर प्रदान करके और उन्हें भेजी गई ओटीपी द्वारा इसे प्रमाणित करते हुए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पोर्टल का संचालन दर्ज की गई शिकायतों के साथ इन शिकायतों की नवीनतम स्थिति को देख पाना आसान और सरल है। कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com के माध्यम से इसे प्राप्त किया जा सकता है।

21.0 सूचना का अधिकारः

सूचना का अधिकार अधिनियम (सू.का.अ.) के प्रावधानों के निवारण के लिए, हितधारकों द्वारा माँगी गई सूचना प्रदान करने हेतु जिम्मेदार एक अपीलीय अधिकारी, एक जन सूचना अधिकारी एवं नौ सहायक जन सूचना अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

2021-22 के दौरान आरटीआई आवेदनों एवं अपीलों का विवरण निम्नवत् हैः

विवरण	अनुरोध	प्रथम अपील
01.04.2021 को यथा प्रक्रियाधीन	26	0
वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी से हस्तांतरित मामले सहित)	508	46
अन्य सार्वजनिक प्राधिकारी को हस्तांतरित मामलों की सं.	1	0
निर्णय जहाँ अनुरोध/अपील रद्द कर दिए गए	97	4
निर्णय जहाँ अनुरोध/अपील स्वीकार किए हुए/निपटाए गए	429	42
31.03.2022 को यथा प्रक्रियाधीन	7	0

आपकी कंपनी के वर्ष 2020-21 के लिए थर्ड पार्टी ट्रांसपेरेंसी ऑडिट संतोषजनक टिप्पणी के साथ मेसर्स नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा किया गया है।

भौतिक और ऑनलाइन दोनों उपायों से आरटीआई अनुरोध और अपील प्राप्त किए और जवाब दिए जाते हैं। आपकी कंपनी जनवरी, 2017 से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल (www.rtionline.gov.in) के साथ जुड़ी हुई है।

22.0 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीकरण और सूचीकरण शुल्क का भुगतान:

आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज-बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

नालको ने ओड़िशा के अनुगुल में अपने प्रद्रावक संयंत्र के सभी 960 पॉट का सफलतापूर्वक प्रचालन किया है

में सूचीबद्ध हैं, जिनके पास राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के सूचीकरण शुल्क का भुगतान स्टॉक एक्सचेंजों को समय पर किया गया है।

23.0 शेयरधारकों को सेवाएँ:

शेयरों के संचरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, लाभांश के भुगतान, शेयरों के अभौतिकीकरण एवं पुनः भौतिकीकरण और निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित सभी मामलों पर कंपनी के आरटीए अर्थात मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड), हैदराबाद द्वारा कार्यवाही की जाती है।

24.0 डिपॉजिटरियों को वार्षिक अभिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक कनेक्टिविटी शुल्क और अभिरक्षा शुल्क/जारीकर्ता शुल्क का भुगतान मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और मेसर्स सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड दोनों को समय पर किया गया है।

25.0 व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 34(2)(एफ) के अनुरूप, सामाजिक, पर्यावरण और अभिशासन के संदर्भ में कंपनी द्वारा लिए गए विभिन्न कदमों का वर्णन करते हुए वर्ष 2021-22 की व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट अनुलग्नक-III में संलग्न है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

25.1 संधारणीय विकास पर रिपोर्ट:

(क) संधारणीयता पर अनिवार्य रिपोर्ट अर्थात् सेबी की अनिवार्य अपेक्षा पर आधारित आर्थिक, पर्यावरण,

श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, नालको ने निगम मुख्यालय से वर्चुअल रूप में स्विच ऑन करते हुए 960वें पॉट का औपचारिक रूप से प्रचालन किया।

सामाजिक एवं अभिशासन पहलुओं को सम्बोधित करनेवाली व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट तैयार कर ली गई एवं प्रकाशित की गई l

(ख) उपर्युक्त रिपोर्ट के अलावा, वैश्विक रिपोर्टिंग पहल (जीआरआई) मानक कोर विकल्प के साथ संरेखित करके स्वैच्छिक आधार पर एक एकल रिपोर्ट तैयार की गई है।

26.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

26.1 अनुसंधान एवं विकास:

(क) स्थापना के बाद से, 42 पेटेंट दायर किए गए हैं, जिनमें से 23 अनुमत किए गए हैं और 7 का वाणिज्यिकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 03 पेटेंट आवेदन दायर किए गए थे और 02 पेटेंट अनुमत किए गए थे। कंपनी की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की समीक्षा के लिए समय-समय पर अनुसंधान एवं वैज्ञानिक सलाहकार समिति (आरएसएसी) की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

(ख) आरटीए/एपी के साथ हस्ताक्षरित विकास सहयोग अनुबंध के तहत, प्रद्रावक संयंत्र (एपी2एक्सएन0) के लिए कम ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी के विकास का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2020-21 में ट्रायल पॉट में सफलतापूर्वक किया गया, जिससे 150 केडब्ल्यूएच/टी की ऊर्जा बचत हुई है, शेष पॉट में चरण दर चरण कार्यान्वयन किया जा रहा है।

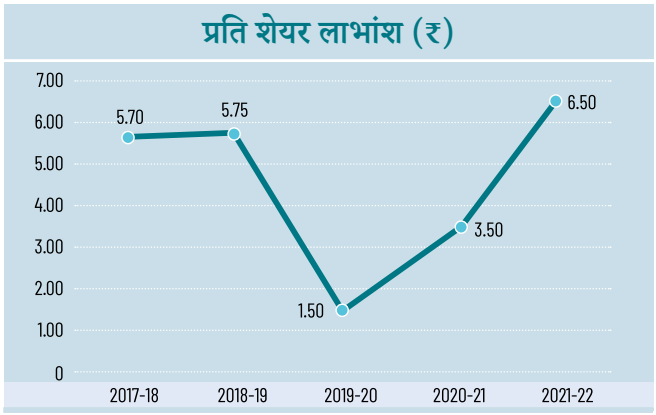

(ग) आपकी कंपनी की सभी 3 आर एंड डी यूनिट (अनुसंधान एवं विकास एकक) यानी एनआरटीसी, भुवनेश्वर; प्रद्रावक संयंत्र, अनुगुल और परिशोधन संयंत्र, दामनजोड़ी के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), भारत सरकार द्वारा मान्यता का नवीनीकरण 3 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात मार्च, 2024 तक प्राप्त किया गया।

(घ) प्रद्रावक संयंत्र में बिलेट कास्टिंग सुविधा (बीसीएफ) में नई पीढ़ी के अनाज परिशोधक के साथ अनुसंधान एवं विकास परीक्षण पूरा किया गया।

(ङ) "नाइट्रिक एसिड प्रक्रिया मार्ग का उपयोग करते हुए भारतीय पीएलके अयस्क से एल्यूमिना का निष्कर्षण: प्रयोगशाला स्तर पर चरण 3 गतिविधियाँ- प्रक्रिया मानदंड का अनुकूलन" पर आर एंड डी परियोजना सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया के साथ पूरा हुआ, जिसका वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।

साहित्य और संस्कृति के प्रचार हेतु संबंधित क्षेत्रों में प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए नालको स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर नालको पुरस्कारों की भेंट।

(च) "धात्विक मूल्यों के निष्कर्षण के लिए लाल मिट्टी के समग्र उपयोग और अवशेष के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी विकास" हेतु 3 अनुसंधान एवं विकास संस्थानों (जेएनएआरडीडीसी, सीएसआईआर-एनएमएल और सीएसआईआर-आईएमएमटी) और 3 उद्योगों (नालको, हिंडाल्को और वेदांत) द्वारा संयुक्त रूप से एक बेंच स्केल अध्ययन प्रगति पर है।

(छ) एनसीसीसीएम, बीएआरसी हैदराबाद के सहयोग से अंतर प्रयोगशाला तुलना प्रणाली के जरिए बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) का सफलतापूर्वक विकास किया गया।

(ज) सीएसएमसीआरआई, भावनगर के सहयोग से जिओलाइट 13एक्स परीक्षण करने के लिए प्रक्रिया का सफलतापूर्वक विकास किया गया।

(झ) सूक्ष्म प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ड्रॉस से एएल धातु की प्राप्ति के लिए बेंच स्केल में एक नवीन प्रक्रिया का विकास सफलतापूर्वक किया गया, जिससे ऊर्जा की खपत कम हुई।

(ञ) "डी-फ्लोराइडेशन प्रयोजन के लिए नालको एल्यूमिना ट्राइ-हाईड्रेट की उपयुक्तता पर प्राथमिक अध्ययन"; "मध्यम बोरोन उपचार के साथ संयुक्त ताप उपचार/एनीलिंग से विद्युत चालकता में वृद्धि आती है" और "6000 सीरीज डीसी कास्ट एल्यूमिनियम बिलेट का समरूपीकरण समय-तापमान अध्ययन" शीर्षक पर तीन आंतरिक आर एंड डी परियोजनाएँ नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआरटीसी), भुवनेश्वर में प्रगति पर हैं।

(ट) अनुसंधान एवं विकास (आंतरिक और सहयोगी) के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ: वर्ष 2021-22 में पूरी की गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के आधार पर:

(i) प्रद्रावक संयंत्र में एपी2एक्सएनओ पॉट प्रौद्योगिकी परीक्षणों ने 150 कि.वा.घं. / टन धातु की डीसी ऊर्जा की कमी को दर्शाया है।

(ii) परिशोधन संयंत्र में जिओलाइट 13एक्स बनाने के लिए नई प्रक्रिया विकसित की गई।

(iii) बॉक्साइट की प्रमाणित संदर्भ सामग्री (सीआरएम) जो इस प्रकार की पहली है, का विकास स्वदेशी रूप से किया गया।

(iv) एएल ड्रॉस से एएल धातु की प्राप्ति के लिए एक नई प्रक्रिया का विकास बेंच स्केल में किया गया जिसमें वाणिज्यिकरण की संभावना है।

(ठ) 31 मार्च, 2022 के अनुसार, 06 आंतरिक परियोजनाएँ और 20 सहयोगी परियोजनाएँ प्रगति पर हैं।

(ड) आईसीएसओबीए 2021 सम्मेलन में तीन तकनीकी कागजात प्रस्तुत और प्रकाशित किए गए।

26.2 कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन के लिए

अपेक्षित ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-IV में दिए गए हैं।

27.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) और 134(5) के प्रावधानों के अनुसार, आपके निदेशक एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि:

(क) वार्षिक लेखों की तैयारी में, सामग्री विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन करके उन्हें सुसंगत तरीके से लागू किया और ऐसे निर्णय एवं अनुमान तैयार किए जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण हैं और वित्त वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों और उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सही और उचित तस्वीर प्रस्तुत करते हैं;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने में उचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को संज्ञान प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया था;

(ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विनिर्धारित किए थे और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; तथा

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ये प्रणालियाँ पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

28.0 निगम अभिशासन:

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची-V के साथ पठित विनियम 34 और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निगम अभिशासन पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-V में उपलब्ध है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने निगम अभिशासन पर एक प्रमाण पत्र जारी किया है जो निगम अभिशासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

29.0 संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं:

संबंधित पक्ष लेनदेन पर नीति को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और यह आपकी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसे www.nalcoindia.com पर देखा जा सकता है।

आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 39 की ओर आकर्षित करते हैं जो संबंधित पक्ष के प्रकटन को दर्शाती है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध नहीं किया गया है। तथापि, फॉर्म एओसी-2 में एक रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक-VI में संलग्न किया गया है।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान।

उत्कल डी एवं ई कोयला खानों के विकास एवं परिचालन के लिए नालको और एमडीओ के बीच कोयला खान अनुबंध पर हस्ताक्षर।

30.0 निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

30.1 निदेशकगण:

पिछली रिपोर्ट के समय से आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

30.1.1 नियुक्ति:

(क) खान मंत्रालय, भारत सरकार ने आदेश सं. 2/8/2020-मेट- I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से 7 (सात) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों (श्री रवि नाथ झा, डॉ. बी.आर. रामकृष्ण, अधि. जॉर्ज कुरियन, डॉ. अजय नारंग, श्री वाई.पी. चिल्लियो, सुश्री (डॉ.) शतोरूपा और अधि. दुष्यंत उपाध्याय) को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया और तत्पश्चात, आदेश सं. 2/8/2020-मेट- I दिनांक 22.03.2022 के माध्यम से श्री संजय रमनलाल पटेल को तीन वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किया।

(ख) डॉ. वीणा कुमारी डरमल, भा.डा.से. को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में 20.01.2022 से नियुक्त किया गया था।

(ग) श्री रमेश चंद्र जोशी को 04.02.2022 से निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था।

(घ) श्री सदाशिव सामन्तराय को 22.03.2022 से निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया था।

30.1.2 कार्यकाल समाप्ति:

श्री सतेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. का अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में कार्यकाल 20.01.2022 को समाप्त हुआ।

30.1.3 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निम्नलिखित हैं:

(क) श्री एस. पाल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक।

(ख) श्री आर.एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)।

(ग) श्री एम. पी. मिश्र, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)।

(घ) श्री बी. के. दास, निदेशक (उत्पादन)।

(ङ) श्री रमेश चंद्र जोशी, निदेशक (वित्त)।

(च) श्री सदाशिव सामन्तराय, निदेशक (वाणिज्यिक)।

(छ) श्री एन. के. महान्ति, समूह महाप्रबंधक और कंपनी सचिव।

30.1.4 स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा:

आपकी कंपनी को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों से घोषणा प्राप्त हुई है जो पुष्टि करते हैं कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 दोनों के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

30.1.5 निदेशक मंडल की बैठकें:

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की 6 (छह) बैठकें आयोजित हुईं। बैठकों का ब्यौरा इस वार्षिक रिपोर्ट में दी गई निगम अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक-V) में उपलब्ध है।

30.1.6 निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियां:

लेखा परीक्षा समिति सहित निदेशक मंडल की विभिन्न उप-समितियों का विवरण, उनकी संरचना, संदर्भ की शर्तों, आयोजित बैठकों का ब्यौरा इस रिपोर्ट में दी गई निगम अभिशासन रिपोर्ट (अनुलग्नक-V) में दिया गया है।

30.1.7 निदेशकों की नियुक्ति के लिए पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया:

आपकी कंपनी के शेयरधारकों ने सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के संशोधित विनियम 17(1ग) और 25(2क) के अनुपालन में दिनांक 11.03.2022 और 28.04.2022 के पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के माध्यम से अपेक्षित साधारण/विशेष प्रस्तावों के साथ नए निदेशकों की नियुक्ति को अनुमोदित किया है।

31.0 वार्षिक रिटर्न:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित प्रारूप में वार्षिक रिटर्न आपकी कंपनी की वेबसाइट https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2022/08/Annual-Return-2021-22-Draft.pdf पर उपलब्ध है।

32.0 सामान्यः

आपके निदेशक कहते हैं कि निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है क्योंकि रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेन-देन नहीं किया गया था:

(क) अधिनियम के अध्याय-V के अधीन शामिल जमाराशियों से संबंधित विवरण।

(ख) लाभांश, वोटिंग या अन्य से संबंधित अंतरीय अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।

(ग) कंपनी के कर्मचारियों को शेयर, स्वेट इक्विटी शेयर और ईएसओएस जारी करना।

(घ) न तो कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और न ही पूर्णकालिक निदेशकों को कंपनी से कोई कमीशन प्राप्त हुआ।

(ङ) विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया था जो कंपनी की चालू स्थिति और भावी परिचालन को प्रभावित करे।

आपके निदेशक यह भी कहते हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है क्योंकि दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना और दिनांक 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से निगम मामले मंत्रालय द्वारा सरकारी कंपनियों को इनसे छूट दी गई है।

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ई) और धारा 178 (2), (3) और (4) ("अधिनियम") के अनुसार योग्यता, गुण, स्वतंत्रता आदि के निर्धारण के लिए मानदंड सहित निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति।

(ii) कंपनी अधिनियम (लेखा) नियमों के नियम 8(4) के साथ पठित धारा 134 (पी) के अनुसार पद्धति जिसके तहत बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है।

(iii) कंपनी अधिनियम (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमों के नियम 5 के साथ पठित धारा 197(12) के अनुसार प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का कर्मचारी के औसत पारिश्रमिक का अनुपात और अन्य निर्धारित विवरण।

33.0 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

आपकी कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसरण में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक नीति व्यवस्था है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी के उत्पादन एककों और निगम कार्यालय में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है। सभी समितियों का गठन अधिनियम के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था।

नालको को प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों और सुव्यवस्थित पर्यावरण प्रबंधन अभ्यासों के लिए ओड़िशा के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रतिष्ठित प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और इसकी रोकथाम, निषेध और निवारण के विषय में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

34.0 ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण:

कंपनी (मण्डल की बैठक एवं उसकी शक्तियाँ) विनियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत सम्मिलित ऋण, गारंटी एवं निवेश का विवरण एकल वित्तीय विवरण 2021-22 की टिप्पणी सं. 9 एवं 11 में दिया गया है।

35.0 सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम कंपनियाँ और सहयोगी कंपनियाँ:

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3)) के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक संयुक्त उद्यम और सम्बद्ध कंपनियों के कार्य निष्पादन और वित्तीय स्थिति एवं उनकी मुख्य विशेषताओं पर एक रिपोर्ट 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण की क्रमशः टिप्पणी सं. 41 और 42 में दी गई है। फॉर्म एओसी-1 (टिप्पणी 42) में 5 संयुक्त उद्यम और सम्बद्ध कंपनियों की मुख्य विशेषताएँ कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण का अभिन्न हिस्सा हैं।

36.0 पुरस्कार और उपलब्धियाँ:

(क) आपकी कंपनी की पंचपटमाली बॉक्साइट खानों को स्थायी खनन के लिए खान मंत्रालय द्वारा 5 सितारा दर्जे से सम्मानित किया गया था।

(ख) आपकी कंपनी की पंचपटमाली बॉक्साइट खानों को स्थायी खनन कार्यों के लिए 17वें सीआईआई ओड़िशा स्टेट ईएसएच अवॉर्ड्स 2021 प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया है।

(ग) आपकी कंपनी की पंचपटमाली बॉक्साइट खानों को प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों और सुव्यवस्थित पर्यावरण प्रबंधन अभ्यासों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओड़िशा द्वारा प्रतिष्ठित प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से भी पुरस्कृत किया गया है।

(घ) दामनजोडी, ओड़िशा में आपकी कंपनी के एल्यूमिना परिशोधन संयंत्र को पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण में असाधारण अभ्यासों को अपनाने के लिए प्रतिष्ठित कलिंग पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ।

(ङ) आपकी कंपनी को नि.सा.उ. एवं मानव संसाधन गतिविधियों के माध्यम से दलितों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के लिए भारतीय जनसंपर्क परिषद (पीआरसीआई)

विशाखपट्टणम, आंध्रप्रदेश चैप्टर द्वारा सर्वश्रेष्ठ नि.सा.उ. पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

(च) आपकी कंपनी की पंचपटमाली बॉक्साइट खानों ने पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित 21वां वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण और स्थायित्व पुरस्कार, 2021 जीता है।

(छ) सीआईआई नेशनल क्वालिटी समिट में आपकी कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक ने सीआईआई एक्जिम बैंक बिजनेस एक्सीलेंस प्लैटिनम पुरस्कार जीता और पंचपटमाली बॉक्साइट खान ने गोल्ड प्लस श्रेणी में पुरस्कार हासिल किया।

(ज) ओड़िशा स्टेट सेफ्टी कॉन्क्लेव में आपकी कंपनी की पंचपटमाली बॉक्साइट खानों ने सुरक्षित खनन अभ्यासों के लिए कलिंग सेफ्टी एक्सीलेंस प्लैटिनम पुरस्कार जीता और एल्यूमिना परिशोधक ने गोल्ड पुरस्कार प्राप्त किया।

(झ) ऊर्जा सुदक्ष भारत के प्रति आपकी कंपनी की सतत प्रतिबद्धता ने प्रद्रावक और विद्युत संयंत्र, अनुगुल को सीआईआई द्वारा प्रदत्त बड़े स्तर की श्रेणी में उच्चतम दर्जे के साथ प्रतिष्ठित ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार, 2021 दिलाया।

(ञ) आपकी कंपनी ने लोक उद्यम संस्थान, हैदराबाद और ओड़िशा राज्य उत्पादकता परिषद, भुवनेश्वर के सहयोग से गुणवत्ता एवं पर्यावरण प्रबंधन सेवा संस्थान (आईक्यूईएमएस) द्वारा आयोजित कलिंग एचआर एक्सीलेंस पुरस्कार प्राप्त किया।

(ट) आपकी कंपनी ने बड़े स्तर की विनिर्माण इकाई श्रेणी के तहत भारतीय धातु संस्थान (आईआईएम) द्वारा शुरू की गई नॉन-फेरस बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, 2020-21 अर्जित किया।

(ठ) आपकी कंपनी ने खनन और धातु क्षेत्र में संधारणीयता के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड, 2021 प्राप्त किया। यह पुरस्कार पर्यावरण के प्रति संधारणीय अभ्यासों पर हमारे ध्यान देने की स्वीकृति देता है।

37.0 कंपनी के वित्तीय विवरण पर भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ:

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एकल और समेकित दोनों वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के महानिदेशक के कार्यालय में उनकी टिप्पणियों के लिए जमा कर दी गई थी। भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक ने महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान), कोलकाता द्वारा जारी दिनांक 28.07.2022 के पत्रों के माध्यम से 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल और समेकित वित्तीय विवरणिंयों पर 'शून्य' टिप्पणियां जारी की हैं।

38.0 लेखापरीक्षक:

38.1 सांविधिक लेखापरीक्षक:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक द्वारा मेसर्स जीएनएस एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार और मेसर्स ए. के. सबत एंड कंपनी, सनदी लेखाकार कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किए गए हैं।

विकास: ओड़िशा के भुवनेश्वर में सभी उन्नत आधुनिक परीक्षण सुविधाओं से समृद्ध अत्याधुनिक नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र (एनआरटीसी)।

एकल और समेकित वित्तीय विवरणियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट दिनांक 25.05.2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है।

38.2 लागत लेखा परीक्षक:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, कंपनी (लागत लेखा और लेखापरीक्षा) संशोधन नियम, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार लागत लेखा परीक्षा कंपनी पर लागू है।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुपालन में, कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश पर मेसर्स निरन एंड कंपनी, लागत लेखापाल को वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

आपकी कंपनी निर्धारित समयावधि के अंदर अपनी लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट निगम मामलों के मंत्रालय के पास जमा करेगी।

38.3 सचिवीय लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 की शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, मेसर्स देब महापात्र एंड कंपनी, अभ्यासरत कंपनी सचिव वर्ष 2021-22 के लिए आपकी कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा कार्य के लिए पुनः नियुक्त किए गए थे। सचिवीय लेखा परीक्षकों के अवलोकन पर प्रबंधन के स्पष्टीकरण के साथ सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुलग्नक VII में संलग्न है।

इसके अलावा, कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षकों के रूप में मेसर्स देब महापात्र एंड कंपनी, अभ्यासरत कंपनी सचिव का कार्यकाल 31.03.2022 को पूरा हो गया और निदेशक मंडल ने मेसर्स एसकेएम एंड एसोसिएट्स, अभ्यासरत कंपनी सचिव को दो वित्तीय वर्षों यानी 2022-23 और 2023-24 की अवधि के लिए कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया।

38.4 आंतरिक लेखापरीक्षक:

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के निष्पादन के लिए निम्नलिखित सनदी लेखापाल फर्मों को नियुक्त किया है:

एकक	01.04.2021 से 30.09.2021 तक	01.10.2021 से 31.03.2022 तक
निगम कार्यालय, भुवनेश्वर	मेसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स	मेसर्स अगस्ती एंड एसोसिएट्स
खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी पत्तन सुविधा, विखाखापटनम	मेसर्स राव एंड कुमार	मेसर्स बी वी राव एंड कं. एलएलपी
ग्रहीत विद्युत संयंत्र, अनुगुल	मेसर्स तेज राज एंड पाल	
प्रद्रावक, अनुगुल	मेसर्स बी. एन. मिश्र एंड कं.	
क्षेत्रीय कार्यालय-पूर्व (कोलकाता)	मेसर्स राय एंड बागची	मेसर्स जे.एफ. दस्तूर एंड कं.
क्षेत्रीय कार्यालय-पश्चिम (मुंबई)	मेसर्स एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स	मेसर्स एएनपीजे एंड कं.
क्षेत्रीय कार्यालय-उत्तर (दिल्ली)	मेसर्स भाटिया एंड भाटिया	मेसर्स प्रदीप गोपाल एंड कं.
क्षेत्रीय कार्यालय-दक्षिण (चेन्नई)	मेसर्स राघवन एंड मुरलीधरन	मेसर्स मनोहर चौधरी एंड एसोसिएट्स

39.0 आभारोक्ति:

आपके निदेशक भारत सरकार, विशेष रूप से खान मंत्रालय, डीआईपीएएम, डीपीई और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, कंपनी की मूल्य वर्धित श्रृंखला में विभिन्न लोक क्षेत्र उपक्रमों, सभी हितधारकों और निवेशकों द्वारा दिए गए उत्कृष्ट सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा अभिस्वीकृत करते हैं और आने वाले वर्षों में भी इस तरह के पारस्परिक सहायक व्यापार संबंध बनाए रखने की अपेक्षा करते हैं।

अंत में, आपके निदेशक सभी कर्मचारियों/ठेकेदारों और ठेका श्रमिकों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करते हैं। कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों में, संयंत्र/एककों को चालू रखने के लिए निदेशक मंडल सभी स्तर के कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और अधिकारी संघों द्वारा की गई उनकी कड़ी मेहनत के लिए अपनी सराहना और आभार प्रकट करते हैं। हर मोर्चे से प्राप्त अपनेपन, एकजुट भाव, सहयोग और समर्थन के कारण ही कंपनी का सतत विकास संभव हो पाया है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06500954

स्थान: भुवनेश्वर
तिथि: 16.08.2022

अनुलग्नक-I

वर्ष 2021-22 के लिए निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की नि.सा.उ. नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

नालको का लक्ष्य संधारणीयता के पाँच पी अर्थात जन (people), धरती (planet), समृद्धि (prosperity), भागीदारी (partnership) और शांति (peace) पर ध्यान केन्द्रित करते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों में सतत विकास हासिल करना है। यह अपने संचालन क्षेत्रों में अपने निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) गतिविधियों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की नि.सा.उ. नीति बनाई गई है। कंपनी उक्त अधिनियम की अनुसूची VII के अधीन निर्धारित विभिन्न शीर्षकों के तहत तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अपने औसत शुद्ध लाभ का 2% (अधिनियम की धारा 198 के प्रावधानों के अनुसार आकलित) व्यय कर रही है। कंपनी की अनुमोदित नि.सा.उ. नीति के अनुसार संकल्पना से लेकर उनके प्रभाव आकलनों तक नि.सा.उ.पहलों की समीक्षा की जाती है। यह कंपनी के लिए परियोजनाओं के बजट, व्यय, भौगोलिक और तकनीकी दायरे को भी चिह्नित करता है। परियोजनाओं की निगरानी कंपनी की नि.सा.उ. नीति का एक भाग है।

2 नि.सा.उ. समिति की संरचना:

पिछली नि.सा.उ. समिति का अस्तित्व 05.09.2020 तक था। इसके बाद, स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका था। भारत सरकार के आदेश दिनांक 10.11.2021 द्वारा कंपनी के बोर्ड में 7 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, 01.12.2021 को नि.सा.उ. और संधारणीय विकास (एसडी) समिति का पुनर्गठन किया गया था। वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित एक बैठक में समिति की संरचना और सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	निदेशक के नाम	पदनाम/निदेशन की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित नि.सा.उ.समिति की बैठकों की सं.	वर्ष के दौरान नि.सा.उ.समिति की बैठकों में उपस्थिति सं.
1	श्री दुष्यंत उपाध्याय	स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष	1	1
2	डॉ. बी.आर. रामकृष्ण	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य	1	1
3	सुश्री (डॉ.) शतोरूपा	स्वतंत्र निदेशक, सदस्य	1	1
4	श्री आर.एस. महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन), सदस्य	1	1
5	श्री बी.के. दास	निदेशक (उत्पादन), सदस्य	1	1

3. वेब-लिंक बताएँ जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नि.सा.उ. समिति की संरचना, नि.सा.उ. नीति और नि.सा.उ परियोजनाओं का प्रकटीकरण किया गया है:
   क) नि.सा.उ. संरचना का वेब-लिंक: https://nalcoindia.com/corporate-social-responsibility/about-csr/csr-team/
   ख) नि.सा.उ. नीति का वेब-लिंक: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/04/CSR-Policy-2019.pdf
   ग) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नि.सा.उ. परियोजनाओं का वेब-लिंक: https://mudira.nalcoindia.co.in:3443/CSR/CSRBudgetandExpenditure
4. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुपालन में निष्पादित नि.सा.उ. परियोजनाओं के प्रभाव आकलन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): लागू नहीं
5. कंपनी (निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुपालन में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष हेतु समायोजन के लिए अपेक्षित राशि (₹ में)
1	2018-19	शून्य	शून्य
2	2019-20	शून्य	शून्य
3	2020-21	शून्य	शून्य
	कुल	शून्य	शून्य

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: ₹1,42,987.00 लाख
7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹2,860.00 लाख
   (ख) पिछले वित्तीय वर्षों की नि.सा.उ. परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य
   (ग) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि, यदि कोई हो: शून्य
   (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल नि.सा.उ. देयता (7क+7ख-7ग): ₹2,860.00 लाख।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित या अव्ययित नि.सा.उ. राशिः

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्ययित राशि (₹लाख में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित नि.सा.उ. खाते में कुल अंतरित राशि		धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची-VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
3,691.38	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर व्यय की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण: ₹955.68 लाख (अनुलग्नक-क) ।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा व्यय की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण: ₹2,600.71 लाख (अनुलग्नक-ख)

(घ) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि: ₹134.99 लाख

(ङ) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

(च) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ): ₹3,691.38 लाख

(छ) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: शून्य

क्रम सं.	विवरण	राशि (₹लाख में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	**2,860.00**
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	**3,691.38**
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	**831.38**
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की नि.सा.उ. परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई है	**शून्य**
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	**शून्य**

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित नि.सा.उ. राशि का विवरण : लागू नहीं

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित नि.सा.उ. खाते में अंतरित राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) की अनुसूची-VII के तहत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई है			परवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	अंतरण की तिथि	
1	2018-19	शून्य	3,034.92	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
2	2019-20	शून्य	3,971.35	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
3	2020-21	शून्य	3,500.00	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य
	कुल	शून्य	10,506.27	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण ₹ 607.23 लाख (अनुलग्नक-ग)।

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्यय की गई नि.सा.उ. राशि के माध्यम से इस प्रकार सृर्जित अर्जित परिसंपत्ति का संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (परिसंपत्ति-वार विवरण):

(क) पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण की तिथि: लागू नहीं

(ख) पूंजीगत संपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के लिए व्यय की गई नि.सा.उ. की राशि: लागू नहीं

(ग) संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि: लागू नहीं

(डी) सृजित या अर्जित पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का संपूर्ण पता और स्थान सहित): लागू नहीं

11. कारणों का उल्लेख करें, यदि धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय कंपनी नहीं कर पाई है: लागू नहीं

हस्ता/-
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06500954

हस्ता/-
(दुष्यंत उपाध्याय)
अध्यक्ष नि.सा.उ. समिति
डीआईएनः 09397101

अनुलग्नक-क

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चल रही परियोजनाओं पर व्यय की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण

(₹लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वर्तमान वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित नि.सा.उ. खाते में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का माध्यम -प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	निष्पादन कारी एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला						नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण सं.
1	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के 05 गाँवों में खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ)	मद i-(v)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	40 माह	118.44	110.84	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ 00030827
2	गिरंग गाँव में पाइप वाले पानी की आपूर्ति	मद i-(vii)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	36 माह	113.00	113.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ 000 30827
3	जोन-I, जोन- II और जोन-III में पानी में फ्लोराइड तत्व रहने के कारण 11 गांवों में पाइप वाले पेयजल आपूर्ति का नवीकरण	मद i-(vii)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	36 माह	137.34	137.34	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
4	जगन्नाथ बल्लव मठ से श्री जगन्नाथ मंदिर तक बैटरी चालित वाहन का प्रचालन	मद i-(v)	नहीं	ओड़िशा	पुरी	40माह	105.00	99.92	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
5	पुरी के विभिन्न स्थानों में कुल 12 स्वच्छ जल चौकी का प्रबंध	मद i-(v)	नहीं	ओड़िशा	पुरी	40 माह	4.19	4.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
6	विद्युत कार्यों के रूपांतरण/ विकास कार्य एवं अद्यतन के साथ गाँधी पार्क का नवीकरण	मद i-(v)	नहीं	ओड़िशा	पुरी	15 माह	30.00	29.36	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
7	नालको द्वारा प्रदान की गई वर्तमान सुविधाओं का अन्य विकासपरक एवं रखरखाव कार्य	मद i-(v)	नहीं	ओड़िशा	पुरी	15 माह	20.00	18.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
8	म्यूजिकल फाउंटेन, गाँधी पार्क का प्रचालन एवं रखरखाव	मद i-(v)	नहीं	ओड़िशा	पुरी	15 माह	10.00	10.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
9	खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी पोट्टांगी, प्रदावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल और उत्कल डी एवं ई कोयला ब्लॉक के परिधीय गाँवों में मेडिकल हेल्थ यूनिट (एमएचयू) का प्रचालन	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल एनं कोरापुट	12 माह	350.00	102.55		नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
10	अनुगुल में ओपीडी केंद्र का प्रचालन	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	12 माह	54.40	44.50	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
11	ग्रीष्म के दौरान प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के परिधीय गाँवों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति	मद i-(vii)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	0 माह	0.00	0.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827

(₹लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वर्तमान वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित नि.सा.उ. खाते में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का माध्यम -प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	निष्पादन कारी एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला						नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण सं.
12	पुरी में रथयात्रा उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को पेयजल की आपूर्ति	मद i-(vii)	नहीं	ओड़िशा	पुरी	0 माह	5.00	0.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
13	पुरी में बिरहरेकृष्णपुर एवं गाँधी पार्क में बागवानी और रखरखाव कार्य	मद i-(v)	नहीं	ओड़िशा	पुरी	12 माह	35.00	31.33	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
14	गाँधी पार्क, पुरी में सुरक्षा पहरा और निगरानी	मद i-(v)	नहीं	ओड़िशा	पुरी	12 माह	17.00	16.07	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ 00030827
15	क) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और पोट्टांगी के परिधीय गाँवों से निर्धन पिछड़े एवं आदिवासी बच्चों को आवासीय शिक्षा में सहयोग ख) केआईएसएस प्रायोजित छात्रों को यात्रा की प्रतिपूर्ति ग) पारस्परिक वार्तालाप कार्यक्रम घ) प्रायोजित बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में सहयोग	मद ii-(i)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	12 माह	219.63	132.31	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
16	परियोजना- "नालकोर अलियाली झिया" (नालको की लाडली): खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के परिधीय गाँवों से बीपीएल श्रेणी के तहत कन्या छात्रों को प्रति वर्ष वित्तीय सहयोग प्रदान करना, महिलाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिता और महिलाओं में अन्य प्रतियोगिताओं और उनके कैरियर के बारे में परामर्श	मद ii-(i)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल व कोरापुट	12 माह	20.00	19.08	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
17	चंडका दामापाड़ा वन्यजीवन अभयारण्य के आसपास वृक्षारोपण के लिए सहयोग	मद iv-(ii)	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा एवं कटक	30 माह	42.38	42.38	0.00	हाँ	लागू नहीं	
18	सानाजोरादा, कर्णपुर में कियाकाटा तालाब का नवीकरण	मद iv-(vi)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	43 माह	6.10	4.40	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
19	पारंपरिक कला, संगीत और हस्तशिल्प के प्रचार में योगदान	मद v-(v)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	12 माह	30.00	0.00	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827

(₹लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)	परियोजना का स्थान		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि	चालू वर्तमान वर्ष में व्यय की गई राशि	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित नि.सा.उ. खाते में अंतरित राशि	कार्यान्वयन का माध्यम -प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	निष्पादन कारी एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला						नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण सं.
20	सांस्कृतिक उत्कर्षता और नि.सा.उ. को प्रोत्साहन (पुरस्कार, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था)	मद v-(i)	नहीं	ओड़िशा	कोरापुट	12 माह	5.00	2.61	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
21	गाँव-कर्णपुर में कर्णपुर लेवल क्रॉसिंग से भरतपुर कॉमन पॉइंट को जोड़ने वाली सड़क	मद x-(i)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	40 माह	11.60	5.36	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
22	मल्कारबाध से मालिपुट तक बीटी रोड का निर्माण	मद x-(i)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	36 माह	32.67	32.63	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
	कुल						1366.75	955.68				

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर व्यय की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण

(₹लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का माध्यम- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	निष्पादन कारी एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला			नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण सं.
1	नबरंगपुर में डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर (डीसीएचसी) को पुनःचालू करना (बारंबार खर्च)	मद i-(iv)	नहीं	ओड़िशा	नबरंगपुर	107.73	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
2	नबरंगपुर में डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर (डीसीएचसी) का ढांचागत विकास (एककालीन खर्च)	मद i-(iv)	नहीं	ओड़िशा	नबरंगपुर	54.47	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
3	शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोरापुट में चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	114.20	हाँ	लागू नहीं	-
4	ईएसआई हॉस्पिटल, बनारपाल, अनुगुल में डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर (डीसीएचसी) को सहयोग	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	276.23	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
5	जिला प्रशासनों को 200 ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर की आपूर्ति	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुला एवं कोरापुट	0.00	हाँ	लागू नहीं	-
6	ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशनों को डीजी सेट की आपूर्ति करते हुए कोविड-19 के प्रबंधन में राज्य को सहयोग	मद i-(iv)	नहीं	संपूर्ण ओड़िशा		30.70	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
7	जिला प्रशासन, कोरापुट को फेस मास्क और सैनिटाइजर की आपूर्ति	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	1.82	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
8	जिला प्रशासन, अनुगुल को फेस मास्क और सैनिटाइजर की आपूर्ति	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	1.33	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
9	वैज़ाग में अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर की आपूर्ति	मद i-(iv)	हाँ	आंध्रप्रदेश	विशाखापटनम	5.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ 00030827
10	कर्नाटक राज्य के धारवाड जिले में अस्पतालों को मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेटरों की आपूर्ति	मद i-(iv)	नहीं	कर्नाटक	धारवाड	120.70	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
11	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के परिधीय गांवों में रैपिड एंटिजन टेस्ट (आरएटी)	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	4.25	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
12	स्थानीय अस्पताल, जेपोर में बीआईपीएपी मशीनों और जम्बो ऑक्सीजन सिलिंडरों की आपूर्ति	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	0.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
13	जिला प्रशासन, अनुगुल को रैपिड एंटिजन किट की आपूर्ति	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुल	16.60	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
14	ककिरीगुमा पुलिस स्टेशन को पानी आपूर्ति की व्यवस्था	मद i-(vi)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	0.40	हाँ	लागू नहीं	-
15	भुवनेश्वर और पुरी की बस्तियों में सूखे राशन का वितरण	मद i-(i)	हाँ	ओड़िशा	पुरी एवं खोर्धा	3.00	नहीं	लागू नहीं	-

(₹लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का माध्यम- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	निष्पादन कारी एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला			नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण सं.
16	बीएमसी अस्पताल, भुवनेश्वर में डिजिटल एक्स-रे मशीन के लिए वित्तीय सहयोग	मद i-(iv)	नहीं	संपूर्ण ओड़िशा		16.36	हाँ	लागू नहीं	-
17	रायलसीमा आ.प्र. में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मं) योगदान	मद i-(iv)	नहीं	आंध्रप्रदेश	रायलसीमा	100.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
18	रोटरी आई केयर सेंटर, पुरी को वित्तीय सहयोग	मद i-(iv)	नहीं	ओड़िशा	पुरी	10.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
19	परिधीय गाँवों के मजदूरों को कोविड सहयोग	मद i-(iv)	हाँ	ओड़िशा	अनुगुला, कोरापुट एवं खोर्धा	1416.04	हाँ	लागू नहीं	
20	ओड़िशा के गंजाम जिले में हाई स्कूलों को समुदाय चालित बदलाव को सहयोग	मद ii-(i)	नहीं	ओड़िशा	गंजाम	200.00	हाँ	लागू नहीं	
21	बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए क्रेच-कम स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्यभार लेने के लिए "सेवाघर" को वित्तीय सहयोग	मद ii-(iii)	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा	10.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
22	अंबागाँव गाँव में शौचालय और अन्य सुविधाओं के साथ विद्यालय भवन का निर्माण	मद ii-(i)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	11.13	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
23	श्री रामकृष्ण आश्रम, एम रामपुर, कालाहांडी में हॉस्टल सुविधा के साथ अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए वित्तीय सहयोग	मद ii-(i)	नहीं	ओड़िशा	कालाहांडी	25.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ 00030827
24	ओड़िशा के नुआपाड़ा जिले में शिक्षण कार्यक्रम के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन को वित्तीय सहयोग	मद ii-(i)	नहीं	ओड़िशा	नुआपाड़ा	25.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
25	इंडिया चैरिटी फाउंडेशन ट्रस्ट, भरतपुर, भुवनेश्वर के दिव्यांगों को जीविकोपार्जन सहयोग (अगरबत्ती बनाने वाली मशीन)	मद ii-(iv)	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा	0.90	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
26	चक्रवात "यास" में उत्पन्न समस्याओं का सामना करने के लिए जिला प्रशासन को प्लाज्मा कटर मशीन की आपूर्ति	मद xii-(i)	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा	1.48	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
27	चक्रवात "यास" के फलस्वरूप उत्पन्न आपातकालीन उपाय के रूप में जिला प्रशासन को ट्री कटिंग मशीन की आपूर्ति	मद xii-(i)	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा	0.53	हाँ	लागू नहीं	-
28	चक्रवात "यास" द्वारा उत्पन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए जिला प्रशासन को डीजी सेट की आपूर्ति	मद xii-(i))	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा	1.65	हाँ	लागू नहीं	-

(₹लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ना)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए व्यय की गई राशि	कार्यान्वयन का माध्यम- प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	निष्पादन कारी एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का माध्यम	
				राज्य	जिला			नाम	नि.सा.उ. पंजीकरण सं.
29	गोबर्धन पीठ, पुरी के गोशाला को पशु चारा के रूप में सहयोग	मद iv-(iv)	नहीं	ओड़िशा	पुरी	1.06	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
30	इस्कॉन गोशाला, बलियांता, भुवनेश्वर को पशु चारा के रूप में सहयोग	मद iv-(iv)	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा	5.91	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
31	ओड़िशा राज्य में महिलाओं और लड़कियों के लिए हिंसा मुक्त जीवन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहयोग	मद iii-(iii)	हाँ	ओड़िशा	खोर्धा एवं कटक	3.00	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
32	अंबागाँव ग्राम, दामनजोड़ी में पुराने कम्यूनिटी सेंटर का नवीनीकरण और नए कम्यूनिटी सेंटर-सह-कल्याण मंडप का निर्माण	मद x-(i)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	15.50	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
33	अंबागाँव गाँव के अंदर पानी निकासी प्रणाली का प्रावधान	मद x-(i)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	2.19	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
34	अंबागाँव गाँव, दामनजोड़ी के अंदर आरसीसी सड़क का निर्माण	मद x-(i)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	17.39	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
35	अंबागाँव गाँव में प्ले ग्राउंड का प्रावधान	मद vii-(i)	हाँ	ओड़िशा	कोरापुट	1.14	नहीं	नालको फाउंडेशन	नि.सा.उ. 00030827
	कुल					2600.71			

अनुलग्नक-ग

पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई नि.सा.उ. राशि का विवरण

(₹लाख में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्रम सं.	परियोजना की आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जब परियोजना शुरू हुई	परियोजना की अवधि	परियोजना के वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित कुल राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर व्यय की गई राशि	रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि	पूरी की गई परियोजना की वस्तुस्थिति/
1	-	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के 05 गाँवों में खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ)	2018-19	40 माह	118.44	110.84	402.24	पूर्ण
2	-	गिरंग गाँव में पाइप वाले पानी की आपूर्ति	2018-19	36 माह	113.00	113.00	313.00	पूर्ण
3	-	पानी में फ्लोराइड तत्व रहने के कारण 11 गांवों में पाइप वाले पेयजल आपूर्ति का नवीकरण	2018-19	36 माह	137.34	137.34	386.00	पूर्ण
4	-	चंडका दामापाड़ा वन्यजीवन अभयारण्य के आसपास वृक्षारोपण के लिए सहयोग	2019-20	30 माह	42.38	42.38	299.52	पूर्ण
5	-	सानाजोरादा, कर्णपुर मं कियाकाटा तालाब का नवीकरण	2017-18	43 माह	6.10	4.40	29.40	पूर्ण
6	-	जगन्नाथ बल्लव मठ से श्री जगन्नाथ मंदिर तक बैटरी चालित वाहन का प्रचालन	2018-19	40 माह	105.00	99.92	326.40	पूर्ण
7	-	पुरी के विभिन्न स्थानों में कुल 12 स्वच्छ जल चौकी का प्रबंध	2018-19	40 माह	4.19	4.00	54.49	पूर्ण
8	-	विद्युत कार्यों के रूपांतरण/विकास कार्य एवं अद्यतन के साथ गाँधी पार्क का नवीकरण	2020-21	15 माह	30.00	29.36	29.36	पूर्ण
9	-	नालको द्वारा प्रदान की गई वर्तमान सुविधाओं का अन्य विकासपरक एवं रखरखाव कार्य	2020-21	15 माह	20.00	18.00	18.00	पूर्ण
10	-	म्यूजिकल फाउंटेन, गाँधी पार्क का प्रचालन एवं रखरखाव	2020-21	15 माह	10.00	10.00	18.00	पूर्ण
11	-	गाँव-कर्णपुर में कर्णपुर लेवल क्रॉसिंग से भरतपुर कॉमन पॉइंट को जोड़ने वाली सड़क	2017-18	40 माह	11.36	5.36	17.36	पूर्ण
12	-	मल्कारबांध से मालीपुट तक बीटी रोड का निर्माण	2018-19	36 माह	32.67	32.63	85.33	पूर्ण
		कुल			630.72	607.23	1979.10	

अनुलग्नक-II

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1.0 उद्योग संरचना एवं विकासः

1.1 एल्यूमिनाः

वर्ष 2021 के दौरान, मेटलर्जिकल (धातुकर्मीय) ग्रेड एल्यूमिना (एमजीए) का कुल भूमंडलीय उत्पादन 131.30 मिलियन टन था, जिसमें वर्ष 2020 के दौरान उत्पादित 126.84 मिलियन टन की तुलना में लगभग 3.52% की वृद्धि दर्ज हुई। 2021 के दौरान एल्यूमिना की खपत 130.99 मिलियन टन थी, जो की वर्ष 2020 के दौरान हुए 126.36 मिलियन टन के सापेक्ष 3.66% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाता है। एल्यूमिना के उत्पादन में 55.05% की भागीदारी एवं खपत में 57.23% की भागीदारी के साथ चीन उत्पादन और खपत दोनों में प्रधान अंशदाता था। 2022 में विश्व धातुकर्मीय एल्यूमिना की मांग 129.79 मिलियन टन होने की अपेक्षा की जाती है, जो वर्ष-दर-वर्ष 0.92% की कमी का सूचक है। समग्र रूप से, 2022 में 129.70 मिलियन टन के अपेक्षित उत्पादन के साथ एल्यूमिना के बाजार में 0.9 मिलियन टन की मामूली कमी की अपेक्षा है।

भारत में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एल्यूमिना का कुल उत्पादन 73.13 लाख टन था, जिसमें वर्ष-दर-वर्ष पर 10.82% की वृद्धि दर्ज हुई। इसमें से आपकी कंपनी का अंश 21.10 लाख (28.85%) था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कोविड से संबंधित बाधाओं में नरमी आने के उपरांत हुए आर्थिक सुधार के कारण एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों के मूल्यों में लगातार वृद्धि दर्ज हुई। भारत में एल्यूमिना की खपत 2021-22 के दौरान अपने चरम पर पहुँची, क्योंकि वर्ष के दौरान 4 मिलियन टन के प्राथमिक एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन की उपलब्धि हासिल हुई जिसमें आपकी कंपनी द्वारा अब तक का सबसे अधिक धातु उत्पादन शामिल है। आपकी कंपनी ने 2021-22 के दौरान एल्यूमिना रसायनों की अपनी अब तक की सबसे अधिक देशीय बिक्री भी दर्ज की है। 2022-23 के दौरान भी पूरे देश की बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर, एल्यूमिना रसायनों की अधिक मांग जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है।

2021 के दौरान भूमंडलीय बॉक्साइट का उत्पादन लगभग 356.65 मिलियन टन था, जो वर्ष 2020 में उत्पादित 357.36 मिलियन टन की तुलना में 0.20% कम है। 2020 के दौरान भूमंडलीय बॉक्साइट का उत्पादन प्रायः 363.33 मिलियन टन पहुँचने की आशा है। चीन में बॉक्साइट का आयात कीर्तिमान ऊँचाई के पास बना हुआ है क्योंकि धारा में अतिरिक्त घरेलू परिशोधन क्षमता पहुँची है जो आयातित बॉक्साइट का उपयोग कर रही है। 2021 के दौरान, चीन द्वारा 107.42 मिलियन टन बॉक्साइट का आयात किया गया था, जो मुख्य रूप से गिनी (54.84 मिलियन टन), ऑस्ट्रेलिया (34.08 मिलियन टन) और इंडोनेशिया (17.84 मिलियन टन) से उपलब्ध हुए थे। अनुप्रवाह खनन उद्योग के विकास को सहयोग देने के लिए इंडोनेशिया ने इस वर्ष के अंत में बॉक्साइट निर्यातों पर प्रतिबंध लगाने के अपने दृष्टिकोण को जारी रखा है।

1.2 एल्यूमिनियम:

2021 के दौरान एल्यूमिनियम का भूमंडलीय उत्पादन 67.41 मिलियन टन था, जिससे वर्ष 2020 में हासिल 64.74 मिलियन टन के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में 4.11% की वृद्धि दर्ज हुई। इसी अवधि में एल्यूमिनियम की विश्वव्यापी खपत वर्ष 2020 में 62.92 मिलियन टन से वर्ष 2021 में 68.96 मिलियन टन पहुँच गई जिसमें 9.60% की वृद्धि दर्ज हुई। अतएव, वर्ष 2021 के दौरान बाजार में लगभग 1.55 मिलियन टन की कमी दर्ज हुई। वर्ष के दौरान चीन सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता रहा, जिसकी एल्यूमिनियम के वैश्विक उत्पादन में 57.24% की भागीदारी (38.58 मिलियन टन) एवं वैश्विक खपत में 58.21% की भागीदारी (40.14 मिलियन टन) रही। वर्ष 2021 के दौरान चीन ने एल्यूमिनियम के उत्पादन में 5.02% की वृद्धि दर्ज की जबकि शेष विश्व ने उत्पादन में 2.92% की वृद्धि हासिल की। एल्यूमिनियम खपत की बात करें तो 2021 के दौरान चीन के आंकड़े 6.14% के साथ स्वस्थ वृद्धि दर्शाते हैं, जबकि शेष विश्व ने 14.81% की भारी वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत में एल्यूमिनियम की खपत 14.52% बढ़ी।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, औसत एलएमई नकद निपटान मूल्य यू.एस. डॉलर 2,769 प्रति मे. टन था, जो वर्ष 2020-21 के दौरान यू.एस. डॉलर 1,802 प्रति मे.टन के अनुरूपी आंकड़ों की तुलना में बड़े पैमाने पर 53.66% की वृद्धि को दर्शाता है। एल्यूमिनियम आपूर्ति की वैश्विक चिंताओं के बीच रशिया की ओर से यूक्रेन पर किए गए हमले के बाद वित्त वर्ष 2022-23 की प्रथम तिमाही के दौरान मूल्य में बढ़ोतरी आई।

वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में, अनुमानित वैश्विक एल्यूमिनियम धातु स्टॉक 9.35 मिलियन टन रहा, जिससे वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में 11.25 मिलियन टन स्टॉक की तुलना में 20.35% की गिरावट दर्ज हुई।

वर्ष 2020 में लगभग 1.83 मिलियन टन के वैश्विक बाजार अधिशेष की तुलना में, वर्ष 2021 में एल्यूमिनियम धातु के लिए 1.55 मिलियन टन का बाजार घाटा दर्ज हुआ जो मुख्य रूप से कोविड-19 से जुड़ी बाधाओं के उपरांत तेज आर्थिक सुधार के कारण हुआ था।

2.0 शक्तियाँ और कमजोरियाँ:

2.1 शक्तियाँ:

एल्यूमिनियम पृथ्वी के पृष्ठ भाग पर पाया जाने वाला सबसे आम धातु है, हमारी धरती पर तीसरा सबसे अधिक परिमाण में मिलने वाला रासायनिक तत्व (ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद) और सामानों के निर्माण के लिए दूसरा सबसे प्रसिद्ध धातु (लोहे/स्टील के पश्चात) है। हम सभी हर दिन एल्यूमिनियम देखते हैं और इस्तेमाल करते हैं और इस पर ध्यान भी नहीं देते हैं। इससे डिस्पोजेबल ड्रिंक के डिब्बे बनते हैं और कुकिंग फॉयल भी इसी से बनता है। चांदी के इस धातु का उपयोग कुछ बहुत ही अद्भुत जगहों पर देख सकते हैं जैसे कि हवाई जहाज में जेट इंजन से लेकर हाई-टेक युद्धपोतों के पतवार में इसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम नरम, हल्का, अग्निरोधक और ताप प्रतिरोधक होता है, नए आकार देते हुए काम करने में आसानी लाता है और यह बिजली के संवहन में सक्षम है। यह अत्यंत प्रभावी तरीके से प्रकाश और ताप को परावर्तित करता है और इसमें जंग नहीं लगता है। यह अन्य रासायनिक तत्वों, खास करके ऑक्सीजन के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है और हवा में रखे जाने पर आसानी से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बाहरी परत बनाता है।

4.1 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) के साथ, विश्व में एल्यूमिनियम उत्पादन की क्षमता में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, इसके बाद रूस 3.9 एमटीपीए का स्थान आता है, जबकि चीन के पास सबसे बड़ी उत्पादन क्षमता है। देश में ज्यादातर विद्युत, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, परिवहन, निर्माण और पैकेजिंग आदि जैसे उद्योगों को एल्यूमिनियम की

आवश्यकता होती है। एल्यूमिनियम एक रणनीतिक धातु है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को प्रोत्साहित करता है। एआई सर्कल के अनुसंधान ने अनुमान लगया है कि भारत में एल्यूमिनियम का उपयोग वर्ष 2026-27 तक वार्षिक 6.7% के सीएजीआर से बढ़कर 4.84 मिलियन टन तक पहुँच सकता है। देश में बॉक्साइट का विशाल भंडार है और भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2030-2032 तक बॉक्साइट उत्पादन को लगभग 70 मिलियन टन तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

एल्यूमिनियम को अनंत बार के लिए पुनर्चक्रण किया जा सकता है वो भी इसके किसी भी उत्कृष्ट गुण में कोई कमी लाए बिना। एक अनुमान के अनुसार 1 मे.ट. एल्यूमिनियम स्क्रैप को एल्यूमिनियम उत्पादों में बदलने से कई टन बॉक्साइट, 14,000 कि.वा.घं. ऊर्जा, 6,300 लीटर जीवाश्म ईंधन, 7.6 क्यूबिक मीटर भूमि भराव और वन, आवास, उद्योग आदि जैसे अन्य उपयोगों के लिए बहुमूल्य भूमि की बचत का फायदा मिलता है। इसलिए, भारत को अब एल्यूमिनियम स्क्रैप के पुनर्चक्रण के लिए एक मजबूत औद्योगिक आधार विकसित करने और गौण उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। ऐसे में यह अनिवार्य हो उठता है कि उद्योग को संधारणीय बनाने के लिए एल्यूमिनियम स्क्रैप की कच्ची सामग्री की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत और भरोसेमंद बनी रहे।

2.2 कमजोरियाँ:

भारत अनुप्रवाह एल्युमिनियम उत्पादों की अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए अपनी निर्यात आय में उल्लेखनीय वृद्धि ला सकता है। हालांकि पिछले एक दशक पर नजर दौड़ाएं तो देश में प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन देश के अंदर मूल्यवर्धन की दर कम रही है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में निवेश के माध्यम से नए उत्पादों/अनुप्रयोगों के विकास द्वारा इसे हासिल किया जा सकता है, जो वर्तमान में सीमित स्तर पर निष्पादित हो रहे हैं। इसके अलावा, कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए एक विस्तृत और विश्वसनीय संभार-तंत्र से जुड़े नेटवर्क का अभाव भी इस लक्ष्य को हासिल करने में बाधा बना हुआ है। भारतीय एल्यूमिनियम उत्पादक मिडल ईस्ट में स्थित अपने समकक्षों की तुलना में मूल्य प्रतिस्पर्धा में भी पीछे हैं, विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता इसका कारण है, जिससे विद्युत उत्पादन लागत बढ़ जाती है। भारत को एल्यूमिनियम स्क्रैप के आयात के कारण देश से कीमती विदेशी मुद्रा के उच्च बहिर्वाह का भी सामना करना पड़ता है। देश के अंदर पर्याप्त एल्यूमिनियम स्क्रैप के उत्पादन और निष्पादन योग्य बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण, एल्यूमिनियम पुनर्चक्रणकर्ताओं को आपूर्तिकर्ताओं की तलाश के लिए विदेशों की ओर रुख करना पड़ता है।

3.0 अवसर एवं खतरेः

3.1 अवसरः

वैश्विक एल्यूमिनियम की मांग (प्राथमिक और गौण) में 33.3 मे. टन की वृद्धि का अनुमान है, जो वर्ष 2020 के 86.2 मे.ट. से बढ़कर वर्ष 2030 में 119.5 मे.ट. पहुँचना अपेक्षित है। इस वृद्धि में चीन की ओर से 37% वृद्धि अनुमानित है, इसके बाद चीन को छोड़कर बाकि एशिया से 26%, उत्तरी अमेरिका से 15% और यूरोप से 14% होने की अपेक्षा है।

पूर्ण मांग के तहत सबसे अधिक वृद्धि परिवहन क्षेत्र से होगी, जो मुख्य रूप से डीकार्बोनाइजेशन नीतियों और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से चलने वाला वाहनों के बदले इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के संचालित किए जाने से प्रेरित है और इसके फलस्वरूप वर्ष 2020 के 19.9 मे.ट. एल्यूमिनियम की खपत के वर्ष 2030 में 31.7 मे.ट. होना अपेक्षित है। चीन को छोड़कर एशिया में परिवहन क्षेत्र से आने वाले आधे से अधिक एल्यूमिनियम की खपत में भारत (27%), जापान (17%) और मिडल ईस्ट (12%) की वृद्धि होने की उम्मीद की जाती है।

विद्युत क्षेत्र में, हरित ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के रूख से इस क्षेत्र में एल्यूमिनियम की मांग मजबूत होगी, जो वर्ष 2020 के 10.4 मे.ट. से शुरू होकर वर्ष 2030 में 15.6 मे.ट. तक पहुंचना अपेक्षित है। डिजाइनरों और निर्माताओं की सहयोगिता में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन, इस क्षेत्र में एल्यूमिनियम की मांग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, क्योंकि सौर ऊर्जा को पवन ऊर्जा की तुलना में प्रति स्थापित मेगावाट चार गुना अधिक और कोयले की तुलना में लगभग 25 गुना अधिक एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ती है। नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए खपत में हो रही इस वृद्धि के अलावा, विद्युत वितरण के लिए कंडक्टर केबल की जरूरत भी बढ़ेगी। हालांकि, ये कंडक्टर पारंपरिक रूप से तांबे से बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम द्वारा बदले जाने से एक उपयुक्त विकल्प प्राप्त होता है और लागत की दृष्टि से लाभदायक हो सकता है, विशेष रूप से जब भौतिक जगह संबंधी कोई बाधा नहीं है।

अगले दशक में तुलनात्मक दृष्टि से निर्माण में कम वृद्धि आने की अपेक्षा है क्योंकि वर्ष 2020 के 21.2 मेट्रिक टन से खपत वर्ष 2030 में 25.8 मेट्रिक टन पहुँचेगी। अन्य क्षेत्रों की तुलना में कुछ अलग मार्ग पर चलते हुए, यह वृद्धि हरित रुझानों की बजाय बुनियादी ढांचे पर हुए खर्च और शहरीकरण से मांग के जुड़े रहने के कारण मुख्य रूप से चीन को छोड़कर एशिया से आएगी ।

पैकेजिंग क्षेत्र से एल्यूमिनियम की खपत वर्ष 2020 के 7.2 मे.ट. से बढ़कर वर्ष 2030 में 10.5 मे.ट. हो जाएगी, जो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और चीन में डिब्बाबंद पेय की बढ़ती लोकप्रियता के कारण मुमकिन होगा। हाल के वर्षों में डिब्बाबंद पेय की मांग में वृद्धि और तत्पश्चात पैकेजिंग क्षेत्र से एल्यूमिनियम की मांग में वृद्धि हुई है जो मुख्य रूप से, नए उत्पादों के अस्तित्व में आने और साथ ही पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग विकल्पों के प्रति उपभोक्ता की बढ़ती प्राथमिकता की वजह से है।

3.2 खतरेः

रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे भू-राजनीतिक तनावों के बढ़ने से एल्यूमिनियम की आपूर्ति और कीमतों में उतार-चढ़ाव की संभावना बन सकती है, इससे वैश्विक मुद्रास्फीति उत्पन्न होने के साथ-साथ व्यापार और आपूर्ति लाइनों में बाधा आ सकती है। मार्च, 2022 के दौरान एल्यूमिनियम का मूल्य 4,000 यूएस डॉलर प्रति मेट्रिक टन तक पहुँच गया, जो कई एल्यूमिनियम उत्पादकों के लिए उनकी उत्पादन क्षमता को फिर से शुरू करने या बढ़ाने का प्रोत्साहक बना, जिसके कारण एल्यूमीनियम का अतिरिक्त उत्पादन हुआ और इस वजह से आने वाले महीनों में बाजार में इसके भर जाने का जोखिम बना हुआ है। एल्यूमिनियम धातु के असामान्य अधिक मूल्य भी इस धातु की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है, इसकी अधिक कीमत के कारण ही उपभोक्ता वैकल्पिक सामग्री की तलाश शुरू करते हैं।

आगामी युद्ध से देशीय एल्यूमिनियम उद्योग के लिए एक और खतरा आयातित कोयले की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि से है, जिससे देश में घरेलू कोयले की अधिक मांग की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसके फलस्वरूप एल्यूमिनियम उत्पादकों के लिए कोयले का अभाव पैदा हुआ है। इस परिस्थिति के कारण एल्यूमिनियम प्रद्रावकों के लिए बिजली की आपूर्ति में बाधा आ सकती है, उत्पादन में कटौती आ सकती है।

अन्य खतरों में प्रतिकूल सरकारी नीतियों, अर्थव्यवस्था में मंदी, वैश्विक मूल्यों/विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और सस्ते मूल्य में एल्यूमिनियम के आयात का जोखिम शामिल हैं।

4.0 खंड-वार निष्पादनः

क्रम सं.	विवरण	रसायनों (एल्यूमिना)		धातु (एल्यूमिनियम)		गैर-आवंटनीय		कुल
		₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में	शेयर (%)	₹ करोड़ में
1.	प्रचालन से राजस्व	3,979.19	28.06	10,143.79	71.53	57.83	0.41	14,180.81
2.	कर पूर्व लाभ (असाधारण मदों के पूर्व)	1,144.75	28.78	3,262.11	82.00	(428.87)	(10.78)	3,977.99
3.	पूंजी नियोजित#	2,298.00	21.42	4,006.64	37.34	4,424.43	41.24	10,729.07
4.	आरओसीई (%) (2/3)		49.82		81.42		(9.69)	37.08
5.	पीबीआईटी सीमा (%) (2/1)		28.77		32.16		(741.60)	28.05

"गैर-आवंटनीय कॉमन" के तहत नियोजित पूँजी में पवन ऊर्जा संयंत्र और विस्तार एककों के नकदी शेष और संपत्ति शामिल हैं।

5.0 भविष्य के लिए दृष्टिकोणः

5.1 अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणः

जुलाई से सितंबर, 2022 के दौरान वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादन 17.50 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जबकि इस अवधि में खपत 17.51 मिलियन टन होने की संभावना है, यानी बाजार में इस अल्प समय के दौरान संतुलन बने रहने की अपेक्षा की जाती है।

फरवरी, 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के समय से अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के मूल्यों में बड़े पैमाने पर हलचल मचा हुआ है। एल्यूमिनियम की कीमत मार्च, 2022 में थोड़े समय के लिए 4,000 यूएस डॉलर प्रति मेट्रिक टन के निशान को पार कर गई थी, इसके बाद के हफ्तों में गिरावट आई। पश्चिमी देशों द्वारा रूसी मूल के एल्यूमिनियम धातु के निर्यात पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों के डर को कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसके फलस्वरूप धातु की वैश्विक कमी उभर सकती थी। हालांकि, ऐसा कोई प्रतिबंध वास्तव में नहीं लगाया गया था और रूसी एल्यूमिनियम उत्पादकों द्वारा उत्पादन में कटौती की घोषणा नहीं की गई थी, जिसके कारण एल्यूमिनियम की कीमतों में गिरावट आई। मई, 2022 में एलएमई नकद मूल्य औसतन 2,826 यूएस डॉलर प्रति मेट्रिक टन था, और जून, 2022 के दौरान कीमत गिरकर 2,563 यूएस डॉलर प्रति मेट्रिक टन हो गई। तथापि, रूसी ऊर्जा पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के मूल्यों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण पूरे विश्व में एल्यूमिनियम धातु के उत्पादन की लागत बढ़ रही है, जो कुछ समय के लिए एल्यूमिनियम के मूल्यों को समर्थन दे सकती है। फिर भी, हार्बर एल्यूमिनियम ने भविष्यवाणी की है कि वर्ष 2022 के समाप्त होने से पहले एल्यूमिनियम का मूल्य गिरकर 2,300 यूएस डालर प्रति मेट्रिक टन तक पहुँच सकता है।

जनवरी से मई, 2022 के दौरान, चीन में एल्यूमिनियम का उत्पादन कुल 16.199 मिलियन टन हुआ, जो पिछले वर्ष की अनुरूपी अवधि के दौरान उत्पादित 16.25 मिलियन टन से 0.39 प्रतिशत कम है। जून के शुरू में, चीन में घरेलू परिचालन एल्यूमिनियम क्षमता 44.365 मिलियन टन पर वैध स्थापित क्षमता के साथ 40.498 मिलियन टन तक पहुँच गई। इस प्रकार, औसत परिचालन दर 91.50 प्रतिशत रही। वर्ष के पहले पाँच महीनों में चीन का कुल एल्यूमिना उत्पादन 31.046 मिलियन टन था, जो पिछले वर्ष की अनुरूपी अवधि के लगभग 29.43 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 5.2 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। जुलाई, 2022 से, चीन के बाजार में एल्यूमिना उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी आने की उम्मीद की जाती है। हालांकि, चीन में अप्रैल से जून, 2022 के दौरान एल्यूमिनियम धातु की मांग अप्रैल से जून, 2021 की तुलना में 8.5% घटने का अनुमान है जो मंद मांग और कोविड प्रभावित लॉकडाउन की वजह से है। इसलिए, चीन ने बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम धातु का निर्यात शुरू कर दिया है।

वैश्विक ऊर्जा मूल्यों में तेज वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, चीन के बाहर एल्यूमिनियम की मांग में सीमित वृद्धि आने की संभावना है। आर्थिक मंदी का सामना करने के लिए, चीनी सरकार घरेलू खपत को प्रोत्साहित करने के लिए अतीत में प्रोत्साहन पैकेज शुरू करती रही है। अतएव, निकट भविष्य में एल्यूमिनियम के मूल्य सुधार की संभावना बहुत हद तक आने वाले महीनों में चीन में मांग बेहतर होने पर निर्भर करती है।

5.2 घरेलू दृष्टिकोणः

भारत में एल्यूमिनियम बाजार ने वर्ष 2022 में एक अच्छी शुरुआत की है, घरेलू एवं निर्यात मांग में मजबूती के कारण एल्यूमिनियम उत्पादकों ने कीर्तिमान लाभ अर्जित किया है। हालांकि, बढ़ती मुद्रास्फीति एल्यूमिनियम की मांग और प्रद्रावकों की लाभप्रदता दोनों के लिए एक गंभीर खतरा बनकर सामने आई है। भारत सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध, पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में कमी, इस्पात उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाना आदि। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले कुछ हफ्तों के दौरान प्रमुख नीतिगत व्याज दरों में भी बढ़ोतरी की है जो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की संभावना रखते हैं। हालांकि, यह पहल, निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों में एल्यूमिनियम की मांग के लिए गतिरोधक हो सकती है क्योंकि आने वाले महीनों में गृह ऋण और ऑटो ऋण के महंगे होने की संभावना है।

भारत में एल्यूमिनियम की खपत के साथ-साथ प्राथमिक उत्पादकों द्वारा एल्यूमिनियम के उत्पादन, घरेलू बिक्री और निर्यात का संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

विवरण	2021-22	2020-21	परिवर्तन (%)
एल्यूमिनियम उत्पादन ('000 मे.ट.)	4,032.60	3,629.9*	11.1%
एल्यूमिनियम देशीय बिक्री ('000 मे.ट.)	1,568.00	1,347.3	16.4%
एल्यूमिनियम निर्यात बिक्री ('000 मे.ट.)	2,465.00	2,329.1*	5.8%
एल्यूमिनियम निर्यात ('000 मे.ट.)	2,334.40	2,060.3	13.3%
कुल एल्यूमिनियम खपत ('000 मे.ट.)	3,902.40	3,407.6	14.5%

*प्राथमिक एल्यूमिनियम उत्पादक द्वारा रिपोर्ट किए गए संशोधित आंकड़ों के अनुसार

स्रोतः (क) नालको के प्रदर्शन आंकड़े, प्राथमिक उत्पादकों के आंकड़े।
(ख) सीआरयू एल्यूमिनियम अनुवीक्षक।

6.0 जोखिम प्रबंधनः

आपकी कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसमें अन्य विषयों के साथ भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देश शामिल है। जोखिम प्रबंधन को सामान्य व्यावसायिक अभ्यासों के अंश के रूप में लिया जाता है और निर्धारित समय पर एक अलग कार्य के रूप में होता है। कम्पनी की निदेशक मंडल स्तर पर जोखिम प्रबंधन समिति है। यह समिति आपवादिक जोखिम रिपोर्टों की समीक्षा करती है एवं समय-समय पर उपचारी उपायों की राय देती है। जोखिम कम करने के उपायों की आवधिक समीक्षा की जाती है ताकि कार्यपालक प्रबंधन एक उचित पारिभाषित ढांचे के माध्यम से जोखिम पर नियन्त्रण रख सके। न्यूनीकरण योजनाओं के साथ नए जोखिम क्षेत्रों की पहचान के लिए आवधिक समीक्षा की जाती है। पहचाने गए जोखिम के लिए मनोनीत जोखिम अधिकारी निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर रखते हैं जिनकी कंपनी के आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा और साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर समीक्षा की जाती है। विचलन, यदि कोई हो, तो इसकी रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।

7.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ और उनकी पर्याप्तताः

आपकी कम्पनी के पास अपने व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप आंतिरक नियंत्रण की एक यथा प्रतिष्ठित एवं पर्याप्त प्रणाली है। आपकी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नोक्त को प्रदान करने के लिए तैयार की गई है:

(क) प्रयोज्य विधानों, नीतियों एवं कार्यप्रक्रियाओं, नियमों और अधिनियमों तथा प्रत्यायोजित प्राधिकरण का अनुपालन।
(ख) लागू लेखाकरण मानकों और नीतियों का पालन।
(ग) लेनदेनों को समुचित रूप से दर्ज करना एवं यथा समय रिपोर्ट करना।
(घ) संसाधनों का प्रभावी उपयोग एवं कुशल प्रचालन।
(ङ) परिसंपत्तियों की हिफाजत।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5)(ड.) के अनुसार, यह पूर्ण दायित्व निदेशकगणों का है कि वे सुनिश्चित करें कि कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली एवं ढांचे का कार्यान्वयन किया है, जो पर्याप्त हैं एवं प्रभावी रूप से परिचालित हैं।

आपकी कम्पनी के पास अपने व्यवसाय परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों के नियंत्रण एवं रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करने के लिए सुपरिभाषित नीतियाँ, प्रक्रियाएँ और दिशा-निर्देश हैं। इसमें कंपनी द्वारा समय समय पर निर्धारित अधिकारों का प्रत्यायोजन, विभिन्न नियमावलियाँ, कायदे और मार्गनिर्देश शामिल हैं। कंपनी के व्यवसाय सम्पादन में, अनुमोदित नीतियों, पद्धतियों एवं अनुदेशों का प्रभावी एवं दायित्वपूर्ण तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कम्पनी ने लेखापरीक्षा समिति द्वारा यथा अनुमोदित एक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचा विकसित और कार्यान्वित किया है जिसमें अंदरूनी संस्था स्तर की नीतियाँ/प्रक्रियाएँ और प्रचालन स्तर की मानक प्रचालन पद्धतियाँ शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य कंपनी के मामलों से जुडे अधिकारियों में जागरूकता लाना है ताकि निर्दिष्ट नीतियों, पद्धतियों, अनुदेशों का पालन सुनिश्चित हो सके जिनके प्रभावी नियंत्रण के लिए वे अभिकल्पित एवं व्यवस्थित हैं। इससे निदेशकों को रिपोर्टिंग, प्रचालन एवं अनुपालन जोखिमों के विषय में नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालनीय कार्यकारिता के बारे में यथा संगत आश्वासन प्राप्त होता है।

वित्तीय विवरणों को लेखा-परीक्षा समिति एवं बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कंपनी द्वारा गृहीत प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानकों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुपालन में तैयार किया जाता है। पूरी कंपनी में इन नीतियों को एक समान लागू किया जाता है। मानक प्रचालन पद्धतियों द्वारा समर्थित लेखांकन नीतियों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अद्यतन किया जाता है। कम्पनी एक व्यवसायी सक्षमकर्ता के रूप में और साथ ही अपनी लेखा बहियों को व्यवस्थित करने के लिए ईआरपी प्रणालियों का प्रयोग करती है। ईआरपी प्रणालियों में निर्मित मानक प्रचालन पद्धतियाँ और लेनदेन संबंधी नियंत्रण, समुचित अभिलेखन, कार्यविधियों का अनुमोदन एवं अभिलेखों का व्यवस्थापन सुनिश्चित करते हैं। इन प्रणालियों, मानक प्रचालन पद्धतियों और नियंत्रणों की प्रबंधन द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी ने अपने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचे में वित्तीय रिपोर्टिंग को प्रभावित करने वाले सभी संबंधित क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक विस्तृत जाँच-सूची संलग्न की है।

आपकी कंपनी ने सभी स्थानों एवं कार्यक्षेत्रों में लेखा-परीक्षा के निष्पादन हेतु अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य वाह्य सनदी लेखाकार फर्मों को सौपा है। आन्तरिक लेखा-परीक्षक संगठन में सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि मुख्यतया पूरे संगठन में ईआरपी कार्यान्वयन द्वारा सरलीकृत हुई है। लेखा- परीक्षा के फलस्वरूप आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की समय-समय पर उपयुक्त स्तर पर समीक्षा की जाती है एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

आंतरिक लेखा परीक्षकों के भौतिक अवलोकन लेखापरीक्षा समिति के पास जमा किए जाते हैं ताकि इनकी समीक्षा एवं विश्लेषण हो सके और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को ज्यादा मजबत बनाने के लिए सलाह दी जा सके । इस प्रकार प्राप्त कार्रवाई रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति के पास समय-समय पर जमा की जाती है।

वर्ष के दौरान, नियंत्रणों को जाँचा-परखा गया था एवं रूपरेखा एवं कार्यकारिता में रिपोर्ट करने लायक कोई भौतिक कमजोरी नजर नहीं आई थी जो कि आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित है एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में कथित है। कंपनी यह मानती है कि आंतरिक नियंत्रण ढांचे की नियमित रूप से समीक्षा और परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बदलते व्यावसायिक परिवेश के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रणालियों को निरंतर आधार पर सुदृढ़ किया गया है।

8.0 प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चाः

8.1 वित्तीय प्रचालनः

8.1.1 प्रचालन से राजस्वः

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21	परिवर्तन %
निर्यात कारोबार	6,364.15	5,162.94	23
देशीय कारोबार	7,694.83	3,706.35	108
कारोबार	14,058.98	8,869.29	59
अन्य प्रचालन आय	121.83	86.50	41
प्रचालन से राजस्व	14,180.81	8,955.79	58

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बिक्री की मात्रा और धातु की औसत बिक्री प्राप्ति में वृद्धि से पिछले वित्त वर्ष के ₹8,869.29 करोड़ के कारोबार की तुलना में कारोबार बढ़कर ₹14,058.98 करोड़ पहुँचा।

एल्यूमिनियम की औसत बिक्री वसूली पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,45,519 से बढ़कर ₹2,20,405 प्रति मे.ट. हो गई है एवं एल्यूमिना की औसत बिक्री वसूली ₹21,395 से बढ़कर ₹31,737 प्रति मे.ट. हो गई है। परिमाण की दृष्टि से एल्यूमिना के बिक्री परिमाण में 0.4% की मामूली वृद्धि हुई है, जबकि एल्यूमिनियम में 8% की वृद्धि हुई है।

वर्ष के दौरान अन्य प्रचालन आय पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में ₹86.50 करोड़ से बढ़कर ₹121.83 करोड़ हो गई है। प्रचालनगत आय में लगभग 41% की वृद्धि मुख्यतया एल्यूमिनियम की अधिक बिक्री वसूली के कारण अधिक निर्यात प्रोत्साहन (01.01.2022 से निर्यात उत्पाद योजनाओं पर शुल्क और करों की छूट की शुरूआत) एवं नवीकरणीय विद्युत उत्पादन पर आरईसी के वर्धित मूल्य संशोधन पर अधिक प्रोत्साहन आय के कारण हुई है।

8.1.2 अन्य आय (गैर-प्रचालनगत):

₹ करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21	परिवर्तन %
अन्य आय	297.42	146.6	103

टिप्पणी: अन्य गैर-प्रचालन आय पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही है जो कि उच्च निवेश योग्य अधिशेष के साथ आयकर रिफंड पर उच्च दर के रिटर्न एवं व्याज के कारण है।

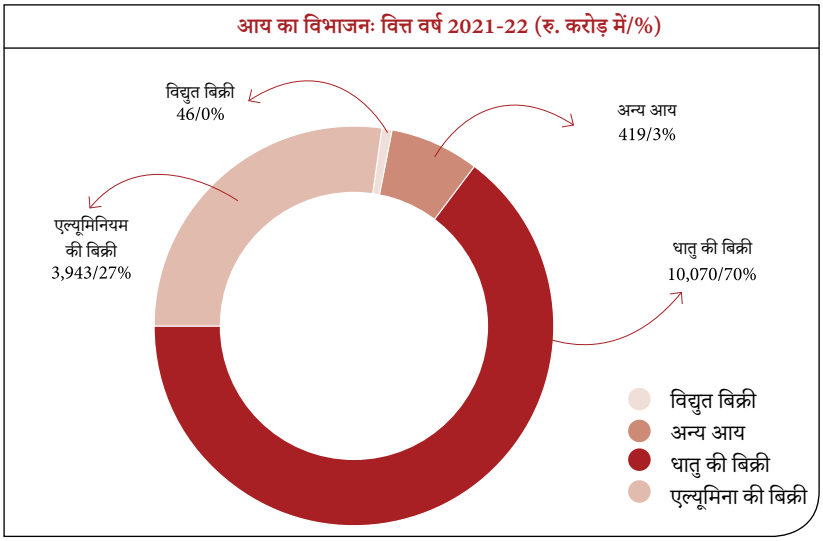

टिप्पणी: अन्य आय में प्रचालन आय शामिल है अर्थात निर्यात प्रोत्साहन और नवीकरणीय ऊर्जा के सृजन पर प्रोत्साहन तथा गैर-प्रचालन आय अर्थात सावधि जमा, म्यूचअल फंड में निवेश से आय एवं अन्य विविध आय।

8.1.3 व्ययः

₹करोड़ में

विवरण	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2020-21**	***कुल परिवर्तन %**
कच्चा माल	1,971.13	1,315.43	45.22
विद्युत एवं ईंधन	3,388.48	2,638.09	11.73
कर्मचारी लाभ व्यय	2,355.80	1,930.24	22.05
स्टॉक में वृद्धि/कमी	(116.83)	(5.76)	1,928.30
अन्य व्यय	2,065.07	1,294.97	59.47
वित्त लागत	23.12	7.08	226.55
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं कमजोरी	836.59	605.82	38.09
कुल	**10,523.36**	**7,785.87**	**35.1**

* कुल व्यय में वृद्धि उत्पादन के स्तर में वृद्धि के प्रभाव को हटाने के बाद है।

टिप्पणी:

(क) पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल और विद्युत एवं ईंधन व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से सीपी कोक, सीटी पि च, कॉस्टिक सोडा और कोयला एवं ईंधन तेल के मूल्य में वृद्धि होने के कारण है। इसके अलावा, बॉक्साइट, एल्यूमिना और धातु के उत्पादन में वृद्धि ने कच्चे माल और विद्युत और ईंधन व्यय को बढ़ाने में भी योगदान दिया है।

(ख) कर्मचारी लाभ व्यय में ₹425.56 करोड़ की वृद्धि मूलतः लाभ से संयोजित निष्पादन संबंधी भुगतान के लिए प्रावधानीकरण एवं बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ देयता में वृद्धि के कारण हुआ है।

(ग) पिछले वर्ष की तुलना में अन्य व्ययों में 59.47% की वृद्धि हुई है जो अतिरिक्त रॉयल्टी (रॉयल्टी का 100%) की शुरूआत और 28.03.2021 से प्रभावी एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के अनुसार परिणामी डीएमएफ और एनएमईटी व्यय और देयता के % के निम्नगामी संशोधन के फलस्वरूप उत्पन्न नवीकरणीय क्रय देयता (आरपीओ) के निम्नमुखी पुनर्मूल्यांकन तथा पिछले वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) के मूल्य को खाते में लिए जाने के कारण हुई है।

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान मूल्यह्रास देवीकोट और लुडर्वा, राजस्थान में डब्ल्यूपीपी के क्षीण प्रावधान के कारण अधिक रहा है।

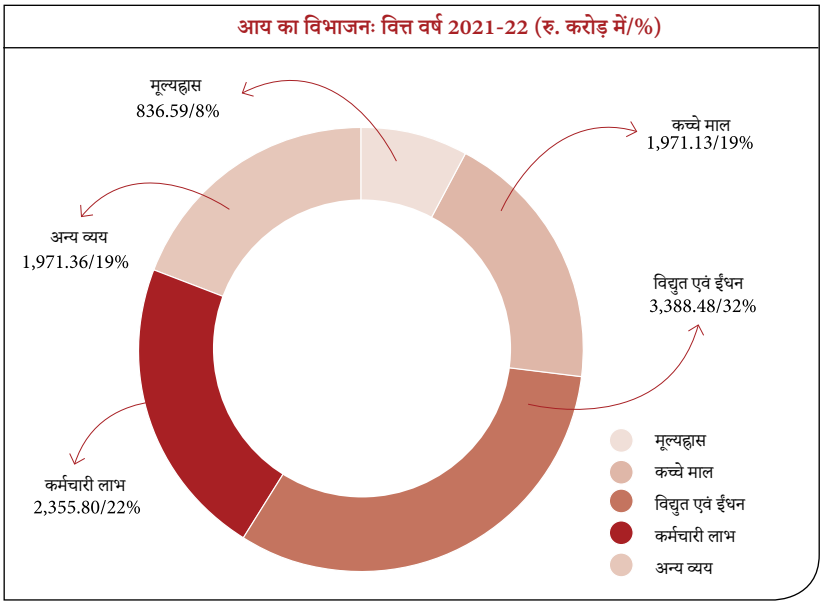

टिप्पणी: अन्य व्यय में मरम्मत एवं अनुरक्षण, स्टोर्स एवं स्पेयर्स की खपत, अन्य निर्माण व्यय, सामान्य प्रशासनिक व्यय, स्टॉक में वृद्धि एवं कमी, वित्त लागत एवं विक्रय और वितरण व्यय शामिल है।

8.1.4 कर पश्चात लाभ एवं प्रति शेयर अर्जनः

₹करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
कर पूर्व लाभ	3,954.87	1,316.52
कर व्यय	1,002.90	16.99
कर पश्चात लाभ	2,951.97	1,299.53
प्रति शेयर अर्जन (रु.5/- प्रत्येक का)	16.07	6.97

8.1.5 लाभांश का विवरणः

₹करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
अंतरिम लाभांश (%)	100%	50%
अंतिम लाभांश (%)	30%	20%
कुल (%)	130%	70%
लाभांश रु./प्रति शेयर में	6.50	3.50

8.2 वित्तीय स्थितिः

₹करोड़ में

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21	परिवर्तन %
परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	7,001.94	7,317.28	(4)
चल रहे पूंजी कार्य	1,763.42	1,180.95	49
अमूर्त	341.27	343.18	(1)
निवेश	377.26	561.63	(33)
मालसूची	1,646.17	1,476.32	12
व्यापार प्राप्य	75.25	147.39	(49)
नकद एवं बैंक	3,706.07	1,749.78	112
ऋण	120.30	116.11	4
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31.91	11.24	184
चालू कर संपत्तियाँ	55.28	85.50	(35)
अन्य परिसंपत्तियाँ	1,687.42	1,326.70	27
कुल	17,277.79	14,710.58	-
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी शेयर पूंजी	918.32	918.32	-
आरक्षित एवं अधिशेष	11,636.32	9,762.38	19
आस्थगित कर देयता	868.18	893.72	(3)
व्यापारिक देय	1,480.71	977.27	52
उधारी	20.67	46.11	(55)
पट्टा देयताएँ	56.43	55.97	1
अन्य वित्तीय देयताएँ	588.92	329.98	78
प्रावधान	387.93	792.80	(51)
अन्य देयताएँ	1,320.31	934.06	41
कुल	**17,277.79**	**14,710.58**	-

(क) संपत्ति संयंत्र और उपकरणों की वहन राशि में कमी राजस्थान में ₹241.11 करोड़ की डब्ल्यूपीपी क्षति के कारण है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान बॉक्साइट रिक्लेमर, लीन स्लरी परियोजना आदि पूंजीकृत की गई है। साथ ही, परिशोधक में आगामी 5वीं धारा और पोट्टांगी में बॉक्साइट खानों के लिए परियोजना-पूर्व व्यय के कारण चल रहे पूंजी कार्य में वृद्धि हुई है।

(ख) म्यूचुअल फंड निवेश में ₹184.37 करोड़ की कमी आई है।

(घ) एल्यूमिना और एल्यूमिनियम दोनों में बिलों में कटौती की वसूली न होने के कारण व्यापार प्राप्य कम हुआ है। वसूली नहीं हुई बिलों के लिए सभी धनराशि की वसूली अप्रैल, 2022 के पहले सप्ताह में की गई है।

(ङ) नकद और बैंक शेष में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्टिंग तिथि को नकद और बैंक शेष में अल्पकालिक निवेश के रूप में बैंक के पास जमा और विवादित बिजली शुल्क के लिए पूर्व में जमा की गई रकम पर व्याज शामिल है।

(च) कच्चे माल और तैयार माल की सूची में वृद्धि के कारण सूची बढ़ गई है।

(छ) ग्रेच्युटी ट्रस्ट (उपदान न्यास) में उपदान की अधिक निधि राशि के कारण अन्य वित्तीय संपत्ति में वृद्धि हुई है।

(ज) वर्ष के दौरान अर्जित लाभ से आरक्षित और अधिशेष बढ़ गए हैं।

(झ) कर्मचारी को देय पीआरपी पर वर्ष के अंत में देयता के कारण व्यापार देय में बढ़ोतरी हुई है।

(ञ) वर्ष के दौरान अन्य देयताओं में वृद्धि मुख्य रूप से बिजली शुल्क के प्रति देयता के भुगतान और अतिरिक्त रॉयल्टी की मांग की वजह से है।

9.0 नियोजित लोगों की संख्या सहित मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के मोर्चे में महत्वपूर्ण विकासः

9.1 मानव संसाधनः

(क) आपकी कंपनी निरंतर सुधार और विकास के पथ पर है। अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को हमेशा सबसे अधिक प्राथमिकता दी है और कोविड चलने के दौरान यह परंपरा और भी मजबूत हुई है।

(ख) औद्योगिक स्थापना के बदलते समय के साथ चलते हुए और विशेष रूप से कोविड, जिसने संगठनों की कार्य संस्कृति में एक बड़ा बदलाव लाया है, के दौरान आपकी कंपनी ने बहुत ही कुशलता के साथ 'वर्क फ्रॉम होम' की नई कार्य संस्कृति को अच्छे से अपनाया है। बदलाव के इस दौर को आसान बनाने के लिए, लैपटॉप की पहल शुरू की गई जिसके तहत अधिकारियों को लैपटॉप देने की व्यवस्था की गई।

(ग) कोविड ने सीमाओं से आगे सोचना और 'नए सामान्य' के रूप में नए बदलावों के साथ चलना सिखाया। कोविड महामारी के कारण जब सारी गतिविधियाँ सुस्त हो गई थीं, तब आपकी कंपनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू की, जिससे लागत और समय दोनों में बचत हुई। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के एग्जिट इंटरव्यू के जवाबों के आधार पर एवं बदलते समय और जरूरतों के साथ चलते हुए, मौजूदा मानव संसाधन नीतियों और प्रक्रियाओं में कुछ अच्छे बदलाव लाए गए हैं और इन नए बदलावों ने कार्यप्रणाली में अपनी जगह बनाई है। कंपनी की व्यापार संस्कृति के प्रचार और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई और बदलावों के बारे में सोचा गया है। आपकी कंपनी प्रमुख खोज एजेंसियों, मियादी आधारित नियुक्तियों, पीएसयू की कुशल सेवानिवृत्त जनशक्ति का एक वर्ग तैयार करने आदि के माध्यम से प्रतिभाओं को प्राप्त करने और क्षमता विकास की राहें खोज रही है ताकि बढ़ती श्रम लागत को कम किया जा सके।

(घ) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी की जनशक्ति 5,520 थी, जबकि पिछले वर्ष की अंतिम तिथि को यह संख्या 5,805 थी। विस्तृत विभाजन निम्नोक्त है:

क्रम सं.	पद*	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
क	कार्यपालक	1,667	1,620
ख	पर्यवेक्षकीय	371	474
ग	कुशल/अति कुशल	3,004	3,201
घ	अकुशल/आंशिक कुशल	478	510
	कुल	5,520	5,805

*स्नातक अभियंता प्रशिक्षु/प्रबंधन प्रशिक्षु/वरिष्ठ परिचालक प्रशिक्षु/कनिष्ठ परिचालक प्रशिक्षु शामिल हैं

9.2 प्रशिक्षण एवं विकासः

उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने और संगठन की व्यवसाय संस्कृति में सुधार लाने के लिए, संगठन के व्यावसायिक लक्ष्य के साथ अपने कर्मचारियों की कार्यकारी और व्यावहारिक क्षमता को उन्नत करने एवं व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों के कौशल विकास और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। निगम सामाजिक दायित्व एवं अच्छे निगम शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर चलते हुए, आपकी कंपनी ठेका कामगारों, प्रशिक्षुओं, प्रबंधकीय एवं तकनीकी संस्थानों से छात्रों और साथ ही स्थानीय लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण भी प्रदान करती है।

नियमित कर्मचारियों के मामले में, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही के दौरान व्याप्त कोविड महामारी लॉकडाउन की परिस्थितियों के बावजूद वर्ष 2021-22 के दौरान 5,787 प्रशिक्षण मानव-दिवसों के साथ 3,159 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान प्रबंधन विकास कार्यक्रमों पर एमडीआई (गुड़गाँव), एएससीआई-हैदराबाद, आईआईएम-अहमदाबाद, आईआईटी-खड़गपुर, सी-डीएसी-पुणे, निदेशक संस्थान (आईओडी), सीआईआई, आईआईसीए, एनई-एमएसएमई, एस.पी. जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट, मुंबई, स्कोप, एनपीसी, डीपीई, आईसीसी, मुंबई और एआईएमए, नई दिल्ली आदि से 230 कार्यपालकों को वर्चुअल बाह्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

वर्ष 2021-22 के दौरान 1,135 अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया जो कंपनी के कर्मचारियों का 20.56% है (अर्थात कर्मचारियों की संख्या 5,520 है) । (राजपत्र अधिसूचना दिनांक 25.09.2019, अनुच्छेद-4 (ii) के अनुसार, प्रशिक्षु नियुक्ति के संबंध में "एक वित्तीय वर्ष में, प्रत्येक प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान की कुल शक्ति के 2.5% से 15% की सीमा में प्रशिक्षुओं को नियुक्त करेगा, ठेकाजनित कर्मचारियों सहित")। कंपनी ने कोविड महामारी की स्थिति के बावजूद अधिनियम में निर्दिष्ट निर्धारित संख्या की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक तकनीकी डिग्री में अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्ति दी है।

निगम उत्तरदायित्व और उद्योग शैक्षिक अंतरापृष्ठ के तौर पर, देश भर के विभिन्न तकनीकी और प्रबंधन संस्थानों के 224 छात्रों ने महामारी के दौरान वर्चुअल मोड के माध्यम से आपकी कंपनी में विभिन्न कार्यकारी क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था।

10.0 प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनः

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21
कर पश्चात लाभ/शुद्ध मूल्य	23.51%	12.17%
ईबीआईटी/शुद्ध बिक्री	28.30%	14.92%
ईबीआईटी/नियोजित पूंजी*	37.08%	13.35%

*नियोजित पूंजी=शुद्ध स्थायी परिसंपत्ति (सीडब्ल्यूआईपी को छोड़कर) + कार्यकारी पूंजी

11.0 शुद्ध मूल्य पर रिटर्न में परिवर्तनः

विवरण	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2020-21	परिवर्तन %
प्रचालनगत लाभ सीमा	32.13	20.10	59.85
शुद्ध मूल्य पर रिटर्न	23.51	12.17	93.18

टिप्पणी: प्रचालन लाभ सीमा में वृद्धि धातु और एल्यूमिना की उच्च वसूली (रुपये में), बिक्री के परिमाण और निर्यात प्रोत्साहन में वृद्धि के कारण है। इसने शुद्ध मूल्य पर उच्च रिटर्न (प्रतिफल) में भी योगदान दिया है।

12.0 सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण:

आपकी कंपनी, एक नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो सुरक्षा पहलुओं के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाने के लिए सदा प्रतिबद्ध रही है और भावी पीढ़ी के लिए पर्यावरण को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए अपने सभी कार्यों में इसे सबसे अधिक प्राथमिकता देती है। कंपनी के औद्योगिक कार्यकलापों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से 4 आर सिद्धांतों (रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिडिजाइन) पर विशेष जोर दिया गया है। कंपनी में कर्मचारियों के सुस्वास्थ्य के लिए पहले से उचित कदम उठाने हेतु स्वास्थ्य की स्थिति पर निगरानी को प्राथमिकता दी जाती है।

सभी उत्पादन एककों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों (आईएसओ14001) के साथ-साथ व्यवसायजनित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 45001) पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों से प्रमाणित किया गया है जो निरंतर सुधार के साथ पहले से सक्रिय अनुपालन करने की संकल्पबद्धता की स्वीकृति देते हैं। इसके अलावा, अपने सभी परिचालन एककों में स्वच्छ और हरित पर्यावरण के निर्माण के लिए, 5 एस सिद्धांत को अपनाया गया है ताकि संगठन की देखरेख व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके और संयंत्र में एवं उसके आसपास बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा सके। उत्पादन एककों में टाउनशिप सहित इसके सभी उत्पादन एकक वायु और जल अधिनियम के तहत वैध "प्रचालन की सहमति", विभिन्न लागू कानून (संकटजनक अपशिष्ट प्राधिकरण, जैवचिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकरण आदि) के तहत वैध प्राधिकरण, विभिन्न लागू कानून (कारखाना लाइसेंस, विस्फोटक लाइसेंस आदि) के तहत वैध लाइसेंस और वैध एनओसी आदि के साथ कार्य कर रहे हैं।

आपकी कंपनी ने कर्मचारियों, कामगारों, आपूर्तिकर्ताओं आदि में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बारे में जागरूकता को प्रोत्साहित करने के लिए सभी कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए "रासायनिक आपदा निवारण दिवस", "सड़क सुरक्षा माह", "राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह", "विश्व पर्यावरण दिवस", "राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस", "पृथ्वी दिवस", "ओजोन दिवस", "विद्युत सुरक्षा सप्ताह", "वनमहोत्सव" आदि मनाया।

वर्ष के दौरान नालको के सभी उत्पादन एककों में सुरक्षा, व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में एकक विशिष्ट सुधार किए गए जो नीचे विस्तार से वर्णित है:

12.1 बॉक्साइट खानः

12.1.1 सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्यः

(क) प्रत्येक विभाग में मासिक आधार पर सुरक्षा सभा/सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया जा रहा है।

(ख) ऑनलाइन असुरक्षित स्थितियों, असुरक्षित कार्यों, लगभग चूक, आग के खतरों आदि की सूचना देने के लिए नालको सुरक्षा मोबाइल ऐप को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।

(ग) दर्शकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क की स्थापना की गई है।

(घ) सुरक्षा मामलों के प्रबंधन के लिए विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों से बनी एक टीम के रूप में नालको सुरक्षा चक्र का गठन किया गया है।

(ङ) जून, 2021, अक्टूबर, 2021, दिसंबर, 2021 और मार्च, 2022 में मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक आयोजित की गई।

(च) 20.10.2021 से 22.10.2021 तक बाहरी सुरक्षा लेखापरीक्षा का निष्पादन किया गया है।

(छ) कोविड-19 दिशानिर्देशों का पालन करते हुए 315 कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से पीएमई का संचालन किया गया।

(ज) पंचपटमाली बॉक्साइट खानों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में सर्वोत्तम अभ्यासों के पालन के लिए 17वाँ सीआईआई ओड़िशा उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ।

(झ) पंचपटमाली बॉक्साइट खानों को आईक्यूईएमएस द्वारा दिसंबर, 2021 में आयोजित निष्पादन वर्ष, 2020 के लिए ओड़िशा राज्य सुरक्षा सम्मेलन में कलिंग सुरक्षा पुरस्कार (प्लैटिनम) से पुरस्कृत किया गया।

(ञ) आईक्यूईएमएस द्वारा दिसंबर, 2021 में आयोजित ओड़िशा राज्य सुरक्षा सम्मेलन में वर्ष 2021 में निष्पादन के लिए सुरक्षा अधिकारी (खान), पंचपटमाली बॉक्साइट खान को राज्य के सर्वोत्तम सुरक्षा अधिकारी से सम्मानित किया गया।

12.1.2 पर्यावरणः

(क) 1,10,000 वृक्षों के लक्ष्य की तुलना में खानों में और उसके आसपास 1,10,263 वृक्ष लगाए गए।

(ख) साथ ही, गाँववासियों में वृक्षारोपण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों में 5,000 फलदार पौधों का वितरण किया गया।

(ग) लक्ष्य के अनुसार खानों के अंदर 7,000 वर्ग मीटर में घास बिछाई गई।

(घ) कैंटीन से जैविक कचरे के उपचार हेतु दो और बायो-गैस संयंत्र स्थापित किए गए थे, जिससे बायो-गैस संयंत्रों की कुल संख्या तीन तक पहुँची।

(ङ) वर्ष के दौरान, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओड़िशा से खान को प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ।

(च) वर्ष के दौरान, खान को सीआईआई ईस्टर्न रीजन एसएच एंड ई एक्सीलेंस एप्रिसिएशन पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ।

(छ) वर्ष के दौरान, खान को पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में असाधारण प्रयासों के लिए ग्रीनटेक फाउंडेशन, नई दिल्ली से ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2021 भी प्राप्त हुआ।

(ज) वर्ष के दौरान, खान को अखिल ओड़िशा सीआईआई एसएच एंड ई एक्सीलेंस अवार्ड 2021 प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल हुआ।

12.2 एल्यूमिना परिशोधकः

12.2.1 सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्यः

(क) कोविड -19 के सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए कुल 2,158 ठेकेदार श्रमिकों ने अनुबंध श्रम प्रबंधन प्रणाली (सीएलएमएस) और अन्य साइट जागरूकता प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसके अलावा, कोविड -19 के सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए नियमित टूल बॉक्स टॉक और क्षेत्रवार सुरक्षा समागम के माध्यम से सुरक्षा जागरूकता पर लोगों को संवेदनशील किया गया है।

(ख) टाउनशिप सहित एल्यूमिना परिशोधक में साथ-साथ मासिक क्षेत्रवार सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें कुल 9,350 कामगारों को शामिल किया गया था।

(ग) असुरक्षित कार्यों/परिस्थितियों की पहचान करने और सुरक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचित करने/अनुपालन के लिए 10 सूत्री कार्रवाई के अंश के रूप में "नालको सुरक्षा ऐप" का कार्यान्वयन किया गया है।

(घ) भारी वाहनों के चालकों और सहायकों के लिए मटीरियल गेट में नई डिजिटल गेट-पास प्रणाली में विस्तार किया गया।

(ङ) आगंतुकों, प्रशिक्षुओं, हितधारकों आदि के लिए, एल्यूमिना परिशोधक में संयंत्र परिसर में प्रवेश करने से पहले सुरक्षा जागरूकता की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने हेतु, मार्च, 2021 में सुरक्षा प्रशिक्षण कियोस्क स्थापित किए गए थे।

(च) 2 सांविधिक मॉक ड्रिल का संचालन किया गया था। इसके अलावा, ओडीआरएएफ टीम, सीआईएसएफ और स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से एक निकासी ड्रिल का अभ्यास किया गया था।

(छ) दिनांक 24.12.2021 को जिला प्रशासन द्वारा एक ऑफ-साइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें एल्यूमिना परिशोधक ने सक्रिय रूप से भाग लिया और यह कार्यक्रम सफल साबित हुआ।

(ज) 4 दिसंबर, 2021 को वार्षिक ईएचएस पत्रिका "सुरक्षा कवच" के 26वाँ संस्करण का विमोचन किया गया।

(झ) वर्ष के दौरान प्राप्त मुख्य पुरस्कार:

i) एल्यूमिना परिशोधक को दिसंबर, 2021 में आईक्यूईएमएस द्वारा आयोजित निष्पादन वर्ष -2020 के लिए ओड़िशा राज्य सुरक्षा सम्मेलन में कलिंग सुरक्षा पुरस्कार (गोल्ड) से सम्मानित किया गया।

ii) एल्यूमिना परिशोधक को अक्टूबर, 2021 में आईक्यूईएमएस द्वारा आयोजित निष्पादन वर्ष, 2020 के लिए कलिंग पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

iii) कोविड-19 के सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वर्ष 2021 में 1,412 कर्मचारियों के लिए नियमित पीएमई का आयोजन किया गया।

12.2.2 पर्यावरणः

(क) डीएफ एंड बी, एसपीसीबी, सीपीसीबी और वन एवं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आदि के संबंध में सभी वैधानिक अनुपालन और रिटर्न (प्रतिफल) समय पर जमा किए गए।

(ख) एल्यूमिना परिशोधक ने वर्ष 2021-22 के दौरान 100.37% उड़नशील राख उपयोगिता हासिल की है।

(ग) वर्ष के दौरान 15,000 वृक्षों के लक्ष्य की तुलना में 15,424 पौधे लगाए गए।

(घ) सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार एसटीपी निर्वाह जल गुणवत्ता के अनुरूप एसटीपी - IV का नवीनीकरण पूरा किया गया है।

(ङ) खतरनाक अपिशष्ट जैसे कि परित्यक्त एस्बेस्टस, रिक्त रसायन कंटेनरों/बैरलों, स्पेंट रेजिन का निपटान अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से किया गया है।

12.3 प्रद्रावक संयंत्रः

12.3.1 सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्यः

(क) सुरक्षा निष्पादन के पैमाने पर, कोई रिपोर्ट करने योग्य और गैर-रिपोर्ट योग्य दुर्घटनाएं नहीं घटी हैं।

(ख) ऊँचाई पर काम करने के लिए एक वर्टिगो टेस्ट प्लेटफॉर्म (चक्कर परीक्षण मंच) तैयार किया गया है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष के दौरान 84 श्रमिकों का परीक्षण किया गया है।

(ग) मेसर्स लाइफ गियर, मुंबई (परामर्शदाता) की सिफारिश पर गिरने से सुरक्षित रखने के विभिन्न उपायों जैसे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइफलाइन, स्थायी वॉकवे, एज प्रोटेक्शन, स्काईलाइट प्रोटेक्टर्स और अन्य सुरक्षा उपायों के संबंध में वित्त पोषण की मंजूरी दी गई है और इस सिलसिले में काम शुरू हो चुका है।

(घ) 11 मीटर एरियल वर्क प्लेटफॉर्म (हवाई कार्य मंच) से सज्जित एक ट्रक को भी खरीदा गया और ऊँचाई के विभिन्न कार्यों के लिए जोर-शोर से उपयोग किया जा रहा है। एक और 42 मीटर एरियल प्लेटफॉर्म खरीद की अग्रिम चरण में है।

(ङ) रोलिंग संयंत्र में 20 अदद स्काई लाइट प्रोटेक्टर खरीदे गए और लगाए गए।

(च) नवीनतम हस्तक्षेपों सहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, प्रद्रावक संयंत्र के अंदर रोड सेफ्टी ऑडिट के निष्पादन के लिए परामर्श प्रदान किया गया। रोड सेफ्टी ऑडिट को पूरा कर लिया गया है। अनुपालन के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है।

(छ) संयंत्र और टाउनशिप के अंदर विभिन्न स्थानों में पर्याप्त संख्या में रोड स्टॉप बैरिकेड का निर्माण किया गया है और लगाया गया है।

(ज) पॉटलाइन में निजी वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए वाहन अभिगम नियंत्रण प्रणाली की स्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है।

(झ) प्रद्रावक संयंत्र के अंदर एएनपीआर सीसीटीवी कैमरे (14 अदद) लगाने का आदेश दिया गया।

(ञ) पहली बार एक हजार की संख्या में सेफ्टी वाइज़र खरीदे गए और गर्म धातु के संचालन क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए संबंधित विभागों को जारी किए गए। भविष्य में एपी मद के रूप में इसकी खरीद की जाएगी।

(ट) सुरक्षा का निरीक्षण करने के लिए नालको सुरक्षा मोबाइल ऐप सुरक्षा अधिकारियों और सभी कार्यपालकों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। सुरक्षा के लिए प्रद्रावक में आंतरिक रूप से विकसित सुरक्षा मोबाइल ऐप के लिए नालको को सामूहिक रूप से सीआईआई आईसीटी (सूचना संचार और प्रौद्योगिकी) पुरस्कार दिया गया।

(ठ) पीटीएम नं. 8, 9, 16 और 20 में रडार प्रौद्योगिकी पर आधारित टकराव रोधी प्रणाली आरंभ की गई।

(ड) कास्ट हाउस-ए में 300 मीटर की आच्छादित बस बार की स्थापना का कार्य पूरा किया गया।

(ढ़) प्रद्रावक संयंत्र में सुरक्षित और स्वस्थ कार्य परिवेश के लिए योजना बनाने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। विस्तृत कार्य योजना और समय-सीमा के साथ समिति की रिपोर्ट जमा की गई और समय-समय पर निगरानी की गई।

(ण) संशोधित ऑन-साइट आपातकालीन योजना तैयार करने के लिए परामर्श प्रदान किया गया।

(त) एमएसटीसी के माध्यम से नियोजित स्क्रैप और सैल्वेज विक्रेताओं को कम अवधि के पास का उपयोग करके कार्य करने के लिए अनुमति देने से पहले पीपीई के उपयोग का अनुपालन करने हेतु एक नई प्रक्रिया का विकास किया गया था।

(थ) तप्त कार्य या आपात उपयोगी कार्य में उपस्थित होने के लिए सीआईएसएफ फायर सर्विस की आवश्यकता के तहत अग्नि सुरक्षा जाँचसूची के साथ एक मानकीकृत प्रारूप की अनुमति दी गई है और यह उपयोग में है।

(द) 26 जून, 2021 से दूसरा राष्ट्रीय विद्युत सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। विद्युत सुरक्षा सप्ताह के दौरान विद्युत सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विद्युत सुरक्षा निरीक्षण किया गया।

(ध) सांविधिक प्राधिकारियों के साथ अनुसूची के अनुसार नियमित रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

(न) कोविड की नियमावलियों का पालन करते हुए कर्मचारियों, जीईटी, प्रशिक्षुओं और अनुबंध कामगारों के लिए नियमित रूप से सुरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 580 प्रतिभागियों के साथ कर्मचारियों के लिए कुल 31 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और 2,042 प्रतिभागियों के साथ अनुबंध कामगारों के लिए कुल 221 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया।

(प) कोविड-19 के सभी नियम-कायदों का पालन करते हुए वर्ष 2021 में 2,362 कर्मचारियों के लिए नियमित पीएमई का आयोजन किया गया।

12.3.2 पर्यावरणः

(क) कट पिन आदि के लिए स्क्रैप और सैल्वेज यार्ड के कंक्रीट प्लेटफॉर्म का निर्माण पूरा किया गया।

(ख) अपशिष्ट से ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एसपीएल के लगभग 5,896 मे.ट. कार्बन अंश का निपटान अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता मेसर्स ग्रीन एनर्जी के माध्यम से किया गया।

(ग) वित्त वर्ष 2021 से 2022 के दौरान अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को लगभग 30,399 मे.ट. एल्यूमिनियम ड्रॉस की बिक्री की गई।

(घ) संयंत्रों के सभी चिमनियों एवं अस्थायी निस्सरण से निस्सरण के अवलोकन के लिए 3 अदद निगरानी कैमरों की आपूर्ति, स्थापना और शुरुआत की गई।

(ङ) पॉट लाइन I, II और III में ऑन लाइन अस्थायी फ्लोराइड निगरानी प्रणाली को स्थापित करने का का कार्य प्रगति पर है। साइट पर सामग्री प्राप्त की गई।

(च) ऑनलाइन इंसिनरेटर स्टैक मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना और शुरुआत की गई। डेटा ओएसपीसीबी सर्वर पर आंकड़ों को अपलोड किया जा रहा है।

(छ) बेक ओवन की चिमनियों में ऑनलाइन एसओ2 निगरानी प्रणाली को स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

12.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्रः

12.4.1 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षाः

(क) सेफ्टी पार्क में ऊँचाई के कार्य में नियोजित ठेकेदार कामगारों का चक्कर परीक्षण नालको ओएचसी चिकित्सक द्वारा किया गया है।

(ख) मेसर्स लाइफ, गियर मुंबई द्वारा ऊँचाई कार्य की सुरक्षा (लाइफलाइन लगाये जाने) के लिए सर्वेक्षण किया गया है।

(ग) सुरक्षित पर्यावरण और सर्वोत्तम सुरक्षा अभ्यासों के लिए, एक सेफ्टी पार्क बनाया गया है जिसमें मचान, सीमित स्थान, उत्खनन, क्लोरीन सिलेंडर के नमूने और चक्कर परीक्षण की व्यवस्था का प्रदर्शन किया जाता है।

(घ) विक्रेता मेसर्स आनंद फैब्रिकेटर्स द्वारा दिनांक 14.02.2022 को आपूर्ति की गई एक नई डीसीपी निविदा की खरीद की गई थी और सीआईएसएफ (फायर विंग) को दी गई।

(ङ) विभिन्न सुरक्षा विषयों पर आरएलआई (कानपुर, कोलकाता और शिलांग) के माध्यम से बाहरी सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें ग्रहीत विद्युत संयंत्र के 259 कर्मचारी शामिल हुए थे।

(च) सुरक्षा प्रशिक्षण हॉल में ठेकेदार कामगारों के लिए ऑडियो-वीडियो प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2021 में, 1,010 ठेकेदार कामगारों के साथ 75 सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

(छ) सुरक्षा और पर्यावरण जागरूकता के लिए संयंत्र के विशिष्ट स्थानों पर रिफ्लेक्टिव साइनेज बोर्ड प्रदर्शित किए गए थे।

(ज) दुर्घटना रोकने के लिए ग्रहीत विद्युत संयंत्र में डायरेक्टोरेट ऑफ फैक्टरीज एंड बॉयलर्स, ओड़िशा द्वारा जारी 10 सूत्री कार्य योजना लागू की गई है। उपर्युक्त कार्य योजनाओं में शामिल विषय हैं- वार्षिक सुरक्षा कैलेंडर, सुरक्षा सभा और उद्योगों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अग्रिम कार्रवाई (एएआईएनएए-मॉडल कार्यस्थल), सेफ्टी मोबाइल ऐप, सेफ्टी मिल्र, सेफ्टी टच, सेफ्टी हॉट स्पॉट, प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठेकेदारों द्वारा मॉक ड्रिल और सुरक्षा अनुपालन।

(झ) सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए ग्र.वि.सं. में सेफ्टी मोबाइल ऐप लागू किया गया। शीघ्र अनुपालन के लिए इस ऐप के माध्यम से असुरक्षित कार्यों/स्थितियों से संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ञ) असुरक्षित कार्यों/स्थितियों को रोकने के लिए ग्र.वि.सं. में लगभग चूक रिपोर्टिंग पुरस्कार योजना लागू की गई है।

(ट) कोविड-19 के सभी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए वर्ष 2021 में 884 कर्मचारियों के लिए नियमित पीएमई का आयोजन किया गया।

12.4.2 पर्यावरणः

(क) 100% राख उपयोगिता का लक्ष्य हासिल करने के लिए परित्यक्त आवंटित खान रिक्त में लीन स्लरी प्रोजेक्ट (एलएसपी) में राख निपटान की आरंभ की गई गतिविधियाँ जुलाई, 2021 में पूरी कर ली गई हैं। नवंबर, 2021 से 100% से अधिक राख का उपयोग किया गया।

(ख) वर्ष 2021-22 में संचयी राख का उपयोग 85.63% था।

(ग) मार्च, 2022 में स्टैक निस्सरण की निगरानी के लिए 2 अदद एचडीआईपी निगरानी कैमरा स्थापित किए गए हैं और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एसपीसीबी में यंत्र आईडी और आईपी एड्रेस संचारित किया गया है।

(घ) ग्र.वि.सं. में एफजीडी के लिए मेसर्स एनटीपीसी कंसल्टेंसी विंग से डीपीआर प्राप्त हो चुकी है।

(ङ) राख तालाब के पर्यावरण स्थल के आकलन के लिए मेसर्स सीएसआईआर-एनईईआरआई को नियोजित किया गया है। ड्राफ्ट रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है।

(च) स्टैक निस्सरण में और सुधार लाने के लिए, एकक के वार्षिक जीर्णोद्धार के दौरान एकक -5 और एकक -6 के ईएसपी के प्रथम 4 फील्ड में सुधार किया गया है।

(छ) नालको के ग्रहीत विद्युत संयंत्र ने वर्ष 2021-22 में 2,450 पौधों को लगाया है। स्थापना के बाद से प्रायः 34.56% के कुल क्षेत्रफल में अभी तक लगभग 12.23 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं।

(ज) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, राख तालाब के 1,44,77,860 घनमीटर अतिवाही पानी का पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग किया गया था।

(झ) वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, वर्षा जल दोहन प्रणाली से 24,36,554 घनमीटर पानी का पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग किया गया।

(ञ) राख तालाब-IV का सुधार और स्थिरीकरण कार्य पूरा किया गया।

(ट) तालाब-II के भाग ए और भाग-बी दोनों में 107 एमआरएल से 115 एमआरएल तक 4 चरणों में राख टीले का निर्माण पूरा किया गया है। निर्माण के लिए लगभग 65.0 लाख घनमीटर तालाब की राख का उपयोग किया गया था।

(ठ) औद्योगिक बहिःस्राव, राख तालाब के अतिवाही जल और सीवरेज उपचार संयंत्र उपचारित जल के संबंध में शून्य निर्वहन प्राप्त किया गया है।

(ड) राख तालाब में 2x300 घन मीटर/घंटा पुनर्चक्रण क्षमता की जल रिसाव पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण किया गया है ताकि राख प्रबंधन प्रणाली में रिसने वाले पानी का पुन: उपयोग हो सके ।

13.0 प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण:

वर्ष 2021-22 के लिए प्रौद्योगिकी संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण से संबंधित विवरण निदेशक की रिपोर्ट के **अनुलग्नक-IV** में उल्लिखित है।

14.0 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व:

वर्ष 2021-22 के लिए प्रौद्योगिकी निगम सामाजिक उत्तरदायित्व के संबंध में आपकी कंपनी द्वारा की गई पहलों का विवरण निदेशक की रिपोर्ट के **अनुलग्नक - I** में उल्लिखित है।

15.0 महत्वपूर्ण कच्चे सामानों की विशिष्ट खपत में सुधार लाने हेतु लागत कटौती प्रयास और उपाय:

प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तैयार उत्पादों की लागत एक महत्वपूर्ण मापदंड है। आपकी कंपनी ने लागत को कम करने के कई उपाय अपनाए हैं जिनसे उत्पाद की लागत में कमी लाने में मदद मिली है और आपकी कंपनी को अधिक सफल बनाया है। लागत में कमी लाने के एककवार विशिष्ट उपायों का वर्णन नीचे किया गया है

15.1 खानः

(क) क्रशर और कन्वेयर अनुभाग में पॉली पुली हब (1,652 अदद) और आइडलर (3,162 अदद) के पुनरुद्धार और इसके उपयोग से लागत में बचत हुई है।

(ख) एसएमसीपी में उनके जीवनकाल को बढ़ाने के लिए एसएमसीपी क्रशर के क्रशिंग सेगमेंट के पुनर्निर्माण से बचत हुई है।

(ग) ईंधन योज्य के उपयोग से डंपरों में डीजल की खपत में कमी के फलस्वरूप परीक्षण-पूर्व अवधि के संदर्भ में एचएसडी की औसत 5.16% बचत हुई है।

(घ) खनन मुहाने में वाहनों की पार्किंग से डीजल की खपत में की गई कमी के फलस्वरूप वर्तमान वर्ष में 128.5 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।

(ङ) रिपर डोजर-व्हील लोडर संयोजन के बदले बैकहो शॉवल के अधिक उपयोग से डीजल की खपत में कमी आई है जिससे लगभग 57 कि.ली. की बचत हुई है।

15.2 एल्यूमिना परिशोधकः

(क) स्पेंट लिकर फीड पंप-1138ए के प्रचालन को डीओएल से वीएफडी मोड में उन्नयन से कार्यान्वयन-पूर्व अवधि के संदर्भ में लगभग 15% विद्युत ऊर्जा की बचत हुई है।

(ख) पारंपरिक ऑक्सी-एसिटिलीन कटिंग मशीन को बदलने के लिए इलेक्ट्रिकल रिपेयर शॉप में निर्माण कार्यों के लिए नई प्लाज्मा कटिंग मशीन की स्थापना से ऊर्जा की बचत हुई।

(ग) जीआईडब्ल्यू प्रस्तुतकारक बेयर शैफ्ट पंप एलसीसीएम 250-660-4एम के लिए वैकल्पिक विक्रेता के विकास से बचत हुई।

(घ) बार-बार विफलता से बचने के लिए टैंक 1,005 एजिटेटर शैफ्ट और गियरबॉक्स का रूपांतरण कर लिया गया है जिसके फलस्वरूप बचत हुई है।

(ङ) वैकल्पिक स्रोत से ओईएस में बॉल मिल 003, 004, 005 के वॉयथ कपलिंग पैड के विकास से बचत हुई है।

(च) स्वदेशी स्रोत से स्लरी फ्लो रेगुलेटर वाल्व के विकास के परिणामस्वरूप बचत हुई है।

(छ) वित्त वर्ष 2021-22 में पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान में कुल 7,100 एलईडी फिटिंग लगाए जाने से 8,96,724 कि.वा. घंटा की ऊर्जा बचत की गई।

15.3 प्रद्रावकः

(क) कैथोड ब्लॉक का ग्रैफिटाइजेशन: ग्रैफिटाइज किए हुए कुल 864 पॉट प्रचालन में हैं, जिनमें से 74 पॉट को 2021-22 में ग्रैफिटाइज किया गया है, जो पॉट लाइन में 55 कि.वा.घ. / मे.ट. / पॉट की दर से विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत को कम करने में सक्षम है।

(ख) प्रद्रावक ने विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से रियो टिंटो/अल्कान, कनाडा और नालको के बीच विकास सहयोग अनुबंध के तहत एक पायलट परियोजना अर्थात "प्रद्रावक संयंत्र (एपी2एक्सएन) के लिए कम ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी का विकास" शुरू किया है। पॉट लाइन में विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत के 150 कि.वा.घ./मे.ट. की सीमा में ऊर्जा की कमी के साथ पॉट लाइन #3 में परीक्षण को पूरा कर लिया गया है।

(ग) कार्बन रॉडिंग शॉप-II में द्वितीय एनोड स्लॉट कटिंग मशीन की स्थापना की गई है, ताकि पॉट लाइन में विशिष्ट विद्युत ऊर्जा में कमी आ सके। इससे लगभग 50एम वी ड्रॉप की कमी आएगी और इसलिए 140 कि.वा.घं. / टन तप्त धातु से डीसी ऊर्जा की खपत को कम करेगा और प्रक्रिया स्थिरता में भी सुधार लाएगा। इस उपकरण का परीक्षण प्रगति पर है।

(घ) केन्द्रपसारी संपीडक से प्रत्यागमनी संपीडक की बदली ताकि संपीडित हवा की विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम किया जा सके, विशिष्ट ऊर्जा खपत को 0.02 कि.वा. घं./एनएम 3 तक कम किया जा सके। यह परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और आरंभ किए जाने और पीजी परीक्षण के लिए नियत है।

(ङ) नए ऊर्जा बचतकारी सिलिंडरों का उपयोग करके 62% (औसत) की दर से संपीडित हवा की खपत को कम करने के उद्देश्य से पॉट लाइन # 4 के 47 पॉट में ब्रेकर असेंबली में ऊर्जा बचत उपकरण को पेश किया गया है।

(च) 111 अदद आईई-3 क्लास एलटी मोटर से 111 नग मानक दक्षता वाले एलटी मोटर (0.55 कि.वा.से 55 कि.वा. तक) को बदलने के फलस्वरूप 8,36,556 कि.वा.घं./वर्ष (0.83 मि.यू) की ऊर्जा बचत हुई है।

(छ) एनोड बेकिंग फर्नेस (एबीएफ)-I में मेन रिंग डैम्परों की स्थापना ताकि बेकिंग फर्नेस में ईंधन तेल की खपत को कम किया जा सके। कुल 86 अदद रिंग डैम्परों की खरीद की गई। एबीएफ-1 के 4 फायर्स में दिनांक 21/08/2021 को स्थापना पूरी हुई और सामान्य प्रचालन के लिए ऑपरेशन को सौंप दिया गया।

15.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र (सीपीपी):

(क) अत्याधुनिक उन्नत प्रोफाइल हीटिंग तत्व और दोहरी बंदी व्यवस्था के साथ एकक-3 में मौजूदा एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण और आधुनिकीरण दिसंबर, 2021 में पूरा हुआ। इसके फलस्वरूप हवा के रिसाव में कमी आने और ताप हस्तांतरण में वृद्धि आने के कारण बॉयलर दक्षता में वृद्धि हुई है।

(ख) एकक -3 और 9 में मौजूदा कंडेनसेट एक्सट्रैक्शन पंप (सीईपी) को 7 चरणों से 6 चरणों में डी-स्टेजिंग कार्य को पूरा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत खपत में 40 कि.वा. प्रति यूनिट की कमी आई।

(ग) एकक-8 में इनर केसिंग सहित एचपी-आईपी रोटर को नए रोटर से बदलने का कार्य अक्टूबर-2021 में पूरा हुआ। प्रतिस्थापन के बाद एकक-8 की ताप दर 170 किलो कैलोरी/किलोवाट घंटा कम हो गई।

(घ) सड़क माध्यम से कोयला प्राप्त करने के लिए 1 जनवरी, 2022 को कोयला परिवहन कॉरिडोर परियोजना आरंभ की गई।

(ङ) वित्त वर्ष 2021-22 में पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान में कुल 8,343 नग एलईडी फिटिंग को बदलने से 15,29,732 कि.वा.घं. की ऊर्जा बचत हासिल हुई।

16.0 लेखाकर उपचार का प्रकटनः

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड ए.एस. और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य पर, कुछ वित्तीय साधनों को छोड़कर, वित्तीय विवरण नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित अनुसार ऐतिहासिक आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित अन्य मानकों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू रूप में वर्गीकृत हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

17.0 निगम योजनाः

निगम योजना में 3 वर्षों की कार्य योजना, 7 वर्षों की रणनीति एवं 15 वर्षों की दूरदर्शिता पर विचार किया गया है ताकि कंपनी के बॉटम लाइन एवं टॉप लाइन में सुधार लाया जा सके। लम्बी अवधि में, वस्तुचक्र के प्रभाव से पार पाने के लिए कंपनी को एक प्रतिस्पर्धी उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से इसने कार्यात्मक एवं व्यवसाय पहलुओं को चिह्नित किया है।

नई व्यवसाय पहल में, प्रमुख व्यवसाय में विस्तार के माध्यम से वृद्धि, मूल्य वर्धन, अनुप्रवाह सुविधाओं के माध्यम से अग्रेषण एकीकरण, चयनित विविधीकरण एवं कच्ची सामग्री की सुरक्षा के लिए पश्चगामी एकीकरण शामिल है। चिह्नित कार्यात्मक एवं व्यावसायिक प्रयास कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

आपकी कंपनी मौजूदा समय में अपने एल्यूमिना परिशोधक का ब्राउनफील्ड विस्तार कर रही है जिससे इसकी क्षमता में प्रति वर्ष 1 मिलियन टन की बढ़ोतरी होगी। एल्यूमिनियम खंड में, आपकी कंपनी प्रद्रावक संयंत्र के 0.5 मिलियन टन ब्राउनफील्ड विस्तार के लिए विभिन्न विद्युत सोर्सिंग के विकल्प की तलाश कर रही है।

कच्चे सामान की सुरक्षा के लिए, आपकी कंपनी पोट्टांगी बॉक्साइट खान और उत्कल-डी एंव ई कोयला खान जैसी खानों को खोलने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने गुजरात के दहेज में जीएसीएल के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से एक कॉस्टिक सोडा संयंत्र स्थापित कर रही है जो महत्वपूर्ण कच्चे सामानों की आवश्यकता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

18.0 व्यवसाय विकासः

18.1 मेसर्स गुजरात अल्कालिज एंड केमिकल्स लि. (जीएसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में कॉस्टिक सोडा परियोजना

आपकी कंपनी ने गुजरात के दाहेज में 2.7 लाख टन प्रति वर्ष कॉस्टिक सोडा संयंत्र एवं 130 मे.वा. ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं .) की स्थापना के लिए जीएसीएल के साथ 40% की इक्विटी भागीदारी के साथ मेसर्स जीएसीएल-नालको अल्कालिज एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (जीएनएएल) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है ताकि कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक अंश के तौर एल्यूमिना परिशोधक की कॉस्टिक सोड़ा आवश्यकता को पूरा कर सके। नालको और जीएनएल ने सितंबर, 2021 में कॉस्टिक सोडा आपूर्ति अनुबंध का निष्पादन किया।

परियोजना गतिविधियों का लगभग 97% पूरा हो चुका है। कॉस्टिक वाष्पीकरण एकक आंशिक रूप से चालू हो गया है और 31 मार्च, 2022 तक 100 मेट्रिक टन कॉस्टिक सोडा लाई का उत्पादन किया गया। कॉस्टिक सोडा संयंत्र में, 02 इलेक्ट्रोलिसिस सेल ने मई, 2022 से कॉस्टिक सोडा का उत्पादन शुरू किया। अक्टूबर, 2022 तक यह परियोजना पूर्ण होने के लिए निर्धारित है। आपकी कंपनी प्रमोटर के रूप में संयुक्त उद्यम कंपनी को पूर्ण इक्विटी योगदान के लिए ₹276 करोड़ पहले ही जारी कर चुकी है।

18.2 ओड़िशा इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (इडको) के साथ संयुक्त उद्यम में अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.:

आपकी कंपनी और इडको क्रमशः 49% और 51% की इक्विटी धारिता के साथ ओडिशा में एल्यूमिनियम अनुप्रवाह उद्योगों के प्रचार के लिए अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क विकसित कर रहे हैं। आपकी कंपनी संयुक्त उद्यम कंपनी को पूर्ण इक्विटी अंशदान के लिए ₹16.22 करोड़ पहले ही जारी कर चुकी है। पार्क की आंतरिक बुनियादी सुविधाओं का विकास प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह परियोजना पूरा होने के लिए अपेक्षित है।

18.3 मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानी) के साथ संयुक्त उद्यम में हाई एंड एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्रः

आपकी कंपनी और मिधानी ने मूल्य वर्धित उत्पादों के साथ आयात प्रतिस्थापन और विविधीकरण के एक हिस्से के रूप में रक्षा, एयरोस्पेस और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अनुप्रयोग के लिए 60,000 टन प्रति वर्ष हाई एंड एल्यूमिनियम मिश्रधातु संयंत्र की स्थापना के लिए अगस्त, 2019 में मेसर्स उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (यूएडीएनएल) नाम की एक संयुक्त उद्यम कंपनी बनाई है। आपकी कंपनी ने इक्विटी अंशदान के अपने हिस्से के लिए अब तक ₹20 करोड़ जारी की है। यह संयंत्र आंध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थापित किया जा रहा है। परियोजना की गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं एवं वित्त वर्ष 2024-25 तक आरंभ होने की उम्मीद है।

18.4 मेसर्स हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) और मेसर्स मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल) के साथ संयुक्त उद्यम में विदेशों में रणनीतिक खनिजों का अधिग्रहण:

आपकी कंपनी ने भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल को बढ़ावा देने के लिए विदेशी स्थानों में कुछ रणनीतिक खनिजों के अधिग्रहण के लिए अगस्त, 2019 में एचसीएल और एमईसीएल के साथ मेसर्स खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी का गठन किया है। संक्षिप्त सूची में डाले गए 12 खनिजों पर अध्ययन पूरा हो चुका है। काबिल ने लिथियम और अन्य खनिज संपत्तियों की सोर्सिंग की तलाश के लिए क्रमशः जुलाई, 2020 और सितंबर, 2020 में जेईएमएसई और वाईपीएफ (अर्जेंटीना की सरकारी कंपनियां) के साथ दो समझौता ज्ञापन (एओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। लिथियम और अन्य खनिज संपत्तियों की सोर्सिंग की तलाश के लिए क्रमशः सितंबर, 2021 और अप्रैल, 2022 में ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया के साथ जेडब्ल्यूजी बैठक (सरकार से सरकार और व्यवसाय से व्यवसाय) का आयोजन किया गया था। काबिल में अपने इक्विटी अंशदान के अंश के लिये आपकी कंपनी ने अब तक ₹13 करोड़ जारी की है।

19.0 अनुषंगी विकासः

आपकी कंपनी ने सहायक उद्योग एककों और एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों) के विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सहायक उद्योग एककों तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान उठाए गए कदम निम्नवत् हैं:

(क) वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ओड़िशा के सहायक उद्योग एककों सहित एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों) द्वारा उत्पादित उत्पादों और दी जा रही सेवाओं की खरीदी ₹430.72 करोड़ की हुई है (पिछले वित्त वर्ष के ₹373.82 करोड़ के मुकाबले)। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एककों (ओड़िशा के बाहर सहित) द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की कुल खरीदी ₹713.80 करोड़ की हुई है (वित्त वर्ष 2020-21 के ₹536.73 करोड़ के मुकाबले) एवं यह न्यूनतम 25% के सरकारी लक्ष्य की तुलना में आपकी कंपनी द्वारा कुल वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदी का 31.22% है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों और सेवाओं की खरीदी का लक्ष्य वर्ष 2022-23 के लिए कुल वार्षिक खरीदी का 25% रखा गया है, जो पीपीई-एमएसई आदेश के अनुसार है।

(ख) वर्ष 2021-22 के लिए पीएलएसी (संयत्र स्तर की सलाहकारी समिति) की बैठक का आयोजन डीआईसी एवं एमएसएमई विभाग, भारत सरकार के साथ दिनांक 13.12.2021 को वर्चुअल मोड में निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में किया गया।

(ग) राष्ट्रीय एससी/एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) के सहयोग से महिला स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं एससी/एसटी स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के पंजीकरण हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और एनएसएसएचओ से अनुरोध किया गया है कि आपकी कंपनी द्वारा अपेक्षित सामानों के लिए संभावित एससी/एसटी स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) की पहचान करें। इस संबंध में, यहाँ उल्लेख किया जाता है कि आपकी कंपनी ने एमएसएमई विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा 11.03.2022 को भुवनेश्वर में आयोजित 'महिलाओं के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम' में हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 100 महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई ने भाग लिया था।

(घ) सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेता (सहायक उद्योग सहित) से जीईएम प्लेटफॉर्म में आने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही, चूंकि नालको आरएक्सआईएल (टीआरईडीएस पोर्टल) के साथ पंजीकृत है, इसलिए सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं (सहायक उद्योग समेत) से अनुरोध किया जा रहा है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) का फायदा प्राप्त करने के लिए टीआरईडीएस पोर्टल (आरएक्सआईएल) में पंजीकृत हो।

(ङ) कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण, कंपनी वर्ष 2021-22 में केवल 07 विक्रेता सम्मेलनों (एमएसई और सहायक उद्योग सहित) का आयोजन कर सकी थी। ये सारी बैठकें केवल वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थीं।

(च) एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) से आपकी कंपनी के खरीदी आंकड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, भारत सरकार के "एमएसएमई संबंध" ऐप पर मासिक आधार पर अपलोड किए जा रहे हैं।

(छ) आपकी कंपनी से पंजीकृत मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं गैर-पंजीकृत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के सुविधार्थ 13.07.2018 को नमस्य (नालको माइक्रो एण्ड स्मॉल एंटरप्राइज योगायोग एप्लिकेशन) ऐप आपकी कंपनी द्वारा आरंभ किया गया है। यह ऐप सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विनिर्देश के साथ उनके द्वारा आपूर्ति किए जानेवाले मदों, विक्रेता विकास कार्यक्रम एवं आपकी कंपनी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।

नालको द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से की गई खरीदी			
(क)	एकक का नामः निगम कार्यालय, भुवनेश्वर, ओड़िशा नोडल अधिकारीः श्री विभू दत्त महान्ति, समूह महाप्रबंधक (सामग्री) नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर- 751013 मोबाइल : 9437561995 , ई-मेल: bibhu.mohanty@nalcoindia.co.in		
(ख)	एकक का नामः प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल, ओड़िशा नोडल अधिकारीः श्री प्रभात कुमार विश्वास, समूह महाप्रबंधक (सामग्री) प्रद्रावक संयंत्र , नालको नगर, अनुगुल- 759145 मोबाइल : 9437083779, ई-मेल: pravat.biswas@nalcoindia.co.in		
(ग)	एकक का नामः खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी, ओड़िशा नोडल अधिकारीः श्री स्वरूपनंद मिश्र, महाप्रबंधक (सामग्री) एल्यूमिना परिशोधक, नालको, दामनजोड़ी- 763008 मोबाइल : 9437043184, ई-मेल: swarupananda.mishra@nalcoindia.co.in		
क्रम सं.	**विवरण**	**2021-22**	**2020-21**
I	कुल वार्षिक खरीदी (मूल्य में)(*) (₹ करोड़ में)	2,286.37	1,764.25
II	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों सहित) से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	713.80	536.73
III	केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	5.94	8.22
IV	केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं एवं सेवओं का कुल मूल्य (₹ करोड़ में)	33.21	16.498
V	कुल खरीदी में से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों सहित) से खरीद का %	31.22	30.42
VI	कुल खरीदी में से केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद का %	0.26	0.466
VII	कुल खरीदी में से महिला उद्यमियों के स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीद का %	1.45	0.935
VIII	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमों की कुल संख्या	07	08
IX	क्या सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से खरीदी के लिए वार्षिक खरीदी योजना सरकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई है	हाँ	हाँ
X	क्या वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्य दर्ज हैं	हाँ	हाँ

* यह मूल्य कोयला, ईंधन तेल, कॉस्टिक सोड़ा, एएलएफ3, कृत्रिम फ्लोक्यूलेंट, इस्पात, सीमेंट, बेयरिंग, लुब्रिकेन्ट, ग्रीज, स्वामित्व वाले मद, आयातित सामग्री एवं पेशागत सेवाओं के लिए संविदाएँ/सलाहकारी सेवाएँ/प्रधान टर्न की संविदाएँ/संविदाएँ जो विशिष्ट प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, की खरीद को छोड़कर है।

21.0 सतर्कता संबंधी विवरणः

कंपनी के उद्देश्यों, प्रायोजनाओं, दृष्टिकोण, प्रत्याशाओं, अनुमानों एवं अन्य से संबंधित प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में किए गए कुछ विवरण प्रयोज्य नियमों एवं विनियमों के दायरें में "अग्रदर्शी विवरण" हो सकते हैं। ऐसी प्रत्याशाओं, चाहे व्यक्त हो या अंतर्निहित, से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के प्रचालनों में कई कारक महत्वपूर्ण अन्तर ला सकते हैं। इनमें मांग और आपूर्ति को प्रभावित करनेवाली जलवायु एवं आर्थिक स्थितियाँ, सरकारी विनियम एवं कराधान, प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, जिन पर कंपनी का कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है।

अनुलग्नक-III

2021-22 के लिए व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुभाग क: कंपनी के बारे में सामान्य सूचना

क्रम सं.	विवरण	कंपनी सूचना
1	कंपनी का कॉर्पोरेट आईडेंटिटी नम्बर (सीआईएन)	L27203OR1981GOI000920
2	कंपनी का नाम	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
3	पंजीकृत कार्यालय	नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013, ओड़िशा, भारत
4	वेबसाइट	www.nalcoindia.com
5	ई-मेल आईडी	company_secretary@nalcoindia.co.in
6	रिपोर्ट का वित्तीय वर्ष	वित्त वर्ष 2021-22
7	क्षेत्र जिनमें कंपनी संलग्न है (कोड-वार औद्योगिक गतिविधि)	बॉक्साइट खानः औद्योगिक समूह कोड 07292 एल्यूमिना परिशोधकः औद्योगिक समूह कोड 20119 एल्यूमिनियम प्रद्रावकः औद्योगिक समूह कोड 24202 विद्युत उत्पादन : औद्योगिक समूह कोड 35102
8	कंपनी द्वारा निर्मित/प्रदत्त तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची	**1. एल्यूमिना** • निस्तप्त एल्यूमिना • एल्यूमिना हाईड्रेट • विशिष्ट हाईड्रेट **2. एल्यूमिनियम** • मानक पिण्ड • शिलिका पिण्ड • टी-पिण्ड • तार-छड़ें • बिलेट • समतल वेल्लित उत्पाद (कुंडलियाँ, चद्दरें एवं चारखानेदार चद्दर) **3. विद्युत**
9	क) अंतर्राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	शून्य
	ख) राष्ट्रीय स्थानों की संख्या	क) पंजीकृत एवं निगम कार्यालय, नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर – 751013, ओड़िशा ख) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी-763008, कोरापुट, ओड़िशा ग) प्रद्रावक संयंत्र, नालको नगर-759145, अनुगुल, ओड़िशा घ) ग्रहीत विद्युत संयंत्र, नालको नगर-759145, अनुगुल, ओड़िशा ङ) पवन विद्युत संयंत्र i) पवन विद्युत संयंत्र-I: गंडीकोट्टा, आन्ध्र प्रदेश ii) पवन विद्युत संयंत्र-II: लुडर्वा, राजस्थान iii) पवन विद्युत संयंत्र-III: देवीकोट, राजस्थान iv) पवन विद्युत संयंत्र-IV: जाथ, महाराष्ट्र च) बन्दरगाह कार्यालयों की संख्या : 03 (विशाखापत्तनम्, कोलकाता, पारादीप) छ) क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या: 04 (नई दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता) ज) स्टॉकयार्डों की संख्या: 08 (जयपुर, बद्दी, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम्, वड़ोदरा, दिल्ली, रायपुर)
10	कम्पनी के द्वारा सेवारत बाजार	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कम्पनी के द्वारा सेवारत निम्नलिखित एल्यूमिनियम बाजार हैं (भारत के अतिरिक्त) : चीन, इण्डोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एवं थाईलैंड। कंपनी की निजी जरूरत से अधिक उत्पादित निस्तप्त एल्यूमिना का निर्यात किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, कम्पनी के द्वारा सेवारत निम्नलिखित एल्यूमिना बाजार थे (भारत के अतिरिक्त) : चीन, मिश्र, इण्डोनेशिया, मलेशिया, ओमान, कतर, युनाइटेड किंग्डम, संयुक्त अरब अमीरात।

अनुभाग खः कंपनी का वित्तीय विवरण

क्रम सं	विवरण	कंपनी सूचना
1	31.03.2022 को प्रदत्त पूंजी	₹ 918.32 करोड़
2	कुल कारोबार	₹14,058.98 करोड़
3	कुल कर पश्चात लाभ	₹2,951.97 करोड़
4	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व (नि.सा.उ.) पर कुल खर्च क) भारतीय रुपये में : ख) तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में (%):	क) ₹36.91 करोड़ की राशि वर्ष के दौरान निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च की गई। ख) ऊपर सूचित निगम सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर वास्तविक खर्च पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के औसत शुद्ध लाभ का 2.58% है।
5	उन गतिविधियो की सूची जिनमें उपर्युक्त नि.सा.उ. पर खर्च किया गया है	i) स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रमः (क) स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रमः चल चिकित्सा यूनिट, नैदानिक एवं सूचना, शिक्षा, संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता फैलाना एवं प्रद्रावक और विद्युत संकुल में ओपीडी केन्द्र। (ख) नबरंगपुर, ओड़िशा में जिला कोविड अस्पताल के लिए पूंजीगत और चालू व्यय। (ग) बनारपाल, अनुगुल, ओड़िशा में जिला कोविड अस्पताल के लिए पूंजीगत और चालू व्यय। (घ) महामारी कोविड -19 के दौरान परिधीय गाँवों में और उसके आसपास जागरूकता अभियानों के साथ फेस मास्क, भोजन, सूखा राशन का वितरण। (ङ) कोविड देखरेख के विषय में विशेष रूप से अधिकतम स्वास्थ्य देखभाल सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। मेडिकल ऑक्सीजन सिलिंडर, ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशनों को डीजी सेट, जिला प्रशासन को रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) किट के रूप में सहयोग। ii) स्वच्छता कार्यक्रमः (क) ओडीएफ पहल के अधीन घरेलू शौचालयों का निर्माण, स्वच्छ विद्यालय अभियान के अधीन स्कूल शौचालयों का निर्माण। (ख) स्वच्छ प्रतिष्ठित शहर परियोजना - पुरी। iii) पेय जल कार्यक्रमः संयंत्र स्थानों के परिधीय गाँवों में सुरक्षित पेय जल प्रदान करना। iv) शिक्षा को प्रोत्साहनः क) तीन ख्यातिप्राप्त आवासीय स्कूलों में कोरापुट जिले के आदिवासी बच्चों की औपचारिक शिक्षा को सहयोग देना। ख) भारत सरकार की "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" अभियान के अनुसरण में "नालको की लाडली" के अधीन गरीब एवं प्रतिभावान कन्या छात्राओं को उनकी शिक्षा के लिए सहयोग देना। ग) उच्च गुणमान की शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना। v) एसएचजी के सुदृढ़ीकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण एवं वैकल्पिक आजीविका स्रोतों का प्रचार। vi) वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरणीय संधारणीयता, पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना। vii) परिधीय गाँवों एवं अन्य क्षेत्रों में ग्रामीण विकास गतिविधियाँ viii) चक्रवात यास का सामना करने के लिए राज्य प्रशासन को सहयोग।

अनुभाग गः अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/कंपनियाँ हैं? नहीं
2. क्या सहायक कंपनी/कंपनियाँ मूल कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनियों की संख्या का उल्लेख करें। लागू नहीं।
3. क्या कोई अन्य प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों (यथा- आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) जिसके साथ कंपनी व्यवसाय करती है, कंपनी के व्यवसाय दायित्व (बीआर) प्रयासों में हिस्सा लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसे प्रतिष्ठान/प्रतिष्ठानों का प्रतिशत बताएँ? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]

   कोई अन्य प्रतिष्ठान अर्थात आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार आदि नालको के बीआर प्रयासों के वित्तपोषण में या किसी अन्य रूप में शामिल नही हैं। व्यवसाय दायित्व (बीआर) के सभी प्रयास संगठन द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित किए जाते हैं।

अनुभाग घ - व्यवसाय उत्तरदायित्व (बीआर) सूचना

1. बीआर के लिए निदेशक/निदेशकों के दायित्व का विवरणः

क) बीआर नीति/नीतियों के कार्यान्वयन के लिए निदेशक/निदेशकों के दायित्व का विवरण

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	08984700
2	नाम	श्री बिजय कुमार दास
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन)

ख) बीआर प्रमुख का विवरण

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
1	डीआईएन संख्या	08984700
2	नाम	श्री बिजय कुमार दास
3	पदनाम	निदेशक (उत्पादन)
4	दूरभाष सं.	0674-2300660
5	ई-मेल आईडी	dirprod@nalcoindia.co.in

2. सिद्धान्त वार (राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के अनुसार) बी.आर. नीति/ नीतियाँ

नौ सिद्धान्त हैं, जो नीचे दिए गए हैं:

सिद्धान्त 1(पी1) : व्यवसाय का संचालन और अभिशासन, नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

सिद्धान्त 2(पी2) : व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करें, जो सुरक्षित हो और अपने जीवनचक्र में संधारणीयता में योगदान दें।

सिद्धान्त 3(पी3) : व्यवसाय सभी कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत करे।

सिद्धान्त 4(पी4) : व्यवसाय सभी हितधारकों विशेषकर सुविधारहित, संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों के हितों का सम्मान करे एवं जवाबदेह हो।

सिद्धान्त 5(पी5) : व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान और प्रोत्साहन करे।

सिद्धान्त 6(पी6) : व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करे।

सिद्धान्त 7(पी7) : सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, ऐसा दायित्वपूर्ण रूप से करे ।

सिद्धान्त 8(पी8) : व्यवसाय समावेशी वृद्धि एवं समान विकास का पक्षधर हो।

सिद्धान्त 9(पी9) : व्यवसाय अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं से जुड़ा रहे एवं दायित्वशील रूप से मूल्यपरक लाभ प्रदान करे।

2 क) अनुपालन का विवरण (हाँ/ना में)

उपर्युक्त 9 राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश (एनवीजी) सिद्धान्त (पी1 से पी9) के संबंध में प्रत्युत्तर निम्नानुसार हैं:

क्रम सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या 9 एन.वी.जी. सिद्धान्तों के लिए आपके पास कोई नीति/नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
3	क्या यह नीति किसी राष्ट्रीय /अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो उल्लेख करें (50 शब्दों में) *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
4	क्या यह नीति निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित है? *	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
	यदि हाँ, तो प्रबंध निदेशक/मालिक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/उपयुक्त निदेशक-मंडल द्वारा हस्ताक्षरित है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
5	क्या कम्पनी के पास निदेशक-मंडल/ निदेशक/ अधिकारी की निर्दिष्ट समिति है, जो इस नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करती है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
6	इस नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिक क्या है? **	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
7	क्या सभी प्रासंगिक आन्तरिक और बाहरी हितधारकों के पास यह नीति औपचारिक रूप से संप्रेषित की गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
8	क्या कंपनी में इस नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कोई आन्तरिक तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
9	क्या कंपनी में नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
10	क्या कंपनी ने किसी आन्तरिक या बाहरी एजेन्सी द्वारा इस नीति के कार्य-संचालन का स्वतन्त्र *लेखापरीक्षा/मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

* नालको की संधारणीय विकास नीति नौ एन.वी.जी. सिद्धान्तों को धारण करती है, यह निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित और अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों अर्थात् आई.एस.ओ. 9001, आई.एस.ओ. 14001, आई.एस.ओ. 50001, आई.एस.ओ. 45001 और एस.ए. 8000 मानक की संपुष्टि करते हुए प्रचालन प्रबंधन प्रणालियों द्वारा इनका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। संबंधित प्रबंधन प्रणाली के बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा एसए-8000, ईएमएस, ईएनएमएस, ओएचएसएमएस एवं क्यूएमएस की आवधिक लेखा परीक्षा एवं पुनः प्रमाणन के दौरान संधारणीयता से जुड़े सामाजिक, पर्यावरणीय, ऊर्जा, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं गुणवत्ता और ग्राहक से संबंधित मसलों की लेखा परीक्षा की गई। साथ ही नालको की विभिन्न नीतियाँ, नालको की दूरदृष्टि, लक्ष्य एवं प्रमुख मूल्य एनवीजी सिद्धांतों के मनोभाव को प्रकट करते हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया गया है। इसके अलावा, सभी प्रयोज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून, अनुदेश एवं दिशानिर्देश और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव नालको द्वारा कार्यान्वित विभिन्न नीतियों में निहीत हैं। इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए नालको द्वारा अंगीकृत नीतियाँ संयुक्त राष्ट्र वैश्विक ग्लोबल कॉम्पैक्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी), अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन आईएसओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएसओ), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), जीआरआई मानक आदि के उद्देश्य एवं आशय को प्रकट करती है।

** एस.डी. नीति की लिक: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2021/08/Sustainable-Development-Policy-28.06.21.pdf

कुछ अन्य विशिष्ट नीतियों, कंपनी की नियमावलियों और दस्तावेज हैं जो नौ एन.वी.जी. सिद्धान्तों और भाव को सुदृढ़ करते हैं। इनका उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

एनवीजी सिद्धान्त	नीतियाँ, नियमावली, दस्तावेज
सिद्धान्त 1 : नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व	1. निदेशक-मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2020/02/Code-of-Conduct.pdf 2. धोखाधड़ी रोकथाम नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Nalcofraudpreventionpolicy.pdf 3. सचेतक नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf 4. अधिकारों का प्रत्यायोजन 5. सतर्कता नियमावली 6. विपणन मार्गनिर्देशिका 7. क्रय नियमावलीः http://livetenders.nalcoindia.com/Website/webDownloads.aspx?Glnk=dwnld 8. संविदा नियमावलीः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2020/03/CONTRACT-MANUAL-2013-updated-till-31-10-2021.pdf 9. भंडार नियमावली 10. सत्यनिष्ठा समझौताः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Pre-Contract-Integrity-pact-with-SOP.pdf
सिद्धान्त 2 : उत्पाद के जीवन चक्र में संधारणीयता	व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/OHS-policy-14-10-2020.pdf
सिद्धान्त 3 : कर्मचारी कल्याण	1. मानव संसाधन नियमावली 2. सामाजिक उत्तरदायित्व नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Social_Accountability-Policy-English.pdf
सिद्धान्त 4 : हितधारकों का हित	1. गुणवत्ता नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Quality-Policy-14-10-2020-1.pdf 2. बुनियादी मूल्य "BEST" : https://nalcoindia.com/company/vision-mission-values/
सिद्धान्त 5 : मानवाधिकारों को प्रोत्साहन	सामाजिक उत्तरदायित्व नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Social_Accountability-Policy-English.pdf
सिद्धान्त 6 : पर्यावरणीय संरक्षण	पर्यावरण नीति : https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Environment-Policy-14-10-2020.pdf
सिद्धान्त 7 : दायित्वशील सार्वजनिक नीति की वकालत	बुनियादी मूल्यः "BEST" : https://nalcoindia.com/company/vision-mission-values/
सिद्धान्त 8 : समावेशी विकास	नि.सा.उ. नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/CSR-Policy-2019-2.pdf
सिद्धान्त 9 : ग्राहक मूल्य	गुणवत्ता नीतिः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Quality-Policy-14-10-2020-1.pdf

2(ख) उपर्युक्त 2(क) के क्रम सं.1 के अन्तर्गत किसी सिद्धांत का उत्तर "नही" है, तो कृपया कारण स्पष्ट करें: (2 विकल्पों तक टिक लगाएँ)

क्रम सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	कंपनी ने सिद्धान्तों को नहीं समझा है									
2	कंपनी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों का निर्माण एवं कार्यान्वयन कर सके									
3	कंपनी में इस कार्य के लिए वित्तीय या मानव संसाधन उपलब्ध नही है	लागू नहीं								
4	आगामी 6 महीने के अन्दर इसे कर लेने की योजना है									
5	आगामी 1 वर्ष के अन्दर इसे कर लेने की योजना है									
6	कोई अन्य कारण (कृपया उल्लेख करें)									

चूंकि सभी नौ एन.वी.जी. सिद्धांतों के लिए उपर्युक्त 2(क) के क्रम सं.1 के में दिए गए प्रश्नों का उत्तर हाँ है, अतः 2(ख) के प्रश्न लागू नही हैं।

3. व्यवसाय दायित्व (बीआर) से संबंधित अभिशासन:

3.1 कंपनी के बी.आर. कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल की समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ बैठक कितनी बार की जाती है। 3 महीने के अन्दर, 3-6 महीने में, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक-मण्डल की नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति की एक बैठक 07.02.2022 को हुई।

इसके अलावा, 08.09.2020 से कंपनी के निदेशक मंडल में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और इसलिए, नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था। निदेशक मंडल की बैठक में नि.सा.उ. एवं संधारणीय विकास समिति से संबंधित सभी कार्यवृत मद, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने तक, सीधे निदेशक मंडल के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया था और इसके बाद नि.सा.उ. और संधारणीय विकास समिति का पुनर्गठन किया गया है॥ 2020-21 की व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट मसौदा 06.09.2021 को निदेशक मंडल की आयोजित सीधे उनकी बैठक में रखा गया और इसकी समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

2.2 क्या कंपनी बी.आर. या संधारणीयता रिपोर्ट प्रकाशित करती है ? इस रिपोर्ट के अवलोकन के लिए हाईपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होती है?

हाँ, व्यवसाय उत्तरदायित्व (बी.आर) रिपोर्ट और संधारणीय विकास रिपोर्ट दोनों वार्षिक रूप से तैयार की जाती हैं एवं वेबसाइट पर उपलब्ध है।

व्यवसाय दायित्व (बी.आर.) रिपोर्ट जो सेबी की आवश्यकताओं के अनुसार अनिवार्य है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक मार्गनिर्देशों के आधार पर प्रस्तुत की जाती है और वार्षिक आधार पर वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रकाशित होती है। 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट का वेबलिंक है: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2021/09/40th-Annual-Report.pdf

वर्ष 2011-12 से एक संधारणीय विकास (एस.डी) रिपोर्ट भी वार्षिक आधार पर जीआरआई मार्गनिर्देशों के अनुसार तैयार की जाती है एवं नालको वेबसाइट पर संधारणीयता टेम्प्लेट के अधीन उपलब्ध करायी गई है। एसडी रिपोर्ट 2020-21 के लिए वेबलिंक है: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2022/07/sustainable-development-report-2020-2021.pdf

अनुभाग ङः सिद्धान्तवार कार्य-निष्पादन

सिद्धान्त 1: व्यवसाय का संचालन और अभिशासन, नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए।

0.1 क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार संबंधी नीति केवल कंपनी को शामिल करती है?

जी नहीं।

क्या वह समूह/संयुक्त उद्यमों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों /गैर सरकारी संगठनों/अन्यों के प्रति भी विस्तारित है ?

जी हाँ, नैतिकता एवं पारदर्शिता के पैमाने पर ही हम हमारे व्यवसाय साझेदारों, कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं एवं ठेकेदारों का मूल्यांकन करते हैं। अनुबंध और खरीद से संबंधित विषयवस्तु में, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और सेवा प्रदाताओं से उचित सौदे सुनिश्चित करने के लिए हमारे अनुबंध नियमावली और क्रय नियमावली में पर्याप्त प्रावधान हैं। इसी प्रकार विपणन नियमावली, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय लेनदेन के लिए प्रक्रिया और दिशानिर्देश प्रदान करती है। संधारणीय विकास नीति और मूल मूल्य, सत्यनिष्ठा, नैतिक अभ्यासों और पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करते हैं। यह प्रणाली «धोखाधड़ी रोकथाम नीति», «सचेतक नीति», «निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिक संहिता», «अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के उचित प्रकटन के लिए आचार संहिता और प्रक्रियाओं», सभी कार्यपालकों पर लागू सीडीए नियम, सभी अन्य कर्मचारियों पर लागू प्रमाणित स्थायी आदेश के साथ सुदृढ़ की गई है। व्यवसाय के किसी भी लेन-देन में धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी, तुष्टिकरण आदि के रूप में कोई भी दुर्भावनापूर्ण विचलन हमारी सतर्कता नियमावली, सीवीसी दिशानिर्देश, सेबी दिशानिर्देश, आचार संहिता और अन्य लागू दिशानिर्देशों के अनुसार कठोर कार्रवाई का भागीदार होता है। ₹50 लाख से अधिक के सभी ठेकों के लिए लेन-देन करने वाले पक्ष और कंपनी के बीच हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा अनुबंध का पालन नैतिकता और पारदर्शिता के प्रति हमारे विश्वास को और सुदृढ़ करता है। भारत सरकार की जन सूचना प्रकटीकरण और मुखबिर का संरक्षण (पीआईडीपीआई) योजना के तहत शिकायत दर्ज करने वाले शिकायतकर्ता को योजना के प्रावधानों के अनुसार उचित सुरक्षा प्राप्त होती है।

1.2 विगत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं कितने प्रतिशत का प्रबंधन द्वारा संतोषजनक समाधान किया गया?

i) वर्ष के दौरान 12 सतर्कता संबंधी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई थी, जबकि पिछले वर्ष से बोलीदाता/ठेकेदार/विक्रेता से 1 शिकायत लम्बित थी। इन 13 शिकायतों में से 10 शिकायतें जाँच की गई थीं और वर्ष के दौरान बंद कर दी गई थीं जबकि साल के अंत में 3 शिकायतें जाँच के विभिन्न चरणो में हैं। अवलोकित अनियमितता एवं उल्लंघन के आधार पर योग्य मामलों पर नालको सतर्कता नियमावली एवं सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कार्यवाही की गई है।

ii) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 5 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। वित्त वर्ष 2021-22 में सभी 5 शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया।

iii) आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में, वित्त वर्ष 2021-22 में 8 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। यहाँ उल्लेख किया जाता है कि सभी 8 शिकायतों को आईईएम को संदर्भित किया गया था और आईईएम की प्रतिक्रिया/सिफारिशों के आधार पर सभी 8 शिकायतों का समाधान किया गया है।

iv) निवेशक की शिकायतें

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 2,253 संख्यक शिकायतें प्राप्त हुईं थीं और सभी का संतोषजनक समाधान किया गया है। निवेशक संबंधित शिकायतों का विस्तृत विभाजन नीचे दिया गया है :

विवरण	पिछले वर्ष से लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	समाधान की गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
स्कोर्स-सेबी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्टॉक एक्सचेंज	शून्य	1	1	शून्य
व्यक्ति	शून्य	2,252	2,252	शून्य
कुल	शून्य	2,253	2,253	शून्य

v) 2021-22 के दौरान, बाल मजदूरी/जबरन मजदूरी/अस्वैच्छिक मजदूरी, भेदमूलक नियोजन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं 31.03.2022 को यथा, उपर्युक्त के संबंध में कोई शिकायत लंबित नहीं है। वर्ष 2021-22 के दौरान यौन उत्पीड़न की एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसका समाधान किया गया था।

सिद्धांत 2: व्यवसाय वे वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे, जो सुरक्षित हों और अपने जीवनचक्र में संधारणीयता में योगदान दें।

2.1 आपके 3 उत्पादों या सेवाओं तक की सूची दें, जिनकी डिजाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और/या अवसरों को सम्मिलित किया गया है।

ये तीन प्रमुख उत्पाद हैं : निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिनियम, विद्युत। उपर्युक्त सभी तीन वस्तुओं की उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरणीय चिंताएं अंतर्निहित हैं। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के माध्यम से हमारे प्रचालनों के पर्यावरणीय प्रभाव की जाँच की जाती है एवं ऊपर वर्णित तीनों प्रमुख वस्तुओं के लिए यथोचित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना द्वारा निवारण किया जाता है। बॉक्साइट का खनन अनुमोदित खान योजना के अनुसार किया जाता है एवं वृक्षारोपण पहल के जरिए उचित खान बंदी योजनाओं के पालन द्वारा उत्खनित क्षेत्र की मौलिक अवस्था को बहाल किया जाता है। स्थिति प्रभाव अध्ययन, आपदा पहचान एवं जोखिम आकलन और आपातकाल प्रबंधन योजनाएँ भी कुछ पर्यावरणीय एवं सामाजिक चिताओं, जोखिमों और अवसरों की पहचान करने एवं इनके न्यूनीकरण में मददगार हैं।

हमारे उत्पादों के लिए पर्यावरणीय चिताओं, जोखिमों, अवसरों को नीचे तालिका - क में तदनुसार निर्दिष्ट किया गया है:

तालिका-क

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
एल्यूमिना परिशोधक	निस्तप्त एल्यूमिना	क. वायु प्रदूषण ख. जल प्रदूषण ग. भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण** i) चिमनी से बहिःस्राव ii) निस्तप्त एल्यूमिना, बॉक्साइट, कोयला एवं राख संचालन क्षेत्रों में धूल	**1. वायु प्रदूषण:** i) बॉयलर के फ्लू गैस से विवक्त वस्तुओं के संग्रह के लिए बॉयलर में इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स (ईएसपी) प्रदान किए गए। निस्तप्तीकरण प्रक्रिया में सृजित एल्यूमिना धूल के संचय हेतु निस्तप्तक में ईएसपी प्रदान किया गया है। ii) धूल के बहिःस्राव को रोकने के लिए एल्यूमिना के लदान एवं उतराई क्षेत्र में बैग फिल्टर एवं धूल रोधी प्रणाली प्रदान किए गए हैं। अस्थायी निस्सरण पर नियंत्रण रखने के लिए चूना संचालन क्षेत्र, लाल पंक तालाब क्षेत्र, राख, कोयला एवं बॉक्साइट संचालन क्षेत्रों में छिड़काव एवं धूल- रोधी प्रणाली प्रदान किए गए हैं।
			2. जल प्रदूषण i) अपशिष्ट बहिःस्राव ii) मलजल एवं अपशिष्ट जल iii) सतह के बहाव जल	**2. जल प्रदूषणः** i) एल्यूमिना परिशोधक के धारक तालाब में बहिःस्रावी जल को एकत्र किया जाता है एवं प्रक्रिया के तहत वापस पुनर्चक्रण किया जाता है। ii) एल्यूमिना परिशोधक में प्रक्रियागत इस्तेमाल के लिए आरएमपी/राख तालाब में अपशिष्ट जल के लिए पुनर्चक्रण एवं पुनःइस्तेमाल किया जा रहा है। मल अपशिष्ट जल मलजल उपचार संयंत्र में व्यवहार किया जाता है एवं बागवानी उद्देश्यों के लिए इसका पुनःप्रयोग किया जाता है। iii) सतह पर वाहित जल और झंझावत जल शबरी झील में संचित होता है एवं जरूरत पड़े तो आवश्यक शोधन के बाद इसका बाहर निपटान किया जाता है।
			3. भूमि संदूषण i) चूना गिट्टी ii) लाल पंक iii) राख	3. भूमि संदूषण i) ईंट या अन्य समरूप उत्पाद के निर्माण के लिए चूना गिट्टी को रिसाइक्लर में निपटाया जाता है। ii) लाल पंक से लौह सान्द्र एवं गैलियम के निष्कर्षण के लिए लाल पंक के उपयोग का अन्वेषण चल रहा है। iii) इन क्षेत्रों में उड़नशील राख के उपयोग हेतु उद्यमियों को प्रोत्साहित करते हुए उड़नशील राख का अधिक उपयोगः उड़नशील राख की ईंटों, सीमेंट के निर्माण में, सड़क निर्माण, तटबंध बनाने, निचले क्षेत्रों को भरने आदि में।
प्रद्रावक	एल्यूमिनियम	वायु प्रदूषण जल प्रदूषण भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषण:** i) पॉट प्रचालन के कारण एफटीपी / एफटीसी चिमनियों से फ्लूओराइड एवं विवक्त निस्सरण ii) एनोड प्रभाव के दौरान पीएफसी का सृजन, नीचे विस्तार में*	**1. वायु प्रदूषण:** i) एफटीपी एवं एफटीसी में एल्यूमिना में फ्लूओराइड गैस के अवशोषण द्वारा फ्लूओराइड निस्सरण पर नियंत्रण रखा जाता है। उत्पादित एल्यूमिनियम के 0.8 किलो प्रति टन के मानक से कम कुल फ्लूओराइड निस्सरण का पालन किया जा रहा है। फ्लूओराइड की रूफ टाप निस्सरण पर निगरानी रखने के लिए पॉट लाइन-4 में पहले ही सतत लेजर आधारित अस्थायी निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है एवं पॉट लाइन – 1 से 3 में इसे स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही धूल की उत्पत्ति को कम करने के लिए कोक धूल की न्यूमैटिक स्थानांतरण प्रणाली भी प्रचालन के अधीन है। ii) प्रद्रावक संयंत्र को ए.एल.पी. एस.वाई.एस. पॉट नियंत्रण प्रणाली से समृद्ध किया गया है, जो समय पर एल्यूमिना को खुराक देते हुए एनोड के प्रभाव को कम करता है।

तालिका-क

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
प्रद्रावक	एल्यूमिनियम	वायु प्रदूषण जल प्रदूषण भूमि संदूषण	**2. जल प्रदूषणः** i) फ्लूओराइड संदूषित सतह से बहाव का सृजन	**2. जल प्रदूषण:** i) निर्दिष्ट नालियों के माध्यम से तीन एचडीपीई कतारयुक्त धारक तालाबों में सतह के बहाव को एकत्रित किया जाता है। फ्लूओरिनेटेड सतह के बहाव का उपचार डी-फ्लाओराइडेशन संयंत्रों में किया जाता है। (आयन विनिमय प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम एमिरिऑन नैनो प्रौद्योगिकी पर प्रचालित)। इसके बाद उपचारित जल शीतलीकरण, बागवानी एवं अन्य संयंत्र उपयोग के लिए पुनःचक्रित होता है। संकटजनक अपशिष्ट भंडारण एवं संचालन क्षेत्र के आसपास के गारलैण्ड नाले दूषित सतह बहाव को एकत्रित करते हैं एवं शोधन के लिए धारित पूल में स्थानांतरित करते हैं।
			3. भूमि संदूषण: संकटजनक अपशिष्ट का सृजन जैसे कि: i) एसपीएल ii) ड्रॉस iii) शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट आदि	3. भूमि संदूषण: i) भूमि संदूषण की रोकथाम के लिए अभेद्य पंक्तिबद्ध इंजीनियर्ड लैण्डफिल में और साथ ही कंक्रीट युक्त शेड में एसपीएल संचित होता है। एसपीएल के कार्बन अंश को पृथक किया जाता है एवं ऊर्जा प्राप्ति हेतु भावी उपयोग के लिए कंक्रीट युक्त फ्लोर शेड में पृथक रूप से इसका संचय किया जाता है। अपशिष्ट से ऊर्जा प्राप्ति के अंश के तौर पर वर्ष 2021-22 के दौरान एसपीएल का लगभग 5,896 मे.ट. कार्बन अंश का निपटान अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता मेसर्स ग्रीन एनर्जी को किया गया। ii) एल्यूमिनियम ड्रॉस का पॉट में पुनःचक्रण किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 30,399 मे.ट. एल्यूमिनियम ड्रॉस की बिक्री अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ता को गई। iii) सुकिन्दा, जाजपुर के आम संकटजनक अपशिष्ट लैंडफिल में शॉट ब्लास्टिंग अपशिष्ट, इंडक्शन फर्नेस स्लैग, फर्नेस की अस्वीकृत लाइनिंग, लैडल क्लीनिग अवशेष, आदि का निपटान किया जा रहा है।
ग्र.वि.सं .	विद्युत	वायु प्रदूषण जल प्रदूषण भूमि संदूषण	**1. वायु प्रदूषणः** i) बॉयलर से फ्लू गैस ii) कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र से अस्थायी धूल iii) फ्लू गैस में ताप का निस्सरण वायुमंडल में किया गया	**1. वायू प्रदूषण:** i) राख एवं अन्य विवक्त वस्तुओं के निष्कर्षण हेतु फ्लू गैस निस्सरण मार्ग में ई.एस.पी. प्रदान की जाती है। ii) अस्थायी धूल पर नियंत्रण के लिए कोयला एवं राख संचालन क्षेत्र में धूल निष्कर्षण एवं फुहारा प्रणाली प्रदान की जाती है। iii) एयर हीटर एवं इकोनोमाइजर के माध्यम से फ्लू गैस से ताप निकालने हेतु प्रावधान।
			2. जल प्रदूषणः i) बहिःस्राव अपशिष्ट जल ii) मलजल अपशिष्ट जल iii) सतह के बहाव जल	2. जल प्रदूषणः i) औद्योगिक अपशिष्ट जल के शोधन हेतु बहिःस्राव शोधन संयंत्र का प्रावधान किया गया है। शोधित जल का प्रयोग राख घोल बनाने के लिए किया जाता है। राख के तालाब से निस्तारित जल का राख घोल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है: ii) मल अपशिष्ट जल के शोधन हेतु मलजल शोधन संयंत्र उपलब्ध है। शोधन के पश्चात मल अपशिष्ट जल का बागवानी एवं वृक्षारोपण उद्देश्यों के लिए पुनःप्रयोग किया जाता है। iii) वर्षा जल दोहन प्रणाली एवं सतह बहाव जल अग्निशमन के लिए फायर हाइडेंट सिस्टम में प्रयोग किया जाता है।
			3. भूमि संदूषणः i) मिल अपशिष्ट ii) राख iii) स्क्रैप (धात्विक एवं गैर-धात्विक स्क्रैप)	3. भूमि संदूषणः i) मिल अपशिष्टों का संचय सीमांकित निचले क्षेत्रों में किया है ताकि पुनःप्रयोग के लिए अधिकृत पक्षों को निपटान हेतु दिया जा सके। ii) राख के तालाब में घोल रूप में ईएसपी से राख एवं उड़नशील राख दोनों का निपटान किया जाता है। साथ ही, उत्खनित क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु जुलाई 2021 में खान के रिक्त स्थानों में लीन स्लरी के निपटान के लिए परियोजना के पूरा हो जाने के बाद राख का निपटान लीन स्लरी मोड में साउथ भरतपुर (ओसीपी) को किया गया। शुष्क राख को भी निचले क्षेत्र को भरने, स्टोन क्वैरी के रिक्त स्थानों को भरने में प्रयोग किया जाता है, राख ईंट निर्माण के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद निर्माताओं को निपटाया जाता है एवं आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत एस्बेस्टस, सीमेंट आदि में प्रयोग किया जाता है। राख तालाब-II पर राख टीले का निर्माण पूरा कर लिया गया है। iii) स्क्रैप रिसाइक्लर्स को बेचे जाते हैं।
खान	बॉक्साइट	वायु प्रदूषण जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण ठोस अपशिष्ट प्रदूषण भूमि निम्निकरण	1) वायु प्रदूषणः i) भारी वाहनों से निस्सररण ii) बॉक्साइट खनन, संचलन, क्रशर में संदलन एवं कन्वेयर में वहन के दौरान अस्थायी धूल का निस्सरण	1) वायु प्रदूषणः i) वाहनों से निस्सरण को कम करने के लिए वाहनों का यथोचित चयन एवं रखरखाव। ii) 6 संख्यक 28 कि.ली. सचल फुहारों एवं ढुलाई सड़क के बराबर स्थायी फुहारों के साथ ढुलाई सड़कों एवं भंडार संचय क्षेत्र में जल का छिड़काव। धूल उत्पादन को कम करने के लिए एन.ओ.एन.ई.एल.प्रस्फोटक का प्रयोग करते हुए उपयुक्त ब्लास्ट डिजाइन एवं विलंबित ब्लास्टिंग। क्रशर एवं कन्वेयर में धूल के दमन एवं संपूर्ण आच्छादित कन्यवेर में धूल के उत्पादन को रोकने के लिए, शुष्क धूम प्रणाली का कार्यान्वयन। सभी ड्रिल मशीनों में वैक्यूम सक्शन/नम ड्रिलिंग अपनाना। स्टॉकपाइलों में धूल के दमन हेतु फॉग कैनन।

तालिका-क

एकक	उत्पाद	पर्यावरणीय चिंताएं	जोखिम	अवसर/न्यूनीकरण उपाय
खान	बॉक्साइट	वायु प्रदूषण जल प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण ठोस अपशिष्ट प्रदूषण भूमि निम्निकरण	2) जल प्रदूषणः i) खनन कैन्टीन, वाहन की धुलाई से निकले अपशिष्ट जल एवं शौचालयों से मलजल	2) जल प्रदूषणः i) गाद लदे बरसाती जल को बाहर निकलने से रोकने के लिए सक्रिय खनन क्षेत्र में चारों ओर इन-सिटु परिधीय घेरा खनन क्षेत्रों से पंकयुक्त जल, यदि है, के छनन हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर रोक बाँध। हौदी में खनन क्षेत्र में बरसात के जल का संग्रह एवं एकत्रित जल का भूमि में अन्तःस्रवण। शौचालय से जल सेप्टिक टैंक में प्रयोग होता है एवं सोखाई गड्ढों में निपटाया जाता है, कैन्टीन के अपशिष्ट जल जैविक उपचार एकक में उपचारित होता है। वाहन धुलाई क्षेत्र से धुलाई जल, तेल जल सेपरेटर में व्यवहृत होता है। कैन्टीन और वाहन धुलाई क्षेत्र से व्यवहृत जल धूल दमन एवं वृक्षारोपण के लिए संपूर्ण रूप से पुनः उपयोग किया जाता है।
			3. ध्वनि प्रदूषण: i) विस्फोट एवं भारी वाहनों के प्रचालन के दौरान ध्वनि	3. ध्वनि प्रदूषणः i) रिपिंग और डोजिंग से ब्लास्टिंग को बदला गया है। ध्वनि के गमन को रोकने के लिए परिधीय वृक्षारोपण। एचईएमएम में ध्वनि कम उत्पन्न करने वाले उपयुक्त उपकरण का चयन, ध्वनिरोधी केबिन का प्रावधान एवं कामगारों के लिए पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) का प्रावधान।
			4. ठोस अपशिष्ट प्रदूषण: i) खनिज लवणों के उत्खनन से ओवरबर्डन सामग्री ii) कैंटीन से जैव अपशिष्ट	4. ठोस अपशिष्ट प्रदूषण: i) ऊपरी मिट्टी एवं ओवरबर्डन का 100% पुनःउपयोग जो खनन किए हुए क्षेत्रों की पुनः भराई के लिए पूर्ण रूप से उपयोग किया जाता है। ii) जैव अपशिष्ट के उपचार के लिए बायोगैस।
			5. भूमि निम्निकरण: i) विस्फोट द्वारा एवं मशीनरी के प्रयोग से ओवरबर्डन एवं अयस्क सामग्री का उत्खनन	5. भूमि निम्निकरण: i) समवर्ती खनन एवं उत्खनित क्षेत्रों की पुनः भराई। विस्तृत पौधरोपण के साथ उत्खनित क्षेत्र का पुनर्वासन, इस तरह बंजर क्षेत्र का वन में रूपांतरण।

एनोड प्रभाव के दौरान इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट में टेट्राफ्लूरोमिथेन (सीएफ4) एवं हेक्साफ्लूरोइथेन (सी2 एफ6) का संश्लेषण किया जाता है। सर्वाधिक उन्नत 'एएलपीएसवाईएस' पॉट नियंत्रण प्रणाली से पॉट में सही समय पर एल्यूमिना की खुराक देते हुए परफ्लूरोकार्बन (पीएफसी) निस्सरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाता है जिससे एनोड प्रभाव की आवृत्ति एवं अवधि को कम करने में मदद मिलती है। वर्ष 2021-22 के लिए, प्रद्रावक पॉटलाइन से ए.पी. (एल्यूमिनियम पचिनी) ओवर वोल्टेज विधि के प्रयोग से पीएफसी निस्सरण का आकलन किया गया है एवं उनके मूल्यमान नीचे दिए गए हैं:

पीएफसी के प्रकार	वास्तविक निस्सरण
सीएफ4 (केजी/टी एएल)	0.0278
सी2 एफ6 (केजी/टी एएल)	0.0034

2.2 प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद के प्रति एकक के संसाधन प्रयोग (ऊर्जा, जल, कच्ची सामग्री) के सम्बंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें (वैकल्पिक)।

i) पूरी मूल्य श्रृंखला पर पिछले वर्ष से हासिल प्राप्ति/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती।
निम्नलिखित तालिका ख में पिछले वित्त वर्ष के दौरान हासिल कटौती दर्शायी गयी है :

तालिकाः ख

प्रति इकाई उत्पादन की विशिष्ट खपत	माप की इकाई	मानक	पूर्ववर्ती वर्ष (वि.व. 2020-21)	वर्तमान वर्ष (वि.व. 2021-22)
बॉक्साइट खानों में विस्फोटक की खपत	ग्राम/मे.टन	100	69.72	51.04
हाईड्रेट उत्पादन के लिए परिशोधक के एसपीपी में वाष्प उत्पन्न करने के लिए कोयला	टन/टन	0.642	0.638	0.634
एल्यूमिना परिशोधक में विद्युत ऊर्जा	कि.वा.घं./टन	316	318	317.58
प्रद्रावक में एल्यूमिनियम फ्लूओराइड की खपत	कि.ग्रा./मे.टन	19	17.6	17.4
प्रद्रावक में तप्त धातु के लिए शुद्ध कार्बन की खपत	कि.ग्रा./मे.टन	425 ± 5	424.0	430.0
एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए एल्यूमिना	टन/टन	1.920	1.9197	1.9194
ग्र.वि.सं. में ईंधन तेल की खपत	मि.ली./कि.वा.घ	0.80	1.614	1.195
ग्र.वि.सं. में कोयला की खपत	कि.ग्रा./कि.वा.घं .	0.815	0.856	0.883
ग्र.वि.सं. में सहायक विद्युत की खपत	%	11.40	11.227	11.634

ii) उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग के दौरान कटौती (ऊर्जा, जल) पिछले वर्ष से हासिल की गई है।
विनिर्देश के अनुसार हमारी सुसंगत उत्पाद गुणवत्ता हमारे ग्राहकों को परेशानी मुक्त प्रसंस्करण के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो ऊर्जा और जल में कटौती सुनिश्चित करती है। प्राथमिक धातु और एल्यूमिना उत्पादन क्षेत्र में होने के कारण, उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से ऊर्जा और पानी के उपयोग पर निगरानी रख पाना व्यवहारयोग्य नहीं है, जो कि स्वयं औद्योगिक संस्थाएं हैं। लेकिन उपभोक्ताओं की शिकायत की वस्तुस्थिति हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं कि हमारे उत्पाद उपभोक्ताओं के अभीष्ट उपयोग के लिए उपयुक्त

हैं। इसके अलावा, परिवहन क्षेत्र में एल्यूमिनियम का अधिकाधिक उपयोग ईंधन/ऊर्जा की खपत में कमी लाने के लिए अच्छा अवसर प्रदान करता है। एल्यूमिनियम के बारे में एक और बुनियादी लाभ यह है कि इसके पुनर्चक्रण की सीमा अनंत है और कम पुनर्चक्रण ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एल्यूमिनियम धातु का एक बार उत्पादन इसका असीम पुन: उपयोग सुनिश्चित करता है।

2.3 क्या कंपनी के पास संधारणीय आपूर्ति स्रोत (परिवहन समेत) के लिए कार्यपद्धतियाँ हैं?

अगर हाँ, आपके निविष्ट का कितना प्रतिशत संधारणीय आपूर्ति से था?

हाँ।

नालको में संधारणीय आपूर्ति स्रोत उन नीति, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के द्वारा कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है जो सभी महत्वपूर्ण खरीद सौदों में पूर्ण रूप से पालन किए जाते हैं। संधारणीय आपूर्ति स्रोत आपूर्तिकर्ताओं की चयन प्रक्रिया में वाणिज्यिक कुशलता के साथ सामाजिक, नैतिक एवं पर्यावरणीय विवेचना का एकीकरण होता है। हमारे सभी निविष्ट स्थायी रूप से प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि ये उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त किए जा रहे हैं जो एसए-8000 मानकों, पर्यावरण दिशानिर्देशों और हमारे नैतिक मानक के अनुरूप पालन करते हैं। आपूर्तिकर्ताओं के सामाजिक निष्पादन के लिए, एसए-8000 मानक का कार्यान्वयन किया गया है एवं अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप उचित नीति एवं मूल्य प्रणाली की व्यवस्था है। नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, नालको की खरीद नियमावलियों में पर्याप्त प्रावधान की व्यवस्था है। इसके अलावा, नालको का इंटिग्रिटी पैक्ट (सत्यनिष्ठा समझौता) नैतिक निष्पादन कारकों का ध्यान रखता है। इंटिग्रिटी पैक्ट एक हस्ताक्षरित कागजात होने के साथ जन करार दृष्टिकोण है, जो करार करने वाले प्राधिकरण एवं बोलीदाताओं को सर्वोत्तम कार्य-अभ्यासों एवं सर्वाधिक पारदर्शिता का पालन करने के लिए वचनबद्ध करता है। इसी प्रकार, आपूर्तिकर्ताओं को नालको की पर्यावरणीय नीति एवं दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए कहा जाता है।

इसके अलावा, खतरनाक सामग्रियों के परिवहन के दौरान, आपूर्तिकर्ताओ को कड़ाई से इस संबंध में निर्देश दिया जाता है।

(i) खतरनाक रसायनों/ज्वलनशील तरल/गैस सिलिंडर का निर्माण, संचयन, परिवहन एवं स्वामित्व के लिए प्रयोज्य पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा विधि-विधानों का पालन।

(ii) प्रथम कन्साइनमेंट के समय या कोई भी अद्यतन किए जाने पर नालको को आवश्यक सामग्री सुरक्षा डेटा शीट प्रदान करना।

(iii) परिवहन आकस्मिकताओं के संचालन के लिए चालकों को अपेक्षित परिवहन आपाककालीन कार्ड प्रदान करना।

एल्यूमिना परिशोधक में बॉक्साइट अयस्क का परिवहन पंचपटमाली पहाड़ियों के निकट स्थित हमारे ग्रहीत खान से अत्याधुनिक सिंगल हॉल केबल बेल्ट कन्वेयर के द्वारा किया जाता है जो धूल प्रदूषण को रोकने के लिए पूरी यात्रा में आच्छादित रहता है। एल्यूमिनियम प्रद्रावण के लिए व्यापक विद्युत ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे प्रद्रावक के नजदीक हमारे पास ग्रहीत विद्युत संयंत्र है। विद्युत संयंत्र के लिए कोयले की उपलब्धता तालचेर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित कोयला खानों से निर्दिष्ट मेरी गो राउंड रेलवे प्रणाली से की जाती है। दीर्घकालीन ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ब्रिज लिंकेज के माध्यम से कोयले को उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। कोयले की आपूर्ति में किसी भी कमी को ई-नीलामी मार्ग के जरिए कोयले की खरीद से पूरा किया जाता है। उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अन्य प्रमुख कच्चे माल जैसे कि एल्यूमिनियम फ्लूराइड, कॉस्टिक सोडा, सी.टी.पिच एवं सी.पी. कोक आदि की प्राप्ति बहु विक्रेताओं के माध्यम से की जाती है। प्रद्रावक एवं विद्युत और खान एवं परिशोधन संकुलों में हमारी निजी ग्रहीत रेलवे प्रणाली और बुधपंक, अनुगुल में रेलवे साइडिंग, निर्यात एवं आयात के लिए विशाखापत्तनम में पत्तन सुविधा, बॉक्साइट की परिशोधक में ढुलाई हेतु केबल बेल्ट कन्वेयर हमारी व्यापक परिवहन प्रणाली को दर्शाती है।

2.4 कार्यस्थल के आसपास के समुदायों समेत स्थानीय एवं लघु उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए क्या कंपनी द्वारा कदम उठाए गए हैं?

क) यदि हाँ, तो स्थानीय एवं लघु विक्रेताओं की क्षमता एवं समर्थता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के कुशल मंगल के लिए सभी सरकारी नियमों एवं अधिनियमों के अनुपालन के अलावा, नालको स्थानीय विक्रेताओं के विकास में सक्रिय रुचि लेता है। कंपनी ने अपने दोनों एककों में एमएसई सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना की है ताकि इन विक्रेताओं को तकनीकी, वाणिज्यिक क्षेत्रों में मार्गदर्शन प्रदान करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार ला सके। भारत सरकार द्वारा आरक्षित 358 मदों के अलावा एमएसई /अनुषंगी एककों द्वारा प्रस्तावित सभी वस्तुएं एवं सेवाएं सूचीबद्ध हैं एवं प्रमुखता से प्रदर्शित हैं तथा हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित हैं और विस्तृत प्रचार एवं जागरूकता के लिए सूक्ष्म, लघु उद्यम ऐप नमस्या (एमएसई के लिए नालको सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योगायोग अनुप्रयोग-द्विभाषी ऐप) में भी सम्मिलित हैं। नमस्या एमएसई विक्रेताओं के लिए एक मोबाइल ऐप है जो एमएसई को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विनिर्देश, विक्रेता विकास कार्यक्रम और नालको के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के साथ आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करते हुए सशक्त बनाता है। कंपनी ने खान एवं परिशोधन संकुल और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल दोनों के प्रदर्शनी हॉल में उत्पादों की प्रदर्शनी की है जिसकी आपूर्ति सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा की जा सकती है। उत्पाद के विकास के लिए तकनीकी जानकारी के साथ उत्पाद विवरण और वार्षिक आवश्यकता एवं अंतिम खरीद मूल्य आदि के बारे में जानकारी सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को प्रदान की जाती है। ऐसे एककों को बोली में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निविदाकार को प्रक्रिया में रियायत जैसे कि बयाना राशि जमा से मुक्ति दी गई है। एमएसई एककों को उनके लिए निर्दिष्ट उत्पादों और सेवाओं के लिए न्यूनतम उद्धृत मूल्य के 15% की सीमा में उद्धृत करके क्रय प्राथमिकता प्रदान करने के लिए हमारी क्रय पुस्तिका में उपयुक्त संशोधन किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुषंगी एककों समेत ओड़िशा के एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की खरीद ₹430.72 करोड़ रही (पिछले वित्त वर्ष के ₹373.82 करोड़ की तुलना में)। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एमएसई एककों (ओड़िशा के बाहर के समेत) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की कुल खरीद ₹713.80 करोड़ रही (वित्त वर्ष 2020-21 के ₹536.73 करोड़ की तुलना में) एवं न्यूनतम 25% के सरकारी लक्ष्य की तुलना में नालको द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की कुल खरीद का यह 31.22% है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए, एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) द्वारा उत्पादित उत्पादों एवं प्रदत्त सेवाओं की खरीद का लक्ष्य 2022-23 के लिए कुल वार्षिक खरीद का 25% रखा गया है जो पीपीपी-एमएसई आदेश के अनुसार है।

- वर्ष 2021-22 के लिए पीएलएसी (संयत्र स्तर की सलाहकारी समिति) की बैठक का आयोजन डीआईसी एवं एमएसएमई विभाग, ओड़िशा सरकार के सहयोग से दिनांक 13.12.2021 को वर्चुअल मोड में निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में किया गया।
- राष्ट्रीय एससी/एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) के सहयोग से महिला स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम और एससी/एसटी स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के पंजीकरण हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं एवं एनएसएसएचओ से अनुरोध किया गया है कि नालको द्वारा अपेक्षित मदों के लिए संभावित एससी/एसटी स्वामित्व के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) की पहचान करें। इस संबंध में, यहाँ उल्लेख किया जाता है कि नालको ने एमएसएमई विभाग, ओड़िशा सरकार द्वारा 11.03.2022 को भुवनेश्वर में आयोजित ‹महिलाओं के लिए उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम› में हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 100 महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई ने हिस्सा लिया था।
- सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेता से जीईएम प्लेटफॉर्म में आने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। साथ ही, चूंकि नालको आरएक्सआईएल (टीआरईडीएस पोर्टल) के

साथ पंजीकृत है, इसलिए सभी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विक्रेताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) को दिए गए फायदे प्राप्त करने के लिए टीआरईडीएस पोर्टल (आरएक्सआईएल) पोर्टल में पंजीकृत हो।

- कोविड-19 की परिस्थितियों के कारण लगाए गए प्रतिबंधों से, कंपनी वर्ष 2021-22 में केवल 07 विक्रेता सम्मेलनों (एमएसई सहित) का आयोजन कर सकी थी। ये सारी बैठकें केवल वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थीं।
- एमएसई (सूक्ष्म एवं लघु उद्यम) से नालको के खरीद आंकड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, भारत सरकार के "एमएसएमई संबंध" ऐप पर मासिक आधार पर अपलोड किए जा रहे हैं।
- नालको से पंजीकृत मौजूदा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम एवं गैर-पंजीकृत सूक्ष्म और लघु उद्यम के सुविधार्थ 13.07.18 को नमस्या (नालको माइक्रो एण्ड स्मॉल एंटरप्राइज योगायोग एप्लिकेशन) ऐप नालको द्वारा आरंभ किया गया है। यह ऐप सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया, तकनीकी विनिर्देश के साथ उनके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले मदों, विक्रेता विकास कार्यक्रम एवं नालको के प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि की जानकारी उपलब्ध कराता है।

2.5 उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण की प्रणाली क्या कंपनी के पास है? यदि हाँ, तो उत्पादों और अपशिष्टों के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है?

हाँ।

हमारी उत्पादन सुविधा बुनियादी एल्यूमिनियम उत्पाद के निर्माण के लिए निर्दिष्ट है जो अन्य गौण उत्पादों के लिए निविष्ट उत्पाद का काम करते हैं और हम एल्यूमिनियम के पुनर्चक्रण का उद्यम नहीं करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम उत्पाद अपने उपयोगी जीवनकाल की समाप्ति के बाद 100% पुनर्चक्रण योग्य होते हैं और उन्हें केवल 5% ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और ग्रीनहाउस गैस का केवल 5% ही निष्कासित होता है।

इसलिए जहाँ तक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की बात है, हम प्रक्रिया अपशिष्ट, धातु रद्दी एवं अपशिष्ट उत्पादों, बहिःस्रावों एवं औद्योगिक नाले के जल, राख तालाब एवं लाल पंक के तालाब से निस्तारित जल, खानों का ओवरबर्डन अधिकतम संभव सीमा तक पुनर्चक्रण करते हैं। हम हमारे एककों में वर्षा जल दोहन, भूमिगत जल को प्रभारित करना और मल जल के शोधन को भी कार्यान्वित करते हैं। वर्ष 2021-22 में, ग्र.वि.सं. राख तालाब से 1,44,77,860 घन मीटर जल, परिशोधन राख तालाब से 80,34,640 घन मीटर जल एवं परिशोधन लाल पंक तालाब से 44,03,629 घन मीटर जल का पुनर्चक्रण किया गया। इस विषय में हमारी कुछ उपलब्धियाँ नीचे तालिका में वर्णित हैः

तालिका गः वर्ष 2021-22 के दौरान अपशिष्ट का पुनर्चक्रण/पुनः उपयोग

एकक	उपयोग	प्रतिशत
बॉक्साइट खान	उत्खनित क्षेत्रों के समवर्ती पुनरुद्धार हेतु ओवरबर्डन का उपयोग	100%
एल्यूमिना परिशोधक	अपशिष्ट लाल पंक से पुनर्चक्रित कॉस्टिक सोडा	11.22%
	परिशोधक में राख का उपयोग	100.37%
	राख के तालाब जल का पुनर्चक्रण	92.58%
	लाल पंक तालाब जल का पुनर्चक्रण	157.62%
प्रद्रावक	एल्यूमिनियम स्क्रैप का पुनर्चक्रण	100%
	प्रक्रिया में निविष्ट के रूप में पुनर्चक्रित एल्यूमिनियम ड्रॉस	65.2%
	स्पेंट एनोड का पुनर्चक्रण	100%
ग्र.वि.स.	ग्र.वि.स. में राख का उपयोग	85.63%
	राख तालाब जल का पुनर्चक्रण	100%

सिद्धान्त 3: व्यवसाय से सभी कर्मचारियों का कल्याण प्रोन्नत होना चाहिए।

3.1 कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या बताएः
31.03.2022 को यथा, नियमित नियोजन में कर्मचारियों की कुल संख्या 5,525 है।

3.2 कृपया 31.03.2022 को यथा, अस्थायी/अनुबंध पर/आकस्मिक आधार पर किराए पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या बताएं:
नालको द्वारा कोई अनुबंधित/अस्थायी/आकस्मिक कर्मचारी नियोजित नहीं किए गए। आतिथ्य, रखरखाव, स्वच्छता, सफाई व्यवस्था एवं परियोजना गतिविधियों आदि क्षेत्रों में कार्यरत ठेकेदारों ने उनके अनुबंधित दायित्वों के निष्पादन के लिए 11,775 ठेका कामगारों को नियुक्त किया है।

3.3 कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या बताएं।
31.03.2022 को यथा, कुल 333 स्थायी महिला कर्मचारी नियुक्त की गई हैं।

3.4 कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या बताएः
31.03.2022 को यथा, नियमित नियोजन पर दिव्यांग जनों की कुल सं. 101 है।

3.5. क्या आपके पास प्रबंधन द्वारा मान्यताप्राप्त कोई कर्मचारी संघ है?
निगम कार्यालय, भुवनेश्वर में मान्यताप्राप्त यूनियन नालको एम्प्लॉयीज फोरम है। तथापि, वर्तमान में निगम कार्यालय को छोड़कर अन्य एककों में मान्यताप्राप्त यूनियन नहीं है।

3.6 इस मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्य के रूप में आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है?
अक्टूबर 2021 के दौरान निगम कार्यालय के लिए निष्पादित अंतिम गुप्त बैलेट मतदान के अनुसार, 76 में से कुल 39 अर्थात 51.3% संघबद्ध कर्मचारी मान्यताप्राप्त संघ के सदस्य हैं।

3.7 कृपया गत वित्तीय वर्ष में बाल मजदूर, जबरन मजदूर, गैर-स्वैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या बताएं एवं वित्तीय वर्ष के अंत में इन पर लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।
वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः

क्रम सं.	श्रेणी	वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	31.03.2022 को लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूर/जबरन मजदूर/गैर-स्वैच्छिक मजदूर	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	01	शून्य
3	पक्षपाती नियोजन	शून्य	शून्य

3.8 नीचे वर्णित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया था?

स्थायी कर्मचारी; स्थायी महिला कर्मचारी, अनियमित/अस्थायी/अनुबंधित कर्मचारी; दिव्यांग कर्मचारी।

उपर्युक्त प्रशिक्षण से संबंधित वस्तुस्थिति नीचे वर्णित है:

कर्मचारियों की श्रेणी	मौजूदा संख्या	सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल व्यक्ति	सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत
स्थायी कर्मचारी (महिला एवं दिव्यांग कर्मचारियों को छोड़कर)	5,091	1,226	24.08%
स्थायी महिला कर्मचारी	333	73	21.92%
अनियमित/अस्थायी/अनुबंधित कर्मचारी	शून्य	-	-
दिव्यांग कर्मचारी	101	41	40.59%

विभिन्न ठेकों के माध्यम से 1v1,775 कामगारों का नियोजन किया गया है, जिसमें से 5,658 कामगारों ने सुरक्षा एवं कौशल विकास प्रशिक्षण लिया है अर्थात 48.05%

सिद्धान्त 4: व्यवसाय सभी हितधारकों, विशेषकर सुविधाओं से रहित, संवेदनशील एवं कमजोर वर्गों के लिए हितकारी हो।

4.1 क्या कंपनी ने अपने आन्तरिक एवं वाह्य हितधारकों की सुव्यवस्था (मैपिंग) की है?

हाँ

भविष्य के लिए एक समेकित दृष्टि के निर्माण हेतु पारस्परिक साझा की समझ जरूरी है। नालको इस तथ्य को अच्छी तरह से समझता है और हमेशा अपने विविध हितधारकों को शामिल करते हुए आपसी साझा दायित्व को बढ़ावा देने और विकास करने का प्रयास करता है। कंपनी के हितधारकों में इसके आंतरिक हितधारकों जैसे कि इसके अपने कर्मचारियों से लेकर बाहरी हितधारकों जैसे कि ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, निवेशकों, सरकार और उनके प्रतिनिधियों और समितियों, स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, सांविधिक और नियामक प्राधिकरणों, सेवा प्रदाताओं और नौकरी अनुबंध कामगारों, उद्योग संघ आदि शामिल हैं।

हितधारकों की मैपिंग या मानचित्रण एक तकनीकी प्रक्रिया है जहां उन्हें सही ढंग से व्यवस्थित करने के लिए हर प्रकार की सावधानी बरती जाती हैं। हितधारकों की मैपिंग करते समय उनकी भौगोलिक स्थिति और अतिसेवंदनशील पहलुओं को विचार में लिया जाता है। इसके अलावा, परियोजनाओं की संकल्पाओं और लक्षित हितधारकों के लिए आवश्यकता आधारित मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है। परियोजनाओं की संकल्पानाओं के लिए प्रभावित होने की तीव्रता को भी विचार में लिया जाता है। सामुदायिक सहभागिता प्रक्रियाओं के माध्यम से आवश्यकाताओं का मानचित्रण और हितधारकों की जरूरतों को महत्व देते हुए पूरा किया जाता है। पारस्परिक अभिसरण, विश्वास और लाभ पर आधारित व्यापक सहभागिता तंत्र से एक ऐसे संबंध की स्थापना होती है जो आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों को पारस्परिक रूप से समृद्ध करता है। आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के साथ हमारे इस प्रकार की रणनीतिक सहभागिता प्रक्रिया ने हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप हमें अपनी नीतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादों को बनाने में सक्षम बनाया है।

4.2 उपर्युक्त में से, क्या आपकी कंपनी ने सुविधाओं से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारकों की पहचान की है?

हां, हितधारकों के मूल्यांकन से उचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और असुरक्षित हितधारकों की पहचान की है जिससे हमें उनकी अपेक्षाओं को व्यवस्थित करने में सहयोग मिलता है। नि.सा.उ. परियोजनाओं पर विचार करने से पहले सामाजिक-आर्थिक ढांचे की समीक्षा, आवश्यकता मूल्यांकन अभ्यास किए जाते हैं। समुदाय, प्रशासन और जन समाज सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श में जरूरतों की पहचान करने और प्राथमिकता स्थापित करने के लिए एक भागीदारी नजरिया अपनाया जा रहा है। उनकी प्रत्याशाओं का मानचित्रण तैयार करते समय, उनकी संवेदनशीलता, प्रभावहीनता और असुविधाजनित स्थिति के स्तर पर हमेशा सोच-विचार किया जाता है। इसके अलावा, यह ध्यान देने की बात है कि हमारे संयंत्र और खान उन जगहों पर अवस्थित हैं जहाँ अधिकतर लोग सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उनकी सामाजिक-भौगोलिक स्थिति ने उन्हें और अधिक संवेदनशील बना दिया है। कंपनी पहचान और प्राथमिकता प्रक्रिया को अधिक महत्व देते हुए सुविधाहीन, कमजोर और असुरक्षित हितधारकों की समस्याओं का निवारण करने और उन्हें वहां की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयासरत है। किसी भी कमजोर पहलू का अधिकतम प्रभाव पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

4.3 सुविधाओ से वंचित, संवेदनशील एवं कमजोर हितधारको से जुड़ने के लिए क्या कंपनी ने कोई विशेष प्रयास किया है?

रिपोर्टाधीन वित्तीय वर्ष में किए गए कुछ नए कार्यकलापों के साथ पिछले कुछ वर्षों से आज तक सुविधाओं से वंचित और कमजोर समुदायों के साथ जुड़ने के लिए कंपनी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण पहल की गई हैं जो निम्नवत् हैं:

क) परिधीय गाँवों में घर के द्वार तक स्वास्थ्य सेवा: मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट (एमएचयू) एवं ओपीडी सेन्टर के माध्यम से निःशुल्क औषधियाँ समेत आसपास के गाँववासियों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा।

ख) रायलसीमा बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य देखरेख कार्यक्रम: बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य देखभाल पहलों द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार को सहयोग दिया गया।

ग) कोविड संबंधित उपाय:

क. कोविड अवधि के दौरान फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, सूखे राशन का वितरण।

ख. ओड़िशा के नबरंगपुर में 200 शय्या वाले कोविड अस्पताल को सहयोग।

ग. ओड़िशा के अनुगुल जिले के बनारपाल में 150 शय्या वाले डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल को सहयोग।

घ. शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोरापुट के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहायता।

ङ मेडिकल ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशनों में डीजी सेट द्वारा राज्य प्रशासन को सहायता ताकि निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।

च. विशाखापटनम में अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलिंडर के रूप में सहयोग देते हुए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को विस्तारित किया गया।

छ. कर्नाटक राज्य के अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट।

ज. आरएटी किट प्रदान करते हुए रैपिड एंटिजन टेस्ट (आरएटी) में जिला प्रशासन को सहयोग।

घ) इंद्रधनुष: कोरापुट और भुवनेश्वर में तीन प्रसिद्ध स्कूलों में दामनजोड़ी के परिधीय गाँवों के आदिवासी छात्रों को आवासीय शिक्षा।

ङ) नालको की लाड़लीः ओड़िशा के कोरापुट एवं अनुगुल जिले से गरीबी रेखा से नीचे वर्ग (बीपीएल) की मेधावी कन्या छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में वित्तीय सहयोग।

च) गुणवत्ता शिक्षा को सुगम बनाने के लिए शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विकास।

छ) स्वच्छ भारत पहलः स्वच्छ प्रतिष्ठित पुण्यस्थल का विकास, स्वच्छ विद्यालय एवं स्वच्छता, स्वस्थता एवं समुचित कल्याण के लिए ओडीएफ गाँव।

ज) जरूरतमंदों के लिए पेयजल की सुविधाः प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल एवं उत्कल डी एवं ई कोयला ब्लॉक, छेंदीपाड़ा के परिधीय गाँवो में पेयजल सुविधा का प्रावधान।

झ) ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकासः परिधीय गाँवों में सड़कों, कल्वर्ट, नालों, आश्रय घर का निर्माण, समुदाय केन्द्रों एवं जलाधारों आदि का नवीकरण एवं मरम्मत।

ञ) महिला सशक्तिकरण: पोट्टांगी खान क्षेत्र के परिधीय गाँवों से आदिवासी महिलाओं को वैकल्पिक आजीविका स्रोत के लिए प्रोत्साहित किया गया। कटक एवं भुवनेश्वर, इन दो शहरों में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार पर जागरूकता फैलाई गई।

सिद्धान्त 5 : व्यवसाय मानवाधिकारों का सम्मान एवं प्रोत्साहन करे।

5.1 मानवाधिकार सिद्धान्त केवल हमारे सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं, बल्कि बाहरी स्रोतों से प्राप्त सभी कार्यों के ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवाप्रदाताओं पर भी लागू रहते हैं। प्रयोज्य विनियमों जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, खान अधिनियम 1972, ठेका मजदूर (आर एण्ड ए) अधिनियम 1970, उपदान का भुगतान अधिनियम 1972 के माध्यम से अधिदेशित मानवाधिकार अभ्यास कंपनी में सख्ती से पालन किए जाते हैं। साथ ही, कार्य ठेका परिस्थितियों में आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों के लिए, महत्वपूर्ण मानवाधिकार मसले अर्थात बाल मजदूर, जबरन एवं अनिवार्य मजदूर, पक्षपात, अनुशासनिक अभ्यास, मजदूरी एवं कार्य अनुसूची का यथा उपयुक्त ध्यान एसए 8000:2014 आवश्यकताओं के माध्यम से रखा जाता है जिसमें मानव अधिकार उल्लंघन के संबंध में निम्नलिखित उपायों द्वारा आप्रूर्तिकर्ताओं को नियंत्रित किया जाता है।

(i) सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों की प्रतिबद्धता के उचित लेखा का व्यवस्थापन।

(ii) एसए-8000 मानकों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों के प्रदर्शन और प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए उनका मूल्यांकन और चयन करने के लिए उचित प्रक्रिया की स्थापना एवं अनुरक्षण।

5.2 गत वित्तीय वर्ष में हितधारकों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं एवं प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषप्रद समाधान किया गया?

गत वित्तीय वर्ष के दौरान मानव अधिकार से जुड़े हितधारकों की कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। हितधारकों से अन्य शिकायतों की वस्तुस्थिति 1.2 में वर्णित है।

सिद्धान्त 6: व्यवसाय पर्यावरण का सम्मान व रक्षा करे एवं उसे बनाए रखने का प्रयास करे।

6.1 क्या सिद्धान्त 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी को या फिर समूह/संयुक्त उद्यम/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/गैर-सरकारी संगठनों/अन्य को भी शामिल करती है?

पर्यावरण के निम्नीकरण और वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) को रोकने की हमारी सुदृढ़ प्रतिबद्धता में हम हमारे सभी सहायिकाओं, भागीदारों और सेवाप्रदाताओं को शामिल करते हैं। आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को कोई भी कार्य सौपने से पहले हमारी पर्यावरण नीति के पालन की वचनबद्धता ली जाती है। इस विषय में हमारे एनआईटी कागजात में उपयुक्त खंड पेश किए गए हैं।

6.2 क्या कंपनी के पास वैश्विक पर्यावरणीय विषयों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) आदि के समाधान के लिए रणनीतियाँ/ प्रयास आदि हैं? हाँ/ना। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज के लिए हाइपरलिक आदि बताएं।

हाँ, नालको ने ग्रीन हाउस गैस के निस्सरण एवं संबंधित वैश्विक तापीकरण को कम करने के लिए हरित ऊर्जा प्रयास जैसे कि पवन ऊर्जा एवं सौर शक्ति को अपनाया है जो निम्नलिखित हैं:

- चार पवन विद्युत परियोजनाएँ- i) गण्डीकोटा, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा., ii) जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा., iii) देवीकोट, राजस्थान में 50 मे.वा. और iv) जाथ, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. व्यावसायिक प्रचालन में हैं।
- 160 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक), 100 केडब्ल्यूपी एवं 370 केडब्ल्यूपी क्षमता के तीन रूफ टॉप सौर फोटो वोल्टीय संयंत्र क्रमशः निगम कार्यालय, नालको टाउनशिप एवं नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआरटीसी), भुनवेश्वर में परिचालित हैं।
- 40 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) एवं 130 केडब्ल्यूपी क्षमता के दो रूफ टॉप सौर फोटो वोल्टीय संयंत्र क्रमशः परिशोधन संयंत्र और बॉक्साइट खान में परिचालित हैं।
- दामनजोड़ी, अनुगुल एवं विशाखापत्तनम में नालको के विभिन्न स्थानों में रूफ टॉप सौर संयंत्रों को स्थापित करने से संबंधित व्यवहार्यता/उपयुक्तता के मूल्यांकन हेतु अध्ययन कार्य जारी है।
- वर्ष के दौरान, प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में टाउनशिप सहित प्रद्रावक में 3,900 पौध, ग्र.वि.सं. में 2,500 पौध लगाए गए एवं 16,584 पौध निकटवर्ती गावों को वितरित किए गए।
- एल्यूमिना परिशोधक में, संयंत्र और टाउनशिप के उपयुक्त स्थानों में कुल 15,424 पौधों का रोपण किया गया ।
- हमारी पंचपटमाली खानों में उत्खनित क्षेत्र के पुनर्स्थापन एवं वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान कुल 1,10,263 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही, 5,000 पौध, जिनमें ज़्यादातर देशी फलदार नस्ल के हैं, का वितरण परिधीय गाँववासियों में किया गया है।
- कम्पनी कुल पाँच नर्सरियाँ संचालित कर रही है जिसमें प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में तीन एवं खान और परिशोधन संकुल में दो हैं जिसमें खान में एक ऊँचाई पर स्थित नर्सरी है।

ये नर्सरियाँ वनीकरण, सजावटी उपयोग, फलदार मौसमी विविध पौधों और गमलों में उगाए पौधों के लिए विविध प्रकार के नवांकुर उगाती हैं, जो वृक्षारोपण की आंतरिक जरूरत को पूरा करने के लिए आंशिक योगदान भी कर रही है। खान की नर्सरी 3 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है एवं खान की नर्सरी में उगे पौधों का इस्तेमाल करते हुए वर्ष के दौरान खान की नर्सरी में 1,10,263 पौधों को लगाया गया। वृक्षारोपण के लिए पौधों को उगाने के अलावा, विभिन्न नस्लों की वृद्धि का आकलन करने के लिए नर्सरी में हर साल प्रायोगिक वृक्षारोपण किया जाता है। प्राकृतिक स्थलाकृति के संरक्षण के लिए उत्खनित क्षेत्रों में भराई करके महत्वपूर्ण वनीकरण गतिविधियों के साथ खान में स्थित नर्सरी महत्त्वपूर्ण योगदान करती है। इस वर्ष के दौरान 16.55 हेक्टअर पुनरुद्धार क्षेत्र का वृक्षारोपण से पुनर्वास किया गया।

पवन विद्युत का विवरण नालको वेबसाइट एवं वेबलिंक में उपलब्ध हैः https://nalcoindia.com/business/operation/wind-power-plants/

6.3 क्या कंपनी संभावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान एवं आकलन करती है?

हाँ, व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन, अवस्थिति प्रभाव अध्ययन, आंतरिक एवं बाहरी पर्यावरीणय परीक्षा अवलोकन, संकट पहचान एवं जोखिम आकलन और आपातकालीन प्रबंधन योजनाएँ आदि के माध्यम से संभावी पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान की गई है। किसी भी अनुपालन दायित्वों अर्थात कानूनी आवश्यकताओँ या अन्य आवश्यकताओं के लिए, इस गतिविधि के संबंधित पहलू को उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे पहलुओं के लिए, मात्रात्मक मानदंड के साथ किए गए मूल्यांकन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। गैर-अनुपालन दायित्वों के पहलुओं के लिए, मूल्यांकन मात्रात्मक मानदंड एसएसपीडी [Scale (पैमाना), Severity (गंभीरता), Probability (संभाव्यता) और Duration (अवधि)] के आधार पर, हमारी महत्वपूर्ण गतिविधियों के चिह्नित पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन के लिए अपनाया जाता है। इसके अलावा, खान और उत्पादन सुविधाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण के दौरान ईआईए के निष्पादन के लिए पेशेवर एजेंसियां नियुक्त की गई हैं। पर्यावरण चिंताएँ, जोखिम, हमारे उत्पादों के लिए अवसर के समाधान अनुच्छेद 2.1, तालिका - क में वर्णित है।

6.4 क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास प्रणाली (सीडीएम) से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो इसका विवरण दें। साथ ही, यदि हाँ है, तो क्या कोई पर्यावरणीय अनुपालन रिपोर्ट दायर की गई है?

नहीं, वर्तमान में कंपनी स्वच्छ विकास प्रणाली से संबंधित कोई परियोजना नहीं है।

6.5 क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा पर कोई अन्य प्रयास किया है? यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के हाइपरलिंक बताएं।

हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा पर पर नालको के हाल के प्रयासों का वर्णन नीचे किया गया है।

- पवन विद्युत परियोजनाः गण्डीकोटा, कदप्पा, आंध्रप्रदेश में 50.4 मे.वा, लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान में 47.6 मे.वा., देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में 50 मे.वा. एवं जाथ, सांगली, महाराष्ट्र में 50.4 मे.वा. के अलावा तूतिकोरिन जिला, तमिलनाडु के कायाथार में 25.5 मे.वा. पवन विद्युत परियोजना निष्पादन के अधीन हैं।

  पवन विद्युत का विवरण नालको की वेबसाइट एवं वेबलिंक में उपलब्ध हैः https://nalcoindia.com/business/operation/wind-power-plants/

- रूफ टॉप सौर परियोजनाएँ: नालको निगम कार्यालय में 160 केडब्ल्यूपी, नालकोनगर टाउनशिप में 100 केडब्ल्यूपी, नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआरटीसी), भुवनेश्वर में 370 केडब्ल्यूपी और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में 370 केडब्ल्यूपी की स्थापना के अलावा, नालको ने नालको के पत्तन सुविधा विशाखपट्टनम में 100 केडब्ल्यूपी रूफटॉप सौर परियोजना का आदेश दिया है। वेबलिकः https://nalcoindia.com/business/operation/solar-power/

6.6 रिपोर्ट किए गए वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी द्वारा उत्पादित निस्सरण/अपशिष्ट क्या सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमन्य सीमाओं के अन्दर है?

कंपनी के परिचालन एककों द्वारा उत्पन्न सभी निस्सरण/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा निर्धारित अनुमेय सीमा के अंदर हैं। ऐसी सूचना से वर्णित पर्यावरण विवरण हर साल नियामक प्राधिकरण को पेश किया जाता है।

6.7 सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/कानूनी सूचना की संख्या जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित हैं (अर्थात संतुष्टि के तहत समाधान नहीं किया गया) ।

शून्य।

वित्तीय वर्ष के दौरान एसपीसीबी/सीपीसीबी से कोई कारण बताओ सूचना/कानूनी सूचना प्राप्त नहीं हुई।

सिद्धान्त 7: सार्वजनिक एवं नियामक नीति को प्रभावित करने वाले व्यवसाय, ऐसा दायित्वपूर्ण रूप में करे।

7.1 क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार और चेम्बर या संघ का सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख संघों का नाम बताएँ जिनसे आपका व्यवसाय जुड़ा हैः

हाँ। प्रमुख संघ हैं:

1. भारतीय एल्यूमिनियम संघ
2. सार्वजनिक उद्यम स्थायी सम्मेलन (स्कोप)
3. भारतीय खनिज उद्योग संघ (एफआईएमआई)
4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
5. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)
6. उत्कल चेम्बर ऑफ कॉमर्स
7. इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद
8. भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
9. इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स

10. रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद
11. राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान
12. भारतीय सेरामिक सोसाइटी
13. इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स
14. क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया
15. फेडरेशन ऑफ इडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

7.2 क्या आपने सार्वजनिक वस्तु की उन्नति या सुधार के लिए उपर्युक्त संघों से पैरवी की है/समर्थन प्राप्त किया है? यदि हाँ, तो विस्तार से निर्दिष्ट क्षेत्रों का उल्लेख करें (उदाहरण, अभिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियाँ, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, संधारणीय व्यवसाय सिद्धान्त, अन्य)।

जी हाँ, सार्वजिनक वस्तु हेतु लिए गए निर्दिष्ट क्षेत्र हैं:

- उड़नशील राख का उपयोग
- जल पुनर्चक्रण एवं संरक्षण
- जलवायु परिवर्तन कार्य योजना
- पर्यावरण का संरक्षण
- नि.सा.उ. एवं परिधीय विकास
- कौशल विकास एवं रोजगार उत्पत्ति
- ऑटोमोबाइल, विद्युत पारेषण, निर्माण एवं पैकेजिंग क्षेत्र में एल्यूमिनियम का वर्धित उपयोग
- संघारणीय खनन
- ऊर्जा, जल, खनिज संरक्षण
- कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं परिस्थिति विज्ञान
- उद्योगों की उन्नति के लिए आर्थिक नेतृत्व
- भारत सरकार की मेक इन इंडिया योजना के माध्यम से अनुप्रवाह एल्यूमिनियम उद्योगों का विकास
- निर्यात नीति का निर्माण एवं निर्यात प्रोत्साहन

सिद्धान्त 8: व्यवसाय समावेशी वृद्धि एवं समान विकास का पक्षधर हो।

8.1 क्या कंपनी के पास सिद्धान्त 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में निर्दिष्ट कार्यक्रम/पहल/परियोजनाएँ हैं? यदि हाँ, तो इनका विवरण दें।

हाँ, नालको सही मायने में असमानताओं के अभाव और हर मुमकिन तरीके से जरूरतों की संतुष्टि के माध्यम से विकास लाने में विश्वास करता है। इसलिए, समानता आधारित समाज की स्थापना करना कंपनी का प्रथम एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहा है। इसका ही परिणाम है कि इसके सभी संसाधनों को समाज में समानता आधारित विकास सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया जा रहा है क्योंकि इसका मानना है कि विकास की प्रवृत्ति हमेशा समावेशी होती है और "कोई भी अकेले में नहीं बढ़ सकता है"। इसके सभी हितधारकों का कल्याण कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। कंपनी की सभी नि.सा.उ. गतिविधियां/प्रयास एक ही लक्ष्य की ओर प्रेरित रहते हैं और वो है खुशियों का प्रसार। विकासपरक, न्यायसंगत और समावेशी विकास की प्रवृत्ति एकमात्र स्वीकार्य व्यवसाय मॉडल है जो स्थायी हो सकता है। इसलिए, ऐसे सभी कार्यों को महत्व दिया जाता है जो सबके लिए बेहतर गुणमान का जीवन सुनिश्चित करते हैं और अंततः कमजोर एवं निर्धन लोगों को मुख्यधारा में लाने में योगदान करते हैं।

नालको-की-लाडली, इंद्रधनुष, कोविड देखरेख अस्पताल सुविधा सहित कोविड प्रबंधन, पशु कल्याण, महिला सशक्तिकरण आदि कुछ ऐसे ही कार्य है, जिनका विवरण अनुच्छेद 8.4 में दिया गया है।

8.2 क्या आंतरिक टीम/निजी प्रतिष्ठान/बाहरी गैर-सरकारी प्रतिष्ठान/सरकारी क्षेत्रों/कोई अन्य संगठन के जरिए कार्यक्रम/परियोजना का कार्यान्वयन किया गया है?

निम्नलिखित के माध्यम से कंपनी की नि.सा.उ. गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है

(i) नालको फाउंडेशन (नालको द्वारा स्थापित और संचालित) (ii) सीधे नालको द्वारा:

क) नालको फाउंडेशन - नालको की नि.सा.उ. शाखा, नालको फाउंडेशन, जो भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत है, कंपनी की ओर से नि.सा.उ. परियोजनाओं का कार्यान्वयन करती है। जनसमुदायों से जुड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से, नि.सा.उ. परियोजनाओं की परिकल्पना की जाती है और इन्हें अमल में लाया जाता है, इससे जमीनी स्तर पर स्थायी मॉडल का विकास हो पाता है। साथ ही फाउंडेशन ने युवाओं, महिलाओं, पीआरआई सदस्यों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण में कदम उठाया है।

ख) सीधे नालको द्वारा भी कुछ परियोजनाओं का निष्पादन किया जा रहा है जो कार्यक्रम की प्रकृति और परिमाण के आधार पर होती हैं।

8.3 क्या आपने अपने प्रयासों का कोई मूल्यांकन किया है?

कंपनी की नि.सा.उ. नीति के अनुसार परियोजना की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता के आकलन के लिए तीन या उससे अधिक की अवधि हेतु महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए समय-समय पर सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन का कार्यान्वयन किया जाता है। नियमित रूप से प्रभाव मूल्यांकन और निगरानी से इन परियोजनाओं की प्रभावकारिता बेहतर हुई है और कार्यान्वयन की प्रक्रिया में सुव्यवस्था आ पाई है। अभी तक किए गए कुछ अध्ययनों का विवरण निम्नानुसार है:

i) खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी में नालको के सामाजिक आर्थिक अंशदान पर सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) अध्ययन फरवरी 2005 के दौरान मेसर्स आई-लैण्ड इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड, कोलकाता द्वारा किया गया था।

ii) प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल के परिधीय गाँवों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण दिसम्बर, 2008 के दौरान मेसर्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट (एनआईआरडी), हैदराबाद द्वारा किया गया था।

iii) नालको फाउंडेशन की परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन वर्ष 2012 के दौरान ओड़िशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के द्वारा संचालित किया गया।

iv) नालको द्वारा कार्यान्वित नि.सा.उ. परियोजनाओं का सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) वर्ष 2017 में प्रमुख संस्थान उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा निष्पादन किया गया।

v) 2019 में मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क (एमएसएसडब्ल्यू), चेन्नई के सहयोग से प्रभाव आकलन अध्ययन किया गया।

8.4 सामाजिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष अंशदान कितना है? भारतीय रुपये में राशि एवं हाथ में ली गई परियोजनाओं का विवरण।

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उपर्युक्त नि.सा.उ. गतिविधियों पर ₹36.91 करोड़ (लेखा परीक्षित) व्यय किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएँ हाथ में ली गई हैं:

क. स्वास्थ्य देखरेख सेवाएँ:

क.1 एमएचयू सेवाएँ और ओपीडी सेवाएँ: रिपोर्ट किए गए वर्ष में, प्रद्रावक एवं विद्युत सकुल, अनुगुल और खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी दोनों संयंत्र के परिधीय क्षेत्रों में लगभग 76 हजार रोगियों का इलाज 4 एमएचयू के माध्यम से किया गया है। अपने इस प्रयास से, समाज के इन कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य देखरेख की बुनियादी सुविधाओं तक उनकी पहुँच को आसान बनाकर उनके जीवन को बेहतर बनाने में सक्षम रहा है।

नालको टाउनशिप में एक विशिष्ट ओपीडी केंद्र का संचालन चल रहा है, जिसके माध्यम से प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल के आसपास के ग्रामीणों को मुफ्त दवा के साथ मुफ्त स्वास्थ्य परामर्श प्रदान किया जा रहा है। वित्त वर्ष में 18,114 रोगियों का विशिष्ट ओपीडी में इलाज किया गया। प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में, रेलवे स्टेशन, अनुगुल में स्थित लाइफलाइन एक्सप्रेस में परिधीय अंचलों के रोगियों के बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस सेवा प्रदान की गई।

क.2. कोविड देखरेख और प्रबंधन: बीमारी से बचाव के लिए, एमएचयू के माध्यम से परिधीय गांवों में कई जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ताकि कोविड से लड़ने के लिए स्वच्छता, हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और अन्य बुनियादी अभ्यासों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। यहाँ के पिछड़ेपन हालात को देखते हुए दामनजोड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर इस संबंध में विशेष जोर दिया गया। ग्राम विकास समितियों (वीडीसी) और महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से कोविड के उचित अभ्यासों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके अलावा, महामारी का सामना करने के लिए, हमारे संचालन के परिधीय क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियाँ अमल में लाई गईं:

i. जन जागरूकता और मास्क वितरण :- नालको महिला समिति द्वारा आगंतुकों और तीर्थयात्रियों को कोविड-19 के बारे जागरूकता फैलाने के लिए महत्वपूर्ण भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे कि भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के प्रवेश द्वार और पुरी के गांधी पार्क में नुक्कड़ नाटक जैसे जन जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन किया गया । कोविड -19 को फैलने से रोकने के उपाय के रूप में, राज्य स्तर पर 1 लाख से अधिक फेस मास्क का वितरण किया गया है।

ii. कई स्थानीय परिधीय गाँवों जैसे कि अनुगुल जिले के कुलाद, गिरंग, कंडासर, कन्याबेड़ा, गोटामारा, बलरामप्रसाद, कुकुडांग, तेंतोई, तेंतुलोई, कुरुडोल, एकघरिया आदि जैसे परिधीय गांवों और दामनजोड़ी के भेजापुट, मथलपुट, अनाबादी कॉलोनी और एसएलएन नगर को संक्रमणहीन बनाने के कार्य का निष्पादन किया गया।

iii. 24,000 किशोर कन्याओं को शामिल करते हुए अनुगुल, कोरापुट और खोर्धा सहित ओड़िशा के 7 जिलों के 155 स्कूलों में हाथ धोने के अभियान का आयोजन किया गया।

क.3 महामारी के दौरान राहत सेवाएँ:

i. प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल में राशन किट की आपूर्ति:- जिला प्रशासन, अनुगुल के अनुरोध पर, जिला प्रशासन को 1,000 राशन किट कोविड-19 महामारी की परिस्थिति से जूझ रहे गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में बाँटने के लिए प्रदान किए गए।

ii. घरेलू आवश्यक सामानों का वितरण :- केआईएसएस के तहत प्रायोजित छात्रों को उचित पोषण सुनिश्चित करने के लिए सूखा राशन दिया गया। भुवनेश्वर में, किराने की वस्तुएं मजदूरों में बाँटी गई।

iii. कमिशनरेट पुलिस के सहयोग से भुवनेश्वर में पुलिस और यातायात कर्मियों को अल्पाहार का वितरण।

iv. राज्य और उसके बाहर के क्षेत्रों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे का सशक्तिकरण: कोविड के बढ़ते प्रसार और गंभीरता से स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के संसाधनों और बुनियादी ढांचे में गंभीर अभाव उत्पन्न हुआ। यह देखते हुए, नालको ने महामारी से लड़ने के लिए हर संभव उपाय से सरकार को सहयोग दिया है। हमारे कुछ योगदानों का विवरण नीचे दिया गया है:

क. नबरंगपुर में कोविड अस्पताल की स्थापना: ओड़िशा सरकार के सहयोग से ओडिशा के नबरंगपुर में ₹5 करोड़ की अनुमानित लागत पर 10 आईसीयू शय्या, ऑक्सीमेट्री और 24 घंटे की डायग्नोस्टिक सुविधा से समृद्ध 200 शय्या वाले एक अस्पताल की स्थापना की गई है। एक हजार से अधिक कोविड रोगियों ने उपचार सुविधा का लाभ उठाया है।

ख. कंपनी ने प्रशिक्षित जनशक्ति की मदद से ईएसआई, बनारपाल में जिला कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्र के प्रबंधन में सहायता की।

ग. कंपनी के आधिपत्य वाले अस्पतालों में कोविड-19 के लिए निर्दिष्ट कोरोना कॉर्नर और आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं।

घ. खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल, अनुगुल, प्रत्येक में एक विशिष्ट कोविड केयर सेंटर की स्थापना कंपनी द्वारा की गई है। अनुगुल में नालको द्वारा निर्मित सेकेंडरी प्लस आई केयर सेंटर का उपयोग भी कोविड देखरेख केंद्र के रूप में किया जाता है।

ङ. कंपनी ने राज्य की कोविड प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राज्य प्रशासन के ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन हेतु डीजी सेट के रूप में सहयोग दिया।

च. कंपनी ने टीकों के परिवहन और वितरण के लिए राज्य प्रतिरक्षण प्रकोष्ठ को 25.70 लाख शीशी की वहन क्षमता वाला रेफ्रिजरेटेड ट्रक प्रदान किया।

छ. राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दो वेंटिलेटर एम्बुलेंस भेंट की गई।

ज. कंपनी ने विशाखापट्टणम के अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर और कर्नाटक के धारवाड़ जिले के अस्पतालों को ऑक्सीजन जेनरेटर प्रदान की।

झ. जिला प्रशासन, अनुगुल को रैपिड एंटीजन टेस्ट (आरएटी) किट प्रदान की गई।

ञ. कंपनी ने शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कोरापुट के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया।

ट. नगर पालिका अस्पताल, भुवनेश्वर में डिजिटल एक्स-रे मशीन लगाई गई।

ठ. एमएचयू सेवाओं का उपयोग: 4 एमएचयू द्वारा दामनजोड़ी के आसपास के 160 दूरगामी दुर्गम गाँव सहित 250 गाँवों में मुफ्त दवाओं के साथ बुनियादी स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएँ लगातार प्रदान की जा रही हैं। आपातकालीन स्थिति में रेफरल सेवाएँ भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

ड. पीएम केयर फंड में अंशदान: कंपनी ने प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में ₹5 करोड़ का अंशदान दिया, जो विशेष रूप से भविष्य में कोविड के प्रकोप और ऐसी महामारी परिस्थितियों के विरुद्ध रोकथाम उपायों और राहत प्रयासों को सहयोग देने के लिए गठित किया गया है।

ढ. नालको के कर्मचारियों और परिवार के सदस्यों ने विशेष रूप से लॉकडाउन के दौरान नालको प्रायोजित छात्रों के लिए, संदेह निवारण कक्षाओं का संचालन किया।

ख. स्वच्छता

ख.1. खुले में शौच से मुक्ति: स्वच्छ भारत मिशन के अनुसरण में नालको ने दामनजोड़ी और अनुगुल के दूरस्थ गाँवों में खुले में शौच से मुक्ति (ओडीएफ) कार्यक्रम के तहत 1055 एकक आईएचएचएल (पृथक घरेलू शौचालय) का निर्माण किया। रिपोर्ट किए गए वर्ष में, 539 आईएचएचएल एककों को लक्षित लाभार्थियों को सौप दिया गया है।

ग. सुरक्षित पेयजलः

ग.1 पाइप वाले पानी की आपूर्ति : अनुगुल में भारी औद्योगीकरण के कारण पानी की कमी और सतह वाले पानी के दुषित रहने का खतरा बना हुआ है। पानी के अभाव की समस्या के बेहतर एवं अधिक स्थायी समाधान के रूप में जिला प्रशासन के साथ विभिन्न गाँवों में पाइप वाले पानी की आपूर्ति की जा रही है। निम्नलिखित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता (आरडब्ल्यूएस एंड एस) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं –

i. गिरंग गाँव में 4103 गाँववासियों के लाभ के लिए पाइव वाले पानी की आपूर्ति।

ii. 11 फ्लोराइड दूषित क्षेत्रों में पाइप वाले पेयजल का नवीनीकरण: 11 गाँवों के 4386 अदद परिवार लाभान्वित होंगे। 5 गाँवों में पाइप वाले पानी की आपूर्ति का कार्य पूरा कर लिया गया है जहाँ सतह का जल दूषित है।

iii. ग्राम गोपीबल्लवपुर में बोरवेल की मरम्मत और नवीनीकरण सहित जलापूर्ति नेटवर्क का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।

घ. शिक्षा

घ.1 खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी और पोट्टांगी के परिधीय गांवों के गरीब, पिछड़े और आदिवासी बच्चों की आवासीय शिक्षा को प्रायोजित करना: कोरापुट के आसपास के क्षेत्रों में बड़े स्तर पर निरक्षरता को देखते हुए, कंपनी ने इन क्षेत्रों में शिक्षा पहुँचाने के प्रयासों पर जोर दिया है। नालको फाउंडेशन ने 'पूर्ण वित्तपोषित आवासीय शिक्षा कार्यक्रम' इन्द्रधनुष के तहत दामनजोड़ी और पोट्टांगी खानों के परिधीय गांवों के छात्रों को प्रायोजित किया है। वर्ष 2012-13 के दौरान आरंभ की गई इस परियोजना का लक्ष्य है केआईएसएस, भुवनेश्वर, विकास विद्यालय और आदर्श विद्यालय, कोरापुट में आसपास के गांवों के छात्रों को आवासीय रूप में उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करना।

इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत इस वर्ष 92% छात्रों ने सफलतापूर्वक अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की है। प्रायोजित छात्रों की प्रेरणा के लिए एचएससी में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के सम्मान का आयोजन किया गया। सभी छात्रों को एक टोकन उपहार के साथ सम्मानित किया गया और सबसे बेहतर अंक पाने वाले 3 छात्रों को माननीय कलेक्टर और जिलाधीश, कोरापुट और ईडी, नालको खान एवं परिशोधन संकुल द्वारा क्रमशः ₹10,000/-, ₹7,000/- और ₹5,000/- के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

घ.2. नालको की लाडली: भारत सरकार की "बेटी बचाओ बेटी पढाओ" योजना की तर्ज पर, नालको ने "नालको की लाडली" कार्यक्रम के तहत प्रद्रावक एवं विद्युत तथा खान एवं परिशोधन संकुल दोनों के आसपास के गाँवों की छात्राओं की शिक्षा को प्रायोजित किया है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) परिवारों की मेधावी लड़कियों के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सहयोग दिया गया है। मंद वित्तीय स्थिति के कारण लड़कियों के स्कूल छोड़ने की संख्या में कमी लाने में भी यह परियोजना मदद करती है। कुल 816 लड़कियों को अभी तक इस योजना के तहत सहयोग दिया गया है। वित्तीय सहयोग के अलावा, कंपनी खेल, पाठ्येतर और सह-पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करते हुए भी छात्राओं को बढ़ावा देने के साथ उन्हें प्रोत्साहित कर रही है।

घ.3. शैक्षिक संस्थानों को आधारभूत संरचनात्मक सहयोग: उच्च स्तर की शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना एक बुनियादी आवश्यकता है। कंपनी की नि.सा.उ. पहल के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं इस संबंध में लागू की गई हैं-

क) दामनजोड़ी के अंबागांव विद्यालयों में कक्षा और शौचालय सुविधाओं का निर्माण।

ख) जिला प्रशासन, गंजम को विद्यालयों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे और समुदाय चालित बदलाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग दिया गया।

ग) आदिवासी बहुल जिले कालाहांडी में हॉस्टल सुविधाओं के साथ एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल के निर्माण में सहायता।

घ) उच्च स्तर के शिक्षण परिणामों को प्रोत्साहित करने के लिए लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन को सहयोग।

ङ. आजीविका प्रोत्साहन

ङ.1 एसएचजी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण: कंपनी के नि.सा.उ. का उद्देश्य है एसएचजी सदस्यों और किसानों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और उन्नत कृषि विधियों के माध्यम से उनकी खाद्य सुरक्षा, आय और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने में उन्हें सक्षम बनाकर आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाना। इस दिशा में, ग्रामीणों को एसएचजी और वीडीसी जैसे सीबीओ के निर्माण में सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सीबीओ के गठन के बाद, सदस्यों को स्थायी कृषि धाराओं और अन्य आय सृजन गतिविधियों को सीखने के लिए संगठनों जैसे कि केवीके, सुनाबेडा और आईसीएआर, सुनाबेडा, ओआरएमएएस, ओएलएम, वित्तीय प्रतिष्ठानों के साथ उनके तकनीकी मार्गदर्शन के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया था एवं नियोजन किया गया था। बागवानी और कृषि विभाग के साथ अभिसरण के माध्यम से, किसानों को सरकार की विभिन्न

योजनाओं और पैकेजों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया गया है। एसएचजी सदस्यों द्वारा मशरूम की खेती में उनकी सफलता को ध्यान में रखते हुए और आय बढ़ाने के अन्य वैकल्पिक उपायों को अपनाने में उनकी बढ़ती मांग और रुचि को ध्यान में रखते हुए, रिपोर्ट किए गए वर्ष में इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। महिला किसानों को सब्जी के बीज प्रदान किए जा रहे हैं। रिपोर्ट किए गए वर्ष में मशरूम और कटहल के चिप्स के साथ, महिलाओं ने अदरक, गोभी, हरी मिर्च की खेती से अच्छी आमदनी की है। इसके अलावा, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) ने नालको द्वारा पुनःनिर्माण किए गए तालाब में मछली पालन के माध्यम इनकी बिक्री से अच्छी आमदनी प्राप्त की है। किसान को स्थायी आय दिलाने के लिए सामानों के सहयोग के साथ इसी प्रकार के अन्य क्षेत्रों में तकनीकी मार्गदर्शन और पूरा सहयोग भी दिया जाता है।

ङ.2. अगरबत्ती बनाने की मशीन दिव्यांगों (पीडब्ल्यूडी) के संगठन, चैरिटी फाउंडेशन ट्रस्ट को प्रदान की गई ताकि उनके लिए वैकल्पिक आजीविका का स्रोत सुनिश्चित हो सके।

ङ.3. सेबाघर संस्था को झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले बच्चों के लिए क्रेच-कम स्कूल की मरम्मत और रखरखाव और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाने के लिए सहयोग प्रदान किया गया।

च. पर्यावरणीय संधारणीयता

च.1 चक्रवाती तूफान फानी में भयंकर रूप से तबाह हो चुकी हरियाली की बहाली के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया था। चंडका क्षेत्र में चार वर्ष के लिए 60 हजार पौधों को लगाने एंव रखरखाव की योजना बनायी गई है।

छ. आधारभूत संरचना विकास परियोजनाएँ

यहाँ ध्यान देने की बात है कि दामनजोड़ी के दुरदराज के इलाकों में, आदिवासी लोगों को यात्रा के समय अत्यंत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए, भारी संख्या में जल निकासी के साथ सड़क सुविधाओं का निर्माण किया गया है जो न केवल सुगम संचार की सुविधा उपलब्ध कराती हैं, बल्कि शहरी क्षेत्रों में उनके आगमन को आसान बनाकर, वहाँ की भिन्न आजीविका की संभावनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सशक्तिकरण में भी मदद करती है। इसके अलावा, निम्नलिखित कार्यों का भी निष्पादन किया गया है:

छ.1 अंबागांव में कम्यूनिटी हॉल का निर्माण।

छ.2 मलकरबांध से मालीपुट तक निर्माण सड़क जिसमें पुलिया (कल्वर्ट) भी शामिल है।

छ.3 नालको थाना चौक से आईएपीएल स्क्वायर तक बीटी रोड का निर्माण।

छ.4 कर्णपुर लेवल क्रॉसिंग से भरतपुर कॉमन प्वाइंट तक सड़क का निर्माण।

छ.5 अंबागांव गांव के अंदर आरसीसी सड़क का निर्माण।

ज. आपदा प्रबंधन

यास चक्रवात के फलस्वरूप उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य प्रशासन को डीजी सेट, प्लाज्मा कटर और ट्री कटिंग मशीन के रूप में सहयोग दिया गया है।

झ. प्रतिष्ठित शहर परियोजना:

स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल विकास कार्यक्रम में भारत सरकार के निगम भागीदार के रूप में अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए और राष्ट्रीय धरोहर के संरक्षण के अपने मार्गदर्शी कार्यों को बरकरार रखते हुए, नालको ने स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थल के रूप में, भगवान जगन्नाथ मंदिर, समुद्र और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पुराने और ऐतिहासिक शहर पुरी के विकास के कार्य में अहम योगदान दिया है। लॉकडाउन और बंदी के बावजूद इस संबंध में निम्नलिखित प्रगति हासिल हुई है-

क) गांधी पार्क में मरम्मत, जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और रखरखाव कार्य के साथ बंद रहने की अवधि में पहरा और निगरानी के लिए सुरक्षा की तैनाती की गई थी।

ख) पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ बल्लव मठ, दर्शानार्थियों के वाहनों का पार्किंग स्थल, के बीच वृद्ध और विकलांग व्यक्तियों के परिवहन के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों का संचालन किया गया है।

ग) नालको ने श्री जगन्नाथ मंदिर के अंदर संग्रहालय और उपवन (उद्यान) के नवीनीकरण के लिए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन, पुरी को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

घ) नालको ने पुरी के विभिन्न स्थानों पर 12 अदद आरओ आधारित स्वच्छ जल चौकी की व्यवस्था की, जिससे लाखों भक्तजनों को लाभ होगा।

ञ. सामाजिक समारोह

भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। इसी पथ पर चलते हुए, नालको ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उत्सव की महिमा को सुशोभित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए। कुछ कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

(1) ओडिशा के पुरी, खोर्धा, अनुगुल, कोरापुट, नबरंगपुर और ढेंकनाल जिलों और आंध्रप्रदेश के विशाखापट्टणम जिले में 300 स्मार्ट क्लास का प्रबंध।

(2) वृद्धाश्रमों में निःशुल्क भोजन का वितरण।

(3) "अमा-घरा" नाम के बाल देखभाल संस्थान में सूखा राशन और पोशाक का वितरण। यह संगठन अनाथ बच्चों की मदद करता है।

8.5 क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है कि इस सामुदायिक विकास प्रयास को समुदाय द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया है?

परियोजनाओं का स्थायित्व लाभार्थियों द्वारा बदलाव के प्रति उनकी स्वीकृति और अपनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। नि.सा.उ. संकल्पनाओं एवं कार्यान्वयन के दौरान एक भागीदारी दृष्टिकोण, स्वीकृति स्थापित करने में कंपनी को लाभप्रद स्थिति में रखता है। चूंकि कार्यान्वयन से पहले सभी परियोजनाओं को समुदाय की आवश्यकता और अपेक्षाओं के पैमाने पर जांचा जाता है और लाभार्थियों की परस्पर सहभागिता द्वारा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसे में समुदाय परियोजनाओं को अपना समझ कर अपनाना शुरू कर दते हैं और इसके उत्पादन और परिणाम के लिए जिम्मेदार बनने लगते हैं। जरूरतों की पहचान जनसमुदाय की सहभागिता प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है और भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) उपायों के प्रयोग से इससे जुड़े समुदायों को उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), जैसे कि स्व-सहायी समूह (एसएचजी), गाँव विकास समिति (वीडीसी), युवा क्लब, किसान समूह आदि तैयार किए जा रहे हैं एवं क्षमता विकास कार्यक्रम द्वारा इन्हें सुदृढ़ किया जाता है जो बदलाव लाने वाले कारक के रूप में कार्य करते हैं एवं जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करते हैं। ये बदलाव कारक समुदाय द्वारा स्वीकृति को बढ़ाने एवं इन्हें अधिक अपनाने की दिशा में कार्य करते हैं। इसके अलावा, समय-समय पर संवेदनशील कार्याशालाएँ एवं ग्रामीण स्तर के सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिससे इन समुदाय आधारित परियोजना को मजबूती मिलती है जो इनके अपनाए जाने की वजह बनती है।

साथ ही, नालको सरकारी निकायों, एनजीओ (गैर-सरकारी संगठन) एवं अन्य कार्यक्रम कार्यान्वयनकारी एजेंसियों (पीआईए) के साथ सहयोगिता के मार्गों का भी अन्वेषण कर रही है ताकि स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, ग्रामीण विकास, पर्यावरण (वृक्षारोपण) एवं जातीयता जैसे विषयगत क्षेत्रों में समुदाय विकास प्रयासों का कार्यान्वयन किया जा सके और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपनाया जा सके।

सिद्धांत 9: व्यवसाय अपने ग्राहकों एवं उपभोक्ताओं से जुड़ा रहे एवं दायित्वशील रूप में मूल्यपूरक लाभ प्रदान करे।

9.1 वित्त वर्ष के अंत में ग्राहक शिकायतों/उपभोक्ताओं के कितने प्रतिशत मामले लम्बित हैं?

आईएसओ 9001 की शर्तों द्वारा निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार, विभिन्न मुद्दों जैसे कि भुगतान, देर से वितरण, गुणवत्ता, माल या प्रलेखन आदि के बारे में ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा किया जाता है। शिकायतों की प्रकृति के आधार पर, क्षेत्रीय कार्यालयों से नालको के प्रतिनिधि और/या संयंत्र से तकनीकी कार्मिक शिकायत की जाँच करने के लिए उपभोक्ता के परिसर में आते हैं एवं उसी स्थान पर आकलन करते हैं। उन उदाहरणों के मामले में, जब उपभोक्ता द्वारा क्षतिपूर्ति/दावा की जाती है, तो एक समिति दावा के बारे में सभी आवश्यक जाँच के बाद, पार्टी को हुई हानि का आकलन करती है एवं क्षतिपूर्ति की उपयुक्त देय राशि की सिफारिश करती है। एकमुश्त निपटान के रूप में, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लेने के बाद ग्राहक को इसका भुगतान किया जाता है। हमारी प्रक्रियाओं और उत्पादों में सुधार लाने के लिए ग्राहकों की शिकायतों की भी समीक्षा की जाती है।

31.03.2022 को यथा ग्राहक शिकायतों की वस्तुस्थिति पर रिपोर्ट इस प्रकार है:

31.03.2021 को यथा लंबित शिकायतें	शून्य
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त शिकायतें	05
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	05
31.03.2022 को यथा लंबित शिकायतें	शून्य
31.03.2022 को यथा लंबित ग्राहक शिकायतों का प्रतिशत	0%

9.2 स्थानीय नियमों के अनुसार अनिवार्य पहलुओं के अलावा उत्पाद के लेबल पर क्या कंपनी उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करती है?

नहीं।

काननी तौर पर केवल अनिवार्य पहल से संबंधित सूचना उत्पाद के लेबल पर दी जाती है।

एल्यूमिनियम धातु के लिए उत्पाद के लेबल पर उत्पाद के ग्रेड, स्टैक की सं., बंडल की सं., शुद्ध वजन प्रदर्शित किया जाता है। रोल्ड (वेल्लित) उत्पादों के मामले में, कंपनी का नाम एवं उत्पादन एकक व स्थान, कॉइल की सं., ग्रेड, माप (मोटाई X चौड़ाई) मि.मी. में, शुद्ध वजन (कि.ग्रा. में), निरीक्षण अधिकारी का हस्ताक्षर, पैकेजिंग की तिथि, सब स्टैक की सं. एवं प्रति पैकेट शीट की कुल संख्या (केवल वेल्लित चादरों के लिए) उत्पाद के लेबल पर प्रदर्शित रहते हैं। एल्यूमिना के मामले में, कंपनी का नाम एवं लोगो, उत्पाद की जानकारी और उत्पाद-कोड पैकेजिंग पर प्रदर्शित रहते हैं। विशेष उत्पाद हाईड्रेट के मामले में, शुद्ध वजन/सकल वजन भी प्रदर्शित रहते हैं।

9.3 क्या किसी हितधारक ने गत पाँच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध किसी अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी-विरोधी व्यवहार की शिकायत की है एवं वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित है। यदि है, तो इसका विवरण दें।

नहीं। गत पाँच वर्षों के दौरान, अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर दायित्वशील विज्ञापन और/या प्रतिस्पर्धी - विरोधी व्यवहार के संबंध में कंपनी के विरुद्ध किसी हितधारक का कोई मुकदमा नहीं है।

9.4 क्या आपकी कंपनी उपभोक्ता समीक्षा/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृत्तियाँ अपनाती है?

हाँ, हमारे उत्पादों और संबंधित सेवा पर उपभोक्ताओं एवं ग्राहकों की धारणाओं की प्राप्ति को हमारे संगठन में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। हमारी गुणवत्ता नीति ग्राहक की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को पूरा करने एवं हमारी कार्यप्रणाली एवं कार्य प्रकृति को निरंतर बेहतर बनाने पर बल देती है जो कि व्यवसाय में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए हमारे निर्धारित मार्ग हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों माध्यमों से हम हमारे उत्पाद एवं सेवा के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं एवं इस पर निरंतर काम करते हैं, ताकि हमारे ब्राण्ड की छवि को और बेहतर बना सकें। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सितम्बर और मार्च में समाप्त दो छह-माह की अवधियों के लिए ग्राहक संतुष्टि समीक्षा का संचालन वर्ष में दो बार किया जाता है, ताकि इन अवधियों में ग्राहकों की धारणाओं का अभिग्रहण हो सके। ग्राहकों से प्राप्त प्रत्युत्तर के आधार पर आकलित वर्ष के लिए औसत ग्राहक संतुष्टि सूचक लक्ष्य से अधिक है। ग्राहक संतुष्टि सूचक में अवलोकित रुझान को विपणन मोर्चे में हमारे कार्य प्रदर्शन के आकलन हेतु बुनियादी संकेतकों में से एक के रूप में लिया जाता है एवं विपणन क्षेत्र में और अधिक पैठ जमाने के लिए रणनीति तैयार करने हेतु उपयोग किया जाता है।

अनुलग्नक-IV

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय पर रिपोर्टः

1.0. ऊर्जा का संरक्षणः

1.1 ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाए गए कदम या प्रभावः

उत्पादन एककों के स्थायी संचालन के लिए, प्रतिस्पर्धी तरीके से आपकी कंपनी ने 2021-22 के दौरान कई ऊर्जा संरक्षण उपायों को अपनाया है। एकक विशिष्ट परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

1.2 विभिन्न एककों में ऊर्जा संरक्षण के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

1.2.1 बॉक्साइट खान:

1.2.1.1 ईंधन योज्य के उपयोग से डंपरों में डीजल की खपत में कमी आई है जिससे 49.95 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।

1.2.1.2 खनन मुहाने पर वाहनों की पार्किंग से डीजल की खपत में आई कमी से 128.48 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।

1.2.1.3 रिपर डोजर-व्हील लोडर संयोजन के बदले बैकहो शॉवेल के अधिक उपयोग से डीजल की खपत में कमी आई है जिससे 57 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।

1.2.1.4 खनन गड्ढे (पिट) से टिपरों में बॉक्साइट की सीधी लदाई से डीजल की खपत में कमी आई है जिससे 43.75 कि.ली. एचएसडी की बचत हुई है।

1.2.1.5 नए 130 ग्रिड संयोजित रूफ टॉप सौर संयंत्र की स्थापना और शुरुआत जून, 2021 में हर पहलू से पूरी की गई है और 31 मार्च, 2022 तक कुल सौर ऊर्जा उत्पादन 1,09,744 कि.वा.घं. है।

1.2.2 एल्यूमिना परिशोधक:

1.2.2.1 कैल्सिनर-सी में सहायक प्री-हीट एक्सचेंजर की स्थापना से एल्यूमिना उत्पादन हानि को रोकने में मदद मिली है।

1.2.2.2 एमबी I, II, III के सर्विस रिन्स वाटर (सेवा प्रक्षालन जल) को डिगैसर टैंक में पुन: चक्रण करके डीएम संयंत्र में फिल्टर पानी और ऊर्जा खपत में कमी लाई गई।

1.2.2.3 सुरक्षा वाल्वों से वेंटिंग के माध्यम से वाष्प के अपशिष्ट में कमी।

1.2.2.4 ऊर्जा सुदक्ष आईएफ2/आईई# क्लास एलटी मोटरों द्वारा 20 अदद पुराने और बहु रिवुंड मोटरों का प्रतिस्थापन ।

1.2.2.5 18 अदद पुराने एवं कम दक्षता वाले एसी को 3 स्टार और उससे अधिक रेटिंग के ऊर्जा सुदक्ष एसी से बदलना।

1.2.2.6 कैल्सिनेशन संयंत्र में एचएफओ खपत को कम करने के लिए योज्य का प्रयोग।

1.2.2.7 वित्तीय वर्ष 2021-22 में, पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान में कुल 7,100 अदद एलईडी फिटिंग के संस्थापन के माध्यम से 8,96,724 कि.वा.घं. की ऊर्जा बचत हासिल हुई थी।

1.2.2.8 डीएम संयंत्र के 2*20 कि.वा. रूफ टॉप सौर संयंत्र के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन का कार्यान्वयन किया गया है।

1.2. प्रद्रावक संयंत्र:

1.2.3.1 ग्रैफिटाइज किए हुए 864 पॉट प्रचालन में हैं, जिनमें से 74 पॉट को 2021-22 में ग्रैफिटाइज किया गया है, जिसने पॉट लाइन में 55 कि.वा.घ. / मे.ट. की दर से विशिष्ट विद्युत ऊर्जा खपत को कम करने में सक्षम किया है।

1.2.3.2 पॉट लाइन में 150 कि.वा.घं./मे.ट. की सीमा में विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत को कम करने के लिए रियो टिंटो/अल्कान, कनाडा और आपकी कंपनी के बीच विकास सहयोग अनुबंध के तहत विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से एक परीक्षण पायलट परियोजना-"प्रद्रावक संयंत्र (एपी2एक्सएन) के लिए कम ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी का विकास" का निष्पादन किया गया है।

1.2.3.3 पुरानी मोटरों को ऊर्जा सुदक्ष आईई3 मोटरों से प्रतिस्थापन: 2021-22 में कुल 111 अदद मोटरों (0.55 कि.वा. से 55 कि.वा. की सीमा में) को बदला गया था जिससे 8,36,556 कि.वा./वर्ष (0.83 मि.यू.) की ऊर्जा बचत हुई है।

1.2.3.4 पुराने कंप्रेसर हाउस ड्रायर -1 और 2 में: दो अदद जलशुष्कक ड्रायर को ऊर्जा सुदक्ष रेफ्रिजरेंट टाइप ड्रायर से बदला गया, जिसके फलस्वरूप 25,92,960 कि.वा.घं. की वार्षिक विद्युत ऊर्जा की बचत हुई।

1.2.3.5 कूलिंग टावर-3 में, मौजूदा 3 अदद कोल्ड वेल पम्पों को अपेक्षित हेड और फ्लो को अनुकूलित करके 3 अदद नए ऊर्जा सुदक्ष पम्पों से बदला गया। इससे 2,86,452 कि.वा.घं. की वार्षिक विद्युत ऊर्जा की बचत की गई।

1.2.3.6 पुराने कंप्रेसर हाउस में, मौजूदा स्क्रू कंप्रेसर को समान क्षमता के सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर से बदला गया था। इसके फलस्वरूप विशिष्ट ऊर्जा खपत, उपलब्धता और बेहतर संपीडित हवा के परिमाण में सुधार हुआ। विशिष्ट विद्युत खपत से संपीडित हवा में 0.04 कि.वा./घ.मी. की कमी आने की आशा है। वार्षिक ऊर्जा बचत 13,82,480 कि.वा. घंटा है।

1.2.3.7 ऊर्जा बचत पर आपकी कंपनी के प्रयासों को सीआईआई टीम ने स्वीकृति दी और कोलकाता में सीआईआई-ईस्टर रीजन द्वारा 14वें एनकॉन पुरस्कार, 2021 के वितरण के दौरान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के वृहत स्तर की श्रेणी (एनकॉन पुरस्कार) 2021 में "राज्य विजेता-ओड़िशा" से सम्मानित किया गया।

1.2.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्रः

1.2.4.1 अत्याधुनिक उन्नत प्रोफाइल हीटिंग तत्व और दोहरी बंदी व्यवस्था के साथ एकक -3 में मौजूदा एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण और आधुनिकीरण दिसंबर, 2021 में पूरा हुआ। इसके फलस्वरूप हवा के रिसाव में कमी आने और ताप हस्तांतरण में वृद्धि आने से बॉयलर दक्षता में वृद्धि हुई है।

1.2.4.2 एकक -3 और 9 में मौजूदा कंडेनसेट एक्सट्रैक्शन पंप (सीईपी) को 7 चरणों से 6 चरणों में डी-स्टेजिंग कार्य को पूरा किया गया, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत खपत में 40 कि.वा. प्रति यूनिट की कमी आई।

1.2.4.3 एकक-8 में इनर केसिंग सहित एचपी-आईपी रोटर को नए रोटर से बदलने का कार्य अक्टूबर-2021 में पूरा हुआ। प्रतिस्थापन के बाद, एकक-8 की ताप दर 170 कि.कै. / कि.वा. घं. कम हो गई।

1.2.4.4 वित्त वर्ष 2021-22 में, पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान में कुल 8,343 अदद एलईडी फिटिंग के संस्थापन से 15,29,732 कि.वा.घं. की ऊर्जा बचत हासिल हुई।

1.3 2021-22 के दौरान प्रस्तावित या चल रही ऊर्जा संरक्षण परियोजनाएँ:

1.3.1 बॉक्साइट खानें:

1.3.1.1 खनन पिट से टिपरों को बॉक्साइट की सीधी लदाई से एचएसडी की बचत पर कार्यान्वित लागत कटौती परियोजना प्रगति पर है।

1.3.1.2 40 केडब्ल्यूपी और 10 केडब्ल्यूपी की क्षमता के साथ कुछ और भवनों के लिए सोलर रूफ टॉप प्रक्रिया के अधीन हैं।

1.3.2 एल्यूमिना परिशोधक:

1.3.2.1 बड़ी सीमा में आउटपुट वोल्टेज समायोजन के साथ नए ऊर्जा दक्ष ट्रांसफार्मर द्वारा पुराने लाइटिंग ट्रांसफार्मर की बदली।

1.3.2.2 टूटफूट कम करने और ऊर्जा बचत के लिए ट्रैवल ड्राइव के सुगम और नियंत्रित स्टार्ट / स्टॉप हेतु स्टैकर-001 ट्रैवल ड्राइव में वीएफडी का प्रावधान ।

1.3.2.3 एकक # 1 एयर प्री-हीटर में पारंपरिक प्रोफाइल हीटिंग तत्वों को अत्याधुनिक प्रोफाइल हीटिंग तत्वों से प्रतिस्थापन।

1.3.2.4 यूनिट #1/#2/ #3 फर्नेस इंसुलेशन क्लैडिंग का प्रतिस्थापन ताकि विकिरण हानि को कम किया जा सके।

1.3.2.5 कैल्सिनर-डी में सहायक पीएचई की स्थापना संकल्पना के चरण में है।

1.3.2.6 बीएम-1001 और 1002 एयर कंप्रेशरों का पारस्परिक संयोजन ताकि दोनों मिलों के लिए एक समय में एक कंप्रेसर के संचालन से संभावित बिजली की बचत हो सके।

1.3.2.7 टीजी #2 रोटर और केसिंग का नवीनीकरण।

1.3.2.8 पुराने रेसीप्रोकेटिंग कम्प्रेसर को सेंट्रिफ्यूगल कम्प्रेसरों से बदलना ताकि विद्युत ऊर्जा की बचत हो सके।

1.3.3 प्रद्रावक संयंत्र:

1.3.3.1 बेकिंग फर्नेस में ईंधन तेल की खपत को कम करने के लिए एनोड बेकिंग फर्नेस (एबीएफ)-I में 84 अदद मेन रिंग डैम्परों को स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है।

1.3.3.2 पॉट में विशिष्ट डीसी ऊर्जी की खपत को कम करने एवं प्रक्रिया स्थिरता को बढ़ाने के लिए रॉडिंग शॉप-II में एनोड स्लॉट कटिंग मशीन की स्थापना पूरी हो चुकी है।

1.3.3.3 ऊर्जा की बचत के लिए पुराने कंप्रेसर हाउस (दो अदद) में रेफ्रिजरेंट टाइप ड्रायर के सफल स्थापन के बाद, आपकी कंपनी तीन नए रेफ्रिजरेंट टाइप ड्रायर को स्थापित करने की प्रक्रिया में है। इससे अधिक ऊर्जा की बचत होगी।

1.3.3.4 कास्ट हाउस-ए में ताप दक्षता को बढ़ाने के लिए, फर्नेस 8 सॉलिड मेटल चार्जिंग डोर (एसएमसीडी) प्रतिस्थापन के लिए संस्थापन एवं आरंभ किए जाने का कार्य प्रगति पर है।

1.3.3.5 बिलेट कास्टिंग सुविधा के फर्नेस-डी में, कम्बशन और एटमाइजिंग एयर ब्लोअर (45 किलोवाट और 22 किलोवाट) में वीएफडी की स्थापना प्रगति पर है।

1.3.3.6 कूलिंग टॉवर-1 में, पम्प-16 और 20 (75 कि.वा. प्रत्येक) में वीएफडी की स्थापना प्रगति पर है। इससे 50% ऊर्जा की बचत होगी।

1.3.3.7 होल्डिंग पूल में, 75 कि.वा. के पम्प में वीएफडी को स्थापित किया जा रहा है। यह 50% लोड पर प्रचालित होगा जिससे 50% ऊर्जा की बचत होगी।

1.3.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

1.3.4.1 अत्याधुनिक उन्नत प्रोफाइल हीटिंग तत्व और दोहरी बंदी व्यवस्था के साथ एकक -2, 4 एवं 5 में मौजूदा 03 सेट एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण और आधुनिकीरण किया गया। इसके फलस्वरूप हवा के रिसाव में कमी आने और ताप हस्तांतरण में वृद्धि आने के कारण बॉयलर दक्षता में वृद्धि होगी।

1.3.4.2 एकक -1 से 5 में एक कूलिंग टॉवर का उन्नयन: इससे कंडेनसर वैक्यूम बेहतर होगा, जिसके फलस्वरूप ताप दर और कोयले की खपत में कमी आएगी।

1.3.4.3 # 1 से # 5 के कूलिंग टॉवर फैन में वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल का कार्यान्वयन: इससे कूलिंग टॉवर फैन की विद्युत खपत को कम करने में मदद मिलेगी। इसका निर्माण कार्य प्रगति पर है।

1.3.4.4 कूलिंग वाटर में इस्तेमाल करने के लिए राख तालाब के अतिप्रवाह से वापस आए पानी के मैलापन को कम करने लिए क्लेरिफ्लोक्यूलेटर का निर्माण। कूलिंग वाटर में मैलापन कम रहने से कंडेनसर वैक्यूम में सुधार आएगा और ताप की दर और कोयले की खपत में कमी आएगी। निर्माण प्रगति पर है।

1.4 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का इस्तेमाल करने के लिए कंपनी के कतिपय प्रयास:

1.4.1 आपकी कंपनी निम्नलिखित पवन और सौर उत्पादन एककों का वाणिज्यिक रूप से प्रचालन कर रही है:

1.4.1.1 गण्डीकोटा, कदपा, आंध्रप्रदेश में एक 50.4 मे.वा. क्षमता का पवन विद्युत संयंत्र।

1.4.1.2 लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान में एक 47.6 मे.वा. क्षमता का पवन विद्युत संयंत्र।

1.4.1.3 देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान में एक 50 मे.वा. क्षमता का पवन विद्युत संयंत्र।

1.4.1.4 जाथ, सांगली, महाराष्ट्र में एक 50.4 मे.वा. क्षमता का पवन विद्युत संयंत्र।

1.4.1.5 नालको भवन, नालको नगर, नालको अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र, परिशोधक और पंचपटमाली बॉक्साइट खान के कार्यालय भवनों में एक 800 कि.वा. पीक क्षमता का रूफटॉप सोलर फोटो-वोल्टीय संयंत्र।

1.4.2 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आपकी कंपनी ने पवन ऊर्जा से 332 मि.यू. और सौर ऊर्जा से 0.63 मि.यू. का उत्पादन किया है।

1.4.3 वर्ष 2021-22 के दौरान ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग और वर्ष 2022-23 के दौरान कार्यान्वयन के संदर्भ में उठाए गए कदम:

1.4.3.1 खानों में एक 130 केडब्ल्यूपी आरटी एसपीवी संयंत्र की स्थापना, जो पहले ही चालू हो चुका है।

1.4.3.2 एल्यूमिना परिशोधन भवनों में एक 995 केडब्ल्यूपी आरटी एसपीवी संयंत्र प्रक्रियाधीन है।

1.4.3.3 पत्तन सुविधाओं में एक 100 केडब्ल्यूपी आरटी एसपीवी संयंत्र प्रक्रियाधीन है।

1.4.3.4 तमिलनाडु के कायाथार में एक 25.5 मे.वा. की पवन परियोजना संस्थापन के अधीन है।

1.5 ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश:

1.5.1 बॉक्साइट खान:

क्रम सं.	मद	निवेश (₹ लाख में)
1	ईंधन योज्य का उपयोग	09.60
2	रूफ टॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना (130 केडब्ल्यूपी)	78.44
3	रूफ टॉप सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना (50 केडब्ल्यूपी)	25.00

1.5.2 एल्यूमिना परिशोधक:

क्रम सं.	मद	निवेश (₹ लाख में)
1	टीजी #5 आंतरिक वाष्प मार्ग की सफाई	10.00
2	कैल्सिनर सी में सहायक पीएचई का प्रावधान	22.00
3	एमबी I, II, III के सर्विस रिन्स वाटर को डिगैसर टैंक में पुन:चक्रण करके डीएम संयंत्र में फिल्टर पानी और ऊर्जा खपत में कमी	0.30
4	सुरक्षा वाल्वों से वेंटिंग के माध्यम से वाष्प के अपशिष्ट में कमी	06.00
5	630 केवीए 11/0.415 केवी ऊर्जा सुदक्ष लाइटिंग ट्रान्सफॉर्मर	14.82
6	कैल्सिनेशन संयंत्र में एचएफओ खपत को कम करने के लिए योज्य का प्रयोग	361.00

1.5.3 प्रद्रावक संयंत्र:

क्रम सं.	मद	निवेश (₹ लाख में)
1	74 पॉट में कैथोड ब्लॉक में ग्रैफिटाइजेशन	7,354.59
2	ऊर्जा सुदक्ष आईई3 मोटरों से 111 अदद पुराने मोटरों की बदली (0.55 कि.वा. से 55 कि.वा. तक की सीमा)	127.83
3	उर्जा सुदक्ष ड्रायरों द्वारा दो ड्रायरों की बदली	23.60
4	समरूप क्षमता के सेंट्रिफ्यूगल कंप्रेशर द्वारा स्क्रू कंप्रेशर की बदली	145.00
5	3 अदद कोल्ड वेल पम्पों को 3 अदद नए उर्जा सुदक्ष पम्पों से बदला गया	14.26

1.5.4 ग्रहीत विद्युत संयंत्र:

क्रम सं.	मद	निवेश (₹ लाख में)
1	एकक-3 में वर्तमान एयर-प्रीहीटर का नवीनीकरण एवं आधुनिकीरण	478.88
2	एकक -3 और 9 में मौजूदा कंडेनसेट एक्सट्रैक्शन पंप (सीईपी) को 7 चरणों से 6 चरणों में डी-स्टेजिंग कार्य को पूरा किया गया	05.40
3	एकक-8 में इनर केसिंग सहित एचपी-आईपी रोटर को एक नए रोटर से बदली	2666.00
4	पारंपरिक लाइट फिटिंग के स्थान पर एलईडी फिटिंग की स्थापना	64.39

2.0 प्रौद्योगिकी अवशोषण, समावेशन एवं अभिनवताः

प्रौद्योगिकी	इसके लाभ
प्रद्रावक संयंत्र के लिए न्यून ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी का विकास (एपी2एक्सएन)	रियो टिंटो/अल्कान, कनाडा और नालको के बीच विकास सहयोग अनुबंध के अधीन विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करने के उद्देश्य से 15 पॉट के साथ पाइलट परियोजना का निष्पादन किया गया है। पॉट लाइन में 150 कि.वा.घं./मे.ट. की सीमा में विशिष्ट डीसी ऊर्जा खपत में कमी हासिल हुई है। न्यून ऊर्जा सेल प्रौद्योगिकी (एपी2एक्सएन) में अन्य 45 पॉट को बदलने के लिए क्रय प्रक्रिया शुरू की गई है।

3.0 पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी का विवरण :

आयातित/प्रोन्नत प्रौद्योगिकी	आयात/प्रोन्नत वर्ष	क्या प्रौद्योगिकी पूरी समाहित हुई है	यदि पूरी समाहित नहीं हुई है, जिन क्षेत्रों में क्षेत्रों प्रयुक्त नहीं हुई, उसके कारण एवं भावी कार्य योजना
बॉक्साइट के लिए मध्यम दाब पाचन			प्रस्तावित विस्तार के लिए कार्यान्वयन के अधीन

4.0 अनुसंधान एवं विकास पर व्ययः

₹ करोड़ में

प्रकृति	2021-22	2020-21
पूंजी	37.58	0.79
राजस्व	27.64	11.83
कुल	65.21	12.62
कारोबार के % रूप में अनुसंधान एवं विकास व्यय	0.45	0.14

5.0. विदेशी मुद्रा आय वर्ष 2020-21 के ₹5,060.72 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए ₹6,404.24 करोड़ है। रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा व्यय 2020-21 के ₹277.84 करोड़ की तुलना में ₹227.41 करोड़ था।

अनुलग्नक-V

निगम अभिशासन रिपोर्ट

1.0 अभिशासन संहिता की धारणा

निगम अभिशासन अपने आप में एक व्यापक शब्द है जिसमें सामाजिक और संस्थागत दोनों पहलू शामिल हैं। निगम अभिशासन एक विश्वास योग्य, नीतिगत और साथ ही नैतिक वातावरण के लिए प्रेरित करता है। यह पारदर्शिता, प्रकटन, उत्तरदायित्व और सत्यनिष्ठा की बुनियाद तैयार करता है। यह विधि-विधान से कहीं ज़्यादा मानसिकता का परिचय देता है जो सुशासन सुनिश्चित करता है। कोई विधि-विधान न होने पर भी सुशासन व्यवसाय के नैतिक अभ्यासों से सृजित होता है।

सुशासन निवेशकों के विश्वास को बढ़ाता है जिससे संगठन की पूंजीकरण क्षमता विकसित होती है। यह हितधारकों की अपेक्षाओं को बढ़ाने में मदद करता है और मजबूत एवं संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में सहयोग देता है। एक संगठन में सुशासन की भूमिका एक प्रेरक की तरह होती है जिसमें शेयरधारक अपने अधिकारों को अमल में लाते हैं और संगठन उनके अधिकारों को स्वीकृति देता है।

2.0. निदेशक मंडलः

कंपनी के समुचित कार्य-प्रदर्शन एवं दृश्यता में निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक प्रबुद्ध बोर्ड कंपनी के लिए दूरदृष्टि, रणनीति एवं नीति तैयार करता है एवं इसकी प्रभावकारिता के लिए, समय-समय पर समीक्षा करता है। निदेशक मंडल कंपनी के यथार्थ मालिक के रूप में शेयरधारकों के अपरिहार्य अधिकारों में एवं हितधारकों के संरक्षक के रूप में विश्वास करता है।

2.1 निदेशक मंडल का गठनः

2.1.1 निदेशक मंडल की स्वीकृत शक्ति निम्नानुसार हैः

(i) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित छह पूर्णकालिक (कार्यपालक) निदेशक

(ii) दो अंशकालिक सरकारी निदेशक

(iii) आठ अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

2.1.2 31 मार्च, 2022 को यथा बोर्ड का गठन निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	नियुक्ति की तिथि
कार्यात्मक निदेशकः			
1	श्री श्रीधर पात्र, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	6500954	17.12.2019
2	श्री राधाश्याम महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)	7248972	01.01.2020
3	श्री मनसा प्रसाद मिश्र, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	8951624	01.11.2020
4	श्री बिजय कुमार दास, निदेशक (उत्पादन)	8984700	01.12.2020
5	श्री रमेश चंद्र जोशी, निदशक (वित्त)*	8765394	04.02.2022
6	श्री सदाशिव सामन्तराय, निदेशक (वाणिज्यिक)#	8130130	22.03.2022
अंशकालिक सरकारी निदेशकः			
7	श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.	7151125	09.11.2020
8	डॉ. वीणा कुमारी डरमल , भा.डा.से.^	8890469	20.01.2022
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकः			
9	श्री रवि नाथ झा@	9396382	11.11.2021
10	डॉ. बी.आर रामकृष्ण@	2251602	15.11.2021
11	अधि. जॉर्ज कुरियन@	9398434	12.11.2021
12	डॉ. अजय नारंग@	368054	16.11.2021
13	श्री वाई. पी. चिल्लियो@	9396182	11.11.2021
14	सुश्री (डॉ.) शतोरूपा@	9396503	12.11.2021
15	अधि. दुष्यंत उपाध्याय@	9397101	12.11.2021
16	श्री संजय रमनलाल पटेल@	9545270	23.03.2022

* श्री रमेश चंद्र जोशी को 04.02.2022 से प्रभावी निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री सदाशिव सामन्तराय को 22.03.2022 से प्रभावी निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया था।

^ डॉ. वीणा कुमारी डरमल , भा.डा.से. को 20.01.2022 से प्रभावी अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

@ खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट- I दिनांक 10.11.2021 के तहत 7 (सात) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किए गए। इसके अलावा, खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट- I दिनांक 22.03.2022 के तहत श्री संजय रमनलाल पटेल तीन साल की अवधि के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

2.1.3 31.03.2022 को यथा, गैर-सरकारी निदेशकों का बोर्ड की कुल शक्ति में 62.50% हिस्सा है एवं एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का बोर्ड की कुल शक्ति में 50% हिस्सा है।

2.1.4 7(सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति दिनांक 10.11.2021 को नहीं होने तक बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 ("सेबी विनियम") के संबंधित प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था।

2.1.5 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, बोर्ड के गठन और विभिन्न सांविधिक समितियों की संरचना से संबंधित सेबी विनियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए एनएसई और बीएसई दोनों की ओर से जुर्माना लगाया गया था। एक सरकारी कंपनी में निदेशकों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी होने के नाते, प्रशासनिक मंत्रालय को एनएसई और बीएसई द्वारा लगाए गए जुर्माने के बारे में सूचना दी गई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की शीघ्र नियुक्ति की जाए। निदेशक मंडल के समक्ष समय-समय पर तथ्य रखे गए थे और तत्पश्चात निदेशक मंडल के निर्णय के बारे में संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया था।

खान मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10.11.2021 को अपेक्षित संख्या में अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति के बाद और फिर दिनांक 22.03.2022 को एक और अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक की नियुक्ति के बाद, बोर्ड का गठन अधिनियम और सेबी विनियमों के सभी आवश्यक प्रावधानों के अनुपालन में था। निदेशक मंडल के गठन से संबंधित अधिनियम और सेबी विनियमों के सभी अपेक्षित प्रावधानों के अनुपालन से जुड़े तथ्यों को दोनों स्टॉक एक्सचेंजों की जानकारी में लाया गया था और दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को उनके द्वारा लगाए गए सभी जुर्मानों को माफ करने के लिए अनुरोध किया गया था।

2.2 बोर्ड की बैठकें और निदेशकों की उपस्थिति:

2.2.1 बोर्ड नियमित अंतराल पर कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों/नीतियों की चर्चा करता है एवं निर्णय लेता है तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता है। सेबी विनियमों की अनुसूची II के भाग-क के साथ पठित विनियम 17 में निर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर बोर्ड को कार्यसूची के मदों की समीक्षा एवं विचार करने के लिए अनिवार्य किया गया है।

2.2.2 बोर्ड ने कुछ सांविधिक एवं कुछ गैर-सांविधिक प्रकृति की विभिन्न समितियों का गठन किया है।

2.2.3 बोर्ड की बैठकों, समिति की बैठकों एवं साधारण बैठकों के आयोजन हेतु भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का पालन किया जाता है।

2.2.4 आमतौर पर न्यूनतम 7 दिन की अग्रिम सूचना पर, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक/समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन के साथ बैठकें आयोजित हुई हैं। बैठक में तात्पर्यपूर्ण एवं सुविज्ञ चर्चा के लिए आमतौर पर बैठक की निर्धारित तिथि के कम से कम एक सप्ताह पूर्व विस्तृत कार्यसूची टिप्पणियों के साथ कार्यसूची प्रचारित की जाती है।

2.2.5 निदेशक मंडल की बैठकें एवं समिति की बैठकें साधारणतया कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित होती हैं। वर्ष के दौरान, 30 पर्यटक स्थलों में से एक में बैठक आयोजन करने के डीपीई के कार्यालय ज्ञापन का अनुपालन करते हुए विभिन्न बैठकें यथा प्रौद्योगिकी समिति, हितधारक संबंध समिति और अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की पृथक बैठक पुरी और चिल्का, ओड़िशा में आयोजित की गई थी।

2.2.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की 5 (पाँच) बैठकें आयोजित हुई। बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति के साथ बैठक की तिथियाँ निम्नानुसार हैं:

उपस्थित निदेशकों की सं.						
बोर्ड की बैठक की सं. एवं तिथि	बोर्ड की शक्ति	कार्यात्मक	अंशकालिक सरकारी	अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र)	कुल उपस्थिति	शक्ति पर उपस्थिति का %
329वाँ 28.06.2021	6	4	2	0	6	100
330वाँ 06.08.2021	6	4	2	0	6	100
331वाँ 06.09.2021	6	4	2	0	6	100
332वाँ 12.11.2021	6	4	2	0	6	100
333वाँ 07.02.2022	14	5	2	7	14	100

टिप्पणी:

(क) बोर्ड की किसी भी दो बैठकों के बीच अधिकतम समयान्तर 87 दिन था।

(ख) बोर्ड की 329वीं से 332वीं बैठकों के दौरान किसी भी अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक की उपस्थिति के बिना आवश्यक कोरम (निदेशकों की न्यूनतम संख्या) उपस्थित था। हालांकि, भारत सरकार के आदेश दिनांक 10.11.2021 के तहत एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित 7 (सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, बोर्ड की 333वीं बैठक में स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की आवश्यक संख्या मौजूद थी।

2.2.7 नीचे दी गई तालिका 2021-21 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठक में निदेशकगण की व्यक्तिगत उपस्थिति, अंतिम वार्षिक साधारण बैठक में उनकी उपस्थिति, अन्य कंपनियों में निदेशक पद एवं अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता एवं अध्यक्षता को दर्शाती है:

नाम एवं पदनाम	बोर्ड की बैठक		30.09.2021 को आयोजित 40वीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति	अन्य निदेशक पद की सं .	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति			सदस्यता	अध्यक्षता
श्री एस. पाल अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	5	5	हाँ	2	शून्य	शून्य
श्री आर.एस. महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एम.पी. मिश्र निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री बी. के. दास निदेशक (उत्पादन)	5	5	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री आर. सी. जोशी निदेशक (वित्त)*	1	1	लागू नहीं	1	शून्य	शून्य
श्री एस. सामन्तराय, निदेशक (वाणिज्यिक)#	0	0	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री सतेन्द्र सिंह, भा.प्र.से. अंशकालिक सरकारी निदेशक$	4	4	नहीं	1	शून्य	शून्य
श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से. अंशकालिक सरकारी निदेशक	5	5	नहीं	1	शून्य	शून्य
डॉ. वी. के. डरमल, भा.डा.से. अंशकालिक सरकारी निदेशक^	1	1	लागू नहीं	3	1	शून्य
श्री रवि नाथ झा अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. बी. आर. रामकृष्ण अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
अधि. जॉर्ज कुरियन अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. अजय नारंग अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	1	1	लागू नहीं	3	शून्य	शून्य
श्री वाई. पी. चिल्लियो अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
सुश्री (डॉ.) शतोरूपा अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
अधि. दुष्यंत उपाध्याय अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	1	1	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
श्री संजय रमनलाल पटेल अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	0	0	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी: सेबी विनियमों के विनियम 26 के अनुसार, सभी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति की सदस्यता/अध्यक्षता पर विचार किया गया है।

* श्री रमेश चंद्र जोशी को 04.02.2022 से प्रभावी निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था।

\# श्री सदाशिव सामन्तराय को 22.03.2022 से प्रभावी निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति के पश्चात 31.03.2022 तक बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई थी।

$ श्री सतेंद्र सिंह, भा.प्र.से., अंशकालिक सरकारी निदेशक का कार्यकाल 20.01.2022 को समाप्त हो गया।

^ डॉ. वीणा कुमारी डरमल , भा.डा.से. को 20.01.2022 से प्रभावी अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

@ खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट- I दिनांक 10.11.2021 के तहत 7 (सात) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किए गए। उनकी नियुक्ति के बाद केवल एक बोर्ड बैठक आयोजित हुई थी। इसके अलावा, खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट- I दिनांक 22.03.2022 के तहत श्री संजय रमनलाल पटेल तीन साल की अवधि के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए और उनकी नियुक्ति के पश्चात 31.03.2022 तक बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई थी।

2.2.8 सभी निदेशकों के निदेशक पद और समिति सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या अधिनियम और सेबी विनियमों के तहत निर्धारित संबंधित सीमाओं के अंदर है।

2.2.9 कोई भी निदेशक कंपनी के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से संबंधित नहीं है।

2.3 गैर-सरकारी निदेशक:

2.3.1 अंशकालिक सरकारी निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं जो बोर्ड का हिस्सा हैं।

2.3.2 जबकि अंशकालिक सरकारी निदेशकों को बोर्ड में प्रशासनिक मंत्रालय से नामित किया जाता है, अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

2.3.3 प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के आधार पर एवं बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशकगण अधिनियम, सेबी विनियमों के अधीन निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं एवं प्रबंधन से स्वतंत्र रहते हैं।

2.3.4 बोर्ड में निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति पर प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक को औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। औपचारिक पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी में स्वतंत्र निदेशक की भूमिका, कार्य, दायित्व एवं जिम्मेदारियों का उल्लेख रहता है। बोर्ड में किसी भी स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति होने पर, स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति पत्र कंपनी की वेबसाइट में उपलब्ध कराए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, खान मंत्रालय, भारत सरकार ने 8 (आठ) स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया है और उन्हें औपचारिक नियुक्ति पत्र जारी किए गए हैं तथा कंपनी की वेबसाइट पर उनकी प्रतियाँ निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध हैं: https://nalcoindia.com/investor-services/directors/formal-letter-of-appointment-of-independent-directors/

2.3.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने पद से पदत्याग नहीं किया है।

2.3.6 बोर्ड में स्वतंत्र निदेशको की नियुक्ति पर, उनके लिए अनुकूलन कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। स्वतंत्र निदेशक एएसएसओसीएचएएम, सीआईआई, स्कोप एवं डीपीई द्वारा आयोजित किए गए अनुकूलन कार्यक्रमों में उपस्थित होने के लिए नामित किए जाते हैं ताकि वे देशीय/ वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन/विकास पक्षों पर अद्यतन हो सकें । स्वतंत्र निदेशकों द्वारा उपस्थित हुए ऐसे कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है: https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2022/03/Fam-Programme-1.pdf

2.3.7 किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी में कोई शेयर नहीं है।

2.3.8 स्वतंत्र निदेशकों के पास कंपनी में स्टॉक विकल्प के संबंध में कोई अधिकार नहीं है।

2.3.9 सभी निदेशक कंपनी द्वारा लिए गए डायरेक्टर्स एण्ड ऑफिसर्स (डी एण्ड ओ) लायबिलिटी इंश्योरेंस के अधीन आते हैं।

2.3.10 बोर्ड में किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक की उम्र 75 वर्ष से अधिक नहीं है।

2.4 बोर्ड की दक्षता/विशेषज्ञता/सक्षमता :

आपकी कंपनी खान मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। कंपनी से संबंधित व्यवसाय के संदर्भ में बोर्ड की दक्षता/विशेषज्ञता/सक्षमता की पहचान भारत सरकार द्वारा की जाती है और इसी अनुसार भारत सरकार द्वारा कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन किया जाता है। अतएव, उद्योग की आवश्यकता के अनुसार कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों के पास विशेषज्ञता और सक्षमता रहती है।

2.5 बोर्ड के सदस्यों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकनः

2.5.1 चूंकि निदेशकों का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो बोर्ड, समितियों एवं व्यक्तिगत निदेशकों के औपचारिक मूल्यांकन की विधि जो कि बोर्ड रिपोर्ट में उल्लिखित किए जाने हेतु आवश्यक है, को सरकारी कंपनियों के लिए मुक्त रखा जाता है।

2.5.2 अधिनियम के अधीन बोर्ड सदस्यों के कार्य-प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित आवश्यकता को भी निगम मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 के परिपत्र के माध्यम से सरकारी कंपनियों को मुक्त रखा गया है।

2.5.3 स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक के दायरे से, सभी निदेशकों के विचारों को लेने के उपरांत कंपनी के चेयर पर्सन के कार्य-निष्पादन की समीक्षा को हटाते हुए ओएम दिनांक 20.06.2013 के माध्यम से डीपीई द्वारा समरूप रियायत प्रदान की गई है।

2.5.4 दिनांक 05.07.2017 के परिपत्र के माध्यम से एमसीए ने अधिनियम की अनुसूची IV में वर्णित अनुसार सरकारी कंपनियों के गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं चेयर पर्सन के मूल्यांकन कार्य तंत्र को हटा लिया है।

2.5.5 सेबी विनियम के अधीन सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों को ऐसी कोई रियायत/मुक्ति नहीं दी गई है।

2.5.6 डीपीई डीओ पत्र दिनांक 08.05.2018 के संदर्भ में डीपीई ने सीपीएसई के गैर-सरकारी निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की एक प्रणाली चालू की है। अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन का आकलन/मूल्यांकन उनकी उपस्थिति, योगदान के आधार पर किया जाता है।

3.0 निदेशकों को पारिश्रमिकः

3.1 आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक, लाभ एवं निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी) वर्तमान डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित है। एमसीए ने अधिनियम की धारा 178 के अधीन अपेक्षित, निदेशकों को पारिश्रमिक से संबंधित नीति के निर्धारण से सरकारी कंपनियों को मुक्त रखा है।

3.2 सभी कार्यात्मक निदेशक नई पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य हैं।

3.3 सरकारी नामित निदेशक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क पाने के अधिकारी नहीं हैं।

3.4 स्वतंत्र निदेशकों को उनके द्वारा उपस्थित निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए ₹30,000 तथा स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक समेत बोर्ड द्वारा गठित समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए ₹25,000 बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। शुल्क अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सांविधिक सीमा के अंदर है।

3.5 कंपनी निदेशकों के लिए बैठकों में उपस्थित होने हेतु आवश्यक व्यवस्था करती है। बैठकों में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए किसी भी फुटकर व्यय, यदि है, की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3.6 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित सभी कार्यात्मक निदेशक भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्यभार लेने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या सेवा-निवर्तन की उम्र होने तक या भारत सरकार की ओर से अगला आदेश नहीं मिलने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किए जाते हैं। अंशकालिक सरकारी निदेशक प्रशासनिक मंत्रालय से नामित होता है एवं प्रशासनिक मंत्रालय से अगला आदेश न मिलने तक कार्यभार संभालते हैं। अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति की ओर से 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

3.7 कंपनी ने वर्ष 2021-22 के दौरान कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

3.8 किसी भी निदेशक के लिए पृथक्करण शुल्क के भुगतान के लिए प्रावधान नहीं है। वर्तमान डीपीई दिशानिर्देशो एवं नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट अनुसार नोटिस अवधि लागू है।

3.9 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

नाम	वर्ष 2021-22 के लिए पारिश्रमिक (₹)		
	पारिश्रमिक के सभी घटक	अन्य लाभ	कुल
श्री एस.पाल अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	53,58,322	22,60,866.00	76,19,188
श्री आर. एस. महापात्र निदेशक (मानव संसाधन)	49,89,893	9,18,305.00	59,08,198
श्री एम. पी. मिश्र निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	52,60,811	12,15,408.00	64,76,219
श्री बी. के. दास निदेशक (उत्पादन)	65,18,186	12,19,848	77,38,034
श्री आर. सी. जोशी निदेशक (वित्त)*	8,47,636	1,724	8,49,360
श्री एस. सामन्तराय निदेशक (वाणिज्यिक)#	1,50,219	1,103	1,51,322

टिप्पणी: अन्य लाभ में लागू अनुसार उपदान, निष्पादन संबंधित भुगतान एवं चिकित्सा लाभ शामिल है।

* श्री आर.सी. जोशी को दिनांक 04.02.2022 से प्रभावी निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री एस. सामन्तराय को दिनांक 22.03.2022 से प्रभावी निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया था।

3.10 2021-22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:

नाम	बैठक शुल्क (₹)		
	बोर्ड की बैठक	समिति की बैठक	कुल (₹)
श्री रवि नाथ झा अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	27,000/-	45,000/-	72,000/-
डॉ. बी. आर. रामकृष्ण अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	27,000/-	90,000/-	1,17,000/-
अधि. जॉर्ज कुरियन अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	27,000/-	90,000/-	1,17,000/-
डॉ. अजय नारंग अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	27,000/-	90,000/-	1,17,000/-
श्री वाई. पी. चिल्लियो अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	27,000/-	90,000/-	1,17,000/-
सुश्री (डॉ.) शतोरूपा अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	27,000/-	45,000/-	72,000/-
अधि. दुष्यंत उपाध्याय अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	27,000/-	67,500/-	94,500/-
श्री संजय रमनलाल पटेल अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक@	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी: टीडीएस काटने के बाद बैठक शुल्क का भुगतान किया गया है।

@ खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट- I दिनांक 10.11.2021 के तहत 7 (सात) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किए गए। इसके अलावा, खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट- I दिनांक 22.03.2022 के तहत श्री संजय रमनलाल पटेल तीन साल की अवधि के लिए अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए।

4.0 बोर्ड की विभिन्न समितियाँ:

4.1 10 बोर्ड स्तर की समितियाँ हैं जिनमें से 7 समितियाँ सांविधिक हैं और 3 समितियाँ स्वैच्छिक प्रकृति की हैं। दिनांक 08.09.2020 से बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, खान मंत्रालय, भारत सरकार की आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से 7 (सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने तक, सांविधिक समितियों अर्थात लेखा परीक्षा समिति, नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन नहीं हो सका था। 7 (सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, सभी समितियों अर्थात सांविधिक और गैर-सांविधिक समितियों का पुनर्गठन किया गया।

4.2 बोर्ड बैठक से संबंधित सचिवीय मानक समिति बैठकों पर समान रूप से लागू हैं।

4.3 प्रत्येक समिति के संदर्भ की शर्तें बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।

5.0 सांविधिक समितियाँः

5.1 लेखा परीक्षा समितिः

5.1.1 कंपनी के बोर्ड में दिनांक 08.09.2020 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। अतएव, खान मंत्रालय, भारत सरकार की आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से 7 (सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने तक सेबी विनियमों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन नहीं हो सका था, इसके बाद समिति का पुनर्गठन किया गया था।

5.1.2 वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति एक बार अर्थात 07.02.2022 को मिली।

5.1.3 दिनांक 07.02.2022 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों एवं प्रत्येक सदस्य की बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार हैः

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
डॉ. अजय नारंग@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
डॉ. बी. आर. रामकृष्ण@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री दुष्यंत उपाध्याय@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री वाई.पी. चिल्लियो@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री बी. के. दास	कार्यात्मक	सदस्य	1	1

@ खान मंत्रालय, भारत सरकार की आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से इन अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

5.1.4 निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षा समिति के एक स्थाई विशेष आमंत्रित व्यक्ति हैं।

5.1.5 आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रधान, सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं लागत लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधि आवश्यकता के आधार पर बैठकों में आमंत्रित किए जाते हैं।

5.1.6 कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

5.1.7 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, 30.09.2021 को आयोजित 40वीं वार्षिक साधारण बैठक की तिथि को अध्यक्ष का पद रिक्त रहा था।

5.1.8 लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें विस्तार में निम्नानुसार हैं :

5.1.8.1 लेखापरीक्षा समिति के अधिकारः

(i) संदर्भ की शर्तों के अंदर किसी भी गतिविधि की जाँच करना।

(ii) किसी कर्मचारी से सूचना मांगना।

(iii) बाह्य कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना।

(iv) संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना, यदि आवश्यक हो।

5.1.8.2 अन्य बातों के साथ-साथ लेखा परीक्षा समिति के दायित्व में निम्नलिखित विषय शामिल हैं :

(i) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जाँच करना और इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय हैं।

(ii) बोर्ड को लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करना एवं यदि अपेक्षित हो, तो प्रतिस्थापन या निष्कासन के बारे में कहना, लेखा परीक्षा शुल्क एवं नियुक्ति की अन्य शर्तों को निर्धारित करना।

(iii) लागत लेखा परीक्षकों सहित सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान का अनुमोदन।

(iv) वार्षिक वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को बोर्ड के पास अनुमोदन के लिए जमा देने से पहले निम्नलिखित विशेष संदर्भ में प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करनाः

(क) अधिनियम की धारा 134(5) के अनुसरण में निदेशक की रिपोर्ट के लिए निदेशक के दायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले अपेक्षित मामले।

(ख) लेखांकन नीतियों एवं पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई है एवं इसके कारण।

(ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय प्रक्रिया के आधार पर आकलनों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ।

(घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों के फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण समायोजन।

(ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीयन एवं अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन।

(च) संबंधित पक्ष के लेनदेन का प्रकटन।

(छ) मसौदा लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं।

(v) तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरणों को अनुमोदन के लिए बोर्ड के पास जमा देने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(vi) इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, प्रिफरेंशियल इश्यू आदि) द्वारा प्राप्त निधियों के प्रयोग/अनुप्रयोग विवरण, प्रस्ताव कागजात/ विवरणिका/ सूचना में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त निधियों के विवरण एवं पब्लिक या राइट इश्यू की प्रक्रियाओं के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा दाखिल रिपोर्ट का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना एवं इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उपयुक्त सिफारिश करना।

(vii) लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं लेखा परीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन एवं प्रभावकारिता की समीक्षा एवं निगरानी करना।

(viii) सम्बन्धित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेनों का अनुमोदन या तत्पश्चात कोई रूपांतरण।

(ix) अंतर-निगमित ऋण एवं निवेश, यदि कोई है, की जाँच करना।

(x) कंपनी के वचनपत्रों या परिसंपत्तियों का, यथावश्यक मूल्यांकन करना।

(xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों एवं जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।

(xii) लागत लेखा परीक्षकों एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों समेत सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण।

(xiii) आतंरिक लेखा परीक्षा कार्य, यदि कोई है, की पर्याप्तता की समीक्षा करना, जिसमें आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, कर्मचारी, विभाग प्रमुख अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, दायरा एवं आंतरिक लेखा परीक्षा की आवृत्ति शामिल है।

(xiv) किन्हीं महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उन पर अनुवर्ती कार्यवाही के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा।

(xv) आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किन्हीं आंतरिक जाँचों के निष्कर्षों की उन मामलों में पुनरीक्षा करना जहाँ संदिग्ध धोखाधड़ी हो अथवा अनियमितता हो अथवा भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में विफलता हो और मामले की सूचना बोर्ड को देना।

(xvi) लेखा परीक्षा शुरू होने से पूर्व, लेखा परीक्षा के स्वरूप एवं क्षेत्र के बारे में, साथ ही किसी चिंता क्षेत्र का पता लगाने के लिए तत्पश्चात लेखा परीक्षा चर्चा के विषय में सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत।

(xvii) जमाकर्ताओं, डिबेंचरधारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांशों के गैर-भुगतान के मामले में) एवं लेनदारों के भुगतान में पर्याप्त चूक, यदि कोई है, के लिए कारणों की जाँच करना।

(xviii) सचेतक प्रणाली के कार्यकरण की पुनरीक्षा।

(xix) एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार सेबी (भीतरी व्यवसाय निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन का पुनरीक्षण एवं जाँच करना कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त हैं तथा ये प्रभावी तरीके से संचालित हैं।

(xx) इस प्रावधान के आने पर उस तिथि को विद्यमान वर्तमान ऋण/अग्रिम/निवेश समेत सहायक कंपनी में ₹100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी कम हो, होल्डिंग कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग किए जाने का पुनरीक्षण।

(xxi) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो कि कंपनी के निदेशक मंडल और/या निदेशकों की अन्य समितियों द्वारा समिति को विशेष रूप से संदर्भित किए गए हों।

5.1.8.3 लेखापरीक्षा समिति द्वारा निम्नलिखित सूचनाओं की अनिवार्य पुनरीक्षाः

(i) वित्तीय स्थिति की प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण और प्रचालनों के परिणाम;

(ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित पक्ष के महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण;

(iii) प्रबंधन पत्र/सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरी के पत्र;

(iv) आंतरिक नियंत्रण कमजोरी से संबंधित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट;

(v) आंतरिक लेखा परीक्षकों/मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन एवं पारिश्रमिक की शर्तें; और

(vi) व्यतिक्रमों का विवरण :

(क) निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट, यदि प्रयोज्य हो, समेत व्यतिक्रम के तिमाही विवरण विनियम 32(1) की शर्तों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों के पास जमा किए गए।

(ख) विनियम 32 (7) की शर्तों के अनुसार प्रस्ताव कागजात/विवरणिका/सूचना में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजन के लिए प्रयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण।

5.1.8.4 लेखा परीक्षा समिति की कार्यवाहियों में ये भी शामिल हैं:

(i) लागत नियंत्रण के पर्याप्त होने और प्रचालन के आकार के अनुरूप होने की जाँच करना।

(ii) आय बढ़ाए जा सकने वाले एवं लागत कम किए जा सकने वाले क्षेत्रों का अध्ययन करना।

(iii) उपर्युक्त प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली और बोर्ड को इसकी सिफारीश करना।

5.2. नामांकन और पारिश्रमिक समितिः

5.2.1 कंपनी के बोर्ड में दिनांक 08.09.2020 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। अतएव, खान मंत्रालय, भारत सरकार की आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से 7 (सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने तक सेबी विनियमों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन नहीं हो सका था, इसके बाद समिति का पुनर्गठन किया गया था।

5.2.2 समिति की संदर्भ की शर्तें हैं:

(i) कार्यपालकों एवं गैर-संगठित पर्यवेक्षकों में निर्धारित सीमा के अंदर वितरण के लिए वार्षिक बोनस/परिवर्तनशील पे पुल एवं नीति का अनुमोदन।

(ii) अधिनियम एवं सेबी विनियम में संलग्न विषयवस्तु।

5.2.3 एमसीए ने दिनांक 05.06.2015 एवं 05.07.2017 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कुछ निश्चित प्रावधानों जैसे कि बोर्ड और इसके व्यक्तिगत निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन, योग्यता, सकारात्मक अभिरुचि, निदेशकों की स्वतंत्रता हेतु नीति के निर्धारण एवं निदेशकों के पारिश्रमिक हेतु एक नीति बोर्ड को सिफारिश करने से छूट दी है। तथापि, सेबी विनियमों के अंतर्गत अभी तक सेबी द्वारा ऐसी कोई छूट प्रदान नही की गई है।

5.2.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

5.2.5 दिनांक 31.03.2022 को नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नानुसार हैः

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद
सुश्री (डॉ.) शतोरूपा@	स्वतंत्र	अध्यक्षा
श्री रवि नाथ झा@	स्वतंत्र	सदस्य
श्री वाई. पी. चिल्लियो@	स्वतंत्र	सदस्य

@ खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से इन अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

5.2.6 निदेशक (मानव संसाधन) और निदेशक (वित्त) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के आमंत्रित व्यक्ति हैं।

5.2.7 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, 30.09.2021 को आयोजित 40वीं वार्षिक साधारण बैठक की तिथि को अध्यक्ष का पद रिक्त रहा था।

5.3 हितधारक संबंध समितिः

5.3.1 कंपनी के बोर्ड में दिनांक 08.09.2020 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। अतएव, खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से 7 (सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने तक सेबी विनियमों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन नहीं हो सका था, इसके बाद समिति का पुनर्गठन किया गया था।

5.3.2 समिति शेयरों के अंतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, लाभांश प्राप्त न होने एवं अन्य संबंधित विषयों से जुड़ी निवेशकों की शिकायतों की निगरानी करती है।

5.3.3 समिति की संदर्भ की शर्तें हैं:

(i) शेयरों के अंतरण/संचरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने और साधारण बैठक आदि से संबंधित शिकायत समेत सूचीबद्ध संस्था के प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का निवारण करना।

(ii) शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकारों के प्रभावी निष्पादन हेतु लिए गए उपायों की समीक्षा करना।

(iii) रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा ग्रहीत सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना।

(iv) कंपनी के शेयरधारकों द्वारा दावारहित लाभांश के परिमाण को कम करने एवं लाभांश अधिपत्र/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक सूचनाओं की यथा समय प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सूचीबद्ध संस्था द्वारा लिए गए विभिन्न उपायों एवं प्रयासों की समीक्षा करना।

5.3.4 प्रत्यक्ष या सेबी, स्टॉक एक्सचेंज आदि के द्वारा शेयरधारकों को प्राप्त सभी शिकायतों पर विचार करने एवं समाधान करने हेतु मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) को रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। निवेशकों की संतुष्टि के तहत शिकायतों का संभावित समय में शीघ्रतर समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

5.3.5 सेबी विनियमों के विनियम 6(1) के तहत अपेक्षित अनुपालन अधिकारी के रूप में श्री एन. के. महान्ति, समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव को नामित किया गया है।

5.3.6 वर्ष के दौरान 26.02.2022 को एक बैठक का आयोजन किया गया।

5.3.7 26.02.2022 को आयोजित बैठक में हितधारक संबंध समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थिति निम्नानुसार है:

हितधारक संबंध समति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
अधि. जॉर्ज कुरियन@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री रवि नाथ झा@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री वाई. पी. चिल्लियो@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1

@ खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से इन अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

5.3.8 स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, 30.09.2021 को आयोजित 40वीं वार्षिक साधारण बैठक की तिथि को अध्यक्ष का पद रिक्त रहा था।

5.3.9 2021-22 के दौरान प्राप्त हुई एवं समाधान की गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

जिनसे प्राप्त हुई	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त हुई	वर्ष के दौरान समाधान की गई	अंतिम शेष
सेबी	0	0	0	0
स्टॉक एक्सचेंज	0	1	1	0
व्यक्तिगत	0	2,252	2,252	0
कुल	0	2,253	2,253	0

टिप्पणीः प्राप्त शिकायतों की सं. कंपनी के शेयरधारकों की कुल संख्या का 0.39% है। सभी शिकायतों का समाधान यथा संगत समय-सीमा में किया गया।

5.3.10 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राप्त हुई एवं समाधान की गई विभिन्न प्रकार की शिकायतों का विभाजन निम्नलिखित है:

शिकायतों के प्रकार	शिकायतों की संख्या
प्रतिभूतियाँ प्राप्त न होना	25
लाभांश प्राप्त न होना	2,216
वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होना	10
विमोचन अधिपत्र प्राप्त न होना	1
व्याज अधिपत्र प्राप्त न होना	1
कुल	2,253

5.3.11 इसके अलावा, सेबी विनियम के विनियम 40 में संशोधन करते हुए सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य किया गया है कि संचरण एवं प्रतिस्थापन मामले को छोड़कर 01.04.2019 से प्रभावी भौतिक शेयरों की प्रक्रिया/प्रभावी अंतरण न करें। प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने शेयरधारकों जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप में रखा है, को इन शेयरों को डीमैट/इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित कराने की सलाह दी है। इसके अलावा, सेबी के दिनांक 25.01.2022 के परिपत्र के अनुसार, संबंधित शेयरधारकों को 'पुष्टि का पत्र' प्रेषित करते हुए उनसे अनुरोध किया गया है कि वे डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, शेयरों का हस्तांतरण, प्रमाणपत्रों/फोलियो आदि के समेकन के संबंध में शेयरों के अभौतिकीकरण के लिए इसके जारी होने से 120 दिनों के अंदर अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास दाखिल करें।

5.4 जोखिम प्रबंधन समितिः

5.4.1 कंपनी के बोर्ड में दिनांक 08.09.2020 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। अतएव, खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से 7 (सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने तक सेबी विनियमों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन नहीं हो सका था, इसके बाद समिति का पुनर्गठन किया गया था।

5.4.2 समिति की संदर्भ की शर्तें हैं:

(i) प्रचालनात्मक, कार्यनीतिक, बाह्य पर्यावरण जोखिमों एवं साइबर सुरक्षा की पहचान, मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण के संबंध में उत्तरदायित्वों के निरीक्षण में निदेशक मण्डल को सहयोग देना।

(ii) कंपनी की जोखिम नीतियों एवं सम्बंधित पद्धतियों पर निगरानी रखने एवं अनुमोदित करने के लिए सम्पूर्ण जिम्मेदारी।

(iii) किसी भी सार्वजनिक कागजात या प्रकटन में जोखिम प्रकटन विवरणियों की समीक्षा करना एवं अनुमोदित करना।

5.4.3 समिति जोखिम आकलन योजना की समीक्षा एवं निगरानी करती है, आकलित जोखिम एवं उठाए जानेवाले आवश्यक कदम के बारे में समय-समय पर बोर्ड को सूचित करती है। ज्ञात हुए जोखिम का विवरण भी प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिया जाता है।

5.4.4 श्री एस.बी. महान्ति, महाप्रबंधक (वित्त) को 23.02.2022 से प्रभावी कंपनी का मुख्य जोखिम अधिकारी बनाया गया है।

5.4.5 वर्ष के दौरान 10.03.2022 को एक बार बैठक हुई।

5.4.6 10.03.2022 को आयोजित बैठक में जोखिम प्रबंधन समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य द्वारा उपस्थिति निम्नानुसार थीः

जोखिम प्रबंधन समति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
डॉ. बी. आर. रामकृष्ण@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
अधि. जॉर्ज कुरियन@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
डॉ. अजय नारंग@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री बी. के. दास	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री आर. सी. जोशी*	कार्यात्मक	सदस्य	1	1

@ खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से इन अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। *श्री आर. सी. जोशी को 04.02.2022 से प्रभावी निदेशक (वित्त) नियुक्त किया गया था।

5.5 नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति:

5.5.1 कंपनी के बोर्ड में दिनांक 08.09.2020 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। अतएव, खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से 7 (सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं होने तक सेबी विनियमों एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समिति का पुनर्गठन नहीं हो सका था, इसके बाद समिति का पुनर्गठन किया गया था।

5.5.2 समिति की संदर्भ की शर्तें हैं:

(i) संबंधित पुनर्वास एवं परिधीय विकास सलाहकारी समिति (आरपीडीएसी) के जरिए कंपनी द्वारा ली जा रही परिधीय विकास गतिविधियों की निगरानी की जा रही है और एमएमडीआर अधिनियम के अधीन लिए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) नालको फाउंडेशन।

(iii) पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण।

5.5.3 वर्ष के दौरान 07.02.2022 को एक बार बैठक हुई।

5.5.4 07.02.2022 को आयोजित बैठक में नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री दुष्यंत उपाध्याय@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
डॉ. बी. आर. रामकृष्ण@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
सुश्री (डॉ.) शतोरूपा@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री आर .एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री बी. के. दास, निदेशक (उत्पादन)	कार्यात्मक	सदस्य	1	1

@ खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से इन अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था।

5.6 प्रौद्योगिकी समितिः

5.6.1 डीपीई दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया गया।

5.6.2 समिति कंपनी के प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों का आकलन करने की निगरानी करती है एवं विशेष ध्यान देती है और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों के अर्जन एवं समावेशन के साथ-साथ प्रद्रावक, परिशोधक आदि से संबंधित विशेष खपत मानकों की समीक्षा एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्थायी शक्ति को बनाए रखने हेतु अपने अनुसंधान एवं विकास प्रयासों पर ध्यान देती है।

5.6.3 वर्ष के दौरान 26.02.2022 को समिति की एक बार बैठक हुई।

5.6.4 26.02.2022 को आयोजित बैठक में प्रौद्योगिकी समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

प्रौद्योगिकी समिति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			आयोजित	उपस्थिति
श्री वाई. पी. चिल्लियो@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
अधि. जॉर्ज कुरियन@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
डॉ. अजय नारंग@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री एम. पी. मिश्र, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री बी. के. दास, निदेशक (उत्पादन)	कार्यात्मक	सदस्य	1	1

@ खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से इन अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

5.7 शेयर अंतरण समितिः

5.7.1 फटे हुए/विरूपित/गुम हो चुके /पुनः भौतिकीकरण के मामले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के मामलों को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी कार्यकारी निदेशकों से संलग्न शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

5.7.2 समिति वर्ष के दौरान 05.05.2021, 08.12.2021 एवं 15.02.2022 को तीन बार बैठक की।

5.7.3 31.03.2022 को आयोजित बैठक में शेयर अंतरण समिति का गठन एवं प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति निम्नानुसार थी:

शयेर अंतरण समिति के सदस्य	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक	
			कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति
श्री आर. एस. महापात्र, निदेशक (मानव संसाधन)	कार्यात्मक	अध्यक्ष	3	3
श्री एम .पी. मिश्र, निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)	कार्यात्मक	सदस्य	3	3
श्री बी. के. दास, निदेशक (उत्पादन)	कार्यात्मक	सदस्य	3	3
श्री आर.सी. जोशी, निदेशक (वित्त)*	कार्यात्मक	सदस्य	1	1
श्री एस. सामन्तराय, निदेशक (वाणिज्यिक)#	कार्यात्मक	सदस्य	0	0

* श्री आर.सी. जोशी को 04.02.2022 से प्रभावी निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था।

\# श्री सदाशिव सामन्तराय को 22.03.2022 से निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी नियुक्ति की तिथि से 31.03.2022 तक कोई बैठक नहीं हुई थी।

6.0 बोर्ड की गैर-सांविधिक समितियाँ:

अधिनियम, सेबी विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की सांविधिक समितियों के अलावा, बोर्ड ने निम्नलिखित गैर-सांविधिक समितियों का भी गठन किया है और कंपनी के सुगम संचालन के लिए अधिकार प्रत्यायोजित किया गया है:

(i) मानव संसाधन समिति।

(ii) नैतिकता और निगम अभिशासन समिति।

(iii) परियोजनाओं और नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति।

7.0 स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक:

7.1 अधिनियम और साथ ही सेबी विनियमों के अधीन स्वतंत्र निदेशकों की पृथक बैठक एक आवश्यकता है।

7.2 निगम मामले मंत्रालय (एमसीए) ने सरकारी कंपनियों के लिए कुछ क्षेत्रों जैसे कि अध्यक्षा, गैर-स्वतंत्र निदेशकों एवं समग्र रूप से बोर्ड के कार्य-निष्पादन की समीक्षा को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक के दायरे से मुक्त रखा है।

7.3 कंपनी प्रबंधन एवं बोर्ड के बीच सूचना प्रवाह की गुणवत्ता, अधिकता एवं समयोचितता का आकलन समिति करती है, जो बोर्ड के लिए प्रभावी एवं पर्याप्त रूप से उनके दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक है।

7.4 वर्ष के दौरान, 26.02.2022 को एक बैठक हुई थी। स्वतंत्र निदेशकों की सलाह पर कंपनी सचिव ने बैठक के संयोजन एवं आयोजन की सुविधा प्रदान की।

7.5 26.02.2022 को आयोजित बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार थीः

नाम	निदेशक की श्रेणी	पद	बैठक आयोजित	बैठक में उपस्थिति
डॉ. बी. आर रामकृष्ण@	स्वतंत्र	अध्यक्ष	1	1
श्री रवि नाथ झा@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
अधि. जॉर्ज कुरियन@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
डॉ. अजय नारंग@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
श्री वाई. पी. चिल्लियो@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
सुश्री (डॉ.) शतोरूपा@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1
अधि. दुष्यंत उपाध्याय@	स्वतंत्र	सदस्य	1	1

@ खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10.11.2021 के माध्यम से 7 (सात) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया।

टिप्पणी: खान मंत्रालय, भारत सरकार की आदेश सं. 2/8/2020-मेट- I दिनांक 22.03.2022 के तहत श्री संजय रमनलाल पटेल को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, उनकी नियुक्ति के बाद से 31.03.2022 तक स्वतंत्र निदेशकों की कोई पृथक बैठक नहीं हुई थी।

7.6 बैठक के कार्यवृत्त को बोर्ड की जानकारी के लिए तत्पश्चात आयोजित बोर्ड बैठक में पेश किया गया था।

8.0 साधारण निकाय बैठकः

8.1 अंतिम तीन वर्षों में आयोजित वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण:

वित्तीय वर्ष	वार्षिक साधारण बैठक की तिथि	समय	विशेष प्रस्ताव, यदि कोई है	स्थान
2018-19	18.09.2019	सुबह 11.00 बजे	नहीं	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013
2019-20	30.09.2020	सुबह 11.00 बजे	नहीं	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से मानित स्थानः नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751 013
2020-21	30.09.2021	सुबह 11.00 बजे	नहीं	

8.2 पिछले 3 वर्षों के दौरान कोई असामान्य साधारण बैठक नहीं हुई है।

8.3 कोविड-19 के प्रकोप के कारण, निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भी कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। इसी अनुसार, पिछली वार्षिक साधारण बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की गई थी।

8.4 योग्य शेयरधारकों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने और स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने की सुविधा प्रदान की गई।

8.5 30.09.2021 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) के दौरान शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा दी गई थी। सदस्यों को एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई थी, जो रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपना वोट नहीं डाल सके थे।

8.6 ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट*:

8.6.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, शेयरधारकों द्वारा 11 मार्च, 2022 को ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति के लिए सामान्य/विशेष प्रस्तावों को अपेक्षित बहुमत से पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित किया गया था:

क्रम सं.	प्रस्ताव का विवरण	प्रस्ताव
1	डॉ. वीणा कुमारी ड/8रमल [डीआईएनः 08890469] को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति	साधारण
2	श्री रमेश चंद्र जोशी [डीआईएनः 08765394] को कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति	साधारण
3	श्री रवि नाथ झा [डीआईएनः 09396382] को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	विशेष
4	श्री वाई. पी. चिल्लियो [डीआईएनः 09396182] को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	विशेष
5	अधि. दुष्यंत उपाध्याय [डीआईएनः 09397101] को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	विशेष
6	अधि. जॉर्ज कुरियन [डीआईएनः 09398434] को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	विशेष
7	श्री सुश्री (डॉ.) शतोरूपा [डीआईएनः 09396503] को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	विशेष
8	डॉ. बी. आर. रामकृष्ण [डीआईएनः 02251602] को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	विशेष
9	डॉ. अजय नारंग [डीआईएनः 00368054] को कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति	विशेष

8.6.2 आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स सविता ज्योति एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, हैदराबाद की सुश्री सविता ज्योति (एम. नं.: एफ3738, सी. पी. नं.: 1796) को ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट की जांच के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

8.6.3 दिनांक 11 मार्च, 2022 की पोस्टल बैलेट सूचना के साथ व्याख्यात्मक विवरण, कंपनी के योग्य शेयरधारकों के पास भेजने का कार्य 14 मार्च, 2022 को पूरा किया गया था।

8.6.4 ई-वोटिंग की अवधि बुधवार, 16 मार्च, 2022 को सुबह 09.00 बजे (आईएसटी) शुरू हुई और बृहस्पतिवार, 14 अप्रैल, 2022 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त हुई।

8.6.5 संवीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया के परिणाम 18 अप्रैल, 2022 को घोषित किए गए।

8.6.6 अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार उपर्युक्त पोस्टल बैलेट से संबंधित सभी सांविधिक औपचारिकताएँ आवश्यक सांविधिक समय सीमा के अंदर पूरी की गई थीं।

*टिप्पणी: चूंकि, 11 मार्च, 2022 के उपर्युक्त पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू हुई थी और इसके लिए सभी कार्य 18 अप्रैल, 2022 अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 में पूरी की गई थीं, पोस्टल बैलेट के बारे में उपर्युक्त प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2021-22 की निगम अभिशासन रिपोर्ट में किया गया है।

9.0 संचार के माध्यमः

9.1 कंपनी एक अच्छे निगम अभिशासन अभ्यास के उपाय के रूप में भौतिक सूचना को साझा करने एवं समयानुसार परिणाम प्रकटन में विश्वास करती है।

9.2 पहली तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम और कंपनी की चौथी तिमाही एवं पूरे वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम सेबी (एलओडीआर) विनियमों के अनुसार निर्धारित समय के अंदर घोषित किए गए थे।

9.3 बोर्ड बैठकों जहाँ बोर्ड द्वारा परिणाम अनुमोदित किए गए थे, की समाप्ति पर निर्धारित समय के अंदर, एनएसई इलेक्ट्रॉनिक एप्लिकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम (एनईएपीएस) एवं बीएसई सूचीयन केन्द्र के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंजों के पास परिणाम जारी किए गए थे। इसके साथ ही, परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.nalcoindia.com पर अपलोड किए गए थे।

9.4 अंग्रेजी और ओड़िया समाचारपत्रों में प्रकाशित परिणामों के सार का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

परिणाम का विवरण	बैठक की तिथि	समाचार पत्र	प्रकाशन की तिथि
तिमाही 1- (अप्रैल-जून, 2021)	06.08.2021	बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) और समाज (ओड़िया)	07.08.2021
तिमाही 2- (जुलाई-सितंबर, 2021)	12.11.2021	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और संवाद (ओड़िया)	13.11.2021
तिमाही 3- (अक्टूबर-दिसंबर, 2021)	07.02.2022	बिजनेस स्टैन्डर्ड(अंग्रेजी) और धरित्री (ओड़िया)	08.02.2022
तिमाही 4- (जनवरी-मार्च, 2022 और वर्ष 2021-22)	25.05.2022	इकोनॉमिक टाइम्स (अंग्रेजी) और प्रमेय (ओड़िया)	26.05.2022

9.5 कंपनी ने शेयरधारकों को सूचित करने के लिए, ई-संचार पद्धति को अपनाया है। सभी प्रकार के पत्र/सूचनाएँ /रिपोर्ट उन शेयरधारकों के पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे जाते हैं जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी को डेटाबेस में पंजीकृत किया है। शेयरधारक जिन्होंने अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करने के लिए कहा जाता है ताकि संचार त्वरित एवं सुचारु हो सके।

9.6 कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य संचार सूचना उपयोगकर्ता उपयोगी एवं डाउनलोड किए जाने के रूप में वेबसाइट में दी गई है।

9.7 शेयरधारकों के लिए उनके लाभांश के नकदीकरण की वस्तुस्थिति एवं समय-समय पर अन्य संबंधित जानकारी पाने के लिए वेबसाइट में "निवेशक सेवा" पृष्ठ में ऑनलाइन प्राप्ति सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।

9.8 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के वित्तीय, भविष्य के विस्तार, विविधीकरण आदि विषयों पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के साथ साक्षात्कार को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा समय-समय पर विभिन्न चैनलों में प्रसारित किया गया था।

10.0 साधारण शेयरधारक सूचनाः

10.1 कंपनी पंजीकरण का विवरणः

निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	:	L27203OR1981GOI000920
कंपनी का पैन	:	AAACN7449M
कंपनी की जीएसटी	:	21AAACN7449M1Z9
पंजीकरण की तिथि	:	7 जनवरी, 1981
वित्तीय वर्ष	:	1 अप्रैल - 31 मार्च
कंपनी का पंजीकृत कार्यालय	:	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013, ओड़िशा

10.2 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक साधारण बैठकः

मौजूदा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, एमसीए ने सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 05.05.2022 के माध्यम से 31 दिसंबर, 2022 तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक आयोजित करने की अनुमति दी है। इसी अनुसार, इस वर्ष के लिए 41वीं वार्षिक साधारण बैठक बृहस्पतिवार, 22 सितंबर, 2022 को आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

दिन एवं तिथि	बृहस्पतिवार, 22 सितंबर, 2022
समय	सुबह 11.00 बजे
मानित स्थान	नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013
माध्यम	वीसी/ओएवीएम के माध्यम से

10.3 2022-23 के लिए वित्तीय कैलेंडर:

गतिविधियाँ	अनुमानित तिथि
प्रथम तीन तिमाहियों के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	संबंधित तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के अंदर
चौथी तिमाही के परिणाम समेत वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम	वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक साधारण बैठक	सितंबर, 2023 तक

10.4 लाभांश नीतिः

कंपनी ने लाभांश वितरण नीति का गठन किया है एवं यह कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैः https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Dividend-Policy.pdf

निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी हाल के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन कर पश्चात लाभ के 30% का न्यूनतम वार्षिक लाभांश या शुद्ध मूल्य का 5%, जो भी अधिक है, का भुगतान करेगी।

10.5 लाभांश का भुगतानः

10.5.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने दो चरणों में ₹ 5.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से कुल ₹918.32 करोड़ के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से ₹183.66 करोड़ के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल लाभांश भुगतान पिछले वर्ष के ₹460.61 करोड़ की तुलना में ₹1,101.98 करोड़ है। पिछले वित्तीय वर्ष के 35.44% की तुलना में कर उपरांत लाभ (पीएटी) का 37.33% लाभांश भुगतान किया गया।

10.5.2 निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 30% की दर से अंतिम लाभांश अर्थात ₹1.50 प्रति इक्विटी शेयर की सिफारिश की है जो आगामी वार्षिक साधारण बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

10.5.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 के अनुसार 01.04.2020 से प्रभावी लाभांश शेयरधारकों को टीडीएस के अधीन प्राप्त है। लाभांश की घोषणा के बाद, शेयरधारकों को सलाह दी गई थी कि वे फॉर्म 15जी/15एच जमा करें, ताकि यह सुनिश्चित हो पाए कि उनकी लाभांश आय से कोई टीडीएस नहीं काटा गया था। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लि., कंपनी के आरटीए ने फॉर्म 15जी / फॉर्म 15एच को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा के लिए शेयरधारकों को निम्नलिखित लिंक भी प्रदान किया है: https://ris.kfintech.com/form15/

10.6 पिछले 5 वर्षों के लाभांश का इतिहासः

वर्ष	प्रति शेयर लाभांश (₹)	भुगतान तिथि	कुल लाभांश (₹ करोड़ में)	कर पश्चात लाभ (पैट) में लाभांश का %
2016-17	(आई)- ₹2.80 (एफ)- शून्य	(आई)- 23.03.2017 (एफ)- लागू नहीं	541.22	80.96
2017-18	(आई)- ₹4.70 (एफ)- ₹1.00	(आई)- 28.02.2018 (एफ)- 24.09.2018	1,101.77	82.07
2018-19	(आई)- ₹4.50 (एफ)- ₹1.25	(आई)- 28.03.2019 (एफ)- 14.10.2019	1,072.73	161.49
2019-20	(आई)- ₹1.50 (एफ)- शून्य	(आई)- 06.03.2020 (एफ)- लागू नहीं	279.84	202.45
2020-21	प्रथम (आई)- ₹0.50 द्वितीय(आई)- ₹2.00 (एफ)- ₹1.00	प्रथम (आई)- 16.12.2021 द्वितीय(आई)- 31.03.2021 (एफ)- 25.10.2021	644.27	49.58

अंतरिम (आई), अंतिम (एफ)

10.7 सूचीयन विवरणः

नालको शेयरों का सूचीयन विवरण निम्नानुसार हैः

विवरण	स्टॉक एक्सचेंज जहाँ शेयर सूचीवद्ध हैं	
	बीएसई लिमिटेड	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
पता	फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001	एक्सचेंज प्लाजा, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा पूर्व, मुंबई - 400 051
स्क्रिप कोड	532234	NATIONALUM
से व्यापारित	19.10.1992	28.04.1999
स्टॉक कोड (आईएसआईएन)	आईएनई 139A01034	आईएनई 139A01034
2022-23 के लिए सूचीयन शुल्क का भुगतान	25.04.2022 को भुगतान	25.04.2022 को भुगतान

टिप्पणीः वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक परिरक्षा/जारीकर्ता शुल्क कंपनी द्वारा एनएसडीएल एवं सीडीएसएल को भुगतान किया गया है।

10.8 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बाजार मूल्य आंकड़ेः

माह	शेयर मूल्य (बीएसई) (राशि ₹ में)			शेयर मूल्य (एनएसई) (राशि ₹ में)			बाजार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)	
	उच्च	न्यून	औसत कारोबार	उच्च	न्यून	औसत कारोबार	बीएसई	एनएसई
अप्रैल, 2021	66.55	53.05	1979068.89	66.5	52.75	32828065.74	10814.66	10815.92
मई	82.3	64.05	3575634.75	82.1	64.15	53285575.55	12780.75	13412.19
जून	82.5	65.05	2966756.68	84.3	65.05	35171004	13252.5	13257.64
जुलाई	96	77.6	3481376	96	77.6	41459022.81	15590.03	15598.16
अगस्त	97.45	71.2	3587696.1	97.45	71.25	41839143.76	15591.01	15595.02
सितंबर	102.3	83.9	2514738.48	102.45	85.2	36596706.1	17172.08	17179.59
अक्टूबर	124.75	90.1	3022268.7	127.95	90.05	47956382.2	19031.46	19033.84
नवंबर	105	86.3	2252640.05	104.4	86.3	28331093.8	17973.01	17974.56
दिसंबर	105.9	87.05	1593783.52	105.95	87.05	25169593.48	17999.61	18003.14
जनवरी, 2022	115.25	99.3	1538436.21	115.25	99.1	23781073.95	19821.8	19855.64
फरवरी	128.3	108.85	1629690.43	128.25	108.85	28225760.65	21644.91	21736.17
मार्च	132.75	112.5	1730626.43	132.7	112.5	31446495.29	22380.24	22374.11

उच्च = उच्चतम, न्यून = न्यूनतम, स्रोत: बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट

10.9 व्यापक-आधारित सूचियों की तुलना में प्रदर्शनः

बीएसईः

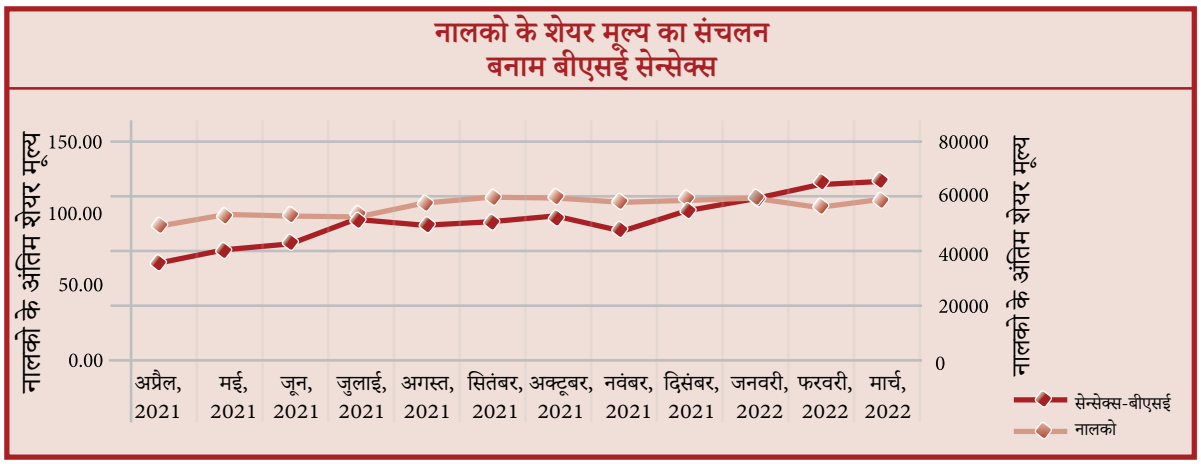

एनएसईः

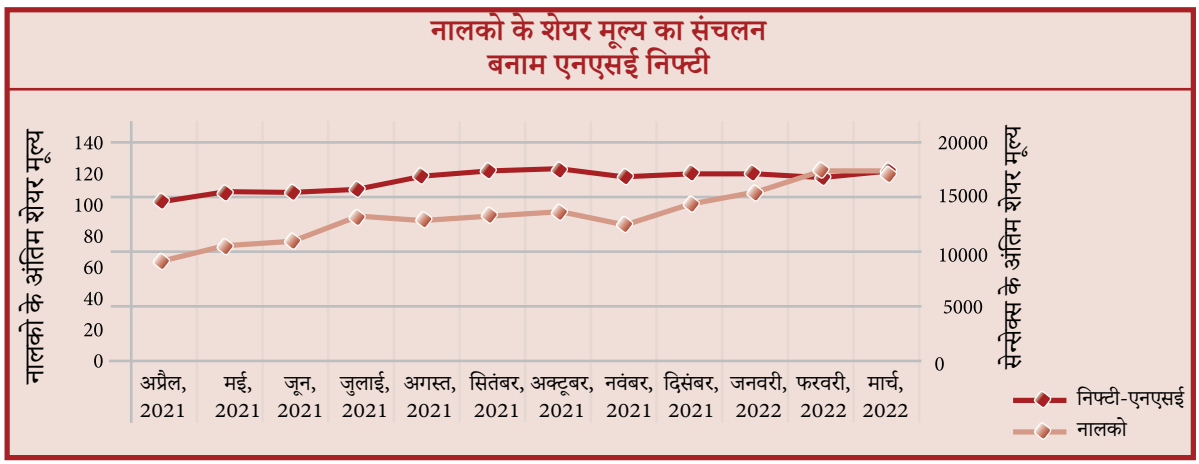

10.10 रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट

कंपनी के शेयरधारक आधार में लगातार वृद्धि हुई है। शेयरधारकों को दक्ष एवं प्रभावी सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए, शेयर रजिस्ट्री गतिविधियाँ मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) से प्राप्त की गई हैं। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शेयरों से संबंधित गतिविधियाँ जैसे कि शेयरों के संचरण, शेयरों के स्थानांतरण, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने, नाम हटाने, पता बदलने, बैंक के विवरण, लाभांश की प्रक्रिया और भुगतान, खत्म हो चुके लाभांश समादेश के बदले डीडी जारी करने, बैंक के साथ लाभांश खाते के पुनर्मिलान, आईईपीएफ संबंधी गतिविधियों का ध्यान रखने, नामांकितों के पंजीकरण, शेयरों के अभौतिकीरण/पुनः भौतिकीकरण आदि का निष्पादन करते हैं। मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नॉलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड) का संपर्क विवरण निम्नानुसार है:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31 एवं 32,
फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद-500 032, तेलंगाना,
टोल फ्री नं.1800-309-4001, ईमेलः einward.ris@kfintech.com

10.11 शेयर अंतरण प्रणालीः

शेयरों के अंतरण/संचरण/पुनर्व्यस्थापन एवं अभौतिकीकरण से संबंधित सभी अनुरोधों/मामलों को अनुमोदित करने के लिए बोर्ड द्वारा कंपनी सचिव को अधिकृत किया गया है। तथापि, फटे हुए/विकृत/विरूपित/गुम हो चुके/पुनः भौतिकीकृत के मामले में नए शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित मसले अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को छोड़कर सभी कार्यात्मक निदेशकों से संलग्न शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। सेबी विनियम के संशोधित विनियम 40 के अनुपालन में 01.04.2019 से भौतिक शेयरों का अंतरण रोक दिया गया है।

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी और रजिस्ट्रार एंड ट्रान्सफर एजेंट द्वारा यथा हस्ताक्षरित सेबी विनियम के विनियम 7(3) के अन्तर्गत अपेक्षानुसार अनुपालन प्रमाणपत्र निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा किए गये थे। इसके अलावा, सेबी विनियम के विनियम 40(10) के अनुपालन में, मेसर्स देब महापात्र एण्ड कं., अभ्यासरत कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि सारे प्रमाणपत्र/संचरण/पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रस्तुति की तिथि से तीस दिनों के अंदर जारी किए गए थे, कॉल/आबंटन राशि के उप-विभाजन, मजबूतीकरण, नवीकरण, विनिमय या पृष्ठांकन निर्धारित समय में स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा किए गए थे।

10.12 31.03.2022 को शेयरधारिता का स्वरूपः

क्रम सं.	श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
1.	प्रमोटर (भारत सरकार)	1	94,17,93,011	51.28
2.	बैंक/वित्तीय संस्था	53	5,32,55,019	2.90
3.	म्यूचुअल फंड	87	15,97,29,284	8.70
4.	बीमा कंपनियाँ	2	1,600	0.00
5.	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	302	33,12,45,606	18.04
6.	निगम निकाय	1,697	3,23,68,044	1.76
7.	भारतीय जनता	5,56,954	29,29,94,159	15.95
8.	अन्य	13,955	2,52,45,064	1.37
	कुल	5,73,051	1,83,66,31,787	100.00

10.13 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित रूप में प्रमोटर की धारिता में परिवर्तन आया है:

प्रमोटर का नाम	शेयरों की सं. (वर्ष के प्रारंभ)	धारिता का %	वर्ष के दौरान कमी	परिवर्तन की तिथि	माध्यम	शेयर शेष	धारिता का %
भारत के राष्ट्रपति	94,17,93,011	51.28	-	-	-	94,17,93,011	51.28

10.14 31.03.2022 को यथा श्रेणी-वार शेयरधारिताः

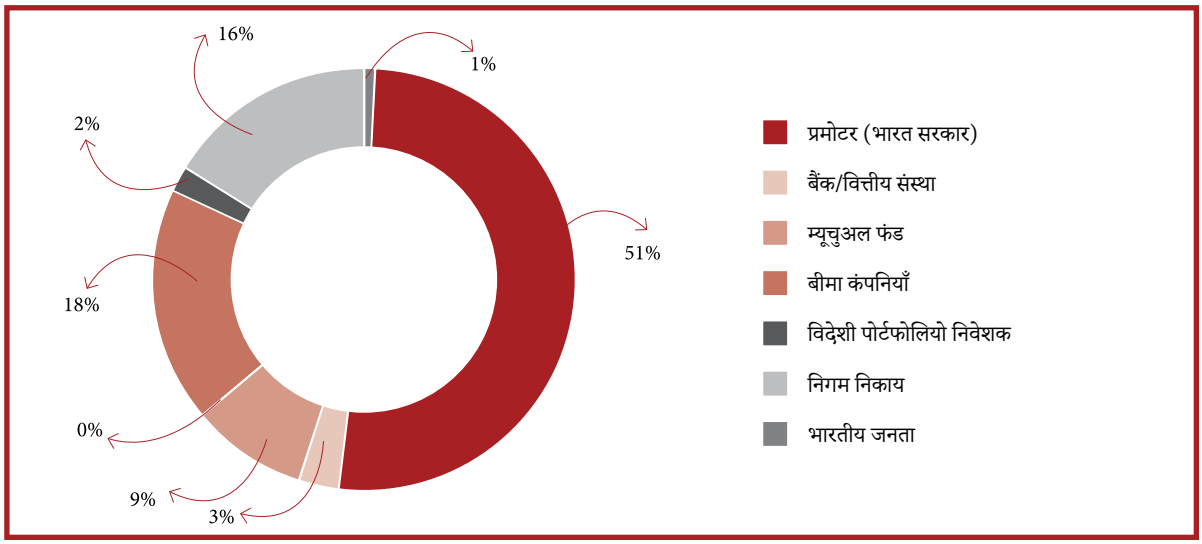

10.15 31.03.2022 को यथा शेयरधारिता का वितरणः

शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयर पूंजी का %
1-200	4,30,529	75.13	2,44,74,630	1.33
201-500	71,622	12.50	2,59,45,856	1.41
501-1,000	33,789	5.90	2,76,51,134	1.51
1,001-50,000	36,323	6.34	15,25,62,106	8.31
50,001-1,00,000	299	0.05	2,13,16,331	1.16
1,00,001 and above	489	0.09	1,58,46,81,730	86.28
कुल	**5,73,051**	**100.00**	**1,83,66,31,787**	**100.00**

10.16 31.03.2022 को यथा कंपनी के प्रमोटर के अलावा शीर्ष के 10 इक्विटी शेयरधारकः

क्रम सं.	शेयरधारकों के नाम	शेयरों की संख्या	धारिता का %
1.	आईसीआईसीई प्रूडेंशियल मिडकैप 150 इंडेक्स फंड	4,05,81,090	2.21
2.	राकेश झुनझुनवाला	2,50,00,000	1.36
3.	मिरेई एसेट इक्विटी सेविंग्स फंड	1,96,00,999	1.07
4.	सोसाइटी जनरल-ओडीआई	1,95,39,457	1.06
5.	एसबीआई मैग्नम मिडकैप फंड	1,59,34,762	0.87
6.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,44,50,689	0.79
7.	आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	1,41,31,192	0.77
8.	क्वांट म्यूचुअल फंड-क्वांट स्मॉल कैप फंड	1,39,37,800	0.76
9.	भारतीय जीवन बीमा निगम	1,31,87,074	0.72
10.	सिटी ऑफ न्यूयार्क ग्रुप ट्रस्ट	1,27,08,803	0.69
	कुल	**18,90,71,866**	**10.29**

10.17 सूचीबद्ध शेयरों का अभौतिकीकरण/पुनः भौतिकीकरण एवं नकदीकरणः

10.17.1 कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से अभौतिकीकृत क्षेत्र में हैं एवं दोनों डिपॉजिटरी (निक्षेपकर्ताओं) अर्थात नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) एवं सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के पास स्वीकृत हैं।

10.17.2 अभ्यासरत कंपनी सचिव से प्राप्त शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का पुनर्मिलान, तिमाही आधार पर स्टॉक एक्सचेंज के पास सांविधिक अवधि के अंदर जमा की गई है।

10.17.3 31.03.2022 को भौतिक एवं अभौतिकीकरण रूप में धारित शेयरों की कुल सं.

विवरण	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	शेयरधारकों की संख्या
भौतिक	**17,75,592**	**0.10**	**2,318**
डीमैट (इलेक्ट्रॉनिक):			
एनएसडीएल	1,68,73,31,333	91.87	1,79,495
सीडीएसएल	14,75,24,862	8.03	3,91,238
कुल	**1,83,66,31,787**	**100.00**	**5,73,051**

10.17.4 वर्ष के दौरान, 35,800 शेयरों से संश्लिष्ट 85 अभौतिकीकरण अनुरोध की पुष्टि की गई है। वर्ष के दौरान कोई पुनः भौतिकीकरण अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

10.18 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई अन्य परिवर्तनीय साधन, परिवर्तन की तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभावः

कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय साधन जारी नहीं किया है।

10.19 उचन्त खाते में इक्विटी शेयरः

सेबी विनियमों के विनियम 34(3) एवं अनुसूची-V, पार्ट-च के अनुपालन में उचन्त खाते में कोई इक्विटी शेयर नहीं है।

10.20 आईईपीएफ में अप्रदत्त/दावाहीन लाभांश का अंतरणः

अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2013-14 के लिए दावाहीन अंतरिम लाभांश से संबंधित ₹12,84,679/- की राशि एवं वित्त वर्ष 2013-14 के लिए दावाहीन अंतिम लाभांश से संबंधित ₹5,18,852/- की राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की गई है।

शेयरधारक निम्नलिखित लिंक में वेबसाइट से अप्रदत्त /दावाहीन लाभांश से संबंधित आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं:
https://kosmic.karvy.com/IEPF/IEPFInfo.aspx

10.21 आईईपीएफ में शेयरों का अंतरणः

10.21.1 अधिनियम की धारा 124(6) एवं समय-समय पर संशोधित आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखांकन, लेखा परीक्षा, अंतरण एवं धन वापसी) नियम, 2016 के अनुपालन में, शेयर जिसके संबंध में सात वर्ष या अधिक अवधि के लिए लाभांश का नकदीकरण नहीं किया गया है या दावा नहीं किया गया है, को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण खाते में अंतरित किए जाने की आवश्यकता है।

10.21.2 वर्ष के दौरान, एनएसडीएल के पास खोले गए आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में 115 शेयरधारकों के 31,770 शेयर अंतरित किए गए थे। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष तक, कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में 1,028 शेयरधारकों के 2,93,123 शेयरों का अंतरण किया है। आईईपीएफ में अंतरित किए गए शेयरों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध हैः
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2022/07/Shares-Transferred-to-IEPF.pdf

10.21.3 आईईपीएफ में अंतरित शेयर और/या लाभांश को फॉर्म आईईपीएफ-5 में आवेदन जमा करते हुए आईईपीएफ प्राधिकारी से वापस दावा किया जा सकता है। आईईपीएफ प्राधिकारी से शेयर/लाभांश दावा करने की प्रक्रिया एवं फॉर्म आईईपीएफ-5 निम्नलिखित लिंक http://www.iepf.gov.in/IEPF/corporates.html पर उपलब्ध है।

10.22 वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम एवं बचाव जोखिमः

कंपनी ने वस्तु बचाव पर कोई अरक्षितता नहीं दी है एवं अतएव दिनांक 15 नवम्बर, 2018 के सेबी परिपत्र के संबंध में प्रकटन शून्य लिया गया है। तथापि, निर्धारित सेबी प्रारूप के अनुसार रिपोर्ट नीचे दी गई हैः

वस्तु का नाम	विशेष वस्तु के विषय में भारतीय रुपये में अरक्षितता	विशेष वस्तु के विषय में परिमाण के हिसाब से अरक्षितता	वस्तु व्युत्पादित के माध्यम से बचाव की गई ऐसी अरक्षितता का %				
			देशीय बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

10.23 संस्था द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग्स (उधार मूल्यांकन) की सूची, उसमें किए गए किसी संशोधन के साथः

वर्ष के दौरान, मेसर्स इंडिया रेटिंग्स ने आपकी कंपनी की रेटिंग (मूल्यांकन) साधन-वार निम्नानुसार की है:

साधन के प्रकार	रेटिंग/दृष्टिकोण
अल्पकालिक बैंक सुविधाएँ	आईएनडी ए1+
दीर्घकालिक बैंक सुविधाएँ	आईएनडी एएए/स्थिर

रेटिंग एजेंसी मेसर्स इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 10.05.2022 को प्रकाशित अपने मूल्यांकन प्रकाशन के माध्यम से उपर्युक्त रेटिंग (मूल्यांकन) की पुनःपुष्टि की है।

11.0 अन्य प्रकटनः

11.1 कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेनों पर एक नीति का गठन किया है जो निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध हैः

https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/NEW-RPT-NALCO.pdf

संबधित पक्ष एवं संबंधित पक्ष के लेनदेन वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरण एवं समेकित वित्तीय विवरण दोनों की टिप्पणी सं. 39 में प्रकट किए गए हैं। वित्त वर्ष के दौरान किसी भी संबंधित पक्ष के साथ कोई भौतिक लेन-देन नहीं किया गया था। निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष के लेनदेन निदेशक की रिपोर्ट का भाग है।

11.2 कंपनी ने निगम अभिशासन पर सेबी विनियम एवं अधिनियम एवं डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का इस रिपोर्ट में अन्यत्र उल्लिखित सीमा को छोड़कर पालन किया है। कंपनी को कोई आलोचना प्राप्त नहीं हुई है एवं गत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी विषयवस्तु के गैर-अनुपालन के लिए सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी से कोई दंड आरोपित नहीं किया गया था। तथापि, 31.12.2021 को समाप्त तिमाही तक सेबी विनियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंज अर्थात बीएसई और एनएसई दोनों की ओर से जुर्माना लगाया गया था जो कि मुख्य रूप से स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में बोर्ड एवं अन्य सांविधिक समितियों के गठन पर लगाया गया था। कंपनी, एक केन्द्रीय सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है एवं यह कंपनी के नियंत्रण के बाहर है। तथापि, कंपनी ने 31.03.2022 को समाप्त तिमाही के लिए सेबी विनियमों, अधिनियम और डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसी अनुसार दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को जुर्माने को छोड़ने के लिए अनुरोध किया गया है। बीएसई ने अपने पत्र दिनांक 19.04.2021 के माध्यम से, 30.09.2020 एवं 31.12.2020 को समाप्त तिमाहियों के लिए जुर्माने को माफ कर दिया है।

11.3 सतर्कता तंत्र के उपाय के रूप में, निदेशकों एवं कर्मचारियों के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित 'सचेतक नीति' एवं 'धोखाधड़ी रोकथाम नीति' है, जो प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता के उल्लंघन या नैतिक नीति से संबंधित विषयों की रिपोर्ट करती है। यह नीति कर्मचारियों को अत्याचार के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करती है जो इस कार्यप्रणाली का उपयोग करते हैं।

यह भी पुष्ट की जाती है कि कंपनी के किसी भी कार्मिक को अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के पास पहुँचने से वंचित नहीं किया गया था। दोनों ही नीतियाँ कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखत लिकं में उपलब्ध हैः
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Whistleblowerpolicy_nalco.pdf और
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2018/12/Nalcofraudpreventionpolicy.pdf

11.4 कंपनी के पास अभी तक कोई सहायक कंपनी नहीं है। अतएव, कंपनी ने भौतिक सहायक कंपनी के निर्धारण हेतु किसी नीति का गठन नहीं किया है।

11.5 कंपनी में वर्तमान में मुद्रा बचाव नीति की व्यवस्था है जिसके नियामक प्रावधान में बदलावों, यदि कोई हो, एवं बाजार की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षा की जाती है। यद्यपि, कंपनी के पास विक्रय पर कोई बचाव नीति नहीं है।

11.6 कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिमानी आवंटन या योग्यताप्राप्त संस्थानिक व्यवस्थापन के माध्यम से कोई निधि प्राप्त नहीं की है।

11.7 कंपनी ने मेसर्स देब महापात्र एण्ड कं., अभ्यासरत कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, जो पुष्टि करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या निगम मामले मंत्रालय या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या बने रहने से रोका नहीं गया है या अयोग्य नहीं किया गया है। उक्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग है।

11.8 वर्ष के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा है, जब बोर्ड ने किसी समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है, जो अनिवार्य रूप से अपेक्षित है।

11.9 कंपनी ने वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई सभी सेवाओं के लिए ₹89 लाख का भुगतान किया है।

11.10 वर्ष के दौरान, कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया था।

11.11 विभिन्न नीतियों के लिए वेबलिंक संबंधित शीर्षकों के अधीन दिए गए हैं।

11.12 निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के विषय में कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों से प्राप्त अनुपालन प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट का भाग है।

11.13 भेदिया व्यापार संहिताः

11.13.1 बोर्ड ने सेबी (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015 की आवश्यकताओं के अनुसरण में अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना के निष्पक्ष प्रकटन हेतु एक सुदृढ़ कार्य पद्धतियों एवं कार्य प्रक्रियाओं की संहिता निर्दिष्ट की है।

11.13.2 इस संहिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी का कोई अंतरंगी किसी अप्रकाशित मूल्य संवेदी सूचना, जो उसके पास है, को सार्वजनिक किए जाने से पहले कोई लाभ न प्राप्त करे या उसके आधार पर कोई लाभ प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की सहायता न करे।

11.13.3 इस संहिता के लिए अनुपालन अधिकारी कंपनी सचिव हैं।

11.13.4 बोर्ड ने अपने कर्मचारियों एवं अन्य संबंधित व्यक्ति द्वारा किए गए व्यापार को नियंत्रित, निगरानी एवं रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता को भी अनुमोदित किया है।

11.13.5 भेदिया (इनसाइडर) को भेदिया व्यवसाय संहिता में वर्णित कुछ शर्तों एवं अनुपालन अधिकारी के अनुमोदन के अधीन व्यापारित योजना तैयार करने का अधिकार होता है। व्यापार योजना अनिवार्य रूप से कार्यान्वित होती है।

11.13.6 मनोनीत व्यक्ति एवं उसके नजदीकी संबंधी को ट्रेडिंग विण्डो (व्यवसाय अवसर) बंद रहने पर सिक्योरिटीज में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। संहिता में वर्णित निश्चित सीमा के बाहर सिक्योरिटीज से संबंधित व्यापार कार्य हेतु अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। सभी निदेशकों/मनोनीत कर्मचारियों को भी इस संहिता के अंतर्गत निर्धारित प्रारंभिक सीमा से ऐसे लेनदेन का मूल्य अधिक होने पर निर्धारित समय के अंदर स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, के पास अपने लेनदेन को प्रकट करने की आवश्यकता पड़ती है।

11.13.7 इस संहिता को कंपनी की निम्नलिखित वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है:
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/AMENDED-COPP.pdf

11.14 आचार संहिता

11.14.1 कंपनी ने व्यवसाय संचालन एवं नैतिकता की एक प्रतिमान संहिता ('संहिता') को निरुपित किया है, जो कंपनी के बोर्ड के सभी सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन (निदेशक मंडल से एक स्तर नीचे) पर लागू है। यह संहिता कंपनी की वेबसाइट में निम्नलिखित लिंक में उपलब्ध है:
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2019/01/Code of Conduct.pdf

11.14.2 बोर्ड में सभी निदेशकों को उनके नियोजन पर, संहिता की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है जो इसे प्राप्त होने की स्वीकृति देते हैं। इसके अलावा, बोर्ड के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मचारी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आधार पर संहिता की पुष्टि करते हैं।

11.15 सेबी विनियम की अनुसूची V के अधीन अपेक्षित अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा:

घोषणा

बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता/-
(एस. पाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06500954

11.16 सीइओ/सीएफओ प्रमाणन:

श्री श्रीधर पाल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और श्री आर. सी. जोशी, निदेशक (वित्त) द्वारा यथा हस्ताक्षरित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(8) के अधीन सीईओ/सीएफओ प्रमाणपत्र 25.05.2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किया गया था।

11.17 डीपीई दिशानिर्देशो के अंतर्गत प्रकटन:

11.17.1 लेखा बहियों में उन व्यय को नहीं घटाया गया है, जो व्यवसाय से सम्बन्धित न हो।

11.17.2 कोई व्यय ऐसा नहीं है जो व्यक्तिगत प्रकृति के हों एवं निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन के लिए खर्च किए गए हैं।

11.17.3 कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय एवं कार्यालय व्यय बनाम वित्तीय व्यय का विवरण और बढ़ोतरी के कारण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2021-22	2020-21
प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	101.88	103.23
कुल व्यय	10,523.36	7,785.87
कुल व्यय के % के रूप में प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय	0.97	1.33
वित्तीय व्यय	23.12	7.08

11.17.4 कंपनी लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित निगम अभिशासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट तिमाही आधार पर जमा कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 'उत्कर्ष' दर्जा प्रदान किया गया है। वर्ष 2021-22 के लिए स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट निम्नलिखित वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है:
https://nalcoindia.com/wp-content/uploads/2022/04/Self-appraisal-Report.pdf

11.17.5 कंपनी ने वर्ष के दौरान एवं गत तीन वर्षों के दौरान कोई अध्यक्षीय निर्देश प्राप्त नहीं किया है।

11.17.6 08.09.2021 से प्रभावी स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में, कंपनी ने 09.11.2021 तक बोर्ड और सांविधिक बोर्ड-स्तर की समितियों के गठन के विषय को छोड़कर, निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। इसके बाद, स्वतंत्र निदेशकों को नियोजित करने के बाद कंपनी निगम अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन कर रही है।

12.0 गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं:

सेबी विनियम की अनुसूची - II के भाग-ई के साथ पठित विनियम 27(1) के अंतर्गत विवेकाधीन आवश्यकताओं के अनुपालन की वस्तुस्थिति निम्नवत है:

(i) कंपनी को सांविधिक लेखा-परीक्षकों एवं सी एण्ड एजी से पिछले कई वर्षों के लिए गैर-योग्यता प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हो रही है जो गैर-योग्यता प्राप्त वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की सूचक है।

(ii) कंपनी के मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक को आंतरिक लेखा-परीक्षक रिपोर्ट करते हैं एवं फिर लेखा-परीक्षा समिति को मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक रिपोर्ट करते हैं।

13.0 कंपनी के संयंत्रों के स्थान:

पंजीकृत एवं निगम कार्यालय: नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर - 751013 (ओड़िशा)	**प्रद्रावक संयंत्र** नालको नगर, अनुगुल - 759 145, (ओड़िशा)
खान एवं परिशोधक खान एवं परिशोधन संकुल, दामनजोड़ी - 763 008, जिला - कोरापुट (ओड़िशा)	**ग्रहीत विद्युत संयंत्र** अनुगुल - 759 122 (ओड़िशा)
पत्तन सुविधाएँ ओर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के विपरीत, पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम – 530 035 (आंध्र प्रदेश)	**जैसलमेर 47.6 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्रामः लुडर्वा काहेला, खदेरो-की-धानि, तावारिया, चातरेल मंडल/तालुक/जिला - जैसलमेर, राजस्थान – 345001
गण्डीकोटा 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम-गंडीकोटा, मंडल – प्रोद्दात्तुर, तालुका - जम्मालमाडुगु, जिला - कडपा, आंध्र प्रदेश	**सांगली 50.4 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम - मेंधीगिरी, तालुक - जाथ, जिला - सांगली, महाराष्ट्र - 416404
जैसलमेर 50 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम - देवीकोट, तहसील - फतेहगढ़, प्रभाग/तालुक/जिला - जैसलमेर, राजस्थान - 245009	**कायाथार 25.5 मे.वा. पवन विद्युत संयंत्र** नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ग्राम - ओनामाकुलम, तहसील, कायाथार, जिला - तूतिकोरिन, तमिलनाडु - 628303
पत्तन सुविधाएँ:	
विशाखापत्तनम ओर हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स के सामने, पत्तन क्षेत्र, विशाखापत्तनम - 530 035, आंध्र प्रदेश	**पारादीप (पत्तन कार्यालय)** 'वी' प्वाइंट, बड़पड़िया, पारादीप - 751 142
क्षेत्रीय कार्यालयः	
पूर्वी क्षेत्र प्रथम तल, जे के मिलेनियम सेंटर, 46-डी, चौरंगी रोड, कोलकाता - 700 071	**पश्चिमी क्षेत्र** 215, टी.वी. इंडस्ट्रियल एस्टेट, एस.के. अहीरे मार्ग, वर्ली, मुम्बई - 400 030
उत्तरी क्षेत्र कोर - 4, 5वाँ तल, साउथ टावर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली - 110 092	**दक्षिणी क्षेत्र** 3ई, सेंचुरी प्लाजा, 560, अन्ना सालई, तेयनामपेट, चेन्नई-600 018
स्टॉक यार्डः	
रायपुर मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत एकता एंटरप्राइजेस, मोनेट रोड, मंदिर हासौड, रायपुर, छत्तीसगढ़,-492101	**कोलकाता** मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, डब्ल्यूएच, 1-सोनापुर रोड, कोलकाता-700 088, पश्चिम बंगाल
जयपुर मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत ओम प्रकाश अग्रवाल, खसरा 9/2/3, 9/2/4 और 16/12, ग्राम निमेदा, बिन्दायक इंडस्ट्रियल एरिया के पास, सिरसी रोड, जयपुर-302012, राजस्थान	**विशाखापत्तनम** मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड, मंडी रेलवे यार्ड के पास, मुलागाडा ग्राम, विशाखापत्तनम-530 012

स्टॉक यार्डः	
बद्दी मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत एन.एस.आई.सी. लिमिटेड, गाँव : धरमपुर, पी.ओ. : बद्दी, तहसील : नालागढ़, जिलाःसोलन-173205, हिमाचल प्रदेश	**चेन्नई** मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत - एन.एस.आई.सी. लिमिटेड, प्लॉट नं. ए12, सीएमडीए ट्रक टर्मिनल, पोन्नियामनमेडु पोस्ट, माधावरम, चेन्नई 600 110
वडोदरा मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन, 1 बी, सेंट्रल वेयरहाउस, रनोली फ्लाईओवर के पास , रनोली, काराचिया, वडोदरा, गुजरात-391350	**नई दिल्ली** मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मार्फत सुप्रीम रोड ट्रान्सपोर्ट प्रा. लि., खसरा 46/15/1, ग्राम टिकरी कालन, नेताजी सुभाष विहार, नई दिल्ली-110041

14.0 पत्राचार हेतु पताः

14.1 अनुपालन अधिकारीः

समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751 013
ई-मेल: company_secretary@nalcoindia.co.in

14.2 रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटः

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड)
यूनिटः नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31 एवं 32,
फाइनैंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल,
हैदराबाद–500032, तेलंगाना,
टोल फ्री नं. 1800 309 4001
ईमेलः einward.ris@kfintech.com

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

**[सेबी (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3)
एवं अनुसूची V पैरा-ग खंड (10)(i) के अनुसरण में)]**

सेवा में,

सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि.
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1,
नयापल्ली, भुवनेश्वर -751013, ओड़िशा

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा-ग, उप-खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत, मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसका सीआईएन-L27203OR1981GOI000920 है एवं पंजीकृत कार्यालय नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751013, ओड़िशा (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में संदर्भित) है, के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टर, अभिलेखों, प्रपत्र, रिटर्न (प्रतिफल) एवं प्रकटीकरण की जाँच की है।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा अपेक्षानुसार विवेचित सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in में निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) वस्तुस्थिति समेत) एवं कंपनी और इसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नीचे वर्णित कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगम मामले मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति किए जाने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं किया गया है।

क्रम सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1	श्री श्रीधर पात्र	6500954	01.09.2018
2	श्री राधाश्याम महापात्र	7248972	01.01.2020
3	श्री मनसा प्रसाद मिश्र	8951624	01.11.2020
4	श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.	7151125	09.11.2020
5	श्री बिजय कुमार दास	8984700	01.12.2020
6	श्री रवि नाथ झा	9396382	11.11.2021
7	श्री वाई. पी. चिल्लियो	9396182	11.11.2021
8	अधि. जॉर्ज कुरियन	9398434	12.11.2021
9	सुश्री (डॉ.) शतोरूपा	9396503	12.11.2021
10	अधि. दुष्यंत उपाध्याय	9397101	12.11.2021
11	डॉ. बी.आर. रामकृष्ण	2251602	15.11.2021
12	डॉ. अजय नारंग	368054	16.11.2021
13	डॉ. वीणा कुमारी डरमल , भा.डा.से.	8890469	20.01.2022
14	श्री रमेश चंद्र जोशी	8765394	04.02.2022
15	श्री सदाशिव सामन्तराय	8130130	22.03.2022
16	श्री संजय रमनलाल पटेल	9545270	23.03.2022

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/अविच्छिन्नता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी में है। हमारी जिम्मेदारी में उनकी नियुक्ति/अविच्छिन्नता पर हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह प्रमाणपत्र कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते देब महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

हस्ता/-
सीएस अरबिन्द आचार्या, एफसीएस
प्रबंध साझेदार
सीपी नं.: 23836, एफसीएस नं.: 3911

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 26.05.2022
यूडीआईएनः F003911D000391408

निगम अभिशासन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
भुवनेश्वर

1. यह प्रमाणपत्र दिनांक 07.06.2022 के हमारे नियोजन पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।

2. हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 46(2) के विनियम 17 से 27, खंड (ख) से (झ) एवं अनुसूची V के पैरा ग एवं घ ('विनियम') में संशोधित अनुसार नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है।

विनियम की शर्तों के अनुपालन के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारीः

3. निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी में है। इस जिम्मेदारी में, विनियमों में उल्लिखित निगम अभिशासन की शर्तो के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं की अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी:

4. हमारी जिम्मेदारी में निगम अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं की जाँच एवं इसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो लेखा परीक्षा है और न ही मत-अभिव्यक्ति है।

5. निगम अभिशासन की आवश्यकताओं की शर्तों के अनुपालन के उद्देश्य हेतु अधिनियम की आवश्यकता के अनुपालन में एवं कंपनी द्वारा प्रबंधित संबंधित अभिलेखों एवं कागजातों के आधार पर, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक यथासंगत आश्वासन दें कि क्या कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए विनियमों में निर्दिष्ट निगम अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

6. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी विशेष प्रयोजन हेतु रिपोर्ट या प्रमाणपत्र (संशोधित 2016) पर अनुदेश टिप्पणी ('अनुदेश टिप्पणी') के अनुसार हमारी जाँच की है। अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता की नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं।

7. हमने संस्थाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक (एसक्यूसी) 1, गुणवत्ता नियंत्रण की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है जो ऐतिहासिक वित्तीय सूचना एवं अन्य आश्वासन और संबंधित सेवा अनुबंधों की लेखा परीक्षा एवं समीक्षा करती है।

मतः

8. हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तहत और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए विनियमों में निर्धारित अनुसार निगम शासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

   क. 9 नवंबर 2021 तक कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। दिनांक 10.11.2021 के भारत सरकार के आदेश के तहत एक (1) स्वतंत्र महिला निदेशक सहित सात (7) स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया गया था। अतएव

      i. 9 नवंबर 2021 तक बोर्ड का गठन अनुपालन में नहीं था (विनियमों के विनियम 17 (1) (क)) ।

      ii. 9 नवंबर 2021 तक निदेशक मंडल की आधी शक्ति में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

      iii. 28.06.2021, 06.08.2021, 06.09.2021 और 12.11.2021 को आयोजित बोर्ड की बैठकें उचित कोरम के बिना आयोजित हुई थीं, परंतु निदेशकों की न्यूनतम सं. के साथ आयोजित हुई थी यानी 3 निदेशक इन सभी बैठकों में उपस्थित थे। (विनियमों के विनियम 17 (2क))।

   ख. 9 नवंबर 2021 तक बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति में:

      i. कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया था। (विनियमों के विनियम 18(1), 18(1)(क), 18(1)(ख)) ।

      भारत सरकार के दिनांक 10.11.2021 के आदेश द्वारा बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के नियोजन के बाद, दिनांक 01.12.2021 को अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक के साथ आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था। हालांकि, लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्य वित्तीय रूप से साक्षर थे परंतु लेखांकन या संबंधित वित्तीय प्रबंधन के बारे में समिति के किसी भी सदस्य के पास विशेषज्ञता नहीं थी (विनियमों के विनियम 18(1)(ग), 18(1(घ))।

      वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित चार बैठकों के बदले समिति की एक बैठक आयोजित हुई थी (विनियमों के विनियम 18 (2))।

      बोर्ड के निर्णयों के आधार पर, बोर्ड की सिफारिश के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखे जाने हेतु अपेक्षित विषयवस्तुओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा गया था। बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, दिनांक 30.09.2021 को आयोजित पिछली वार्षिक साधारण बैठक के दौरान लेखा परीक्षा समिति की अध्यक्षा उपस्थित नहीं थी।

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका था (विनियमों के विनियम 19 (1), 19 (2)) और भारत सरकार के दिनांक 10.11.2021 के आदेश द्वारा बोर्ड में दिनांक 01.12.2021 को अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक के साथ अपेक्षित संख्या में निदेशकों को शामिल करते हुए नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया था।

समिति की बैठक वित्तीय वर्ष के दौरान आयोजित नहीं हुई थी (विनियमों के विनियम 19 (3क)) और विनियमों के प्रावधानों के अधीन अपेक्षानुसार दिनांक 30.09.2021 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में अध्यक्षा उपस्थित नहीं थी (विनियमों के विनियम 19 (3))।

बोर्ड के निर्णयों के आधार पर, बोर्ड की सिफारिश के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति के समक्ष रखे जाने हेतु अपेक्षित विषयवस्तुओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

iii. हितधारक संबध समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका था (विनियमों के विनियम 20 (2), 20 (2क)) और भारत सरकार के दिनांक 10.11.2021 के आदेश द्वारा बोर्ड में दिनांक 01.12.2021 को अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक के साथ अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करते हुए हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया था।

विनियमों के प्रावधानों के अधीन अपेक्षानुसार दिनांक 30.09.2021 को आयोजित वार्षिक साधारण बैठक में अध्यक्षा उपस्थित नहीं थी (विनियमों के विनियम 20 (3))। बोर्ड के निर्णय के आधार पर, बोर्ड की सिफारिश के लिए हितधारक संबंध समिति के समक्ष रखे जाने हेतु अपेक्षित सभी विषयवस्तुओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

iv. जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका था और भारत सरकार के दिनांक 10.11.2021 के आदेश द्वारा बोर्ड में दिनांक 01.12.2021 को अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक के साथ अपेक्षित संख्या में निदेशकों को शामिल करते हुए जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया था। (विनियमों के विनियम 21 (1), 21 (2))

वित्तीय वर्ष के दौरान अपेक्षित दो बैठकों के बदले समिति की एक बैठक आयोजित हुई थी (विनियमों के विनियम 21 (3क))।

9. हम आगे व्यक्त करते हैं कि ये अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते जीएनएस एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

हस्ता/-
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार
सदस्यता सं.: 055224
यूडीआईएनः2205522एएनजेडभीआरजेड5209

कृते ए. के. साबत एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

हस्ता/-
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार
सदस्यता सं.: 030310
यूडीआईएनः22030310एएनजेडभीजीभी6335

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 01 अगस्त, 2022

अनुलग्नक-VI

फॉर्म नं. एओसी-2

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ज) एवं कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कम्पनी द्वारा निष्पादित संविदाओं/व्यवस्थाओं जिसमें उस पर तृतीय उपबंध के अंतर्गत कुछ असंबंधित लेनदेन शामिल हैं, के विवरण के प्रकटन हेतु फॉर्मः

1. संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन जो सम्बन्धित पक्ष के आधार पर नहीं हैं, का विवरणः

(क) सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूपः **शून्य**

(ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूपः **लागू नहीं**

(ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदन की अवधिः **लागू नहीं**

(घ) मूल्य यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख शर्तेः **लागू नहीं**

(ङ) ऐसी संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन में शामिल होने का औचित्यः **लागू नहीं**

(च) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ): **लागू नहीं**

(छ) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हैः **लागू नहीं**

(ज) धारा 188 के उपयुक्त प्रथम उपबंध के अंतर्गत आवश्यकतानुसार साधारण बैठक में जिस तिथि को विशेष प्रस्ताव पारित हुआ थाः **लागू नहीं**

2. सामग्री संविदाओं या व्यवस्था या लेनदेन जो सम्बन्धित पक्ष के आधार पर हैं, का विवरणः

(क) सम्बन्धित पक्ष का नाम एवं संबंध का स्वरूपः **शून्य**

(ख) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन का स्वरूपः **लागू नहीं**

(ग) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधिः **लागू नहीं**

(घ) मूल्य, यदि कोई है, समेत संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेनदेन की प्रमुख शर्तें: **लागू नहीं**

(ङ) बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि (याँ) यदि कोई हैः **लागू नहीं**

(च) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हैः **लागू नहीं**

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से
हस्ता./-
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएनः06500954

अनुलग्नक-VII

फॉर्म नं. एमआर-3

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) एवं कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)]

सेवा में
सदस्यगण
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

हमने मेसर्स नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (जिसे आगे "कम्पनी" कहा जाएगा) के प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन में एवं अच्छे निगम अभ्यासों के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से की गई थी जिससे हमें निगमित संचालन/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन के लिए और उस पर हमारे मत प्रकाश के लिए यथा उपयुक्त आधार प्राप्त हुआ।

कम्पनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर किए गए रिटर्न और कम्पनी द्वारा व्यवस्थित अन्य अभिलेखों और साथ ही सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान कम्पनी और इसके अधिकारियों द्वारा दी गई सूचना की जाँच के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मत में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी ने नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कम्पनी के पास आगे उल्लिखित तरीके एवं रिपोर्ट के लिए उचित सीमा में यथोचित कार्यप्रक्रियाएँ एवं अनुपालन तंत्र हैः

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा व्यवस्थित बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फॉर्म एवं दायर किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की हैः

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके तहत गठित नियमावलियाँ;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') एवं उसके तहत बने नियम;

(iii) न्यासी अधिनियम, 1996 एवं उसके तहत बने विनियम एवं उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारों की सीमा में उसके तहत बने नियम एवं विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देश निर्धारित किए गएः-

- क. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएँ एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
- ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापस खरीद) विनियम, 2018; **रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रयोज्य नही।**
- ग. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त रूप में अधिग्रहण एवं अधीनीकरण) विनियम, 2011;
- घ. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भीतरी व्यवसाय निषेधन) विनियम, 2015;
- ङ. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2009; **रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं**
- च. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014; **रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नहीं**
- छ. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियम, 2008; **रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नही**
- ज. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का विसूचीयन) विनियम, 2009; **रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य नही**
- झ. संशोधित अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार एवं भागीदार) विनियम, 2018

(vi) अन्य कानून जो कम्पनी पर विशेष रूप से लागू हो सकते हैं:

- क. खान अधिनियम, 1952;
- **ख. संशोधित अनुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957;**
- ग. विस्फोटक अधिनियम, 1984;
- घ. पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986;
- ङ. वन संरक्षण अधिनियम, 1980;
- च. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- छ. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
- **ज. भारतीय बॉयलर्स अधिनियम, 1923;**

झ. मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
ञ. जन देयता बीमा अधिनियम, 1991;
ट. राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम, 1995;
ठ. राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण, 1997;
ड. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001;
ढ. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, 2010;
ण. भारतीय वन अधिनियम, 1947;
त. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972;
थ. ओड़िशा वन अधिनियम, 1972;
द. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980;
ध. जैव-विविधता संरक्षण अधिनियम, 2002;
न. अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006;
प. कारखाना अधिनियम, 1948;
फ. भारतीय बिजली अधिनियम, 2003;
ब. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005;
भ. ओड़िशा उद्योग (सुगमीकरण) अधिनियम, 2004;
म. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;
य. पंचायत (अधिसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 2006

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानकों के प्रयोज्य खंडों (एसएस-1 एवं एसएस-2) के अनुपालन में जाँच की है।
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त के अनुसार अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है।
हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

(अ) बोर्ड का गठन:

31.03.2022 को यथा, कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित 6 (छह) पूर्णकालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक), 2 (दो) अंशकालिक सरकारी निदेशक और एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित 8 (आठ) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक थे।
निदेशक मंडल के गठन का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशकों की सूची

क्रम सं.	निदेशकों का नाम	धारित पद	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
पूर्णकालिक निदेशकगण:				
1	श्री श्रीधर पात्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	17.12.2019	-
2	श्री राधाश्याम महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)	01.01.2020	-
3	श्री मनसा प्रसाद मिश्र	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)*	01.11.2020	-
4	श्री बिजय कुमार दास	निदेशक (उत्पादन)#	01.12.2020	-
5	श्री रमेश चंद्र जोशी	निदशक (वित्त)	04.02.2022	-
6	श्री सदाशिव सामन्तराय	निदेशक (वाणिज्यिक)	22.03.2022	-
अंशकालिक सरकारी निदेशकगण:				
1	श्री सतेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.	निदेशक	05.08.2020	20.01.2022
2	श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.	निदेशक	09.11.2020	-
3	डॉ. वीणा कुमारी डरमल, भा.डा.से.	निदेशक	20.01.2022	-
अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगण:				
1	श्री रवि नाथ झा	निदेशक	11.11.2021	-
2	डॉ. बी.आर रामकृष्ण	निदेशक	15.11.2021	-
3	अधि. जॉर्ज कुरियन	निदेशक	12.11.2021	-
4	डॉ. अजय नारंग	निदेशक	16.11.2021	-
5	श्री वाई. पी. चिल्लियो	निदेशक	11.11.2021	-
6	सुश्री (डॉ.) शतोरूपा	निदेशक	12.11.2021	-
7	अधि. दुष्यंत उपाध्याय	निदेशक	12.11.2021	-
8	श्री संजय रमनलाल पटेल	निदेशक	23.03.2022	-

*01.03.2021 से 03.02.2022 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त पदभार संभाला।
01.03.2021 से 21.03.2022 तक निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त पदभार संभाला।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान:

i. खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 2/8/2020-मेट- I दिनांक 10 नवंबर, 2021 के तहत कंपनी के बोर्ड में सात (7) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक अर्थात श्री रवि नाथ झा, डॉ. बी.आर. रामकृष्ण, अधि. जॉर्ज कुरियन, डॉ. अजय नारंग, श्री वाई.पी. चिल्लियो, सुश्री (डॉ.) शतोरूपा और अधि. दुष्यंत उपाध्याय को तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। आवश्यक पूर्व-अपेक्षित सांविधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, इन सात स्वतंत्र निदेशकों को ऊपर वर्णित संबंधित तिथियों को बोर्ड में नियोजित किया गया था। तथापि, तीन वर्ष की अवधि की गणना भारत सरकार के आदेश दिनांक 10.11.2021 की तिथि से की जाती है।

ii. 20.01.2022 से प्रभावी श्री सतेंद्र सिंह की जगह डॉ. वीणा कुमारी डरमल को अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया था।

iii. श्री रमेश चंद्र जोशी को 04.02.2022 से कंपनी के निदेशक (वित्त) के रूप में बोर्ड में नियोजित किया गया था।

iv. श्री सदाशिव सामन्तराय को 22.03.2022 से कंपनी के निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में बोर्ड में शामिल किया गया था।

v. श्री संजय रमनलाल पटेल को खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 2/8/2020-मेट- I दिनांक 22 मार्च, 2022 के तहत अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। पूर्व-आवश्यक अपेक्षित सांविधिक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उन्हें 23.03.2022 से बोर्ड में शामिल किया गया। तथापि, तीन वर्ष की अवधि की गणना भारत सरकार के आदेश दिनांक 22.03.2022 की तिथि से की जाती है।

वित्तीय वर्ष के शुरू होने से 9 नवंबर, 2021 तक कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और 149(4) और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) (क) और 17(1)(ख) के अनुपालन में सात (7) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त किया गया था। तत्पश्चात, 31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान एक (1) और अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक को कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था।

गैर-अनुपालन:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीनः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(ख) के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक हो। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, बोर्ड की कुल शक्ति का 1/3 हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों का होना चाहिए।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, 09.11.2021 तक कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। साथ ही बोर्ड में कोई महिला निदेशक भी नहीं थी और यह पद 09.11.2021 तक रिक्त था।

इसी अनुसार, 01.04.2021 से 09.11.2021 तक बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और 149(4) के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (विनियम) के अधीनः

विनियमों के विनियम 17(1) (क) के अनुसार, निदेशक मंडल के 50% से कम नही, कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित गैर-कार्यकारी निदेशक होंगे।

इसके अलावा, विनियमों के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, यदि सूचीबद्ध कंपनी के पास एक नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं हैं, तो निदेशक मंडल के कम से कम आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक शामिल रहेंगे।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, बोर्ड की कुल शक्ति में गैर-कार्यकारी निदेशकों अर्थात अंशकालिक सरकारी निदेशकों का हिस्सा 33.33% था। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 09.11.2021 तक कंपनी में कम से कम एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक मौजूद नहीं थे। 10.11.2021 को भारत सरकार द्वारा सात स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया गया और साथ ही 22.03.2022 को बोर्ड में एक और स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया गया।

इसी अनुसार, बोर्ड का गठन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) और विनियम 17(1)(ख) के प्रावधानों के अनुपालन में 01.04.2021 से 09.11.2021 तक नहीं था।

स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जुर्माना लगाया गया:

एनएसई और बीएसई ने 30.06.2021, 30.09.2021 और 31.12.2021 को समाप्त तिमाही के लिए विनियमों के विभिन्न प्रावधानों का अनुपालन नहीं किए जाने पर जुर्माना लगाया है। कंपनी ने खान मंत्रालय, प्रशासनिक मंत्रालय जो कपनी में निदेशकों की नियुक्ति का प्राधिकरण है, को इसकी सूचना दी है और अधिनियम और सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों की शीघ्र नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है। निदेशक मंडल के समक्ष समय-समय पर तथ्य पेश किए गए और तत्पश्चात, जुर्माने को माफ करने के अनुरोध के साथ निदेशक मंडल के निर्णय के बारे में दोनों स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया गया।

(ख) बोर्ड की बैठकें:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, डीपीई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुपालन में निदेशक मंडल की 5 (पांच) बैठकें अर्थात 329वीं से 333वीं का आयोजन 28.06.2021, 06.08.2021, 06.09.2021, 12.11.2021 और 07.02.2022 को किया गया था।

निगम मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करते हुए परिपत्र दिनांक 19 मार्च, 2020 के माध्यम से सभी बैठकों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था।

कार्यसूची और कार्यसूचियों पर विस्तृत टिप्पणी पहले ही भेज दी गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण पाने और बैठकों में सुसंगत भागीदारी के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था है।

बोर्ड की बैठक में सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बैठक की कार्यवृत्त बहियों में दर्ज किए गए।

गैर-अनुपालन:

सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक बोर्ड बैठक के लिए कोरम कुल शक्ति का एक तिहाई या तीन निदेशक होगा जो भी अधिक हो, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक हो।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की बैठकों का आयोजन 28.06.2021, 06.08.2021, 06.09.2021 और 12.11.2021 को बिना वैध कोरम अर्थात कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति के किया गया, हालांकि अधिकतम संख्या यानी कम से कम तीन निदेशक प्रत्येक बैठक में उपस्थित थे।

(ग) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की पृथक बैठक::

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के खंड VII के साथ पठित धारा 149(8) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी में स्वतंत्र निदेशकों की एक पृथक बैठक अर्थात अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की 8वीं बैठक का आयोजन 26.02.2022 को किया गया। स्वतंत्र निदेशकों की बैठक निम्नलिखित स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति में हुई थी:

1. डॉ. बी. आर. रामकृष्ण - स्वतंत्र निदेशक और बैठक के अध्यक्ष
2. श्री रवि नाथ झा - स्वतंत्र निदेशक
3. अधि. जॉर्ज कुरियन - स्वतंत्र निदेशक
4. डॉ. अजय नारंग - स्वतंत्र निदेशक
5. श्री वाई.पी. चिल्लियो - स्वतंत्र निदेशक
6. सुश्री (डॉ.) शतोरूपा - स्वतंत्र निदेशक
7. अधि. दुष्यंत उपाध्याय - स्वतंत्र निदेशक

(घ) बोर्ड की सांविधिक समितियाँ:

i. लेखा परीक्षा समिति:

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी ने विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया था। बोर्ड के निर्णय के आधार पर, बोर्ड की सिफारिशों के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखी जाने वाली अपेक्षित विषयवस्तुओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा गया था। हालांकि, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के नियोजन के बाद, लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था जिनमें निम्नलिखित निदेशक थे:

1. डॉ. अजय नारंग, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. डॉ. बी.आर. रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. अधि. दुष्यंत उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. श्री वाई.पी. चिल्लियो, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
5. निदेशक (उत्पादन)

निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित व्यक्ति हैं।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा समिति की केवल एक (1) बैठक अर्थात 127वीं बैठक 07.02.2022 को आयोजित हुई।

लेखा परीक्षा समिति बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूचियों पर विस्तृत टिप्पणी पहले ही भेज दी गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण पाने और बैठक में सुसंगत भागीदारी के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठक में सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया गया।

गैर-अनुपालन:

अधिनियम और सेबी विनियमों के अपेक्षानुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति न्यूनतम चार बैठकों का आयोजन नहीं कर सकी और दो लगातार लेखा परीक्षा समिति की बैठक के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक रहा है क्योंकि 01.04.2021 से लेखापरीक्षा समिति की व्यवस्था नहीं थी जब तक कि 7 (सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद इसका पुनर्गठन नहीं हुआ था।

ii. नि.सा.उ. एवं संधारणीयता विकास समिति:

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार नि.सा.उ. एवं संधारणीयता समिति का पुनर्गठन नहीं किया था। बोर्ड के निर्णय के आधार पर, बोर्ड की सिफारिशों के लिए नि.सा.उ.

एवं संधारणीयता समिति के समक्ष रखी जाने वाली अपेक्षित विषयवस्तुओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा गया था। हालांकि, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के नियोजन के बाद, नि.सा.उ. एवं संधारणीयता समिति का पुनर्गठन किया गया है जिनमें निम्नलिखित निदेशक हैं:

1. अधि. दुष्यंत उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक- अध्यक्ष

2. डॉ. बी.आर. रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

3. सुश्री (डॉ.) शतोरूपा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

4. निदेशक (मानव संसाधन)

5. निदेशक (उत्पादन)

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, नि.सा.उ. एवं संधारणीयता समिति की केवल एक (1) बैठक अर्थात 24वीं बैठक 07.02.2022 को आयोजित हुई।

नि.सा.उ. एवं संधारणीयता समिति बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूचियों पर विस्तृत टिप्पणी पहले ही भेज दी गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण पाने और बैठक में सुसंगत भागीदारी के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था है।

नि.सा.उ. एवं संधारणीयता समिति की बैठक में सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया गया।

iii. नामांकन एवं पारिश्रमिक समितिः

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन एवं संधारणीयता समिति का पुनर्गठन नहीं किया था। बोर्ड के निर्णय के आधार पर, बोर्ड की सिफारिशों के लिए नामांकन एवं संधारणीयता समिति के समक्ष रखी जाने वाली अपेक्षित विषयवस्तुओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा गया था। हालांकि, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के नियोजन के बाद, नामांकन एवं संधारणीयता समिति का पुनर्गठन किया गया था जिनमें निम्नलिखित निदेशक हैं:

1. सुश्री (डॉ.) शतोरूपा, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष

2. श्री रवि नाथ झा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

3. श्री वाई.पी. चिल्लियो, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

निदेशक (मानव संसाधन) और निदेशक (वित्त) समिति के आमंत्रित व्यक्ति हैं।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तों के तहत पर्यावलोचन के लिए कोई विशिष्ट कार्यसूची मद नहीं था।

गैर-अनुपालन:

सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, समिति को हर वर्ष कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिए। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तों के अनुरूप पर्यावलोचन के लिए कोई विशिष्ट कार्यसूची मद नहीं था।

iv. हितधारक संबंध समितिः

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के प्रावधानों के अनुसार हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन नहीं किया था। बोर्ड के निर्णय के आधार पर, बोर्ड की सिफारिशों के लिए हितधारक संबंध समिति के समक्ष रखी जाने वाली अपेक्षित विषयवस्तुओं को सीधे बोर्ड के समक्ष रखा गया था। हालांकि, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के नियोजन के बाद, हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन किया गया था जिनमें निम्नलिखित निदेशक हैं:

1. अधि. जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष

2. श्री रवि नाथ झा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

3. श्री वाई.पी. चिल्लियो, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, हितधारक संबंध समिति की केवल एक (1) बैठक अर्थात 23वीं बैठक 26.02.2022 को आयोजित हुई।

हितधारक संबंध समिति बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूचियों पर विस्तृत टिप्पणी पहले ही भेज दी गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण पाने और बैठक में सुसंगत भागीदारी के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था है।

हितधारक संबंध समिति की बैठक में सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया गया।

v. जोखिम प्रबंधन समितिः

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी ने सेबी (एलओडीआर) विनियमों, 2015 के प्रावधानों के अनुसार हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन नहीं किया था। हालांकि, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के नियोजन के बाद, 05.05.2021 से प्रभावी सेबी (एलओडीआर)(द्वितीय संशोधन) विनियमों, 2021 के अधीन आवश्यकता के अनुरूप निम्नलिखित निदेशकों को शामिल करते हुए समिति का पुनर्गठन किया गया था:

1. डॉ. बी.आर. रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. अधि. जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. डॉ. अजय नारंग, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. निदेशक (उत्पादन)-सदस्य
5. निदेशक (वित्त)-सदस्य

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की केवल एक (1) बैठक अर्थात 13वीं बैठक 26.02.2022 को प्रस्तावित किया गया था जो स्थगित हो गई थी एवं 10.03.2022 को आयोजित हुई थी।

जोखिम प्रबंधन समिति बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूचियों पर विस्तृत टिप्पणी पहले ही भेज दी गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण पाने और बैठक में सुसंगत भागीदारी के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था है।

जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया गया।

गैर-अनुपालनः

विनियमों के प्रावधानों के अधीन अपेक्षानुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति कम से कम दो बार बैठक आयोजित नहीं कर सकी थी।

vi. प्रौद्योगिकी समितिः

01.12.2021 से प्रभावी प्रौद्योगिकी समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित निदेशकों के साथ किया गया थाः

1. श्री वाई. पी. चिल्लियो, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. अधि. जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. डॉ. अजय नारंग, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
5. निदेशक (उत्पादन)

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, प्रौद्योगिकी समिति की केवल एक बैठक 26.02.2022 को आयोजित हुई थी।

प्रौद्योगिकी समिति बैठक के लिए समिति के सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूचियों पर विस्तृत टिप्पणी पहले ही भेज दी गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण पाने और बैठक में सुसंगत भागीदारी के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था है।

प्रौद्योगिकी समिति की बैठक में सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया गया।

(ङ) बोर्ड की अन्य समितियाँ:

सात स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड में शामिल करने के बाद, अन्य गैर-सांविधिक समितियों का भी पुनर्गठन किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया हैः

i. मानव संसाधन (मा.सं.) समिति:

1. श्री रवि नाथ झा, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. अधि. जॉर्ज कुरियन, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. सुश्री (डॉ.) शतोरूपा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. निदेशक (मानव संसाधन)–सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान मानव संसाधन (मा.सं.) समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

ii. परियोजनाओं और नए उद्यमों के लिए निदेशकों की समिति (सीओडी):

1. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. संयुक्त सचिव, खान मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक
3. निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी)
4. निदेशक (उत्पादन)
5. निदेशक (वित्त)
6. निदेशक (वाणिज्यिक)

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, परियोजनाओं एवं नए संयुक्त उद्यमों के लिए सीओडी की एक बैठक 28.07.2022 को आयोजित हुई थी।

परियोजनाओं एवं नए संयुक्त उद्यमों के लिए सीओडी की बैठक के लिए सभी सदस्यों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची और कार्यसूचियों पर विस्तृत टिप्पणी पहले ही भेज दी गई थी। बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण पाने और बैठक में सुसंगत भागीदारी के लिए एक प्रणाली की व्यवस्था है।

परियोजनाओं एवं नए संयुक्त उद्यमों के लिए सीओडी की बैठक के सभी फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किया गया।

iii. नैतिक एवं निगम अभिशासन समिति:

1. अधि. दुष्यंत उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक-अध्यक्ष
2. श्री रवि नाथ झा, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
3. डॉ. बी.आर. रामकृष्ण, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
4. निदेशक (वाणिज्यिक)-सदस्य

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, नैतिक और निगम अभिशासन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी।

(च) 40वीं वार्षिक साधारण बैठक:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी 40वीं वार्षिक साधारण बैठक का आयोजन 30 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग («वीसी»)/ अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स («ओएवीएम») के माध्यम से किया है। बैठक का आयोजन कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

सभी सदस्यों को 40वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए कंपनी अधिनियम और सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुपालन में 21 स्पष्ट दिनों का सूचना पत्र भेजा गया था।

कंपनी की 40वीं वार्षिक साधारण बैठक में घोषित अंतिम लाभांश के प्रयोजन से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बही सोमवार, 27 सितंबर, 2021 से बृहस्पतिवार, 30 सितंबर, 2021 (दोनों दिन सहित) तक बंद थे।

(छ) पोस्टल बैलेट:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल ने दिनांक 11.03.2022 के सर्कुलेशन द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया है और इसी अनुसार, कंपनी ने सभी सदस्यों को दिनांक 11.03.2022 को पोस्टल बैलेट की सूचना भेजकर कंपनी में हाल ही में नियुक्त 9 (नौ) निदेशकों के नियमितीकरण के लिए उनके अनुमोदन की मांग की थी। सभी सदस्यों को सूचना भेजी गई थी, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी 11 मार्च, 2022 को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों की सूची में दर्ज थे।

एमसीए परिपत्रों में निर्दिष्ट रियायतों के अनुरूप, कंपनी ने सदस्यों के पास केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना प्रेषित किया था। कंपनी ने अपने सदस्यों को पोस्टल बैलेट फॉर्म को निजी उपस्थिति द्वारा जमा करने के बदले इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की थी। कंपनी ने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (‹आरटीए›), मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से परिचित) (‹केफिनटेक›) को नियुक्त किया था। मतदान या वोटिंग की अवधि 16 मार्च, 2022 को शुरू हुई और 14 अप्रैल, 2022 को समाप्त हुई। कंपनी ने पोस्टल बैलेट के परिणाम की सूचना 18.04.2022 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी थी और उसी दिन इसे अपनी वेबसाइट पर जारी किया था।

(ज) सांविधिक अभिलेखों का रखरखाव:

कंपनी अधिनियम, 2013, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 के विभिन्न प्रावधानों एवं इन पर बने नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी सांविधिक रजिस्टर, अभिलेख एवं अन्य रजिस्टर इनमें दी गई सभी आवश्यक प्रविष्टियों के साथ समुचित प्रस्तुत एवं अनुरक्षित हैं। रिपोर्टाधीन अवधि की दौरान इन अधिनियमों के प्रावधानों का यथा अनुपालन किया गया था।

(झ) सांविधिक रिटर्न (प्रतिफल) दायर करना:

कंपनी के एमसीए/रजिस्ट्रार के पास निर्धारित समय-सीमा में अपेक्षित/निर्धारित शुल्क के भुगतान के साथ विभिन्न ई-फॉर्म एवं रिटर्न दायर करने के सिलसिले में अधिनियम के सभी प्रावधानों एवं अन्य संविधियों का समुचित अनुपालन किया गया था।

विभिन्न संविधियों/सूचीयन विनियमों/व्यवसाय नियमों के तहत सभी कागजात / सूचनाएँ नियमित रूप से निर्धारित नियत तिथियों में स्टॉक एक्सचेंज एवं डिपॉजिटरी (एनएसडीएल एवं सीडीएसएल) के पास दर्ज किए गए थे।

(ञ) रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट और निवेशक शिकायतों का निवारण:

मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में परिचित), हैदराबाद कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर (आरटीए) एजेंट हैं।

शेयर संचरण, स्थानांतरण, शेयरों के डीमैट/रीमैट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी करने, लाभांश के भुगतान आदि से संबंधित सभी शिकायतों/शिकायतों पर ध्यान दिया गया और उचित समय सीमा में समाधान किया गया।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी को 2,253 शिकायतें प्राप्त हुई थीं और निर्धारित समय सीमा में उन सभी का समाधान किया गया।

(ट) डुप्लिकेट शेयरों का संचरण/स्थानांतरण/जारी करनाः

कंपनी ने अपने शेयर रजिस्टरी कार्यकलापों के लिए आरटीए अर्थात मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के रूप में परिचित), हैदराबाद को आउटसोर्स किया है। फटे/विकृत/विरूपित/गुम होने के मामले में नए शेयर प्रमाणपत्रों को जारी करने और साथ ही पुनःभौतिकीकरण शेयर अंतरण समिति (एसटीसी) के अनुमोदन से किया जाता है, जबकि शेयरों का अंतरण, संचरण एवं स्थानांतरण कंपनी सचिव के अनुमोदन से किया जाता है, जिन्हें इसके लिए निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत किया गया है।

(ठ) निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अदत्त/दावाहीन लाभांश और शेयरों का अंतरण:

निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लागत परीक्षा, अंतरण एवं प्रतिदाय) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के अनुसरण में, कंपनी के शेयर जिनका लाभांश अधिकार 7 (सात) लगातार वर्षों या अधिक समय के लिए दावारहित या अदत्त रहा है, को कंपनी द्वारा भारत सरकार की निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किए जाने के लिए अपेक्षित रहता है।

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरानः

i) वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए, दावारहित अंतरिम लाभांश के संबंध में ₹12,84,679/- की राशि एवं 9,739 शेयर क्रमशः 09.04.2021 और 12.05.2021 को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित किए गए।

i) वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए, दावारहित अंतिम लाभांश के संबंध में ₹5,18,852/- की राशि एवं 22,031 शेयर क्रमशः 23.11.2021 और 24.12.2021 को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित किए गए।

(ड) लाभांश की घोषणा एवं भुगतान:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरानः

निदेशक मंडल ने 6 सितंबर, 2021 को आयोजित की गई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹918.32 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹1/- प्रति शेयर (प्रत्येक ₹5/- के अंकित मूल्य पर 20%) की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी। 30.09.2021 को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा आयोजित उनकी 40वीं वार्षिक साधारण बैठक में इसके अनुमोदन के बाद, 25.10.2021 को योग्य शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया गया था।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 12 नवंबर, 2021 को आयोजित की गई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹918.32 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹2/- प्रति शेयर (प्रत्येक ₹5/- के अंकित मूल्य पर 40%) की दर से प्रथम अंतरिम लाभांश के भुगतान को अनुमोदित किया था। इसी अनुसार 10.12.2021 को योग्य शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया गया था।

इसके अलावा, निदेशक मंडल ने 7 फरवरी, 2022 को आयोजित की गई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ₹918.32 करोड़ की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर ₹3/- प्रति शेयर (प्रत्येक ₹5/- के अंकित मूल्य पर 60%) की दर से द्वितीय अंतरिम लाभांश के भुगतान को अनुमोदित किया था। इसी अनुसार 04.03.2022 को योग्य शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया गया था।

शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा एवं भुगतान के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, सचिवीय मानक एवं विनियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन कंपनी द्वारा किया गया है।

हम आगे यह सूचित करते हैं कि कंपनी के प्रबंधन द्वारा दिए गए कागजातों एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, पर्याप्त प्रणालियाँ एवं प्रक्रियाएं लागू कानूनों, नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों पर निगरानी एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के वर्तमान आकार एवं प्रचालन के अनुरूप हैं।

कृते देब महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

हस्ता/-
सीएस अरबिन्द आचार्या, एफसीएस
प्रबंध साझेदार
सीपी नं.: 23836, एफसीएस नं.: 3911

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 16.05.2022
यूडीआईएनः F003911D000330481

(यह रिपोर्ट समदिनांकित हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है एवं इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है)

अनुलग्नक क

सेवा में
सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
नालको भवन, प्लॉट नं. पी/1, नयापल्ली
भुवनेश्वर – 751013 (ओड़िशा)

समदिनांकित हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए:

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर मत प्रकाश करना हमारी जिम्मेदारी है।

2. हमने उन्हीं लेखापरीक्षा पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेख की विषयवस्तुओं की सटीकता के बारे में सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे। परीक्षण आधार पर जाँच की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सचिवीय अभिलेख में सही तथ्य प्रदर्शित हैं। हमें विश्वास है कि कम्पनी द्वारा अनुपालित पद्धतियाँ और कार्य-प्रक्रियाएँ हमारे मत के लिए यथोचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा बहियों की सटीकता एवं उपयुक्तता की जाँच नहीं की है।

4. जहाँ भी अपेक्षित हो, हमने विधियों, नियमों, विनियमो और घटित घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभिवेदन प्राप्त किया है।

5. निगम के प्रावधानों एवं अन्य प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जाँच, परीक्षण के आधार पर कार्य-प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कार्यकारिता या प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिससे प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते देब महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

हस्ता/-
सीएस अरबिन्द आचार्या, एफसीएस
प्रबंध साझेदार
सीपी नं.: 23836, एफसीएस नं.: 3911

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 16.05.2022
यूडीआईएनः F003911D000330481

सचिवीय लेखापरीक्षक की अर्हताप्राप्त टिप्पणियों पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षक द्वारा उनकी रिपोर्ट में रिपोर्ट की गई अर्हताप्राप्त टिप्पणियाँ एवं प्रबंधन का स्पष्टीकरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

क्रम सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की अर्हताप्राप्त टिप्पणियाँ	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
1	**बोर्ड का गठन:** **कंपनी अधिनियम, 2013:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1)(ख) के प्रावधान के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के पास बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार, बोर्ड की कुल शक्ति का 1/3 हिस्सा स्वतंत्र निदेशकों का होना चाहिए। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के पास 09.11.2021 तक बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। बोर्ड में कोई महिला निदेशक भी नहीं थी और यह पद 09.11.2021 तक रिक्त रहा था। इसी अनुसार, 01.04.2021 से 09.11.2021 तक बोर्ड का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) और 149(4) के तहत प्रावधानों के अनुपालन में नहीं था। **सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015:** विनियमों के विनियम 17(1)(क) के अनुसार, निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित गैर-कार्यकारी निदेशक 50% से कम नहीं, शामिल होंगे। साथ ही, विनियमों के विनियम 17(1)(ख) के अनुसार, यदि सूचीबद्ध कंपनी के पास एक नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, तो निदेशक मंडल के कम से कम आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में, बोर्ड की कुल शक्ति में गैर-कार्यकारी निदेशकों अर्थात अंशकालिक सरकारी निदेशकों का हिस्सा 33.33% प्रतिशत था। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान 09.11.2021 तक कंपनी के पास कम से कम एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। 10.11.2021 को भारत सरकार द्वारा सात स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई और 22.03.2022 को बोर्ड में एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई। इसी अनुसार, 01.04.2021 से 09.11.2021 तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) और विनियम 17(1(ख) के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड का गठन नहीं था।	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के पास 09.11.2021 तक बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। बोर्ड में कोई महिला निदेशक भी नहीं थी और यह पद 09.11.2021 तक रिक्त रहा था। खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10 नवंबर, 2021 के अंतर्गत एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित सात (7) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करने के पश्चात, कंपनी ने तब से बोर्ड के गठन से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) और 17(1)(ख) के आवश्यक प्रावधानों का अनुपालन किया है।
2	**बोर्ड की बैठकें:** सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए कोरम कुल शक्ति का एक तिहाई या कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन निदेशक होगा, जो भी अधिक हो। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की बैठक का आयोजन बिना वैध कोरम अर्थात कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति के बिना 28.06.2021, 06.08.2021, 06.09.2021 और 12.11.2021 को किया गया, हालांकि अधिकतम संख्या में यानी कम से कम तीन निदेशक प्रत्येक बैठक में उपस्थित हुए।	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के पास 09.11.2021 तक बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित अपेक्षित सं. में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। हालांकि 28.06.2021, 06.08.2021, 06.09.2021 और 12.11.2021 को आयोजित बोर्ड की बैठकों में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति से वैध कोरम नहीं बना था, परंतु सभी बैठकों में कम से कम तीन निदेशकों की न्यूनतम अपेक्षित सं. मौजूद थी। खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10 नवंबर, 2021 के अंतर्गत सात (7) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करने के पश्चात, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 07.02,2022 को आयोजित तदुपरांत बोर्ड बैठक में वैध कोरम की आवश्यकता पूरी हुई थी।
3	**लेखा परीक्षा समिति:** अधिनियम और सेबी विनियमों के अपेक्षानुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति न्यूनतम चार बैठकों का आयोजन नहीं कर सकी और दो लगातार लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक रहा है क्योंकि 01.04.2021 से लेखापरीक्षा समिति की व्यवस्था नहीं थी जब तक कि 7 (सात) स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद इसका पुनर्गठन नहीं हुआ था।	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के पास 09.11.2021 तक बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। अतएव, वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारंभ से लेखा परीक्षा समिति की व्यवस्था नहीं थी। खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10 नवंबर, 2021 के अंतर्गत सात (7) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करने के पश्चात, कंपनी अधिनियम और साथ ही सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया था।

क्रम सं.	सचिवीय लेखापरीक्षक की अर्हताप्राप्त टिप्पणियाँ	प्रबंधन का स्पष्टीकरण
4	**नामांकन और पारिश्रमिक समितिः** सेबी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, समिति को हर वर्ष कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिए। तथापि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक नहीं हुई, क्योंकि नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तों के अनुरूप पर्यावलोचन के लिए कोई विशिष्ट कार्यसूची मद नहीं था।	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के पास 09.11.2021 तक बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। अतएव, वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारंभ से नामांकन और पारिश्रमिक समिति की व्यवस्था नहीं थी। हालांकि, खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 2/8/2020-मेट-I 10 नवंबर, 2021 के तहत सात (7) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करने के पश्चात नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया था, परंतु नामांकन और पारिश्रमिक समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई क्योंकि समिति के संदर्भ की शर्तों के तहत पर्यावलोचन के लिए कोई विशिष्ट कार्यसूची मद नहीं था।
5	**जोखिम प्रबंधन समितिः** विनियमों के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति ने कम से कम दो बार बैठक नहीं की।	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के पास 09.11.2021 तक बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। अतएव, वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रारंभ से जोखिम प्रबंधन समिति की व्यवस्था नहीं थी। खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. 2/8/2020-मेट-I दिनांक 10 नवंबर, 2021 के अंतर्गत सात (7) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करने के पश्चात, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया था एवं वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान उक्त समिति की एक बैठक का आयोजन 10.03.2022 को किया गया था।

कृते निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए
हस्ता/-
(श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएनः06500954

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवमें,
सदस्य
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (कंपनी) के एकल वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य विशद आय समेत), इक्विटी परिवर्तन का विवरण, नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समेत वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी (इसके बाद आगे "एकल वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षा के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015, संशोधित अनुसार और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) की समरूपता में 31 मार्च, 2022 की स्थिति को कंपनी के मामलों की यथास्थिति एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अन्य विशद आय सहित इसके लाभ, इसके नकद प्रवाह एवं इक्विटी में परिवर्तन का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

हमारी राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखापरीक्षण पर मानकों (एसए) के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी में हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वों में विस्तार से वर्णित है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ नीतिगत आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन एकल वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं एवं हमने उन आवश्यकताओं एवं नैतिक संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो वित्तीय विवरण पर हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएँ वो हैं जो हमारे पेशेवर विचार में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रही थी। इन विषयवस्तुओं का समग्र रूप में एवं इस पर हमारे राय व्यक्त करने में वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा की प्रासंगिकता में समाधान किया गया था एवं इन विषयवस्तुओं पर हम पृथक राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान वर्ष में लेखा परीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ जो हमने चिह्नित की हैं, वो निम्नानुसार हैं:

प्रमुख लेखा परीक्षा विषयवस्तुएँ	हमारी लेखा परीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
1. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों का वहन मूल्य (चल रहे पूंजी कार्य एवं विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, चल रहे पूंजी कार्य (सीडब्ल्यूआईपी), अमूर्त परिसंपत्ति और विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति महत्वपूर्ण शेष राशि को प्रतिपादित करते हैं जो एकल वित्तीय विवरणियों में वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज हैं। इन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह एवं परिसंपत्तियों से संबंधित हानि प्रावधानों सहित प्रासंगिक परिसंपत्तियों की उपयोगिता को समर्थन देनेवाले प्रमुख धारणाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि एवं उनके संबंधित मूल्यह्रास स्वरूप को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत; कंपनी की नीति में परिवर्तनों के प्रभाव समेत परिसंपत्ति के जीवन काल की समीक्षा; और सक्रिय सेवा से परित्यक्त परिसंपत्तियों के लिए पूंजीकरण, निर्धारण या माप और स्वीकृति मानदंड की समयबद्धता शामिल है।	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त संपत्तियों (चल रहे पूंजी कार्य और विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों सहित) के वहन मूल्य से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने वहन मूल्य एवं उपयोगी जीवनकाल के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और इंड एएस 38 अमूर्त परिसंपत्तियों के सिद्धांतो के अनुरूप हैं। • हमने प्रबंधन के निर्णय को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल और प्रबंधन के तकनीकी आकलन के अनुसार कुछ परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल की तुलना के माध्यम से चुनौती देते हुए आकलन किया है कि क्या उपयोगी जीवनकाल एवं अवशेष मूल्य यथा संगत थे। • हमने पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में प्रत्येक श्रेणी की परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल की तुलना की है ताकि यह निर्धारित कर सकें कि क्या परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन है एवं व्यवसाय और उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर परिवर्तनों की प्रासंगिकता पर विचार किया। • हमने आकलन किया है कि क्या कमजोरी के सूचक व्यवसाय एवं उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर 31 मार्च, 2022 को मौजूद थे और जब भी जरूरत पड़े परिसंपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी के कमजोरी के प्रावधान की समीक्षा की गई थी। • हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की नियंत्रण व्यवस्था का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरण के परीक्षणों का निष्पादन किया एवं सक्रिय उपयोग से परित्यक्त हो चुकी परिसंपत्तियों के गैर-पूंजीकरण एवं परिसंपत्ति जीवन के अनुप्रयोग सहित पूंजीकरण की समयबद्धता का मूल्यांकन किया। • इन विषयगत प्रक्रियाओं के निष्पादन में, हमने पूंजीकृत मूल लागत की प्रकृति, मूल्यह्रास एवं परिशोधन की गणना में प्रयुक्त परिसंपत्ति के जीवनकाल की उपयुक्तता; एवं कमजोरी के प्रसंग में यदि ज़रूरत पड़े, तो त्वरित मूल्यह्रास/ परिशोधन के लिए आवश्यकता के आकलन समेत प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का अकलन किया है। उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर, हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के आकलन को प्रासंगिक पाया है।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषयवस्तुएँ	हमारी लेखा परीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
2. कर्मचारी परिभाषित लाभ देयता एवं अन्य दीर्घमियादी लाभों का मूल्यांकन	
कंपनी ने एकल वित्तीय विवरण में दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ देयता के लिए एवं परिभाषित लाभ दायित्वों (निधिबद्ध उपदान दायित्व के तहत योजना परिसंपत्ति का शुद्ध मूल्य) की स्वीकृति दी है। कर्मचारी लाभ देयता का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों एवं की गई धारणाओं पर निर्भर है। प्रमुख लेखा परीक्षा विषयवस्तुएँ मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख धारणाओं से संबंधित हैं: छूट दर, मुद्रा स्फीति प्रत्याशाओं एवं अपेक्षित जीवन की धारणाओं। इन धारणाओं का व्यवस्थापन जटिल है एवं तृतीय पक्ष के बीमांकिक सहयोग से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है।	कर्मचारियों, परिभाषित लाभ देयताओं एवं अन्य दीर्घमियादी लाभ के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: • मूल्यांकन के परीक्षण में, वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय दोनों में प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाओं की समीक्षा के लिए हमने वाह्य बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जाँच की है एवं इन धारणाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कार्यविधियों को विवेचित किया। • हमने प्रबंधन एवं बीमांकिक द्वारा किए गए आकलनों का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये इंड एएस 19 के सिद्धांतों के संगत में हैं। • इसके अलावा, परिभाषित लाभ देयताओं के मूल्याकन में प्रमुख धारणाओं पर अतिसंवेदनशील विश्लेषण की जाँच की है। उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि देयताओं के निर्धारण के संबंध में इस्तेमाल की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।
3. आकस्मिक देयताओं के संबंध में निश्चयन, प्रकटन एवं प्रावधानीकरण	
कंपनी ने एकल वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है। कंपनी के पास महत्वपूर्ण एकीकृत मांग से संलग्न विवाद के अधीन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों में अनिश्चित कर विषयवस्तु से संबंधित मसले हैं, जिसके लिए इन विवादों के संभावी परिणाम के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। इसके अलावा, कंपनी के पास सरकार या सरकार द्वारा गठित अन्य एजेंसियों और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न दावों से संबंधित अन्य चालू कानूनी मामले हैं जिसके लिए संभावित परिणाम निर्धारित करने हेतु प्रबंधन निर्णय को अमल में लाने की जरूरत पड़ती है।	आकस्मिक देयता के संबंध में निर्धारण, प्रकटीकरण एवं प्रावधानीकरण के विषय में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने इंड एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटन एवं प्रावधान करने के संबंध में एक विस्तृत सहमति प्राप्त की है एवं कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर आकस्मिक देयताओं के विषय में, हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया है। • कर मुकदमे एवं लम्बित प्रशासनिक कार्यवाहियों को चिह्नित करने के लिए कार्य-प्रक्रियाओं का आकलन एवं प्रासंगिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया गया। • समरूप मामलों में कानूनी अग्रता एवं अन्य नियमों पर विचार करते हुए कंपनी के कर विभाग द्वारा निष्पादित संभावी कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त धारणाओं का आकलन। • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की वस्तुस्थिति के विषय में प्रबंधन के साथ चर्चा एवं प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखीकरण की जाँच। • कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण, जहाँ उपलब्ध हो। • वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकटनों की पर्याप्तता की समीक्षा। अन्य आकस्मिक देयताओ के संबंध में कंपनी की संभावी अरक्षितता के आकलन में, हमने: • ज्ञात अरक्षितता की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के स्वरूप एवं कार्यान्वयन का आकलन किया; • कंपनी की विवेचना के अधीन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए बोर्ड एवं बैठक के अन्य कार्यवृत्त का संदर्भ लिया; • कंपनी को प्रभावित करनेवाली चालू एवं संभावी कानूनी विषयवस्तुओं को समझने में कंपनी के अंदरूनी कानूनी लेखा परीक्षकों से सलाह ली गई; • विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी परामर्शों की समीक्षा की गई; और • वास्तविक और संभावी कानूनी देयताओं के प्रस्तावित लेखांकन एवं प्रकटन की समीक्षा। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर हम समग्र रूप से सहमति देते हैं कि चालू कानूनी विषयवस्तुओं के संबंध में लेखांकन एवं प्रकटन उपयुक्त हैं।
4. परिसंपत्ति के रूप में सतत मुकदमे के अधीन कर विषयवस्तुओं के संबंध में अग्रिम एवं जमा	
एकल वित्तीय विवरणियों ने अन्य परिसंपत्तियों का प्रकटन किया है, जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष कर जमा (प्रावधान का शुद्ध) के भौतिक वसूली योग्य दावे शामिल हैं, जिसमें वैट और सेनवेट क्रेडिट निहित हैं जो समायोजन/निर्णय के लिए लंबित हैं। इन पहलुओं की प्रकृति का आकलन करने एवं उनका लेखांकन करने और प्रकटन आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमा के अधीन कर विषयवस्तुओं के बारे में अग्रिम और जमा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने प्रबंधन से पूरे किए गए कर आकलनों एवं मांग तथा अपीलीय अधिकारी के अपील आदेश का विवरण प्राप्त किया। • हमने कर देयता एवं विवादों के संभावी परिणाम के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहीत धारणाओं को चुनौती देने के लिए हमारे आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया। • हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने भी इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की परिस्थिति के मूल्यांकन में कानूनी प्रधानता एवं अन्य नियमावलियों पर विचार किया। • इसके अलावा, हमने वसूली योग्य राशि, संधारणीयता एवं अंतिम समाधान पर संभाव्य वसूली क्षमता की प्रकृति की समीक्षा करने हेतु जहाँ भी उपलब्ध हैं, कानूनी एवं कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर वसूली योग्य विवेचित दावा राशि में प्रबंधन के निर्धारण के साथ हम सहमति रखते हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा विषयवस्तुएँ	हमारी लेखा परीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
5. आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन	
कंपनी ने एकल वित्तीय विवरण में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को प्रकट किया है। कंपनी बहु- गतिविधियों का संचालन करती है। जिसमें आयकर के विभिन्न प्रावधानों का प्रयोग शामिल है। समयांतर के फलस्वरूप उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्ति/ देयता के मूल्यांकन का आकलन एवं अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधान हमारी लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गणना जटिल प्रकृति की है एवं संवेदी और निर्णयात्मक धारणाओं पर निर्भर है। इनमें, अन्य के साथ दीर्घमियादी भावी लाभकारिता एवं स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकास शामिल हैं।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमा के अधीन कर विषयवस्तुओं के बारे में अग्रिम और जमा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: • आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की संपूर्णता एवं सटीकता का निर्धारण करना एवं अनिश्चित कर स्थितियों को स्वीकृति देना। • हमने कंपनी द्वारा चिह्नित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली क्षमता एवं आस्थगित कर देयताओं के संबंध में भावी नकद प्रवाहों की संभाव्यता पर प्रबंधन के आकलन को चुनौती दी एवं जाँच-पड़ताल की। • हमने सांविधिक आयकर दर में परिवर्तनों के संबंध में एवं सीमाबद्धता विधान से संबंधित लागू स्थानीय वित्तीय विनियमों एंवं विकासों का भी आकलन किया है क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के अंतर्निहीत मूल्यांकन की प्रमुख धारणाएँ है। • हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया एवं कंपनी द्वारा प्रयुक्त धारणाओं एवं कार्यविधियों का मूल्यांकन किया। • इसके अलावा, हमने प्रयुक्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं पर इंड एएस 12 आयकर के अनुसार कंपनी के प्रकटन की पर्याप्तता पर भी ध्यान केन्द्रित किया। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में प्रयोग की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।

अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में शामिल है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न सूचना, परंतु इसमें एकल वित्तीय विवरण एवं इस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत ये रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

एकल वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय अन्य सूचना को शामिल नहीं करती है एवं इस पर निष्कर्ष के तौर हम किसी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उल्लिखित अन्य सूचनाओं को पढ़ने तक है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना एकल वित्तीय विवरणियों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी में भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बयानबाजी प्रकट करते हैं।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, तब यदि हमें पता चलता है कि इसमें भौतिक गलत बयानबाजी है, तब इस अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को इस विषयवस्तु की सूचना हमें प्रदान करनी पड़ती है एवं आवश्यकता पड़ने पर, उपयुक्त कदम उठाते हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों (इंड एएस) समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन (अन्य विशद आय समेत), इक्विटी में परिवर्तन एवं नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन भी शामिल है जो कंपनी की संपत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, उपयुक्त कार्यान्वयन के चयन एवं प्रयोग, लेखांकन नीतियों के अनुरक्षण; तर्क एवं आकलन देने, जो यथासंगत एवं विवेकपूर्ण हैं; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, कार्यान्वयन एवं रखरखाव के लिए, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे, वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं एवं भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने में कंपनी की क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों को लागू अनुसार प्रकट करने एवं लेखांकन की चालू संस्था आधार पर इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार है, बशर्ते कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करना चाहता है या कार्य-परिचालनों को रोकना चाहता है या ऐसा करने के अलावा यथार्थ रूप से कोई और विकल्प नही है।

वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करना ताकि वित्तीय विवरण समग्र रूप से गलत बयानबाजी से मुक्त हो चाहे वो जालसाजी या त्रुटि के कारण हो एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। युक्तिसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु इसकी सुनिश्चितता नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित एक लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी भौतिक गलत बयानबाजी, जब यह विद्यमान हो, का पता लगा पाएगी। गलत बयानबाजी किसी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है एवं तभी महत्वपूर्ण माना जाता है, जब व्यक्तिगत या समेकित रूप में, उनसे इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की युक्तिसंगत अपेक्षा रहती है।

एसए के अनुसार एक लेखा परीक्षा के अंश के तौर पर, हम पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं पेशेवर संशयवाद का पालन करते हैं। हमारे कार्य में ये भी शामिल हैं:

- वित्तीय विवरणियों की गलत बयानबाजी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करना, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना एवं निष्पादन करना और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। किसी जालसाजी के

फलस्वरूप उत्पन्न किसी गलत बयानबाजी का पता न चल पाने का जोखिम, किसी चूक से उत्पन्न जोखिम से अधिक होता है क्योंकि जालसाजी में साँठ-गाँठ, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल रह सकते हैं।

- लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रिया को तैयार करने हेतु लेखा परीक्षा के संगत में आंतरिक नियंत्रण के तात्पर्य को प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(झ) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है एवं ये नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हैं।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन आकलनों के औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- चालू संस्था में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना एवं प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर देखना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो कंपनी के चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम किसी भौतिक अनिश्चितता की उपस्थिति का निष्कर्ष देते हैं, तो वित्तीय विवरणियो में संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता पड़ती है या इस प्रकार का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहने पर, हमारी राय में हम परिवर्तन लाते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू संस्था के रूप में कार्य करना रोक सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष देते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान दिलाना पड़ता है या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को बदलना पड़ता है। हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की नवीनतम तिथि तक प्राप्त लेखा साक्ष्य पर हमारे निष्कर्ष आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थिति के कारण कंपनी चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है; तथा
- प्रकटीकरण समेत वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना एवं क्या वित्तीय विवरण इस रूप में अंतर्निहित लेनदेन की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है।

हम अभिशासन से प्रभारित जनों को अन्य विषयवस्तुओं के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित क्षेत्र एवं समयसूची और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों एवं हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा चिह्नित अन्य महत्वपूर्ण कमियों की सूचना देते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित जनों को एक विवरण के साथ यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के विषय में संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है एवं हमारी स्वतंत्रता एवं जहाँ प्रयोज्य हो, संबंधित हिफाजत पर यथा संगत विचार किए जानेवाले सभी संबंधों एवं अन्य विषयवस्तुओं की सूचना देते हैं।

अभिशासन से प्रभारित जन को सूचित की गई विषयवस्तुओं में हम उन विषयवस्तुओं का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे एवं इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएँ हैं। हम हमारी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन विषयवस्तुओँ का वर्णन करते हैं, बशर्ते कि विषयवस्तुओं के सार्वजनिक प्रकाशन से कानून या विनियम द्वारा रोका न गया है या जब अति दुर्लभ परिस्थितियो में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशिष्ट विषयवस्तु को सूचित नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके प्रतिकूल परिणाम से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित लाभों पर प्रभाव पड़ने की यथासंगत अपेक्षा रहती है।

अन्य कानूनी एवं नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की अपेक्षा के अनुसार, लागू सीमा के तहत आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" में एक विवरण देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के अनुदेशों के अनुपालन में, हम वहाँ विनिर्दिष्ट विषयवस्तुओं पर इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "ख" में एक विवरण देते हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   - (क) हमने वो सभी जानकारी और व्याख्या मांगी है एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी;
   - (ख) हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून के अपेक्षानुसार कंपनी द्वारा यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है;
   - (ग) इस रिपोर्ट से सम्बंधित तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय समेत), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों के सुसंगत में हैं;
   - (घ) हमारी राय में, उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण संशोधित अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं;
   - (ङ) निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस. आर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर प्रयोज्य नही है;
   - (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के सूचनार्थ अनुलग्नक "ग" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें;
   - (छ) संशोधित अनुसार अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसरण में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामलें में: प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ई) के माध्यम से कंपनी पर लागू नही है;
   - (ज) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिक:
     i. कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं जिनके संबंध में देयताएँ या तो प्रदान किए गए हैं या आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किए गए हैं – एकल वित्तीय विवरण की टिप्पणी 26 का संदर्भ लें;

ii. दीर्घमियादी संविदाएँ यदि हैं, जिनके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थीं, के लिए कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अन्तर्गत अपेक्षानुसार कंपनी ने प्रावधान किया है। हमें बताए गए अनुसार, कंपनी द्वारा कोई व्युत्पन्न संविदा में भाग नहीं लिया गया है;

iii. निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में कंपनी द्वारा राशि अंतरित किए जाने में कोई देर नही हुई है;

iv. (क) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपनी पूरी जानकारी और विश्वास में, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था («मध्यस्थों») सहित अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि राशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य निधि स्रोत से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से («अंतिम लाभार्थी») किसी भी रूप में चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा देगा या इस तरह का कोई कार्य करेगा;

(ख) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपनी पूरी जानकारी और विश्वास में, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से, विदेशी संस्था («निधि प्रदायी पक्षों») सहित प्राप्त की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निधि प्रदायी पक्ष द्वारा या उसकी ओर से («अंतिम लाभार्थी») किसी भी रूप में चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा देगा या इस तरह का कोई कार्य करेगा;

(ग) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो हमें विश्वास दिलाए कि ऊपर (क) और (ख) के तहत नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी है; तथा

iv. जैसा कि एकल वित्तीय विवरणियों के अनुच्छेद 18.3 में व्यक्त किया गया है:

क. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और प्रदत्त, प्रयोज्य अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है; तथा

ख. वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी द्वारा घोषित और प्रदत्त अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

हस्ता/-
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार
सदस्यता सं .: 055224
युडीआईएन 22055224 एजेओवाईईएन 2606

कृते ए .के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

हस्ता/-
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार
सदस्यता सं .: 030310
युडीआईएन 22030310एजेओवाईडीएक्स2384

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

अनुलग्नक "क"

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य काननी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 1 के संदर्भ में)

i. (क) (अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण एवं स्थिति समेत कंपनी संपूर्ण विवरण से दर्शित समुचित अभिलेखों का रखरखाव कर रही है;

(ब) अमूर्त परिसंपत्तियों के संपूर्ण विवरण से दर्शित समुचित अभिलेखों का रखरखाव कंपनी कर रही है;

(ख) प्रबंधन द्वारा हर वर्ष अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की भौतिक रूप से जाँच की गई है। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की भौतिक जाँच की गई थी एवं वर्ष के दौरान संचालित ऐसे सत्यापन पर कोई भौतिक या महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गई हैं;

प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष के चरणबद्ध तरीके में अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की भौतिक जाँच की गई है है, जो कि हमारी राय में, कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार यथोचित हैं। वर्ष के दौरान दर्ज बही अभिलेखों एवं भोतिक परिसंपत्तियों के बीच कोई भौतिक या महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गई थी;

(ग) हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार एवं कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों का अधिकार पत्र कंपनी के नाम में है। कम्पनी द्वारा धारित 8202.55 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्व वाली भूमि एवं 10928.98 एकड़ की पट्टाधारी भूमि में से, क्रमशः 66.64 एकड़ की पूर्ण-स्वामित्ववाली एवं 1597.35 एकड़ की पट्टेवाली भूमि के विषय में अधिकार पत्र/पट्टा अनुबंध का निष्पादन अभी तक कंपनी के पक्ष में लंबित है। तथापि, संबंधित प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी को उक्त भूमि पर अपने कार्य-प्रचालन के लिए अनुमति दी गई है।

विवरण निम्नानुसार हैः

संपत्ति का विवरण	सकल वहन राशि (₹ करोड़ में)	जिनके नाम में	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार हैं	जिस अवधि में	कंपनी के नाम में नहीं रहने की वजह	क्या विवादित है
ओड़िशा के कोरापुट जिले में 19.74 एकड़ पूर्ण स्वामित्व की भूमि	0.11	ओड़िशा सरकार	नहीं	1982-83	लंबित पंजीकरण	नहीं
ओड़िशा के अनुगुल जिले में 46.90 एकड़ पूर्ण स्वामित्व की भूमि	0.33	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम	नहीं	1987-88	लंबित पंजीकरण	नहीं
ओड़िशा के कोरापुट जिले में 845.94 एकड़ पट्टाधारी भूमि	0.35	ओड़िशा सरकार	नहीं	1982-83	लंबित पंजीकरण	नहीं
ओड़िशा के अनुगुल जिले में 656.05 एकड़ पट्टाधारी भूमि	1.47	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम	नहीं	1987-88	लंबित पंजीकरण	नहीं
ओड़िशा के अनुगुल जिले में 94.7 एकड़ पट्टाधारी भूमि	16.5	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम	नहीं	2021-22	लंबित पंजीकरण	नहीं
ओड़िशा के ढेंकनाल जिले में 0.66 एकड़ पट्टाधारी भूमि	0.09	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम	नहीं	1987-88	लंबित पंजीकरण	नहीं

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति का उपयोगाधिकार सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है और अतएव, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, संशोधित किए जाने एवं उसके अधीन बनाए गए नियम के तहत कंपनी के विरुद्ध किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न लंबित है;

ii. (क) प्रबंधन द्वारा मार्गस्थ स्टॉक के सिवाय, मालसूची का उचित अंतराल पर भौतिक रूप से जाँच की गई है। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह की जाँच का दायरा और प्रक्रिया उपयुक्त है। प्रत्येक श्रेणी की मालसूची के लिए समग्र रूप से 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई;

(ख) कंपनी को स्टॉक और प्राप्यों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से समग्र रूप में पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यकारी पूंजी सीमा स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है। कंपनी ने बैंकों के पास स्टॉक और प्राप्यों का मासिक विवरण दर्ज कराया है और मार्च 2022 को छोड़कर जो अनंतिम वित्तीय विवरणों पर आधारित था, कंपनी की खाता बही की सहमति में हैं;

iii. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसके फलस्वरूप, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड iii (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (च) लागू नहीं हैं;

iv. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार, निगमित मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों को ऋण के विषय में अधिनियम की धारा 185 कंपनी पर लागू नहीं है। हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, कंपनी ने दिए गए ऋण एवं निवेश के विषय में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है;

v. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों तथा इसके तहत बने नियमों के आशय में कंपनी ने जनसाधारण से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है सिवाय नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहायता और पुनर्वासन (एनईएफएफएआर) योजना के

तहत ली गई जमा राशि के लिए, जिसमें कंपनी विकलांगता/मृत्यु होने की दशा में जमा के रूप में सेवांत लाभों को बरकरार रखती है, कर्मचारी/ नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को उनके विकल्प पर अनुमानित सेवानिवृत्ति की तिथि तक कंपनी मासिक लाभ अदा करती है (टिप्पणी 24.2 देखें);

vi. विनिर्माणी कार्यकलापों के विषय में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत लागत अभिलेख के अनुरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार कंपनी द्वारा रखी गई बहियों एवं रिकॉर्ड की हमने विस्तृत समीक्षा की है एवं मुख्य रूप से राय व्यक्त करते हैं कि प्रत्यक्षतः निर्धारित लेखा एवं अभिलेख तैयार किए गए हैं एवं अनुरक्षित हुए हैं। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच नहीं की है कि क्या ये सटीक एवं संपूर्ण हैं।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, हमारी राय में कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उप कर एवं अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देय उपयुक्त प्राधिकारियों के पास आमतौर पर जमा करती है। 31 मार्च, 2022 को देय तिथि से छह महीनों से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित सांविधिक देय बकाया नहीं है जैसा कि नीचे वर्णित है:

संविधि बकाया की प्रकृति	राशि (₹ करोड़)
खनन पर रॉयल्टी	80.33

पोर्टल/पेमेंट गेटवे की अनुपलब्धता के कारण कंपनी अविवादित बकायों को जमा करने में समर्थ नहीं हो पाई है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवादित सांविधिक बकाया जो विवादाधीन मामलों के लिए जमा नहीं किया गया है और विभिन्न प्राधिकरणों के समक्ष निपटान के लिए लंबित है, उसका विवरण नीचे किया गया है:

क्रम सं.	संविधि की प्रकृति	विवादित सांविधिक बकाये की प्रकृति	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहाँ विवाद लम्बित है	सकल विवादित राशि (₹ करोड़)	कर प्राधिकारियों द्वारा विरोध/ समायोजन के अधीन जमा की गई राशि (₹ करोड़)
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर/ टीडीएस/ब्याज	2014-15 2019-20	आयकर आयुक्त (अपील)	43.96	15.86
			2010-11 2015-16	सहायक आयुक्त/उप आयुक्त, आयकर	42.06	31.26
2	केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम, 1944	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1999-2000 से 2014-15	न्यायाधिकरण	404.35	10.37
			2007-08 से 2015-16	अपीलीय प्राधिकारी	5.99	0.21
3	वित्त अधिनियम. 1994	सेवा कर	2007-08 से 2016-17	न्यायाधिकरण	7.14	2.12
			2007-08 से 2018-19	अपीलीय प्राधिकारी	7.67	0.29
4	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	2000-01 से 2012-13	न्यायाधिकरण	102.77	1.95
5	ओड़िशा वैट अधिनियम, 2004	वैट	2005-06 से 2009-10	न्यायाधिकरण	12.6	2.17
			2016-17 से 2017-18	अपीलीय प्राधिकारी	0.05	-
6	ओड़िशा विक्रय कर अधिनियम, 1947	ओएसटी	1995-96 से 2002-03	ओड़िशा उच्च न्यायालय	1.63	0.37
			1992-93 से 2004-05	न्यायाधिकरण	1	0.64
			2003-04	अपीलीय प्राधिकारी	1.08	-
7	ओड़िशा प्रवेश कर अधिनियम 1999	ईटी	1999-2000 से 2010-11	ओड़िशा उच्च न्यायालय	8.79	3.56
			1999-2000 से 2013-14	न्यायाधिकरण	133.43	54.81
			1999-2000 से 2015-16	अपीलीय प्राधिकारी	75.04	8.51
			1999-2000 से 2009-10	आकलन अधिकारी	4.94	3.35
8	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनयम, 1956	सीएसटी	1992-93 से 2008-09	न्यायाधिकरण	277.06	77.84
9	यान वाहन अधिनियम	सड़क कर	2008-09 से 2020-21	ओड़िशा उच्च न्यायालय	2.65	-
10	भारतीय स्टैंप (ओड़िशा संशोधन) अधिनियम, 2013	स्टैंप ड्यूटी/ पंजीकरण	2018-19	ओड़िशा उच्च न्यायालय	213.29	-
11	वित्त अधिनियम, 2010	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	2015-16, 2016-17, 2018-19	ओड़िशा उच्च न्यायालय	230.5	-
12	नेशनल ग्रीन टिब्यूनल अधिनियम, 2010	जिससे दावे (एनजीटी)	2018-19	सर्वोच्च न्यायलय	109.01	-
13	औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1996, ओड़िशा सरकार	भूमि अधिग्रहण एवं इस पर ब्याज	1982-83, 2021-22	ओड़िशा उच्च न्यायालय	78.07	-
14	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रॉयल्टी	2011-12 से 2015-16	ओड़िशा उच्च न्यायालय	136.32	-
15	जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार	जल विवाद	2014-15	ओड़िशा उच्च न्यायालय	119.24	-
				कुल योग	2,018.66	213.31

viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाता बहियों की जाँच पर, खाते की बहियों में ऐसे लेनदेन दर्ज नहीं हुए थे जो आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन कर आकलनों में वर्ष के दौरान आय के रूप में परित्याग या प्रकट किए गए हों;

ix. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या के अनुसार, बैंकों के साथ बिल छूट करार के अलावा, कंपनी का किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या ऋणपत्रधारकों से कोई ऋण या उधार बकाया नहीं है। कंपनी ने बिल छूट सुविधा के तहत प्राप्त ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया नहीं रखा है। इसके फलस्वरूप, आदेश के अनुच्छेद 3 के खंड ix (ए), (बी), (सी), (डी), (ई) और (एफ) लागू नहीं हैं;

x. (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक जन प्रस्ताव, आगे जन प्रस्ताव (ऋणपत्रों समेत) कोई राशि एवं मियादी ऋण नहीं लिया है। इसी अनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3(ix) (ए) कंपनी पर लागू नहीं है।

(ख) कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी नियोजन (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) नहीं किया है। इसी अनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ix) (बी) कंपनी पर लागू नहीं है;

xi. (क) हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी के प्रति धोखाधड़ी नहीं की गई है या रिपोर्ट की गई है;

(ख) वर्ष के दौरान एवं इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लेखापरीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दर्ज नहीं की गई है;

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कोई सचेतक शिकायत नहीं है;

xii. हमारी राय में एवं हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओ के अनुसार, कंपनी एक निधि कम्पनी नहीं है। इसी अनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xii) (ए), (बी) एवं (सी) कंपनी पर लागू नहीं हैं;

xiii. हमें दी गई जानकारी और व्याख्याओं के अनुसार एवं कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, संबंधित पक्ष के लेनदेन जहाँ भी प्रयोज्य है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुपालन में हैं।

xiv. (क) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के माप और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है और

(ख) हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रकृति, समय और सीमा को निर्धारित करने के लिए, वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी को जारी की गई लेखा परीक्षा की अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को विवेचित किया है;

xv. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्याओं के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जाँच के आधार पर, अधिनियम की धारा 192 में वर्णित अनुसार कंपनी ने किसी निदेशक या उससे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है;

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है;

xvii. कंपनी को वित्तीय वर्ष के दौरान और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है;

xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं हुआ है;

xix. वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय दायित्वों के भुगतान के वित्तीय अनुपातों, समय बढ़ने और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी और निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर आधार पर, हमारी राय है कि लेखा परीक्षा की तिथि को कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है और कंपनी तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के अंदर जब भी देय के लिए नियत हो, तुलन पत्र की तिथि को विद्यमान अपने देयताओं को पूरा करने में सक्षम है;

xx. (क) हमें दी गई जानकारी और व्याख्या के अनुसार, वर्ष के दौरान चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है और

(ख) हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार वर्ष के दौरान चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है।

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

हस्ता/-
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार
सदस्यता सं .: 055224
युडीआईएन 22055224एजेओवाईईएन 2606

कृते ए .के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

हस्ता/-
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार
सदस्यता सं .: 030310
युडीआईएन 22030310एजेओवाईडीएक्स2384

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

अनुलग्नक "ख"

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य काननी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 के संदर्भ में)

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत निर्देशों पर रिपोर्ट

क्रम सं.	अधिनियम की धारा 143(5) के अधीन निर्देश	निर्देशों पर लिए गए कदमों पर लेखा परीक्षकों के जवाब	एकल वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1	क्या कंपनी के पास आयकर प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया के लिए व्यवस्था है? यदि हाँ, तो आयकर प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया का वित्तीय प्रभावों के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा पर प्रभाव, यदि कोई हो, को व्यक्त किया जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आयकर प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया के लिए व्यवस्था है। वित्तीय लेखांकन (एफआई), नियंत्रण (सीओ), बिक्री और वितरण (एसडी), सामग्री प्रबंधन (एमएम), आदि जैसी सभी प्रक्रियाओं के लिए एसएपी-ईआरपी का कार्यान्वयन किया गया है। वेतन भुगतान की प्रक्रिया के लिए साइट्रिक्स प्रणाली लागू की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, आयकर प्रणाली के बाहर कोई भी लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया या निष्पादन नहीं किया गया है। इसलिए, खातों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।	शून्य
2	क्या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता की वजह से किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण के कोई पुनर्गठन या ऋण/उधार/व्याज आदि को छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में व्यक्त किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों को उचित तरीक से खाते में लिया जाता है?	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता की वजह से किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए किसी मौजूदा ऋण के कोई पुनर्गठन या ऋण/उधार/व्याज आदि को छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले नहीं हैं।	शून्य
3	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य निधियों (अनुदान/उपदान आदि) को इनके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित तरीके से खाते में लिया/उपयोग किया गया था? विचलन मामलों की सूची दें।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी को किसी भी योजना के लिए केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।	शून्य

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

हस्ता/-
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार
सदस्यता सं .: 055224
युडीआईएन 22055224एजेओवाईईएन2606

कृते ए .के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

हस्ता/-
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार
सदस्यता सं .: 030310
युडीआईएन 22030310एजेओवाईडीएक्स2384

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

अनुलग्नक "ग"

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य काननूी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 (एफ) के संदर्भ में)

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 की स्थिति को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ-साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी एवं लेखा परीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखा परीक्षा की है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर प्रयोज्य है एवं दोनों ही भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों एंवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखा परीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुआ, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरुपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित हैं एवं कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वसान प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाले मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त, आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 को यथा, प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

हस्ता/-
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार
सदस्यता सं .: 055224
युडीआईएन 22055224एजेओवाईईएन2606

कृते ए .के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

हस्ता/-
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार
सदस्यता सं .: 030310
युडीआईएन 22030310एजेओवाईडीएक्स2384

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षक के कार्यकारी कागजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक एवं कंपनी के कर्मचारियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
की ओर से एवं उनके लिए

हस्ता/-
(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक, लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 28.07.2022

एकल तुलन पत्र मार्च 31, 2022 को यथा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण			टिप्पणी	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
परिसंपत्तियाँ					
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**				
	(क)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5	7,001.94	7,317.28
	(ख)	पूंजी कार्य प्रगति में	6	1,763.42	1,180.95
	(ग)	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	341.27	343.18
	(घ)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	471.4	394.5
	(ङ)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
		(i) निवेश	9		
		(क) संयुक्त उद्यमों में निवेश	9	313.22	313.22
		(ख) अन्य निवेश	9	0.03	0.03
		(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	-	-
		(iii) ऋण	11	87.38	85.95
		(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	9.74	11.24
	(च)	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	804.39	757.9
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			10,792.79	10,404.25
(2)	**चालू परिसंपत्तियाँ**				
	(क)	मालसूची	15	1,646.17	1,476.32
	(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
		(i) निवेश	9	64.01	248.38
		(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	75.25	147.39
		(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	16	412.8	213.52
		(iv) ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	16	3,293.27	1,536.26
		(v) ऋण	11	32.92	30.16
		(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	22.17	-
	(ग)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13	55.38	85.50
	(घ)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	883.03	568.80
	कुल चालू परिसंपत्तियाँ			**6,485.00**	**4,306.33**
कुल परिसंपत्तियाँ				**17,277.79**	**14,710.58**
इक्विटी एवं देनदारियाँ					
(1)	**इक्विटी**				
	(क)	इक्विटी शेयर पूँजी	17	918.32	918.32
	(ख)	अन्य इक्विटी	18	11,636.32	9,762.38
	कुल इक्विटी			12,554.64	10,680.70
	देनदारियाँ				
(2)	**गैर-चालू देनदारियाँ**				
	(क)	वित्तीय देनदारियाँ			
		(i) पट्टा देनदारियाँ	19	50.91	50.48
		(ii) व्यापारिक देय			
		(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	21	-	-
		(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	21	23.61	37.7
		(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	22	88.57	36.07
	(ख)	प्रावधान	23	260.98	633.34
	(ग)	अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	24	331.76	328.77
	(घ)	आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	25	868.18	893.72
	कुल गैर-चालू देनदारियाँ			1,624.01	1,980.08
(3)	**चालू देनदारियाँ**				
	(क)	वित्तीय देनदारियाँ			
		(i) उधारी	20	20.67	46.11
		(ii) पट्टा देनदारियाँ	19	5.52	5.49
		(iii) व्यापारिक देय			
		(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	21	31.5	11.7
		(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	21	1,425.60	927.84
		(iv) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	22	500.35	293.91
	(ख)	अन्य चालू देनदारियाँ	24	988.55	605.29
	(ग)	प्रावधान	23	126.95	159.46
	कुल चालू देनदारियाँ			3,099.14	2,049.80
कुल देनदारियाँ				4,723.15	4,029.88
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ				17,277.79	14,710.58

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-42) देखें

(सीएस एन. के. महान्ति)
(कंपनी सचिव)

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार (एम सं.: 055224)

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

(सीए ए. के. साबत)
साझेदार (एम सं.: 030310)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि का विवरण

राशि ₹ करोड़ में

		टिप्पणी	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
I	प्रचालन से राजस्व	28	14,180.81	8,955.79
II	अन्य आय	29	297.42	146.60
III	कुल आय (I + II)		14,478.23	9,102.39
IV	व्यय			
	(क) खपत हुए कच्चे माल की लागत	30	1,971.13	1,315.43
	(ख) खपत हुए विद्युत एवं ईंधन की लागत	30	3,388.48	2,638.09
	(ग) तैयार माल की मालसूची एवं चालू कार्य में परिवर्तन	31	(116.83)	(5.76)
	(घ) कर्मचारी लाभ व्यय	32	2,355.80	1,930.24
	(ङ) वित्त लागत	33	23.12	7.08
	(च) मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय			
	(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण - मूल्यह्रास	5	567.72	549.47
	(ii) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण - क्षति	5	237.62	(3.49)
	(iii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ - परिशोधन	7	31.25	59.84
	(छ) अन्य व्यय	34	2,065.07	1,294.97
	कुल व्यय (IV)		10,523.36	7,785.87
V	विशिष्ट मदों एवं कर-पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)		3,954.87	1,316.52
VI	विशिष्ट मद		-	-
VII	कर के पूर्व लाभ /(हानि) (V - VI)		3,954.87	1,316.52
VIII	कर व्यय			
	(क) चालू कर	35		
	(i) वर्तमान वर्ष		1,061.63	204.02
	(ii) पूर्व के वर्ष		(9.88)	(26.32)
	(ख) आस्थगित कर	35	(48.85)	(160.71)
IX	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII - VIII)		2,951.97	1,299.53
X	अन्य विशद आय			
	(i) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मद		47.25	17.65
	- परिभाषित परिलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ /(हानि)			
	(ii) लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मदों से संबंधित आयकर	35	(23.30)	6.18
	वर्ष के लिए अन्य विशद आय (कर का शुद्ध) (X)		23.95	23.83
XI	वर्ष के लिए कुल विशद आय (IX+X) [अवधि के लिए लाभ/(हानि) और अन्य विशद आय को समाविष्ट करके]		2,975.92	1,323.36
XII	प्रति इक्विटी शेयर आय			
	(i) मूल (₹ में)	37	16.07	6.97
	(ii) मंदित (₹ में)	37	16.07	6.97

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-42) देखें

(सीएस एन. के. महान्ति)
(कंपनी सचिव)

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार (एम सं.: 055224)

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

(सीए ए. के. साबत)
साझेदार (एम सं.: 030310)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

राशि ₹ करोड़ में

क.	**इक्विटी शेयर पूँजी**				
	31.03.2020 को यथा शेष				932.81
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				
	इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी				(14.49)
	31.03.2021 को यथा शेष				918.32
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				-
	31.03.2022 को यथा शेष				918.32
ख.	**अन्य इक्विटी**				**राशि ₹ करोड़ में**
			आरक्षित एवं अधिशेष		
	अन्य इक्विटी	**पूँजी मोचन आरक्षित**	**सामान्य आरक्षित**	**प्रतिधारित आय**	**कुल**
	31.03.2020 को यथा शेष	355.81	8112.98	586.47	9055.26
	लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-
	31.03.2020 को यथा पुनर्व्यक्त शेष	355.81	8112.98	586.47	9055.26
	वर्ष के लिए लाभ	-	-	1299.53	1299.53
	अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.83	23.83
	वर्ष के लिए कुल विशद आय	-	-	1323.36	1323.36
	इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर प्रीमियम		(152.18)	-	(152.18)
	इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर व्यय (करों का शुद्ध)		(3.45)	-	(3.45)
	सामान्य आरक्षित का पूंजी मोचन आरक्षित में अंतरण	14.49	(14.49)	-	-
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(460.61)	(460.61)
	31.03.2021 को यथा शेष	370.30	7942.86	1449.22	9762.38
	लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-
	31.03.2021 को यथा पुनर्व्यक्त शेष	370.30	7942.86	1449.22	9762.38
	वर्ष के लिए लाभ	-	-	2951.97	2951.97
	अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.95	23.95
	वर्ष के लिए कुल विशद आय	-	-	2975.92	2975.92
	पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश			(183.66)	(183.66)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(918.32)	(918.32)
	31.03.2022 को यथा शेष	370.30	7942.86	3323.16	11636.32

(सीएस एन. के. महान्ति)
(कंपनी सचिव)

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार (एम सं.: 055224)

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार (एम सं.: 030310)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एकल नकदी प्रवाह विवरण

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	वर्ष के लिए लाभ	**2951.97**	**1299.53**
	निम्न के लिए समायोजन:		
	लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय	1002.90	16.99
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	23.12	7.08
	लाभ या हानि में स्वीकृत व्याज आय	(210.36)	(84.89)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(13.91)	(5.48)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	(0.44)	(0.82)
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ)/हानि	0.36	(0.38)
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	46.03	22.86
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	9.95	11.18
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	836.59	605.82
	शुद्ध विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	1.59	1.85
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**4647.80**	**1873.74**
	कार्यकारी पूंजी में संचलनः		
	माल-भंडार में (वृद्धि)/कमी	(179.80)	209.41
	व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	72.14	(7.30)
	ऋण एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(24.95)	(3.64)
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(370.83)	53.62
	व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	501.88	179.77
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	44.47	(16.10)
	अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	383.61	7.09
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(360.46)	0.33
	प्रचालनों से नकदी (में प्रयुक्त)/सृजित	4713.86	2296.92
	आयकर का भुगतान	**(755.51)**	**(97.52)**
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**3958.35**	**2199.40**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(52.00)	(225.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	236.39	32.39
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	-	(36.00)
	बैंक के पास सावधि जमा में (निवेश)/मोचन	(1754.37)	(58.45)
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	13.91	5.48
	बैंक और अन्य से प्राप्त व्याज	210.36	84.89
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए भुगतान (पूंजी अग्रिम सहित)	(1176.63)	(922.44)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	9.35	11.81
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(106.24)	(296.38)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(2619.23)**	**(1403.70)**
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	-	(166.67)
	शेयर वापस-क्रय लागत के लिए भुगतान (कर का शुद्ध)	-	(3.45)
	अल्पावधि उधारी से कार्यवाहियाँ/(भुगतान बाबत)	(25.44)	33.80
	पट्टा देयता का भुगतान	(4.23)	(3.51)
	भुगतान की गई वित्तपोषण लागत	(8.19)	(0.21)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(1101.98)	(460.61)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(1139.84)**	**(600.65)**
नकद या नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि या (कमी)		**199.28**	**195.05**
वर्ष के आरम्भ में नकद और नकद समतुल्य		**213.52**	**18.47**
वर्ष के अन्त में नकद और नकद समतुल्य [टिप्पणी 16.क देखें]		**412.80**	**213.52**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े नकदी बहिर्प्रवाह/अंतरप्रवाह हैं, जैसे मामले हों।

(सीएस एन. के. महान्ति)
(कंपनी सचिव)

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से
(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार (एम सं.: 055224)

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

(सीए ए. के. साबत)
साझेदार (एम सं.: 030310)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

टिप्पणी सं . 1 निगम पृष्ठभूमिः

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हुई है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। यह कंपनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। कंपनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र और ओड़िशा के अनुगुल में 4.60 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। कंपनी के एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत तापज विद्युत संयंत्र है। साथ ही, कंपनी की पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित हैं जो आन्ध्रप्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (लुडर्वा और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित हैं।

टिप्पणी सं. 2. अनुपालन का विवरणः

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 (संशोधित अनुसार) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों और जो कंपनी पर वर्ष के लिए लागू एवं प्रासंगिक हैं, को कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय बिना किसी अपवाद के विवेचित किया गया है एवं अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी सं. 3. उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ:

3.1 तैयारी के आधारः

कंपनी के वित्तीय विवरण इंड एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत की गई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने का निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोगः

ये वित्तीय विवरण इंड एएस के मान्य और मापन सिद्धांतों की संपुष्टि में अनुमानों औंर धारणाओं, जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, के प्रयोग से तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अन्तर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में, यदि कोई संशोधन है, तो उनका संशोधन के वर्ष में लेखाकरण किया गया है।

3.3 सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेशः

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक की वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन इन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्तियों पर अधिकार है। संयुक्त नियंत्रण किसी व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी की संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब तक ही मौजूद रहती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है।

सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश को इंड एएस 109 - वित्तीय साधनों के अनुसार लागत में मापा जाता है।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरणः

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हेतु धारित लागत, संचित मूल्यह्रास घटाव और संचित दुर्बलता हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.4.1 आरंभिक मापनः

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, संपत्ति को अपने स्थान पर वापस लाने और इसे जरूरी स्थिति में लाने के लिए किया हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो, उधारी लागत, यदि कोई हो, और किसी भी परिसंपत्ति के पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमानों या अनिवार्य रूप से बंद करने की और विखण्डन लागत शामिल है।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पंजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में शामिल है निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आवंटन एवं सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

₹ 5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए धारित हैं एवं एक से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए अपेक्षित हैं, वे संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हो, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹ 1 लाख से अधिक प्रति एकक मूल्य के हों, वे भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.4.2 परवर्ती व्ययः

परिसंपत्तियों के पुर्जों को बदलने की लागत एवं संपूर्ण जाँच-मरम्मत लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संदर्भ हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान कंपनी को उपलब्ध होंगे, का पूंजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों की धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.4.3 पूजी कार्य-प्रगति में:

निर्माण चरण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यताप्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूँजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं।

निवेश का निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूँजीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण पर, निर्दिष्ट स्थान पर इसे लाए जाने एवं प्रबंधन द्वारा अपेक्षित विधि में इसे प्रचालन योग्य बनाए जाने हेतु आवश्यक स्थिति में लाए जाने तक आरोपित कोई भी प्रत्यक्ष लागत प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का हिस्सा माना जाता है।

3.4.4 मूल्यह्रास और ऋणशोधनः

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उनके उपयोगी जीवनकाल पर एक सीधी रेखा के तहत प्रदान किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II या जहाँ भी आवश्यक विवेचित हो, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नही हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है, यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के घटन से अलग होता है। कंपनी ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जो कि इसकी निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, मोबाइल उपकरण और मृतिका ढोने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है एवं परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई है, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति का उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित हैं:

(क) बॉक्साइट खान में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत परिसंपत्ति का जीवनकाल या खान की शेष पट्टा अवधि, जो भी कम हो, होता है।

(ख) ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) वाष्प विद्युत संयंत्र (वा.वि.सं.) को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक के तालाब और राख तालाब एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन अवधि-वार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल के रूप में माना जाता है।

(च) प्रमुख स्पेयर्स या पुर्जे उक्त पुर्जों के तकनीकी आकलन पर आधारित होते हैं।

जो भूमि कंपनी के स्वामित्व की नहीं है, उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से उपयोगी जीवन काल तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षा के अनुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लम्बे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

₹10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उसका इस्तेमाल करना है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

ऊपर उल्लिखित के अलावा, अन्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं।

क्रम सं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	उपयोग योग्य जीवनकाल वर्ष में
1	भवन	30 - 60
2	संयंत्र एवं मशीनरी	15 - 40
3	रेलवे साइडिंग	15
4	वाहन	08-10
5	फर्नीचर और जोड़नार	08-10
6	कंप्यूटर और अनुषंगी	03-10

3.4.5 परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरणः

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के उसके निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द होने पर होने वाले किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.6 घटक अलग करने की लागतः

सतह खनन में घटक अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे उन्नत अयस्क की पहुँच का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि घटक अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है, उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़े, घटक अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागतों को विश्वसनीय ढंग से मापा जा सकता है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय किए गए पुर्जे को अलग करने की लागत को "घटक अलग करने की लागत परिसंपत्ति" में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के घटक अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित घटक अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

"घटक अलग करने की लागत की संपत्ति" का बाद में, घटक अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ:

3.5.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ:

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.5.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियाँ - अनुसंधान और विकास व्ययः

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने गये पूंजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, "इंड ए. एस. 38 - अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हों।

3.5.3 खनन अधिकारः

खनन अधिकारों की लागत में वर्तमान शुद्ध मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित संबंधित भुगतान एवं अग्रिम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारण पर किया जाता है और क्षति हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

3.5.4 खान विकास व्ययः

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूंजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम न हो।

3.5.5 उपयोगकर्ता अधिकारः

भविष्य के आर्थिक लाभ वाली क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूंजीकृत की गई हैं।

3.5.6 सॉफ्टवेयरः

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस, ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूंजीकृत हुए हैं।

3.5.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइजः

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है।

3.5.8 अमूर्त परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करनाः

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है, जब उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद न हो। निपटान/गैर-मान्यता के उन्मूलन से पैदा होने वाले लाभ या हानि को, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5.9 ऋणशोधनः

अमूर्त संपत्ति के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त संपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं एवं उक्त अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च को आरक्षित की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित होता है।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित होता है।

3.6 मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानिः

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की कोई हानि हुई है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य के उच्चतर में लागत घटाकर बेचने और और उपयोग-में-मूल्य) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की वसूली योग्य अनुमानित राशि वहन राशि से कम कम होती है, तो सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है और वहन राशि और वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अंतरणः

वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात भारतीय रुपये जिसमें कंपनी का संचालन होता है।

वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं को लेनदेन की तारीखों पंर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओ में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.8 प्रावधान और आकस्मिक व्ययः

3.8.1 प्रावधानः

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नहीं की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहाँ वर्तमान दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए अनुमानित नकद बहिर्भाव का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्भावों का वर्तमान मूल्य है।

3.8.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वासन और असक्रियकरण:

जब विकास या किसी खान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत व्यय के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। कंपनी ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और असक्रिय देनदारी को मान्यता दी है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूंजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल में मूल्यह्रास और रियायती दायित्व को खोलने के माध्यम से लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है, जिनका लागत अनुमानों या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के खोलने को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.8.3 पर्यावरणीय देनदारियाँ:

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होती है।

3.8.4 कानूनी दायित्व:

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.8.5 आकस्मिक देनदारियाँ:

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व से एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि हो, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हो या वर्तमान दायित्व में हो परंतु भुगतान संभाव्य नहीं है या राशि विश्वसनीय रूप से नहीं आंकी जा सकती है। प्रासंगिक देनदारियाँ वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं बशर्ते निबटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

3.8.6 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई हैं, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.9 पट्टे:

पट्टे के आरंभ होने की तिथि को कंपनी लागत पर "उपयोगाधिकार" आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं पट्टा देयता की उस तिथि को भुगतान नहीं हुए सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, इसमें 12 महीने या कम अवधि का वो पट्टा शामिल नहीं रहता है जिसमें कोई क्रय विकल्प नहीं रहता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं अन्तर्निहित परिसंपत्ति के लिए पट्टे का मूल्य कम होता है।

12 महीने या कम अवधि के पट्टे के लिए पट्टा भुगतान जिसमें क्रय विकल्प नहीं होता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं पट्टे जिसके लिए अन्तर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम है, को प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

3.9.1 प्रारंभिक माप:

"आरओयू परिसंपत्ति के मूल्य" में निम्नलिखित राशि शामिल हैं:

i. पट्टा देयता का प्रारंभिक माप

ii. पूर्वदत्त पट्टा भुगतान जो कोई प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन घटाकर है

iii. पट्टेदार के रूप में कंपनी द्वारा की गई प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और

iv. अन्तर्निहित परिसंपत्ति के विखंडन, निकासी या बहाली की अनुमानित लागत

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

पट्टा देयता को दीर्घावधि सरकारी बॉण्ड की कूपन दर पर पट्टा भुगतानों पर छूट प्रदान करते हुए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

"पट्टा भुगतान" में शामिल है:

i. स्थायी भुगतान (अवास्तविक स्थायी भुगतान समेत)

ii. परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो सूचक या दर पर निर्भर है

iii. अवशिष्ट मूल्य गारंटी के रूप में कंपनी द्वारा देय राशि

iv. क्रय विकल्प का निष्पादन मूल्य यदि कंपनी इनके निष्पादन के लिए यथोचित निश्चितता की अपेक्षा करती है।

v. कंपनी द्वारा परिसमापन के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टे की शर्तों में कंपनी के लिए ऐसा विकल्प रहता है।

3.9.2 तदुपरांत माप:

तदपुरांत अवधियों के दौरान, पट्टा देयता को प्रभावी व्याज विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। आरओयू परिसंपत्ति को संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षीणता, यदि कोई है, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

पट्टा भुगतान को वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.10 माल-भंडार:

कोयला और ईंधन तेल जैसी थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट देने के बाद लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में जो कम हो, उस पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट देने के बाद लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, को लागत के 5% पर मूल्यांकन किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत या उससे अधिक पर बिक्री होने की आशा हो।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्मित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में जो कम हो, उस पर मूल्यांकित होते हैं।आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रियाक्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप के रूप में माल भंडार, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.11 व्यापारिक प्राप्य:

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामानों या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशि हैं। यदि बकाया रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर भुगतान के लिए नियत है, तो उन्हें मौजूदा परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य संबंधी समायोजन न हो।

3.12 वित्तीय उपस्करण:

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी साधनों के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनती है। व्यापारिक प्राप्य एवं देय को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष आरोप्य होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

क. नकद या नकद समतुल्यः

कंपनी सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि को नकद और नकद समकक्ष मानती है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक शेष के रूप में माना जाता है।

ख. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक होते हैं, वो तदपुरांत परिशोधित लागत पर किए गए माप के अनुसार वर्गीकृत होती हैं एवं इसी अनुसार प्रभावी व्याज विधि का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह में वृद्धि लाती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और व्याज का केवल भुगतान होती हैं।

ग. अन्य विशद आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य विशद आय के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक कारोबारी मॉडल के भीतर रखी जाती हैं जिनका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना है एवं इन वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और व्याज का केवल भुगतान होती हैं।

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर तदपुरांत मापे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे अन्य विशद आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.12.2 वित्तीय देनदारियाँ:

व्यापारिक देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि संविदा में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्यपरक समायोजन संलग्न न किया जाए।

व्यापारिक देय सहित वित्तीय देनदारियाँ जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक संलग्न है, को प्रभावी व्याज विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर तदुपरांत मापा जाता है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना:

वित्तीय परिसंपत्तियों की केवल तब मान्यता रद्द होती है, जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह में अनुबंधित अधिकार समाप्त होते हैं या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित होते हैं।

3.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानिः

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है या नहीं।

यदि एक वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की मात्रा को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.12.5 वित्तीय देनदारी की मान्यता रद्द करनाः

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द होती है जब और केवल जब दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है या समाप्त हो जाता है।

नकदीकृत क्षतियों के लिए बहाली के मामले में, ठेका अंतिम रूप से तय कर लिए जाने/समाप्त होने पर, यदि नकदीकृत क्षति आरोप्य है, तो बहाल की गई राशि वापस ली जाती है एवं पूंजी संविदाओं को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ नकदीकृत क्षति सीधे परिसंपत्ति के मूल्य में बढ़ती/वृद्धि में आरोप्य है। ऐसे मामले में, बहाल की गई राशि परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित की जाती है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

3.12.6 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करना:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यताप्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है एवं शुद्ध आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यापार के सामान्य क्रम में अवश्य लागू होना चाहिए।

3.13 व्युत्पन्न:

संजात साधन यथा-आगे विदेशी मुद्रा संविदाओं को संजात संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.14 उधार लागत:

उधार लेने की लागत सीधे उन अर्हताप्राप्त संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

3.15 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन:

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अनुदान प्राप्त हो पाएगा।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक शर्त यह है कि कंपनी को गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना चाहिए, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

आय से जुड़े सरकारी अनुदान उन समयावधि पर लागत के साथ मिलान करने के लिए क्रमबद्ध आधार पर होते हैं, जिसके लिए वे आय के रूप में स्वीकृत क्षतिपूर्ति हेतु अभीष्ट हैं।

3.16 कर्मचारी लाभ:

3.16.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभ:

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभों के लिए एक दायित्व या देनदारी मान्य है जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूटरहित भुगतान योग्य लाभ की राशि पर किया जाता है।

3.16.2 नियुक्ति-पश्चात और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ:

3.16.3 परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं में अंशदान एक व्यय के रूप में मान्य होता है, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान के लिए हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.16.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ:

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती है। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर ब्याज छोड़कर व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा घटा हुआ होता है।

3.16.5 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य में मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग की गई वही लेखांकन पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत, रोजगार की अवधि में उपार्जित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा इन दायित्वों का सलाना मूल्यांकन किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

3.17 राजस्वः

कंपनी को राजस्व मूलतः एल्यूमिना, एल्यूमिनियम जैसे उत्पाद की बिक्री एवं विद्युत की बिक्री से प्राप्त होता है। जब कंपनी किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं के स्थानांतरण द्वारा निष्पादन देयता को पूरी करती है, तब राजस्व को स्वीकृति दी जाती है।

3.17.1 वस्तुओं की बिक्रीः

कारखाने से / स्टॉकयार्ड से बिक्री पर प्राप्त राजस्व को नियत सांविधिक अनुपालन के साथ वाणिज्यिक बिल सहित कारखाने/स्टॉकयार्ड में वस्तुओं के सौंपे जाने पर स्वीकृति दी जाती है। एफओबी आधार पर बिक्री को शिपिंग बिल तैयार करने एवं शिपर को वस्तुएं सौंपने के बाद स्वीकृति दी जाती है। सीआईएफ आधार पर बिक्री के मामले में, बंदरगाह में लदान पर वस्तु रखे जाने एवं इन्कोटर्म (पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक शर्तों) के अनुसार पोत परिवहन के कागजात तैयार करने पर स्वीकृति दी जाती है।

3.17.2 ऊर्जा की बिक्रीः

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स / उपभोक्ता को प्रेषित ऊर्जा के आधार पर मान्यता प्राप्त है जो उनके साथ विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) के अधीन है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा के आधार पर माना जाता है जो परिशोधक को व्हीलिंग करने एवं अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन (पहुँचाई गई मात्रा) को छोड़कर है एवं विद्युत क्रय अनुबंध एवं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) द्वारा निर्धारण के अधीन है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है यदि:

(क) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से आंका जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी के पास प्रवाहित होंगे;

(ग) विवेचित रूप में वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.17.3 लाभांश और व्याज से आयः

3.17.4 लाभांशः

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

3.17.5 व्याजः

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से व्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी व्याज दर के संदर्भ में, व्याज आय समय के आधार पर अर्जित की जाती है।

3.17.6 सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन से आयः

प्रभार वापस लेने की प्रकृति में सरकारी एजेसिंयों और निर्यात से पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) से प्रोत्साहन और ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन में संबंधित क़ानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.18 आयकरः

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की योग राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.18.1 वर्तमान करः

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतान योग्य (या वापस वसूली) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.18.2 आस्थगित करः

आस्थगित कर-व्यय या आय वित्तीय विवरणों में संपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए अनुरूपी कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर-संपत्तियों और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य हो जाती है या देनदारी का निर्धारण हो जाता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित किए गए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजन किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.19 असाधारण मदः

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरूरी समझा गया है।

3.20 नकद प्रवाह विवरणः

नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकद प्रवाह के विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.21 महत्वपूर्ण भूल/चूक का पुनःविवरणः

भूल और चूक को इस अभिप्राय में लिया जाता है कि यदि पूर्वावधि आय/व्यय का कुल प्रभाव ₹50 करोड़ से अधिक हो गया है तो परिसंपत्तियों और देनदारियों एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्व्यक्त किया जाए।

3.22 हालिया लेखा घोषणाएँ:

निगम मामले मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के तहत वर्तमान मानकों में नए मानकों या संशोधनों को सूचित करता है।

23 मार्च, 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार परिवर्तन किया है।

इंड एएस 16 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षण की लागत के तहत उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में स्वीकृति नहीं दी जाएगी, बल्कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद की लागत के रूप में विवेचित सीधे आरोप्य लागत से कटौती की जाएगी। इस संशोधन को अपनाए जाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने इस संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 37- प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ - संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ठेका को पूरा करने की लागत में ठेका से सीधे संबंधित लागत शामिल है? एक ठेका से सीधे संबंधित लागत उस ठेके के निष्पादन की वृद्धिशील लागत हो सकती है (इसके उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या फिर अन्य लागतों का एक आवंटन जो सीधे ठेकों को पूरा करने से संबंधित हैं (इसके उदाहरण ठेके को पूरा करने में प्रयुक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के लिए मूल्यह्रास शुल्क का आवंटन होगा)। इस संशोधन को अपनाए जाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि इसे जल्द अपनाने की अनुमति दी गई है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका प्रभाव महत्वपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं है।

टिप्पणी सं.4. महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोतः

वित्तीय विवरण की प्रस्तुति में प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं, जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और संपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभवों और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किया जाता है।

4.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय:

उन शामिल अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं जिनका और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग इसके व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और कंपनी के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि की है।

वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

4.2 अनिश्चितता के आकलन के मुख्य स्रोत:

भविष्य के बारे में निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्त वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों के वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है।

4.2.1 क्षतिः

सहयोगियों में निवेश और अन्य निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नकदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में प्रत्याशाओं पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की मात्रा, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों, प्रचालनगत पुनर्वासों व बहाली लागतों और पूंजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकालः

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करती है। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य की अवधियों में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन्स (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात लाभ देयता के लिए देनदारीः

नियुक्ति पश्चात लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की देनदारी, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होती है, जो कि यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ:

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी व्याज शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिक जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विवेचनाओं का सबसे अच्छा अनुमान हैं। कंपनी अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करती है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य माप और मूल्यांकन प्रक्रियाः

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को उस स्थिति के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें उचित मूल्य माप में निविष्टियाँ अवलोकनीय हों एवं अपने पूरे स्वरूप में उचित मूल्य माप में निविष्टि का महत्व निम्नानुसार वर्णित है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं, जिसे कंपनी माप की तारीख को उपलब्ध कर सकती है;
- स्तर 2 की निविष्टियाँ वे निविष्टियाँ हैं, जो स्तर 1 के अंदर शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; और
- स्तर 3 की निविष्टि परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं की जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

5- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि करोड़ ₹ में

लागत और मानित लागत	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	पट्टायुक्त भूमि (उपयोग का अधिकार)	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं जोड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
31.03.2020 को यथा शेष	**81.88**	**86.54**	**756.48**	**8,331.44**	**22.44**	**51.5**	**31.9**	**64.16**	**9,426.34**
संयोजन	0.58	98.33	56.66	536.5	1.17	2.01	3.55	4.53	703.33
निपटान	-	(0.01)	(0.03)	(60.31)	(0.08)	(1.04)	(0.15)	-	(61.62)
31.03.2021 को यथा शेष	**82.46**	**184.86**	**813.11**	**8,807.63**	**23.53**	**52.47**	**35.3**	**68.69**	**10,068.05**
संयोजन	0.30	15.68	28.53	431.59	2.76	16.23	3.48	0.28	498.85
निपटान	-	-	-	(29.25)	(0.14)	(0.47)	(0.22)	-	(30.08)
31.03.2022 को यथा शेष	**82.76**	**200.54**	**841.64**	**9,209.97**	**26.15**	**68.23**	**38.56**	**68.97**	**10,536.82**
संचित मूल्यह्रास एवं क्षति									
31.03.2020 को यथा शेष	**-**	**3.18**	**179.86**	**1,994.72**	**12.07**	**28.34**	**13.42**	**20.21**	**2,251.80**
मूल्यह्रास व्यय	**-**	**5.86**	**33.91**	**491.83**	**2.24**	**8.44**	**3.06**	**4.13**	**549.47**
क्षति व्यय	-	-	-	-3.49	-	-	-	-	(3.49)
निपटान	-	-	(0.02)	(45.78)	(0.07)	(1.03)	(0.11)	-	(47.01)
31.03.2021 को यथा शेष	**-**	**9.04**	**213.75**	**2,437.28**	**14.24**	**35.75**	**16.37**	**24.34**	**2,750.77**
मूल्यह्रास व्यय	**-**	**7.77**	**32.32**	**509.26**	**2.21**	**8.61**	**3.25**	**4.3**	**567.72**
क्षति व्यय	-	-	-	237.62	-	-	-	-	237.62
निपटान	-	-	-	(20.74)	(0.10)	(0.24)	(0.15)	-	(21.23)
31.03.2022 को यथा शेष	**-**	**16.81**	**246.07**	**3,163.42**	**16.35**	**44.12**	**19.47**	**28.64**	**3,534.88**
	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	**पट्टायुक्त भूमि (उपयोग का अधिकार)**	**भवन**	**संयंत्र एवं उपकरण**	**फर्नीचर एवं जोड़नार**	**कार्यालय उपकरण**	**वाहन**	**रेलवे साइडिंग**	**कुल**
वहन राशि									
31.03.2020 को यथा शेष	**81.88**	**83.36**	**576.62**	**6,336.72**	**10.37**	**23.16**	**18.48**	**43.95**	**7,174.54**
संयोजन	0.58	98.33	56.66	536.5	1.17	2.01	3.55	4.53	703.33
निपटान	-	(0.01)	(0.01)	(14.53)	(0.01)	(0.01)	(0.04)	-	(14.61)
मूल्यह्रास व्यय	**-**	**5.86**	**33.91**	**491.83**	**2.24**	**8.44**	**3.06**	**4.13**	**549.47**
क्षति व्यय	-	-	-	(3.49)	-	-	-	-	(3.49)
31.03.2021 को यथा शेष	**82.46**	**175.82**	**599.36**	**6,370.35**	**9.29**	**16.72**	**18.93**	**44.35**	**7,317.28**
संयोजन	0.30	15.68	28.53	431.59	2.76	16.23	3.48	0.28	498.85
निपटान	-	-	-	(8.51)	(0.04)	(0.23)	(0.07)	-	(8.85)
मूल्यह्रास व्यय	**-**	**7.77**	**32.32**	**509.26**	**2.21**	**8.61**	**3.25**	**4.30**	**567.72**
क्षति व्यय	-	-	-	237.62	-	-	-	-	237.62
31.03.2022 को यथा शेष	**82.76**	**183.73**	**595.57**	**6,046.55**	**9.8**	**24.11**	**19.09**	**40.33**	**7,001.94**

टिप्पणीः

5.1 66.64 एकड़ भूमि को छोड़कर ओड़िशा सरकार के माध्यम से अर्जित पूर्णस्वामित्व की भूमि के अधिकार पत्र का कार्यान्वयन हो चुका है। कंपनी पूर्ण स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है एवं इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

5.2 पूर्ण स्वामित्व की भूमि में ओड़िशा सरकार को समर्पित 43.75 एकड़ भूमि की लागत शामिल है जिसके लिए हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का निष्पादन अभी पूरा किया जाना बाकी है।

5.3 कंपनी के पास 1597.35 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि है जिसके लिए पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाना अभी शेष है। तथापि, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कंपनी को उक्त भूमि पर अपना प्रचालन करने की अनुमति दी गई है।

5.4 कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली संपत्ति के पट्टों से संबंधित व्यय के लिए ₹0.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.90 करोड़) व्यय किए। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे के नकद बहिर्वाह सहित पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹4.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.41 करोड़) है।

5.5 कंपनी ने लुडर्वा, राजस्थान में 47.6 मे.वा. की संस्थापित क्षमता के साथ पवन ऊर्जा संयंत्र (डब्ल्यूपीपी) में ₹280.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹280.62 करोड़) और देवीकोट, राजस्थान में 50.0 मे.वा. की संस्थापित क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र में ₹338.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹338.19 करोड़) का निवेश किया है। उपर्युक्त संयंत्रों के लिए क्रमशः ₹176.27 करोड़ और ₹258.54 करोड़ की वहन राशि (सकल मूल्य संचित मूल्यह्रास को घटाकर और क्षति से पूर्व) है। प्रारंभ में राजस्थान के जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष के लिए विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) को 01.04.2019 से आगे बढ़ाया नहीं जा सका। कंपनी ने पीपीए को बढ़ाने के लिए राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की। अभी तक इसका निष्पादन नहीं हो सका है। हालांकि, कंपनी लगातार ग्रिड में विद्युत पहुँचा रही है जिसे प्राधिकरण द्वारा दर्ज किया गया है। तथापि, राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) ने कंपनी को लुडर्वा और देवीकोट में दोनों डब्ल्यूपीपी के लिए ₹2.44 प्रति यूनिट स्वीकार करने और पीपीए का निष्पादन करने का प्रस्ताव दिया था। पीपीए निष्पादित न होने और निरंतर उत्पादन के तहत इन पवन ऊर्जा संयंत्रों की क्षति का मूल्यांकन किया गया था और वर्तामन वर्ष के दौरान ₹241.11 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

5.क अचल संपत्ति का अधिकार पत्र जो कंपनी के नाम में धारित नहीं है

(उन संपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौता का निष्पादन पट्टेदार के पक्ष में विधिवत किया गया है)

राशि करोड़ ₹ में

संपत्ति का विवरण	पूर्ण स्वामित्व/ पट्टायुक्त	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम में अधिकार पत्र है	क्या अधिकार पत्र धारक एक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का संबंधी या कर्मचारी है	जिस तिथि से संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण	क्या विवादित है
पीपीई							
भूमि							
ओड़िशा के कोरापुट जिले में 19.74 एकड़ भूमि	पूर्ण स्वामित्व	0.11	ओड़िशा सरकार	नहीं	1982-83	लंबित पंजीकरण	नहीं
ओड़िशा के कोरापुट जिले में 845.94 एकड़ भूमि	पट्टायुक्त	0.35	ओड़िशा सरकार	नहीं	1982-83	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओड़िशा के अनुगुल जिले में 46.90 एकड़ भूमि	पूर्ण स्वामित्व	0.33	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम (इडको)	नहीं	1987-88	लंबित पंजीकरण	नहीं
ओड़िशा के अनुगुल जिले में 656.05 एकड़ भूमि	पट्टायुक्त	1.47	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम (इडको)	नहीं	1987-88	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओड़िशा के अनुगुल जिले में 94.7 एकड़ भूमि	पट्टायुक्त	16.50	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम (इडको)	नहीं	2021-22	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओड़िशा के ढेंकनाल जिले में 0.66 एकड़ भूमि	पट्टायुक्त	0.09	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम (इडको)	नहीं	1987-88	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
भवन							
निवेश संपत्ति							
भूमि							
भवन							
बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्ति							
भूमि							
भवन							
अन्य							

6.क पूंजी कार्य प्रगति में (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2022 को यथा शेष	31.03.2021 को यथा शेष
पूंजी कार्य प्रगति में	1,700.54	1,170.06
मार्गस्थ समेत निर्माण सामग्री	110.99	11.44
	1,811.53	1,181.50
घटाए: क्षति के लिए प्रावधान	(48.11)	(0.55)
कुल पूंजी कार्य प्रगति में	1,763.42	1,180.95

क्षति के लिए प्रावधान में संचलन

	31.03.2022 को यथा शेष	31.03.2021 को यथा शेष
प्रारंभिक शेष	0.55	-
वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया	47.56	0.55
वर्ष के दौरान प्रावधान पुनरांकित	-	-
अंतिम शेष	48.11	0.55

6.क.1. प्रगति में पूंजी कार्य की राशि में शामिल है उत्कल-डी एवं उत्कल-ई कोयला ब्लॉक को आरोप्य अवसंरचना विकास व्यय के बाबत ₹36.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹53.97 करोड़) की राशि। इसमें 5वीं धारा एल्यूमिना परिशोधन विस्तार के लिए ₹152.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹105.59 करोड़) का प्रत्यक्ष आरोप्य व्यय भी शामिल है।

6.क.2. कंपनी ने कायाथर, तमिलनाडु में 25.5 मे.वा. पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूपीपी) की आपूर्ति, निर्माण और चालू करने के लिए दिनांक 27.09.2017 को मेसर्स रिगेन पावरटेक. प्रा. लिमिटेड के पक्ष में ₹163.13 करोड़ के मूल्य पर एक अनुबंध किया था । वित्तीय संकट और एजेंसी के दिवालापन के कारण निष्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई थी। एजेंसी ने ₹119.63 करोड़ मूल्य का कार्य (पिछले वर्ष ₹119.63) निष्पादित किया था। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड- 2016 के तहत, दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई और माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चेन्नई ने प्रस्ताव योजना पारित की जिसे कंपनी ने स्वीकार नहीं किया था। कंपनी ने एनसीएलएटी में अपील को प्राथमिकता दी।

चूंकि 2018-19 से परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई थी और उक्त आदेश में उल्लिखित कठोर शर्तों का उल्लेख किया गया था, कंपनी इसे परियोजना की हानि के आकलन के लिए संकेत के रूप में लेती है और इसका आंतरिक रूप से मूल्यांकन किया और चालू वर्ष के दौरान ₹44.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹शून्य) प्रदान किया ।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

6.ख- प्रगति में पूंजी कार्य

6.ख.1. प्रगति में पूंजी कार्य की उम्र							राशि करोड़ ₹ में
विवरण			अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति में परियोजना							
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	699.01	230.1	311.02	85.53	1,325.66
		31.03.2021 को यथा	261.47	355.92	39.45	69.38	726.22
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	127.62	68.73	65.38	96.64	358.37
		31.03.2021 को यथा	24.25	74.36	79.24	155.01	332.86
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा	5.83	0.38	0.11	119.63	125.95
		31.03.2021 को यथा	1.15	0.1	17.78	101.84	120.87
अस्थायी रूप से परियोजना निलंबित							
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	-	-	-	1.55	1.55
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	1.55	1.55
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
	कुल 31.03.2022 को यथा		**832.46**	**299.21**	**376.51**	**303.35**	**1,811.53**
	कुल 31.03.2021 को यथा		**286.87**	**430.38**	**136.47**	**327.78**	**1,181.50**
6.ख.2. प्रगति में पूंजी कार्य की उम्र जिसका समापन अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है							
विवरण			अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	**31.03.2022 को यथा**	**154.54**	**76.78**	-	-	**231.32**
		31.03.2021 को यथा	**126.79**	**155.37**	-	-	**282.16**
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	**31.03.2022 को यथा**	**175.38**	**1.46**	**10.21**	**19.41**	**206.46**
		31.03.2021 को यथा	**88.7**	**28**	**47.6**	**52.08**	**216.38**
(ग)	अन्य	**31.03.2022 को यथा**	-	-	**0.11**	**119.63**	**119.74**
		31.03.2021 को यथा	-	**0.11**	**17.78**	**101.85**	**119.74**
	कुल 31.03.2022 को यथा		**329.92**	**78.24**	**10.32**	**139.04**	**557.52**
	कुल 31.03.2021 को यथा		**215.49**	**183.48**	**65.38**	**153.93**	**618.28**

6.ख.3. परियोजना का विवरण जहाँ गतिविधि निलंबित हुई है					
क्रम सं.	विवरण		राशि	जबसे निलंबित	निलंबन का संक्षिप्त कारण
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	-	-	-
		31.03.2021 को यथा			
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	1.55	01-अप्रैल-20	निष्पादन के लिए परियोजना उपयुक्त नहीं है
		31.03.2021 को यथा	1.55	01-अप्रैल-20	निष्पादन के लिए परियोजना उपयुक्त नहीं है
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा	-	-	-
		31.03.2021 को यथा			
	कुल 31.03.2022 को यथा		**1.55**		
	कुल 31.03.2021 को यथा		**1.55**		

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	उपयोग अधिकार	कम्प्यूटर सॉफ्टेवयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ
लागत या मानित लागत	79.79	11.24	288.39	10.25	389.67
31.03.2020 को यथा शेष	-	0.13	91.36	1.30	92.79
संयोजन	-	-	-	-	-
निपटान	79.79	11.37	379.75	11.55	482.46
31.03.2021 को यथा शेष	0.39	1.9	27.05	-	29.34
संयोजन	-	-	-	-	-
निपटान	80.18	13.27	406.8	11.55	511.8
31.03.2022 को यथा शेष					
संचित मूल्यह्रास एवं क्षति	11.28	7.7	51.22	9.24	79.44
31.03.2020 को यथा शेष	4	1.76	52.83	1.25	59.84
मूल्यह्रास व्यय	-	-	-	-	-
क्षति व्यय	-	-	-	-	-
निपटान	15.28	9.46	104.05	10.49	139.28
31.03.2021 को यथा शेष	4.01	1.35	25.74	0.15	31.25
मूल्यह्रास व्यय	-	-	-	-	-
क्षति व्यय	-	-	-	-	-
निपटान 31.03.2022 को यथा शेष	19.29	10.81	129.79	10.64	170.53
	उपयोग अधिकार	कम्प्यूटर सॉफ्टेवयर	खनन अधिकार	लाइसेंस	कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ
वहन राशि					
31.03.2020 को यथा शेष	68.51	3.54	237.17	1.01	310.23
संयोजन/समाशोधन	-	0.13	91.36	1.30	92.79
निपटान	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	4.00	1.76	52.83	1.25	59.84
क्षति व्यय	-	-	-	-	-
31.03.2021 को यथा शेष	64.51	1.91	275.70	1.06	343.18
संयोजन	0.39	1.90	27.05	-	29.34
निपटान	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	4.01	1.35	25.74	0.15	31.25
क्षति व्यय	-	-	-	-	-
31.03.2022 को यथा शेष	60.89	2.46	277.01	0.91	341.27

टिप्पणी: 7.1 कंपनी ओड़िशा सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त पट्टे पर आधारित पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। पट्टा नवीकरण के संबंध में, कंपनी ने एन.पी.वी. एवं प्रासंगिक भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकारों के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीगत किया गया है और कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार पर परिशोधन किया गया है।

8 क. विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
(i) खनन अधिकार	469.73	394.50
(ii) सॉफ्टवेयर	1.67	-
	471.40	394.50

टिप्पणी: 8.क.1 विकासाधीन खनन अधिकार में कोयला ब्लॉकों के आवंटन, कोयला ब्लॉकों के लिए एनपीवी और वन्य जीवन प्रबंधन योजना और कोयला खानों के लिए संबंधित सेवाओं बाबत वैधानिक प्राधिकरणों को भुगतान से संबंधित खर्च शामिल है। इसमें पोट्टांगी खानों के आवंटन के लिए ओड़िशा सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार विभिन्न विकास योजनाओं पर ओड़िशा सरकार को किए गए व्यय/भुगतान के लिए ₹322.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹250.11 करोड़) के पूर्व-परियोजना व्यय भी शामिल हैं।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

8.ख. विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

8.ख.1 विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु							राशि करोड़ ₹ में
विवरण			अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति में परियोजना							
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	72.62	188.10	62.01	-	327.73
		31.03.2021 को यथा	188.10	62.01	-	-	250.11
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	2.94	10.40	108.23	25.43	147.00
		31.03.2021 को यथा	10.41	108.23	-	25.43	144.07
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा	1.67	-	-	-	1.67
		31.03.2021 को यथा	0.32	-	-	-	0.32
अस्थायी रूप से परियोजना निलंबित							
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा					
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	-	-	-		
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
	कुल 31.03.2022 को यथा		77.23	198.50	170.24	25.43	471.40
	कुल 31.03.2021 को यथा		198.83	170.24	-	25.43	394.50

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

				31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
क.	गैर-चालू				
	क.1	इक्विटी साधनों में निवेश			
		क.1.1	सहयोगियों में निवेश		
		क.1.2	संयुक्त उद्यमों में लागत पर व्यापारिक निवेश		
			अनुद्धृत निवेश		
		क)	उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड (31.03.2022 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 2,00,00,000 शेयर, 31.03.2021 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 2,00,00,000 शेयर)।		20	20
				कुल	20	20
			[₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 14.05.2020 को राइट इशू के अधीन उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।]			
		ख)	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (31.03.2022 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 10,00,000 शेयर, 31.03.2021 को यथा: ₹ 10प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 10,00,000 शेयर)		1	1
				कुल		
			[₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 9,60,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 12.06.2020 को राइट इशू के अधीन खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है]		1	1
		ग)	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2022 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2021 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर) ।		16.22	16.22
				कुल	16.22	16.22
		घ)	जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (31.03.2022 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर, 31.03.2021 को यथाः ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर) ।		276	276
				कुल	276	276
			[₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 3,60,00,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 16.02.2021 को राइट इशू के अधीन जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है]			
			संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश		313.22	313.22

संयुक्त उद्यमों का विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक संयुक्त उद्यम का विवरण निम्नवत है:

संयुक्त उद्यम का नाम	प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित वोटिंग अधिकार	
		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
(क) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	महत्वपूर्ण कार्यनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्क्रैप समेत सभी उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम मिश्र धातु उत्पादों का निर्माण, विपणन, विक्रय, क्रय, व्यापार, वितरण, आयात एवं निर्यात	50.00%	0.50
(ख) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	भारत के बाहर कार्यनीतिक खनिजों की पहचान, अन्वेषण, अर्जन, विकास, खनन, प्रक्रिया, प्रापण एवं विक्रय	40.00%	0.40
(ग) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह को ओड़िशा, भुवनेश्वर एवं ओड़िशा में प्रोत्साहन देना	49.00%	0.49
(घ) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कॉस्टिक सोड़ा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	0.40

क.1.3 लागत पर अन्य निवेश

राशि करोड़ ₹ में

अनुद्धृत निवेश	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
ओड़िशा कैपिटल मार्केट एण्ड एन्टरप्राइजेस लिमिटेड	0.03	0.03
(31.03.2022 को यथा ₹1 प्रत्येक पूर्ण-प्रदत्त के 2,89,000 शेयर)		
(31.03.2021 को यथा ₹1 प्रत्येक पूर्ण-प्रदत्त के 2,89,000 शेयर)		
कुल – अन्य संस्थाओं में निवेश	**0.03**	**0.03**
कुल - इक्विटी साधनों में निवेश	**313.25**	**313.25**
अतिरिक्त सूचना		
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	313.25	313.25

ख	चालू	31.03.2022 को यथा			31.03.2021 को यथा		
	म्यूचुअल फंड में निवेश	'000 में एकक	एनएवी ₹ में	राशि ₹ करोड़ में	'000 में एकक	एनएवी ₹ में	राशि ₹ करोड़ में
	उद्धृत निवेश						
	केनरा रेबेको लिक्विड फंड	119	1,005.50	12.00	239	1,005.50	24.05
	बड़ौदा बीएनपी परिबास लिक्विड फंड	309	1,002.08	31.01	1,009	1,002.08	101.14
	एसबीआई लिक्विड फंड	56	1,075.55	6.00	684	1,039.58	71.10
	यूनियन लिक्विड फंड	150	1,000.79	15.00	520	1,000.79	52.09
	कुल - अन्य चालू निवेश			64.01			248.38
	अतिरिक्त सूचना						
	उद्धृत निवेशों का सकल मूल्य			64.00			248.00
	उद्धृत निवेशों का सकल बाजार मूल्य			64.01			248.38
	अनुद्धृत निवेशों का सकल मूल्य			-			-
	निवेशों के मूल्य में क्षति का सकल मूल्य			-			-
	श्रेणी-वार वर्गीकरण						
	वित्तीय परिसंपत्तियों (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर अनिवार्य रूप से परिमित			64.01			248.38
				64.01			**248.38**

10 क- व्यापारिक प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
	(क) अच्छा माना गया - सुरक्षित	-	-
	(ख) अच्छा माना गया - असुरक्षित	-	-
	(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
	(घ) ऋण क्षति	36.90	37.11
	घटाएं: ऋण क्षति के लिए भत्ते	36.90	37.11
गैर-चालू व्यापारिक प्राप्य		-	-
ख.	**चालू**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(क) अच्छा माना गया - सुरक्षित	-	-
	(ख) अच्छा माना गया - असुरक्षित	75.25	147.39
	(ग) ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	20.24	20.24
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	20.24	20.24
चालू व्यापारिक प्राप्य		75.25	147.39

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ:

10.क.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरुद्ध की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम बिक्री पर समायोजित होती है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग की तिथि से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है।

10.क.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2022 को यथा कुल व्यापारिक प्राप्य के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं:

ग्राहक		ग्राहक की श्रेणी	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
क.	एपीएसपीडीसीएल	पवन विद्युत	49%	19%
ख.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	पवन विद्युत	13%	-
ग.	गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	पवन विद्युत	12%	-
घ.	आरडीपीपीसी, देवीकोट, राजस्थान	पवन विद्युत	-	12%
ङ.	दुबई एल्यूमिनियम पीजेएससी	एल्यूमिना	-	44%

10.क.3 मामला-दर- मामला के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए प्रत्याशित ऋण हानि भत्ते के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है। चूंकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के लिए कोई उधारी हानि अपेक्षित नहीं है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है, परंतु कंपनी उधारी हानि अनुभव के आधार पर और अग्रदर्शी सूचना के आधार पर उधारी हानि का आकलन करती है।

10.क.4 व्यापारिक प्राप्य बैंकों से नकद ऋण सुविधा के तहत बंधक/गिरवी रखे गए है।

10. ख. व्यापारिक प्राप्य की आयु — **राशि करोड़ ₹ में**

(क)		आयु जब भुगतान की नियत तिथि निर्दिष्ट हो						
क्रम सं.	**विवरण**		**6 महीने से कम**	**6 महीने-1 वर्ष**	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i)	अविवादित व्यापारिक प्राप्य-अच्छा माना गया	31.03.2022 को यथा	45.89	21.07	2.83	5.46	-	75.25
		31.03.2021 को यथा	136.08	5.45	5.46	0.38	0.02	147.39
(ii)	अविवादित व्यापारिक प्राप्य-ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-	-
(iii)	अविवादित व्यापारिक प्राप्य-ऋण क्षति	31.03.2022 को यथा			0.74	11.6	7.9	20.24
		31.03.2021 को यथा		0.74	11.6	7.4	0.5	20.24
(iv)	विवादित व्यापारिक प्राप्य-अच्छा माना गया	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-	-
(v)	विवादित व्यापारिक प्राप्य- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-	-
(vi)	विवादित व्यापारिक प्राप्य-ऋण क्षति	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	36.9	36.90
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	37.11	37.11
		कुल 31.03.2022 को यथा	**45.89**	**21.07**	**3.57**	**17.06**	**44.80**	**132.39**
		कुल 31.03.2021 को यथा	**136.08**	**6.19**	**17.06**	**7.78**	**37.63**	**204.74**

11- ऋण — **राशि करोड़ ₹ में**

क.	**गैर-चालू**		**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(क)	कर्मचारियों को ऋण		
		सुरक्षित, अच्छा माना गया	67.64	66.48
		असुरक्षित, अच्छा माना गया	19.51	19.26
	(ख)	अन्य को ऋण		
		सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.23	0.21
कुल गैर-चालू ऋण			87.38	85.95
ख.	**चालू**		**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(a)	(क) कर्मचारियों को ऋण		
		अच्छा माना गया, सुरक्षित	17.12	17.71
		अच्छा माना गया, असुरक्षित	11.14	9.47
	(b)	(ख) संबंधित पक्षों को ऋण		
		अच्छा माना गया –सुरक्षित [टिप्पणी 11.2 देखें]	0.09	0.01
	(c)	(ग) अन्य को ऋण		
		अच्छा माना गया –सुरक्षित	4.66	2.97
	घटाएं: खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते		0.09	
कुल चालू ऋण			**32.92**	**30.16**

टिप्पणियाँ:

11.1 कर्मचारियों और अन्य का ऋण परिशोधन लागत पर वहन किया जाता है। आस्थगित कर्मचारी लाभ बाजार की व्याज दर की तुलना में ऋण पर व्याज दर कम होने के कारण लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ऋण की बची अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है।

11.2 संबंधित पक्ष (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि कंपनी से उनकी कर्मचारी क्षमता के रूप में अग्रिम में लिए गए मोटर वाहन और गृह निर्माण की राशि है। इन ऋणों पर आगे की सूचना टिप्पणी-39 के संबंधित पक्ष प्रकटन में निर्दिष्ट है।

11.3 गृह संपत्ति के गिरवी एवं वाहन के बंधक के सापेक्ष कर्मचारी को कंपनी की नीति के अनुसार ऋण प्रदान किया जाता है ।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

12	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		राशि करोड़ ₹ में
क.	गैर-चालू	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
	प्रतिभूति जमा	9.18	11.24
	खान बंदी जमा	0.56	-
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		9.74	11.24
ख.	चालू	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
	(क) कर्मचारियों को अग्रिम	-	-
	(ख) बीमा दावा प्राप्य और अन्य	7.22	7.22
	(ग) उपदान (निधिबद्ध)	22.17	-
	सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	29.39	7.22
	घटाएं: खराब और संदिग्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए भत्ते		
	(क) बीमा दावे	7.22	7.22
	खराब और संदिग्ध के लिए कुल भत्ते - अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	7.22	7.22
	शुद्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	22.17	-
	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरणः		
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	22.17	-
	संदग्धि माना गया	7.22	7.22
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	29.39	7.22

टिप्पणी :

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई हैं।

13	चालू कर परिसंपत्तियाँ		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
	आय कर (शुद्ध)	55.38	85.50
	कुल चालू कर परिसंपत्तियाँ	55.38	85.50
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	29.39	7.22

टिप्पणी :

13.1 ₹ 203.95 करोड़ के कर प्रावधान का शुद्ध (पिछला वर्ष ₹124.55 करोड़)

14-	अन्य परिसंपत्तियाँ		राशि करोड़ ₹ में
क.	**गैर-चालू**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(क) पूंजी अग्रिम	493.65	240.61
	(ख) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
	सरकारी प्राधिकारियों के पास अग्रिम		
	(1) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	179.71	170.60
	(2) आयकर प्राधिकारी के पास जमा (शुद्ध)	109.53	326.80
	(3) अन्य सरकारी प्राधिकारियों	6.01	3.52
	(ग) अन्य		
	पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
	(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	15.50	16.63
	सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	804.40	758.16
	घटाएँ: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते		
	(क) पूंजी अग्रिम	0.01	0.26
	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु कुल भत्ते	0.01	0.26
	कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	804.39	757.90

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

14-	अन्य परिसंपत्तियाँ (जारी)		राशि करोड़ ₹ में
ख.	**चालू**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
	(क) सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे		
	(1) निर्यात प्रोत्साहन दावे	71.42	28.53
	(2) नवीकरणीय स्रोत से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	5.10	2.94
	(3) वैट, सेनवेट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूली योग्य	295.64	332.80
	(4) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	7.68	8.84
	(ख) पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
	(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	2.04	2.39
	(2) अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	9.34	4.91
	(ग) उपलब्ध स्टैम्प	0.01	0.01
	(घ) अन्य प्राप्य	1.07	1.23
	(ङ) अन्य अग्रिम		
	(1) कर्मचारियों को अग्रिम	38.22	29.23
	(2) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	656.34	363.20
	(3) अन्य	4.16	3.84
	सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**1,091.02**	**777.92**
	घटाएँ: अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते		
	(क) वैट और सेनवेट क्रेडिट वसूली योग्य	197.81	197.81
	(ख) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	5.98	7.09
	(ग) अन्य प्राप्य	0.36	0.39
	(घ) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	2.02	2.02
	(ङ) अन्य	1.82	1.81
	अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु कुल भत्ते	**207.99**	**209.12**
	कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**883.03**	**568.80**

15-	निवेश		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	**31.03.2021 को यथा**
(क)	कच्चे माल	161.03	72.69
	(1) लागत	161.03	72.69
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(ख)	कोयला और ईंधन तेल	170.82	215.62
	(1) लागत	170.82	215.62
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(ग)	कार्बन एनोड (मध्यवर्ती वस्तुएँ)	136.67	118.57
	(1) लागत	136.67	118.57
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(घ)	प्रगति में कार्य	319.04	298.35
	(1) लागत	319.04	298.35
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(ङ)	तैयार वस्तुएँ	542.47	464.43
	(1) लागत	542.47	464.43
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(च)	भंडार एवं पुर्जे	299.23	292.84
	(1) लागत	299.23	292.84
	(2) घटाएं: प्रावधान		

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

15- निवेश (जारी)			राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	**31.03.2021 को यथा**
(छ)	स्क्रैप	16.91	13.82
	(1) लागत	16.91	13.82
	(2) घटाएं: प्रावधान		
कुल मालसूची		**1,646.17**	**1,476.32**
ऊपर शामिल, मार्गस्थ मालः			
	(i) कच्चे माल	20.79	4.15
	(ii) कोयला एवं ईंधन तेल	57.79	25.12
	(iii) भंडार और पुर्जे	6.31	4.45
कुल मार्गस्थ माल		84.89	33.72

टिप्पणियाँ:

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹4,603.84 करोड़ है । (पिछले वर्षः ₹3,806.06 करोड़)

15.2 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं के लिए मालसूची के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹1.46 करोड़ (पिछले वर्षः ₹2.00 करोड़) शामिल है।

15.3 ये मालसूचियाँ बैंकों से नकद-ऋण सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध हैं।

15.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति 3.10 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में वर्णित है।

16.क- नकद एवं नकद समतुल्य			राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	**31.03.2021 को यथा**
(क)	बैंक में शेष		
	(1) अनुसूचित बैंकों में शेष		
	(i) चालू खाते में	412.80	213.52
कुल नकद एवं नकद समतुल्य		412.80	213.52

16.ख- नकद एवं नकद समतुल्य			राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	**31.03.2021 को यथा**
(क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	3,217.37	1,463.00
	मूलधन	3,156.00	1,446.00
	संचित व्याज	61.37	17.00
(ख)	अनुसूचित बैंक में निश्चित किए गए शेष	75.90	73.26
कुल अन्य बैंक शेष		3,293.27	1,536.26

टिप्पणियाँ:

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों में निश्चित किए गए शेष ₹75.90 करोड़ (पिछले वर्षः ₹73.26 करोड़) में दावाहीन लाभांश राशि ₹4.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.87 करोड़) शामिल है। शेष राशि ₹71.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹69.39 करोड़) ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के अनुदेश के तहत भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक की शिक्षा और सुरक्षा निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹शून्य है (पिछले वर्ष ₹शून्य)।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

17- शेयर पूंजी		राशि करोड़ ₹ में
	31.03.2022 को यथा	**31.03.2021 को यथा**
अधिकृत शेयर पूँजीः		
31.03.2022 को यथाः₹5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर		
[31.03.2021 को यथाः ₹5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर]	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	**3,000.00**
जारी और अभिदत्त पूंजी में शामिल हैः		
₹5 प्रत्येक के 1,83,66,31,787 पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर		
[31.03.2021 को यथा: ₹5 प्रत्येक 1,83,66,31,787 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर]	918.32	918.32
	918.32	**918.32**

17.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान		राशि करोड़ ₹ में
	शेयरों की संख्या	**राशि करोड़ ₹ में**
31.03.2020 को यथा शेष		932.81
वर्ष के दौरान परिवर्तन शेयरों की वापस खरीद	(28,985,711)	(14.49)
31.03.2021 को यथा शेष	1,836,631,787	918.32
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 को यथा शेष	1,836,631,787	918.32

(i) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसके प्रत्येक का मूल्य ₹5 के समान है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास एक मत या वोट प्रति शेयर का अधिकार है एवं उनकी धारिता पर आधारित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का समानुपातिक अधिकार इस पर है।

(ii) वापस खरीदः

वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूंजी ₹966.46 करोड़ से घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 2,89,85,711 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूंजी ₹932.81 करोड़ से पुनः घटकर ₹918.32 करोड़ रह गई।

(iii) विनिवेशः

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने 27,77,65,383 संख्यक पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (ओएफएस के माध्यम से 17,80,69,927 संख्यक, कर्मचारी प्रस्ताव के माध्यम से 76,17,057 संख्यक एवं ईटीएफ के माध्यम से 9,20,78,399 संख्यक) का विनिवेश किया, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2017 को 1,44,14,82,490 संख्यक (74.58%) से घटकर 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.2%) रह गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने फिर से भारत ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है। 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की वापस खरीद एवं अंतरण के कारण भारत सरकार की धारिता 31.03.2018 के 1,16,37,17,107 संख्यक (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) रह गई।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से 92,88,506 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2019 के 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) से 31.03.2020 को घटकर 96,07,93,011 संख्यक (51.50%) रह गई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद के फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2020 के 96,07,93,011 संख्यक (51.5%) से 31.03.2021 को घटकर 94,17,93,011 संख्यक (51.28%) रह गई है।

17.2 प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण				राशि करोड़ ₹ में
	31.03.2022 को यथा		**31.03.2021 को यथा**	
	धारित शेयरों की संख्या	**धारित इक्विटी शेयरों का %**	**धारित शेयरों की संख्या**	**धारित इक्विटी शेयरों का %**
पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	941,793,011	51.28%	941,793,011	51.28%
कुल	**941,793,011**	**51.28%**	**941,793,011**	**51.28%**

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

18-	अन्य इक्विटी		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
(क)	पूंजी मोचन आरक्षित	370.30	370.30
(ख)	सामान्य आरक्षित	7,942.86	7,942.86
(ग)	प्रतिधारित आय	3,323.16	1,449.22
कुल		**11,636.32**	**9,762.38**

18.1 अन्य इक्विटी में संचलन				राशि करोड़ ₹ में
अन्य इक्विटी	**आरक्षित एवं अधिशेष**			
	पूंजी मोचन आरक्षित	**सामान्य आरक्षित**	**प्रतिधारित आय**	**कुल**
01.04.2020 को यथा शेष	**355.81**	**8,112.98**	**586.47**	**9,055.26**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	1,299.53	1,299.53
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.83	23.83
वर्ष के लिए कुल विशद आय	**-**	**-**	**1,323.36**	**1,323.36**
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	-	(152.18)	-	(152.18)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय (करों का शुद्ध)	-	(3.45)	-	(3.45)
सामान्य आरक्षित का पूंजी मोचन आरक्षित में अंतरण	14.49	(14.49)	-	-
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(460.61)	(460.61)
31.03.2021 को यथा शेष	**370.30**	**7,942.86**	**1,449.22**	**9,762.38**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,951.97	2,951.97
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.95	23.95
वर्ष के लिए कुल विशद आय	**-**	**-**	**2,975.92**	**2,975.92**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(183.66)	(183.66)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(918.32)	(918.32)
31.03.2022 को यथा शेष	**370.30**	**7,942.86**	**3,323.16**	**11,636.32**

18.2 वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹75 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की है। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹504.83 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में ₹33.65 करोड़ की कमी आई है जो ₹966.46 करोड़ से घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹471.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गए थे एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹33.65 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि से पूंजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित की गई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने 10 मार्च, 2021 को ₹57.50 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 2,89,85,711 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की है। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹166.67 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में ₹14.49 करोड़ की कमी आई है जो ₹932.81 करोड़ से घटकर ₹918.32 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹152.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 17 मार्च, 2021 को समाप्त हो गए थे एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹14.49 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि से पूंजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित की गई है।

18.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, 25 अक्टूबर, 2021 को ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से ₹183.66 करोड़ की राशि के अंतिम लाभांश का भुगतान किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10 दिसंबर, 2021 को ₹2.00 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से ₹367.33 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश के पहले चरण का भुगतान किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 4 मार्च, 2022 को ₹3.00 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से ₹550.99 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश के दूसरे चरण का भुगतान किया गया, जिससे कुल भुगतान ₹918.32 करोड़ है। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, पहले चरण के लिए ₹93.28 करोड़ और दूसरे चरण के लिए ₹367.33 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभाश का भुगतान किया है।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

19 क-	पट्टा देयता		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
	गैर-चालू पट्टा देयता	50.91	50.48
	चालू पट्टा देयता	5.52	5.49
कुल पट्टा देयताएँ		**56.43**	**55.97**

19 ख-	पट्टा देयता में संचलन		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
	प्रारंभ में शेष	55.97	55.47
	वर्ष के दौरान संयोजन	0.56	
	वर्ष के दौरान संयोजित वित्त लागत	4.13	4.01
	पट्टा देयता का भुगतान	4.23	3.51
अंत में शेष		**56.43**	**55.97**

20-	उधारी	राशि करोड़ ₹ में
चालू (सुरक्षित) (परिशोधित लागत पर)	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
बिलों मे दिये गए छूट की देनदारियाँ	20.67	46.11
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	**20.67**	**46.11**

21 क-	व्यापारिक देय			राशि करोड़ ₹ में
क.	**गैर-चालू**		**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(1)	आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
		- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	-	-
		- अन्य	23.61	37.70
कुल गैर-चालू व्यापारिक देय			**23.61**	**37.70**
ख.	**चालू**			
	(1)	आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
		- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	31.50	11.70
		- अन्य	788.52	702.45
		उपार्जित मजदूरी और वेतन	637.08	225.39
कुल चालू व्यापारिक देय			**1,457.10**	**939.54**

टिप्पणियाँ:

21.1 व्यापार और अन्य देय पुष्टिकरण/पुनर्मिलान और फलस्वरूप समाशोधन, यदि कोई है, के अधीन है।

21.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्ष की पहचान के तहत किया गया है। व्यापारिक देय (टिप्पणी-21) एवं अन्य वित्तीय देनदारियों (टिप्पणी-22) में सम्मिलित ऐसे बकायों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन निम्नवत हैः

राशि करोड़ ₹ में

विवरण		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
i)	बकाया मूलधन	31.50	11.70
ii)	बकाया मूलधन पर व्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियत दिन के बाद भुगतान किया गया व्याज और मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	देय व्याज राशि एवं भुगतान में विलंब (जो भुगतान किया गया, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट व्याज राशि जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत व्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi)	आगे और व्याज की राशि बाद के वर्षों की ऐसी तिथि तक बकाया एवं देय है जब तक कि उपर्युक्त अनुसार देय व्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान नहीं कर दिया जाता।	शून्य	शून्य

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

21ख-	व्यापारिक देय की आयु						राशि करोड़ ₹ में
(क)	आयु जब भुगतान की नियत तिथि निर्दिष्ट है						
(ख)	आयु जब भुगतान की नियत तिथि निर्दिष्ट नहीं है						
क्रम सं.	**विवरण**		**भुगतान की नियत तिथि से बकाया**				
			1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i)	एमएसएमई	31.03.2022 को यथा	13.05	-	-	-	13.05
		31.03.2021 को यथा	12.39	-	-	-	12.39
(ii)	अन्य	31.03.2022 को यथा	61.33	99.61	22.51	370.97	554.42
		31.03.2021 को यथा	3.43	38.56	382.65	90.29	514.93
(iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई	31.03.2022 को यथा	0.69	0.72	-	-	1.41
		31.03.2021 को यथा	0.72	-	-	-	0.72
(iv)	विवादित बकाया-अन्य	31.03.2022 को यथा	0.06	0.12	0.16	74.25	74.59
		31.03.2021 को यथा	-	0.07	0.11	65.44	65.62
	कुल 31.03.2022 को यथा		**75.13**	**100.45**	**22.67**	**445.22**	**643.47**
	कुल 31.03.2021 को यथा		**16.54**	**38.63**	**382.76**	**155.73**	**593.66**

(ग)- बिल नहीं किए गए बकायों की आयु							राशि करोड़ ₹ में
क्रम सं.	**विवरण**		**भुगतान की नियत तिथि से बकाया**				
			1 वर्ष से कम	**1-2 वर्ष**	**2-3 वर्ष**	**3 वर्ष से अधिक**	**कुल**
(i)	एमएसएमई	31.03.2022 को यथा	76.54	16.43	6.62	6.71	106.30
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
(ii)	अन्य	31.03.2022 को यथा	610.23	65.20	14.81	40.70	730.94
		31.03.2021 को यथा	119.25	65.28	37.25	161.80	383.58
(iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया-अन्य	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
	कुल 31.03.2022 को यथा		**686.77**	**81.63**	**21.43**	**47.41**	**837.24**
	कुल 31.03.2021 को यथा		**119.25**	**65.28**	**37.25**	**161.80**	**383.58**

22-	अन्य वित्तीय देयताएँ		राशि करोड़ ₹ में
क.	**गैर-चालू**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	पूंजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	-	-
	- अन्य	88.57	36.07
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ		**88.57**	**36.07**
ख.	**चालू**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
(क)	अदत्त लाभांश	4.29	3.87
(ख)	अन्य देयताओं के लिए लेनदार		
(1)	पूंजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	-	-
	- अन्य	316.13	211.01
(2)	ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	4.95	3.88
(3)	ग्राहकों को बकाये की वापसी	34.67	7.61
(4)	ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ	140.21	67.27
(5)	कर्मचारी वसूली	0.10	0.27
कुल अन्य चालू वित्तीय देयताएँ		**500.35**	**293.91**

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

23. प्रावधान (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू			31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
	(क)	कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान			
		(1)	सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
			(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	152.83	147.48
			(ii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	13.73	16.02
			(iii) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.15	2.21
			(iv) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	8.88	9.51
			(v) सेवानिवृत्ति उपहार	5.36	6.17
		(2)	अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ		
			(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ (टिप्पणी 23.4 देखें)	-	375.78
			(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कर	11.55	12.83
			(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	25.51	25.54
	(ख)	अन्य प्रावधान			
		(1)	परिसंपत्ति बहाली दायित्व/ विखंडन	40.59	37.42
		(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
कुल गैर-चालू प्रावधान				**260.98**	**633.34**
ख.	**चालू**			**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(क)	कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान			
		(1)	सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
			(i) उपदान (निधिबद्ध)	-	10.63
			(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	9.48	7.85
			(iii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	3.79	3.57
			(iv) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	0.48	0.51
			(v) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	2.90	2.87
			(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	1.17	0.99
		(2)	अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ		
			(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	18.99	54.59
			(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कर	0.93	0.30
			(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	9.84	6.34
	(ख)	अन्य प्रावधान			
	(1)	परिधीय विकास व्यय के संबंध में		30.30	30.47
	(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व के संबंध में		49.07	41.34
कुल चालू प्रावधान				**126.95**	**159.46**
ग.	**प्रावधानों का संचलन**				
	(1)	**सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व का संचलन [टिप्पणी 32 का संदर्भ लें]**			
	(2)	**कर्मचारी लाभों का संचलन**			

राशि करोड़ ₹ में

	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	लम्बी सेवा के पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
31.03.2020 को यथा शेष	**427.57**	**11.54**	**32.09**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	126.18	1.35	20.57
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(106.42)	(1.06)	(20.78)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	(16.96)	1.3	-
31.03.2021 को यथा शेष	**430.37**	**13.13**	**31.88**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	121.28	1.49	31.59
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(112.33)	(0.92)	(28.12)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	25.62	(1.22)	-
अन्य (टिप्पणी 23.4 देखें)	(445.95)	-	-
31.03.2022 को यथा शेष	**18.99**	**12.48**	**35.35**

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

(3) अन्य प्रावधानों का संचलन			
	परिसंपत्ति बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
31.03.2020 को यथा शेष	34.17	31.08	31.03
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.70	14.67	-
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	-	(4.08)	(0.56)
छूट का फैलाव	2.55	0.05	-
31.03.2021 को यथा शेष	37.42	41.72	30.47
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.11	12.53	-
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	-	(4.95)	(0.17)
छूट का फैलाव	3.06	0.15	-
31.03.2022 को यथा शेष	40.59	49.45	30.30

टिप्पणी : 23.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान भुगतान अनुदान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान (ग्रेचुइटी) एवं कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य लाभ के लिए प्रदान किए गए। इनके लिए स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर देयता की स्वीकृति दी गई है।

23.2 परिसंपत्ति बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमशः इंड एएस 16: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं इंड एएस 37: प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुरूप प्रबंधन के आकलन के आधार पर किया गया है।

23.3 परिधीय विकास व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के आगमन से पूर्व कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।

23.4 वर्तमान वर्ष के दौरान, कंपनी ने एलआईसी-जीएलएस (समूह अवकास नकदीकरण योजना) को लेते हुए योजना परिसंपत्तियों के रूप में एलआईसी को ₹445.95 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) को निधिबद्ध किया है।

24. अन्य देयताएँ				राशि करोड़ ₹ में
क.	**गैर-चालू**		**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(i)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	101.26	98.27
	(ii)	अन्य (टिप्पणी 24.1 देखें)	230.50	230.50
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ			**331.76**	**328.77**
ख.	**चालू**			
	(i)	अग्रिम में प्राप्त राजस्व	125.57	97.27
	(ii)	सांविधिक एवं अन्य बकाये		
		(क) विद्युत प्रभार	108.49	107.47
		(ख) स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह	36.05	29.35
		(ग) एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	41.07	43.58
		(घ) स्टाम्प शुल्क बाबत बकाया	212.78	212.78
		(ङ) अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, रॉयल्टी आदि)	356.01	63.71
	(iii)	नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व	68.71	24.99
	(iv)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा	38.94	25.20
	(v)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान	0.48	0.51
	(vi)	अन्य ऋण शेष	0.45	0.43
कुल अन्य चालू देयताएँ			**988.55**	**605.29**

टिप्पणी: 24.1 माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के पक्ष में स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए ₹230.50 करोड़ को वापस लौटाने का आदेश जारी किया था। इसी प्रकार के मसले पर पहले के विभिन्न निर्णयों के तहत जहां लाभार्थी को उच्च स्तर की अनिश्चितता के संलिप्त रहने के कारण लाभ की अनुमति नहीं दी गई है, कंपनी ने विवाद के अंतिम परिणाम नहीं आने तक उक्त राशि को देयता के रूप में स्वीकृति देने को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा, विभाग ने उड़ीसा के माननीय उच्च न्यायालय में सीईएसटीएटी, कोलकाता के जारी आदेश को चुनौती दी है।

24.2 कंपनी (एनईएफएफएआर योजना के अनुसार कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो गई है या विकलांग हो चुके हैं, के आश्रित से) जमा राशि प्राप्त करती है जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 की प्रयोज्यता के संबंध में छूट प्राप्त करने के लिए कंपनी निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

25. आस्थगित कर देयताएँ				राशि करोड़ ₹ में
			31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
आस्थगित कर देयताएँ			1,090.08	1,145.60
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			221.90	251.88
			868.18	893.72
2020-21	**01.04.2020 को प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य विशद आय में स्वीकृत**	**31.03.2021 को अंतिम शेष**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,573.82)	433.37	-	(1,140.45)
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(11.33)	-	6.18	(5.15)
आस्थगित कर देयताएँ	(1,585.15)	433.37	6.18	(1,145.60)
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	149.40	(41.08)	-	108.32
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	90.82	(24.70)	-	66.12
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	89.02	(20.01)	-	69.01
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.36	1.96	-	4.32
अनुभाग 43बी के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	188.52	(187.59)	-	0.93
अन्य	4.42	(1.24)	-	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	524.54	(272.66)	-	251.88
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	(1,060.61)	160.71	6.18	(893.72)
2021-22	**01.04.2020 को प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य विशद आय में स्वीकृत**	**31.03.2021 को अंतिम शेष**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,140.45)	78.82	-	(1,061.63)
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(5.15)	-	(23.30)	(28.45)
आस्थगित कर देयताएँ	(1,145.60)	78.82	(23.30)	(1,090.08)
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	108.32	(103.54)	-	4.78
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	66.12	19.35	-	85.47
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	69.01	(0.32)	-	68.69
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.32	(0.27)	-	4.05
अनुभाग 43बी के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	0.93	54.80	-	55.73
अन्य	3.18	-	-	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	251.88	(29.98)	-	221.90
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	(893.72)	48.84	(23.30)	(868.18)

टिप्पणी: भारत सरकार द्वारा कराधान कानून अध्यादेश, 2019 के माध्यम से सूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अनुपालन में, कंपनी के पास वर्ष 2020-21 के दौरान अन्य कर प्रोत्साहनों को छोड़कर कम कर दर में स्थानांतरित करने का एक अपरिवर्तनीय और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की गैर-प्रयोज्यता विकल्प उपलब्ध थी। कंपनी ने करों की कम दरों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22 से संबंधित) के दौरान उक्त विकल्प का निष्पादन किया है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को इसी अनुसार मापा गया था। वित्त वर्ष 2020-21 के आस्थगित कर पर करों की दर में ऐसे परिवर्तन का प्रभाव ₹345.15 करोड़ था। वर्तमान वर्ष के लिए प्रयोज्य दर 25.168% (पिछला वर्ष 25.168%) है।

26. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक)			राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया			
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**		
1.	ओड़िशा विक्रय कर	4.09	3.72
2.	केन्द्रीय विक्रय कर	280.55	281.01
3.	वीएटी	12.64	12.64
4.	उत्पाद शुल्क	410.44	410.44
5.	सीमा शुल्क	102.77	104.47
6.	सेवा कर	14.82	21.98
7.	आय कर	223.75	162.66
8.	प्रवेश कर	222.21	221.37
9.	सड़क कर	2.65	2.65
10.	स्टांप ड्यूटी	0.51	0.51
11.	सरकार से दावा (एनजीटी)	109.01	62.30
12.	पीएसयू से दावा	322.92	247.59
13.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	78.07	73.73
14.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार	136.32	136.32
15	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार	119.24	119.24
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**		
1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	338.41	292.85
	कुल	**2,378.40**	**2,153.48**

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल हैं:

i. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभारों के संबंध में विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मांग की लड़ाई कर रही है। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी, तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

iii. पीएसयू से दावे में खान एवं परिशोधन संकुल में नालको परिशोधक द्वारा अपर कोलाब, कोरापुट में जलाशय से पानी निकालने के कारण निगम द्वारा विद्युत उत्पादन की हानि के लिए ओड़िशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) द्वारा मागं की गई ऊर्जा क्षतिपूरक प्रभार एवं वर्ष 2005 से उस पर विलम्बित भुगतान उपकर शामिल है।

iv. कंपनी के विरुद्ध दावे अधिकतर आकलन चरण में आईटी विभाग द्वारा की गई मांग के कारण है। ये दावे धारा 32(i)(iiक) के अधीन अतिरिक्त मूल्यह्रास के संबंध में अस्वीकार वस्तुतः परिधीय विकास व्यय के अस्वीकार, अचल स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान, अल्पमियादी पूंजी लाभ के उपचार एवं दीर्घमियादी पूंजी लाभ के अधीन हानि की अस्वीकृति एवं व्यवसाय आय के रूप में इनका उपचार, धारा 14क के अधीन अस्वीकार जैसे बहु मसलों के कारण हैं। विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण में ये मामले विचाराधीन एवं लम्बित हैं। कर सलाहकार समेत कंपनी को अपेक्षा है कि उच्चतर अपीलीय फोरम द्वारा सीआईटी (ए)/आईटीएटी (क्षेत्राधिकार) रहने के कारण कंपनी के पक्ष में पहले से ही उपलब्ध निर्णयों के मद्देनजर आखिरी समाधान रहने से इसकी स्थिति पूर्ववत रहेगी। अतएव, कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं परिचालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, कर उपचार में कोई अनिश्चितता नहीं है जो कंपनी के कर योग्य लाभ (हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर ऋण एवं कर दर को प्रभावित करेगा।

कंपनी ने विवादित आयकर मामलों और विभाग/प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों को विवाद के संभावित परिणाम और संसाधनों के बहिर्वाह की संभावनाओं पर विचार करते हुए समीक्षा की और इसी अनुसार 31.03.2022 को इसका प्रकटन किया।

26.1 आकस्मिक देयताओं का संचलन

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2022 को यथा
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**				
1.	ओड़िशा विक्रय कर	3.72	-	0.38	4.09
2.	केन्द्रीय विक्रय कर	281.01	(0.46)	-	280.55
3.	वीएटी	12.64	-	-	12.64
4.	उत्पाद शुल्क	410.44	(397.48)	397.48	410.44
5.	सीमा शुल्क	104.47	(1.70)	-	102.77
6.	सेवा कर	21.98	(9.23)	2.07	14.82
7.	आय कर	162.66	(24.49)	85.58	223.75
8.	प्रवेश कर	221.37	(4.10)	4.94	222.21
9.	सड़क कर	2.65	-	-	2.65
10.	स्टांप ड्यूटी	0.51	-	-	0.51
11.	सरकार से दावा (एनजीटी)	62.30	-	46.71	109.01
12.	पीएसयू से दावा	247.59	-	75.33	322.92
13.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर व्याज	73.73	- -	4.34	78.07
14.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	-	-	136.32
15.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	-	-	119.24
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**				
1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	292.85	(6.79)	52.35	338.41
	कुल	2,153.48	(444.25)	669.18	2,378.40

27. वचनबद्धताएँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
क)	पूंजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है	3,404.69	1,308.97
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ		
(1)	उत्कल डी एवं ई कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए भारत सरकार को देय राशि, मगर अभी भुगतान के लिए नियत नहीं हुआ है।	शून्य	18.11
(2)	निर्यात प्रोत्साहन पूंजी वस्तु योजना के अधीन पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व	278.79	शून्य
(3)	पोट्टांगी बॉक्साइट खानों के आवंटन के लिए ओड़िशा सरकार के प्रति वचनबद्धता की अनुमानित राशि	शून्य	49.89
(4)	5वीं धारा परिशोधन परियोजना के लिए भारत सरकार (एमओईएफएफसी) के प्रति वचनबद्धता की अनुमानित राशि	शून्य	10.81
(5)	पूंजी निवेशों के लिए निगम पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)	6.00	12.00
	कुल	3,689.48	1,399.78

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

28.	प्रचालनों से राजस्व		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	**उत्पादों की बिक्री**		
	1) निर्यातः		
	i) एल्यूमिना	3,664.61	2,534.63
	ii) एल्यूमिनियम	2,699.54	2,628.31
	2) घरेलूः		
	i) एल्यूमिना	278.47	141.95
	ii) एल्यूमिनियम	7,370.62	3,524.48
(ख)	**विद्युत की ब्रिकी**		
	i) पवन विद्युत [टिप्पणी 28.1 देखें]	45.74	39.92
(ग)	**अन्य प्रचालन आय**	**121.83**	**86.50**
	निर्यात प्रोत्साहन		
	i) एल्यूमिना	36.11	25.08
	ii) एल्यूमिनियम [टिप्पणी 28.2 देखें]	66.49	45.11
	2) नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन		
	i) नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	8.11	6.97
	ii) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	3.98	3.49
	3) निजी निर्मित वस्तुएं आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूंजीकृत हुई	7.14	5.85
प्रचालनों से राजस्व		**14,180.81**	**8,955.79**

टिप्पणी: 28.1 कंपनी ने वर्ष 2018-19 से विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान राज्य में स्थित अपने दो पवन ऊर्जा संयंत्रों से राजस्व को स्वीकृति नहीं दी है।

28.2 01.01.2022 से निर्यात उत्पाद योजनाओं पर शुल्क और करों की छूट शुरू किए जाने के फलस्वरूप, कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान धातु के निर्यात के लिए आय के रूप में ₹41.59 करोड़ (20% की छूट का शुद्ध) को स्वीकृति दी है।

29.	अन्य आय		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	**व्याज आय**		
	(i) वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित व्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई है		
	- बैंक जमा	103.18	69.99
	- कर्मचारियों को ऋण	9.25	9.42
	- परिशोधित मूल्य पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13.42	5.48
	(ii) आय कर वापसी से अर्जित व्याज आय	84.51	-
(ख)	**लाभांश आय**		
	- चालू निवेशों से लाभांश	13.91	5.48
ग)	विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि)	(1.59)	(1.85)
घ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	(0.36)	0.38
ङ)	अन्य निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	-	-
च)	देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं [टिप्पणी 29.1 देखें]	23.00	8.86
छ)	आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय	33.77	15.71
ज)	अन्य	18.33	33.13
कुल अन्य आय		**297.42**	**146.60**

टिप्पणी: 29.1 रिपोर्टिंग की तिथि को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बहियों में पड़ी हुई दावाहीन देयता पुनरांकित हुई हैं एवं आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

30.	खपत की हुई सामग्री की लागत		राशि करोड़ ₹ में
क.	**कच्चे माल**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
	(1) कॉस्टिक सोड़ा	873.17	687.62
	(2) सी.पी. कोक	693.19	351.00
	(3) सी.टी. पिच	225.98	130.67
	(4) एल्यूमिनियम फ्लोराइड	87.18	74.80
	(5) चूना	52.24	44.14
	(6) अन्य	39.37	27.20
खपत किए गए कच्चे माल का योग		**1,971.13**	**1,315.43**
ख.	**विद्युत एवं ईंधन**		
	(1) कोयला	1,502.24	1,584.74
	(2) ईंधन तेल	864.58	576.49
	(3) निजी उत्पादन पर शुल्क	375.05	415.35
	(4) विद्युत क्रय	637.96	55.25
	(5) विद्युत पारेषण प्रभार	8.65	6.26
खपत किए गए विद्युत और ईंधन का योग		**3,388.48**	**2,638.09**

31.	तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
तैयार माल			
प्रारंभिक स्टॉक			
	(1) बॉक्साइट	4.34	3.74
	(2) रसायन	232.28	159.30
	(3) एल्यूमिनियम	227.81	276.97
	प्रारंभिक स्टॉक	464.43	440.01
	तैयार उत्पादों का कुल प्रारंभिक स्टॉक	464.43	440.01
घटाएः			
	अंतिम स्टॉक		
	(1) बॉक्साइट	18.54	4.34
	(2) रसायन	253.91	232.28
	(3) एल्यूमिनियम	270.02	227.81
	अंतिम स्टॉक	542.47	464.43
	तैयार उत्पादों का कुल अंतिम स्टॉक	542.47	464.43
	तैयार माल में (वृद्धि)/कमी	(78.04)	(24.42)
मध्यवर्ती उत्पाद			
	प्रारंभिक स्टॉक		
	एनोड	100.83	136.37
	अन्य	17.74	16.67
	मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक का योग	**118.57**	**153.04**
	घटाएं: अंतिम स्टॉक		
	एनोड	113.19	100.83
	अन्य	23.48	17.74
	मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक का योग	**136.67**	**118.57**
	मध्यवर्ती उत्पादों में (वृद्धि)/कमी	**(18.10)**	**34.47**
चल रहे कार्य			
	प्रारंभिक स्टॉक	298.35	282.54
	घटाएं:अंतिम स्टॉक	319.04	298.35
	चल रहे कार्य में (वृद्धि)/कमी	**(20.69)**	**(15.81)**
	मालसूची में (वृद्धि)/कमी का योग	**(116.83)**	**(5.76)**

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

32.	कर्मचारी लाभ व्यय		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	बोनस सहित वेतन और मजदूरी	1,938.42	1,544.25
(ख)	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
	1) भविष्य निधि	115.87	120.10
	2) उपदान	30.01	42.85
	3) रोजगार उपरांत पेंशन योजना	104.00	107.03
(ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय	167.50	116.01
	कर्मचारी लाभ व्यय का योग	**2,355.80**	**1,930.24**

टिप्पणियाँ:

32.क. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

32.क.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) **भविष्य निधि:** कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम व्याज दर अदा करना पड़ता है।

ख) **पेंशन निधि:** कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

32.क.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **उपदान:** उपदान भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को अधिकतम ₹20,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/ अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **बंदोबस्ती लाभ:** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति /सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का अंतर, अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन व्यय भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजनाः** कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयाग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर सदस्यों द्वारा अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाः** कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगा। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजनाः** कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

32.ख अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँः** संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) **लम्बी सेवा का पुरस्कारः** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) **एनईएफएफएआरएसः** अशक्तता/मृत्यु के मामले में, योजना के अधीन निर्दिष्टानुसार निर्धारित राशि के जमा पर, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार वैचारिक सेवानिवर्त्तन की तारीख तक मासिक लाभ का भुगतान करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएँ कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, व्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैः-

i. **बीमांकिक जोखिमः** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके कर्मचारी लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता हैः
   - क. **प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभवः** अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।
   - ख. **मृत्यु दर में विविधताः** अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्त नहीं है, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।
   - ग. **आहरण दरों में विविधताः** यदि अनुमानित आहरण दर की तुलना में वास्तविक आकलन आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ पद त्याग की तारीख को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिमः** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों के मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो शुद्ध देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

iii. **व्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

iii. **व्याज जोखिम:** परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

iv. **दीर्घायु जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. **वेतन जोखिमः** परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में अनुमानित योजना से अधिक वृद्धि होने से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य आकलन निम्नानुसार हैं:

	यथा मूल्यांकन	
	31.03.2022	**31.03.2021**
छूट दर(रों)	7.00%	6.60%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रों)	6.65%	8.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-2014 अल्टीमेट	आईएएलएम 2012-2014 अल्टीमेट
अपघर्षण दर	1%	1%

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं: **राशि करोड़ ₹ में**

	31.03.2022	**31.03.2021**
सेवा मूल्यः		
- चालू सेवा मूल्य	(35.10)	(52.67)
- समझौतों से विगत सेवा लागत एवं (लाभ)/हानि	17.36	16.10
- शुद्ध व्याज व्यय	(10.91)	(5.11)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**(28.65)**	**(41.68)**
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापनः		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	4.68	(1.78)
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	24.61	5.10
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	17.96	14.31
अन्य		
परिभाषित लाभ संपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
अन्य विशद् आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**47.25**	**17.63**
कुल	**18.60**	**(24.05)**

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न तुलन पत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है:

राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	**बंदोबस्ती लाभ**	**नालको हितकारी निधि योजना**	**नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना**	**सेवा निवर्त्तन उपहार योजना**	**उपदान (निधिबद्ध)**
31 मार्च, 2021						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(595.80)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	-	-	-	-	-	585.17
परिभाषित लाभ दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(10.63)
31 मार्च, 2022						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(162.31)	(17.51)	(2.63)	(11.78)	(6.53)	(532.70)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	-	-	-	-	-	554.86
परिभाषित लाभ दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(162.31)	(17.51)	(2.63)	(11.78)	(6.53)	22.16

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है:

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	**बंदोबस्ती लाभ**	**नालको हितकारी निधि योजना**	**नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना**	**सेवा निवर्त्तन उपहार योजना**	**उपदान (निधिबद्ध)**
01 अप्रैल, 2020 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	**(140.42)**	**(20.59)**	**(2.99)**	**(12.52)**	**(7.26)**	**(632.24)**
चालू सेवा मूल्य	-	(3.14)	-	-	-	(49.53)
व्याज मूल्य	(9.06)	(1.26)	(0.17)	(0.75)	(0.45)	(38.65)
पुनःमापन (लाभ)/हानि						
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.98	0.03	0.01	0.06	0.05	3.97
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(13.11)	2.36	(0.44)	(1.50)	(0.43)	27.43
लाभ भुगतान किया गया	6.26	3.02	0.86	2.33	0.93	93.22
अन्य	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(155.35)**	**(19.58)**	**(2.73)**	**(12.38)**	**(7.16)**	**(595.80)**

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

32. कर्मचारी लाभ व्यय (जारी)

राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवृत्ति उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
चालू सेवा मूल्य	-	(2.94)	-	-	-	(32.16)
व्याज मूल्य	(10.46)	(1.17)	(0.16)	(0.79)	(0.47)	(38.82)
पुनःमापन (लाभ)/हानि						
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.33	0.39	0.05	0.25	0.20	22.39
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक **(लाभ)/हानि**	**(9.58)**	**0.04**	**(0.62)**	**(1.01)**	-	**29.13**
लाभ भुगतान किया गया	11.75	5.75	0.83	2.15	0.90	82.56
अन्य	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(162.31)**	**(17.51)**	**(2.63)**	**(11.78)**	**(6.53)**	**(532.70)**

32. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

योजना परिसंपत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार है:	
	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2020 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	576.26
व्याज आय	45.23
पुनःमापन लाभ/(हानि)	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध व्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(1.78)
अन्य	
नियोक्ता से अंशदान	58.68
प्रदत्त लाभ	(93.22)
31 मार्च, 2021 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	**585.17**
व्याज आय	**40.96**
पुनःमापन लाभ/(हानि)	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध व्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	4.68
अन्य	-
नियोक्ता से अंशदान	6.61
योजना भागीदार से अंशदान	-
समझौतों पर वितरित परिसंपत्तियाँ	-
किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित परिसंपत्तियाँ	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-
प्रदत्त लाभ	(82.56)
अन्य	-
31 मार्च, 2022 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	554.86

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है:

	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है	
	31.03.2022	**31.03.2021**
निधियों में निवेश:		
1. बीमा कंपनियाँ	554.86	585.17
कुल	**554.86**	**585.17**

32.ग. परिभाषित लाभ योजनाओं की सुग्राहीता का विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथासंगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न सुग्राहीता का विश्लेषण किया गया है।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

राशि करोड़ ₹ में

सुग्राहीता विश्लेषण						
विवरण	**सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ**		**बंदोबस्ती लाभ**		**नालको हितकारी निधि योजना**	
2020-21	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**4.49**	**4.58**	**0.57**	**0.58**	**0.07**	**0.08**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	-	-	**0.07**	**0.06**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.42%	2.37%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(+/-0.5%]	-	-	**0.02**	**0.02**	-	-
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	**0.71**	**0.71**	**0.09**	**0.09**	**0.01**	**0.01**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	**नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना**		**सेवानिवृत्ति उपहार योजना**		**उपदान (निधिबद्ध)**	
2020-21	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	11.11	11.18	0.19	0.20	20.38	19.05
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन[+/(-)%]	89.73%	90.28%	2.71%	2.76%	3.42%	3.20%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	11.18	11.12	0.17	0.17	3.33	2.91
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	90.24%	89.76%	2.42%	2.37%	0.56%	0.49%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(+/-0.5%]	11.14	11.15	0.01	0.01	0.08	0.08
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.99%	90.02%	0.15%	0.15%	0.01%	0.01%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	11.14	11.15	0.02	0.02	0.51	0.51
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.97%	90.03%	0.26%	0.26%	0.08%	0.08%

विवरण	**सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ**		**बंदोबस्ती लाभ**		**नालको हितकारी निधि योजना**	
2020-21	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	4.69	4.79	0.51	0.52	0.07	0.07
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.19	0.19	0.02	0.02	0.06	0.06
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42%	2.37%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(+/-0.5%]	0.19	0.19	0.02	0.02	-	-
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.75	0.75	0.08	0.08	0.01	0.01
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	**नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना**		**सेवानिवृत्ति उपहार योजना**		**उपदान (निधिबद्ध)**	
2020-21	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**	**वृद्धि की मात्रा**	**ह्रास की मात्रा**
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	**0.32**	**0.33**	**0.18**	**0.18**	**17.57**	**16.45**
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.30%	3.09%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.29	0.28	0.16	0.15	3.90	16.45
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.73%	3.09%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(+/-0.5%]	0.02	0.02	0.01	0.01	0.11	16.45
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	3.09%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.50	0.50
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.09%	0.09%

ऊपर प्रस्तुत सुग्राहीता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि आकलनों में परिवर्तन एक-दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

इसके अलावा, उपर्युक्त सुग्राहीता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है। सुग्राहीता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

33- वित्त लागत

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत			
क.	पट्टे देयताओं पर व्याज व्यय	4.13	4.01
ख.	अग्रिम आय कर के भुगतान में कमी पर व्याज	7.62	-
ग.	अन्य	11.37	3.07
कुल वित्त लागत		**23.12**	**7.08**

टिप्पणी: 33.1 अन्य वित्त लागत में बैंक से ऋण पर व्याज के लिए ₹शून्य (पिछला वर्ष ₹0.21 करोड़) शामिल है।

34- अन्य व्यय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	भंडार और पूर्जों की खपत	381.26	333.16
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव		
	(1) भवन	55.43	65.82
	(2) मशीनरी	170.73	157.94
	(3) अन्य	25.50	24.63
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय		
	(1) जल प्रभार	34.57	34.13
	(2) रॉयल्टी	435.51	132.57
	(3) जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	69.68	41.81
	(4) सतत तकनीकी सहयोग व्यय	-	-
	(5) अन्य	105.61	92.34
(घ)	माल भाड़ा एवं संचालन खर्च		
	(1) आवक सामग्री (एल्यूमिना)	118.96	109.35
	(2) जावक सामग्री	172.41	163.22
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय		
	(i) लेखापरीक्षकों के रूप में	0.45	0.35
	(ii) कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.08	0.07
	(iii) अन्य सेवाओं के लिए	0.36	0.29
	(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	-	0.02
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.03	0.03
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय	150.96	150.24
(ज)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 34.1 का संदर्भ लें]	36.91	35.00
(झ)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	101.88	103.23
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व	51.84	(261.86)
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान	-	0.01
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय	33.43	34.81
(ड)	मालसूची, दावे आदि का बट्टे खाते में डालना	9.95	11.18
(ढ़)	खराब एवं संदिग्ध प्रावधान/ (पुनरांकन)	46.03	22.86
(ण)	अन्य	63.49	43.77
	(1) किराया	0.81	0.88
	(2) दर एवं कर	4.01	4.59
	(3) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	(0.44)	(0.82)
	(4) बीमा खर्च	17.80	12.53
	(5) अन्य विविध व्यय	41.31	26.59
कुल अन्य व्यय		2,065.07	1,294.97

टिप्पणी:

34.1 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय।

क) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹28.60 करोड़ है (31 मार्च, 2021 को ₹33.42 करोड़ है)

ख) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i)	परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹शून्य)
ii)	उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	₹36.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹35.00 करोड़)
	कुल	**₹36.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹35.00 करोड़)**

ग) नालको फाउंडेशन, नालको की नि.सा.उ. शाखा एमसीए21 पोर्टल के साथ पंजीकृत होने की प्रक्रिया में है।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

35- आय कर

35.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर

		राशि करोड़ ₹ में
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	1,061.63	204.02
पूर्व वर्षों के संबंध में	(9.88)	(26.32)
	1,051.75	177.70
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	(48.85)	(160.71)
	(48.85)	(160.71)
चालू वर्ष में स्वीकृत आय कर व्यय का योग	**1,002.90**	**16.99**

वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार पुनर्मिलान किया जा सकता है:

कर पूर्व लाभ	3,954.87	1,316.52
उस पर आय कर व्यय @ 25.168%	995.36	331.34
कर का प्रभाव -		
i) अस्वीकार योग्य व्यय (स्थायी अंतर)	21.26	6.78
ii) व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकार योग्य व्यय	(16.15)	(55.24)
iii) पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	(9.88)	(26.32)
iv) अन्य	12.31	(239.57)
लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय	1,002.90	16.99

35.2 इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर

चालू कर		
शेयरों की पुनर्खरीद लागत	-	(1.16)
इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर	-	(1.16)

35.3 अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन लाभ या हानि पर कर		
- चालू कर	-	-
- आस्थगित कर	(23.30)	6.18
अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आय कर	(23.30)	6.18
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर का विभाजन जिनमें है :		
मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएंगी	-	-
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नही की जाएंगी	(23.30)	6.18

टिप्पणी:

भारत सरकार द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से सूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अनुपालन में, कंपनी के पास अन्य कर प्रोत्साहनों को छोड़कर कम कर दर में स्थानांतरित करने का एक अपरिवर्तनीय और न्यूनतम वैकल्पिक कर की गैर-प्रयोज्यता विकल्प उपलब्ध था। कंपनी ने करों की कम दरों के लिए उक्त विकल्प का निष्पादन किया है और इसी अनुसार करों की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान वर्ष के लिए प्रयोज्य दर 25.168% (पिछले वर्ष 25.168%) है।

36. खंड की सूचना

36.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आबंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द कंपनी का व्यवस्थापन किया है। कंपनी में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत कंपनी के रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार हैं :

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गाट्स, वायर राड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आवंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

36.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से कंपनी के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत है:

राशि करोड़ ₹ में

	खंड राजस्व	
प्रचालन खंड	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	5,377.45	3,950.50
एल्यूमिनियम खंड	10,157.34	6,263.47
अनावंटित	57.83	50.38
प्रचालनों का योग	15,592.62	10,264.35
घटाएँ : अंतरखंड राजस्व	1,411.81	1,308.56
प्रचालनों से राजस्व	14,180.81	8,955.79

	खंड परिणाम	
प्रचालन खंड	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	1,127.41	635.75
एल्यूमिनियम खंड	3,257.20	867.67
अपवादिक मदें, व्याज और कर से पूर्व खंड परिणाम	4,384.61	1,503.42
व्याज और वित्त प्रभार	23.12	7.08
व्याज और लाभांश आय	223.91	90.75
अनावंटित व्यय को छोड़कर अन्य अनावंटित आय	(630.53)	(270.57)
कर-पूर्व लाभ	**3,954.87**	**1,316.52**

36.3 खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2022 को यथा	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
रसायन खंड	4,353.60	4,216.76	1,529.51	1,191.18
एल्यूमिनियम खंड	5,667.36	5,337.53	1,541.39	1,560.93
खंड परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	10,020.96	9,554.29	3,070.90	2,752.11
अनावंटित	7,256.83	5,156.29	602.00	384.04
कुल परिसंपत्तियाँ और देयताएँ	**17,277.79**	**14,710.58**	**3,672.90**	**3,136.15**

36.4 अन्य खंड की सूचना

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	229.08	268.03	51.62	(110.26)
एल्यूमिनियम खंड	296.95	271.53	26.12	(53.24)
अनावंटित	310.55	66.26	310.80	575.93
प्रचालनों के लिए योग	**836.59**	**605.82**	**388.54**	**412.43**

	गैर-नकद व्यय वाली सामग्री	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	(244.48)	(9.24)
एल्यूमिनियम खंड	(182.75)	(12.33)
अनावंटित	36.97	(1.60)
	(390.26)	(23.17)

36.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नवत है:

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	3,943.08	2,676.58
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	10,070.16	6,152.79
	14,013.24	8,829.37

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

36.6 भौगोलिक सूचना

कंपनी का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
भारत	7,649.09	3,666.43	10,792.79	10,404.25
भारत के बाहर	6,364.15	5,162.94	-	-
कुल	**14,013.24**	**8,829.37**	**10,792.79**	**10,404.25**

37. प्रति शेयर आय

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
		₹ प्रति शेयर	₹ प्रति शेयर
37.1	मूल आय प्रति शेयर (रु.)		
	कुल प्रचालनों से	16.07	6.97
	कुल मूल आय प्रति शेयर	16.07	6.97

37.2 मूल आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोप्य वर्ष के लाभ	2,951.97	1,299.53
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय	**2,951.97**	**1,299.53**
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**183.66**	**186.44**

टिप्पणी:

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या की गणना 17.03.2021 को 2,89,85,711 संख्यक शेयरों की वापस खरीद को विचार में लेते हुए की गई है।

38. वित्तीय प्रपत्र

राशि करोड़ ₹ में

38.1	वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य (एफवीटीपीएल) पर आकलित			
	(क) अनिवार्य रूप से आकलित:		
	(i) म्यूचुअल फंड में निवेश	64.01	248.38
	(ii) विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण संविदा	शून्य	शून्य
परिशोधित मूल्य पर आकलित			
	(क) नकद एवं बैंक शेष	412.80	213.52
	(ख) परिशोधित मूल्य पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,520.73	1,811.00
		3,997.54	2,272.90
	वित्तीय देयताएँ		
	परिशोधित मूल्य पर आकलित	2,095.82	1,358.82

38.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ता है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से सम्बंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ धारणीय व्यवसाय वृद्धि;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित, परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता के तहत सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा कंपनी की ओर से उपयुक्त विनियमों, यथा प्रयोज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अतएव, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

38.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। व्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौतियों/पूर्व-चुकौतियों के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रह सकती है। बाजार के भावी विशिष्ट संचलनों को साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

38.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधित मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्यवर्गित हुई हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा के मूल्य में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:

राशि करोड़ ₹ में

	देयताएँ यथा		**परिसंपत्तियाँ यथा**	
	31.03.2022	**31.03.2021**	**31.03.2022**	**31.03.2021**
यूएसडी	27.60	0.48	144.72	277.62
यूरो	21.36	14.82	-	-

38.4.1 विदेशी मुद्रा का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिमों में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से की सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के शुद्ध विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीकरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों के सकल विद्यामानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रूपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2022 एवं 31 मार्च, 2021 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है:

राशि करोड़ ₹ में

	यूएसडी का प्रभाव		**यूरो का प्रभाव**	
	समाप्त वर्ष	**समाप्त वर्ष**	**समाप्त वर्ष**	**समाप्त वर्ष**
	31.03.2022	**31.03.2021**	**31.03.2022**	**31.03.2021**
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	11.7	27.7	2.14	1.48

38.5 अन्य मूल्य जोखिम

38.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नही है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

38.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने या सेवा ऋण से उत्पन्न वित्तीय हानि का जोखिम है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है।

वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।

38.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध है।

कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाते हुए कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

39. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

39.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

(I) पूर्णकालिक निदेशकगणः

(क)	श्री एस. पात्र	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री आर. एस महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)
(ग)	श्री एम. पी. मिश्र	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) [01.11.2020 से प्रभावी]*
(घ)	श्री बी. के. दास	निदेशक (उत्पादन) [01.12.2020 से प्रभावी]#
(ङ)	श्री आर. सी. जोशी	निदेशक (वित्त) [04.02.2022 से प्रभावी]
(च)	श्री एस. सामन्तराय	निदेशक (वाणिज्यिक) [22.03.2022 से प्रभावी]

* 01.03.2021 से 03.02.2022 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया

01.03.2021 से 21.03.2022 तक निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया

अन्य

श्री एन. के. महान्ति	समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

(II) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण (भारत सरकार के नामित):

(क) श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.
(ख) श्री सतेंद्र सिंह, भा.प्र.से. [20.01.2022 तक]
(ग) डॉ. वीणा कुमारी डरमल भा.डा.से. [20.01.2022 से प्रभावी]

(III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगणः

(क) श्री रवि नाथ झा [11.11.2021 से प्रभावी]
(ख) डॉ. बी. आर. रामकृष्ण [15.11.2021 से प्रभावी]
(ग) अधि. जॉर्ज कुरियन [12.11.2021 से प्रभावी]
(घ) डॉ. अजय नांरग [16.11.2021 से प्रभावी]
(ङ) श्री वाई. पी. चिल्लियो [11.11.2021 से प्रभावी]
(च) सुश्री (डॉ.) शतोरूपा [12.11.2021 से प्रभावी]
(छ) अधि. दुष्यंत उपाध्याय [12.11.2021 से प्रभावी]
(ज) श्री संजय रमनलाल पटेल [23.03.2022 से प्रभावी]

ख. संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों

(क) अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.
(ख) जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
(ग) उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड
(घ) खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड

ग. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में (क) में चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

ङ. सरकार जिसके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव हैः

(क) भारत सरकार

च. संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई/सरकारी उपक्रम के साथ कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

1	बामर लॉरी एण्ड कं. लि.	11	मध्य रेलवे
2	बनारस लोकोमोटिव वर्क्स	12	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
3	भारत अर्थ मूवर्स लि.	13	सीआईएसएफ
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि.	14	दिल्ली जल बोर्ड
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	15	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स
6	ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि.	16	पूर्व मध्य रेलवे
7	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	17	इंजीनियर्स इंडिया लि.
8	बीएसईएस यमुना पावर लि.	18	एग्जिक्यूटिव इंजीनियर अपर कोलाब, हेड वर्क्स डिवीजन, जेपोर
9	बीएसएनएल	19	गुजरात अल्कालिज़ एण्ड केमिकल्स लि.
10	सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट	20	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.
		21	एच. पी. कॉर्पोरेशन

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

22	एचएमटी मशीन टूल्स लि.
23	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
21	एच. पी. कॉर्पोरेशन
22	एचएमटी मशीन टूल्स लि.
23	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
24	इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
25	केल्ट्रॉन कंट्रोल्स
26	लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
27	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
28	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
29	मेकॉन लिमिटेड
30	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31	रेल मंत्रालय
32	एमएसटीसी लिमिटेड
33	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकनिक्स
34	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
35	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन
36	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
37	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
38	एनटीपीसी लिमिटेड
39	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
40	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
41	डाकघर
42	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन
43	राइट्स लिमिटेड
44	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
45	दक्षिण मध्य रेलवे
46	दक्षिण रेलवे
47	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
48	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट
49	वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड
ii)	वस्तुओं का विक्रय
1	नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्प.
2	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
3	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
4	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लि.
5	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
6	यंत्र इंडिया लिमिटेड
7	सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट आईएफआईसीओ

39.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
- वेतन	3.54	3.95
- भविष्य निधि में अंशदान	0.23	0.24
- चिकित्सा लाभ	0.02	0.01
- अन्य लाभ	0.01	0.03
रोजगार उपरांत लाभ #	0.02	(0.03)
अन्य दीर्घकालिक लाभ	0.01	0.01
कुल	3.82	4.20

चूंकि रोजगार-उपरांत लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया गया है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ये व्यय समानुपातिक आधार पर विवेचित हैं।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम

राशि करोड़ ₹ मे

विवरण	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
वर्ष के अंत में बकाया	0.09	0.01
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.11	0.01

II. संयुक्त उद्यम / सहयोगी कंपनियाँ

वर्ष के दौरान कंपनी ने सं.उ. (संयुक्त उद्यम) के साथ निम्नलिखित लेनदेन किया है।

राशि करोड़ ₹ में

सं.उ./सहयोगी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	इक्विटी अंशदान (राइट्स इश्यू)	-	36.00
जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	प्राप्य-जन शक्ति सहयोग एवं अन्य व्यय	0.70	0.70

रिपोर्टिंग दिन के अंत में शेष

सं.उ./सहयोगी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि.	इक्विटी में निवेश	16.22	16.22
जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	इक्विटी में निवेश	276.00	276.00
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	20.00	20.00
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	1.00	1.00
जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.	प्राप्य-जन शक्ति सहयोग	0.70	0.70

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

III. **रोजगार उपरांत लाभ योजना**

वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	**लेनदेन की प्रकृति**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान	543.71	485.86
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी	6.61	55.98

वर्ष के अंत में बकाया शेष

ट्रस्ट का नाम	**लेनदेन की प्रकृति**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - देय अंशदान	30.34	33.25
एनईजीजी ट्रस्ट	देय निधि में कमी	-22.18	10.63

IV. **नालको फाउंडेशन**

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
नि.सा.उ. ट्रस्ट में अंशदान	21.00	14.41

V. **भारत सरकारः वर्ष के दौरान लेनदेन**

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
शेयरों की पुनर्खरीद	-	109.25
वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान	565.08	236.40

VI. **सीपीएसई/सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन**

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	3443.02	2388.83
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं की बिक्री	1695.29	1194.72

वर्ष के अंत में बकाया शेष

विवरण	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए अग्रिम/(देय)	87.74	75.19
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य/ (अग्रिम)	(44.22)	-

40. बंद कंपनी के साथ लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

क्रम सं.	**बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति**	**शेष बकाया**	**बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई है**
1	प्रतिभूतियों में निवेश	-	-
2	प्राप्य	-	-
3	देय	-	-
4	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर#	-	-
5	अन्य बकाया शेष (उल्लेख किया जाएगा)	-	-
	कुल	-	-

कंपनी बंद कंपनियों द्वारा धारित शेयरों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

एकल वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ:

41. विश्लेषणात्मक अनुपात

क्रम सं.	अनुपात	अंश	हर	31.03.2022	31.03.2021	भिन्नता
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति का योग	वर्तमान देयता का योग	2	2	0%
2	ऋण-इक्विटी अनुपात1	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	-	-	-
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	व्याज + किश्त	-	-	-
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी2	अधिमानी लाभांश घटाने के बाद कर उपरांत शुद्ध लाभ	इक्विटी शेयरधारक की निधि	24%	12%	93%
5	मालसूची कारोबार अनुपात2	बिक्री	औसत मालसूची	9	6	61%
6	व्यापारिक प्राप्य कारोबार अनुपात3	उधार बिक्री	औसत व्यापारिक प्राप्य	0.59	0.35	68%
7	व्यापारिक देय कारोबार अनुपात	वार्षिक उधार क्रय	औसत लेखा देय	4.36	4.09	7%
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात2	बिक्री	शुद्ध परिसंपत्ति या नियोजित पूंजी	1.31	0.89	47%
9	शुद्ध लाभ अनुपात2	शुद्ध लाभ	बिक्री	21%	15%	43%
10	नियोजित पूंजी पर वापसी2	व्याज एवं कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	नियोजित पूंजी	37%	13%	178%
11	निवेश पर वापसी2	शुद्ध लाभ	इक्विटी निधि	24%	12%	93%

1. कंपनी के पास बिल पर छूट को छोड़कर कोई उधारी/ऋण नहीं है (टिप्पणी 20 देखें)

2. अनुपातों में सुधार संबंधित कारकों में परिवर्तन के कारण है।

3. व्यापारिक प्राप्य कारोबार अनुपात की गणना केवल पवन ऊर्जा की ब्रिक्री एवं प्राप्य पर विवेचित है।

42. पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कही भी अपेक्षित हो, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनःवर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

हस्ता/-
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार
एम सं .: 055224

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

हस्ता/-
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार
(एम सं.: 030310)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण	- कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं इंड एएस 1 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं। - वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त मापन आधार एवं अपनायी गई लेखांकन नीतियों को प्रकट किया गया है। - इंड एएस की अपेक्षा के अनुसार सूचना (संबंधित इंड एएस के तहत नीचे भी वर्णन किया गया है) जो वित्तीय विवरण में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं की गई है, को इसकी टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। - वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ वो सूचना भी प्रदान करती हैं जो वित्तीय विवरण में कहीं अन्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं परन्तु उनमें से किसी को भी समझने के लिए प्रासंगिक हैं।
इंड एएस 2	मालसूचियाँ	- मालसूचियों को मापने में ग्रहीत लेखांकन नीति के साथ प्रयुक्त लागत फॉर्मूला वित्तीय विवरण की टिप्पणी 3 में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.10 में प्रकट किया गया है। - मालसूचियों के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि के संबंध में प्रकटन व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की राशि, व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूचियाँ की कोई पुनरांकन राशि एवं गिरवी रखी गई मालसूची को टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड एएस 7	नकद प्रवाह विवरण	- अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, लाभ या हानि के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के इस्तेमाल से नकद प्रवाह विवरण का किसी गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन, विगत या भावी प्रचालन नकद रसीद या भुगतान के किसी विलंबन या संचयन एवं नकद प्रवाहों में निवेश करने या वित्त प्रबंध करने से संबंधित आय या व्यय के मदों के प्रभाव के लिए समायोजन किया गया है। - नकद प्रवाह को प्रचालन, निवेशन एवं वित्त प्रबंधन गतिविधियों के रूप में पृथक किया गया है।
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन आकलनों एवं त्रुटियों में परिवर्तन	- लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन, अव्यवहार्य न होने की स्थिति में पूर्व-व्याप्ति के साथ प्रयोग किया गया है, पूर्व अवधि में प्रस्तुत इक्विटी के लिए प्रत्येक प्रभावी अवयव की प्रारंभिक शेष राशि एवं पूर्व में प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक राशि का समायोजन किया गया। - लेखांकन आकलन में कोई परिवर्तन जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन लाते हैं या इक्विटी के किसी मद से संबंध रखते हैं, को परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी मद की वहन राशि के समायोजन द्वारा स्वीकृति दी गई है। - किसी पूर्व अवधि(यों) की त्रुटि का पता चलने पर, जिस पर अवधि के दौरान ₹50 करोड़ का प्रभाव है, के लिए मानक द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्व-व्याप्ति के साथ संशोधित किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ	- कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजित घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, अपने वित्तीय विवरणों में स्वीकृत राशियों को समायोजित किया है। - रिपोर्टिंग अवधि के बाद घोषित लाभांश अवधि के अंत में देयता के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, इस प्रभाव का उपयुक्त प्रकटन टिप्पणीः 18.4 में किया गया है।
इंड एएस 11	निर्माण अनुबंध	ठेकेदारों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह मानक प्रयोज्य है जो निर्माण व्यवसाय में है। किसी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं रहने पर, इंड एएस 11 कंपनी को लागू नहीं है।
इंड एएस 12	आय कर	- कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच के संबंध को टिप्पणी 35 में कर व्यय एवं लागू कर दर से गुणा करते हुए लेखांकन लाभ के गुणन फल के बीच सांख्यिकी पुनर्मिलान के माध्यम से वर्णन किया गया है। - अन्य विशद आय में एवं प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में स्वीकृत मदों से संबंधित वर्तमान कर एवं आस्थगित कर को क्रमशः अन्य विशद आय एवं इक्विटी में स्वीकृत किया गया है। प्रकटन टिप्पणी 35 में किया गया है।
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	- प्रत्येक श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुरक्षित मापन आधार, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.4 में वर्णन किया गया है। - अवधि के दौरान संयोजन को व्यक्त करते हुए, प्रारंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच के पुनर्मिलान, निपटान एवं मूल्यह्रास व्यय को टिप्पणी 5 में दिया गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	- दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन प्रमुख शीर्ष अर्थात परिभाषित अंशदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि में कंपनी ने अंशदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी है जबकि सेवानिवर्त्तन पर उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, बंदोबस्ती लाभ, नालको हितकारी निधि योजना, नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना को परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गई है। क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, लम्बी सेवा पुरस्कार एवं एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस. के लिए भुगतान दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में स्वीकार किया गया है। - परिभाषित लाभ योजनाओं एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के बाबत कंपनी की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है एवं इसी अनुसार व्यय/आय की स्वीकृति दी गई है। - जनांकिक एवं वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण सेवा लागत, ब्याज व्यय/आय, लाभ या हानि का पुनःमापन दर्शाने वाले प्रत्येक परिभाषित लाभ देयताओं के लिए प्रारंभिक देयता एवं अंतिम देयता के बीच पुनर्मिलान टिप्पणी 31.बी. में प्रकट किया गया है। - बीमांकिक धारणाओं का सुग्राही विश्लेषण जो दर्शाता है कि किस प्रकार प्रासंगिक बीमांकिक धारणाओं के परिवर्तन द्वारा परिभाषित लाभ देयता प्रभावित हुआ होगा, को टिप्पणी 31.सी. में प्रकट किया गया है।

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 20	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन एवं सरकारी सहयोग का प्रकटन	- परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में लेखांकन नीति अनुच्छेद 3.15 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव	विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.7 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 23	उधारी लागत	कंपनी उधारी लागतों को पूंजीकृत करती है जो परिसंपत्ति की लागत के अंश के तौर पर अर्हता परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है। इस संबंध में प्रकटीकरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.14 में किया गया है।
इंड एएस 24	संबंधित पक्ष प्रकटन	संबंधित पक्षों के नाम, उनके साथ एकीकृत बिक्री एवं क्रय लेनदेन, उनके विरुद्ध कोई बकाया शेष एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभ एवं उनके विरुद्ध ऋण बकाया को टिप्पणी 39 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेश को पृथक वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया गया है।
इंड एएस 28	सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	कंपनी इक्विटी विधि का इस्तेमाल करते हुए अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में अपने लाभ के अंश को समायोजित करती है।
इंड एएस 29	अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ व्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	यह मानक कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि इसकी कार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ-व्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधनों का प्रस्तुतीकरण	परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सभी मद मानक में निर्देशित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं में पृथकीकृत किए गए हैं एवं अनुसूची III में अपेक्षानुसार प्रस्तुत किए गए हैं।
इंड एएस 33	प्रति शेयर आय	- कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। अतएव, मूल एवं मंदित ईपीएस दोनों वही रहे। - ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं आय के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 36 में किया गया है।
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	- एक सूचीबद्ध संस्था होने के कारण, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्देशित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षा के अनुसार अपने अंतरिम वित्तीय ब्यौरे तैयार करती है।
इंड एएस 36	परिसंपत्ति की क्षति	- विभिन्न परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संबंधित अनुच्छेदों में प्रकट किया गया है। - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्ति के वहन मूल्यों की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा सूचक है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं परिसंपत्तियाँ	- प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.8 में व्यक्त किया गया है। - विगत गतिविधियों, कानूनी या रचनात्मकता के फलस्वरूप जब कंपनी के पास वर्तमान देयता है जिसके लिए देयता के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्भाव की आवश्यकता है तब प्रावधान को स्वीकृति दी गई है एवं गतिविधि से पूरे जोखिमों एवं अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए विश्वसनीय रूप से आकलित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का संचलन टिप्पणी 22(ग) में प्रकट किया गया है। - अन्य देयताओं के मामले में, जो विगत गतिविधियों से उत्पन्न हुई है एवं जिनकी विद्यमानता एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी गतिविधियों के घटने या न घटने, जो पूर्णरूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है, के द्वारा पुष्टि की जाएगी, आकस्मिक - देयताओं को टिप्पणी 25 में प्रकट किया गया है एवं अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में है। - आकस्मिक परिसंपत्तियों को स्वीकृति नहीं दी गई है, परन्तु प्रकट की गई है, जहाँ आर्थिक लाभों के अन्तर्प्रवाह की संभावना है।
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	- इस संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.5 में उल्लेख की गई है। - कंपनी आर एंड डी (अनुसंधान एवं विकास) गतिविधियों पर व्यय, एनपीवी बाबत भुगतान, समूह परियोजनाओं पर व्यय एवं सॉफ्टवेयर पर व्यय को स्वीकृति देती है जो अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मानक में निर्देशित मान्यताओं के लिए शर्तों को पूरा करती है। - संयोजन, घटाव एवं परिशोधन को दर्शाने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक वहन राशि एवं अंतिम वहन राशि का पुनर्मिलान टिप्पणी 7 में दिया गया है।
इंड एएस 40	निवेश संपत्ति	कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अभिग्रहण	कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड एएस को अपनाया है और इसलिए यह मानक लागू नहीं होता है।

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	- वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसमें शेयर-आधारित भुगतान है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 103	व्यवसाय संयोग	- यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 104	बीमा ठेके	- यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 105	विक्रय एवं विच्छिन्न प्रचालनों के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	- कंपनी के पास कोई निपटान ग्रुप नहीं है, अतएव कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण एवं मूल्यांकन	- कंपनी ने खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं मूल्यांकन पर कोई व्यय नहीं किया है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 107	वित्तीय प्रपत्रों का प्रकटन	- वित्तीय प्रपत्रों के वर्गीकरण, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रपत्रों से उत्पन्न जोखिम की प्रकृति एवं विस्तार के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 108	प्रचालन खंड	- कंपनी ने अपने प्रचालन को दो खंडों अर्थात रसायन खंड एवं एल्यूमिनियम खंड में वर्गीकृत किया है जो मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण पर आधारित है जो कंपनी के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अपनाए जाते हैं। - खंड राजस्व, परिणाम, परिसंपत्ति एवं देयताएँ, प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएँ एवं अन्य खंड सूचनाएँ टिप्पणी 35 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 109	वित्तीय प्रपत्र	- म्यूचुअल फंड में निवेश एवं विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण ठेका को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा गया है एवं टिप्पणी 37 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	- समेकित वित्तीय विवरण समेकन की इक्विटी विधि का अनुपालन करते हुए कंपनी के संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं।
इंड एएस 111	संयुक्त व्यवस्थाएँ	- कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटन	- कंपनी के पास चार संयुक्त उद्यम हैं जिसकी संक्षेप में प्रस्तुत वित्तीय सूचनाएँ एवं व्याज की वहन राशि के साथ इसके पुनर्मिलान टिप्पणी 9 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 113	सही मूल्य मापन	- कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मापते समय मानक में निर्देशित अनुसार सही मूल्य मापन के सिद्धांतों को अपनाया है। - इस विषय में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 114	नियामक स्थगन लेखे	- कंपनी किसी दर नियंत्रण के अधीन नहीं है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 115	ग्राहकों के साथ ठेके से राजस्व	- ग्राहकों के साथ ठेके के संबंध में अपनी सभी निष्पादन देयता के समापन पर कंपनी राजस्व को स्वीकृति देती है।
इंड एएस 116	पट्टे	- कंपनी उन सभी पट्टों को चिह्नित करती है, जिसमें कोई अनुबंध है, या पट्टा है, यदि यह अनुबंध के प्रारंभ में विचार आदान-प्रदान की समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति (अनुबंध में स्पष्ट या निहित रूप से निर्दिष्ट) के उपयोग के नियंत्रण अधिकार को वहन करता है। - कंपनी लागत पर "उपयोगाधिकार" आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापा जाता है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") और इसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र एवं उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण (अन्य विशद आय समेत), समेकित इक्विटी परिवर्तन का विवरण, समेकित नकद प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक जानकारी समेत समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणी (इसके बाद आगे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के तहत उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अपेक्षा के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015, संशोधित अनुसार और भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित कंपनी अधिनियम. 2013 की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) की समरूपता में 31 मार्च, 2022 की स्थिति को कंपनी के समेकित मामलों की यथास्थिति एवं इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके समेकित लाभ, कुल समेकित विशद आय कुल विशद आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और इसके समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

हमारी राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्दिष्ट लेखापरीक्षण पर मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी में हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के दायित्वों में विस्तार से वर्णित है। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ नीतिगत आवश्यकताओं जो अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है, के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं एवं हमने उन आवश्यकताओं एवं आईसीएआई की नैतिक संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमें विश्वास है कि हमें जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

लेखापरीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएँ

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएँ वो हैं जो हमारे पेशेवर विचार में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण रही थीं। इन विषयवस्तुओं का समग्र रूप में एवं इस पर हमारे राय व्यक्त करने में समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा की प्रासंगिकता में समाधान किया गया था एवं इन विषयवस्तुओं पर हम पृथक राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान वर्ष में लेखा परीक्षा की प्रमुख विषयवस्तुएं जो हमने चिह्नित की हैं, वो निम्नानुसार हैं:

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखा परीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
1.संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों का वहन मूल्य (चल रहे पूंजी कार्य एवं विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, चल रहे पूंजी कार्य (सीडब्ल्यूआईपी), अमूर्त परिसंपत्ति और विकास के अधीन अमूर्त संपत्ति महत्वपूर्ण शेष राशि को प्रतिपादित करते हैं जो समेकित वित्तीय विवरणियों में वित्तीय स्थिति के विवरण में दर्ज हैं। इन परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि के मूल्यांकन के लिए व्यवसाय के प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह एवं परिसंपत्तियों से संबंधित हानि प्रावधानों सहित प्रासंगिक परिसंपत्तियों की उपयोगिता को समर्थन देनेवाले प्रमुख धारणाओं के निर्धारण में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ प्रबंधन का निर्णय संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त परिसंपत्तियों की वहन राशि एवं उनके संबंधित मूल्यह्रास स्वरूप को प्रभावित करता है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत; कंपनी की नीति में परिवर्तनों के प्रभाव समेत परिसंपत्ति के जीवन काल की समीक्षा; और सक्रिय सेवा से परित्यक्त परिसंपत्तियों के लिए पूंजीकरण, निर्धारण या माप और स्वीकृति मानदंड की समयबद्धता शामिल है।	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण, अमूर्त संपत्तियों (चल रहे पूंजी कार्य और विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों सहित) के वहन मूल्य से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने वहन मूल्य एवं उपयोगी जीवनकाल के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा की गई धारणाओं का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) 16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और इंड एएस 38 अमूर्त परिसंपत्तियों के सिद्धांतों के अनुरूप हैं। • हमने प्रबंधन के निर्णय को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवनकाल और प्रबंधन के तकनीकी आकलन के अनुसार कुछ परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल की तुलना के माध्यम से चुनौती देते हुए आकलन किया है कि क्या उपयोगी जीवनकाल एवं अवशेष मूल्य यथा संगत थे। • हमने पिछले वर्ष से वर्तमान वर्ष में प्रत्येक श्रेणी की परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल की तुलना की है ताकि यह निर्धारित कर सकें कि क्या परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन है एवं व्यवसाय और उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर परिवर्तनों की प्रासंगिकता पर विचार किया। • हमने आकलन किया है कि क्या कमजोरी के सूचक व्यवसाय एवं उद्योग की हमारी जानकारी के आधार पर 31 मार्च, 2022 को मौजूद थे और जब भी जरूरत पड़े परिसंपत्तियों/सीडब्ल्यूआईपी के कमजोरी के प्रावधान की समीक्षा की गई थी। • हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियों की नियंत्रण व्यवस्था का परीक्षण किया, पूंजीकरण नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया, पूंजीकृत लागतों पर विवरण के परीक्षणों का निष्पादन किया एवं सक्रिय उपयोग से परित्यक्त हो चुकी परिसंपत्तियों के गैर-पूंजीकरण एवं परिसंपत्ति जीवन के अनुप्रयोग सहित पूंजीकरण की समयबद्धता का मूल्यांकन किया। • इन विषयगत प्रक्रियाओं के निष्पादन में, हमने पूंजीकृत मूल लागत की प्रकृति, मूल्यह्रास एवं परिशोधन की गणना में प्रयुक्त परिसंपत्ति के जीवनकाल की उपयुक्तता; एवं कमजोरी के प्रसंग में यदि ज़रूरत पड़े, तो त्वरित मूल्यह्रास/ परिशोधन के लिए आवश्यकता के आकलन समेत प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों का अकलन किया है। उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर, हमने संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के निर्धारण में प्रबंधन के आकलन को प्रासंगिक पाया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखा परीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
2. कर्मचारी परिभाषित लाभ देयता एवं अन्य दीर्घमियादी लाभों का मूल्यांकन	
कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण में दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ देयता के लिए एवं परिभाषित लाभ दायित्वों (निधिबद्ध उपदान दायित्व के तहत योजना परिसंपत्ति का शुद्ध मूल्य) की स्वीकृति दी है। कर्मचारी लाभ देयता का मूल्यांकन बाजार की स्थितियों एवं की गई धारणाओं पर निर्भर है। प्रमुख लेखा परीक्षा विषयवस्तुएँ मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रमुख धारणाओं से संबंधित हैं: छूट दर, मुद्रा स्फीति प्रत्याशाओं एवं अपेक्षित जीवन की धारणाओं। इन धारणाओं का व्यवस्थापन जटिल है एवं तृतीय पक्ष के बीमांकिक सहयोग से महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है।	कर्मचारियों, परिभाषित लाभ देयताओं एवं अन्य दीर्घमियादी लाभ के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: • मूल्यांकन के परीक्षण में, वित्तीय एवं जनसांख्यिकीय दोनों में प्रयुक्त मुख्य बीमांकिक धारणाओं की समीक्षा के लिए हमने वाह्य बीमांकिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जाँच की है एवं इन धारणाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त कार्यविधियों को विवेचित किया। • हमने प्रबंधन एवं बीमांकिक द्वारा किए गए आकलनों का मूल्यांकन किया है ताकि सुनिश्चित हो सके कि ये इंड एएस 19 के सिद्धांतों के संगत में हैं। • इसके अलावा, परिभाषित लाभ देयताओं के मूल्याकन में प्रमुख धारणाओं पर अतिसंवेदनशील विश्लेषण की जाँच की है। उपर्युक्त कार्यप्रणाली के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि देयताओं के निर्धारण के संबंध में इस्तेमाल की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।
3. आकस्मिक देयताओं के संबंध में निश्चयन, प्रकटन एवं प्रावधानीकरण	
कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरणियों में आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है। कंपनी के पास महत्वपूर्ण एकीकृत मांग से संलग्न विवाद के अधीन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों में अनिश्चित कर विषयवस्तु से संबंधित मसले हैं, जिनके लिए इन विवादों के संभावी परिणाम के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। इसके अलावा, कंपनी के पास सरकार या सरकार द्वारा गठित अन्य एजेंसियों और ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न दावों से संबंधित अन्य चालू कानूनी मामले हैं जिसके लिए संभावित परिणाम निर्धारित करने हेतु प्रबंधन निर्णय को अमल में लाने की जरूरत पड़ती है।	आकस्मिक देयता के संबंध में निर्धारण, प्रकटीकरण एवं प्रावधानीकरण के विषय में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: हमने इंड एएस 37 प्रावधान, आकस्मिक देयता एवं आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटन एवं प्रावधान करने के संबंध में एक विस्तृत सहमति प्राप्त की है एवं कंपनी द्वारा स्थापित नियंत्रणों की रूपरेखा एवं कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर आकस्मिक देयताओं के विषय में, हमने निम्नलिखित प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन किया है: • कर मुकदमे एवं लम्बित प्रशासनिक कार्यवाहियों को चिह्नित करने के लिए कार्य-प्रक्रियाओं का आकलन एवं प्रासंगिक नियंत्रणों का कार्यान्वयन किया गया। • समरूप मामलों में कानूनी अग्रता एवं अन्य नियमों पर विचार करते हुए कंपनी के कर विभाग द्वारा निष्पादित संभावी कर जोखिमों के मूल्यांकन में प्रयुक्त धारणाओं का आकलन। • सबसे महत्वपूर्ण विवादों की वस्तुस्थिति के विषय में प्रबंधन के साथ चर्चा एवं प्रमुख प्रासंगिक प्रलेखीकरण की जाँच। • कर विशेषज्ञों से प्राप्त राय का विश्लेषण, जहाँ उपलब्ध हो। • वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों में प्रकटनों की पर्याप्तता की समीक्षा। अन्य आकस्मिक देयताओं के संबंध में कंपनी की संभावी अरक्षितता के आकलन में, हमने: • ज्ञात अरक्षितता की निगरानी के संबंध में नियंत्रणों के स्वरूप एवं कार्यान्वयन का आकलन किया; • कंपनी की विवेचना के अधीन क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए बोर्ड एवं बैठक के अन्य कार्यवृत्त का संदर्भ लिया; • कंपनी को प्रभावित करनेवाली चालू एवं संभावी कानूनी विषयवस्तुओं को समझने में कंपनी के अंदरूनी कानूनी लेखा परीक्षकों से सलाह ली गई; • विशेषज्ञों से उपलब्ध कानूनी परामर्शों की समीक्षा की गई; और • वास्तविक और संभावी कानूनी देयताओं के प्रस्तावित लेखांकन एवं प्रकटन की समीक्षा। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर हम समग्र रूप से सहमति देते हैं कि चालू कानूनी विषयवस्तुओं के संबंध में लेखांकन एवं प्रकटन उपयुक्त हैं।
4. परिसंपत्ति के रूप में सतत मुकदमे के अधीन कर विषयवस्तुओं के संबंध में अग्रिम एवं जमा	
समेकित वित्तीय विवरणियों ने अन्य परिसंपत्तियों का प्रकटन किया है, जिसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष कर जमा (प्रावधान का शुद्ध) के भौतिक वसूली योग्य दावे शामिल हैं, जिसमें वैट और सेनवेट क्रेडिट निहित हैं जो समायोजन/निर्णय के लिए लंबित हैं। इन पहलुओं की प्रकृति का आकलन करने एवं उनका लेखांकन करने और प्रकटन आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता पड़ती है।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमा के अधीन कर विषयवस्तुओं के बारे में अग्रिम और जमा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: • हमने प्रबंधन से पूरे किए गए कर आकलनों एवं मांग तथा अपीलीय अधिकारी के अपील आदेश का विवरण प्राप्त किया। • हमने कर देयता एवं विवादों के संभावी परिणाम के आकलन में प्रबंधन की अंतर्निहीत धारणाओं को चुनौती देने के लिए हमारे आंतरिक विशेषज्ञों को शामिल किया। • हमारे आंतरिक विशेषज्ञों ने भी इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की परिस्थिति के मूल्यांकन में कानूनी प्रधानता एवं अन्य नियमावलियों पर विचार किया। • इसके अलावा, हमने वसूली योग्य राशि, संधारणीयता एवं अंतिम समाधान पर संभाव्य वसूली क्षमता की प्रकृति की समीक्षा करने हेतु जहाँ भी उपलब्ध हैं, कानूनी एवं कर विशेषज्ञों की राय पर विचार किया है। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर वसूली योग्य विवेचित दावा राशि में प्रबंधन के निर्धारण के साथ हम सहमति रखते हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तु	हमारी लेखा परीक्षा में कैसे इन विषयवस्तुओं का निवारण किया गया
5. आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का मूल्यांकन	
कंपनी ने समेकित वित्तीय विवरण में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं को प्रकट किया है। कंपनी बहु- गतिविधियों का संचालन करती है। जिसमें आयकर के विभिन्न प्रावधानों का प्रयोग शामिल है। समयांतर के फलस्वरूप उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता के मूल्यांकन का आकलन एवं अनिश्चित कर स्थितियों के लिए प्रावधान हमारी लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि गणना जटिल प्रकृति की है एवं संवेदी और निर्णयात्मक धारणाओं पर निर्भर है। इनमें, अन्य के साथ दीर्घमियादी भावी लाभकारिता एवं स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकास शामिल हैं।	संपत्ति के रूप में जारी मुकदमा के अधीन कर विषयवस्तुओं के बारे में अग्रिम और जमा के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा कार्य-प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं: • आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं की संपूर्णता एवं सटीकता का निर्धारण करना एवं अनिश्चित कर स्थितियों को स्वीकृति देना। • हमने कंपनी द्वारा चिह्नित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वसूली क्षमता एवं आस्थगित कर देयताओं के संबंध में भावी नकद प्रवाहों की संभाव्यता पर प्रबंधन के आकलन को चुनौती दी एवं जाँच-पड़ताल की। • हमने सांविधिक आयकर दर में परिवर्तनों के संबंध में एवं सीमाबद्धता विधान से संबंधित लागू स्थानीय वित्तीय विनियमों एवं विकासों का भी आकलन किया है क्योंकि ये आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयताओं के अंतर्निहीत मूल्यांकन की प्रमुख धारणाएँ हैं। • हमने कर स्थितियों का विश्लेषण किया एवं कंपनी द्वारा प्रयुक्त धारणाओं एवं कार्यविधियों का मूल्यांकन किया। • इसके अलावा, हमने प्रयुक्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयताओं पर इंड एएस 12 आयकर के अनुसार कंपनी के प्रकटन की पर्याप्तता पर भी ध्यान केन्द्रित किया। उपर्युक्त निष्पादित कार्य-प्रणाली के आधार पर हम संतुष्ट हैं कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं के संबंध में प्रयोग की गई कार्यविधि एवं धारणाएँ स्वीकार योग्य हैं।

अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में शामिल है कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न सूचना, परंतु इसमें समेकित वित्तीय विवरण एवं इस पर हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखा परीक्षक रिपोर्ट की तिथि के उपरांत ये रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय अन्य सूचना को शामिल नही करती है एवं इस पर निष्कर्ष के तौर हम किसी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी उल्लिखित अन्य सूचनाओं को पढ़ने तक है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचना समेकित वित्तीय विवरणियों या लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी में भौतिक रूप से असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बयानबाजी प्रकट करते हैं।

जब हम अन्य सूचना पढ़ते हैं, तब यदि हमें पता चलता है कि इसमें भौतिक गलत बयानबाजी है, तब इस अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को इस विषयवस्तु की सूचना हमें प्रदान करनी पड़ती है एवं आवश्यकता पड़ने पर, उपयुक्त कदम उठाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में व्यक्त मामलों के लिए जिम्मेदार हैं जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों समेत भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन एवं समेकित नकद प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के संबंधित निदेशक मंडल के दायित्व में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का व्यवस्थापन भी शामिल है जो संबंधित कंपनी की संपत्तियों की हिफाजत हेतु एवं धोखाधड़ियों और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन एवं प्रयोग, तर्क एवं आकलन देने, जो यथासंगत एवं विवेकपूर्ण हैं; एवं पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करने, लेखांकन अभिलेखों की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे, समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए संगत थे, जो सही एवं निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करते हैं एवं भौतिक गलत बयानबाजी से मुक्त हैं, चाहे वे जालसाजी या चूक के कारण हो जो उपरोक्त अनुसार कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने के प्रयोजन से प्रयोग किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में, कंपनी के निदेशक मंडल एवं इसके संयुक्त उद्यम एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने में क्षमता का आकलन करने, चालू संस्था से संबंधित मामलों का लागू अनुसार प्रकट करने एवं लेखांकन की चालू संस्था आधार पर इस्तेमाल करने के लिए जिम्मेदार है, बशर्ते कि कंपनी या इसके संयुक्त उद्यम का प्रबंधन या तो समाप्त करना चाहता है या कार्य-परिचालनों को रोकना चाहता है या ऐसा करने के अलावा यथार्थ रूप से कोई और विकल्प नहीं है। कंपनी के निदेशक मंडल एवं इसके संयुक्त उद्यम कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य है युक्ति संगत आश्वासन प्राप्त करना ताकि समेकित वित्तीय विवरण समग्र रूप से गलत बयानबाजी से मुक्त रहे चाहे वो जालसाजी या त्रुटि के कारण हो एवं लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। युक्तिसंगत आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु इसकी सुनिश्चितता नहीं है कि एसए के अनुसार संचालित एक लेखापरीक्षा हमेशा ही किसी भौतिक गलत बयानबाजी, जब यह विद्यमान हो, का पता लगा पाएगी। गलत बयानबाजी किसी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है एवं तभी महत्वपूर्ण माना जाता है, जब व्यक्तिगत या समेकित रूप में, उनसे इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों को प्रभावित करने की युक्तिसंगत अपेक्षा रहती है।

एसए के अनुसार एक लेखापरीक्षा के अंश के तौर पर, हम पूरी लेखापरीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं पेशेवर संशयवाद का पालन करते हैं। हमारे कार्य में ये भी शामिल हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणियों की गलत बयानबाजी के जोखिमों की पहचान एवं आकलन करना, चाहे जालसाजी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों के प्रत्युत्तर में लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करना एवं निष्पादन करना और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं। किसी भौतिक जालसाजी के फलस्वरूप उत्पन्न किसी गलत बयानबाजी का पता न चल पाने का जोखिम, किसी चूक से उत्पन्न जोखिम से अधिक होता है क्योंकि जालसाजी में साँठ-गाँठ, धोखाधड़ी, जानबूझकर विलोपन, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल रह सकते हैं।
- लेखापरीक्षा की कार्य-प्रक्रिया को तैयार करने हेतु लेखापरीक्षा के संगत में आंतरिक नियंत्रण के तात्पर्य को प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(आई) के अंतर्गत, हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है एवं ये नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हैं।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं लेखांकन आकलनों के औचित्य एवं प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- संस्था में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखांकन की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना एवं प्राप्त लेखा साक्ष्य के आधार पर देखना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता है जो कंपनी को चालू संस्था के रूप में जारी रहने की क्षमता पर उल्लेखनीय संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम किसी भौतिक अनिश्चितता की उपस्थिति का निष्कर्ष देते हैं, तो समेकित वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटीकरण की हमारी लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इस पर ध्यान दिलाने की आवश्यकता पड़ती है या इस प्रकार का प्रकटीकरण अपर्याप्त रहने पर, हमारी राय में हम परिवर्तन लाते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएँ या परिस्थितियाँ कंपनी को एक चालू संस्था के रूप में जारी रहने से रोक सकती हैं।
- प्रकटीकरण समेत समेकित वित्तीय विवरणियों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण, संरचना एवं विषयवस्तु का मूल्यांकन करना एवं क्या समेकित वित्तीय विवरण इस रूप में अंतर्निहीत लेनदेन की घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं जिनसे निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण प्राप्त होता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कंपनी की वित्तीय सूचना की व्यावसायिक गतिविधियों के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करना। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई इन संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए हम जिम्मेदार हैं जिसके लिए हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरण में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिसकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण एवं निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। हम केवल हमारी लेखा परीक्षा की राय के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित कंपनी एवं ऐसी अन्य संस्थाओं के अभिशासन से प्रभारित जनों जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, को अन्य विषयवस्तुओं के साथ-साथ लेखापरीक्षा के सुनियोजित क्षेत्र एवं समयसूची और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा चिह्नित अन्य महत्वपूर्ण कमियों की सूचना देते हैं।

हम अभिशासन से प्रभारित जनों को एक विवरण के साथ यह भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के विषय में संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया हैं एवं हमारी स्वतंत्रता एवं जहाँ प्रयोज्य हो, संबंधित हिफाजत पर यथा संगत विचार किए जानेवाले सभी संबंधों एवं अन्य विषयवस्तुओं की सूचना देते हैं।

अभिशासन से प्रभारित जन को सूचित की गई विषयवस्तुओं में हम उन विषयवस्तुओं का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे एवं इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा विषयवस्तुएँ हैं। हम हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयवस्तुओं का वर्णन करते हैं, बशर्ते कि विषयवस्तु के सार्वजनिक प्रकाशन से कानून या विनियम द्वारा रोका न गया है या जब अति दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी विशिष्ट विषयवस्तु को हमारी रिपोर्ट में सूचित नहीं किया जाएगा क्योंकि इसके प्रतिकूल परिणाम से ऐसी सूचना के सार्वजनिक हित लाभों पर प्रभाव पड़ने की यथासंगत अपेक्षा रहती है।

अन्य विषयवस्तु

दो लेखा परीक्षित संयुक्त उद्यमों के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में ₹(1.17) करोड़ की कंपनी की कुल व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा (कर एवं अन्य व्यापक आय के पश्चात शुद्ध हानि से संलग्न) शामिल है, जिसके वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा हमने नहीं की है एवं समेकित वित्तीय विवरणों में दो संयुक्त उद्यमों के ₹0.61 करोड़ की कंपनी की कुल व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा (कर एवं अन्य व्यापक आय के पश्चात शुद्ध हानि से संलग्न) शामिल है जो गैर लेखा परीक्षित हैं एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं। दो लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यमों के इन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें दी गई है एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर हमने अपनी राय, जहाँ तक इन संयुक्त उद्यमों के बारे में सम्मिलित राशियों एवं प्रकटन और अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराएँ (3) एवं (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट जहाँ तक उक्त संयुक्त उद्यमों से संबंधित है, पूर्णतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और निम्नलिखित अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और किए जा चुके कार्य के क्षेत्र में निर्भरता के संदर्भ में उपरोक्त विषयों के संदर्भ में संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी एवं नियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(11) के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 («आदेश») के अनुच्छेद 3 (xxi) और 4 में निर्दिष्ट विषयवस्तुओं, जो लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल की जाएंगी, के संबंध में, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के लिए हमारे द्वारा जारी सीएआरओ रिपोर्ट के आधार पर और कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित इसके संयुक्त उद्यमों के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा जारी की गई लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, जो सीएआरओ के अधीन रिपोर्ट किया जाना लागू है, हम रिपोर्ट करते हैं कि इन सीएआरओ की रिपोर्टों में निम्नलिखित को छोड़कर कोई अर्हताएँ या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है:

क्रम सं.	कंपनी का नाम	होल्डिंग कंपनी/सहयोगी कंपनी/अनुषंगी कपनी/संयुक्त उद्यम	सीएआरओ रिपोर्ट के अनुच्छेदों की संख्या जिसमें अर्हताएं या प्रतिकूल टिप्पणी संलग्न हैं
1	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	i(सी)
2	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	v
3	नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	vii (ए)

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, प्रयोज्य सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   (क) हमने वो सभी जानकारी और व्याख्या मांगी है एवं प्राप्त की हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।
   (ख) हमारी राय में, जैसा कि इन बहियों एवं अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, कानून की अपेक्षा के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यथोचित लेखा-बहियों का रखरखाव किया गया है।
   (ग) इस रिपोर्ट से सम्बंधित समेकित तुलन-पत्र, समेकित लाभ एवं हानि विवरण एवं समेकित नकद प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन हेतु अनुरक्षित संबंधित लेखा बहियों के सुसंगत हैं।

(घ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का पालन करते हैं।

(ङ) अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के माध्यम से निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) कंपनी पर लागू नहीं है एवं भारत में गठित इसके संयुक्त उद्यमों की सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुपालन में 31 मार्च, 2022 की स्थिति को इसके संयुक्त उद्यमों के किसी भी निदेशक को निदेशक के रूप में अयोग्य नहीं किया गया।

(च) कंपनी एवं भारत में गठित इसके लेखापरीक्षित संयुक्त उद्यमों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के सूचनार्थ इस रिपोर्ट के अनुलग्नक "क" में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

(छ) संशोधित अनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसरण में लेखीपरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में: प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में, अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 का प्रावधान निगम मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ई) के माध्यम से कंपनी पर लागू नहीं है।

भारत में गठित संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, वर्ष के दौरान उनके निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

(ज) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल की जानेवाली अन्य विषयवस्तुओं के मामले में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के मुताबिकः

i. कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के पास लंबित मुकदमे हैं जिनके संबंध में देयताएँ या तो प्रदान किए गए हैं या आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरण की टिप्पणी 26 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के पास व्युत्पन्न संविदाओं समेत कोई दीर्घमियादी संविदाएँ यदि हैं, जिनके लिए पहले से ही भौतिक पूर्वाभासी क्षतियाँ थीं, के लिए लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अन्तर्गत अपेक्षानुसार कंपनी ने प्रावधान किया है। हमें दिए गए स्पष्टीकरण एवं संयुक्त उद्यमों के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा कोई व्युत्पन्न संविदा नहीं की गई है।

iii. निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों द्वारा राशि अंतरित किए जाने में कोई विलंब नहीं हुई है।

iv. (क) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपनी पूरी जानकारी और विश्वास में, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, विदेशी संस्था («मध्यस्थों») सहित अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि राशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य निधि स्रोत से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनी द्वारा या कंपनी की ओर से («अंतिम लाभार्थी») किसी भी रूप में चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा देगा या इस तरह का कोई कार्य करेगा;

(ख) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपनी पूरी जानकारी और विश्वास में, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) को कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से, विदेशी संस्था («निधि प्रदायी पक्षों») सहित प्राप्त की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निधि प्रदायी पक्ष द्वारा या उसकी ओर से («अंतिम लाभार्थी») किसी भी रूप में चिह्नित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा देगा या इस तरह का कोई कार्य करेगा;

(ग) लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं जिन्हें परिस्थितियों में युक्तिसंगत और उपयुक्त माना गया है, और संयुक्त उद्यमों की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जो हमें विश्वास दिलाए कि ऊपर (क) और (ख) के तहत नियम 11 (ङ) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत प्रस्तुत, इसमें कोई भी महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी है; तथा

v. जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणियों के अनुच्छेद 18.3 में व्यक्त किया गया है:

क. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और प्रदत्त, प्रयोज्य अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है; तथा

ख. वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी द्वारा घोषित और प्रदत्त अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई
हस्ता/-
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार
सदस्यता सं .: 055224
युडीआईएनः 22055224एजेओवाईजीएम3089

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई
हस्ता/-
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार
सदस्यता सं.: 030310
युडीआईएनः 22030310एजेओवाईएचएक्स7901

स्थानः भुवनेश्वर

दिनांकः 25 मई, 2022

अनुलग्नक "क"

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समदिनांकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(समदिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी एवं विनियामक अर्हताओं पर रिपोर्ट" के शीर्षक के तहत अनुच्छेद 2 (एफ) के संदर्भ में)

कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (इसके बाद "कम्पनी" के रूप में संदर्भित) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ की है एवं संयुक्त उद्यमों जो आज की तिथि में भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार किया।

संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमारे पास जमा की गई है एवं इन संयुक्त उद्यमों के विषय में शामिल की गई राशियों एवं प्रकटनों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय एवं इन संयुक्त उद्यमों से संबंधित अधिनियम की धारा 143 की उप-धाराएं (3) एवं (11) के अनुपालन में हमारी रिपोर्ट मुख्यतया अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

संयुक्त उद्यमों जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, से संबंधित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता से संबंधित हमारी उक्त रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143(3)(आई) के अंतर्गत ऐसी कंपनियों के तत्संबंधी लेखा परीक्षकों के अनुरूपी रिपोर्ट पर आधारित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के तहत आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं बनाए रखना कम्पनी और संयुक्त उद्यमों जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में, कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षानुसार पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, कार्यान्वित करना एवं बनाए रखना जो कम्पनी की नीतियों के पालन सहित इसके व्यवसाय के क्रमबद्ध एवं दक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालित थे, इसकी परिसंपत्तियों की हिफाजत, धोखाधड़ियों और चूक का निवारण एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथा समय तैयार करना शामिल है।

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने आईसीएआई द्वारा जारी एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारण योग्य वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी ("अनुदेश टिप्पणी") एवं लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की प्रयोज्य सीमा में हमारी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों एवं अनुदेश टिप्पणी में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें एवं सुसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना की गई थी एवं अनुरक्षित हुई थी और क्या ये नियंत्रण सभी भौतिक पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित थे।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं इनके प्रचालनीय प्रभावकारिता के बारे में, लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु कार्यपद्धतियों का निष्पादन करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या प्राप्त करना, जोखिम का आकलन कि भौतिक दुर्बलता विद्यमान है एवं आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालनीय प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है। चयनित कार्यपद्धतियाँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानबाजी के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या चूक के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा की राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु हमें जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त हुए एवं नीचे अनुच्छेद में संदर्भित अन्य लेखापरीक्षकों की उनकी रिपोर्ट के अनुसरण में उनसे जो लेखा साक्ष्य प्राप्त हुए, वो पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का आशय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक कार्यपद्धति है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करने के लिए निरूपित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वो नीतियाँ एवं कार्यपद्धतियाँ शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव के सम्बन्ध में है जो सुसंगत विस्तार में कम्पनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन एवं स्थितियों को सटीक रूप से एवं सही रूप से प्रदर्शित करती हैं, (2) यथासंगत आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को रिकॉर्ड किया गया है जैसा कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति के लिए अपेक्षित हैं एवं कम्पनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या स्थितियों के निवारण या यथा समय पता लगाने के विषय में सुसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं, जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता था।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

नियंत्रणों का अतिक्रमण करने वाले मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाबद्धताओं के कारण चूक या धोखाधड़ी की वजह से महत्वपूर्ण गलत बयानबाजी घट सकती है एवं पता नहीं चल सकता है। साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन की प्रायोजना जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकती है या फिर नीतियों या पद्धतियों के साथ अनुपालन के स्तर में कमी आ सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यम जो भारत में निगमित कंपनियाँ हैं, के पास सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर अनुदेश टिप्पणी में व्यक्त, आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य पहलुओं पर विचार करते हुए कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 को यथा, प्रभावी रूप से प्रचालित थे।

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई
हस्ता/-
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार
सदस्यता सं .: 055224
युडीआईएनः 22055224एजेओवाईजीएम3089

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई
हस्ता/-
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार
सदस्यता सं.: 030310
युडीआईएनः 22030310एजेओवाईएचएक्स7901

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकगण अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 25 मई, 2022 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से व्यक्त किया हुआ बताया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 (6)(ए) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। हमने नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एवं उसकी संयुक्त उद्यम कंपनी उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, परंतु इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड एवं खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। इसके अलावा, इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, एक निजी क्षेत्र की संस्था होने के कारण उनकी सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए एवं अनुपूरक लेखापरीक्षा के संचालन के लिए अधिनियम की धारा 139(5) एवं 143(6)(ए) लागू नहीं है। इसी अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक ने न तो सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की है और न ही इस कंपनी की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजों को प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है एवं प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी के कर्मचारियों की पूछताछ एवं कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं प्राप्त हुआ है जिससे अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जाए या कुछ जोड़ा जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक
की ओर से एवं उनके लिए

हस्ता/-
(मौसमी राय भट्टाचार्य)
महानिदेशक, लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

स्थानः कोलकाता
दिनांकः 28.07.2022

समेकित तुलन पत्र मार्च 31, 2022 को यथा

राशि ₹ करोड़ में

विवरण			टिप्पणी	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
परिसंपत्तियाँ					
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**				
	(क)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	5	7,001.94	7,317.28
	(ख)	पूंजी कार्य प्रगति में	6	1,763.42	1,180.95
	(ग)	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	7	341.27	343.18
	(घ)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	8	471.40	394.50
	(ङ)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
		(i) निवेश		-	-
		(क) संयुक्त उद्यमों में निवेश	9	310.97	311.53
		(ख) अन्य निवेश	9	0.03	0.03
		(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	-	-
		(iii) ऋण	11	87.38	85.95
		(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	9.74	11.24
	(च)	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	14	804.39	757.90
	कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			10,790.54	10,402.56
(2)	**चालू परिसंपत्तियाँ**				
	(क)	मालसूची	15	1,646.17	1,476.32
	(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
		(i) निवेश	9	64.01	248.38
		(ii) व्यापारिक प्राप्य	10	75.25	147.39
		(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	16	412.80	213.52
		(iv) ऊपर (iii) के अलावा बैंक शेष	16	3,293.27	1,536.26
		(v) ऋण	11	32.92	30.16
		(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12	22.17	-
	(ग)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	13	55.38	85.50
	(घ)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	883.03	568.80
	कुल चालू परिसंपत्तियाँ			6,485.00	4,306.33
कुल परिसंपत्तियाँ				17,275.54	14,708.89
इक्विटी एवं देनदारियाँ					
(1)	इक्विटी				
	(क)	इक्विटी शेयर पूँजी	17	918.32	918.32
	(ख)	अन्य इक्विटी	18	11,634.07	9,760.69
	कुल इक्विटी			12,552.39	10,679.01
	देनदारियाँ				
(2)	**गैर-चालू देनदारियाँ**				
	(क)	वित्तीय देनदारियाँ			
		(i) पट्टा देनदारियाँ	19	50.91	50.48
		(ii) व्यापारिक देय			
		(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	21	-	-
		(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	21	23.61	37.70
		(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	22	88.57	36.07
	(ख)	प्रावधान	23	260.98	633.34
	(ग)	अन्य गैर-चालू देनदारियाँ	24	331.76	328.77
	(घ)	आस्थगित कर देनदारियाँ (शुद्ध)	25	868.18	893.72
	कुल गैर-चालू देनदारियाँ			1,624.01	1,980.08
(3)	**चालू देनदारियाँ**				
	(क)	वित्तीय देनदारियाँ			
		(i) उधारी	20	20.67	46.11
		(ii) पट्टा देनदारियाँ	19	5.52	5.49
		(iii) व्यापारिक देय			
		(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के देय	21	31.50	11.70
		(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के देय	21	1,425.60	927.84
		(iv) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	22	500.35	293.91
	(ख)	अन्य चालू देनदारियाँ	24	988.55	605.29
	(ग)	प्रावधान	23	126.95	159.46
	कुल चालू देनदारियाँ			3,099.14	2,049.80
कुल देनदारियाँ				4,723.15	4,029.88
कुल इक्विटी एवं देनदारियाँ				17,275.54	14,708.89

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-44) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार (एम सं.: 055224)

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार (एम सं.: 030310)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

राशि ₹ करोड़ में

		टिप्पणी	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
I	प्रचालन से राजस्व	28	14,180.81	8,955.79
II	अन्य आय	29	297.42	146.60
III	कुल आय (I + II)		14,478.23	9,102.39
IV	व्यय			
	(क) खपत हुए कच्चे माल की लागत	30	1,971.13	1,315.43
	(ख) खपत हुए विद्युत एवं ईंधन की लागत	30	3,388.48	2,638.09
	(ग) तैयार माल की मालसूची एवं चालू कार्य में परिवर्तन	31	(116.83)	(5.76)
	(घ) कर्मचारी लाभ व्यय	32	2,355.80	1,930.24
	(ङ) वित्त लागत	33	23.12	7.08
	(च) मूल्य ह्रास, परिशोधन एवं क्षति व्यय			
	(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण - मूल्यह्रास	5	567.72	549.47
	(ii) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण - क्षति	5	237.62	(3.49)
	(iii) अमूर्त परिसंपत्तियाँ - परिशोधन	7	31.25	59.84
	(छ) अन्य व्यय	34	2,065.07	1,294.97
	कुल व्यय (IV)		10,523.36	7,785.87
V	विशिष्ट मदों एवं कर-पूर्व लाभ (III - IV)		3,954.87	1,316.52
VI	विशिष्ट मद		-	-
VII	संयुक्त उद्यमों के लाभ या हानि का हिस्सा	(0.56)	(0.12)	
VIII	कर पूर्व लाभ (V–VI+VII)		3,954.31	1,316.40
IX	कर व्यय			
	(क) चालू कर	35		
	(i) वर्तमान वर्ष		1,061.63	204.02
	(ii) पूर्व के वर्ष		(9.88)	(26.32)
	(ख) आस्थगित कर	35	(48.85)	(160.71)
X	वर्ष का लाभ (VIII-IX)		2,951.41	1,299.41
XI	अन्य विशद आय			
	(i) लाभ या हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किए जाने वाले मद			
	- परिभाषित परिलाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ /(हानि)		47.25	17.65
	(ii) लाभ या हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किए जाने वाले मदों से संबंधित आयकर	35	(23.30)	6.18
	वर्ष के लिए अन्य विशद आय (करों का शुद्ध) (XI)		**23.83**	
XII	वर्ष के लिए कुल विशद आय (X+XI)			
	[अवधि के लिए लाभ और अन्य विशद आय को समाविष्ट करके]		**2,975.36**	**1,323.24**
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आयः			
	(i) मूल (₹ में)	37	16.07	6.97
	(ii) मंदित (₹ में)	37	16.07	6.97

वित्तीय विवरणों की संलग्न टिप्पणियाँ (1-44) देखें

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार (एम सं.: 055224)

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार (एम सं.: 030310)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

राशि ₹ करोड़ में

क.	इक्विटी शेयर पूँजी				
	31.03.2020 को यथा शेष				932.81
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				
	इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी				(14.49)
	31.03.2021 को यथा शेष				918.32
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				-
	31.03.2022 को यथा शेष				918.32
ख.	अन्य इक्विटी				राशि ₹ करोड़ में
			आरक्षित एवं अधिशेष		
	अन्य इक्विटी	पूँजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
	31.03.2020 को यथा शेष	355.81	8,113.10	584.78	9,053.69
	लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-
	31.03.2020 को यथा पुनर्व्यक्त शेष	355.81	8,113.10	584.78	9,053.69
	वर्ष के लिए लाभ	-	-	1,299.41	1,299.41
	अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.83	23.83
	वर्ष के लिए कुल विशद आय	-	-	1,323.24	1,323.24
	इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर प्रीमियम	-	(152.18)	-	(152.18)
	इक्विटी शेयरों की वापसी खरीदी पर व्यय (करों का शुद्ध)		(3.45)	-	(3.45)
	सामान्य आरक्षित का पूंजी मोचन आरक्षित में अंतरण	14.49	(14.49)	-	-
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(460.61)	(460.61)
	31.03.2021 को यथा शेष	370.30	7,942.98	1,447.41	9,760.69
	31.03.2021 को यथा पुनर्व्यक्त शेष	370.30	7,942.98	1,447.41	9,760.69
	वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,951.41	2,951.41
	अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.95	23.95
	वर्ष के लिए कुल विशद आय	-	-	2,975.36	2,975.36
	पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश			(183.66)	(183.66)
	वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश			(918.32)	(918.32)
	31.03.2022 को यथा शेष	**370.30**	**7,942.98**	**3,320.79**	**11,634.07**

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार (एम सं.: 055224)

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार (एम सं.: 030310)

स्थान: भुवनेश्वर
दिनांक: 25 मई, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष हेतु समेकित नकद प्रवाह विवरण

राशि ₹ करोड़ में

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
क.	**प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	अवधि के लिए लाभ	2,951.41	1,299.41
	निम्न के लिए समायोजन:		
	लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय	1,002.90	16.99
	संयुक्त उद्यमों के (लाभ)/हानि का हिस्सा	0.56	0.12
	लाभ या हानि में स्वीकृत वित्तीय लागत	23.12	7.08
	लाभ या हानि में स्वीकृत व्याज आय	(210.36)	(84.89)
	लाभ या हानि में स्वीकृत लाभांश आय	(13.91)	(5.48)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	(0.44)	(0.82)
	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर अधिदेशात्मक रूप से मापित वित्तीय परिसंपत्तियों पर उपजे शुद्ध (लाभ) / हानि	0.36	(0.38)
	अन्य परिसंपत्तियों पर स्वीकृत क्षति की हानि	46.03	22.86
	स्टोर्स, स्पेयर्स का मालभंडार बट्टे खाते डाला गया	9.95	11.18
	गैर-चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और ऋण-परिशोधन	836.59	605.82
	शुद्ध विदेशी मुद्रा (लाभ)/हानि	1.59	1.85
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	**4,647.80**	**1,873.74**
	कार्यकारी पूंजी में संचलनः		
	माल-भंडार में (वृद्धि)/कमी	(179.80)	209.41
	व्यापार प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	72.14	(7.30)
	ऋण एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	(24.95)	(3.64)
	अन्य परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	(370.83)	53.62
	व्यापार देय में वृद्धि/(कमी)	501.88	179.77
	अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	44.47	(16.10)
	अन्य देनदारियों में वृद्धि/(कमी)	383.61	7.09
	प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	(360.46)	0.33
	प्रचालनों से सृजित (में प्रयुक्त) नकदी	**4,713.86**	**2,296.92**
	आयकर का भुगतान	(755.51)	(97.52)
	प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**3,958.35**	**2,199.40**
ख.	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान	(52.95)	(225.00)
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री से आमदनी	237.90	32.39
	संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में इक्विटी अधिग्रहण हेतु भुगतान	(0.56)	(36.00)
	बैंक के पास सावधि जमा में (निवेश)/मोचन	(1,754.37)	(58.45)
	अन्य निवेशों से प्राप्त लाभांश	13.91	5.48
	बैंक और अन्य से प्राप्त ब्याज	210.36	84.89
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूंजी अग्रिम सहित) के लिए भुगतान	(1,176.63)	(922.44)
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के निपटान से आय	9.35	11.81
	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	(106.24)	(296.38)
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(2,619.23)**	**(1,403.70)**
ग.	**वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह**		
	इक्विटी शेयरों की वापस खरीदी के लिए भुगतान	-	(166.67)
	शेयर वापस-क्रय लागत के लिए भुगतान (कर का शुद्ध)	-	(3.45)
	अल्पावधि उधारी से कार्यवाहियाँ/(भुगतान बाबत)	(25.44)	33.80
	पट्टा देयता का भुगतान	(4.23)	(3.51)
	भुगतान की गई वित्तपोषण लागत	(8.19)	(0.21)
	इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	(1,101.98)	(460.61)
	वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह	**(1,139.84)**	**(600.65)**
नकद या नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि या (कमी)		199.28	195.05
वर्ष के आरम्भ में नकद और नकद समतुल्य		213.52	18.47
वर्ष के अन्त में नकद और नकद समतुल्य [टिप्पणी 16.क देखें]		412.80	213.52

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े नकदी बहिर्प्रवाह/अंतरप्रवाह हैं, यथा संबंधित मामले।

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

(सीएस एन. के. महान्ति)
(कंपनी सचिव)

(आर. सी. जोशी)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन: 08765394

(सीए श्रीधर पात्र)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06500954

हमारी समदिनांकित संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार (एम सं.: 055224)

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार (एम सं.: 030310)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं. 1 निगम पृष्ठभूमिः

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, खान मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (के.सा.क्षे.उ.) है, जो कंपनी अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हुई है और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है। यह कंपनी एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के उत्पादन और बिक्री के कारोबार में संलग्न है। कंपनी ओड़िशा के कोरापुट जिले के दामनजोड़ी में अवस्थित 22.75 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिना परिशोधक संयंत्र और ओड़िशा के अनुगुल में 4.60 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के एल्यूमिनियम प्रद्रावक का प्रचालन कर रही है। कंपनी के पास एल्यूमिना परिशोधक की बॉक्साइट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिशोधन संयंत्र के पास कंपनी की एक ग्रहीत बॉक्साइट खान है और प्रद्रावक की विद्युत खपत को पूरा करने के लिए प्रद्रावक संयंत्र के पास एक 1200 मेगावाट का ग्रहीत तापज विद्युत संयंत्र है। साथ ही, कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा का दोहन करने और पुनर्नवीकरणीय खरीद अनुबंध का अनुपालन करने के लिए 198.40 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ चार पवन विद्युत संयंत्र प्रचालित हैं जो आन्ध्रप्रदेश (गण्डीकोटा), राजस्थान (लुडर्वा और देवीकोट) तथा महाराष्ट्र (सांगली) में अवस्थित है। कंपनी ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए चार संयुक्त उद्यम कंपनियों यथा अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्रा. लि., गुजरात अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्रा. लि., उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड और खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड में कार्यनीतिक निवेश किया है।

टिप्पणी सं. 2 अनुपालन का विवरणः

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानकों) नियम, 2015 (संशोधित अनुसार) के अंतर्गत निगमित मामले मंत्रालय द्वारा जारी एवं अधिसूचित सभी भारतीय लेखांकन मानकों और जो कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों पर वर्ष के लिए लागू एवं प्रासंगिक हैं, को कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय बिना किसी अपवाद के विवेचित किया गया है एवं अनुपालन किया गया है।

टिप्पणी सं. 3 उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ:

3.1 तैयारी के आधार:

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम के समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किए गए हैं।

जैसा कि नीचे लेखाकरण नीति में वर्णित है, कुछ वित्तीय उपकरणों को छोड़कर, जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्य में मापे जाते हैं, ये समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं।

कंपनी के प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची - III में निर्धारित अन्य मानदंडों के अनुसार सभी परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत हुई हैं। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर, कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों ने परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपना प्रचालन चक्र 12 महीने निर्धारित किया है।

3.2 अनुमानों का उपयोग:

ये समेकित वित्तीय विवरण इंड एएस के मान्य और मापन सिद्धांतों की संपुष्टि में अनुमानों और धारणाओं, जहाँ भी आवश्यक हुए हैं, के प्रयोग से तैयार किए गए हैं।

अनुमान और अन्तर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और ऐसे अनुमानों में, यदि कोई संशोधन है, तो उनका संशोधन के वर्ष में लेखाकरण किया गया है। आकलन की अनिश्चितता के मुख्य स्रोत जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन माला में महत्वपूर्ण समायोजन का कारण हो सकते हैं, टिप्पणी संख्या 4 में वर्णित हैं।

3.3 सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश :

एक सहयोगी एक संस्था होती है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशक के वित्तीय और परिचालन नीति के फैसले में भाग लेने की शक्ति है लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

एक संयुक्त उद्यम एक सयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले पक्षों को संयुक्त व्यवस्था की शुद्ध संपत्ति पर अधिकार हैं। संयुक्त नियंत्रण एक व्यवस्था के नियंत्रण की हिस्सेदारी करने के लिए संविदात्मक सहमति है, जो केवल तब ही मौजूद रहती है जब प्रासंगिक गतिविधियों के फैसले के लिए नियंत्रण की हिस्सेदारी करनेवाले पक्षों की एकमत से सहमति की जरूरत होती है।

सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के परिणाम, परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ इन समेकित वित्तीय विवरणों में लेखाकरण की इक्विटी पद्धति का उपयोग करके समाविष्ट किए गए हैं, इसके अलावा कि जब निवेश या इसका कोई भाग, बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उस मामले में इसका लेखांकन इंड एएस 105 के अनुसार किया जाता है। इक्विटी पद्धति में, किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश आरम्भ में समेकित तुलन-पत्र में लागत पर मान्य किया जाता है और इसके बाद समायोजन हेतु कंपनी के लाभ या हानि और सहयोगी या संयुक्त उद्यम की अन्य विशद आय में मान्य किया जाता है।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम से प्राप्त वितरणों से निवेश की वहन राशि कम हो जाती है। जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम की हानि के कंपनी का हिस्सा उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के हित से अधिक हो जाता है (जिसमें कोई दीर्घावधि हित शामिल हो, वस्तुतः जो उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के शुद्ध निवेश का भाग हो), कंपनी आगे और हानि को अपने हिस्से की मान्यता देना बन्द कर देती है। अतिरिक्त हानियाँ केवल उसी सीमा तक मान्य की जाती हैं कि कंपनी को कानूनी या रचनात्मक दायित्व वहन करना हो, या सहयोगी या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम किसी निवेश का उस तारीख से, जिससे निवेशी एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बनता है, इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए लेखांकन किया जाता है। किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, निवेशी की अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के अंश पर निवेश की लागत के अतिरिक्त को साख के रूप में मान्य किया जाता है, जो निवेश की वहन राशि के अंदर शामिल किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के बाद, निवेश की लागत पर अभिज्ञेय परिसंपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के अंश के किसी अतिरिक्त को सीधे इक्विटी में पूंजी आरक्षित के रूप में उसी अवधि में मान्य किया जाता है, जिसमें निवेश का अधिग्रहण हुआ है।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के लागू होने के बाद, कंपनी निश्चित करती है कि क्या किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश की आरंभिक मान्यता के बाद हुई एक या अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य मिला है और उस घटना (या घटनाओं) के शुद्ध निवेश से अनुमानित भावी नगदी प्रवाह पर कोई प्रभाव पड़ा है जिसका विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाया जा सके। यदि ऐसी हानि का कोई वस्तुगत साक्ष्य हो, तब सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के निवेश के संबंध में क्षति हानि को मान्य करना आवश्यक होता है।

जब आवश्यक हो, निवेश के समग्र वहन मूल्य इंड एएस 36 परिसंपत्तियों की हानि के अनुसरण में, एक एकल परिसंपत्ति के रूप में इसकी वसूली योग्य राशि (प्रयोग में उच्चतर मूल्य और निपटान की लागत को घटाकर) इसकी वहन राशि से तुलना करके हानि का परीक्षण किया जाता है। कोई क्षति हानि मान्य होती है तो वह निवेश की वहन राशि का भाग होती है। उस क्षति हानि का कोई व्युत्क्रमण इंड एएस 36 के अनुसरण में इस सीमा तक मान्य किया जाता है कि निवेश की वसूली योग्य राशि बाद में बढ़ती है।

जिस तारीख से किसी निवेश का एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम बने रहने समाप्त हो जाता है, या जब निवेश बिक्री के लिए धारित रूप में वर्गीकृत हो जाता है, उस तारीख से कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग करना बन्द कर देती है। जब कंपनी पूर्व सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कोई हित रखती है और धारित हित एक वित्तीय परिसंपत्ति होता है, तो कंपनी धारित हित को उस तारीख को उचित मूल्य पर मापती है और इंड एएस 109 के अनुसरण में उस उचित मूल्य को इसकी आरंभिक मान्यता पर इसका उचित मूल्य माना जाता है। इक्विटी पद्धति बन्द होने की तारीख को सहयोगी या संयुक्त उद्यम की वहन राशि और किसी धारित हित के बीच अंतर और सहयोगी या संयुक्त उद्यम में आंशिक हित के निपटान से हुई किसी आमदनी को सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निपटान पर लाभ या हानि के निर्धारण में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम से संबंधित अन्य विशद आय में पहले से मान्य की गई सभी राशि को उसी आधार पर लेखांकन करती है जैसा कि सहयोगी या संयुक्त उद्यम को संबंधित परिसंपत्तियों और देनदारियों के सीधे निपटान पर आवश्यक होता।

कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रखती है, जब सहयोगी में कोई निवेश संयुक्त उद्यम में निवेश बन जाता है या किसी संयुक्त उद्यम में निवेश सहयोगी में निवेश बन जाता है। मालिकाना हितों में ऐसे परिवर्तनों पर उचित मूल्य का कोई पुनर्मापन नहीं होता है।

जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में मालिकाना हित कम होता है कि कंपनी इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रखती है, तो कंपनी में उस मालिकाना हित में कमी से संबंधित अन्य विशद आय में मान्य किए गए पिछले लाभ या हानि के अनुपात को लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, यदि वह लाभ या हानि संबंधित परिसंपत्तियों या देनदारियों के निपटान पर लाभ या हानि में उस लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकृत किया गया हो।

3.4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरणः

पूर्ण-स्वामित्व भूमि के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल हेतु लागत, संचित मूल्यह्रास के घटाव और संचित क्षति हानि पर वर्णित होते हैं। पूर्ण-स्वामित्व भूमि, जब तक बिगड़ी न हो, लागत पर वर्णित होती है।

3.4.1 आरंभिक मापन :

प्रारंभिक लागत में खरीद मूल्य, गैर-वापसी योग्य खरीद कर, संपत्ति को अपने स्थान पर वापस लाने और इसके लिए जरूरी स्थिति लगाने के लिए किया हुआ खर्च जो प्रबंधन के द्वारा अपेक्षित तरीके से कार्य करने में सक्षम हो, उधारी लागत, यदि कोई हो और किसी भी परिसंपत्ति के पुनर्स्थापना दायित्व के वर्तमान मूल्य के आरंभिक अनुमानों या अनिवार्य रूप से बंद करने की और विखण्डन लागत शामिल है।

भूमि की लागत के हिस्से के रूप में पूर्ण-स्वामित्व भूमि के विकास पर किए गए व्यय को पूंजीकृत किया गया है।

स्व-निर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड्स के आवंटन एवं सीधे आरोप्य उधारी लागत, यदि कोई हो, शामिल है।

₹5 लाख से अधिक मूल्य प्रति एकक वाले स्पेयर-पुर्जे, जो उत्पादन और/या वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति में उपयोग के लिए धारित हैं एवं एक से अधिक अवधि के दौरान प्रयोग के लिए अपेक्षित हैं, वे संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में मान्य होते हैं। महत्वपूर्ण प्रकृति के स्पेयर्स और अनियमित उपयोग में हो, जिसे किसी विशेष उपकरण के लिए पहचाना जा सकता है और ₹1 लाख से अधिक प्रति एकक मूल्य के हो, वे भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्य होते हैं।

3.4.2 परवर्ती व्यय :

परिसंपत्तियों के पुर्जों को बदलने की लागत एवं संपूर्ण जाँच-मरम्मत लागत सहित प्रमुख निरीक्षण/रखरखाव या मरम्मत पर व्यय, जहाँ यह संदर्भ हो कि व्यय से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक अवधि के दौरान कंपनी को उपलब्ध होंगे, का पूंजीकरण किया जाता है और बदले गए चिह्नित पुर्जों की धारक राशि को अमान्य किया जाता है।

3.4.3 चल रहे पूंजीगत कार्य:

निर्माण चरण में प्रयुक्त परिसंपत्तियों को प्रगति में पूंजीगत कार्य के अधीन शामिल किया जाता है एवं किसी भी मान्यताप्राप्त क्षति हानि को घटाकर लागत में लिया जाता है। ऐसे प्रगतिरत पूंजी कार्य, पूरा होने पर, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उचित संवर्ग में स्थानांतरित किए जाते हैं।

निवेश का निर्णय लिए जाने तक नई संभावित परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए खर्च को राजस्व में प्रभारित किया जाता है। निवेश के निर्णय के बाद परियोजनाओं के लिए किए गए व्यय को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के तहत रखा जाता है और बाद में उसका पूंजीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण/निर्माण पर, निर्दिष्ट स्थान पर इसे लाए जाने एवं प्रबंधन द्वारा अपेक्षित विधि में इसे प्रचालन योग्य बनाए जाने हेतु आवश्यक स्थिति में लाए जाने तक प्रभारित कोई भी प्रत्यक्ष लागत प्रगतिरत पूंजीगत कार्य का हिस्सा माना जाता है।

3.4.4 मूल्यह्रास और ऋणशोधनः

परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, उनके उपयोगी जीवनकाल पर एक सीधी रेखा के तहत प्रदान किया गया है जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II या जहाँ भी आवश्यक विवेचित हो, प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी अनुमानों के अनुसार निर्धारित किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार निर्धारित उपयोगी जीवन से अधिक नही हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक घटक, उस लागत के साथ जो मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से किया जाता है, यदि इसका उपयोगी जीवनकाल संपत्ति के घटन से अलग होता है। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों ने 'पॉट रिलाइनिंग' को छोड़कर एक अलग घटक की पहचान के लिए महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में ₹1 करोड़ का बेंचमार्क चुना है, जो कि इसकी निहित प्रकृति और उपयोगी जीवनकाल के कारण प्रत्येक 'इलेक्ट्रोलाइटिक पॉट' के अंश के रूप में माना जाता है।

संयंत्र और मशीनरी, वाहन, चल उपकरण और मिट्टी ढोने वाले उपकरण, रेलवे सुविधाओं, रोलिंग स्टॉक एवं आवासीय क्वार्टर के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत के 5% पर और सभी अन्य परिसंपत्तियों के लिए अवशिष्ट मूल्य को शून्य के रूप में माना जाता है।

अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है एवं परिवर्तन का प्रभाव, यदि कोई है, तो भविष्य के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

मूल्यह्रास के लिए विचार में ली गई संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल नीचे वर्णित हैः

(क) बॉक्साइट खानों में अचल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण व्यक्तिगत परिसंपत्ति का जीवनकाल या खान की शेष पट्टा अवधि, जो भी कम हो, होता है।

(ख) ग्रहीत तापज विद्युत उत्पादन संयंत्र यथा ग्रहीत विद्युत संयंत्र (ग्र.वि.सं.) को 30 वर्ष माना जाता है।

(ग) वाष्प विद्युत संयंत्र (वा.वि.सं.) को 25 वर्ष माना जाता है।

(घ) एल्यूमिना परिशोधक में लाल पंक के तालाब और राख तालाब एवं ग्रहीत विद्युत संयंत्र में राख के तालाब के उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन अवधि-वार किए गए तकनीकी अनुमानों के आधार पर उनके अनुमानित शेष उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया गया है।

(ङ) बॉक्साइट खानों की परिसंपत्तियों को छोड़कर पट्टेदार भूमि पर स्थापित संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को शेष पट्टे की अवधि या परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल, जो कम हो, के रूप में माना जाता है।

(च) प्रमुख पुर्जे उक्त पुर्जों के तकनीकी आकलनों पर आधारित हैं।

जो भूमि कंपनी के स्वामित्व की नहीं है, उस पर स्थापित संपत्ति का मूल्यह्रास, उस तारीख से उपयोगी जीवन काल तक किया जाता है, जिस तारीख को वह संपत्ति प्रबंधन की अपेक्षा के अनुसार प्रचालन में सक्षम हो, जब तक कि लम्बे/छोटे जीवनकाल तक निर्णीत न हो।

₹10,000/- या उससे कम लागत वाली व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है जिसमें उसका इस्तेमाल करना है।

ऊपर उल्लिखित के अलावा, अन्य संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण निम्नलिखित उपयोगी जीवनकाल के अधीन हैं:

क्रम सं.	परिसंपत्ति संवर्ग के विवरण (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण)	उपयोग योग्य जीवनकाल वर्ष में
1	भवन	30 - 60
2	संयंत्र और मशीनरी	15 - 40
3	रेलवे साइडिंग	15
4	वाहन	08 - 10
5	फर्नीचर एवं जोड़नार	08 - 10
6	कम्प्यूटर और अनुषंगी वस्तु	03 - 06

3.4.5 परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरणः

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के उसके निपटान पर या जब संपत्ति के उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं की जाती है, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। निपटान/मान्यता रद्द होने पर होने वाले किसी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.6 घटक अलग करने की लागतः

सतह खनन में पुर्जे अलग करने की लागत एक परिसंपत्ति के रूप में पहचानी जाती है जब वे उन्नत पहुँच अयस्क का प्रतिनिधित्व करते हैं, बशर्ते सभी निम्न शर्तें पूरी होती हैं:

(क) यह संभावित है कि घटक अलग करने की गतिविधि के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो जाएगी;

(ख) अयस्क वस्तु का अंश जिसके लिए पहुँच में सुधार हुआ है उसे पहचाना जा सकता है; तथा

(ग) उन्नत पहुँच के साथ जुड़े घटक अलग करने की गतिविधि से संबंधित लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है।

उत्पादन चरण के दौरान व्यय किए गए पुर्जे अलग करने की लागत को मौजूदा "घटक अलग करने की लागत परिसंपत्ति" में जोड़ा जाता है, जो वर्तमान अवधि के पुर्जे अलग करने की लागत का अनुपात परियोजित घटक अलग करने की लागत के अनुपात से अधिक है।

"घटक अलग करने की लागत की संपत्ति" का बाद में, पुर्जे अलग करने की गतिविधि के परिणामस्वरूप अधिक सुलभ हुई अयस्क वस्तु के चिह्नित अंश के जीवनकाल के आधार पर उत्पादन की एक इकाई पर मूल्यह्रास किया जाता है और लागत में से संचित मूल्यह्रास और किसी संचित क्षति हानि को घटाकर दर्शाया जाता है।

3.5 अमूर्त परिसंपत्तियाँ:

3.5.1 अलग से अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियाँ:

अधिग्रहीत अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत से संचित ऋणशोधन और संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर दर्ज किया जाता है। परिमित उपयोगी जीवनकाल वाली अमूर्त परिसंपत्ति का ऋणशोधन उनके अनुमानित जीवनकाल पर किया जाता है। अनुमानित उपयोगी जीवनकाल और ऋणशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है, और अनुमान में किसी परिवर्तन के प्रभाव को भावी संभावना के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

3.5.2 आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियाँ - अनुसंधान और विकास व्ययः

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने गये पूंजी व्यय को छोड़कर अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है।

विकास से उत्पन्न आंतरिक रूप से सृजित अमूर्त परिसंपत्ति मान्य होती है, यदि और केवल यदि, "इंड एएस 38 - अमूर्त परिसंपत्ति" में निर्धारित सभी शर्तें पूरी होती हैं।

3.5.3 खनन अधिकारः

खनन अधिकारों की लागत में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के लिए भुगतान की गई राशि और नियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित संबंधित भुगतान एवं अग्रिम धनराशि शामिल हैं।

खनन अधिकारों की लागत का ऋणशोधन खनन संपत्ति के कुल अनुमानित शेष वाणिज्यिक भंडारों पर किया जाता है और हानि की समीक्षा के अधीन हैं।

3.5.4 खान विकास व्ययः

व्यावसायिक उत्पादन से पहले खानों के विकास के लिए किए गए व्यय अर्थात भूमि, भवन, संयंत्र और उपकरण के अलावा प्राथमिक विकास व्यय का पूँजीकरण तब तक होता है जब तक कि खनन संपत्ति वाणिज्यिक उत्पादन में सक्षम न हो।

3.5.5 उपयोगकर्ता अधिकारः

भविष्य के आर्थिक लाभ वाले किसी क्लस्टर परियोजना में किए गए व्यय की राशि, सह-लाभार्थियों के अनन्य उपयोग के साथ, लेकिन परिसंपत्तियों पर भौतिक नियंत्रण के बिना उपयोगकर्ता के अधिकार के रूप में पूँजीकृत की गई हैं।

3.5.6 सॉफ्टवेयरः

अलग से अधिग्रहीत ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर (आर.डी.बी.एम.एस., साईबेस, ईआरपी / एसएपी) सॉफ्टवेयर के रूप में पूंजीकृत हुए हैं।

3.5.7 लाइसेंस और फ्रेंचाइजः

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय की राशि को "लाइसेंस और फ्रेंचाइज" शीर्षक के अंतर्गत पूंजीकृत किया गया है।

3.5.8 अमूर्त परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरण

एक अमूर्त परिसंपत्ति निपटान पर रद्द कर दी जाती है या जब उपयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ की उम्मीद न हो। निपटान/गैर-मान्यता से उत्पन्न लाभ या हानि को, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.5.9 ऋणशोधनः

अमूर्त परिसंपत्तियों के परिशोधन का आधार निम्नानुसार है:

(क) प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए तकनीकी जानकारियों की प्रकृति में लाइसेंस जो कि संबंधित प्रसंस्करण संयंत्रों के उपयोगी जीवनकाल के लिए उपलब्ध हैं, दस वर्षों की अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ख) अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत सॉफ़्टवेयर 3 वर्ष का उपयोगी जीवनकाल रखते हैं एवं उक्त अवधि में परिशोधित होते हैं।

(ग) खनन अधिकार और खान विकास के खर्च को आरक्षित की उपलब्धता की अवधि के दौरान परिशोधित होता है।

(घ) क्लस्टर परियोजनाओं के लिए उपयोक्ता अधिकार, चालू होने की तारीख से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल में परिशोधित होता है।

3.6 मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानिः

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी यह निर्धारित करने के लिए अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की धारक राशि की समीक्षा करती है कि क्या कोई संकेत है कि उन परिसंपत्तियों में क्षति की हानि हुई है। यदि कोई ऐसा संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की पुनर्प्राप्ति योग्य राशि (यानी उचित मूल्य में बिक्री की लागत घटाकर और उपयोग-में-मूल्य के उच्चतर) का अनुमान लगाकर क्षति से हानि, यदि कोई हो, की सीमा निर्धारित की जाती है। जब किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नही है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति की नकद-सृजक इकाई (सीजीयू) की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। यदि सीजीयू की वसूली योग्य अनुमानित राशि वहन राशि से कम कम होती है, तो सीजीयू की वहन राशि इसकी वसूली योग्य राशि से कम हो जाती है और वहन राशि एवं वसूली योग्य राशि के बीच के अंतर को लाभ या हानि विवरण में क्षति हानि के रूप में मान्यता दी जाती है।

3.7 विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं अंतरणः

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल मद प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का उपयोग करके मापा जाता है अर्थात भारतीय रुपये जिसमें कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों का संचालन होता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में, विदेशी मुद्राओं में लेनदेन अर्थात संस्था की कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं को लेनदेन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दर पर मान्यता दी जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, उस तारीख में प्रचलित दरों पर विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक वस्तुओं का अंतरण किया जाता है।

मौद्रिक वस्तुओं पर विनिमय अंतर को लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

3.8 प्रावधान और आकस्मिक व्ययः

3.8.1 प्रावधानः

किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को पहचाना जाता है और यह संभव है ("नही की तुलना में अधिक संभावना") कि दायित्व निपटाने के लिए इसकी आवश्यकता है, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, तुलन पत्र की तारीख को वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए दायित्वों के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए आवश्यक विवेचन का सबसे अच्छा अनुमान है।

जहाँ वर्तमान दायित्व के निपटान के लिए अनुमानित नकद बहिर्वाहों का उपयोग करके एक प्रावधान मापा जाता है, इसकी वहन राशि उन नकदी बहिर्वाहों का वर्तमान मूल्य है।

3.8.2 पुनर्स्थापना, पुनर्वास और असक्रियकरण:

जब विकास या किसी खदान और अन्य विनिर्माण सुविधाओं के चल रहे उत्पादन के कारण पर्यावरण बिगड़ने की घटना होती है तो पुनर्निर्माण, पुनर्वास और पर्यावरणीय लागत का खर्च करने के लिए एक दायित्व उत्पन्न होता है। समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी ने सांविधिक अधिदेश के मुताबिक दायित्व बहाली, पुनर्वास और असक्रिय देनदारी को मान्यता दी है।

इस तरह की लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य प्रदान किया जाता है और प्रत्येक परियोजना के प्रारंभ में एक समान राशि का पूंजीकरण किया जाता है। इन लागतों को परिसंपत्ति के जीवनकाल में मूल्यह्रास और रियायती दायित्व के प्रसार के माध्यम से लाभ या हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है। लागत अनुमानों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है और ज्ञात विकास कार्यों को दर्शाने के लिए समायोजन किया जाता है, जिनका लागत अनुमानों या प्रचालनों के जीवनकाल पर असर पड़ सकता है। अद्यतन लागत अनुमान, प्रचालन-काल में परिवर्तन, नई बाधाओं और छूट दरों के संशोधन जैसे कारकों के कारण प्रावधान में हुए बदलावों के लिए संबंधित परिसंपत्ति की लागत को समायोजित किया जाता है। परिसंपत्तियों की समायोजित लागत का उन परिसंपत्तियों के जीवनकाल पर संभावित रूप से मूल्यह्रास होता है जिससे वे संबंधित हैं। लाभ या हानि के विवरण में छूट के प्रसार को वित्त और अन्य लागत के रूप में दिखाया गया है।

3.8.3 पर्यावरणीय देनदारियाँ:

पर्यावरणीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम पर्यावरणीय क्षति को सुधारने या सुधारात्मक निष्पादन करने के लिए कानूनी तौर पर या रचनात्मक तौर पर बाध्य होती है।

3.8.4 कानूनी दायित्व:

एक बार यह स्थापित होने के बाद कि रिपोर्टिंग की तारीख तक उपलब्ध जिस सूचना के विवेचन पर आधारित कंपनी का कोई वर्तमान दायित्व है, प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

3.8.5 आकस्मिक देनदारियाँ:

आकस्मिक देनदारियाँ संभवत: पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं, जिसके अस्तित्व को केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने की पुष्टि हो, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हो या वर्तमान दायित्व है परंतु भुगतान संभाव्य नहीं है या राशि विश्वसनीय रूप से नहीं मापी जा सकती है। प्रासंगिक देनदारियाँ समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट होती हैं जब तक कि निपटान में किसी भी बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं है।

3.8.6 आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ समेकित वित्तीय विवरण में मान्य नहीं की गई हैं, लेकिन जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है तो उनका खुलासा किया जाता है।

3.9 पट्टे:

पट्टे के आरंभ होने की तिथि को कंपनी लागत पर "उपयोगाधिकार" आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं पट्टा देयता की उस तिथि को भुगतान नहीं हुए सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, इसमें 12 महीने या कम अवधि का वो पट्टा शामिल नहीं रहता है जिसमें कोई क्रय विकल्प नहीं रहता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं अन्तर्निहित परिसंपत्ति के लिए पट्टे का मूल्य कम होता है।

12 महीने या कम अवधि के पट्टे के लिए पट्टा भुगतान जिसमें क्रय विकल्प नहीं होता है (अल्पकालिक पट्टे) एवं पट्टे जिसके लिए अन्तर्निहित परिसंपत्ति का मूल्य कम है, को प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार किया जाता है।

3.9.1 प्रारंभिक माप:

"आरओयू परिसंपत्ति के मूल्य" में निम्नलिखित राशि शामिल है:

i. पट्टा देयता का प्रारंभिक माप

ii. पूर्वदत्त पट्टा भुगतान जो कोई प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन घटाकर है

iii. पट्टेदार के रूप में कंपनी द्वारा किए गए प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और

iv. अन्तर्निहित परिसंपत्ति के विखंडन, निकासी या बहाली की अनुमानित लागत

पट्टा देयता को दीर्घावधि सरकारी बॉण्ड की कूपन दर पर पट्टा भुगतानों पर छूट प्रदान करते हुए पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। "पट्टा भुगतान" में शामिल है:

i. स्थायी भुगतान (अवास्तविक स्थायी भुगतान समेत)

ii. परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो सूचक या दर पर निर्भर है:

iii. अवशिष्ट मूल्य गारंटी के रूप में कंपनी द्वारा देय राशि

iv. क्रय विकल्प का निष्पादन मूल्य यदि कंपनी इनके निष्पादन के लिए यथोचित निश्चितता की अपेक्षा करती है।

v. कंपनी द्वारा परिसमापन के लिए दंड का भुगतान, यदि पट्टे की शर्तों में कंपनी के लिए ऐसा विकल्प रहता है।

3.9.2 तदुपरांत माप:

तदुपरांत अवधियों के दौरान, पट्टा देयता को प्रभावी व्याज विधि का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। आरओयू परिसंपत्ति को संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति, यदि कोई है, को घटाकर लागत पर मापा जाता है।

पट्टा भुगतान को वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.10 माल-भंडारः

कोयला और ईंधन तेल जैसी थोक सामग्री सहित कच्चे माल की सूची, जहाँ कहीं भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट को घटाकर लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में जो कम हो, उस पर मूल्यांकित होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में मान्यता के मानदंडों को पूरा करने वाली वस्तुओं के अलावा स्टोर और पुर्जों को जहाँ भी लागू हो, टैक्स क्रेडिट को घटाकर लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

धारित स्टोर और पुर्जों को (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में माने जाने वाले प्रमुख पुर्जों के अलावा), लेकिन जो 5 वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किए गए हैं, लागत के 5% पर मूल्यांकन किया जाता है।

उत्पादन में उपयोग के लिए सामग्री और अन्य आपूर्तियों (गैर-चल के रूप में माने जाने वाले के अलावा) को लागत से नीचे नहीं डाला जाता है, यदि तैयार माल, जिसमें उनका उपयोग शामिल हो, और उपरोक्त लागत या उससे अधिक पर बिक्री होने की आशा हो।

ऊपर बताए गए अनुसार कच्चे माल, भंडार और पुर्जों की लागत, भारित औसत मूल्य के संचलन पर निर्धारित होती है।

तैयार माल, अर्द्ध-तैयार माल, मध्यस्थ उत्पाद तथा प्रगतिरत प्रक्रिया के माल-भंडार और प्रक्रिया स्क्रैप सहित लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में जो कम हो, उस पर मूल्यांकित होती है। आम तौर पर लागत का निर्धारण माल की संचलित भारित औसत कीमत, श्रम के उचित हिस्से और संबंधित ओवरहेड्स पर होता है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, रिपोर्टिंग की तारीख पर उपलब्ध व्यापार के सामान्य प्रक्रिया क्रम में बिक्री करने के लिए जरूरी अनुमानित लागत घटाकर अनुमानित बिक्री मूल्य है।

आंतरिक रूप से सृजित स्क्रैप का माल-भंडार, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित होता है।

3.11 व्यापारिक प्राप्यः

व्यापार प्राप्तियाँ व्यापार के सामान्य क्रम में बेचे गए सामान या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्राप्य राशि हैं। यदि बकाया रिपोर्टिंग तिथि से 12 महीनों या उससे कम अवधि के भीतर भुगतान के लिए नियत है, तो उन्हें वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है अन्यथा गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में।

व्यापार प्राप्तियों को उनके लेन-देन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इनका अनुबंध में अंतर्निहित महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्य निर्धारण समायोजन न हो।

3.12 वित्तीय उपकरण:

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी प्रपत्र के संविदागत प्रावधानों का पक्ष बनती है। व्यापारिक प्राप्य एवं देय को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेनदेन की लागत को, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या जारी करने के लिए प्रत्यक्ष प्रभारित होती है, को वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देनदारियों की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गए उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

3.12.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

क. नकद या नकद समतुल्यः

नकद और नकद समकक्ष के रूप में तीन महीने या उससे कम की परिपक्वता अवधि वाले सभी अल्पकालिक बैंक जमा राशि को नकद और नकद समकक्ष माना जाता है। बैंक में 3 महीनों से अधिक की परिपक्वता अवधि वाले सावधि जमा को अन्य बैंक शेष के रूप में माना जाता है।

ख. परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

व्यापार प्राप्य सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक होते हैं, वो तदुपरांत परिशोधित लागत पर किए गए माप के अनुसार वर्गीकृत होती हैं एवं इसी अनुसार प्रभावी व्याज विधि का प्रयोग करते हुए मापी जाती हैं यदि वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक व्यवसाय मॉडल में रखी जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखना है एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीखों को नकद प्रवाह में वृद्धि लाती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और व्याज का केवल भुगतान होती हैं।

ग. अन्य विशद आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियाँ अन्य विशद आय के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत की जाती हैं, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियाँ एक कारोबारी मॉडल के भीतर रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करना और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचना है एवं इन वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदागत शर्तों के द्वारा निर्दिष्ट तारीखों को नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो बकाया मूलधन पर मूलधन और व्याज का केवल भुगतान होती हैं।

घ. लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इसे अन्य विशद आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर तदुपरांत मापे अनुसार वर्गीकृत न किया गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित लेनदेन लागत लाभ या हानि के विवरण में तुरंत मान्य होती है।

3.12.2 वित्तीय देनदारियाँ:

व्यापारिक देय को उनके लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है, जब तक कि इसमें संविदा में समाविष्ट एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक या मूल्यपरक समायोजन संलग्न न किया जाए।

व्यापारिक देय सहित वित्तीय देनदारियाँ जिसमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक संलग्न है, को प्रभावी व्याज विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित मूल्य पर तदुपरांत मापा जाता है।

3.12.3 वित्तीय परिसंपत्तियों का गैर-मान्यताकरण:

वित्तीय परिसंपत्तियों की केवल तब मान्यता रद्द होती है, जब परिसंपत्ति से नकद प्रवाह में अनुबंधित अधिकार समाप्त होते हैं या जब परिसंपत्तियों के स्वामित्व के सभी जोखिम एवं लाभ दूसरे पक्ष को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित होते हैं।

3.12.4 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानिः

प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को आकलन किया जाता है कि प्रारंभिक मान्यता से वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है या नहीं।

यदि एक वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के लिए 12 महीने के अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है। यदि उस वित्तीय साधन पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता से पर्याप्त रूप से बढ़ा है, तो उस वित्तीय साधन के जीवनकाल के लिए अपेक्षित क्रेडिट घाटे के बराबर राशि के नुकसान भत्ते को मापा जाता है।

रिपोर्टिंग तारीख को हानि भत्ता को समायोजित करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (या व्युत्क्रमण) की माला को लाभ और हानि के विवरण में एक क्षति लाभ या हानि के रूप में मान्यता दी गई है।

3.12.5 वित्तीय देनदारी का गैर-मान्यताकरण:

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द होती है जब और केवल जब दायित्वों को मुक्त कर दिया जाता है, रद्द कर किया जाता है या समाप्त हो जाता है।

नकदीकृत क्षतियों की बहाली के मामले में, ठेका अंतिम रूप से तय कर लिए जाने/समाप्त होने पर, यदि नकदीकृत क्षति प्रभारित है, तो बहाल की गई राशि वापस ली जाती है एवं पूंजी संविदाओं को छोड़कर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जहाँ नकदीकृत क्षति सीधे परिसंपत्ति के मूल्य में बढ़ती/वृद्धि में प्रभारित है। ऐसे मामले में, बहाल की गई राशि परिसंपत्ति की लागत के विरुद्ध समायोजित होती है।

3.12.6 वित्तीय साधनों को ऑफसेट करनाः

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ ऑफसेट हैं और तुलन पत्र में रिपोर्ट की गई शुद्ध राशि है, जब मान्यताप्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का कानूनी तौर पर अधिकार लागू होता है एवं शुद्ध आधार पर समझौता करने या एक साथ परिसंपत्ति की वसूली करने और दायित्व तय करने का अभिप्राय होता है। कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए एवं व्यापार के सामान्य क्रम में अवश्य लागू होना चाहिए।

3.13 व्युत्पन्न:

व्युत्पन्न साधन जैसे कि विदेशी मुद्रा संविदाओं को व्युत्पन्न संविदाओं के दर्ज होने की तारीख को उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और बाद में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उनके उचित मूल्य के लिए फिर से मापा जाता है। परिणामी लाभ या हानि को तुरंत लाभ या हानि के बयान में मान्यता दी जाती है।

3.14 उधार लागतः

उधार लेने की लागत सीधे उन अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण होती है जो उन परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ दी जाती है, जब तक संपत्ति उनके इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होती है। अन्य सभी उधार लेने की लागत उस अवधि में लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

3.15 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकनः

सरकारी अनुदान तब मान्य है जब उचित आश्वासन होता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का पालन किया जाएगा एवं अनुदान प्राप्त हो पाएगा।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान जिनकी प्राथमिक स्थिति यह है कि गैर-चालू संपत्ति खरीदना, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण करना, उन्हें तुलन-पत्र में आस्थगित आय के रूप में अनुदान स्थापित करके मान्यता दी गई है और लाभ या हानि में व्यवस्थित रूप से संबंधित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर स्थानांतरित किया जाता है।

आय से जुड़े सरकारी अनुदान उन समयावधि पर लागत के साथ मिलान करने के लिए क्रमबद्ध आधार पर होते हैं, जिसके लिए वे आय के रूप में स्वीकृत क्षतिपूर्ति हेतु अभीष्ट हैं।

3.16 कर्मचारी लाभः

3.16.1 अल्पावधि कर्मचारी लाभः

मजदूरी और वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ आदि के संबंध में कर्मचारियों को मिलनेवाले लाभों के लिए एक दायित्व मान्य है जो संबंधित अवधि में की गई सेवा हेतु अपेक्षित छूट-रहित भुगतान योग्य लाभ की राशि पर किया जाता है।

3.16.2 नियुक्ति-पश्चात और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभः

3.16.3 परिभाषित अंशदान योजनाएँ:

परिभाषित अंशदान योजना एक ऐसी योजना है, जिसके तहत एक अलग इकाई के लिए निश्चित अंशदान का भुगतान किया जाता है। परिभाषित अंशदान सेवानिवृति लाभ योजनाओं में अंशदान एक व्यय के रूप में मान्य होता है, जब कर्मचारी ने इस तरह के अंशदान का हकदार बनाने वाली सेवा प्रदान की है।

3.16.4 परिभाषित लाभ योजनाएँ:

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत, प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में किए गए अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित की जाती है। शुद्ध परिभाषित लाभ देयता के पुनर्मापन लाभ और हानि अन्य विशद आय में तुरंत मान्य की जाती है। सेवा लागत को, शुद्ध परिभाषित लाभ देनदारी पर व्याज छोड़कर व्यय के रूप में माना जाता है।

पिछली सेवा लागत को एक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब योजना में संशोधन या कटौती होती है या जब कोई भी संबंधित पुनर्गठन लागत या समाप्ति लाभ मान्यता प्राप्त होते हैं।

तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ-दायित्व के वर्तमान मूल्य को दर्शाता है जो कि योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य द्वारा घटा हुआ होता है।

3.16.5 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभः

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त देयताएँ रिपोर्टिंग तारीख तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अनुमानित भावी नकद बहिर्वाहों के वर्तमान मूल्य में मापी जाती है। परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजनाओं के लिए उपयोग की गई वही लेखांकन पद्धति का उपयोग करके इन लाभों की अपेक्षित लागत, रोजगार की अवधि में उपार्जित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित या जमा किया जाता है, जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। स्वतंत्र बीमांकिकों द्वारा इन दायित्वों का सालाना मूल्यांकन किया जाता है।

3.17 राजस्वः

राजस्व मूलतः एल्यूमिना, एल्यूमिनियम जैसे उत्पादों की बिक्री एवं विद्युत की बिक्री से प्राप्त होता है। जब किसी ग्राहक को वादा की गई वस्तुओं के स्थानांतरण द्वारा निष्पादन देयता पूरी होती है, तब राजस्व को स्वीकृति दी जाती है।

3.17.1 माल की बिक्रीः

कारखाने से / स्टॉकयार्ड से बिक्री पर प्राप्त राजस्व को नियत सांविधिक अनुपालन के साथ वाणिज्यिक बिल सहित कारखाने / स्टॉकयार्ड में वस्तुओं के सौंपे जाने पर स्वीकृति दी जाती है। एफओबी आधार पर बिक्री को शिपिंग बिल तैयार करने एवं शिपर को वस्तुएँ सौंपने के बाद स्वीकृति दी जाती है। सीआईएफ आधार पर बिक्री के मामले में, बंदरगाह में लदान पर वस्तु रखे जाने एवं इन्कोटर्म (पूर्व-निर्धारित वाणिज्यिक शर्तों) के अनुसार पोत परिवहन के कागजात तैयार करने पर स्वीकृति दी जाती है।

3.17.2 ऊर्जा की बिक्रीः

पवन ऊर्जा की बिक्री संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित कीमत पर डिस्कोम्स / उपभोक्ता को प्रेषित ऊर्जा आधार पर मान्यता प्राप्त है जो उनके साथ विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) के अधीन है।

ग्रहीत विद्युत संयंत्र से विद्युत की बिक्री को राज्य के ग्रिड को इंजेक्टेड मात्रा (उपलब्ध करायी गई मात्रा) के आधार पर माना जाता है जो परिशोधक को व्हीलिंग करने एवं अनिश्चित ऊर्जा इंजेक्शन को छोड़कर है, जो विद्युत क्रय अनुबंध एवं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के निर्धारण के अधीन है।

ऊर्जा की बिक्री से राजस्व मान्यता प्राप्त है अगर-

(क) राजस्व की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है;

(ख) यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों के पास प्रवाहित होंगे;

(ग) विवेचन की वसूली उचित रूप से आश्वासित है।

3.17.3 लाभांश और व्याज से आयः

3.17.4 लाभांशः

लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश को मान्य किया जाता है।

3.17.5 व्याजः

किसी वित्तीय परिसंपत्ति से व्याज आय मान्य की जाती है, जब यह संभाव्य है कि कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों को आर्थिक लाभ मिलेगा और आय की मात्रा को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रमुख बकाया और प्रभावी व्याज दर के संदर्भ में, व्याज आय समयानुपात आधार पर अर्जित की जाती है।

3.17.6 सरकारी एजेंसियों के प्रोत्साहन से आयः

प्रभार वापस लेने की प्रकृति में सरकारी एजेंसियों से प्रोत्साहन और निर्यातों पर पण्य निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमईआईएस) और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के निर्माण पर प्रोत्साहनों को इसके अंतर्गत प्रदान की गई शर्तों के अनुपालन में संबंधित कानून के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

3.18 आय करः

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर की योग राशि का प्रतिनिधित्व करता है।

3.18.1 वर्तमान करः

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान कर व्यय वर्ष के लिए कर-योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान और पूर्व अवधि के लिए वर्तमान कर देयताएँ (परिसंपत्तियाँ) कर की दरों और कर कानूनों का उपयोग करते हुए भुगतान योग्य (या वसूली गई) की अपेक्षित राशि में मापा जाता है जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित हुए हैं और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के किसी भी समायोजन में शामिल हैं।

3.18.2 आस्थगित करः

आस्थगित कर-व्यय या आय समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कर योग्य लाभ की गणना में उपयोग किए गए संबंधित कर-आधार के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता प्राप्त है।

आस्थगित कर-संपत्ति और देनदारियों को कर की दर से मापा जाता है, जिनकी गणना उस अवधि के लिए होती है जब परिसंपत्ति मान्य होती है या देनदारी का निर्धारण होता है, कर-दरों और कर-कानूनों के आधार पर जो अधिनियमित या वास्तविक रूप से रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित हुए हैं। अन्य विशद आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित कर विशद आय के विवरण का हिस्सा है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक समायोजन किया जाता है कि यह संभावित हो जाए कि परिसंपत्ति की वसूली करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

3.19 असाधारण मदः

असाधारण मद साधारण गतिविधियों से लाभ या हानि के भीतर आय और व्यय के सामान हैं लेकिन ऐसे आकार, प्रकृति या घटनाओं के कारण अर्जित वित्तीय निष्पादन के बेहतर स्पष्टीकरण के लिए जिनका प्रकटीकरण जरूरी समझा गया है।

3.20 नकद प्रवाह विवरणः

नकद प्रवाह विवरण इंड एएस 7 'नकद प्रवाह के विवरण' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

3.21 महत्वपूर्ण भूल/चूक का पुनःविवरणः

भूल और चूक को इस अभिप्राय में लिया जाता है कि यदि पूर्वावधि आय/व्यय का कुल प्रभाव ₹50 करोड़ से अधिक हो गया है तो परिसंपत्तियों और देनदारियों एवं इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनर्व्यक्त किया जाए।

3.22 हालिया लेखा घोषणाएँ:

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के तहत वर्तमान मानकों में नए मानकों या संशोधनों को सूचित करता है।

23 मार्च, 2022 को एमसीए ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार परिवर्तन किया है।

इंड एएस 16 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण - संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि परीक्षण की लागत के तहत उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध बिक्री आय की अधिकता, यदि कोई हो, को लाभ या हानि में स्वीकृति नहीं दी जाएगी, बल्कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत के रूप में विवेचित सीधे आरोप्य लागत से कटौती की जाएगी। इस संशोधन को अपनाए जाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है। कंपनी ने इस संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके समेकित वित्तीय विवरणियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

इंड एएस 37- प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ - संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ठेका को पूरा करने की लागत में ठेका से सीधे संबंधित लागत शामिल है। एक ठेका से सीधे संबंधित लागत उस ठेका के निष्पादन की वृद्धिशील लागत हो सकती है (इसके उदाहरण प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री होंगे) या फिर अन्य लागतों का एक आवंटन जो सीधे ठेकों को पूरा करने से संबंधित हैं (इसका एक उदाहरण अनुबंध को पूरा करने में प्रयुक्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के लिए मूल्यह्रास शुल्क का आवंटन होगा)। इस संशोधन को अपनाए जाने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि है, हालांकि इसे जल्द अपनाने की अनुमति दी गई है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसका प्रभाव महत्वपूर्ण होने की अपेक्षा नहीं है।

टिप्पणी सं. 4: महत्वपूर्ण लेखा निर्णय और आकलन अनिश्चितता के मुख्य स्रोतः

समेकित वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के लिए प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि उन मामलों के बारे में जो अंतर्निहित रूप से अनिश्चित हैं, जटिल और / या व्यक्तिपरक निर्णय, अनुमान और धारणाएँ बनाए। ये अनुमान और धारणाएँ रिपोर्ट की अवधि के दौरान संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की मात्रा के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक देनदारियों और परिसंपत्तियों के प्रकटीकरण और राजस्व और व्यय को भी प्रभावित करती हैं।

अनुमान और संबद्ध मान्यताएँ पिछले अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित होती हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। उस अनुमानित अवधि में लेखा अनुमानों को मान्य किया जाता है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है।

4.1 महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय:

उन शामिल अनुमानों के अलावा, जो प्रबंधन ने कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में बनाए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है, प्रबंधन ने निर्णय लिया है कि कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों की वित्तीय परिसंपत्तियों की परिशोधित लागत पर रिपोर्टिंग अपने व्यवसाय मॉडल के प्रकाश में उचित होगी और कंपनी एवं इसके संयुक्त उद्यमों के सकारात्मक इरादे और संविदागत नकदी प्रवाह को जमा करने के लिए इन वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने की क्षमता की पुष्टि कर दी है।

4.2 अनिश्चितता के आकलन के मुख्य स्रोत:

भविष्य के बारे में निम्नलिखित प्रमुख धारणाएँ हैं, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनिश्चितता के आकलन के अन्य प्रमुख स्रोत हैं जो अगले वित्तीय वर्ष के भीतर परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन माला में महत्वपूर्ण समायोजन पैदा करने का एक बड़ा जोखिम हो सकता है।

4.2.1 क्षतिः

एसोसिएट्स और अन्य निवेशों में निवेश, ऋण और अग्रिम, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जब भी घटनाओं और परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन मूल्य पूरी तरह से वसूली योग्य या कम से कम वार्षिक रूप से नहीं हो सकता है।

नगदी सृजन करनेवाले एककों के भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमान, जो परिसंपत्ति के उचित मूल्य की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं, भविष्य के प्रचालनों के बारे में उम्मीदों पर आधारित होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से उत्पादन और बिक्री की माला, वस्तु की कीमतों, भंडार और संसाधनों, पुनर्वास एवं संचालन की लागत और पूंजीगत व्यय के अनुमान शामिल होते हैं।

4.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवनकालः

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा करते हैं। इस पुनर्मूल्यांकन के कारण भविष्य में मूल्यह्रास व्यय में परिवर्तन हो सकता है।

4.2.3 खनन भंडार का आकलन:

खनिज भंडार के अनुमान में परिवर्तन जहाँ संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल परियोजना के जीवनकाल तक सीमित हैं, जो बदले में आरक्षित की संभावित और आर्थिक व्यवहार्यता के जीवनकाल तक सीमित है, मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए संपत्ति के उपयोगी जीवनकाल को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्षण, भूविज्ञान और भंडार निर्धारण में विशेषज्ञों द्वारा खानों में बॉक्साइट भंडार का अनुमान लगाया जाता है और भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) को पेश की गई अनुमोदित खनन योजना पर आधारित है।

4.2.4 नियुक्ति पश्चात लाभ देयता के लिए देनदारीः

नियक्ति पश्चात् लाभ और दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ की देनदारी, बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर होती है, जो कि यथार्थवादी बीमांकिक मान्यताओं पर आधारित है।

4.2.5 प्रावधान और आकस्मिक देनदारियाँ:

कर, कानूनी, बहाली और पुनर्वास, संविदात्मक और अन्य जोखिम या दायित्वों सहित एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि, किसी भी व्याज शुल्क सहित, दायित्वों के चतुर्दिक जोखिम और अनिश्चितताओं को हिसाब में लेते हुए संबंधित देनदारियों को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक विचारों का सबसे अच्छा अनुमान है। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम अपनी देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन करती है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना, प्रासंगिक कर और अन्य कानूनों, आकस्मिकताओं और अन्य उपयुक्त आवश्यकताओं पर आधारित होते हैं।

4.2.6 उचित मूल्य आकलन और मूल्यांकन प्रक्रियाः

वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए, उचित मूल्य माप को उस स्थिति के आधार पर स्तर 1, 2 या 3 में वर्गीकृत किया जाता है, जिनमें उचित मूल्य माप में निविष्टियाँ अवलोकनीय हों एवं अपने पूरे स्वरूप में उचित मूल्य माप में निविष्टि का महत्व निम्नानुसार वर्णित है:

- स्तर 1 निविष्टियाँ समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं, जिसे कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम माप की तारीख को उपलब्ध कर सकते हैं;
- स्तर 2 की निविष्टियाँ वे निविष्टियाँ हैं, जो स्तर 1 के अंदर शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा, जिनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन किया जा सकता है; और
- स्तर 3 की निविष्टि परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकन नहीं की जा सकने वाली निविष्टियाँ हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

5- संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

राशि करोड़ ₹ में

लागत और मानित लागत	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	पट्टायुक्त भूमि (उपयोग का अधिकार)	भवन	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं जोड़नार	कार्यालय उपकरण	वाहन	रेलवे साइडिंग	कुल
31.03.2020 को यथा शेष	**81.88**	**86.54**	**756.48**	**8,331.44**	**22.44**	**51.50**	**31.90**	**64.16**	**9,426.34**
संयोजन	0.58	98.33	56.66	536.50	1.17	2.01	3.55	4.53	703.33
निबटान	-	(0.01)	(0.03)	(60.31)	(0.08)	(1.04)	(0.15)	-	(61.62)
31.03.2021 को यथा शेष	**82.46**	**184.86**	**813.11**	**8,807.63**	**23.53**	**52.47**	**35.30**	**68.69**	**10,068.05**
संयोजन	0.30	15.68	28.53	431.59	2.76	16.23	3.48	0.28	498.85
निबटान	-	-	-	(29.25)	(0.14)	(0.47)	(0.22)	-	(30.08)
31.03.2022 को यथा शेष	**82.76**	**200.54**	**841.64**	**9,209.97**	**26.15**	**68.23**	**38.56**	**68.97**	**10,536.82**
संचित मूल्यह्रास एवं क्षति									
31.03.2020 को यथा शेष	**-**	**3.18**	**179.86**	**1,994.72**	**12.07**	**28.34**	**13.42**	**20.21**	**2,251.80**
मूल्यह्रास व्यय	-	5.86	33.91	491.83	2.24	8.44	3.06	4.13	549.47
क्षति व्यय	-	-	-	(3.49)	-	-	-	-	(3.49)
निबटान	-	-	(0.02)	(45.78)	(0.07)	(1.03)	(0.11)	-	(47.01)
31.03.2021 को यथा शेष	**-**	**9.04**	**213.75**	**2,437.28**	**14.24**	**35.75**	**16.37**	**24.34**	**2,750.77**
मूल्यह्रास व्यय	-	7.77	32.32	509.26	2.21	8.61	3.25	4.30	567.72
क्षति व्यय	-	-	-	237.62	-	-	-	-	237.62
निबटान	-	-	-	(20.74)	(0.10)	(0.24)	(0.15)	-	(21.23)
31.03.2022 को यथा शेष	**-**	**16.81**	**246.07**	**3,163.42**	**16.35**	**44.12**	**19.47**	**28.64**	**3,534.88**
	पूर्ण स्वामित्व की भूमि	**पट्टायुक्त भूमि (उपयोग का अधिकार)**	**भवन**	**संयंत्र एवं उपकरण**	**फर्नीचर एवं जोड़नार**	**कार्यालय उपकरण**	**वाहन**	**रेलवे साइडिंग**	**कुल**
वहन राशि									
31.03.2020 को यथा शेष	**81.88**	**83.36**	**576.62**	**6,336.72**	**10.37**	**23.16**	**18.48**	**43.95**	**7,174.54**
संयोजन	0.58	98.33	56.66	536.50	1.17	2.01	3.55	4.53	703.33
निबटान	-	(0.01)	(0.01)	(14.53)	(0.01)	(0.01)	(0.04)	-	(14.61)
मूल्यह्रास व्यय	-	5.86	33.91	491.83	2.24	8.44	3.06	4.13	549.47
क्षति व्यय	-	-	-	(3.49)	-	-	-	-	(3.49)
31.03.2021 को यथा शेष	**82.46**	**175.82**	**599.36**	**6,370.35**	**9.29**	**16.72**	**18.93**	**44.35**	**7,317.28**
संयोजन	0.30	15.68	28.53	431.59	2.76	16.23	3.48	0.28	498.85
निबटान	-	-	-	(8.51)	(0.04)	(0.23)	(0.07)	-	(8.85)
मूल्यह्रास व्यय	-	7.77	32.32	509.26	2.21	8.61	3.25	4.30	567.72
क्षति व्यय	-	-	-	237.62	-	-	-	-	237.62
31.03.2022 को यथा शेष	**82.76**	**183.73**	**595.57**	**6,046.55**	**9.80**	**24.11**	**19.09**	**40.33**	**7,001.94**

टिप्पणीः 5.1 66.64 एकड़ भूमि को छोड़कर ओड़िशा सरकार के माध्यम से अर्जित पूर्ण स्वामित्व की भूमि के अधिकार पत्र का कार्यान्वयन हो चुका है। कंपनी पूर्ण स्वामित्व की भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है एवं इस मामले को राजस्व प्राधिकारियों के साथ हाथ में लिया गया है।

5.2 पूर्ण स्वामित्व की भूमि में ओड़िशा सरकार को समर्पित 43.75 एकड़ भूमि की लागत शामिल है जिसके लिए हस्तांतरित करने की प्रक्रिया का निष्पादन अभी पूरा किया जाना बाकी है।

5.3 कंपनी के पास 1597.35 एकड़ की पट्टायुक्त भूमि है जिसके लिए पट्टा विलेख का निष्पादन किया जाना अभी शेष है। तथापि, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कंपनी को उक्त भूमि पर अपना प्रचालन करने की अनुमति दी गई है।

5.4 कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली संपत्ति के पट्टों से संबंधित व्यय के लिए ₹0.81 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.90 करोड़) व्यय किए। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे के नकद बहिर्वाह सहित पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹4.13 करोड़ (पिछले वर्ष ₹4.41 करोड़) है।

5.5 कंपनी ने लुडर्वा, राजस्थान में 47.6 मे.वा. की संस्थापित क्षमता के साथ पवन ऊर्जा संयंत्र (डब्ल्यूपीपी) में ₹280.62 करोड़ (पिछले वर्ष ₹280.62 करोड़) और देवीकोट, राजस्थान में 50.0 मे.वा. की संस्थापित क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र में ₹338.19 करोड़ (पिछले वर्ष ₹338.19 करोड़) का निवेश किया है। उपर्युक्त संयंत्रों के लिए क्रमशः ₹176.27 करोड़ और ₹258.54 करोड़ की वहन राशि (सकल मूल्य संचित मूल्यह्रास को घटाकर और क्षति से पूर्व) है। प्रारंभ में राजस्थान के जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ 3 वर्ष के लिए विद्युत क्रय समझौता (पीपीए) को 01.04.2019 से आगे बढ़ाया नहीं जा सका। कंपनी ने पीपीए को बढ़ाने के लिए राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की। अभी तक इसका निष्पादन नहीं हो सका है। हालांकि, कंपनी लगातार ग्रिड में विद्युत पहुँचा रही है जिसे प्राधिकरण द्वारा दर्ज किया गया है। तथापि, राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड (आरआरईसीएल) ने कंपनी को लुडर्वा और देवीकोट में दोनों डब्ल्यूपीपी के लिए ₹2.44 प्रति यूनिट स्वीकार करने और पीपीए का निष्पादन करने का प्रस्ताव दिया था। पीपीए निष्पादित न होने और निरंतर उत्पादन के तहत इन पवन ऊर्जा संयंत्रों की क्षति का मूल्यांकन किया गया था और वर्तमान वर्ष के दौरान ₹241.11 करोड़ की राशि प्रदान की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

5.क अचल संपत्ति का अधिकार पत्र जो कंपनी के नाम में धारित नहीं है

(उन संपत्तियों के अलावा जहाँ कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौता का निष्पादन पट्टेदार के पक्ष में विधिवत किया गया है)

राशि करोड़ ₹ में

संपत्ति का विवरण	पूर्ण स्वामित्व/ पट्टायुक्त	सकल वहन मूल्य	जिसके नाम में अधिकार पत्र है	क्या अधिकार पत्र धारक एक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/ निदेशक का संबंधी या कर्मचारी है	जिस तिथि से संपत्ति धारित है	कंपनी के नाम में धारित नहीं होने का कारण	क्या विवादित है
पीपीई							
भूमि							
ओड़िशा के कोरापुट जिले में 19.74 एकड़ भूमि	पूर्ण स्वामित्व	0.11	ओड़िशा सरकार	नहीं	1982-83	लंबित पंजीकरण	नहीं
ओड़िशा के कोरापुट जिले में 845.94 एकड़ भूमि	पट्टायुक्त	0.35	ओड़िशा सरकार	नहीं	1982-83	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओड़िशा के अनुगुल जिले में 46.90 एकड़ भूमि	पूर्ण स्वामित्व	0.33	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम (इडको)	नहीं	1987-88	लंबित पंजीकरण	नहीं
ओड़िशा के अनुगुल जिले में 656.05 एकड़ भूमि	पट्टायुक्त	1.47	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम (इडको)	नहीं	1987-88	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओड़िशा के अनुगुल जिले में 94.7 एकड़ भूमि	पट्टायुक्त	16.50	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम (इडको)	नहीं	2021-22	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
ओड़िशा के ढेंकनाल जिले में 0.66 एकड़ भूमि	पट्टायुक्त	0.09	ओड़िशा औद्योगिक विकास निगम (इडको)	नहीं	1987-88	पट्टा अनुबंध का निष्पादन लंबित है	नहीं
भवन	-		-				
निवेश संपत्ति							
भूमि	-		-				
भवन	-		-				
बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्ति							
भूमि	-		-				
भवन	-		-				
अन्य	-		-				

6.क- प्रगतिधीन पूंजी कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

राशि क रोड़ ₹ में

	31.03.2022 को यथा शेष	31.03.2021 को यथा शेष
पूंजी कार्य प्रगति में	1,700.54	1,170.06
मार्गस्थ समेत निर्माण सामग्री	110.99	11.44
	1,811.53	1,181.50
घटाएं: क्षति के लिए प्रावधान	(48.11)	(0.55)
कुल पूंजी कार्य प्रगति में	**1,763.42**	**1,180.95**

क्षति के लिए प्रावधान में संचलन	**31.03.2022 को यथा शेष**	**31.03.2021 को यथा शेष**
प्रारंभिक शेष	0.55	-
वर्ष के दौरान प्रावधान किया गया	47.56	0.55
वर्ष के दौरान प्रावधान पुनरांकित	-	-
अंतिम शेष	**48.11**	**0.55**

6.क.1. प्रगति में पूंजी कार्य की राशि में शामिल है उत्कल-डी एवं उत्कल-ई कोयला ब्लॉक को आरोप्य अवसंरचना विकास व्यय के बाबत ₹36.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹53.97 करोड़) की राशि। इसमें 5वीं धारा एल्यूमिना परिशोधन विस्तार के लिए ₹152.90 करोड़ (पिछले वर्ष ₹105.59 करोड़) का प्रत्यक्ष आरोप्य व्यय भी शामिल है।

6.क.2. कंपनी ने कायाथर, तमिलनाडु में 25.5 मे.वा. पवन ऊर्जा परियोजना (डब्ल्यूपीपी) की आपूर्ति, निर्माण और चालू करने के लिए दिनांक 27.09.2017 को मेसर्स रिंगेन पावरटेक. प्रा. लिमिटेड के पक्ष में ₹163.13 करोड़ के मूल्य पर एक अनुबंध किया था । वित्तीय संकट और एजेंसी के दिवालापन के कारण निष्पादन में कोई प्रगति नहीं हुई थी।

एजेंसी ने ₹119.63 करोड़ मूल्य का कार्य (पिछले वर्ष ₹119.63) निष्पादित किया था। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड- 2016 के तहत, दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू की गई और माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), चेन्नई ने प्रस्ताव योजना पारित की जिसे कंपनी ने स्वीकार नहीं किया था। कंपनी ने एनसीएलएटी में अपील को प्राथमिकता दी।

चूंकि 2018-19 से परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई थी और उक्त आदेश में उल्लिखित कठोर शर्तों का उल्लेख किया गया था, कंपनी इसे परियोजना की हानि के आकलन के लिए संकेत के रूप में लेती है और इसका आंतरिक रूप से मूल्यांकन किया और चालू वर्ष के दौरान ₹44.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹शून्य) प्रदान किया ।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

6.ख- प्रगतिधीन पूंजी कार्य

6.ख.1. प्रगतिधीन पूंजी कार्य की अवधि — राशि करोड़ ₹ में

			अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	विवरण		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति में परियोजना							
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	699.01	230.10	311.02	85.53	1,325.66
		31.03.2021 को यथा	261.47	355.92	39.45	69.38	726.22
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	127.62	68.73	65.38	96.64	358.37
		31.03.2021 को यथा	24.25	74.36	79.24	155.01	332.86
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा	5.83	0.38	0.11	119.63	125.95
		31.03.2021 को यथा	1.15	0.10	17.78	101.84	120.87
अस्थायी रूप से परियोजना निलंबित							
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	-	-	-	1.55	1.55
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	1.55	1.55
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
	कुल 31.03.2022 को यथा		**832.46**	**299.21**	**376.51**	**303.35**	**1,811.53**
	कुल 31.03.2021 को यथा		**286.87**	**430.38**	**136.47**	**327.78**	**1,181.50**

6.ख.2. प्रगति में पूंजी कार्य की उम्र जिसका समापन अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गई है

			पूरा किये जाने की अवधि				
	विवरण		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	154.54	76.78	-	-	231.32
		31.03.2021 को यथा	126.79	155.37	-	-	282.16
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	175.38	1.46	10.21	19.41	206.46
		31.03.2021 को यथा	88.70	28.00	47.60	52.08	216.38
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा	-	-	0.11	119.63	119.74
		31.03.2021 को यथा	-	0.11	17.78	101.85	119.74
	कुल 31.03.2022 को यथा		**329.92**	**78.24**	**10.32**	**139.04**	**557.52**
	कुल 31.03.2021 को यथा		**215.49**	**183.48**	**65.38**	**153.93**	**618.28**

6.ख.3. परियोजना का विवरण जहाँ गतिविधि निलंबित हुई है

क्रम सं.	विवरण		राशि	जब से निलंबित	निलंबन का संक्षिप्त कारण
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	-	-	
		31.03.2021 को यथा			
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	1.55	01-अप्रैल-20	निष्पादन के लिए परियोजना उपयुक्त नहीं है
		31.03.2021 को यथा	1.55	01-अप्रैल-20	निष्पादन के लिए परियोजना उपयुक्त नहीं है
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा			
		31.03.2021 को यथा			
	कुल 31.03.2022 को यथा		**1.55**		
	कुल 31.03.2021 को यथा		**1.55**		

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

7. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	उपयोग अधिकार	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	खनन अधिकार	अनुज्ञप्ति	कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ
लागत या मानित लागत 31.03.2020 को यथा शेष	79.79	11.24	288.39	10.25	389.67
संयोजन	-	0.13	91.36	1.30	92.79
निबटान	-	-	-	-	-
31.03.2021 को यथा शेष	79.79	11.37	379.75	11.55	482.46
संयोजन	0.39	1.90	27.05	-	29.34
निबटान	-	-	-	-	-
31.03.2022 को यथा शेष	80.18	13.27	406.80	11.55	511.80
संचित मूल्यह्रास एवं क्षति					
31.03.2020 को यथा शेष	11.28	7.70	51.22	9.24	79.44
मूल्यह्रास व्यय	4.00	1.76	52.83	1.25	59.84
क्षति व्यय	-	-	-	-	-
निबटान	-	-	-	-	-
31.03.2021 को यथा शेष	15.28	9.46	104.05	10.49	139.28
मूल्यह्रास व्यय	4.01	1.35	25.74	0.15	31.25
क्षति व्यय	-	-	-	-	-
निबटान	-	-	-	-	-
31.03.2022 को यथा शेष	19.29	10.81	129.79	10.64	170.53
	उपयोग अधिकार	**कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर**	**खनन अधिकार**	**अनुज्ञप्ति**	**कुल अमूर्त परिसंपत्तियाँ**
वहन राशि					
31.03.2020 को यथा शेष	68.51	3.54	237.17	1.01	310.23
संयोजन/समाशोधन	-	0.13	91.36	1.30	92.79
निबटान	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	4.00	1.76	52.83	1.25	59.84
क्षति व्यय	-	-	-	-	-
31.03.2021 को यथा शेष	64.51	1.91	275.70	1.06	343.18
संयोजन	0.39	1.90	27.05	-	29.34
निबटान	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	4.01	1.35	25.74	0.15	31.25
क्षति व्यय	-	-	-	-	-
31.03.2022 को यथा शेष	60.89	2.46	277.01	0.91	341.27

टिप्पणी: 7.1 कंपनी ओड़िशा सरकार द्वारा मंजूरी प्राप्त पट्टे पर आधारित पंचपटमाली बॉक्साइट खान में अपनी खनन गतिविधियाँ प्रचालित कर रही है। पट्टा नवीकरण के संबंध में, कंपनी ने एनपीवी एवं प्रासंगिक भुगतानों को अदा किया है जिसे खनन अधिकारों के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीगत किया गया है और कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुसार सीधी रेखा आधार पर परिशोधन किया गया है।

8 क. विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
(i) खनन अधिकार	469.73	394.50
(ii) सॉफ्टवेयर	1.67	-
	471.40	394.50

टिप्पणी: 8.क.1 विकासाधीन खनन अधिकार में कोयला ब्लॉकों के आवंटन, कोयला ब्लॉकों के लिए एनपीवी और वन्य जीवन प्रबंधन योजना और कोयला खानों के लिए संबंधित सेवाओं बाबत वैधानिक प्राधिकरणों को भुगतान से संबंधित खर्च शामिल है। इसमें पोट्टांगी खानों के आवंटन के लिए ओड़िशा सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार विभिन्न विकास योजनाओं पर ओड़िशा सरकार को किए गए व्यय/भुगतान के लिए ₹322.78 करोड़ (पिछले वर्ष ₹250.11 करोड़) के पूर्व-परियोजना व्यय भी शामिल हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

8.ख. विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

8.ख.1 विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु — राशि करोड़ ₹ में

विवरण			अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगतिधीन परियोजना							
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	72.62	188.10	62.01	-	322.73
		31.03.2021 को यथा	188.10	62.01	-	-	250.11
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	2.94	10.40	108.23	25.43	147.00
		31.03.2021 को यथा	10.41	108.23	-	25.43	144.07
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा	1.67	-	-	-	1.67
		31.03.2021 को यथा	0.32	-	-	-	0.32
अस्थायी रूप से परियोजना निलंबित							
(क)	खान एवं परिशोधन संकुल	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा					-
(ख)	प्रद्रावक एवं विद्युत संकुल	31.03.2022 को यथा	-			-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
(ग)	अन्य	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
	कुल 31.03.2022 को यथा		**77.23**	**198.50**	**170.24**	**25.43**	**471.40**
	कुल 31.03.2021 को यथा		**198.83**	**170.24**	**-**	**25.43**	**394.50**

9. निवेश

राशि करोड़ ₹ में

				31.03.2022 यथा	31.03.2021 यथा
क.	**गैर-चालू**				
	क.1	**इक्विटी पद्धति के उपयोग हेतु इक्विटी साधनों में निवेश की गणना**			
		क.1.1	**सहयोगियों में निवेश**		
		क.1.2	**संयुक्त उद्यमों में लागत पर व्यापारिक निवेश**		
			अनुद्धृत निवेश		
		क)	उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड		
			(31.03.2022 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 2,00,00,000 शेयर, 31.03.2021 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 2,00,00,000 शेयर)	18.81	18.50
			कुल	**18.81**	**18.50**
			[₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,00,00,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 14.05.2020 को राइट इशू के अधीन उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है।]		
		ख)	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड		
			(31.03.2022 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2021 को यथा: ₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 1,62,23,900 शेयर)	0.61	0.64
			कुल	**0.61**	**0.64**
			[₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 9,60,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 12.06.2020 को राइट इशू के अधीन खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है]		
		ग)	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड		
			(31.03.2022 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर, 31.03.2021 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 1,62,23,900 शेयर)।	19.00	18.36
			कुल	**19.00**	**18.36**
		d)	घ) जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड		
			(31.03.2022 को यथा: ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर, 31.03.2021 को यथाः ₹10 प्रत्येक के पूर्ण-प्रदत्त 27,60,00,000 शेयर)।	272.55	274.03
			कुल	**272.55**	**274.03**
			[₹10 प्रत्येक पूर्ण प्रदत्त के 3,60,00,000 संख्यक इक्विटी शेयर दिनांक 16.02.2021 को राइट इशू के अधीन जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है]		
			संयुक्त उद्यमों में कुल निवेश	**310.97**	**311.53**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

9. निवेश (जारी)

संयुक्त उद्यमों का विवरण

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के प्रत्येक संयुक्त उद्यम का विवरण निम्नवत् है:

संयुक्त उद्यम का नाम		प्रधान गतिविधि एवं कारोबार का स्थान	स्वामित्व हित का समानुपात/कंपनी द्वारा धारित वोटिंग अधिकार	
			31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
(क)	उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	महत्वपूर्ण कार्यनीतिक एवं अन्य क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्क्रैप समेत सभी उच्च श्रेणी के एल्यूमिनियम मिश्र धातु उत्पादों का निर्माण, विपणन, विक्रय, क्रय, व्यापार, वितरण, आयात एवं निर्यात	50.00%	50.00%
(ख)	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	भारत के बाहर कार्यनीतिक खनिजों की पहचान, अन्वेषण, अर्जन, विकास, खनन, प्रक्रिया, प्रापण एवं विक्रय	40.00%	40.00%
(ग)	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	एल्यूमिनियम विशिष्ट अनुप्रवाह को ओड़िशा, भुवनेश्वर एवं ओड़िशा में प्रोत्साहन देना	49.00%	49.00%
(घ)	जीएसीएल-नालको अल्कालिज एण्ड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	कॉस्टिक सोड़ा का उत्पादन, वडोदरा, गुजरात	40.00%	40.00%

व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यमों के संबंध में वित्तीय जानकारी

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	यूएडीएनएल		केएबीआईएल		एएपीपीएल		जीएनएएल	
	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
गैर-चालू परिसंपत्ति	9.50	7.58	0.03	0.00	81.75	58.75	2,036.64	1,756.48
चालू परिसंपत्ति	28.19	29.63	1.50	1.58	29.68	53.43	290.56	147.10
गैल-चालू देयताएँ	-	-	-	-	-	34.01	-	1,069.88
चालू देयताएँ	0.06	0.20	0.02	0.01	39.20	40.68	116.28	148.60
परिसंपत्तियों एवं देयताओं की उपर्युक्त राशि में निम्नलिखित शामिल है:								
नकद और नकद समतुल्य	27.32	28.74	0.20	1.58	28.44	51.80	244.85	95.07
चालू वित्तीय देनदारियाँ (व्यापारिक देय एवं प्रावधान छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	114.13	133.83
गैर-चालू वित्तीय देनदारियाँ (व्यापारिक देय एवं प्रावधान छोड़कर)	-	-	-	-	-	-	1,529.52	1,069.88
राजस्व	1.37	0.75	-	-	1.87	1.43	0.62	0.59
सतत प्रचालनों से लाभ या हानि	0.62	0.26	(0.08)	(0.00)	1.30	1.01	(3.70)	(1.86)
वर्ष के लिए अन्य विशद आय	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए कुल विशद आय	0.62	0.26	(0.08)	(0.00)	1.30	1.01	(3.70)	(1.86)
वर्ष के लिए उक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल है:								
मूल्यह्रास एवं परिशोधन	0.08	0.07	-	-	-	-	0.87	0.19
व्याज आय	1.37	0.75	-	-	1.30	1.43	0.19	0.33
व्याज व्यय	-	-	-	-	0.02	-	0.14	-
आय कर व्यय/(आय)	0.03	0.11	0.02	0.00	0.52	0.39	-	0.15
संयुक्त उद्यम के हित में वहन राशि से संबंधित उक्त संक्षिप्त वित्तीय सूचना के पुनर्मिलान को समेकित वित्तीय विवरण में स्वीकृति दी गई है:								
संयुक्त उद्यम की शुद्ध परिसंपत्ति	37.63	37.01	1.50	1.57	38.79	37.49	681.41	685.10
संयुक्त उद्यम में समूह के स्वामित्व हित का समानुपात (%)	50%	50%	40%	40%	49%	49%	40%	40%
संयुक्त उद्यम में समूह के स्वामित्व हित का समानुपात (आईएनआर)	18.82	18.50	0.60	0.63	19.01	18.37	272.56	274.03
जोड़ें:-इक्विटी के विरुद्ध शेयर वारंट/अग्रिम का अतिरिक्त अंशदान	-	-	-	-	-	-	-	-
जोड़ें:-अधिग्रहण पर साखपत्र	-	-	-	-	-	-	-	-
घटाएं:-वसूली नहीं हुआ लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम की शुद्ध परिसंपत्ति में समूह का अंश	18.82	18.50	0.60	0.63	19.01	18.37	272.56	274.03
संयुक्त उद्यम में समूह के हित की वहन राशि	18.82	18.50	0.60	0.63	19.01	18.37	272.56	274.03

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

क.1.3 अन्य संस्थाओं में निवेश

राशि करोड़ ₹ में

अनुद्धृत निवेश	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
ओड़िशा कैपिटल मार्केट एण्ड एन्टरप्राइजेस लिमिटेड	0.03	0.03
(31.03.2022 को यथा ₹1 प्रत्येक पूर्ण-प्रदत्त के 2,89,000 शेयर)		
(31.03.2021 को यथा ₹1 प्रत्येक पूर्ण-प्रदत्त के 2,89,000 शेयर)		
कुल – अन्य संस्थाओं में निवेश	**0.03**	**0.03**
कुल - इक्विटी साधनों में निवेश	**311.00**	**311.56**
अतिरिक्त सूचना		
अनुद्धृत निवेशों की सकल अग्रेनीत राशि	311.00	311.56

ख. चालू

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2022 को यथा			31.03.2021 को यथा
म्यूचुअल फंड में निवेश	**'000 में एकक**	**एनएवी ₹ में**	**राशि ₹ करोड़ में**	**'000 में एकक**	**एनएवी ₹ में**	**राशि ₹ करोड़ में**
उद्धृत निवेश						
केनरा रेबेको लिक्विड फंड	119	1,005.50	12.00	239	1,005.50	24.05
बड़ौदा बीएनपी परिबास लिक्विड फंड	309	1,002.08	31.01	1,009	1,002.08	101.14
एसबीआई लिक्विड फंड	56	1,075.55	6.00	684	1,039.58	71.10
यूनियन लिक्विड फंड	150	1,000.79	15.00	520	1,000.79	52.09
कुल - अन्य चालू निवेश			**64.01**			**248.38**
अतिरिक्त सूचना						
उद्धृत निवेशों का सकल मूल्य			64.00			248.00
उद्धृत निवेशों का सकल बाजार मूल्य			64.01			248.38
अनुद्धृत निवेशों का सकल मूल्य			-			-
निवेशों के मूल्य में क्षति का सकल मूल्य			-			-
श्रेणी-वार वर्गीकरण			**31.03.2022 को यथा**			**31.03.2021 को यथा**
वित्तीय परिसंपत्तियों (उद्धृत निवेश) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर अनिवार्य रूप से परिमित			64.01			248.38
			64.01			**248.38**

10 क- व्यापारिक प्राप्य

राशि करोड़ ₹ में

क.	**गैर-चालू**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
(क)	अच्छा माना गया - सुरक्षित	-	-
(ख)	अच्छा माना गया - असुरक्षित	-	-
(ग)	ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
(घ)	ऋण क्षति	36.90	37.11
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	36.90	37.11
गैर-चालू व्यापारिक प्राप्य		-	-
ख.	**चालू**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
(क)	अच्छा माना गया - सुरक्षित	-	-
(ख)	अच्छा माना गया - असुरक्षित	75.25	147.39
(ग)	ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	20.24	20.24
	घटाएं: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	20.24	20.24
चालू व्यापारिक प्राप्य		75.25	147.39

टिप्पणियाँ:

10.क.1 माल (एल्यूमिना और एल्यूमिनियम) की बिक्री ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम या ऋण-पत्र के विरुद्ध की जाती है। ग्राहक से प्राप्त अग्रिम बिक्री पर समायोजित होती है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए औसत उधारी अवधि मीटरिंग की तिथि से 30 दिनों की होती है, जिसे संग्रह अवधि माना जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

10.क.2 ग्राहक जो व्यक्तिगत रूप से 31.03.2022 को यथा कुल व्यापारिक प्राप्य के 5% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं:

ग्राहक		ग्राहक की श्रेणी	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
क.	एपीएसपीडीसीएल	पवन विद्युत	49%	19%
ख.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लि.	पवन विद्युत	13%	-
ग.	गुप्ता पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	पवन विद्युत	12%	-
घ.	आरडीपीपीसी, देवीकोट, राजस्थान	पवन विद्युत	-	12%
ङ.	दुबई एल्यूमिनियम पीजेएससी	एल्यूमिना	-	44%

10.क.3 मामला-दर-मामला के आधार पर व्यापारिक प्राप्य के लिए प्रत्याशित ऋण हानि भत्ते के संगणन के द्वारा कंपनी ने एक व्यावहारिक तरीका अपनाया है। चूंकि एल्यूमिना और एल्यूमिनियम की बिक्री के लिए कोई उधारी अवधि नहीं है और बिक्री या तो अग्रिम के विरुद्ध की जाती है या ग्राहक द्वारा दिए गए साख-पत्र (एलसी) की मदद से की जाती है, ऐसे प्राप्यों के लिए कोई उधारी हानि अपेक्षित नहीं है। पवन विद्युत की बिक्री के लिए, हालांकि कोई उधारी व्यवस्था नहीं है, परंतु कंपनी उधारी हानि अनुभव के आधार पर और अग्रदर्शी सूचना के आधार पर उधारी हानि का आकलन करती है।

10.क.4 व्यापारिक प्राप्य बैंकों से नकद ऋण सुविधा के तहत बंधक/गिरवी रखे गए है।

10. ख. व्यापारिक प्राप्य की आयु

(क)	आयु जब भुगतान की नियत तिथि निर्दिष्ट हो							राशि करोड़ ₹ में
			भुगतान की नियत तिथि से बकाया					
क्रम सं.	विवरण		6 महीने से कम	6 महीने -1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	अविवादित व्यापारिक प्राप्य-अच्छा माना गया	31.03.2022 को यथा	45.89	21.07	2.83	5.46	-	75.25
		31.03.2021 को यथा	136.08	5.45	5.46	0.38	0.02	147.39
(ii)	अविवादित व्यापारिक प्राप्य-ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-	-
(iii)	अविवादित व्यापारिक प्राप्य-ऋण क्षति	31.03.2022 को यथा			0.74	11.6	7.9	20.24
		31.03.2021 को यथा		0.74	11.6	7.4	0.5	20.24
(iv)	विवादित व्यापारिक प्राप्य-अच्छा माना गया	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-	-
(v)	विवादित व्यापारिक प्राप्य- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-	-
(vi)	विवादित व्यापारिक प्राप्य-ऋण क्षति	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	36.90	36.90
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	37.11	37.11
31.03.2022 को यथा			45.89	21.07	3.57	17.06	44.80	132.39
31.03.2021 को यथा			136.08	6.19	17.06	7.78	37.63	204.74

11- ऋण

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
	(क)	कर्मचारियों को ऋण		
		सुरक्षित, अच्छा माना गया	67.64	66.48
		असुरक्षित, अच्छा माना गया	19.51	19.26
	(ख)	अन्य को ऋण		
		सुरक्षित, अच्छा माना गया	0.23	0.21
कुल गैर-चालू ऋण			87.38	85.95
ख.	**चालू**		**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(क)	कर्मचारियों को ऋण		
		अच्छा माना गया, सुरक्षित	17.12	17.71
		अच्छा माना गया, असुरक्षित	11.14	9.47
	(ख)	संबंधित पक्षों को ऋण	0.09	0.01
		अच्छा माना गया –सुरक्षित [टिप्पणी 11.2 देखें]		
	(ग)	अन्य को ऋण		
		अच्छा माना गया –सुरक्षित	4.66	2.97
	घटाएं: खराब एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते		0.09	
कुल चालू ऋण			**32.92**	**30.16**

टिप्पणियाँ:

11.1 कर्मचारियों और अन्य को ऋण परिशोधन लागत पर वहन किया जाता है। आस्थगित कर्मचारी लाभ बाजार की व्याज दर की तुलना में ऋण पर व्याज दर कम होने के कारण लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। इसे ऋण की बची अवधि के दौरान एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है।

11.2 संबंधित पक्ष (निदेशकों) से बकाया ऋण की राशि कंपनी से उनकी कर्मचारी क्षमता के रूप में अग्रिम में लिए गए मोटर वाहन और गृह निर्माण की राशि है। इन ऋणों पर आगे की सूचना टिप्पणी-39 संबंधित पक्ष प्रकटन में निर्दिष्ट है।

11.3 कर्मचारी को ऋण गृह संपत्ति के गिरवी रखने और वाहनों के बंधक रखने के प्रति प्रतिभूत किया जाता है जिसके लिए कंपनी की नीति के अनुसार ऐसा ऋण प्रदान किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

12-	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ		राशि करोड़ ₹ में
क.	**गैर-चालू**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	प्रतिभूति जमा	9.18	11.24
	खान बंदी जमा	0.56	-
	कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9.74	11.24
ख.	**चालू**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(क) कर्मचारियों को अग्रिम	-	-
	(ख) बीमा दावा प्राप्य और अन्य	7.22	7.22
	(ग) उपदान (निधिबद्ध)	22.17	-
	सकल - अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**29.39**	**7.22**
	घटाएं: खराब और संदिग्ध के लिए भत्ते, अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ		
	(क) बीमा दावे	7.22	7.22
	खराब और संदिग्ध के लिए कुल भत्ते - अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**7.22**	**7.22**
	शुद्ध अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**22.17**	**-**
	अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण:		
	असुरक्षित, अच्छा माना गया	22.17	-
	संदग्धि माना गया	7.22	7.22
	सकल अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	**29.39**	**7.22**

टिप्पणी :

12.1 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ परिशोधित लागत पर ली गई हैं।

13-	चालू कर परिसंपत्तियाँ		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	**31.03.2021 को यथा**
	आय कर (शुद्ध)	55.38	85.50
	कुल चालू कर परिसंपत्तियाँ	**55.38**	**85.50**

13.1 ₹ 203.95 करोड़ (पिछला वर्ष ₹124.55 करोड़) के कर प्रावधान का शुद्ध

14-	अन्य परिसंपत्तियाँ		राशि करोड़ ₹ में
क.	**गैर-चालू**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(क) पूंजी अग्रिम	493.65	240.61
	(ख) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
	सरकारी प्राधिकारियों के पास अग्रिम		
	(1) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, पत्तन न्यास आदि	179.71	170.60
	(2) आयकर प्राधिकारी के पास जमा (शुद्ध)	109.53	326.80
	(3) अन्य सरकारी प्राधिकारियों	6.01	3.52
	(ग) अन्य		
	पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
	(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	15.50	16.63
	सकल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	804.40	758.16
	घटाएँ: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते		
	(क) पूंजी अग्रिम	0.01	0.26
	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु कुल भत्ते	0.01	0.26
	कुल अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	804.39	757.90

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

14-	अन्य परिसंपत्तियाँ (जारी)			राशि करोड़ ₹ में
ख.	चालू		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
	पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम			
	(क)	सांविधिक प्राधिकारियों के पास दावे		
		(1) निर्यात प्रोत्साहन दावे	71.42	28.53
		(2) नवीकरणीय स्रोत से सृजित विद्युत पर सृजन आधारित प्रोत्साहन एवं नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	5.10	2.94
		(3) वैट, सेनवेट एवं जीएसटी क्रेडिट वसूली योग्य	295.64	332.80
		(4) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	7.68	8.84
	(ख)	पूर्व भुगतान किए गए व्यय		
		(1) आस्थगित कर्मचारी लाभ [टिप्पणी 11.1 देखें]	2.04	2.39
		(2) अन्य पूर्व प्रदत्त व्यय	9.34	4.91
	(ग)	उपलब्ध स्टैम्प	0.01	0.01
	(घ)	अन्य प्राप्य	1.07	1.23
	(ङ)	अन्य अग्रिम		
		(1) कर्मचारियों को अग्रिम	38.22	29.23
		(2) आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	656.34	363.20
		(3) अन्य	4.16	3.84
	सकल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		**1,091.02**	**777.92**
	घटाएँ: अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु भत्ते			
	(क)	वैट और सेनवेट क्रेडिट वसूली योग्य	197.81	197.81
	(ख)	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं रेलवे अधिकारियों से प्राप्य दावे	5.98	7.09
	(ग)	अन्य प्राप्य	0.36	0.39
	(घ)	आपूर्तिकर्ताओं एवं सेवा-प्रदाताओं को अग्रिम	2.02	2.02
	(ङ)	अन्य	1.82	1.81
	अन्य चालू परिसंपत्तियों के लिए खराब एवं संदिग्ध हेतु कुल भत्ते		**207.99**	**209.12**
	कुल अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		**883.03**	**568.80**

15-	मालसूची		राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
(क)	कच्चे माल	161.03	72.69
	(1) लागत	161.03	72.69
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(ख)	कोयला और ईंधन तेल	170.82	215.62
	(1) लागत	170.82	215.62
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(ग)	कार्बन एनोड (मध्यवर्ती वस्तुएँ)	136.67	118.57
	(1) लागत	136.67	118.57
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(घ)	प्रगतिधीन कार्य	319.04	298.35
	(1) लागत	319.04	298.35
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(ङ)	तैयार वस्तुएँ	542.47	464.43
	(1) लागत	542.47	464.43
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(च)	भंडार एवं पुर्जे	299.23	292.84
	(1) लागत	299.23	292.84
	(2) घटाएं: प्रावधान		
(छ)	स्क्रैप	16.91	13.82
	(1) लागत	16.91	13.82
	(2) घटाएं: प्रावधान		
कुल मालसूची		**1,646.17**	**1,476.32**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

15- मालसूची (जारी)			राशि करोड़ ₹ में
ऊपर शामिल, मार्गस्थ मालः		**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(i)	कच्चे माल	20.79	4.15
	(ii)	कोयला एवं ईंधन तेल	57.79	25.12
	(iii)	भंडार और पुर्जे	6.31	4.45
कुल मार्गस्थ माल			**84.89**	**33.72**

टिप्पणी:

15.1 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत ₹4,603.84 करोड़ है (पिछले वर्षः ₹3,806.06 करोड़) है।

15.2 वर्ष के दौरान व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की लागत में गैर-सचल वस्तुओं के लिए मालसूची के बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में ₹1.46 करोड़ (पिछले वर्षः ₹2.00 करोड़) शामिल है।

15.3 ये मालसूचियाँ बैंकों से नकद-ऋण सुविधा के विरुद्ध बन्धक/वचनबद्ध हैं।

15.4 मालसूचियों के मूल्य-निर्धारण की पद्धति 3.10 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में वर्णित है।

16. क- नकद एवं नकद समतुल्य			राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	**31.03.2021 को यथा**
	बैंक में शेष		
	(1)	अनुसूचित बैंकों में शेष		
		(i) चालू खाते में	412.80	213.52
कुल नकद एवं नकद समतुल्य			**412.80**	**213.52**

16. ख- बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)			
		31.03.2022 को यथा	**31.03.2021 को यथा**
क)	जमा खाते में (मूल परिपक्वता 3-12 महीने के बीच वाले)	3,217.37	1,463.00
	मूलधन	3,156.00	1,446.00
	प्रोद्भूत ब्याज	61.37	17.00
(ख)	अनुसूचित बैंक में निश्चित किए गए शेष	75.90	73.26
कुल अन्य बैंक शेष		**3,293.27**	**1,536.26**

टिप्पणी:

16.ख.1 अनुसूचित बैंकों में निश्चित किए गए शेष ₹75.90 करोड़ (पिछले वर्षः ₹73.26 करोड़) में दावाहीन लाभांश राशि ₹4.29 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3.87 करोड़) शामिल है। शेष राशि ₹71.61 करोड़ (पिछले वर्ष ₹69.39 करोड़) ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के अनुदेश के तहत भारतीय स्टेट बैंक के पास जमा का प्रतिनिधित्व करते हैं।

16.ख.2 चालू वर्ष के अंत में निवेशक की शिक्षा और सुरक्षा निधि में जमा करने के लिए देय राशि ₹शून्य है (पिछले वर्ष ₹शून्य)।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

17- शेयर पूंजी		राशि करोड़ ₹ में
	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
अधिकृत शेयर पूँजीः		
31.03.2022 को यथाः₹5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर		
[31.03.2021 को यथाः ₹5 प्रत्येक के 6,00,00,00,000 इक्विटी शेयर]	3,000.00	3,000.00
	3,000.00	**3,000.00**
जारी और अभिदत्त पूंजी में शामिल हैः		
₹5 प्रत्येक के 1,83,66,31,787 पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर		
[31.03.2021 को यथा: ₹5 प्रत्येक 1,83,66,31,787 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयर]	918.32	918.32
	918.32	**918.32**

17.1 इक्विटी शेयरों की संख्या का पुनर्मिलान		
	शेयरों की संख्या	राशि करोड़ ₹ में
31.03.2020 को यथा शेष	**1,86,56,17,498**	**932.81**
वर्ष के दौरान परिवर्तन शेयरों की वापस खरीद	(2,89,85,711)	(14.49)
31.03.2021 को यथा शेष	**1,83,66,31,787**	**918.32**
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2022 को यथा शेष	**1,83,66,31,787**	**918.32**

(i) कंपनी के पास केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिसके प्रत्येक का मूल्य ₹5 के समान है। प्रत्येक इक्विटी शेयरधारक के पास एक मत या वोट प्रति शेयर का अधिकार है एवं उनकी धारिता पर आधारित कंपनी द्वारा घोषित लाभांश का समानुपातिक अधिकार इस पर है।

(ii) प्रति क्रय:

वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूंजी ₹966.46 करोड़ से घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने ₹5 प्रत्येक के 2,89,85,711 संख्यक इक्विटी शेयरों की वापस खरीद की जिससे इक्विटी शेयर पूंजी ₹932.81 करोड़ से पुनः घटकर ₹918.32 करोड़ रह गई।

(iii) विनिवेशः

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने 27,77,65,383 संख्यक पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर (ओएफएस के माध्यम से 17,80,69,927 संख्यक, कर्मचारी प्रस्ताव के माध्यम से 76,17,057 संख्यक एवं ईटीएफ के माध्यम से 9,20,78,399 संख्यक) का विनिवेश किया, जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2017 को 1,44,14,82,490 संख्यक (74.58%) से घटकर 31.03.2018 को 1,16,37,17,107 संख्यक (60.2%) रह गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान, भारत सरकार ने फिर से भारत ईटीएफ के माध्यम से 8,89,86,323 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है। 2018-19 के दौरान भारत सरकार द्वारा ईटीएफ के माध्यम से शेयरों की वापस खरीद एवं अंतरण के कारण भारत सरकार की धारिता 31.03.2018 के 1,16,37,17,107 संख्यक (60.20%) से घटकर 31.03.2019 को 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) रह गई।

वर्ष 2019-20 के दौरान, भारत सरकार ने भारत 22 ईटीएफ के माध्यम से 92,88,506 संख्यक इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया है जिसके फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2019 के 97,00,81,517 संख्यक (51.99%) से 31.03.2020 को घटकर 96,07,93,011 संख्यक (51.50%) रह गई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, इक्विटी शेयरों की वापस खरीद के फलस्वरूप भारत सरकार की धारिता 31.03.2020 के 96,07,93,011 संख्यक (51.5%) से 31.03.2021 को घटकर 94,17,93,011 संख्यक (51.28%) रह गई है।

17.2 प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का विवरण				राशि करोड़ ₹ में
	31.03.2022 को यथा		31.03.2021 को यथा	
	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %	धारित शेयरों की संख्या	धारित इक्विटी शेयरों का %
पूर्ण-प्रदत्त इक्विटी शेयर				
भारत सरकार	94,17,93,011	51.28%	94,17,93,011	51.28%
कुल	**94,17,93,011**	**51.28%**	**94,17,93,011**	**51.28%**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

18 अन्य इक्विटी			राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
(क)	पूंजी मोचन आरक्षित	370.30	370.30
(ख)	सामान्य आरक्षित	7,942.98	7,942.98
(ग)	प्रतिधारित आय	3,320.79	1,447.41
कुल		**11,634.07**	**9,760.69**

अन्य इक्विटी	आरक्षित एवं अधिशेष			
	पूंजी मोचन आरक्षित	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	कुल
01.04.2020 को यथा शेष	**355.81**	**8,113.10**	**584.78**	**9,053.69**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	1,299.41	1,299.41
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.83	23.83
वर्ष के लिए कुल विशद आय	**-**	**-**	**1,323.24**	**1,323.24**
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर प्रीमियम	-	(152.18)	-	(152.18)
इक्विटी शेयरों की वापस खरीद पर व्यय (करों का शुद्ध)	-	(3.45)	-	(3.45)
सामान्य आरक्षित का पूंजी मोचन आरक्षित में अंतरण	14.49	(14.49)	-	-
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(460.61)	(460.61)
31.03.2021 को यथा शेष	**370.30**	**7,942.98**	**1,447.41**	**9,760.69**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	2,951.41	2,951.41
अन्य विशद आय (करों का शुद्ध)	-	-	23.95	23.95
वर्ष के लिए कुल विशद आय	**-**	**-**	**2,975.36**	**2,975.36**
पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश	-	-	(183.66)	(183.66)
वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश	-	-	(918.32)	(918.32)
31.03.2022 को यथा शेष	**370.30**	**7,942.98**	**3,320.79**	**11,634.07**

18.2 वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी ने 4 दिसंबर, 2018 को ₹75 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 6,73,11,386 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹504.83 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में ₹33.65 करोड़ की कमी आई है जो ₹966.46 करोड़ से घटकर ₹932.81 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹471.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 7 दिसंबर, 2018 को समाप्त हो गए थे एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹33.65 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि से पूंजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित की गई है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने 10 मार्च, 2021 को ₹57.50 प्रति शेयर के प्रस्ताव मूल्य पर ₹5 प्रत्येक के 2,89,85,711 संख्यक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की खरीद की। एकीकृत भुगतान किया गया मूल्य ₹166.67 करोड़ था। पुनः खरीद के बाद कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में ₹14.49 करोड़ की कमी आई है जो ₹932.81 करोड़ से घटकर ₹918.32 करोड़ रह गई। प्रीमियम राशि ₹152.18 करोड़ सामान्य आरक्षित निधि से ली गई है। शेयर 17 मार्च, 2021 को समाप्त हो गए थे एवं कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ₹14.49 करोड़ की राशि सामान्य आरक्षित निधि से पूंजी विमोचन आरक्षित निधि में अंतरित की गई है।

18.3 वर्ष के दौरान कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, 25 अक्टूबर, 2021 को ₹1.00 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से ₹183.66 करोड़ की राशि के अंतिम लाभांश का भुगतान किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 10 दिसंबर, 2021 को ₹2.00 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से ₹367.33 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश के पहले चरण का भी भुगतान किया। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 4 मार्च, 2022 को ₹3.00 प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से ₹550.99 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभांश के दूसरे चरण का भुगतान किया गया, जिससे कुल भुगतान ₹918.32 करोड़ है। पिछले वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, पहले चरण के लिए ₹93.28 करोड़ और दूसरे चरण के लिए ₹367.33 करोड़ की राशि के अंतरिम लाभाश का भुगतान किया है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

19 क- पट्टा देयता

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
गैर-चालू पट्टा देयता	50.91	50.48
चालू पट्टा देयता	5.52	5.49
कुल पट्टा देयताएँ	**56.43**	**55.97**

19 ख- पट्टा देयता में संचलन

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
प्रारंभ में शेष	55.97	55.47
वर्ष के दौरान संयोजन	0.56	-
वर्ष के दौरान संयोजित वित्त लागत	4.13	4.01
पट्टा देयता का भुगतान	4.23	3.51
अंत में शेष	**56.43**	**55.97**

20- उधारी

राशि करोड़ ₹ में

चालू (सुरक्षित) (परिशोधित लागत पर)	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
छूट दिए गए बिलों की देनदारियाँ	20.67	46.11
कुल अन्य चालू वित्तीय देनदारियाँ	20.67	46.11
20.1 मालसूचियों और व्यापारिक प्राप्यों के बंधक द्वारा सुरक्षित		

21 क- व्यापारिक देय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
क.	**गैर-चालू**		
(1)	आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	-	-
	- अन्य	23.61	37.70
कुल गैर-चालू व्यापारिक देय		**23.61**	**37.70**
ख.	**चालू**		
(1)	आपूर्ति और सेवाओं के लिए लेनदार		
	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	31.50	11.70
	- अन्य	788.52	702.45
	उपार्जित मजदूरी और वेतन	637.08	225.39
कुल चालू व्यापारिक देय		**1,457.10**	**939.54**

टिप्पणियाँ:

21.1 व्यापार और अन्य देय पुष्टिकरण/पुनर्मिलान और फलस्वरूप समाशोधन, यदि कोई है, के अधीन है।

21.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय बकाया का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसे पक्ष की पहचान के तहत किया गया है। व्यापारिक देय (टिप्पणी-21) एवं अन्य वित्तीय देनदारियों (टिप्पणी-22) में सम्मिलित ऐसे बकायों के संबंध में उक्त अधिनियम के अनुसरण में प्रकटन निम्नवत है:

राशि करोड़ ₹ में

विवरण		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
i)	बकाया मूलधन	31.50	11.70
ii)	बकाया मूलधन पर ब्याज	शून्य	शून्य
iii)	नियत दिन के बाद भुगतान किया गया ब्याज और मूलधन	शून्य	शून्य
iv)	देय ब्याज राशि एवं भुगतान में विलंब (जो भुगतान किया गया, परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) की अवधि के लिए परंतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज राशि जोड़े बिना	शून्य	शून्य
v)	वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज की राशि एवं भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य
vi)	आगे और ब्याज की राशि बाद के वर्षों की ऐसी तिथि तक बकाया एवं देय है जब तक कि उपर्युक्त अनुसार देय ब्याज एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अन्तर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के प्रयोजन हेतु लघु उद्यमों को वस्तुतः भुगतान नहीं कर दिया जाता।	शून्य	शून्य

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

21 ख- व्यापारिक देय की आयु

राशि करोड़ ₹ में

(क)	आयु जब भुगतान की नियत तिथि निर्दिष्ट है						
(ख)	आयु जब भुगतान की नियत तिथि निर्दिष्ट नहीं है						
क्रम सं.	विवरण		भुगतान की नियत तिथि से बकाया				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	31.03.2022 को यथा	13.05	-	-	-	13.05
		31.03.2021 को यथा	12.39	-	-	-	12.39
(ii)	अन्य	31.03.2022 को यथा	61.33	99.61	22.51	370.97	554.42
		31.03.2021 को यथा	3.43	38.56	382.65	90.29	514.93
(iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई	31.03.2022 को यथा	0.69	0.72	-	-	1.41
		31.03.2021 को यथा	0.72	-	-	-	0.72
(iv)	विवादित बकाया-अन्य	31.03.2022 को यथा	0.06	0.12	0.16	74.25	74.59
		31.03.2021 को यथा	-	0.07	0.11	65.44	65.62
	कुल 31.03.2022 को यथा		75.13	100.45	22.67	445.22	643.47
	कुल 31.03.2021 को यथा		16.54	38.63	382.76	155.73	593.66

(ग)- बिल नहीं किए गए बकायों की आयु

राशि करोड़ ₹ में

क्रम सं.	विवरण		भुगतान की नियत तिथि से बकाया				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	31.03.2022 को यथा	76.54	16.43	6.62	6.71	106.30
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
(ii)	अन्य	31.03.2022 को यथा	610.23	65.20	14.81	40.70	730.94
		31.03.2021 को यथा	119.25	65.28	37.25	161.80	383.58
(iii)	विवादित बकाया-एमएसएमई	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित बकाया-अन्य	31.03.2022 को यथा	-	-	-	-	-
		31.03.2021 को यथा	-	-	-	-	-
	कुल 31.03.2022 को यथा		**686.77**	**81.63**	**21.43**	**47.41**	**837.24**
	कुल 31.03.2021 को यथा		**119.25**	**65.28**	**37.25**	**161.80**	**383.58**

22- अन्य वित्तीय देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

क.	**गैर-चालू**		**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	पूंजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार			
	- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया		-	-
	- अन्य		88.57	36.07
कुल अन्य गैर-चालू वित्तीय देयताएँ			88.57	36.07
ख.	**चालू**		**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
(क)	अदत्त लाभांश		4.29	3.87
(ख)	अन्य देयताओं के लिए लेनदार			
	(1)	पूंजी आपूर्ति एवं सेवाओं के लिए लेनदार		
		- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बकाया	-	-
		- अन्य	316.13	211.01
	(2)	ग्राहकों से प्रतिभूति जमा	4.95	3.88
	(3)	ग्राहकों को बकाये की वापसी	34.67	7.61
	(4)	ग्राहकों को बिक्री पर छूट के लिए देयताएँ	140.21	67.27
	(5)	कर्मचारी वसूली	0.10	0.27
कुल अन्य चालू वित्तीय देयताए			**500.35**	**293.91**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

23. प्रावधान

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू			31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
	(क)	कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान			
		(1)	सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
			(i) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	152.83	147.48
			(ii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	13.73	16.02
			(iii) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	2.15	2.21
			(iv) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	8.88	9.51
			(v) सेवानिवृत्ति उपहार	5.36	6.17
		(2)	अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ		
			(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ (टिप्पणी 23.4 देखें)	-	375.78
			(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कर	11.55	12.83
			(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	25.51	25.54
	(ख)	अन्य प्रावधान			
		(1)	परिसंपत्ति बहाली दायित्व/ विखंडन	40.59	37.42
		(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	0.38	0.38
	कुल गैर-चालू प्रावधान			**260.98**	**633.34**
ख.	**चालू**			**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
	(क)	कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान			
		(1)	सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व		
			(i) उपदान (निधिबद्ध)	-	10.63
			(ii) सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)	9.48	7.85
			(iii) सेवानिवृत्ति पर बंदोबस्ती लाभ	3.79	3.57
			(iv) नालको हितकारी निधि योजना (एनबीएफएस)	0.48	0.51
			(v) नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना (एनआरडब्ल्यूएस)	2.90	2.87
			(vi) सेवानिवृत्ति उपहार	1.17	0.99
		(2)	अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभ		
			(i) क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	18.99	54.59
			(ii) लम्बी सेवा का पुरस्कर	0.93	0.30
			(iii) नालको कर्मचारी परिवार वित्तीय सहयोग पुनःस्थापन योजना (एनईएफएफएआरएस)	9.84	6.34
	(ख)	अन्य प्रावधान			
		(1)	परिधीय विकास व्यय के संबंध में	30.30	30.47
		(2)	अन्य कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व के संबंध में	49.07	41.34
	कुल चालू प्रावधान			**126.95**	**159.46**

ग. प्रावधानों का संचलन

(1) सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व का संचलन [टिप्पणी 32 का संदर्भ लें]

(2) कर्मचारी लाभों का संचलन

राशि करोड़ ₹ में

	क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ	दीर्घावधि पुरस्कार	एनईएफएफएआरएस
31.03.2020 को यथा शेष	**427.57**	**11.54**	**32.09**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	126.18	1.35	20.57
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(106.42)	(1.06)	(20.78)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	(16.96)	1.3	-
31.03.2021 को यथा शेष	**430.37**	**13.13**	**31.88**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	121.28	1.49	31.59
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	(112.33)	(0.92)	(28.12)
पुनःमापन से उत्पन्न परिवर्तन	25.62	(1.22)	-
अन्य (टिप्पणी 23.4 देखें)	(445.95)	-	-
31.03.2022 को यथा शेष	**18.99**	**12.48**	**35.35**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

(3) अन्य प्रावधानों का संचलन			
	परिसंपत्ति बहाली दायित्व	कानूनी एवं रचनात्मक दायित्व	परिधीय विकास व्यय
31.03.2020 को यथा शेष	**34.17**	**31.08**	**31.03**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.70	14.67	-
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	-	(4.08)	(0.56)
छूट का फैलाव	2.55	0.05	-
31.03.2021 को यथा शेष	**37.42**	**41.72**	**30.47**
अतिरिक्त प्रावधानों की स्वीकृति	0.11	12.53	-
भुगतानों से उत्पन्न कटौतियाँ	-	(4.95)	(0.17)
छूट का फैलाव	3.06	0.15	-
31.03.2022 को यथा शेष	**40.59**	**49.45**	**30.30**

टिप्पणी : 23.1 सेवानिवृत्ति एवं अन्य दीर्घमियादी कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान भुगतान अनुदान अधिनियम 1972 के अनुसार उपदान (ग्रेचुइटी) एवं कंपनी के नियमों के अनुसार अन्य लाभ के लिए प्रदान किए गए। इनके लिए स्वतंत्र बीमांकक के बीमांकिक आकलन के आधार पर देयता की स्वीकृति दी गई है।

23.2 परिसंपत्ति बहाली दायित्व एवं रचनात्मक दायित्व के लिए प्रावधान क्रमशः इंड एएस 16: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं इंड एएस 37: प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के अनुरूप प्रबंधन के आकलन के आधार पर किया गया है।

23.3 परिधीय विकास व्यय के लिए प्रावधान, कंपनी अधिनियम, 2013 के आगमन से पूर्व कंपनी का अव्ययित विकास दायित्व है।

23.4 वर्तमान वर्ष के दौरान, कंपनी ने एलआईसी-जीएलएस (ग्रुप लीव इनकैशमेंट स्कीम) को लेते हुए योजना परिसंपत्तियों के रूप में एलआईसी को ₹445.95 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) को निधिबद्ध किया है।

24. अन्य देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

क.	गैर-चालू		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
(i)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा		101.26	98.27
(ii)	अन्य (टिप्पणी 24.1 देखें)		230.50	230.50
कुल अन्य गैर-चालू देयताएँ			**331.76**	**328.77**
ख.	**चालू**			
(i)	अग्रिम में प्राप्त राजस्व		125.57	97.27
(ii)	सांविधिक एवं अन्य बकाये			
	(क)	विद्युत प्रभार	108.49	107.47
	(ख)	स्रोत पर कर कटौती एवं संग्रह	36.05	29.35
	(ग)	एनईपीएफ न्यास एवं एनपीएस में अंशदान	41.07	43.58
	(घ)	स्टाम्प शुल्क बाबत बकाया	212.78	212.78
	(ङ)	अन्य (सेवा कर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, रॉयल्टी आदि)	356.01	63.71
(iii)	नवीकरणीय ऊर्जा क्रय दायित्व		68.71	24.99
(iv)	एनईएफएफएआरएस के अन्तर्गत जमा (टिप्पणी 24.2 देखें)		38.94	25.20
(v)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुदान		0.48	0.51
(vi)	अन्य ऋण शेष		0.45	0.43
कुल अन्य चालू देयताएँ			**988.55**	**605.29**

टिप्पणी: 24.1 माननीय सीईएसटीएटी, कोलकाता ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कंपनी के पक्ष में स्वच्छ ऊर्जा उपकर के लिए ₹230.50 करोड़ को वापस लौटाने का आदेश जारी किया था। इसी प्रकार के मसले पर पहले के विभिन्न निर्णयों के तहत जहां लाभार्थी को उच्च स्तर की अनिश्चितता के संलिप्त रहने के कारण लाभ की अनुमति नहीं दी गई है, कंपनी ने विवाद के अंतिम परिणाम नहीं आने तक उक्त राशि को देयता के रूप में स्वीकृति देने को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा, विभाग ने उड़ीसा के माननीय उच्च न्यायालय में सीईएसटीएटी, कोलकाता के जारी आदेश को चुनौती दी है।

24.2 कंपनी (एनईएफएफएआर योजना के अनुसार कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो गई है या विकलांग हो चुके हैं, के आश्रित से) जमा राशि प्राप्त करती है जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 की प्रयोज्यता के संबंध में छूट प्राप्त करने के लिए कंपनी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को आवेदन करने की प्रक्रिया में है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

25. आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
आस्थगित कर देयताएँ			1,090.08	1,145.60
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ			221.90	251.88
			868.18	893.72
2020-21	**01.04.2020 को प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य विशद आय में स्वीकृत**	**31.03.2021 को अंतिम शेष**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,573.82)	433.37	-	(1,140.45)
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(11.33)	-	6.18	(5.15)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,585.15)**	**433.37**	**6.18**	**(1,145.60)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	149.40	(41.08)	-	108.32
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	90.82	(24.70)	-	66.12
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	89.02	(20.01)	-	69.01
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	2.36	1.96	-	4.32
अनुभाग 43 ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	188.52	(187.59)	-	0.93
अन्य	4.42	(1.24)	-	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**524.54**	**(272.66)**	**-**	**251.88**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ- (शुद्ध)	**(1,060.61)**	**160.71**	**6.18**	**(893.72)**
2021-22	**01.04.2020 को प्रारंभिक शेष**	**लाभ या हानि में स्वीकृत**	**अन्य विशद आय में स्वीकृत**	**31.03.2021 को अंतिम शेष**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर देयताएँ:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	(1,140.45)	78.82	-	(1,061.63)
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान (ओसीआई)	(5.15)	-	(23.30)	(28.45)
आस्थगित कर देयताएँ	**(1,145.60)**	**78.82**	**(23.30)**	**(1,090.08)**
निम्न से संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ:				
क्षतिपूरित अनुपस्थितियों एवं अन्य कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	108.32	(103.54)	-	4.78
परिभाषित लाभ दायित्व के लिए प्रावधान	66.12	19.35	-	85.47
संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	69.01	(0.32)	-	68.69
एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.32	(0.27)	-	4.05
अनुभाग 43ख के प्रयोग के कारण अस्थायी अन्तर	0.93	54.80	-	55.73
अन्य	3.18	-	-	3.18
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	**251.88**	**(29.98)**	**-**	**221.90**
आस्थगित कर (देयताएँ)/परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	**(893.72)**	**48.84**	**(23.30)**	**(868.18)**

टिप्पणी: भारत सरकार द्वारा कराधान कानून अध्यादेश, 2019 के माध्यम से सूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अनुपालन में, कंपनी के पास वर्ष 2020-21 के दौरान अन्य कर प्रोत्साहनों को छोड़कर कम कर दर में स्थानांतरित करने का एक अपरिवर्तनीय और आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115जेबी के तहत न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की गैर-प्रयोज्यता विकल्प उपलब्ध थी। कंपनी ने करों की कम दरों के लिए वित्त वर्ष 2020-21 (आकलन वर्ष 2021-22 से संबंधित) के दौरान उक्त विकल्प का निष्पादन किया है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को इसी अनुसार मापा गया था। वित्त वर्ष 2020-21 के आस्थगित कर पर करों की दर में ऐसे परिवर्तन का प्रभाव ₹345.15 करोड़ था। वर्तमान वर्ष के लिए प्रयोज्य दर 25.168% (पिछला वर्ष 25.168%) है।

26. आकस्मिक देयताएँ (प्रदान नहीं की गई सीमा तक)

राशि करोड़ ₹ में

			31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया				
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**			
	1.	ओड़िशा विक्रय कर	4.09	3.72
	2.	केन्द्रीय विक्रय कर	280.55	281.01
	3.	वीएटी	12.64	12.64
	4.	उत्पाद शुल्क	410.44	410.44
	5.	सीमा शुल्क	102.77	104.47
	6.	सेवा कर	14.82	21.98
	7.	आय कर	223.75	162.66
	8.	प्रवेश कर	222.21	221.37
	9.	सड़क कर	2.65	2.65
	10.	स्टांप ड्यूटी	0.51	0.51
	11.	सरकार से दावा (एनजीटी)	109.01	62.30
	12.	पीएसयू से दावा	322.92	247.59
	13.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	78.07	73.73
	14.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार	136.32	136.32
	15	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार	119.24	119.24
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**			
	1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	338.41	292.85
		कुल	**2,378.40**	**2153.48**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हुए हैं, में शामिल हैं:

i. आय कर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर एवं अन्य सरकारी प्रभारों के संबंध में विभिन्न सांविधिक प्राधिकारियों से मांग। कंपनी संबंधित अपीलीय प्राधिकारियों से मांग की लड़ाई कर रही है। आशा की जाती है कि इन कार्यवाहियों का अंतिम परिणाम कंपनी के पक्ष में होगा एवं कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं प्रचालन-परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

ii. सामग्री/सेवाओं की आपूर्ति के लिए विवाचन/न्यायालयों के पास ठेकेदार के लम्बित दावे व्यवसाय की सामान्य कार्य-प्रक्रिया में उत्पन्न हुए हैं। कंपनी यथा संगत यह आशा करती है कि ये कानूनी कार्यवाहियाँ जब अंतिम रूप में निष्कर्षित एवं निर्धारित होंगी, तो कंपनी के पक्ष में रहेंगी और कंपनी के प्रचालन परिणामों या वित्तीय स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।

iii. पीएसयू से दावे में खान एवं परिशोधन संकुल में नालको परिशोधक द्वारा अपर कोलाब, कोरापुट में जलाशय से पानी निकालने के कारण निगम द्वारा विद्युत उत्पादन की हानि के लिए ओड़िशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएचपीसी) द्वारा मागं की गई ऊर्जा क्षतिपूरक प्रभार एवं वर्ष 2005 से उस पर विलम्बित भुगतान उपकर शामिल है।

iv. कंपनी के विरुद्ध दावे अधिकतर आकलन चरण में आईटी विभाग द्वारा की गई मांग के कारण है। ये दावे धारा 32(i)(iiए) के अधीन अतिरिक्त मूल्यह्रास के संबंध में अस्वीकार वस्तुतः परिधीय विकास व्यय के अस्वीकार, अचल स्टोर्स एवं स्पेयर्स के लिए प्रावधान, अल्पमियादी पूंजी लाभ के उपचार एवं दीर्घमियादी पूंजी लाभ के अधीन हानि की अस्वीकृति एवं व्यवसाय आय के रूप में इनका उपचार, धारा 14ए के अधीन अस्वीकार जैसे बहु मसलों के कारण हैं। विभिन्न अपीलीय प्राधिकरण में ये मामले विचाराधीन एवं लम्बित हैं। कर सलाहकार समेत कंपनी को अपेक्षा है कि उच्चतर अपीलीय फोरम द्वारा सीआईटी (ए)/आईटीएटी (क्षेत्राधिकार) रहने के कारण कंपनी के पक्ष में पहले से ही उपलब्ध निर्णयों के मद्देनजर आखिरी समाधान रहने से इसकी स्थिति पूर्ववत रहेगी। अतएव, कंपनी की वित्तीय स्थिति एवं परिचालन के परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए, कर उपचार में कोई अनिश्चितता नहीं है जो कंपनी के कर योग्य लाभ (हानि), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर ऋण एवं कर दर को प्रभावित करेगा।

कंपनी ने विवादित आयकर मामलों और विभाग/प्राधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों को विवाद के संभावित परिणाम और संसाधनों के बहिर्वाह की संभावनाओं पर विचार करते हुए समीक्षा की और इसी अनुसार 31.03.2022 को इसका प्रकटन किया।

26.1 आकस्मिक देयताओं का संचलन

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2021 को यथा	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के दौरान संयोजन	31.03.2022 को यथा
क.	**सांविधिक प्राधिकारी से मांग**				
1.	ओड़िशा विक्रय कर	3.72	-	0.38	4.09
2.	केन्द्रीय विक्रय कर	281.01	(0.46)	-	280.55
3.	वीएटी	12.64	-	-	12.64
4.	उत्पाद शुल्क	410.44	(397.48)	397.48	410.44
5.	सीमा शुल्क	104.47	(1.70)	-	102.77
6.	सेवा कर	21.98	(9.23)	2.07	14.82
7.	आय कर	162.66	(24.49)	85.58	223.75
8.	प्रवेश कर	221.37	(4.10)	4.94	222.21
9.	सड़क कर	2.65	-	-	2.65
10.	स्टांप ड्यूटी	0.51	-	-	0.51
11.	सरकार से दावा (एनजीटी)	62.30	-	46.71	109.01
12.	पीएसयू से दावा	247.59	-	75.33	322.92
13.	भूमि अधिग्रहण एवं उस पर ब्याज	73.73	- -	4.34	78.07
14.	खान विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	136.32	-	-	136.32
15.	जल संरक्षण निधि के लिए जल संसाधन विभाग, ओड़िशा सरकार से मांग	119.24	-	-	119.24
ख.	**ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य द्वारा दावे**				
1.	ठेकेदारों के आपूर्तिकर्ताओं एवं अन्य के दावे	292.85	(6.79)	52.35	338.41
	कुल	**2,153.48**	**(444.25)**	**669.18**	**2,378.40**

27. वचनबद्धताएँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
क)	पूंजी खाते में अनुबंध की अनुमानित लागत, जिनका निष्पादन अभी किया जाना है एवं प्रदान नहीं की गई है	3404.69	1308.97
ख)	अन्य वचनबद्धताएँ		
(1)	उत्कल डी एवं ई कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए भारत सरकार को देय राशि, मगर अभी भुगतान के लिए नियत नहीं हुआ है।	शून्य	18.11
(2)	निर्यात प्रोत्साहन पूंजी वस्तु योजना के अधीन पूंजी वस्तुओं के आयात के लिए निर्यात दायित्व	278.79	शून्य
(3)	पोट्टांगी बॉक्साइट खानों के आवंटन के लिए ओड़िशा सरकार के प्रति वचनबद्धता की अनुमानित राशि	शून्य	49.89
(4)	5वीं धारा परिशोधन परियोजना के लिए भारत सरकार (एमओईएफएफसी) के प्रति वचनबद्धता की अनुमानित राशि	शून्य	10.81
(5)	पूंजी निवेशों के लिए निगम पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)	6.00	12.00
	कुल	**3,689.48**	**1,399.78**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

28. प्रचालनों से राजस्व

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	**उत्पादों की बिक्री**		
1)	निर्यातः		
i)	एल्यूमिना	3,664.61	2,534.63
ii)	एल्यूमिनियम	2,699.54	2,628.31
2)	घरेलू:		
i)	एल्यूमिना	278.47	141.95
ii)	एल्यूमिनियम	7,370.62	3,524.48
(ख)	**विद्युत की ब्रिकी**		
i)	पवन विद्युत [टिप्पणी 28.1 देखें]	45.74	39.92
(ग)	**अन्य प्रचालन आय**	**121.83**	**86.50**
	निर्यात प्रोत्साहन		
i)	एल्यूमिना	36.11	25.08
ii)	एल्यूमिनियम [टिप्पणी 28.2 देखें]	66.49	45.11
2)	नवीकरणीय ऊर्जा पर प्रोत्साहन		
i)	नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र	8.11	6.97
ii)	उत्पादन आधारित प्रोत्साहन	3.98	3.49
3)	निजी निर्मित वस्तुएं आंतरिक रूप से प्रयुक्त/पूंजीकृत हुई	7.14	5.85
प्रचालनों से राजस्व		**14,180.81**	**8,955.79**

टिप्पणी: 28.1 कंपनी ने वर्ष 2018-19 से विद्युत क्रय अनुबंध (पीपीए) की अनुपलब्धता के कारण राजस्थान राज्य में स्थित अपने दो पवन ऊर्जा संयंत्रों से राजस्व को स्वीकृति नहीं दी है।

28.2 01.01.2022 से निर्यात उत्पाद योजनाओं पर शुल्क और करों की छूट शुरू किए जाने के फलस्वरूप, कंपनी ने चालू वर्ष के दौरान धातु के निर्यात के लिए आय के रूप में ₹41.59 करोड़ (20% की शुद्ध छूट) को स्वीकृति दी है।

29. अन्य आय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	व्याज आय		
(i)	वित्तीय परिसंपत्तियों से अर्जित व्याज आय जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट नहीं हुई है		
	- बैंक जमा	103.18	69.99
	- कर्मचारियों को ऋण	9.25	9.42
	- परिशोधित मूल्य पर वहन की गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13.42	5.48
(ii)	आय कर वापसी से अर्जित व्याज आय	84.51	-
(ख)	लाभांश आय		
	- चालू निवेशों से लाभांश	13.91	5.48
(ग)	विदेशी मुद्रा शुद्ध लाभ/(हानि)	(1.59)	(1.85)
(घ)	एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय परिसंपत्तियों पर शुद्ध लाभ/(हानि)	(0.36)	0.38
(ङ)	अन्य निवेशों की बिक्री पर शुद्ध लाभ/(हानि)	-	-
(च)	देयताओं के पुनरांकन की अब आवश्यकता नहीं [टिप्पणी 29.1 देखें]	23.00	8.86
(छ)	आंतरिक रूप से उत्पन्न स्क्रैप से आय	33.77	15.71
(ज)	अन्य	18.33	33.13
कुल अन्य आय		**297.42**	**146.60**

टिप्पणी: 29.1 रिपोर्टिंग की तिथि को 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बहियों में पड़ी हुई दावाहीन देयता पुनरांकित हुई हैं एवं आय के रूप में स्वीकृति दी गई है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

30. खपत की हुई सामग्री की लागत

राशि करोड़ ₹ में

क.	कच्चे माल	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(1)	कॉस्टिक सोड़ा	873.17	687.62
(2)	सी.पी. कोक	693.19	351.00
(3)	सी.टी. पिच	225.98	130.67
(4)	एल्यूमिनियम फ्लोराइड	87.18	74.80
(5)	चूना	52.24	44.14
(6)	अन्य	39.37	27.20
खपत किए गए कच्चे माल का योग		1,971.13	1,315.43
ख.	विद्युत एवं ईंधन		
(1)	कोयला	1,502.24	1,584.74
(2)	ईंधन तेल	864.58	576.49
(3)	निजी उत्पादन पर शुल्क	375.05	415.35
(4)	विद्युत क्रय	637.96	55.25
(5)	विद्युत पारेषण प्रभार	8.65	6.26
खपत किए गए विद्युत और ईंधन का योग		3,388.48	2,638.09

31. तैयार माल, मध्यवर्ती उत्पाद और चल रहे कार्य की मालसूचियों में परिवर्तन

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
तैयार माल		
प्रारंभिक स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	4.34	3.74
(2) रसायन	232.28	159.30
3) एल्यूमिनियम	227.81	276.97
प्रारंभिक स्टॉक	**464.43**	**440.01**
तैयार उत्पादों का कुल प्रारंभिक स्टॉक	**464.43**	**440.01**
घटाएः		
अंतिम स्टॉक		
(1) बॉक्साइट	18.54	4.34
(2) रसायन	253.91	232.28
(3) एल्यूमिनियम	270.02	227.81
अंतिम स्टॉक	**542.47**	**464.43**
तैयार उत्पादों का कुल अंतिम स्टॉक	**542.47**	**464.43**
तैयार माल में (वृद्धि)/कमी	**(78.04)**	**(24.42)**
मध्यवर्ती उत्पाद		
प्रारंभिक स्टॉक		
एनोड	100.83	136.37
अन्य	17.74	16.67
मध्यवर्ती उत्पादों के प्रारंभिक स्टॉक का योग	**118.57**	**153.04**
घटाएं: अंतिम स्टॉक		
एनोड	113.19	100.83
अन्य	23.48	17.74
मध्यवर्ती उत्पादों के अंतिम स्टॉक का योग	**136.67**	**118.57**
मध्यवर्ती उत्पादों में (वृद्धि)/कमी	**(18.10)**	**34.47**
चल रहे कार्य		
प्रारंभिक स्टॉक	298.35	282.54
घटाएं:अंतिम स्टॉक	319.04	298.35
चल रहे कार्य में (वृद्धि)/कमी	**(20.69)**	**(15.81)**
मालसूची में (वृद्धि)/कमी का योग	**(116.83)**	**(5.76)**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

32. कर्मचारी लाभ व्यय

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	बोनस सहित वेतन और मजदुरी	1,938.42	1,544.25
(ख)	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान		
	1) भविष्य निधि	115.87	120.10
	2) उपदान	30.01	42.85
	3) रोजगार उपरांत पेंशन योजना	104.00	107.03
(ग)	कर्मचारी कल्याण व्यय	167.50	116.01
	कर्मचारी लाभ व्यय का योग	**2,355.80**	**1,930.24**

टिप्पणियाँ:

32.क. कर्मचारी लाभ योजनाएँ

32.क.1 परिभाषित अंशदान योजनाएँ

क) **भविष्य निधि:** कंपनी एक अलग ट्रस्ट को, पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान करती है जो निधियों को अनुमत प्रतिभूतियों में निवेश करती है। अंशदान पर, ट्रस्ट को भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसार सदस्यों को न्यूनतम व्याज दर अदा करना पड़ता है।

ख) **पेंशन निधि:** कंपनी पीएफआरडीए के ट्रस्टी बैंक को निश्चित अंशदान का भुगतान करती है, जो संबंधित कर्मचारी द्वारा निर्धारित अनुसार बीमाकर्ता के पास राशि को निवेश करता है। कंपनी की जिम्मेदारी केवल नियत अंशदान तक ही सीमित रहती है।

32.क.2 परिभाषित लाभ योजनाएँ

क) **उपदान:** उपदान भुगतान अधिनियम के अनुसार कर्मचारियों को अधिकतम ₹20,00,000/- के अधीन उपदान का भुगतान किया जाता है। उपदान योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है एवं एक अलग ट्रस्ट द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। योजना के तहत उपदान के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ख) **सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभः** ये लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके पति/पत्नी को उपलब्ध है जिन्होंने इस लाभ का विकल्प लिया है। अंतरंग रोगी के रूप में चिकित्सा उपचार कंपनी के अस्पताल/सरकारी अस्पताल/ अस्पतालों से कंपनी के नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है। वे कंपनी द्वारा निर्धारित उच्चतम व्यय सीमा के अधीन बहिः रोगी के तौर पर भी चिकित्सा लाभ ले सकते हैं। योजना के अधीन देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ग) **बंदोबस्ती लाभ:** सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति /सेवा समाप्त किए जाने पर, यदि योजना के विकल्प लिए हैं, तो यात्रा भत्ता का अंतर, अंतिम मुख्यालय से होमटाउन या होमटाउन से दूरी के अधीन किसी अन्य बंदोबस्ती स्थान के लिए कर्मचारियों और/या परिवार को देय होता है। व्यक्तिगत परिवहन व्यय भी स्वीकार्य होगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

घ) **नालको हितकारी निधि योजनाः** कंपनी की सेवा में रहने के दौरान दिवंगत हो चुके योजना के सदस्यों के परिवार को वित्तीय सहयाग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, कंपनी की सेवा में रहने के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने पर ₹30 प्रति सदस्य प्रति मृत्यु की दर पर सदस्यों द्वारा अंशदान किया जाएगा एवं कंपनी द्वारा समरूप राशि प्रदान की जाएगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

ङ) **नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजनाः** कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत सहयोग के लिए सद्भाव के प्रतीक स्वरूप वित्तीय सहयोग प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है। योजना के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी सदस्य से वसूली ₹10/- प्रति सेवानिवृत्त सदस्य होगा। कंपनी समरूप अंशदान के लिए उतनी ही राशि प्रदान करेगी। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

च) **सेवानिवर्त्तन उपहार योजनाः** कंपनी की सेवाओं से चिकित्सा आधार पर सेवानिवर्त्तन या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की स्वीकृति इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना में सेवानिवृत होने वाले प्रत्येक कर्मचारी को ₹25000/- मूल्य का उपहार शामिल है जो कि सेवानिवर्त्तन/सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाएगा। इसकी देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार की जाती है।

32.ख अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

क) **क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँः** संचित अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश और बीमारी अवकाश अलग होने पर, कंपनी के अवकाश नियमों में निर्धारित अनुसार सर्वाधिक अनुमत सीमा के अधीन देय है। सेवा अवधि के दौरान, संचित अवकाश का नकदीकरण भी कंपनी के नियमानुसार अनुमेय है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ख) **लम्बी सेवा का पुरस्कारः** जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करते हैं, वे लम्बी सेवा का पुरस्कार पाने के अधिकारी होते हैं जो एक महीने के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के बराबर होता है। इस देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

ग) **एनईएफएफएआरएसः** अशक्तता/मृत्यु के मामले में, योजना के अधीन निर्दिष्टानुसार निर्धारित राशि के जमा पर, कंपनी कर्मचारी/नामित को उनके विकल्प के अनुसार वैचारिक सेवानिवर्त्तन की तारीख तक मासिक लाभ का भुगतान करती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

कर्मचारी लाभ योजनाएँ कंपनी को विशिष्ट रूप से बीमांकिक जोखिमों जैसे कि बीमांकिक जोखिम, निवेश जोखिम, व्याज जोखिम, दीर्घायु जोखिम और वेतन जोखिम के सम्मुख ले आती हैः-

i. **बीमांकिक जोखिमः** यह एक ऐसा जोखिम है जिसके कर्मचारी लाभ अपेक्षा से अधिक होंगे। यह निम्नलिखित किसी भी एक कारण से हो सकता हैः

क. प्रतिकूल वेतन वृद्धि अनुभवः अनुमानित वेतन वृद्धि की तुलना में ज्यादा परिमाण में वेतन बढ़ोतरी से अपेक्षा से अधिक उच्च दर पर दायित्व में वृद्धि आएगी।

ख. मृत्यु दर में विविधताः अनुमानित मृत्यु दर आकलन से यदि वास्तविक मृत्यु दर अधिक होती है, तो अपेक्षा से पहले ही उपदान लाभ का भुगतान किया जाएगा। चूंकि मृत्यु लाभ पर प्रदान करने की कोई शर्त नहीं है, नकद प्रवाह में वृद्धि आने से बीमांकिक हानि या लाभ की स्थिति बनेगी जो कि अनुमानित वेतन वृद्धि और छूट दर के संबंधित मूल्यों पर निर्भर है।

ग. आहरण दरों में विविधताः यदि अनुमानित आहरण दर की तुलना में वास्तविक आकलन आहरण दर अधिक रहती है, तो उपदान लाभ का भुगतान अपेक्षित समय से पूर्व किया जाएगा। इसका प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या लाभ पद त्याग की तारीख को प्रदान किया गया है।

ii. **निवेश जोखिमः** परिसंपत्तियों के प्रबंधन हेतु बीमाकर्ताओं पर निर्भर रहनेवाली निधिबद्ध योजनाओं के लिए, बीमाकर्ता द्वारा प्रमाणित परिसंपत्तियों के मूल्य देयता के समर्थन में प्रपत्रों का सही मूल्य नहीं भी रह सकता है। ऐसे मामलों में, परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य भावी छूट दर से स्वतंत्र होता है। इसके फलस्वरूप, यदि अन्तर-मूल्यांकन अवधि के दौरान छूट दर में उल्लेखनीय परिवर्तन होता है, तो शुद्ध देयता या निधिबद्ध वस्तुस्थिति में भारी अस्थिरता आ सकती है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

iii. व्याज जोखिम: परिभाषित लाभ देयता की गणना सरकारी ऋणपत्रों के आधार पर छूट दर पर की जाती है। यदि ऋणपत्र (बॉण्ड) के मूल्य में गिरावट आती है, तो परिभाषित लाभ देयता बढ़ जाएगी।

iv. दीर्घायु जोखिमः परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण, सेवा के दौरान एवं उपरांत योजना भागीदारों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ में किया जाता है। योजना भागीदारों के प्रत्याशित जीवन काल में वृद्धि से योजना की देयता बढ़ेगी।

v. वेतन जोखिमः परिभाषित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण योजना भागीदारों के भावी वेतन के संदर्भ में किया जाता है। ऐसे में योजना भागीदारों के वेतन में अनुमानित योजना से अधिक वृद्धि होने से योजना की देयता बढ़ेगी।

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु प्रयुक्त मुख्य आकलन निम्नानुसार हैं:

	यथा मूल्यांकन	
	31.03.2022	**31.03.2021**
छूट दर(रें)	7.00%	6.60%
वेतन वृद्धि की अपेक्षित दर(रें)	6.65%	8.00%
मृत्यु दर	आईएएलएम 2012-2014	आईएएलएम 2012-2014
	अल्टीमेट	अल्टीमेट
अपघर्षण दर	1%	1%

इन परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत राशियाँ निम्नानुसार हैं:

राशि करोड़ ₹ में

सेवा मूल्यः		
- चालू सेवा मूल्य	(35.10)	(52.67)
- समझौतों से विगत सेवा लागत एवं (लाभ)/हानि	17.36	16.10
- शुद्ध व्याज व्यय	(10.91)	(5.11)
लाभ या हानि में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	(28.65)	(41.68)
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः मापनः		
शुद्ध परिभाषित लाभ देयता पर प्रतिफल	4.68	(1.78)
वित्तीय आकलनों में हुए परिवर्तनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	24.61	5.10
अनुभव आकलनों से उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	17.96	14.31
अन्य		
परिभाषित लाभ संपत्ति पर प्रतिबंधों के लिए समायोजन		
अन्य विशद् आय में स्वीकृत परिभाषित लाभ मूल्यों के घटक	**47.25**	**17.63**
कुल	**18.60**	**(24.05)**

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में संस्था के दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न तुलन पत्र में सम्मिलित राशि निम्नानुसार है:

राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	**बंदोबस्ती लाभ**	**नालको हितकारी निधि योजना**	**नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना**	**सेवा निवर्त्तन उपहार योजना**	**उपदान (निधिबद्ध)**
31 मार्च, 2021						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(595.80)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	-					585.17
परिभाषित लाभ दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(10.63)
31 मार्च, 2022						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(162.31)	(17.51)	(2.63)	(11.78)	(6.53)	(532.70)
योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य	-					554.86
परिभाषित लाभ दायित्व के फलस्वरूप उत्पन्न शुद्ध देयता	(162.31)	(17.51)	(2.63)	(11.78)	(6.53)	22.16
परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में संचलन निम्नानुसार है:						
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	**बंदोबस्ती लाभ**	**नालको हितकारी निधि योजना**	**नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना**	**सेवा निवर्त्तन उपहार योजना**	**उपदान (निधिबद्ध)**
01 अप्रैल, 2020 को प्रारंभिक परिभाषित लाभ दायित्व	(140.42)	(20.59)	(2.99)	(12.52)	(7.26)	(632.24)
चालू सेवा मूल्य	-	(3.14)	-	-	-	(49.53)
व्याज मूल्य	(9.06)	(1.26)	(0.17)	(0.75)	(0.45)	(38.65)
पुनःमापन (लाभ)/हानि						
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.98	0.03	0.01	0.06	0.05	3.97
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(13.11)	2.36	(0.44)	(1.50)	(0.43)	27.43
लाभ भुगतान किया गया	6.26	3.02	0.86	2.33	0.93	93.22
अन्य	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2021 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	(155.35)	(19.58)	(2.73)	(12.38)	(7.16)	(595.80)

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	बंदोबस्ती लाभ	नालको हितकारी निधि योजना	नालको सेवा निवृत्ति कल्याण योजना	सेवा निवर्त्तन उपहार योजना	उपदान (निधिबद्ध)
चालू सेवा मूल्य	-	(2.94)	-	-	-	(32.16)
व्याज मूल्य	(10.46)	(1.17)	(0.16)	(0.79)	(0.47)	(38.82)
पुनःमापन (लाभ)/हानि						
वित्तीय आकलनों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	1.33	0.39	0.05	0.25	0.20	22.39
अनुभव आकलनों के फलस्वरूप उत्पन्न बीमांकिक (लाभ)/हानि	(9.58)	0.04	(0.62)	(1.01)	-	29.13
लाभ भुगतान किया गया	11.75	5.75	0.83	2.15	0.90	82.56
अन्य	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को अंतिम परिभाषित लाभ दायित्व	**(162.31)**	**(17.51)**	**(2.63)**	**(11.78)**	**(6.53)**	**(532.70)**

योजना परिसंपत्तियों के सही मूल्य में संचलन निम्नानुसार है:	
	उपदान (निधिबद्ध)
01 अप्रैल, 2020 को योजना परिसंपत्तियों का प्रारंभिक सही मूल्य	576.26
व्याज आय	45.23
पुनःमापन लाभ/(हानि)	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध व्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	(1.78)
अन्य	
नियोक्ता से अंशदान	58.68
प्रदत्त लाभ	(93.22)
31 मार्च, 2021 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	585.17
व्याज आय	40.96
पुनःमापन लाभ/(हानि)	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (शुद्ध व्याज आय में सम्मिलित राशि छोड़कर)	4.68
अन्य	-
नियोक्ता से अंशदान	6.61
योजना भागीदार से अंशदान	-
समझौतों पर वितरित परिसंपत्तियाँ	-
किसी व्यवसाय संयोजन में अर्जित परिसंपत्तियाँ	-
विदेशी योजनाओं पर विनिमय अंतर	-
प्रदत्त लाभ	(82.56)
अन्य	-
31 मार्च, 2022 को योजना परिसंपत्तियों का अंतिम सही मूल्य	554.86

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का सही मूल्य निम्नानुसार है:

	योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नानुसार है	
	31.03.2022	**31.03.2021**
निधियों में निवेश:		
1. बीमा कंपनियाँ	554.86	585.17
कुल	**554.86**	**585.17**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

32.ग. परिभाषित लाभ योजनाओं की सुग्राहीता का विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना के निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण बीमांकिक आकलन हैं छूट दर, अपेक्षित वेतन वृद्धि, संघर्षण दर एवं मृत्यु दर। सभी अन्य आकलनों को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में घटित संबंधित आकलनों के यथासंगत संभावी परिवर्तनों के आधार पर निम्न सुग्राहीता का विश्लेषण किया गया है।

सुग्राहीता विश्लेषण					राशि करोड़ ₹ में	
विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2020-21	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	4.49	4.58	0.57	0.58	0.07	0.08
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	-	-	-	-	0.07	0.06
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.42%	2.37%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(+/-0.5%]	-	-	0.02	0.02	-	-
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00%	0.00%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.71	0.71	0.09	0.09	0.01	0.01
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवा निवृत्ति उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2020-21	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	11.11	11.18	0.19	0.20	20.38	19.05
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.73%	90.28%	2.71%	2.76%	3.42%	3.20%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	11.18	11.12	0.17	0.17	3.33	2.91
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	90.24%	89.76%	2.42%	2.37%	0.56%	0.49%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(+/-0.5%]	11.14	11.15	0.01	0.01	0.08	0.08
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.99%	90.02%	0.15%	0.15%	0.01%	0.01%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	11.14	11.15	0.02	0.02	0.51	0.51
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	89.97%	90.03%	0.26%	0.26%	0.08%	0.08%

विवरण	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ		बंदोबस्ती लाभ		नालको हितकारी निधि योजना	
2020-21	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	4.69	4.79	0.51	0.52	0.07	0.07
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.89%	2.95%	2.89%	2.95%	2.71%	2.76%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.19	0.19	0.02	0.02	0.06	0.06
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42%	2.37%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(+/-0.5%]	0.19	0.19	0.02	0.02	-	-
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.15%	0.15%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.75	0.75	0.08	0.08	0.01	0.01
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.46%	0.46%	0.46%	0.46%	0.26%	0.26%

विवरण	नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना		सेवा निवृत्ति उपहार योजना		उपदान (निधिबद्ध)	
2021-22	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा	वृद्धि की मात्रा	ह्रास की मात्रा
छूट दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+0.5%)	0.32	0.33	0.18	0.18	17.57	16.45
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.71%	2.76%	2.71%	2.76%	3.30%	3.09%
वेतन वृद्धि में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (+/-0.5%)	0.29	0.28	0.16	0.15	3.90	16.45
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	2.42%	2.37%	2.42%	2.37%	0.73%	3.09%
अपघर्षण दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव [(+/-0.5%]	0.02	0.02	0.01	0.01	0.11	16.45
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.15%	0.15%	0.15%	0.15%	0.02%	3.09%
मृत्यु दर में परिवर्तन के कारण राशि पर प्रभाव (-/+10%)	0.03	0.03	0.02	0.02	0.50	0.50
सुग्राहीता के कारण मूल की तुलना में % परिवर्तन [+/(-)%]	0.26%	0.26%	0.26%	0.26%	0.09%	0.09%

ऊपर प्रस्तुत सुग्राहीता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तिवक परिवर्तन का प्रस्तुतीकरण नहीं भी रह सकता है, क्योंकि इसकी संभावना कम है कि आकलनों में परिवर्तन एक-दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ आकलन परस्पर संबंधित हो सकते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

इसके अलावा, उपर्युक्त सुग्राहीता विश्लेषण को प्रस्तुत करते समय, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परियोजित एकक क्रेडिट विधि के प्रयोग से की गई है जो तुलन पत्र में स्वीकृत परिभाषित लाभ दायित्व देयता की गणना में प्रयोग की गई है। सुग्राहीता विश्लेषण को तैयार करने में प्रयुक्त विधियों एवं आकलनों में पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं है।

33- वित्त लागत		राशि करोड़ ₹ में
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
वित्त लागत		
क. पट्टे देयताओं पर व्याज व्यय	4.13	4.01
ख. अग्रिम आय कर के भुगतान में कमी पर ब्याज	7.62	-
ग. अन्य	11.37	3.07
कुल वित्त लागत	23.12	7.08

टिप्पणीः 33.1 अन्य वित्त लागत में बैंक से ऋण पर व्याज के लिए ₹शून्य (पिछला वर्ष ₹0.21 करोड़) शामिल है।

34- अन्य व्यय			राशि करोड़ ₹ में
		31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
(क)	भंडार और पुर्जों की खपत	381.26	333.16
(ख)	निम्न से संबंधित मरम्मत एवं रखरखाव		
(1)	भवन	55.43	65.82
(2)	मशीनरी	170.73	157.94
(3)	अन्य	25.50	24.63
(ग)	अन्य निर्माणजनित व्यय		
(1)	जल प्रभार	34.57	34.13
(2)	रॉयल्टी	435.51	132.57
(3)	जिला खनिज निधि एवं राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास को अंशदान	69.68	41.81
(4)	सतत तकनीकी सहयोग व्यय	-	-
(5)	अन्य	105.61	92.34
(घ)	माल भाड़ा एवं संचालन खर्च		
(1)	आवक सामग्री (एल्यूमिना)	118.96	109.35
(2)	जावक सामग्री	172.41	163.22
(ङ)	लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक एवं फुटकर व्यय		
(i)	लेखापरीक्षकों के रूप में	0.45	0.35
(ii)	कराधान विषयवस्तुओं के लिए	0.08	0.07
(iii)	अन्य सेवाओं के लिए	0.36	0.29
(iv)	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	-	0.02
(च)	लागत लेखापरीक्षकों को भुगतान	0.03	0.03
(छ)	सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यय	150.96	150.24
(ज)	निगम सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय [टिप्पणी 34.1 का संदर्भ लें]	36.91	35.00
(झ)	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	101.88	103.23
(ञ)	नवीकरणीय क्रय दायित्व	51.84	(261.86)
(ट)	विवादित सरकारी देय एवं अन्य के लिए प्रावधान	-	0.01
(ठ)	विक्रय एवं वितरण व्यय	33.43	34.81
(ड)	मालसूची, दावे आदि का बट्टे खाते में डालना	9.95	11.18
(ढ़)	खराब एवं संदिग्ध प्रावधान/ (पुनरांकन)	46.03	22.86
(ण)	अन्य	63.49	43.77
(1)	किराया	0.81	0.88
(2)	दर एवं कर	4.01	4.59
(3)	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के निपटान पर शुद्ध (लाभ)/हानि	(0.44)	(0.82)
(4)	बीमा खर्च	17.80	12.53
(5)	अन्य विविध व्यय	41.31	26.59
कुल अन्य व्यय		**2,065.07**	**1,294.97**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

टिप्पणी:

34.1 निगम सामाजिक उत्तरदायित्व पर व्यय।

क) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि ₹28.60 करोड़ है (31 मार्च, 2021 को ₹33.42 करोड़ है)

ख) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि

i)	परिसंपत्तियों का निर्माण/अधिग्रहण	₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष ₹शून्य)
ii)	उपर्युक्त (i) के अलावा अन्य प्रयोजन पर	₹36.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹35.00 करोड़)
	कुल	**₹36.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹35.00 करोड़)**

ग) नालको फाउंडेशन, नालको की नि.सा.उ. शाखा एमसीए21 पोर्टल के साथ पंजीकृत होने की प्रक्रिया में है।

35- आय कर

35.1 लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के संबंध में	1061.63	204.02
पूर्व वर्षों के संबंध में	(9.88)	(26.32)
	1,051.75	177.70
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के संबंध में	**(48.85)**	**(160.71)**
	(48.85)	**(160.71)**
चालू वर्ष में स्वीकृत आय कर व्यय का योग	**1,002.90**	**16.99**

वर्ष के लिए आय कर व्यय को लेखांकन लाभ में निम्नानुसार पुनर्मिलान किया जा सकता है:

कर पूर्व लाभ		**3,954.87**	**1,316.52**
उस पर आय कर व्यय @ 25.168%		**995.36**	**331.34**
कर का प्रभाव -			
ii)	अस्वीकार योग्य व्यय (स्थायी अंतर)	21.26	6.78
iii)	व्ययित व्यय से अतिरिक्त स्वीकार योग्य व्यय	(16.15)	(55.24)
iv)	पूर्व वर्षों से संबंधित समायोजन	(9.88)	(26.32)
v)	अन्य	12.31	(239.57)
लाभ या हानि में स्वीकृत आय कर व्यय		**1,002.90**	**16.99**

35.2 इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर

चालू कर		
शेयरों की पुनर्खरीद लागत	-	(1.16)
इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से स्वीकृत आय कर	-	**(1.16)**

35.3 अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
परिभाषित लाभ देयता के पुनः मापन लाभ या हानि पर कर		
- चालू कर	-	-
- आस्थगित कर	(23.30)	6.18
अन्य विशद आय में स्वीकृत कुल आय कर	(23.30)	6.18
अन्य विशद आय में स्वीकृत आय कर का विभाजन जिनमें है :		
मदें जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत की जाएंगी	-	-
मदें जो लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नही की जाएंगी	(23.30)	6.18

टिप्पणी:

भारत सरकार द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के माध्यम से सूचित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के अनुपालन में, कंपनी के पास अन्य कर प्रोत्साहनों को छोड़कर कम कर दर में स्थानांतरित करने का एक अपरिवर्तनीय और न्यूनतम वैकल्पिक कर की गैर-प्रयोज्यता विकल्प उपलब्ध था। कंपनी ने करों की कम दरों के लिए उक्त विकल्प का निष्पादन किया है और इसी अनुसार करों की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान वर्ष के लिए प्रयोज्य दर 25.168% (पिछले वर्ष 25.168%) है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

36. खंड की सूचना

36.1 उत्पाद जिनसे रिपोर्ट योग्य खंड अपना राजस्व प्राप्त करते हैं

स्रोत आवंटन एवं खंड के कार्य प्रदर्शन के आकलन के प्रयोजन हेतु मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) को रिपोर्ट की गई सूचना प्रेषित वस्तुओं के प्रकारों पर केन्द्रित है। कंपनी के निदेशकों ने उत्पादों में अंतर के इर्द-गिर्द कंपनी का व्यवस्थापन किया है। कंपनी में रिपोर्ट योग्य खंडों को प्राप्त करने में किसी भी रिपोर्टिंग खंड को एकीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से, इण्ड एएस 108-प्रचालन खंडों के अन्तर्गत कंपनी के रिपोर्ट योग्य खंड निम्नानुसार हैं :

i) रसायन खंड

ii) एल्यूमिनियम खंड

कंपनी ने रसायनों और एल्यूमिनियम को दो प्रमुख प्रचालन व्यवसाय खंड माना है। रसायनों में निस्तप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य संबंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम इन्गॉट्स, वायर राड्स, बिलेट्स, स्ट्रिप्स, रोल्ड और अन्य सम्बंधित उत्पाद शामिल हैं। एल्यूमिना के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित बॉक्साइट को रसायनों के अंतर्गत शामिल किया गया है एवं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ग्रहीत खपत हेतु उत्पादित विद्युत को एल्यूमिनियम खंड में शामिल किया गया है। मुख्यतः संभाव्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को उपयोग में लाने के लिए प्रारंभ किए गए पवन ऊर्जा संयंत्र को गैर-आवंटित सामान्य खंड में शामिल किया गया है।

36.2 खंड राजस्व एवं परिणाम

रिपोर्ट योग्य खंड द्वारा प्रचालनों से कंपनी के राजस्व एवं परिणामों का विश्लेषण निम्नवत है:

राशि करोड़ ₹ में

	खंड राजस्व	
प्रचालन खंड	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	5,377.45	3,950.50
एल्यूमिनियम खंड	10,157.34	6,263.47
अनावंटित	57.83	50.38
प्रचालनों का योग	**15,592.62**	**10,264.35**
घटाएँ : अंतरखंड राजस्व	1,411.81	1,308.56
प्रचालनों से राजस्व	**14,180.81**	**8,955.79**

	खंड परिणाम	
प्रचालन खंड	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	1,127.41	635.75
एल्यूमिनियम खंड	3,257.20	867.67
अपवादिक मदें, व्याज और कर से पूर्व खंड परिणाम	**4,384.61**	**1,503.42**
व्याज और वित्त प्रभार	23.12	7.08
व्याज और लाभांश आय	223.91	90.75
अनावंटित व्यय को छोड़कर अन्य अनावंटित आय	(630.53)	(270.57)
संयुक्त उद्यम के लाभ /(हानि) का हिस्सा	(0.56)	(0.12)
कर-पूर्व लाभ	**3,954.31**	**1,316.40**

36.3 खंड परिसंपत्तियाँ और देयताएँ

राशि करोड़ ₹ में

	खंड परिसंपत्तियाँ		खंड देयताएँ	
	31.03.2022 को यथा	**31.03.2021 को यथा**	**31.03.2022 को यथा**	**31.03.2021 को यथा**
रसायन खंड	4,353.60	4,216.76	1529.51	1191.18
एल्यूमिनियम खंड	5,667.36	5,337.53	1541.39	1560.93
खंड परिसंपत्तियों और देयताओं का योग	10,020.96	9,554.29	3,070.90	2,752.11
अनावंटित	7,254.58	5,154.60	602.00	384.04
कुल परिसंपत्तियाँ और देयताएँ	17,275.54	14,708.89	3,672.90	3,136.15

36.4 अन्य खंड की सूचना

राशि करोड़ ₹ में

	मूल्यह्रास एवं परिशोधन		गैर-चालू परिसंपत्तियों में संयोजन	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2022 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	229.08	268.03	51.62	(110.26)
एल्यूमिनियम खंड	296.95	271.53	26.12	(53.24)
अनावंटित	310.55	66.26	310.80	575.93
प्रचालनों के लिए योग	**836.59**	**605.82**	**388.54**	**412.43**

	गैर-नकद् व्यय वाली सामग्री	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	**31.03.2021 को समाप्त वर्ष**
रसायन खंड	(244.48)	(9.24)
एल्यूमिनियम खंड	(182.75)	(12.33)
अनावंटित	36.97	(1.60)
	(390.26)	(23.17)

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

36.5 प्रमुख उत्पादों से राजस्व

अपने प्रमुख उत्पादों एवं सेवाओं के निरंतर प्रचालन कार्यों से कंपनी के राजस्व का विश्लेषण निम्नवत है:

राशि करोड़ ₹ में

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
रसायन खंड (हाईड्रेट एवं एल्यूमिना)	3,943.08	2,676.58
एल्यूमिनियम खंड (एल्यूमिनियम)	10,070.16	6,152.79
	14,013.24	8,829.37

36.6 भौगोलिक सूचना

कंपनी का प्रचालन मुख्यतया प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र - भारत (अधिवास देश) एवं देश के बाहर है

राशि करोड़ ₹ में

	बाह्य ग्राहकों से राजस्व		गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	
	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
भारत	7,649.09	3,666.43	10,790.54	10,402.56
भारत के बाहर	6,364.15	5,162.94	-	-
कुल	14,013.24	8,829.37	10,790.54	10,402.56

37. प्रति शेयर आय

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
	₹ प्रति शेयर	₹ प्रति शेयर
37.1 मूल आय प्रति शेयर (रु.)		
कुल प्रचालनों से	16.07	6.97
कुल मूल आय प्रति शेयर	16.07	6.97

37.2 मूल आय प्रति शेयर

मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय एवं भारित औसत संख्या निम्नानुसार है:

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
कंपनी के मालिकों को आरोप्य वर्ष के लाभ	2,951.41	1,299.41
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय	2,951.41	1,299.41
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	183.66	186.44

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इक्विट शेयरों की भारित औसत संख्या की गणना 17.03.2021 को 2,89,85,711 संख्यक शेयरों की वापस खरीद को विचार में लेते हुए की गई है।

38. वित्तीय प्रपत्र

38.1 वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणियाँ

राशि करोड़ ₹ में

		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
लाभ या हानि के माध्यम से सही मूल्य (एफवीटीपीएल) पर आकलित			
(क)	अनिवार्य रूप से आकलित:		
(i)	म्यूचुअल फंड में निवेश	64.01	248.38
(ii)	विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण संविदा	शून्य	शून्य
परिशोधित मूल्य पर आकलित			
(क)	नकद एवं बैंक शेष	412.80	213.52
(ख)	परिशोधित मूल्य पर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,520.73	1,811.00
		3,997.54	2,272.90
वित्तीय देयताएँ			
परिशोधित मूल्य पर आकलित		2,095.82	1,358.82

38.2 वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य

अपने व्यवसाय के क्रम में, कंपनी को मुख्यतया विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, ब्याज दरों, इक्विटी मूल्यों, नकदीकरण एवं ऋण जोखिम की अस्थिरता से गुजरना पड़ता है, जिससे इनसे वित्तीय प्रपत्रों के सही मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कंपनी के पास एक जोखिम प्रबंधन नीति है जो न केवल विदेशी मुद्रा जोखिम को संरक्षित रखती है, बल्कि वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं से सम्बंधित अन्य जोखिमों जैसे कि ब्याज दर जोखिम एवं ऋण जोखिमों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है।

कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ ये सभी सुनिश्चित करते हैं:

i) वित्तीय स्थायित्व के साथ धारणीय व्यवसाय वृद्धि;

ii) जोखिम प्रबंधन संगठन संरचना समेत रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए एक रणनीतिक ढाँचा प्रदान करना;

iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी के सभी भौतिक जोखिम घटक तुलन पत्र में एवं इससे इतर चिह्नित, आकलित, परिमाणित किए जाए, यथा उपयुक्त न्यूनीकृत एवं व्यवस्थित किए जाए तथा

iv) प्रचालनों की प्रकृति, आकार एवं जटिलता की उपयुक्तता के तहत सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय कार्यपद्धतियों के ऐच्छिक अंगीकरण द्वारा कंपनी की ओर से उपयुक्त विनियमों, जहाँ भी प्रयाज्य पड़े, का अनुपालन सुनिश्चित करना।

जोखिम प्रबंधन नीति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली की प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयन को मूल्यांकित करने के लिए आन्तरिक नियंत्रण टीम जिम्मेदार होगी। यह अपने जाँच परिणामों को लेखापरीक्षा समिति के समक्ष हर तिमाही को रखेगी। कंपनी के जोखिम प्रबंधन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के लिए बोर्ड जिम्मेदार है। अतएव, बोर्ड अनुपालन एवं जोखिम प्रबंधन नीति एवं इसमें किसी संशोधन को अनुमोदित करेगा एवं इसका सुचारु कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा।

38.3 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वसूली योग्य सही मूल्य (आर्थिक मूल्य) में भावी अर्जन (विस्तार) में या भावी नकद प्रवाह में, कोई नुकसान का जोखिम है जो कि वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन से होता है। व्याज दरों, विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, नकदीकरण एवं अन्य बाजार दरों में हुए परिवर्तन से वित्तीय प्रपत्र के मूल्य में परिवर्तन आ सकता है। बिक्री प्रक्रियाओं एवं उठायी गई निधियों एवं ऋण-चुकौतियों/पूर्व-चुकौतियों के फलस्वरूप नकद प्रवाह की विसंगति से कंपनी नकदीकरण जोखिम के भी अधीन रह सकती है। बाजार के भावी विशिष्ट संचलनों को साधारणतया यथा उपयुक्त सटीकता के साथ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

38.4 विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन

विदेशी मुद्रा जोखिम विदेशी मुद्रा लेनदेनों पर विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव से उत्पन्न होता है। विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन से कंपनी की आय को सुरक्षित रखना ही मुद्रा जोखिम प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है। कंपनी की नीति किसी भी प्रकार की मुद्रा सट्टेबाजी से संरक्षित रखती है। मुद्रा घटकों की यह सुरक्षा समरूप मुद्रा की क्षतिपूरक या समतुल्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के माध्यम से प्राकृतिक रूप से या इसकी अनुपस्थिति में, प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ लेनदेन किए गए अनुमोदित व्युत्पन्न प्रपत्रों के प्रयोग के माध्यम से प्रभावित होगी। मुद्रा जोखिम का निर्धारण, कंपनी की प्रचालन मुद्रा अर्थात आईएनआर की तुलना में सम्बंधित मुद्राओं में खुली परिस्थितियों के तहत किया जाता है। मुद्रा असंगति के कारण आए अंतर का पता लगाने के लिए मुद्रा अंतर विवरण तैयार किया जाएगा।

विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव आय विवरण एवं इक्विटी पर पड़ सकता है, जहाँ एक से अधिक मुद्रा में लेनदेन का संदर्भ मिलता है या संबंधित समेकित संस्थाओं की कार्यात्मक मुद्रा की बजाए किसी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ/देयताएँ मूल्यवर्गित हुई हैं।

कंपनी विदेशी मुद्रा के मूल्य में लेनदेन करती है, फलस्वरूप विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अग्रेषित विदेशी विनिमय संविदाओं का उपयोग करते हुए अनुमोदित नीति मानकों के तहत विनिमय दर संचालित होती हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और मौद्रिक देयताओं की वहन राशि निम्नानुसार है:

राशि करोड़ ₹ में

	देयताएँ यथा		परिसंपत्तियाँ यथा	
	31.03.2022	**31.03.2021**	**31.03.2022**	**31.03.2021**
यूएसडी	27.60	0.48	144.72	277.62
यूरो	21.36	14.82	-	-

38.4.1 विदेशी मुद्रा का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी विनिमय दर जोखिम में अपनी उपस्थिति के आकलन द्वारा विदेशी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। अपनी जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों का उपयोग करते हुए इन जोखिमों के आंशिक हिस्से की सुरक्षा प्रदान करती है।

प्रत्येक मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर की सूक्ष्मग्राहिता का निर्धारण किसी मुद्रा के शुद्ध विदेशी विनिमय दर की उपस्थिति और साथ ही प्रत्येक मुद्रा की विदेशी विनिमय दरों में समानान्तर विदेशी विनिमय दरों में 10% परिवर्तन के एकीकरण द्वारा किया जाता है।

प्रासंगिक तुलन पत्र की तिथियों की सकल विद्यामानता के आधार पर निम्नलिखित विश्लेषण किया गया है, जो आय विवरण को प्रभावित कर सकता है। समेकित विदेशी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के रूपान्तरण के कारण आय विवरण में इसकी कोई विद्यमानता नहीं है।

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च, 2022 एवं 31 मार्च, 2021 के अनुसार विदेशी मुद्रा प्रभावन से संबंधित सूचना प्रस्तुत करती है:

राशि करोड़ ₹ में

	यूएसडी का प्रभाव		यूरो का प्रभाव	
	समाप्त वर्ष	**समाप्त वर्ष**	**समाप्त वर्ष**	**समाप्त वर्ष**
	31.03.2022	**31.03.2021**	**31.03.2022**	**31.03.2021**
वर्ष के लिए लाभ या हानि पर प्रभाव	11.7	27.7	2.14	1.48

38.5 अन्य मूल्य जोखिम

38.5.1 इक्विटी मूल्य का संवेदनशीलता विश्लेषण

कंपनी इक्विटी प्रपत्रों के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी मूल्य जोखिम के दायरे में नहीं है क्योंकि सारे इक्विटी निवेश व्यवसाय उद्देश्यों की बजाय रणनीतिक प्रयोजन से धारित है।

38.6 ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम अनुबंधित शर्तों या दायित्वों के अनुसार प्रतिपक्ष द्वारा ऋण को चुकाने में अनुत्तीर्ण रहने या सेवा ऋण से उत्पन्न वित्तीय हानि का जोखिम है। ऋण जोखिम में चूक स्वरूप प्रत्यक्ष जोखिम एवं ऋण पात्रता के क्षीण होने से संबंधित जोखिम और साथ ही संकेन्द्रण जोखिम शामिल है। ग्राहक से अग्रिम संग्रह होने के कारण कोई महत्वपूर्ण ऋण विद्यमानता नहीं है। वित्तीय प्रपत्र जो ऋण जोखिम के संकेन्द्रण के अधीन हैं, उनमें मुख्यतया ऋण एवं प्राप्य, व्यापार प्राप्य, ऋण एवं अग्रिम और व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्रों के रूप में वर्गीकृत निवेश संलग्न है। कंपनी के किसी भी वित्तीय प्रपत्र से ऋण जोखिम का भौतिक संकेन्द्रण नहीं हुआ है।

38.7 नकदीकरण जोखिम प्रबंधन

नकदीकरण जोखिम का तात्पर्य उस जोखिम से है जिससे कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। नकदीकरण जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है पर्याप्त नकदीकरण को बनाये रखना एवं यह सुनिश्चित करना कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए निधि उपलब्ध है।

कंपनी की अल्पमियादी, मध्यावधि एवं दीर्घमियादी निधि संबंधी नकदीकरण प्रबंधन आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए कंपनी ने एक उपयुक्त नकदीकरण जोखिम प्रबंधन ढांचा स्थापित किया है। पूर्वानुमानी एवं वास्तविक नकद प्रवाह पर निरंतर निगरानी रखते हुए एवं वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के परिपक्वता स्वरूप को मिलाते हुए कंपनी पर्याप्त आरक्षित निधि एवं बैंकिंग सुविधाओं के व्यवस्थापन द्वारा नकदीकरण जोखिम का प्रबंध करती है।

39. संबंधित पक्ष के प्रकटीकरण

39.1 संबंधित पक्ष

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकः

(I) पूर्णकालिक निदेशकगणः

(क)	श्री एस. पाल	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री आर. एस महापात्र	निदेशक (मानव संसाधन)
(ग)	श्री एम. पी. मिश्र	निदेशक (परियोजना एवं तकनीकी) [01.11.2020 से प्रभावी]*
(घ)	श्री बी. के. दास	निदेशक (उत्पादन) [01.12.2020 से प्रभावी]#
(ङ)	श्री आर. सी. जोशी	निदेशक (वित्त) [04.02.2022 से प्रभावी]
(च)	श्री एस. सामन्तराय	निदेशक (वाणिज्यिक) [22.03.2022 से प्रभावी]

* 01.03.2021 से 03.02.2022 तक निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया

\# 01.03.2021 से 21.03.2022 तक निदेशक (वाणिज्यिक) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया

अन्य

श्री एन. के. महान्ति	समूह महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव

(II) अंशकालिक सरकारी निदेशकगण (भारत सरकार के नामित):

(क) श्री संजय लोहिया, भा.प्र.से.
(ख) श्री सतेंद्र सिंह, भा.प्र.से. [20.01.2022 तक]
(ग) डॉ. वीणा कुमारी डरमल, भा.डा.से. [20.01.2022 से प्रभावी]

(III) अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकगणः

(क) श्री रवि नाथ झा [11.11.2021 से प्रभावी]
(ख) डॉ. बी. आर. रामकृष्ण [15.11.2021 से प्रभावी]
(ग) अधि. जॉर्ज कुरियन [12.11.2021 से प्रभावी]
(घ) डॉ. अजय नांरग [16.11.2021 से प्रभावी]
(ङ) श्री वाई. पी. चिल्लियो [11.11.2021 से प्रभावी]
(च) सुश्री (डॉ.) शतोरूपा [12.11.2021 से प्रभावी]
(छ) अधि. दुष्यंत उपाध्याय [12.11.2021 से प्रभावी]
(ज) श्री संजय रमनलाल पटेल [23.03.2022 से प्रभावी]

ख. रोजगार उपरांत लाभ योजना

(क) नालको कर्मचारी भविष्य निधि न्यास
(ख) नालको कर्मचारी समूह उपदान न्यास

ग. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में (क) में चिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित संस्था

(क) नालको फाउंडेशन

घ. सरकार जिसके पास नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव हैः

(क) भारत सरकार

ङ. संस्थाएँ जिन पर भारत सरकार का नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है (सीपीएसई)

वर्ष के दौरान निम्नलिखित सीपीएसई/सरकारी उपक्रम के साथ कंपनी का प्रमुख व्यावसायिक लेनदेन है।

i) वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय

1	बामर लॉरी एण्ड कं. लि.	11	मध्य रेलवे
2	बनारस लोकोमोटिव वर्क्स	12	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
3	भारत अर्थ मूवर्स लि.	13	सीआईएसएफ
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि.	14	दिल्ली जल बोर्ड
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	15	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स
6	ब्रिज एण्ड रूफ कं. (इंडिया) लि.	16	पूर्व मध्य रेलवे
7	बीएसईएस राजधानी पावर लि.	17	इंजीनियर्स इंडिया लि.
8	बीएसईएस यमुना पावर लि.	18	एग्जिक्यूटिव इंजीनियर अपर कोलाब, हेड वर्क्स डिवीजन, जेपोर
9	बीएसएनएल	19	गुजरात अल्कालिज़ एण्ड केमिकल्स लि.
10	सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट	20	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

21 एच. पी. कॉर्पोरेशन
22 एचएमटी मशीन टूल्स लि.
23 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
24 इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
25 केल्ट्रॉन कंट्रोल्स
26 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
27 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
28 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
29 मेकॉन लिमिटेड
30 मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
31 रेल मंत्रालय
32 एमएसटीसी लिमिटेड
33 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मेकनिक्स
34 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
35 नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन
36 नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
37 नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
38 एनटीपीसी लिमिटेड
39 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
40 ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
41 डाकघर
42 पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन
43 राइट्स लिमिटेड
44 शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
45 दक्षिण मध्य रेलवे
46 दक्षिण रेलवे
47 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
48 विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट
49 वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड

ii) वस्तुओं का विक्रय
1 नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉर्प.
2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.
3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
4 नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन
5 ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
6 यंत्र इंडिया लिमिटेड
7 सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट आईएफआईसीओ

39.2 संबंधित पक्ष के लेनदेन

I. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ		
- वेतन	3.54	3.95
- भविष्य निधि में अंशदान	0.23	0.24
- चिकित्सा लाभ	0.02	0.01
- अन्य लाभ	0.01	0.03
रोजगार उपरांत लाभ #	**0.02**	**(0.03)**
अन्य दीर्घकालिक लाभ	**0.01**	**0.01**
कुल	**3.82**	**4.20**

चूंकि रोजगार-उपरांत लाभ एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ के अंतर्गत कर्मचारी लाभ व्यय का बीमांकिक मूल्यांकन सभी कर्मचारियों के लिए समग्र आधार पर किया गया है, इसलिए प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए ये व्यय समानुपातिक आधार पर विवेचित हैं।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से देय ऋण/अग्रिम

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बकाया	0.09	0.01
वर्ष के दौरान किसी भी समय सर्वाधिक देय राशि	0.11	0.01

II. **रोजगार उपरांत लाभ योजना**

वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

ट्रस्ट का नाम	लेनदेन की प्रकृति	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - अंशदान	543.71	485.86
एनईजीजी ट्रस्ट	निधि में कमी	6.61	55.98

वर्ष के अंत में बकाया शेष

		31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
एनईपीएफ ट्रस्ट	पीएफ - देय अंशदान	30.34	33.25
एनईजीजी ट्रस्ट	देय निधि में कमी	(22.18)	10.63

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

III. नालको फाउंडेशन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
नि.सा.उ. ट्रस्ट में अंशदान	21.00	14.41

IV. भारत सरकारः वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
शेयरों की पुनर्खरीद	-	109.25
वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान	565.08	236.4

V. सीपीएसई/सरकारी उपक्रम - वर्ष के दौरान लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय	3,443.02	2,388.83
सीपीएसई एवं सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं की बिक्री	1,695.29	1,194.72

वर्ष के अंत में बकाया शेष

विवरण	31.03.2022 को यथा	31.03.2021 को यथा
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों से वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय के लिए अग्रिम/(देय)	87.74	75.19
सीपीएसई/सरकारी उपक्रमों को वस्तुओं की बिक्री के लिए प्राप्य/ (अग्रिम)	(44.22)	-

40. बंद कंपनी के साथ लेनदेन

राशि करोड़ ₹ में

क्रम सं.	बंद कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति	शेष बकाया	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई है
1	प्रतिभूतियों में निवेश	-	
2	प्राप्य	-	
3	देय	-	
4	बंद कंपनी द्वारा धारित शेयर#	-	
5	अन्य बकाया शेष (उल्लेख किया जाएगा)		
	कुल		-

कंपनी बंद कंपनियों द्वारा धारित शेयरों की पहचान करने की प्रक्रिया में है।

41. अतिरिक्त सूचना का प्रकटनः

राशि करोड़ ₹ में

(क) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एवं यथा								
समूह में संस्था का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएं घटाकर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में हिस्सा		अन्य विशद आय में हिस्सा		कुल विशद आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य विशद आय के % के रूप में	राशि	कुल समेकित आय के % के रूप में	राशि
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.30%	37.63	0.01%	0.31	-	-	0.01%	0.31
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	0.01%	1.50	0.00%	(0.03)	-	-	0.00%	(0.03)
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.31%	38.79	0.02%	0.64	0.00%	0.00	0.02%	0.64
जीएसीएल नालको अल्कालिज़ प्राइवेट लिमिटेड	5.43%	681.41	(0.05%)	(1.48)	0.00%	0.00	(0.05%)	(1.48)
कुल	**6.05%**	**759.33**	**(0.02%)**	**(0.56)**	**0.00%**	-	**(0.02%)**	**(0.56)**

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

41. अतिरिक्त सूचना का प्रकटन (जारी):

राशि करोड़ ₹ में

(ख) 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एवं यथा								
समूह में संस्था का नाम	शुद्ध परिसंपत्तियाँ अर्थात कुल देयताएं घटाकर कुल परिसंपत्तियाँ		लाभ एवं हानि में हिस्सा		अन्य विशद आय में हिस्सा		कुल विशद आय में हिस्सा	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य विशद आय के % के रूप में	राशि	कुल समेकित आय के % के रूप में	राशि
संयुक्त उद्यम (इक्विटी विधि के अनुसार निवेश)								
भारतीय								
उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	0.00	37.01	0.00	0.13	-	-	0.00	0.13
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	0.00	1.57	(0.00)	(0.00)	-	-	(0.00)	(0.00)
अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	0.35%	37.49	0.04%	0.49	-	-	0.04%	0.49
जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	6.42%	685.10	(0.06%)	(0.74)	-	-	(0.06%)	(0.74)
कुल	**7.13%**	**761.17**	**(0.01%)**	**(0.12)**	**0.00%**	-	**(0.01%)**	**(0.12)**

42. सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों की प्रमुख विशेषताएँ

सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं से संलग्न विवरण (फॉर्म एओसी-1)

भाग "बी":सहयोगी एवं संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के अनुपालन में विवरण

	विवरण	संयुक्त उद्यम			
		उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड	खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड	अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क प्राइवेट लिमिटेड	जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
1.	**अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि**	**31.03.2022**	**31.03.2021**	**31.03.2021**	**31.03.2022**
2.	**समाप्त वर्ष पर कंपनी द्वारा धारित सहयोगियों/संयुक्त उद्यमों के शेयर**				
	संख्या	2,00,00,000	1,00,000	1,62,23,900	27,60,00,000
	सहयोगियों/संयुक्त उद्यम में निवेश राशि (₹)	20,00,00,000	10,00,000	16,22,39,000	2,76,00,00,000
	होल्डिंग के विस्तार का %	50.00%	40.00%	49.00%	40.00%
3.	**कैसे महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण है**	**[टिप्पणी 42.2 देखें]**	**[टिप्पणी 42.2 देखें]**	**[टिप्पणी 42.2 देखें]**	**[टिप्पणी 42.2 देखें]**
4.	**कारण कि क्यों सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित नहीं है**	-	-	-	-
5.	**अद्यतन तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता को आरोप्य शुद्ध मूल्य(₹)**	**18,81,50,000**	**60,00,000**	**19,00,71,000**	**2,72,56,40,000**
6.	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (₹)**				
	i. समेकन में विवेचित	31,00,000	(3,00,000)	64,00,0000	(1,48,00,000)
	ii. समेकन में विवेचित नहीं	-	-	-	-

टिप्पणी: 42.1 जीएसीएल नालको अल्कालिज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को छोड़कर किसी अन्य संयुक्त उद्यम ने प्रचालन शुरू नहीं किया है।

42.2 धारित इक्विटी के प्रतिशित के अनुसार वोटिंग अधिकार।

42.3 चार संयुक्त उद्यम कंपनियों में से जिनके वित्तीय विवरणियों को समेकित किया गया है, दो संयुक्त उद्यम कंपनियों अर्थात मेसर्स खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड एवं मेसर्स अनुगुल एल्यूमिनियम पार्क कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों को रिपोर्टिंग तिथि को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार वित्तीय आधार पर समेकित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणियों संबंधी टिप्पणियाँ

43. विश्लेषणात्मक अनुपात

राशि करोड़ ₹ में

क्रम सं.	अनुपात	अंश	विभाजक (डिनोमीनटर)	31.03.2022	31.03.2021	भिन्नता
1	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्ति का योग	वर्तमान देयता का योग	2	2	0%
2	ऋण-इक्विटी अनुपात[1]	कुल ऋण	शेयरधारकों की इक्विटी	-	-	-
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	व्याज + किश्त	-	-	-
4	इक्विटी अनुपात पर वापसी[2]	अधिमानी लाभांश घटाने के बाद कर उपरांत शुद्ध लाभ	इक्विटी शेयरधारक की निधि	24%	12%	93%
5	मालसूची कारोबार अनुपात[2]	बिक्री	औसत मालसूची	9	6	61%
6	व्यापारिक प्राप्य कारोबार अनुपात[3]	उधार बिक्री	औसत व्यापारिक प्राप्य	0.59	0.35	68%
7	व्यापारिक देय कारोबार अनुपात	वार्षिक उधार क्रय	औसत लेखा देय	4.36	4.09	7%
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात[2]	बिक्री	शुद्ध परिसंपत्ति या नियोजित पूंजी	1.31	0.89	47%
9	शुद्ध लाभ अनुपात[2]	शुद्ध लाभ	बिक्री	21%	15%	43%
10	नियोजित पूंजी पर वापसी[2]	व्याज एवं कर से पूर्व आय (ईबीआईटी)	नियोजित पूंजी	37%	13%	178%
11	निवेश पर वापसी[2]	शुद्ध लाभ	इक्विटी निधि	24%	12%	93%

1. कंपनी के पास बिल पर छूट को छोड़कर कोई उधारी/ऋण नहीं है (टिप्पणी 20 देखें)
2. अनुपातों में सुधार संबंधित कारकों में परिवर्तन के कारण है।
3. व्यापारिक प्राप्य कारोबार अनुपात की गणना केवल पवन ऊर्जा की ब्रिक्री एवं प्राप्य पर विवेचित है।

44. पिछले वर्ष के आँकड़ों का पुनः वर्गीकरण

पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं भी अपेक्षित हो, उन्हें तुलनात्मक बनाने के लिए पुनःवर्गीकृत / पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते जीएनएस एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 318171ई

हस्ता/-
(सीए नारद पी. साहू)
साझेदार
एम सं.: 055224

कृते ए. के. साबत एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 321012ई

हस्ता/-
(सीए ए. के. साबत)
साझेदार
(एम सं.: 030310)

स्थानः भुवनेश्वर
दिनांकः 25 मई, 2022

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 1	वित्तीय विवरण का प्रस्तुतीकरण	- कंपनी के वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं इंड एएस 1 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अधीन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किए गए हैं।
		- वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त मापन आधार एवं अपनायी गई लेखांकन नीतियों को प्रकट किया गया है।
		- इंड एएस की अपेक्षा के अनुसार सूचना (संबंधित इंड एएस के तहत नीचे भी वर्णन किया गया है) जो वित्तीय विवरण में अन्यत्र प्रस्तुत नहीं की गई है, को इसकी टिप्पणियों में प्रकट किया गया है। वित्तीय विवरण की टिप्पणियाँ वो सूचना भी प्रदान करती हैं जो वित्तीय विवरण में कहीं अन्य प्रस्तुत नहीं की गई हैं परन्तु उनमें से किसी को भी समझने के लिए प्रासंगिक हैं।
इंड एएस 2	मालसूचियाँ	- मालसूचियों को मापने में ग्रहीत लेखांकन नीति के साथ प्रयुक्त लागत फॉर्मूला वित्तीय विवरण की टिप्पणी 3 में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.10 में प्रकट किया गया है।
		- मालसूचियों के वर्गीकरण एवं उनकी वहन राशि के संबंध में प्रकटन व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूची की राशि, व्यय के रूप में स्वीकृत मालसूचियाँ की कोई पुनरांकन राशि एवं गिरवी रखी गई मालसूची को टिप्पणी 15 में किया गया है।
इंड एएस 7	नकद प्रवाह विवरण	- अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, लाभ या हानि के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि के इस्तेमाल से नकद प्रवाह विवरण का किसी गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन, विगत या भावी प्रचालन नकद रसीद या भुगतान के किसी विलंबन या संचयन एवं नकद प्रवाहों में निवेश करने या वित्त प्रबंध करने से संबंधित आय या व्यय के मदों के प्रभाव के लिए समायोजन किया गया है।
		- नकद प्रवाह को प्रचालन, निवेशन एवं वित्त प्रबंधन गतिविधियों के रूप में पृथक किया गया है।
इंड एएस 8	लेखांकन नीतियाँ, लेखांकन आकलनों एवं त्रुटियों में परिवर्तन	- लेखांकन नीति में कोई भी परिवर्तन, अव्यवहार्य न होने की स्थिति में पूर्व-व्याप्ति के साथ प्रयोग किया गया है, पूर्व अवधि में प्रस्तुत इक्विटी के लिए प्रत्येक प्रभावी अवयव की प्रारंभिक शेष राशि एवं पूर्व में प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए प्रकट की गई अन्य तुलनात्मक राशि का समायोजन किया गया।
		- लेखांकन आकलन में कोई परिवर्तन जो परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन लाते हैं या इक्विटी के किसी मद से संबंध रखते हैं, को परिवर्तन की अवधि में संबंधित परिसंपत्ति, देयता या इक्विटी मद की वहन राशि के समायोजन द्वारा स्वीकृति दी गई है।
		- किसी पूर्व अवधि(यों) की त्रुटि का पता चलने पर, जिस पर अवधि के दौरान ₹50 करोड़ का प्रभाव है, के लिए मानक द्वारा निर्देशित अनुसार पूर्व-व्याप्ति के साथ संशोधित किया गया है।
इंड एएस 10	रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ	- कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजित घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए, अपने वित्तीय विवरणों में स्वीकृत राशियों को समायोजित किया है।
		- रिपोर्टिंग अवधि के बाद घोषित लाभांश अवधि के अंत में देयता के रूप में स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, इस प्रभाव का उपयुक्त प्रकटन टिप्पणीः 18.4 में किया गया है।
इंड एएस 11	निर्माण अनुबंध	ठेकेदारों के वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह मानक प्रयोज्य है जो निर्माण व्यवसाय में है। किसी परिसंपत्ति के निर्माण के लिए ठेकेदार नहीं रहने पर, इंड एएस 11 कंपनी को लागू नहीं है।
इंड एएस 12	आय कर	- कर व्यय और लेखांकन लाभ के बीच के संबंध को टिप्पणी 35 में कर व्यय एवं लागू कर दर से गुणा करते हुए लेखांकन लाभ के गुणन फल के बीच साख्यिंकी पुनर्मिलान के माध्यम से वर्णन किया गया है।
		- अन्य विशद आय में एवं प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में स्वीकृत मदों से संबंधित वर्तमान कर एवं आस्थगित कर को क्रमशः अन्य विशद आय एवं इक्विटी में स्वीकृत किया गया है। प्रकटन टिप्पणी 35 में किया गया है।
इंड एएस 16	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	- प्रत्येक श्रेणी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के लिए अनुरक्षित मापन आधार, उपयोगी जीवन एवं मूल्यह्रास विधि महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.4 में वर्णन किया गया है।
		- अवधि के दौरान संयोजन को व्यक्त करते हुए, प्रारंभिक वहन मूल्य एवं अंतिम वहन मूल्य के बीच के पुनर्मिलान, निपटान एवं मूल्यह्रास व्यय को टिप्पणी 5 में दिया गया है।
इंड एएस 19	कर्मचारी लाभ	- दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों को तीन प्रमुख शीर्ष अर्थात परिभाषित अंशदान योजनाओं, परिभाषित लाभ योजनाओं एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कर्मचारियों की भविष्य निधि एवं पेन्शन निधि में कंपनी ने अंशदान को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी है जबकि सेवानिवर्त्तन पर उपदान, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ, बंदोबस्ती लाभ, नालको हितकारी निधि योजना, नालको सेवानिवृत्ति कल्याण योजना को परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गई है। क्षतिपूरित अनुपस्थितियाँ, लम्बी सेवा पुरस्कार एवं एन.ई.एफ.एफ.ए.आर.एस. के लिए भुगतान दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में स्वीकार किया गया है।
		- परिभाषित लाभ योजनाओं एवं दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के बाबत कंपनी की देयता का बीमांकिक मूल्यांकन किया गया है एवं इसी अनुसार व्यय/आय की स्वीकृति दी गई है।
		- जनांकिक एवं वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन के कारण सेवा लागत, व्याज व्यय/आय, लाभ या हानि का पुनःमापन दर्शाने वाले प्रत्येक परिभाषित लाभ देयताओं के लिए प्रारंभिक देयता एवं अंतिम देयता के बीच पुनर्मिलान टिप्पणी 31.ख. में प्रकट किया गया है।
		- बीमांकिक धारणाओं का सुग्राही विश्लेषण जो दर्शाता है कि किस प्रकार प्रासंगिक बीमांकिक धारणाओं के परिवर्तन द्वारा परिभाषित लाभ देयता प्रभावित हुआ होगा, को टिप्पणी 31.बी. में प्रकट किया गया है।

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 20	सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन एवं सरकारी सहयोग का प्रकटन	- परिसंपत्तियों के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान को आस्थगित आय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस विषय में लेखांकन नीति अनुच्छेद 3.15 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 21	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव	विदेशी मुद्रा में किए गए लेनदेन के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.7 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 23	उधारी लागत	कंपनी उधारी लागतों को पूंजीकृत करती है जो परिसंपत्ति की लागत के अंश के तौर पर अर्हता परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभारित है। इस संबंध में प्रकटीकरण महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 3.14 में किया गया है।
इंड एएस 24	संबंधित पक्ष प्रकटन	संबंधित पक्षों के नाम, उनके साथ एकीकृत बिक्री एवं क्रय लेनदेन, उनके विरुद्ध कोई बकाया शेष एवं प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभ एवं उनके विरुद्ध ऋण बकाया को टिप्पणी 39 में प्रकट किया गया है।
इंड एएस 27	पृथक वित्तीय विवरण	- संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेश को पृथक वित्तीय विवरणों में लागत पर प्रस्तुत किया गया है।
इंड एएस 28	सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यम में निवेश	- कंपनी इक्विटी विधि का इस्तेमाल करते हुए अपने समेकित वित्तीय विवरणों में निवेश की वहन राशि के साथ सहायक कंपनियों के लाभ या हानि में अपने लाभ के अंश को समायोजित करती है।
इंड एएस 29	अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ व्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग	- यह मानक कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि इसकी कार्यात्मक मुद्रा किसी भी अति मुद्रास्फीति विषयक अर्थ-व्यवस्था की मुद्रा नहीं है।
इंड एएस 32	वित्तीय साधनों का प्रस्तुतीकरण	- परिसंपत्तियों एवं देयताओं के सभी मद मानक में निर्देशित परिभाषाओं के आधार पर वित्तीय एवं अन्य परिसंपत्तियों और देयताओं में पृथकीकृत किए गए हैं एवं अनुसूची III में अपेक्षानुसार प्रस्तुत किए गए हैं।
इंड एएस 33	प्रति शेयर आय	- कंपनी ने कोई संभावित इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है। अतएव, मूल एवं मंदित ईपीएस दोनों वही रहे। - ईपीएस की गणना में प्रयुक्त अवधि के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या एवं आय के संबंध में प्रकटन टिप्पणी 36 में किया गया है।
इंड एएस 34	अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग	- एक सूचीबद्ध संस्था होने के कारण, कंपनी तिमाही आधार पर इस मानक में निर्देशित मान्यता एवं मापन सिद्धांतों के अनुसार सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अपेक्षा के अनुसार अपने अंतरिम वित्तीय ब्यौरे तैयार करती है।
इंड एएस 36	परिसंपत्ति की क्षति	- विभिन्न परिसंपत्तियों की क्षति के संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में संबंधित अनुच्छेदों में प्रकट किया गया है। - प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को परिसंपत्ति के वहन मूल्यों की समीक्षा करता है एवं आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा सूचक है कि मानक के अनुसार परिसंपत्ति की क्षति हो सकती है।
इंड एएस 37	प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं परिसंपत्तियाँ	- प्रावधान, आकस्मिक देयताओं एवं परिसंपत्तियों के संबंध में लेखांकन नीतियों को महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.8 में व्यक्त किया गया है। - विगत गतिविधियों, कानूनी या रचनात्मकता के फलस्वरूप जब कंपनी के पास वर्तमान देयता है जिसके लिए देयता के निपटान हेतु संसाधनों के बहिर्भाव की आवश्यकता है तब प्रावधान को स्वीकृति दी गई है एवं गतिविधि से पूरे जोखिमों एवं अनिश्चितताओं पर विचार करते हुए विश्वसनीय रूप से आकलित किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का संचलन टिप्पणी 22(सी) में प्रकट किया गया है। - अन्य देयताओं के मामले में, जो विगत गतिविधियों से उत्पन्न हुई है एवं जिनकी विद्यमानता एक या एक से अधिक अनिश्चित भावी गतिविधियों के घटने या न घटने, जो पूर्णरूप से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है, के द्वारा पुष्टि की जाएगी, आकस्मिक देयताओं को टिप्पणी 25 में प्रकट किया गया है एवं अनुसूची III की आवश्यकता के अनुपालन में है। - आकस्मिक परिसंपत्तियों को स्वीकृति नहीं दी गई है, परन्तु प्रकट की गई है, जहाँ आर्थिक लाभों के अन्तर्प्रवाह की संभावना है।
इंड एएस 38	अमूर्त परिसंपत्तियाँ	- इस संबंध में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के अनुच्छेद 3.5 में उल्लेख की गई है। - कंपनी अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) गतिविधियों पर व्यय, एनपीवी बाबत भुगतान, समूह परियोजनाओं पर व्यय एवं सॉफ्टवेयर पर व्यय को स्वीकृति देती है जो अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में मानक में निर्देशित मान्यताओं के लिए शर्तों को पूरा करती है। - संयोजन, घटाव एवं परिशोधन को दर्शाने वाली अमूर्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक वहन राशि एवं अंतिम वहन राशि का पुनर्मिलान टिप्पणी 7 में दिया गया है।
इंड एएस 40	निवेश संपत्ति	कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 41	कृषि	कंपनी के पास कोई कृषि गतिविधि नहीं है, इसलिए यह मानक लागू नहीं है।

एमसीए द्वारा अधिसूचित इंड एएस के अनुपालन की वस्तु-स्थितिः

इंड एएस	नामावली	विवरण
इंड एएस 101	भारतीय लेखांकन मानकों का पहली बार अभिग्रहण	कंपनी ने वर्ष 2016-17 में इंड एएस को अपनाया है और इसलिए यह मानक लागू नहीं होता है।
इंड एएस 102	शेयर आधारित भुगतान	- वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ जिसमें शेयर-आधारित भुगतान है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 103	व्यवसाय संयोग	- यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 104	बीमा ठेके	- यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 105	विक्रय एवं विच्छिन्न प्रचालनों के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	- कंपनी के पास कोई निपटान ग्रुप नहीं है, अतएव कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
इंड एएस 106	खनिज संसाधनों के लिए अन्वेषण एवं मूल्यांकन	- कंपनी ने खनिज संसाधनों के अन्वेषण एवं मूल्यांकन पर कोई व्यय नहीं किया है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 107	वित्तीय प्रपत्रों का प्रकटन	- वित्तीय प्रपत्रों के वर्गीकरण, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रपत्रों से उत्पन्न जोखिम की प्रकृति एवं विस्तार के संबंध में मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी 37 में किया गया है।
इंड एएस 108	प्रचालन खंड	- कंपनी ने अपने प्रचालन को दो खंडों अर्थात रसायन खंड एवं एल्यूमिनियम खंड में वर्गीकृत किया है जो मुख्य प्रचालन निर्णय प्रस्तुतकर्ता (सीओडीएम) के दृष्टिकोण पर आधारित है जो कंपनी के कार्य-प्रदर्शन की समीक्षा के लिए अपनाए जाते हैं। - खंड राजस्व, परिणाम, परिसंपत्ति एवं देयताएँ, प्रमुख उत्पादों से राजस्व, भौगोलिक सूचनाएँ एवं अन्य खंड सूचनाएँ टिप्पणी 35 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 109	वित्तीय प्रपत्र	- म्यूचुअल फंड में निवेश एवं विदेशी मुद्रा पर अग्रेषण ठेका को छोड़कर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा गया है एवं टिप्पणी 37 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 110	समेकित वित्तीय विवरण	- समेकित वित्तीय विवरण समेकन की इक्विटी विधि का अनुपालन करते हुए कंपनी के संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों पर विचार करते हुए तैयार किए गए हैं।
इंड एएस 111	संयुक्त व्यवस्थाएँ	- कंपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित व्यवस्थाओं में अपने हित की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक में निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करती है।
इंड एएस 112	अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटन	- कंपनी के पास चार संयुक्त उद्यम हैं जिसकी संक्षेप में प्रस्तुत वित्तीय सूचनाएँ एवं व्याज की वहन राशि के साथ इसके पुनर्मिलान टिप्पणी 9 में प्रकट किए गए हैं।
इंड एएस 113	सही मूल्य मापन	- कंपनी ने अपनी वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं को मापते समय मानक में निर्देशित अनुसार सही मूल्य मापन के सिद्धांतों को अपनाया है। - इस विषय में लेखांकन नीति महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुच्छेद 4.2.6 में प्रकट की गई है।
इंड एएस 114	नियामक स्थगन लेखे	- कंपनी किसी दर नियंत्रण के अधीन नहीं है, अतएव यह मानक लागू नहीं है।
इंड एएस 115	ग्राहकों के साथ ठेके से राजस्व	- ग्राहकों के साथ ठेके के संबंध में अपनी सभी निष्पादन देयता के समापन पर कंपनी राजस्व को स्वीकृति देती है।
इंड एएस 116	पट्टे	- कंपनी उन सभी पट्टों को चिह्नित करती है, जिसमें कोई अनुबंध है, या पट्टा है, यदि यह अनुबंध के प्रारंभ में विचार आदान-प्रदान की समयावधि के लिए किसी चिह्नित परिसंपत्ति (अनुबंध में स्पष्ट या निहित रूप से निर्दिष्ट) के उपयोग के नियंत्रण अधिकार को वहन करता है। - कंपनी लागत पर "उपयोगाधिकार" आरओयू परिसंपत्ति को स्वीकृति देती है एवं सभी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मापा जाता है।

5 वर्षों का कार्य-निष्पादन एक नजर में – भौतिक

क्रम सं.	विवरण	एकक	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
1	**उत्पादनः**						
	बॉक्साइट	मे.ट.	75,11,075	73,65,001	73,02,245	72,30,546	70,25,109
	एल्यूमिना हाईड्रेट	मे.ट.	21,22,000	20,85,500	21,60,500	21,52,500	21,05,500
	एल्यूमिनियम	मे.ट.	4,60,000	4,18,522	4,18,373	4,40,242	4,25,515
	विद्युत (शुदध)	मि.यू.	5,711	6,440	6,067	6,256	6,547
	पवन विद्युत	मि.यू.	320	285	312	330	243
2	**निर्यात बिक्रीः**						
	एल्यूमिना	मे.ट.	11,54,691	11,84,680	12,40,704	12,44,256	12,76,775
	एल्यूमिनियम	मे.ट.	1,33,085	1,92,174	56,898	38,463	75,847
3	**देशीय बिक्री:**						
	एल्यूमिना हाईड्रेट एवं अन्य रसायन	मे.ट.	77,995	42,992	63,000	73,377	60,641
	एल्यूमिनियम	मे.ट.	3,23,809	2,30,643	3,38,864	4,02,134	3,50,469
	विद्युत (शुद्ध)	मि.यू.	-	-	-	11	24
	पवन विद्युत	मि.यू.	170	148	162	330	243

5 वर्षों का कार्य-निष्पादन एक नजर में – वित्तीय (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18
क	**आय का विवरणः**					
1	निर्यात	6364.15	5,162.94	3,510.92	4,792.71	4,075.46
2	देशीय बिक्री	7694.83	3,706.35	4,914.83	6,593.61	5,429.66
3	सकल बिक्री (1+2)	14,058.98	8,869.29	8,425.75	11,386.32	9,505.12
4	घटाएं: उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	128.96
5	शुद्ध बिक्री (3-4)	14,058.98	8,869.29	8,425.75	11,386.32	9,376.16
6	अन्य आयः					
7	प्रचालन	121.83	86.50	46.09	113.00	113.19
8	गैर-प्रचालन	297.42	146.60	272.58	325.87	299.65
9	प्रचालन व्यय	9,663.65	7,172.97	7,982.61	8,606.79	8,091.90
10	प्रचालन लाभ (5+7-9)	4,517.16	1,782.82	489.23	2,892.53	1,397.45
11	अपवादिक मदें	-	-	-	-	(824.08)
12	ब्याज, मूल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीआईडीटी)(10+8-11)	4,814.58	1,929.42	761.81	3,218.40	2,521.18
13	ब्याज एवं वित्तपोषण प्रभार	23.12	7.08	5.74	2.38	1.95
14	मूल्यह्रास एवं कर पूर्व आय (ईबीडीटी) (12-13)	4,791.46	1,922.34	756.07	3,216.02	2519.23
15	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	836.59	605.82	529.83	476.10	480.40
16	कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (14-15)	3,954.87	1,316.52	226.24	2,739.92	2,038.83
17	कर के लिए प्रावधान	1,002.90	16.99	88.01	1,007.52	696.42
18	शुद्ध लाभ (पीएटी) (16-17)	2,951.97	1,299.53	138.23	1,732.40	1,342.41
ख	**तुलन पत्रः**					
19	इक्विटी पूँजी	918.32	918.32	932.81	932.81	966.46
20	आरक्षित एवं अधिशेष	11,636.32	9,762.38	9,055.26	9,551.70	9,538.35
21	शुद्ध मूल्य (19+20)	12,554.64	10,680.70	9,988.07	10,484.51	10,504.81
ग	**अनुपातः**					
22	प्रचालन लाभ अंतर (ओपीएम) (%) (10 / 5*100)	32.13	20.10	5.81	25.40	14.90
23	शुद्ध लाभ अंतर (%) (18 / 5 *100)	21.00	14.65	1.64	15.21	14.32
24	शुद्ध मूल्य पर प्रतिफल (आरओएनडब्ल्यू)(%) (18/21*100)	23.51	12.17	1.38	16.52	12.78
घ	**अन्य :**					
25	₹ 5 प्रत्येक का प्रति शेयर बही मूल्य (₹ में)	68.36	58.15	53.54	56.20	54.35
26	प्रति शेयर आय (₹ में)	16.07	6.97	0.74	9.06	6.94
27	प्रति शेयर लाभांश (₹ में)	6.50	3.50	1.50	5.75	5.70

वर्ष 2021-22 के लिए प्रकाशित तिमाही (पुनरीक्षित) वित्तीय परिणामों एवं वार्षिक (लेखापरीक्षित) वित्तीय परिणामों का पुनर्मिलान

(क्रम सं. 11 एवं 12 को छोड़कर ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	प्रथम तिमाही (पुनरीक्षित)	द्वितीय तिमाही (पुनरीक्षित)	तृतीय तिमाही (पुनरीक्षित)	चतुर्थ तिमाही (लेखापरीक्षित)	चारों तिमाहियों का योग	पूर्ण वर्ष (लेखापरीक्षित)	अन्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रचालन से राजस्व	2,474.55	3,592.18	3,773.26	4,340.82	14,180.81	14,180.81	-
2	अन्य आय	31.74	42.41	71.99	151.28	297.42	297.42	-
3	मूल्यह्रास को छोड़कर कुल व्यय	1,895.54	2,466.73	2,584.65	2,739.85	9,686.77	9,686.77	-
4	मूल्यह्रास एवं प्रावधान	149.14	151.79	151.47	384.19	836.59	836.59	-
5	कर पूर्व लाभ एवं अपवादिक मदें	461.61	1,016.07	1,109.13	1,368.06	3,954.87	3,954.87	-
6	अपवादिक मदें	-	-	-	-	-	-	-
7	कर पूर्व लाभ	461.61	1,016.07	1,109.13	1,368.06	3,954.87	3,954.87	-
8	कर के लिए प्रावधान	113.88	268.37	278.27	342.38	1002.90	1002.90	-
9	शुद्ध लाभ (पीएटी)	347.73	747.70	830.86	1,025.68	2,951.97	2,951.97	-
10	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	918.32	-
11	प्रति शेयर आय (₹) (वार्षिकीकृत नहीं)	1.89	4.07	4.52	5.58	16.07	16.07	-
12	गैर-प्रोमोटर शेयरधारिता का कुल योगः							
	शेयरों का संख्या	89,48,38,776	89,48,38,776	89,48,38,776	89,48,38,776	-	89,48,38,776	-
	शेयरधारिता का प्रतिशत	48.72	48.72	48.72	48.72	-	48.72	-

नालको के विभिन्न उत्पादन एकक, उनकी अवस्थिति और संस्थापित क्षमताएँ

1	बॉक्साइट खान	पंचपटमाली	68,25,000 टन प्रति वर्ष (उत्तर एवं मध्य ब्लॉक) 31,50,000 टन प्रति वर्ष (दक्षिण ब्लॉक)
2	एल्यूमिना परिशोधक	दामनजोडी	21,00,000 टन प्रति वर्ष (मानक क्षमता)
3	प्रद्रावक संयंत्र	अनुगुल	4,60,000 टन प्रति वर्ष
4	ग्रहीत विद्युत संयंत्र	अनुगुल	1,200 मेगावाट
5	पत्तन सुविधाएँ	विशाखापटनम	14,00,000 टन प्रति वर्ष (एल्यूमिना निर्यात / कास्टिक सोडा घोल आयात)
6	पवन विद्युत	गण्डीकोटा, आन्ध्र प्रदेश	50.4 मेगावाट
		लुडर्वा, जैसलमेर, राजस्थान	47.6 मेगावाट
		देवीकोट, जैसलमेर, राजस्थान	50.0 मेगावाट
		सांगली, महाराष्ट्र	50.4 मेगावाट

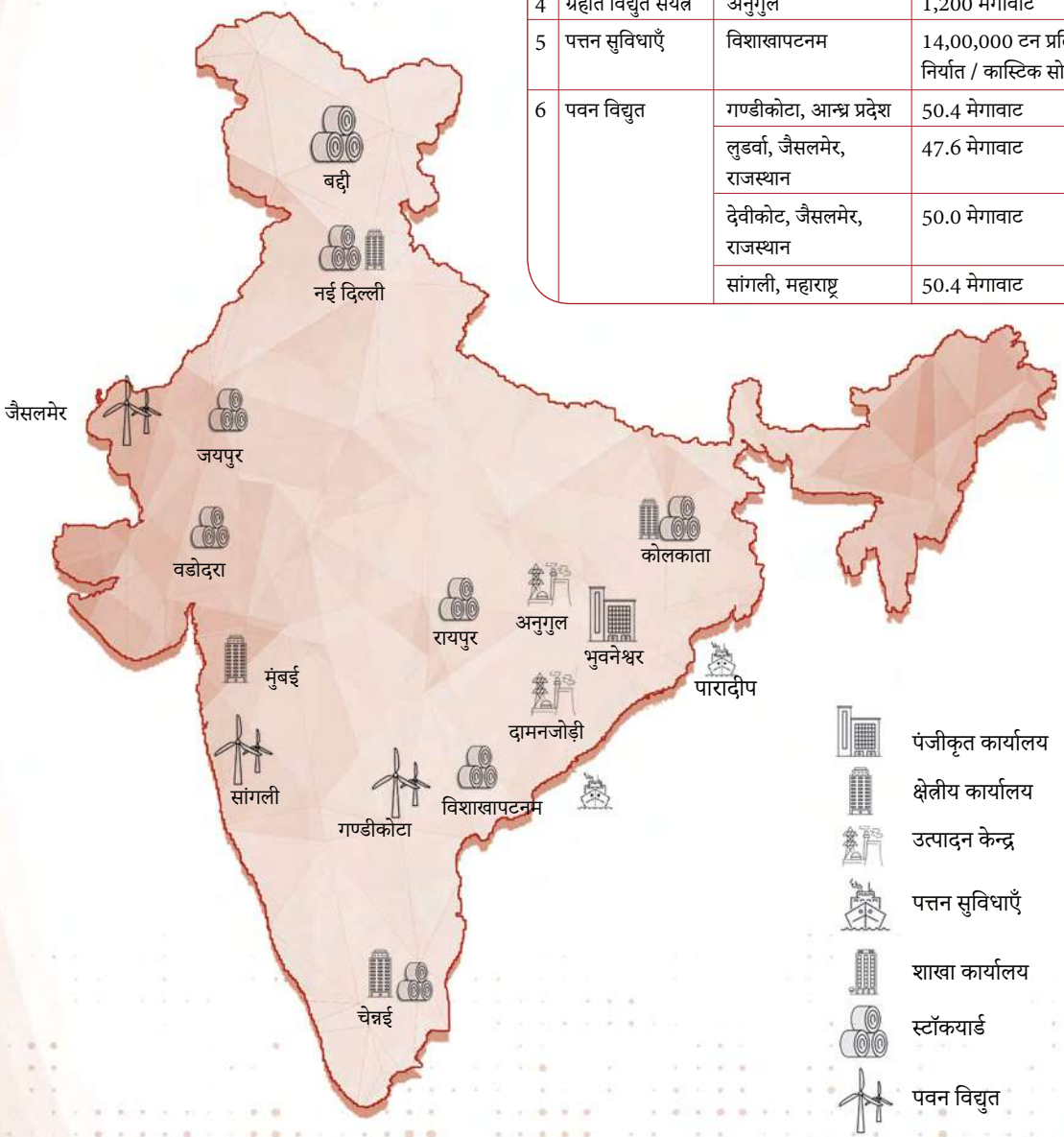

*कंपनी की निजी पत्तन सुविधाएँ

टिप्पणियाँ

वैश्विक विस्तार

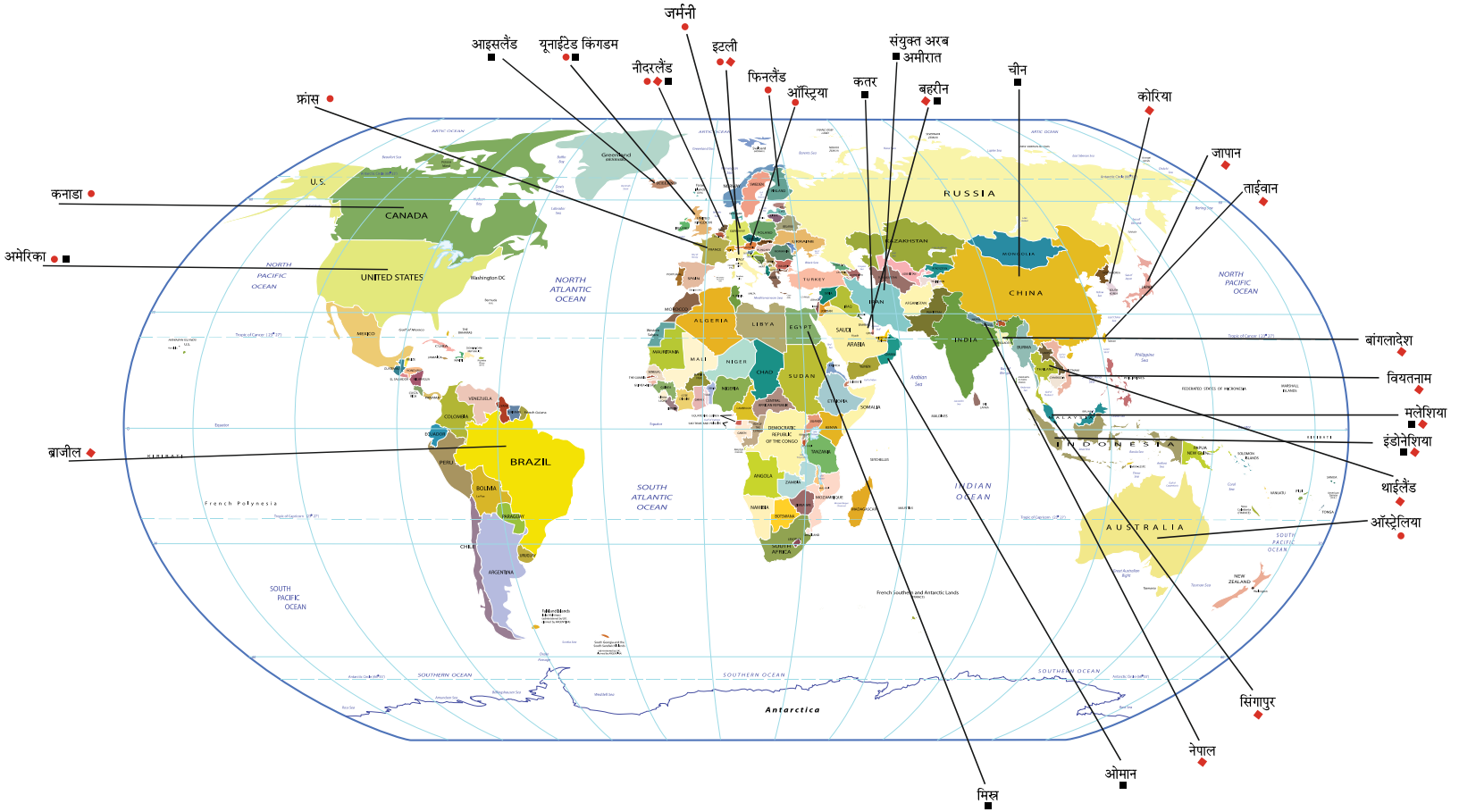

● प्रौद्योगिकी सहयोगी ■ एल्यूमिना निर्यात ◆ एल्यूमिनियम निर्यात

नालको NALCO
नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उद्यम)
नालको भवन, पी/1, नयापल्ली, भुवनेश्वर-751 013, ओड़िशा
सीआईएन: L27203OR1981GOI000920

@NALCO_India fb.com/nalcoindia www.nalcoindia.com